वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा
2017-18

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
(कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी)

गत दस वर्षों की वित्त संबंधी प्रमुख बातें

	विवरण	इकाई	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1	कोयला का उत्पादन	एमटी(मिलियन टन)	88.01	96.34	104.08	100.28	103.12	107.89	110.44	121.38	137.90	139.21	143.01
2	कोयले का प्रेषण	एमटी(मिलियन टन)	83.63	91.28	98.13	102.09	102.52	111.96	114.34	123.00	140.22	143.01	138.26
3	कोयले का विक्रय(सकल)	करोड रु.	5,291.07	6,487.55	7,466.56	9,249.75	12,068.60	13,190.42	13,165.61	14989.05	19829.58	23450.72	22379.91
4	पीबीटी	करोड रु.	2,504.79	2,600.91	2,950.58	4,039.30	5,463.69	6,202.48	5,429.08	5,314.24	6260.43	6853.32	7339.66
5	पीएटी	करोड रु.	1,643.04	1,718.03	1,946.69	2,609.32	3,709.51	4,212.44	3,624.30	3,554.10	4184.74	4491.09	4761.29
6	लाभांश	करोड रु.	1,000.00	1,040.00	1,169.00	1,570.02	2,226.55	2,529.45	5,983.16	3,841.82	3608.45	2982.00	4350.00
7	कुल तय परिसंपत्तियॉ	करोड रु.	1,298.08	1,364.10	1,589.69	2,019.19	2,048.05	2,212.52	2,788.58	3,087.48	3252.55	3943.29	4534.24
8	कुल मूल्य	करोड रु.	4,686.72	5,188.00	5,769.60	6,548.14	7,674.42	8,939.12	5,563.42	4,477.57	4319.26	3385.38	2943.12
9	दीर्घावधि ऋण	करोड रु.	157.29	183.97	150.79	124.13	119.42	96.60	9.14	6.90	7.21	6.64	7.09
10	नियोजित पूँजी	करोड रु.	4,381.96	4,853.15	5,305.38	11,704.47	14,211.30	16,208.23	14,248.04	15,208.55	16629.66	15183.59	15469.43
11	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	%	37	35	37	22	26	26	25	23	25	23	31
12	मूल्य योग	करोड रु.	3,957.52	4,988.95	5,594.64	6,945.29	8,825.63	9,206.31	9,153.60	10,203.46	11990.49	12474.74	12979.8
13	प्रति शेयर अंकित मूल्य	रु.	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1000.00	1000.00	1000.00
14	प्रति शेयर बूक वैल्यु	रु.	25,143.23	27,832.48	30,952.64	35,129.34	41,171.58	47,956.42	29,846.53	24,021.18	23171.89	23971.26	4167.94
15	प्रति शेयर लाभांश	रु.	5,364.78	5,579.37	6,271.43	8,422.81	11,944.95	13,569.95	32,098.34	20,610.52	19358.54	21,115.00	6160.31
16	प्रति शेयर आय	रु.	8,814.57	9,216.84	10,443.57	13,998.43	19,900.71	22,598.82	19,443.58	19,066.97	22450.21	31800.60	32419.32
17	इक्यूटी शेयरों की संख्या	संख्या	1,864,009	1,864,009	1,864,009	1,864,009	1,864,009	1,864,009	1,864,009	1,864,009	1,864,009	1412266	7061330

विषय सूची

क्रमांक		पृष्ठ संख्या
1.	प्रबंधन/बैंकर्स/लेखा परीक्षक	01
2.	सूचना	04
3.	अध्यक्ष का वक्तव्य	05
4.	निदेशको की रिपोर्ट	13
5.	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की रिपोर्ट	91
6.	सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	97
7.	निदेशको की रिपोर्ट का अनुलग्नक	104
8.	सीजी के परिस्थितियों के साथ अनुपालन का प्रमाण पत्र	110
9.	प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	119
10.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	123
11.	स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	125
12.	वार्षिक रिटर्न का सारांश	149
13.	31 मार्च, 2016 के अनुसार तुलनपत्र	155
14.	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण	157
15.	तुलनपत्र एवं लाभ- हानि लेखा के अंश स्वरूप टिप्पणियां	159
16.	नकद प्रवाह विवरण	250
17.	एमसीएल और उसके सहायक कंपनियों का समेकित लेखा	251

वर्तमान प्रबंधन

(27.07.2018 के अनुसार)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	:	श्री ए. के . झा
कार्यकारी निदेशक	:	श्री जे. पी. सिंह निदेशक (तकनीकी/संचालन)
		श्री एल. एन. मिश्रा निदेशक (कार्मिक)
		श्री ओ. पी. सिंह निदेशक (तक./यो.एवं परियो.)
		श्री के. आर. वासुदेवन निदेशक (वित्त)
अंशकालीन सरकारी निदेशक	:	श्री आर. के. सिन्हा संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली
		श्री एस. एन. प्रसाद, निदेशक (विपणन), सी.आई.एल., कोलकाता
गैर-सरकारी अंशकालीन निदेशक	:	श्री एच. एस. पति
		डॉ राजीव मल्ल
		सुश्री सीमा शर्मा
स्थायी आमंत्रित	:	श्री डी. पंडा प्रधान मुख्य प्रचालन प्रबंधक, पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर
कंपनी सचिव	:	श्री ए. के. सिंह

2017-18 के दौरान प्रबंधन

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	:	श्री ए. के . झा
कार्यकारी निदेशक	:	श्री जे. पी. सिंह निदेशक (तकनीकी/संचालन)
		श्री के.के. परिडा निदेशक (वित्त) (30.06.2017 तक)
		श्री एल. एन. मिश्रा निदेशक (कार्मिक)
		श्री ओ.पी. सिंह निदेशक (तक./यो.एवं परियो.)
		के. आर. वासुदेवन निदेशक (वित्त) (04.02.2018 से प्रभावी)
अंशकालीन सरकारी निदेशक	:	श्री आर. के. सिन्हा संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली (12.06.2017 से प्रभावी)
		श्री मुकेश चौधरी निदेशक, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली (12.06.2017 तक)
		श्री एस. एन. प्रसाद, निदेशक (विपणन) सीआईएल, कोलकाता
गैर-सरकारी अंशकालीन निदेशक	:	श्री एच.एस.पति
		डॉ. राजीव मल्ल
		सुश्री सीमा शर्मा (06.09.2017 से प्रभावी)
स्थायी आमंत्रित	:	श्री डी. पंडा प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक, पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर (10.01.2018 से प्रभावी)
कंपनी सचिव	:	श्री ए. के. सिंह

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक,

यूको बैंक,

केनरा बैंक,

पंजाब नेशनल बैंक,

यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया,

इंडियन ओवरसीज बैंक,

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,

बैंक ऑफ इंडिया,

आईसीआईसीआई बैंक,

आंध्रा बैंक,

बैंक ऑफ बड़ौदा,

ऐक्सिस बैंक,

आईडीबीआई बैंक,

एचडीएफसी बैंक,

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया,

ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स,

इलाहाबाद बैंक,

सिंडिकेट बैंक,

कॉर्पोरेशन बैंक

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

वैधानिक लेखा परीक्षक

मैसर्स सिंह रे मिश्रा एंड कं,

चार्टर्ड अकाउंटेंट, भुवनेश्वर

शाखा लेखा परीक्षक

मैसर्स एसआरबी एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउंटेंट, भुवनेश्वर

लागत लेखा परीक्षक

मैसर्स चंद्र वाधवा एंड कंपनी

लागत लेखाकार, नई दिल्ली

शाखा लागत लेखा परीक्षक

मैसर्स एस. धल एंड कं

लागत लेखाकार, भुवनेश्वर

सचिवीय लेखा परीक्षक

मैसर्स देव महापात्र एंड कं

कंपनी सचिव, भुवनेश्वर, ओडिशा

पंजीकृत कार्यालय

पो: जागृति विहार, बुर्ला,

26 वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना

एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की 26 वीं वार्षिक सामान्य बैठक शुक्रवार 27 जुलाई, 2018 को सुबह 10.00 बजे कोयला भवन, प्रीमाइज़ नं.-04 एम.ए.आर, प्लॉट नं.-ए.एफ-III, एक्शन एरिया -1 न्यूटाउन, राजारहाट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल -700156 में निम्नलिखित कार्यों के प्रबंधन के लिए आयोजित की जाएगी।

सामान्य कार्य :

1. विचार करने और अपनाने के लिए::

क) 31 मार्च, 2018 को लेखापरीक्षित तुलन पत्र समेत 31 मार्च, 2018 के समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उस पर लाभ और हानि का विवरण और निदेशक मंडल तथा सांविधिक लेखा परीक्षक और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट।

ख) 31 मार्च, 2018 को समेकित लेखापरीक्षित तुलन पत्र समेत 31 मार्च, 2018 के अनुसार वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण और निदेशक मंडल तथा उस पर सांविधिक लेखा परीक्षक और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट।

2. वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित अंतरिम लाभांश भुगतान और अंतिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि करने के लिए।

3. श्री जे. पी. सिंह, निदेशक (डीआईएन: 06620453) के स्थान पर निदेशकों की नियुक्ति के लिए जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152 (6) के संदर्भ में रोटेशन से सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के कारण खुद को पुनर्नियुक्ति लिए पेश करेंगे।

4. श्री ओ. पी. सिंह, निदेशक (डीआईएन: 07627471) के स्थान पर निदेशकों की नियुक्ति करने के लिए जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152 (6) के संदर्भ में रोटेशन से सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के कारण खुद को पुनर्नियुक्ति लिए पेश करेंगे।

5. वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा संशोधन अथवा बगैर संशोधन के निम्नलिखित संकल्प को पारित कर नियुक्त किए गए प्रधान लेखा परीक्षक मैसर्स सिंह रे मिश्रा एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, भुवनेश्वर तथा शाखा लेखा परीक्षक मैसर्स एसआरबी एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, भुवनेश्वर, को मण्डल द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक को मंजूरी देने के लिए।

"कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 (1) और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई है, के संकल्प के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी के लेखों की लेखा परीक्षा के साथ प्रधान लेखा परीक्षक मैसर्स सिंह रे मिश्रा एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, भुवनेश्वर तथा शाखा लेखा परीक्षक मैसर्स एसआरबी एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, भुवनेश्वर, को मंडल द्वारा निर्धारित टी.ए. एवं अन्य खर्च का पारिश्रमिक और प्रतिपूर्ति के भुगतान के लिए स्वीकृति दी जाती है।"

महानदी कोलफील्ड्स के लिए
निदेशक मंडल के आदेशानुसार
ह/-
(ए. के. सिंह)
कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय:

जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर, ओड़ीशा,-768020

टिप्पणी:

1. बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य अपने स्थान पर प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और ऐसा प्रॉक्सी कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। विधिवत भरे प्रॉक्सी फॉर्म को बैठक से 48 घंटे पहले पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।
2. सदस्यों की ओर से मतदान का अधिकार रखने वाला प्रॉक्सी व्यक्ति कुल शेयर पूंजी के दस प्रतिशत से ज्यादा तथा पचास से अधिक नहीं होना चाहिए। कंपनी की कुल शेयर पूंजी का दस प्रतिशत से अधिक वाला सदस्य एक व्यक्ति को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त कर सकता है और ऐसा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या सदस्य के लिए प्रॉक्सी के रूप में कार्य नहीं करेगा।
3. सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101 (2) के तहत लघु सूचना पर बैठक बुलाने की अपनी सहमति दें।

अध्यक्ष महोदय का वक्तव्य

मित्रों,

मुझे महानदी कोलफील्ड्स की 26 वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में आपका स्वागत करते हुए अपार हर्ष की अनुभति हो रही है। वर्ष 2017-2018 के लेखा परीक्षित रिपोर्ट, निदेशकों के रिपोर्ट के साथ ही साथ वैधानिक लेखा परीक्षक तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट एवं समीक्षा जिसको पहले ही आपको परिचालित की गई है। आपकी अनुमति से, मैं यह मान लेना चाहता हूँ कि आपने उन्हें पढ़ लिया है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 एमसीएल के लिए एक और चुनौतीपूर्ण वर्ष रहा है। विषमताओं के बावजूद अपने सर्वोत्तम अभ्यासों और परिचालन उत्कृष्टता के कारण एमसीएल सीआईएल के सर्वश्रेष्ठ सहायक कंपनियों में से एक के रूप में उभरा है। यह मेरे लिए सौभाग्य और गर्व की बात है कि आपकी कंपनी ने एमसीएल के इतिहास में 143.058 मिलियन टन कोयला उत्पादन का सर्वोत्तम लक्ष्य हासिल किया है। वर्ष के दौरान ओबी(OB) हटाना 138.18 मिलियन क्यूब मीटर था, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 12.03% सर्वकालीन अधिकता था। आपकी कंपनी ने 138.27 मिलियन टन कोयले का प्रेषण किया है जिसमें से 112 मिलियन टन कोयले का प्रेषण रेल, एमजीआर + बेल्ट के पर्यावरण हितैषी माध्यम से किया गया है, जो सीआईएल के सभी सहायक कंपनियों में से सबसे अधिक है। एमसीएल में पर्यावरण हितैषी सरफेस माइनर द्वारा कोयले का उत्पादन भी सबसे ज्यादा हुआ है और हमने इस तकनीक के माध्यम से लगभग 92.17% कोयले का उत्पादन किया है। 7.08% की वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करके कोल इंडिया लिमिटेड की सभी अनुषंगियों में एमसीएल ने सबसे अधिक लाभ अर्थात (रु. 7340 करोड़ पीबीटी) का लाभ अर्जित किया है। यह आपके सतत समर्थन तथा बहुमूल्य योगदान के कारण संभव हो पाया है। अपने कार्यों में हमें प्रेरित करने के लिए हितधारकों और राष्ट्र के लिए मूल्यों को बनाने में आपका निरंतर विश्वास, सहयोग और सद्भावना हमेशा से हमारे लिए मार्गदर्शक रहा है।

1. कोयला - ऊर्जा के प्राथमिक स्त्रोत के रूप में :

भारत में कोयले की बहुतायतता, उपलब्धता और सामर्थ्य ही इसे एक मुख्य ऊर्जा ईंधन बनाता है। हमारे देश में जीवाश्म संसाधनों के 97% कोयले से प्राप्त होता है। राष्ट्रीय कोयला सूची के दिनांक 01.04.2016 के अनुसार 69 कोयला अंचलों में 1200 मीटर की गहराई तक 315.149 बिलियन टन(बीटी) है। देश में उत्पन्न कुल बिजली का लगभग 73% कोयले पर आधारित है। विश्वसनीय ऊर्जा आर्थिक विकास और मानव विकास का सहसंबंध है। कोयला विश्वसनीय प्राथमिक वाणिज्यिक ऊर्जा प्रदाता के रूप में कार्य करता रहता है और आने वाले दशकों तक भारतीय बिजली उत्पादन में प्रमुख बना रहेगा दरअसल कोयले पर निर्भरता भविष्य में बढ़ सकती है।

ओड़िशा के तालचेर और ईब-वैली कोलफील्ड्स विशाल तापीय श्रेणी के नॉन - कोकिंग कोयले का भंडार गृह है। ओड़िशा का भारत में कोयला भंडार में झारखंड के बाद दूसरा स्थान है। दिनांक 01.04.2017 के अनुसार ओड़िशा में कुल कोयले भंडार का 77.28 बिलियन टन अनुमानित किया गया है जो कि कुल राष्ट्रीय कोयला भंडार का करीब 24.52% है। ओड़िशा के दो कोयला अंचल तालचेर और ईब-वैली कोलफील्ड्स एमसीएल के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तालचेर भारत का सबसे बड़ा कोलफील्ड्स (51.065 बिलियन टन) तथा ईब-वैली भारत का तीसरा सबसे बड़ा (24.831 बिलियन टन) कोलफील्ड्स है ।

2. 2017-18 की उपलब्धियां -

आपकी कंपनी का वित्तीय परिणाम प्रभावशाली रहना जारी है। वर्ष 2017-18 के दौरान एमसीएल अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन बनाए रखने में सक्षम रहा है। पर्यावरण हितैषी तकनीक (सरफेस माइनर)/ पर्यावरण हितैषी माध्यम जैसे - रेल, एमजीआर + बेल्ट 81.10 मिलियन टन के माध्यम से अधिक प्रेषण कोयले के उत्पादन में आपकी कंपनी वर्ष 2017-18 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड की प्रमुख कंपनी के रूप में उभरी है। आपकी कंपनी ने 143.058 मिलियन टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है और पिछले वर्ष की तुलना में 2.76% की वृद्धि दर्ज की है। यहाँ ओबी (OB) हटाने में 123.34 क्यूबिक मीटर से 138.18 मिलियन घनमीटर मात्रा की वृद्धि हुई है, जो 12.03.3% की वृद्धि को दर्ज करती है।एक दिन में 7.84 लाख टन कोयले का उत्पादन तथा एक दिन में सबसे अधिक कोयले का प्रेषण कर आपकी कंपनी ने इतिहास रचा है। आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान 23,450 करोड़ रु. का सकल विक्रय दर्ज किया है।

वित्तीय कार्य निष्पादन - एमसीएल ओडिशा राज्य में केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों का सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। एमसीएल ने रॉयल्टी, सेस, वैट, डी.एम.एफ. तथा एन.एम.ई.टी. और अन्य लेवी के लिए रु. 8926.25 का भुगतान किया है।

समीक्षा के अंतर्गत चालू वर्ष के लिए कर पश्चात लाभ रु. 4661.29 करोड़ है। आपकी कंपनी ने पिछले साल रु. 21,115 /- प्रति इक्विटी शेयर की तुलना में प्रति वर्ष 1,000/- रुपये पर रु.30,801.56 प्रति इक्विटी शेयर (बोनस जारी करने से पहले) के लाभांश की सिफारिश की है। लाभांश के कारण कुल आउटफ्लो रु.5235.56 करोड़ था जिसमें सीआईएल को दिए गए लाभांश के रूप में रु. 4,350 करोड़ और लाभांश पर कर के रूप में रु. 885.56 करोड़ शामिल थे। डीआईपीएएम दिशानिर्देशों के अनुसार, एमसीएल प्रबंधन ने वर्ष 2017-18 के दौरान सीआईएल द्वारा आयोजित प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए 4:1 बोनस शेयर जैसे 4 शेयर जारी किए हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और इसके बाद के संशोधन के संदर्भ में लेखापरीक्षा के बाद वित्तीय वर्ष 2017-18 के लाभ से प्रत्येक 1,000/-के बढ़ी हुई इक्विटी पूंजी के आधार पर (बोनस मुद्दे अर्थात 7061330 शेयर पूंजी पर विचार करते हुए) आपकी कंपनी ने रु.125 करोड़ (प्रत्येक शेयर रु. 177.02) के अंतिम लाभांश का भुगतान (तृतीय अन्तरिम) किया है।

3. विकास के लिए रणनीतियां -

एमसीएल आने वाले वर्ष में चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों का सामना कर रहा है। हम एमसीएल में भारत की ऊर्जा सुरक्षा के प्रति देश की अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भविष्य में अपने ऑफटेक और उत्पादन में वृद्धि की गति को बनाए रखने के लिए, एमसीएल ने निम्नलिखित बहुमुखी रणनीतियों को प्रतिपादित किया है -

क) क्रिटिकल रेलवे लिंक - देश की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने हेतु रेल द्वारा कोयले की अनियंत्रित आपूर्ति के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान देने के साथ आपकी कंपनी ने भारतीय रेलवे और ओड़िशा सरकार के साथ साझेदारी कर जे.वी. / एस.पी.वी. यानि एम.सी.आर.एल. का गठन किया है। एम.सी.आर.एल. द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं में बलराम-अंगुल रेल लिंक, आंतरिक

बाहरी रेल गलियारा आदि शामिल है। एमसीएल से 70 एमटीवाई कोयले की अनुमानित क्षमता निकासी के साथ झारसुगुडा-बरपाली-सरडेगा रेल लिंक की परिकल्पना की गई है।

ख) भूमि अधिग्रहण और उसका कब्जा - 2017-18 के दौरान, एमसीएल द्वारा कुल 460.987 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई है।

ग) वाशरी की स्थापना - पहले चरण में, उच्च राख युक्त कोयले की किफ़ायती धुलाई हेतु कोयले वॉशरी की स्थापना के लिए सीआईएल के फैसले के मुताबिक, एमसीएल के लखनपुर और जगन्नाथ वाशरी में प्रत्येक 10 एमटीवाई क्षमता के चार कोयला वॉशरी जैसे हिंगुला वाशरी, बसुंधरा वाशरी, ईब-वैली वॉशरी स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया। 26 मार्च, 2018 को बीओएम अवधारणा पर हिंगुला वाशरी (10 एमटीई) के लिए निविदा जारी की गई है। चरण-1 से परे, एमसीएल 03 और वॉशरी जैसे लखनपुर वॉशरी (20 एमटीवाई), गर्जनबहाल वॉशरी (10 एमटीवाई) और सियारमल वाशरी (40 एमटीवाई) स्थापित करने की योजना बना रहा है।

घ) **वेब आधारित ऑनलाइन निगरानी प्रणाली** -

(i) उत्पादन / कोयले के आंतरिक परिवहन से संबंधित इन-मोशन वेबब्रिज और अचल वजन के विवरण पर विचार करने (ii) मोबाइल के माध्यम से रेलवे सिडिंग में स्थापित सीसीटीवी कैमरों की वीडियो स्ट्रीमिंग देखने (iii) ठेकेदारों / आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत बिलों की ट्रैकिंग स्थिति (iv) सीएसआर नीति के तहत सीएसआर नीति, वार्षिक रिपोर्ट, बजट और व्यय के बारे में जानकारी के अलावा, ओडिशा के कई जिलों में पूर्ण किए / संचालित गतिविधियों जैसे एमसीएल के सीएसआर से संबंधित प्रमुख सीएसआर गतिविधियों उपयोगी जानकारी प्रदान करने हेतु मोबाइल ऐप्स विकसित किए गए हैं। आरडीओ विवरण, लोडिंग अनुसूची, दैनिक प्रेषण सारांश और किसी भी आरडीओ के लिए डिस्पैच विवरण देखने के लिए एमसीएल द्वारा एक अलग मोबाइल ऐप विकसित किया गया है, जिसे सीआईएल के मोबाइल ऐप "ग्राहक सड़क कोयला वितरण" के साथ एकीकृत किया गया है।

ङ) तकनीकी विकास -

i) संस्था निर्माण में एमसीएल अग्रणी है तथा सरफेस माइनर की खरीद या अन्य अनुबंधों के लिए निविदा के ई-मोड के परिनियोजन में एमसीएल सीआईएल के अन्य सहायक कंपनियों में विशेष स्थान रखती है। विस्फोट मुक्त प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सर्फेस माइनर के माध्यम से लगभग 92% कोयले का उत्पादन किया जा रहा है। एमसीएल असफल बोलीदाताओं के लिए ईएमडी के ऑटो रिफंड की शुरूआत करने वाली भारत की पहली कंपनी है।

ii) **जीपीएस/जीपीआरएस आधारित वाहन ट्रैकिंग प्रणाली** -कोयले के आंतरिक परिवहन तथा उत्पादन में नियोजित 1800 निजी ट्रक/ट्रिपर के लिए जीपीएस आधारित वीटीएस (वाहन ट्रैकिंग प्रणाली) यूनिट स्थापित किए गए हैं। जिओं-फेंस, ट्रिप, लंबी ठहराव, यात्रा की दूरी आदि के उल्लंघन से संबंधित विभिन्न रिपोर्टों को देखने के साथ इन वाहनों की लाइव ट्रैकिंग वेब लिंक http://.mclvts.in पर उपलब्ध है। यह लिंक हमारी वेबसाइट www.mahanadicoal.in पर भी उपलब्ध है। परियोजनाओं और क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित उपयोगकर्ताओं को ऑटो जेनरेट किए गए एसएमएस अलर्ट भेजने के लिए प्रणाली में प्रावधान भी है। यदि वे जियो-फेंस की सीमा को पार करते हैं तो वाहनों को ट्रैक करने के लिए खान सीमा के साथ रूट में जियो-फेंस लगाया गया है। एमसीएल-मुख्यालय और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं।

iii) संविदा प्रबंधन निगरानी प्रणाली - संविदा से संबंधित सूचनाएँ जैसे संविदा विवरण, कार्यारंभ, मुख्यालय / क्षेत्र / परियोजना स्तर पर दैनिक कार्य निष्पादन को देखने (कैप्चर) हेतु कोलनेट में मॉड्यूल विकसित किया गया है। इस मॉड्यूल के माध्यम से विभिन्न एमआईएस रिपोर्ट तैयार की जा रही हैं। इससे सभी संविदाओं की प्रभावी निगरानी में मदद मिलती है।

iv) **एमसीएल में ईआरपी का कार्यान्वयन** - ईआरपी के कार्यान्वयन के लिए सीआईएल द्वारा पहले चरण में एमसीएल का चयन किया गया है, जिसके लिए सीआईएल द्वारा निविदा जारी की गई है। ईआरपी केंद्र के बुनियादी ढांचे की तैयारी के लिए कार्रवाई शुरू की गई है।

v) **ग्राहकों संतुष्टि** - एमसीएल ने ग्राहकों की संतुष्टि को पूरा करने के लिए साथ ही साथ विभिन्न पावर हाउसों में उचित गुणवत्ता और आकारयुक्त कोयले की आपूर्ति के लिए कई उपाय किए हैं। उचित गुणवत्ता और आकारयुक्त कोयले के प्रेषण को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष के दौरान विभिन्न उपाय किए गए है। उदाहरणस्वरूप ग्राहकों संतुष्टि में सुधार हेतु विभिन्न ग्राहकों के साथ लगातार बातचीत की गई है। बेहतर पारदर्शिता और ग्राहक संतुष्टि के लिए सीआईएमएफआर को एमओसी / सीआईएल के निर्देशों के आधार पर एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष नमूनाकरण एजेंसी के रूप में तैनात किया गया है ताकि आईपीपी और पावर यूटिलिटी ग्राहकों को कोयले की आपूर्ति और विश्लेषण के गतिविधियों को पूरा किया जा सके। गैर- विनियमित क्षेत्र जैसे सीपीपी, स्पंज और सीमेंट क्षेत्र इत्यादि, लिंकेज नीलामी, अन्य ई-नीलामी योजनाएं गैर-बिजली के लिए ग्राहकों को भारतीय गुणवत्ता परिषद / आईआईटी-आईएसएम द्वारा तीसरे पक्ष के नमूने के लिए शामिल किया जा रहा है।

एमसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में कुल दस (10) कोयला विश्लेषण प्रयोगशालाएं हैं। अब तक 05 कोयला विश्लेषण प्रयोगशालाओं को एनएबीएल से मान्यता प्राप्त हैं। शेष क्षेत्रों की विश्लेषण प्रयोगशाला के लिए चरणबद्ध तरीके से एनएबीएल प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। रेल, बेल्ट और एमजीआर मोड द्वारा प्रेषण को बढ़ाकर ग्राहकों को -100 मिमी आकार के कोयले की आपूर्ति के लिए उचित व्यवस्था की गई है। सख्त नमूना प्रक्रिया और सीसीओ, कोलकाता द्वारा स्वतंत्र एजेंसी की नियोजन के माध्यम से, सीम, स्टॉक, साइडिंग और टिपर नमूनों में कोयले की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया गया और 2017-18 की अवधि के लिए उचित ग्रेड के रूप में उन्हें घोषित किया गया। इसने ग्राहकों में विश्वास पैदा किया है।

4. **पर्यावरण पहल** - आपकी कंपनी ने पूरे सीआईएल में 42% की औसत उपलब्धि की तुलना में 92% के बराबर पर्यावरण हितैषी द्वारा उच्चतम मात्रा में कोयले का उत्पादन किया है। परिवहन में भी आपकी कंपनी ने परिस्थितिकी के अनुकूल रेल, वाहन, वाशरी मोड के माध्यम से 81% कोयले का और शेष 21% सड़क के माध्यम से कोयले का प्रेषण किया है। आवासीय क्षेत्रों में धूल, प्रदूषण को कम करने के लिए तालचेर कोलफील्ड्स में घनी आबादी वाले क्षेत्रों को छोड़कर अलग अलग कोयला गलियारे के निर्माण हेतु आपकी कंपनी कदम ने उठाएँ हैं । नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए आपकी कंपनी ने आनंद विहार, बुर्ला, संबलपुर में 02 मेगावाट फोटोवोल्टिक सौर ऊर्जा संयंत्र सफलतापूर्वक स्थापित किया है और यह 25 से 30 लाख इकाई/वर्ष की बिजली का उत्पादन कर रहा है।

एमसीएल के 12 विभिन्न स्थानों में सेवा भवन के छत पर सोलर रुफ टॉप पावर प्लांट बनाने की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सीएमपीडीआई को सौपी गई है। रुफ से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा चुकी है तथा यह इस वित्तीय वर्ष अर्थात 2018-19 के भीतर पूर्ण हो जाएगा। 7,044 की संख्या में उच्च वाट वाले स्ट्रीट लाइट के स्थान पर कम वाट वाले एलईडी लाइट की प्रतिस्थापन योजना खरीद कार्रवाई के अंतर्गत है। वर्ष 2018-19 के दौरान लाइट का प्रतिस्थापन अपेक्षित है।

पर्यावरण के लिए कंपनी की चिंता को ध्यान में रखते हुये एमसीएल ने (पर्याप्त भौतिक सुधार के बाद) मिश्रित स्वदेशी प्रजाति के पौधों को बाहरी डंप तथा बैकफिल क्षेत्रों में साथ ही साथ खदान में अन्य भूमि और रास्ते के खाली भाग में लगाया हैं। आरंभ से अब तक बृक्षारोपण (1992-93 से 2017-18 तक) 54.903 लाख है (तालचेर कोलफील्ड्स - 22.024 लाख, ईब वैली कोलफील्ड्स -30.345 लाख, मुख्यालय तथा सरकारी भूमि में - 2.534 लाख)

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, नमूने पौधे की कुल संख्या 2.707 लाख (सरकारी भूमि पर वृक्षारोपण सहित) है। राज्य वन विभाग द्वारा एमसीएल के सीएसआर निधि के तहत सरकारी भूमि पर वृक्षारोपण 1.70 लाख किया जा चुका है। वर्ष 2017-18 के दौरान 36,000 से अधिक पौधे वितरित किए गए। विशेष रूप से फलदार, फूल और औषधीय पौधे और पेड़ों को आवासीय टाउनशिप और कार्यालय परिसर में लगाया जाता है।

परियोजना ग्रीनरी (हरियाली) :

- इस परियोजना के अंतर्गत एमडीओ एवं एमसीएल और मेसर्स भुवनेश्वरी कोल माइनिंग लिमिटेड ने राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक से परामर्श के पश्चात भुवनेश्वरी खुली खदान परियोजना के 8 एकड़ जमीन पर कोयला खाली किए गए भूमि पर पुनः दावा कर धान (सीआर धान 206-गोपीनाथ) उगाया गया है।
- पहली बार तालचेर कोल्फील्ड्स खदानों में ऐसे भूमि सुधार का कार्य आरंभ किया गया। इस ने खनन क्षेत्र में पुनर्वास एवं आजीविका का एक उल्लेखनीय उदाहरण स्थापित किया है।
- धान के साथ - साथ केले, एवं पपीते के भी पौधे लगाए गए हैं। और
- धान के खेतों के मेढ़ों पर अरहर दाल के पौधों का रोपण किया गया है।

5. **सुरक्षा** (सेफ़्टी) -

खदानों और इनमें कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा को एमसीएल में शीर्ष प्राथमिकता दी जाती है। उत्पादन के उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सुरक्षा के मामलों में कोई समझौता नहीं किया जाता है। आपकी कंपनी की मुख्य क्षमताओं में से एक है **'**सुरक्षित खनन**'**, जिसे सुरक्षित तरीके और तकनीक के निरंतर प्रयोग के माध्यम से प्राप्त किया गया है। **'**शून्य दुर्घटना**'** लक्ष्य के साथ, आपकी कंपनी नियमित रूप से तैयार होती है योजना बनाती है तथा स्वयं को सुसज्जित करती है ताकि “शून्य दुर्घटना” को प्राप्त किया जा सके तथा कर्मचारी को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरणा दी जा सके। इस दिशा में हमारे प्रयासों में अन्य बातों के साथ उचित सुरक्षा उपकरण प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं विकास उपलब्ध कराना और सुरक्षा से संबंधित अनुपालन की सख्त निगरानी शामिल है। आपकी कंपनी अपने सभी कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए प्रयासरत है और किसी भी खनन कार्य में सुरक्षा मानकों के साथ वह कभी समझौता नहीं करती । इसके अलावा, खनन कार्य के दौरान किसी भी अप्रत्याशित घटना पर काबू पाने के लिए, आपकी कंपनी ने अपने सभी बचाव स्टेशनों को पूरी तरह से सुसज्जित किया है और पर्याप्त प्रशिक्षित बचाव कर्मी तैनात किए हैं। आपकी कंपनी का दृढ़ विश्वास है कि सुरक्षा और उत्पादकता को अलग नहीं किया जा सकता और वह कार्य स्थल पर उत्पादन और सुरक्षा के बीच एक अच्छा संतुलन कायम करने की कोशिश करती है। कंपनी के शून्य क्षति के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपकी कंपनी ने सभी कर्मचारियों को सुरक्षित वातावतरण प्रदान करने हेतु अनेक उपाय किए हैं ।

6. निगमित प्रशासन (गवर्नेंस) -

एमसीएल भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग (सी.पी.एस.ई.) द्वारा समय समय पर जारी सार्वजनिक उपक्रमों के लिए निगमित प्रशासन के दिशानिर्देशों मे अनुबंधित शर्तो को पूरा करता है। कथित दिशानिर्देशों और प्रावधानों के तहत, निदेशकों की रिपोर्ट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर एक अलग खंड जोड़ा गया है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन का प्रमाण पत्र कार्यरत कंपनी सचिव से प्राप्त किया गया है इस विश्वास के साथ कि 'सुशासन' सफल कंपनियों की पहचान हो। बोर्ड के कामकाज में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकता के अनुसार सचिवीय लेखा परीक्षा आरंभ की गई है। सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट के हिस्से के रूप में संलग्न है।

7. सीएसआर -

निगमित में कोयला उत्पादन के वृद्धि के साथ- साथ सीएसआर गाँवों तथा प्रभावित समुदाय के समावेशी विकास को सुनिश्चित करने हेतु किया जाता है। समाज के सतत विकास के लिए एमसीएल ने सीएसआर को व्यापार प्रक्रिया की एक कुंजी माना है।

एमसीएल ने सीआईएल और एमसीएल की सीएसआर नीति के अनुसार वर्ष 2016-17 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर पिछले तीन साल के कुल लाभ के 2% की औसत दर रु. 122.85 करोड़ रुपये खर्च किया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान सीएसआर के तहत रु. 267.52 करोड़ खर्च की गई।

एमसीएल ने महानदी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्स एंड रिसर्च (एम.आई.एम.एस.आर.), तालचेर का निर्माण शुरू किया है, जिसमें एम.आई.एम.एस.आर. 500 बिस्तरों वाले मल्टी स्पेशियलिस्ट अस्पताल के साथ ही 100 सीट वाला मेडिकल कॉलेज होगा, परियोजना में 300 लड़कों के लिए एक छात्रावास, 200 छात्राओं के लिए अलग से छात्रावास और 100 प्रशिक्षुओं के लिए छात्रावास के दो ब्लॉक, एक 50-बिस्तरों वाला छात्रावास, 57 जूनियर रेसिडेंट डॉक्टरों के लिए 1 छात्रावास तथा नर्सों के लिए 50 बिस्तरों वाले 1 हॉस्टेल निर्माण पर विचार किया जा रहा है। एमआईएमएसआर के लिए रु. 492.62 करोड़ की राशि आवंटित की गयी है, जिनमें से एमसीएल ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में 209.56 करोड़ रुपये खर्च किए।

स्कूलों में शौचालय बनाने के लिए कुल 21.70 करोड़ रु. का खर्च किया गया है।

वित्तीय वर्ष के दौरान प्रमुख गतिविधियाँ निम्नानुसार हैं :-

क्र	सीएसआर परियोजना और गतिविधि	परियोजना स्थल	बजेट राशि (रु.लाख में)	व्ययित राशि (रुलाख में.)
1	एमसीएल के सीएसआर के तहत तालचेर में महानदी इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंस एंड रिसर्च (एमआईएमआर)	अंगुल	49262.00	20956.74
2	एमसीएल के एसवीए के तहत ओड़िशा के जिलों में विभिन्न सरकारी स्कूल 14 में10546 टयलेट ब्लॉक का निर्माण	अंगुल, बोलांगीर, खोरदा, ढेंकानल, गंजाम, सोनपुर, नयागढ़, गजपति, जाजपुर, झारसुगुड़ा, कलाहांडी, कंधमाल, रायगढ़ा, संबलपुर	24000.00	2472.05
3	एमसीएल के जगन्नाथ क्षेत्र के सीएसआर कार्यक्रम के तहत तालचेर कोलफील्ड्स में हाड़ीधुआ चौक से नालको चौक तक एनटीपीसी कनवेयर से पहले घांटपाड़ा ग्राम के समीप लेवल क्रासिंग पर रोड ब्रीज का निर्माण।	अंगुल	3721.55	342.74
4	एमसीएल के परिधीय गांवों में पानी की आपूर्ति की व्यवस्था करना।	सुंदरगढ़, अंगुल, झारसुगुड़ा	1627.58	870.12
5	झारसुगुड़ा में जिला स्टेडियम का निर्माण	झारसुगुड़ा	1300.00	414.17
6	ओड़िशा के झारसुगुड़ा जिला के चार ब्लॉक लाइकेरा (कोलाबीरा, किरमिरा एवं एवं झारसुगुड़ा में) चल रहे विविध विकास कार्यों का समापन	झारसुगुड़ा	672.00	126.86
7	संबलपुर विश्वविद्यालय के लिए 150 बिस्तरों वाले महिला छात्रावास का निर्माण ।	सम्बलपुर	547.27	89.73
8	लखनपुर ब्लॉक के झारसुगुड़ा में आरडीसी अनुमोदित कार्य	झारसुगुड़ा	179.69	179.46
9	भुवनेश्वरी खुली खदान परियोजना, जगन्नाथ क्षेत्र के सीएसआर योजना के तहत राधरमनपुर ग्राम से जिलिंदा चौक एवं अरखपाल से बिरारामचंद्रपुर तक रोड तक ब्लॉक टांपिंग।	अंगुल	210.13	117.26
10	टिकियापाड़ा में, आर & आर के सड़कों एवं नालों की मरम्मती एवं मजबूती।	सुंदरगढ़	112.43	5.02
11.	छात्रावास का निर्माण वर्तमान इमारत को तोड़ना एवं आशाकिरण के मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए लोहे का तख्त बनवाना।	झारसुगुड़ा	61.60	46.12
12.	रसोईघर, अतिरिक्त कक्षाओं, शौचालयों का निर्माण बढ़माल में डिफ एवं मानसिक रूप से विकलांगो के लिए स्कूल के प्रथम एवं निचले स्थल पर प्रगति कार्य।	झारसुगुड़ा	45.30	26.90
13.	वनीकरण गतिविधियों का कार्यन्वयन अर्थात वर्ष 2017-18 के दौरान डीएफ़ओ, चंदका वन्य जीवन प्रभाग भुवनेश्वर द्वारा शहरों में वृक्षारोपण को बढ़ावा।	खुरदा	207.74	53.15
14.	वनीकरण गतिविधियों का कार्यान्वयन अर्थात वर्ष 2017-18 में डीएफ़, झारसुगुड़ा द्वारा शहरों में वृक्षारोपण को बढ़ावा।	झारसुगुड़ा	399.20	85.17
15.	भुवनेश्वरी खुली खदान परियोजना, जगन्नाथ क्षेत्र के सीएसआर कार्यक्रम के तहत गुरुगंज में बांगरु नाला वाया बैद्यमुंडा के NH-23से पक्की सड़क का निर्माण।	अंगुल	79.39	6.50
16.	जगन्नाथ क्षेत्र के तहत हाड़ीधुआमुख्य सड़क से डेरा शिव मंदिर वाया रोधासार में बिटूमेन रोड का निर्माण	अंगुल	64.37	16.00
17.	भुवनेश्वरी खुली खदान के गुरुजंग में मनियक बंद के माध्यम से नुआ साही से नन्दा साही तक पक्की सड़क का निर्माण।	अंगुल	50.27	19.11

8. अपेक्षा

हमें उम्मीद है कि जिस प्रकार हम अपने संसाधनों और क्षमताओं का निर्माण कर रहे हैं उससे आने वाले वर्षों में निश्चित रूप से हमें और अधिक सफलता मिलेगी और लगातार ऐसा करने पर हम राष्ट्र की उम्मीद सहित अपने असंख्य हितधारकों की उम्मीदों को पूरा कर सकते हैं।

9. अभिस्वीकृति -

मैं कंपनी के सभी शेयर धारकों, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, कोल इंडिया लिमिटेड, विभिन्न केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों,राज्य सरकार के अधिकारियों, प्रतिनिधियों, स्थानीय निकायों, सभी कर्मचारियों तथा उनके संघों, हमारे मूल्यवान ग्राहकों, आपूर्तिकर्ता और मीडिया के प्रति उनके समर्थन और सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

हस्ता/-

(ए. के. झा)

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

(डिन: 06645361)

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में

शेयरधारकों,

महानदी कोलफील्डस लिमिटेड,

प्रिय शेयरधारकों,

मुझे निदेशक मंडल की ओर से आपकी कंपनी की 26 वीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ दिनांक 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित लेखों के साथ सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां प्रस्तुत करते हुए काफी हर्ष का अनुभव हो रहा है।

आपकी कंपनी ने सभी मोर्चों में उत्कृष्टता प्राप्त की है। उत्पादकता ,कोयला उत्पादन, ओबी और प्रेषण में यह वर्ष भी सफल रहा।

2. संगठन

क्षेत्रों, खदानों आदि का संगठन -

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड संगठन में दो कोयलांचल शामिल है जिसमें 4 प्रचालन भूमिगत खदानों एवं 15 खुले खदान को शामिल करते हुए 10 खनन क्षेत्र, दो केन्द्रीय कर्मशाला, दो केन्द्रीय चिकित्सालय तथा कोलकाता एवं भुवनेश्वर में विक्रय कार्यालय भी शामिल है ।

प्रचालन क्षेत्र निम्नानुसार है -

क) तालचेर कोयलांचल	
i)	जगन्नाथ क्षेत्र
ii)	भरतपुर क्षेत्र
iii)	हिंगुला क्षेत्र
iv)	लिंगराज क्षेत्र
v)	कनिहा क्षेत्र
vi)	तालचेर क्षेत्र (भूमिगत)
ख) **ईब वैली कोयलांचल**	
i)	लखनपुर क्षेत्र
ii)	ईब वैली क्षेत्र
iii)	बसुंधरा - गर्जनबहल क्षेत्र
iv)	ओरिएंट क्षेत्र (भूमिगत)

3. एमसीएल की अनुषंगी एवं सहयोगी कंपनियां :

3.1 एमजेएसजे कोल लिमिटेड

एमजेएसजे कोल लिमिटेड को एमसीएल की संयुक्त उद्यम कंपनी के रुप में दिनांक 13 अगस्त, 2008 को शामिल किया गया था। एमजेएसजे कोल लिमिटेड का गठन गोपालप्रसाद ओसीपी में किया गया जहां 60% शेयर एमसीएल के, 11% शेयर जेएसडबल्यू स्टील एवं जेएसडबल्यू एनर्जी लिमिटेड और

श्याम मेटलिक्स तथा एनर्जी लिमिटेड (जिसे श्याम डीआरआई पावर लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं) के तथा 9% शेयर जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के है। दिनांक 31.03.2018 तक एमजेएसजे कोल लिमिटेड की प्रदत्त शेयर पूंजी 95.10 करोड़ रु. थी। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 25.08.2014 के अपने निर्णय और दिनांक 24.09.2014 के आदेश में एमजेएसजे कोयला लिमिटेड को आवंटित उत्कल-ए कोयला ब्लॉक को अवैध बताकर उसका आवंटन रद्द कर दिया।

3.2 <u>एमएनएच शक्ति लिमिटेड:</u>

एमएनएच शक्ति लिमिटेड का गठन 16 जुलाई, 2008 को एमसीएल के संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में किया गया था। एमएनएच शक्ति का निर्माण तालाबिरा II तथा III ओसीपी के लिए किया गया है, जिसमें एमसीएल, नेवेल्ली लिग्नाईट कार्पोरेशन लिमिटेड तथा हिन्डालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर क्रमश:70%:15% तथा 15% है। भारत के उच्च न्यायालय के 25.08.2014 के निर्णय तथा 24.09.2015 के आदेश में एमएनएच शक्ति को आवंटित तलाबीरा-II और तालबीरा-III कोल ब्लॉक को अवैध घोषित किया गया तथा उसके आवंटन को रद्द कर दिया गया।

3.3 <u>महानदी बेसिन पावर लिमिटेड:</u>

महानदी बेसिन पावर लिमिटेड का गठन 02 दिसम्बर, 2011 को किया गया था एवं दिनांक 06.02.2012 को आरओसी द्वारा व्यवसाय प्रारम्भ करने के लिए इसे प्रमाणपत्र दिया गया था। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड और नामिनियों के 100% शेयर के साथ एमबीपीएल की स्थापना की गई है साथ ही बसुंधरा क्षेत्र में पिट हेड पावर संयंत्र के माध्यम से 2X800 मेगावाट क्षमता की बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं जी-3 गड़कना चन्द्रशेखरपुर-751017, भुवनेश्वर में स्थित है। 31.03.2018 को महानदी बेसिन पावर लिमिटेड की एमसीएल द्वारा अभिदत्त शेयर पूंजी पाँच लाख रुपये थी।

3.4 <u>नीलांचल पावर ट्रांसमिशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड:</u>

उपरोक्त के अलावा, अधिशेष निधि के बेहतर उपयोग के साथ ओड़िशा राज्य में विनिर्मान के विकास के लिए एमसीएल ने पावर ट्रांसमिशन व्यवस्था में प्रवेश करने का प्रयास किया। तदनुसार 8 जनवरी, 2013 को ओड़िशा में पावर ट्रांसमिशन के उद्देश्य से एमसीएल और ओपीटीसीएल के बीच संयुक्त उद्यम समझौता के तहत 50:50 की भागीदारी से नीलांचल पावर ट्रांसमिशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड नामक संयुक्त उद्यम का गठन किया गया।

3.5 <u>महानदी कोल रेलवे लिमिटेड:</u>

दिनांक 20 मई, 2015 को इड्को, एमसीएल और इरकॉन (IRCON) के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार 31 अगस्त, 2015 को महानदी कोल रेलवे लिमिटेड नामक संयुक्त उद्यम का गठन किया गया जिसमें एमसीएल, इरकॉन (IRCON) और इड्को की भागीदारी का क्रमश: 64:26:10 का अनुपात है जो ओड़िशा में कोल संबद्धता के लिए दोहरी, तिहरी लाइन, यातायात सुविधा प्रोजेक्ट सहित निर्माण, संरचना, संचालन और अभिरक्षण के लिए रेल कॉरीडोर प्रोजेक्ट के रूप में जानी जाती है जो खदान से कोयले के निकासी हेतु कठिन है। 31.03.2018 को महानदी कोल रेलवे का शेयर पूंजी पाँच लाख रुपये थी।

4. कार्य निष्पादन विशिष्टताएं:

- आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष कोयला उत्पादन 139.21 मिलियन टन की अपेक्षा इस वर्ष 2017-18 में 2.77% की वृद्धि दर्ज करते हुए अब तक का सबसे अधिक 143.06 मिलियन टन कोयला उत्पादन किया है।
- गतवर्ष 143.01 मिलियन टन कोयला निकासी की अपेक्षा वर्ष 2017-18 के दोरान 3.32**%** गिरावट के साथ 138.26 मि.टन कोयला की निकासी हुई।
- आपकी कंपनी ने गतवर्ष के सकल विक्रय मूल्य रु. 23443.22 करोड़ की अपेक्षा इस वर्ष 4.54**%** गिरावट के साथ रु. 22379.91 करोड़(एसटीसी सहित) के सकल विक्रय मूल्य प्राप्त किया है।
- गतवर्ष रु. 6875.68 करोड़ के पीबीटी (कर पूर्व लाभ) की अपेक्षा इस वर्ष का करपूर्व लाभ रु.7339.66 करोड़ रहा। गतवर्ष रु. 4512.97 करोड़ के कर पश्चात लाभ की अपेक्षा इस वर्ष समीक्षाधीन कर पश्चात लाभ रु. 4761.29 करोड़ रहा।
- कंपनी दस वर्षों से लगातार लाभांश का भुगतान करती आ रही है। गतवर्ष भुगतान किए गए रु.2982.00 करोड़ की अपेक्षा इस वर्ष इक्विटी शेयर पूँजी रु.4350.00 करोड़ का भुगतान किया गया।

5. उत्पादन कार्य निष्पादन:

(क) पिछले वर्ष के लक्ष्य और उपलब्धि की तुलना में वित्त वर्ष 2017-18 के लिए एमसीएल का उत्पादन कार्य निष्पादन नीचे दिया गया है: (आंकड़े मी. टन में)

उत्पादन	**2017-18**		**2016-17**		**उपलब्धि का%**	**% वृद्धि**
(i) कोयला (मी. टन)	**वार्षिक कार्य योजना लक्ष्य**	**वास्तविक**	**एएपी लक्ष्य**	**वास्तविक**	**लक्ष्य**	**गत वर्ष**
खुली खदान	148.95	142.02	166.00	138.19	95.3	2.77
भूमिगत	1..05	1.04	1.00	1.02	99.1	2.51
कुल कोयला (भूमिगत+खुली)	**150.00**	**143.058**	**167.00**	**139.21**	**95.4**	**2.76**
(ii) ओबीआर (मी. घन मीटर)	**160.00**	**138.18**	**150.00**	**123.34**	**86.4**	**12.03**

(ख) वर्ष 2017-18 सहित एमसीएल के पिछले पांच वर्षों का उत्पादन प्रदर्शन नीचे संलग्न है:

(i) एमसीएल का कुल कोयला उत्पादन (आंकड़ा मि.टन. में):

वित्त वर्ष	**लक्ष्य**	**प्राप्ति**	**पिछले वर्ष की वृद्धि**		**लक्ष्य की तुलना में % प्राप्ति**
			वास्तविक	**प्रतिशतता**	
2013-14	120.00	110.440	2.55	2.36	92.0
2014-15	127.00	121.380	10.94	9.90	95.6
2015-16	150.00	137.901	16.52	13.61	91.9
2016-17	**167.00**	**139.21**	**1.31**	**0.95**	**83.4**
2017-18	**150.00**	**143.06**	**3.85**	**2.76**	**95.4**

(ii) सरफेस माइनर द्वारा कोयला उत्पादन (आंकड़ा मि.टन. में):

वित्त वर्ष	उत्पादन	पिछले वर्ष की वृद्धि		कुल कोयला उत्पादन के सरफेस माइनर द्वारा कोयला उत्पादन का प्रतिशत हिस्सा
		पूर्ण	प्रतिशतता	
2013-14	86.46	12.63	17.1	78.3
2014-15	106.82	20.35	23.5	88.0
2015-16	125.68	18.87	17.7	91.1
2016-17	127.81	2.13	1.7	91.8
2017-18	130.89	3.08	2.4	91.5

(iii) एमसीएल की ओबी रिमोवल (आकंडे मि.मी. क्यूब में)

वित्तीय वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	पिछले वर्ष की वृद्धि		लक्ष्य की तुलना में % प्राप्ति
			पूर्ण	प्रतिशतता	
2013-14	109.75	96.03	5.61	6.20	87.5
2014-15	113.00	89.22	-6.81	-7.09	79.0
2015-16	115.00	98.41	9.19	10.30	85.6
2016-17	150.00	123.34	24.93	25.33	82.2
2017-18	160.00	138.18	14.84	12.03	86.4

कोयले का उत्पादन एएपी लक्ष्य का 95.4% है जिसमें पिछले वर्ष से (+) 2.76% की वृद्धि हुई है। ओबी की निकासी एएपी लक्ष्य का 86.4% है, जिसमें पिछले वर्ष से (+)12.03% की वृद्धि हुई है।

एएपी लक्ष्य में कमी आने के मुख्य कारण निम्न है -

खुली खदान : 1. जगन्नाथ ओसीपी :गाँव के (जनवरी, 2018) रोड के स्थानांतरण में देरी के कारण काम करने की जगह की कमी। **2.** भरतपुर ओसीपी: छोड़े गए पीएएफ / पूजा के स्थान / पदमबतीपुर गांव की सड़क के गैर -स्थानांतरण के कारण भूमि की बाधाएं। क्षतिपूर्ति को बढ़ाने के मामले पर केईपासी गांववालों के द्वारा हड़ताल(25/04/2017 से 08/05/2017)। स्थानीय लोगों द्वारा दिनांक 24/06/17 से 08/07/17 तक नई लोडिंग, कटाई और परिवहन अनुबंध की अनुमति नहीं है।. **3.** अनंत ओसीपी :240.7 हेक्टर, एफसी उपलब्ध न होने के कारण कार्य स्थान की कमी, सिर्फ चरण-1 के वित्तीय सहमति को प्राप्त किया गया। **4.** लिंगराज ओसीपी : कई गलती के कारण भू-खनन की प्रतिकूल स्थिति। **5.** कानिहा ओसीपी :पुनर्वास मुद्दे पर ज़रदा गांव के लंबे समय से लंबित गैर-स्थानांतरण के कारण भूमि की बाधा। **6.** हिंगुला ओसीपी :भालुगुड़िया, मलिबंध, कलमछुई और बनबासपुर के ग्रामीणों द्वारा खनन परिचालनों के द्वारा लगातार रुकावट और बंद। खदान की विस्फोटक बाधाएं भालुगाड़ियाँ गांव के निवास स्थान पर पहुंचीं **7.** बलराम ओसीपी : कई चरणों में सोलडा गांव की कृषि भूमि के सुपुर्दगी में देर होने से भूमि की बाधा। सोलडा और कलमछुई ग्रामीणों द्वारा ओएस पैच में कोयला और ओबी का लगातार रोकथाम। **8** :समलेश्वरी ओसीपी .चिंगड़िगुडा गांव की भूमि के स्थानांतरण के कारण कार्यस्थल की बाधा। **9.** बेलपहाड़ ओसीपी : 15.0 हेक्टर कृषि (दिसम्बर, 2017) की प्राप्ति में देरी।

सामान्य : (1) तालचेर कोलफील्ड्स : विभिन्न कारणों से दिनांक 21 अगस्त, 27 से 29 अगस्त, 18 सितम्बर,2017 (ओड़िशा बंद), 24 जनवरी, 18(ओड़िशा बंद) को बंद करना। वित्तीय वर्ष के विभिन्न दिनों पर पुनर्वास तथा पुन: स्थापना और अन्य मामलों पर नियम के खिलाफ विभिन्न मांग के तहत स्थानीय नेताओं/उनके समर्थकों/ स्थानीय गांव वालों द्वारा बंद करना।

तालचेर तथा ईब-कोलफील्ड्स दोनों में दिनांक 24.04.2017 से 05.06.2017 तक गर्मी के मौसम के कारण राज्य सरकार द्वारा कार्यदिवस घंटे (प्रात: 11.00 से 3.30 तक) सीमित करना।

सिस्टम क्षमता का उपयोग (%)

	सीएमपीडीआई द्वारा मूल्यांकित क्षमता	उत्पादन	सिस्टम क्षमता का उपयोग (%)
भूमिगत (मि.टन) कोयला	1.435	1.040	72.5
खुली खदान (मि. टन) कोयला	173.15	142.017	82.0
कुल कोयला (भूमिगत+खुली)(मि. टन)	174.585	143.058	81.9
खुली खदान) ओबी-मि(घन मीटर .	157.42	138.179	87.8
कुल खुली खदान मिश्रण	261.44	223.496	85.5
(कोयला+ खुली खदान)(मि.घन मीटर)	262.30	224.121	85.4

टिप्पणी : कोयले का स्वीकार्य औसत विशेष घनत्व : 1.665 टन/घनमीटर

6. उत्पादकता

6.1 प्रति मैनसिफ्ट (ओएमएस) आउटपुट के अनुसार आपकी कंपनी ने उत्पादकता हासिल की है, जो निम्नानुसार है

(टन/मैनशिफ्ट मे आंकड़े)

	2017-18		2016-17	लक्ष्य की तुलना में % प्राप्ति	पिछले वर्ष से % वृद्धि वार्षिक कार्य योजना लक्ष्य
	वार्षिक कार्य योजना लक्ष्य	वास्तविक	वास्तविक		
खुली खदान	31.87	31.52	25.72	98.90	22.55
भूमिगत	0.65	0.74	0.65	113.85	13.85
संपूर्ण	23.81	24.22	20.08	101.73	20.63

5.2 2017-18 के दौरान ओएमएस 24.22 टन/मैनशिफ्ट था।

ओएमएस की गणना का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.		2017-18	2016-17	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि
1	ओसी ओएमएस	31.52	25.72	22.55
2	भूमिगत ओएमएस	0.74	0.65	13.85
3	ओसी के समायोजित एम / एस (लाख)	45.05	53.731	-16.16
4	भूमिगत का मेनशिफ़्ट (लाख)	14.014	15.602	-10.18
क	समग्र ओएमएस कुल मेनशिफ्ट	**59.064**	**69.333**	**-14.81**
6	ओसी कोयला (L.Tes)	1420.175	1381.937	2.77
7	भूमिगत कोयला (L.Tes)	10.404	10.146	2.54
ख	कुल कोयला **(L.Tes)**	**1430.579**	**1392.083**	**2.77**
8	**समग्र** ओएमएस **(B/A)**	**24.22**	**20.08**	**20.63**
9	फॉर्मूला ओएमएस			
	भूमिगत	कोयला उत्पादन / वास्तविक मैनशिफ्ट		
	ओसी =	कोयला उत्पादन + (1.4 x ओबी उत्पादन) / वास्तविक मैनशिफ्ट x (1+(1.4 x स्ट्रिप अनुपात))		
	समग्र =	भूमिगत कोयला उत्पादन + ओसी कोयला उत्पादन / भूमिगत का मेनशिफ़्ट + ओसी का समायोजित मैनशिफ्ट		
10	समायोजित मैनशिफ्ट(ओसी के लिए खदान)=	कोयला उत्पादन/ओएमएस		
	समग्र ओएमएस की गणना =	1420.175+10.404 / 45.050+14.014	1381.937+10.146 / 53.731+15.602	
		1430.579 / 59.064	1392.082 / 69.333	
		24.221	20.078	

7. एचईएमएम की संख्या और कार्य निष्पादन

7.1 सीएमपीडीआईएल द्वारा निर्धारित लक्ष्य और प्राप्ति को दिखाकर एचईएमएम की उपलब्धता और उपयोगिता का ब्योरा नीचे दिया गया है।

I. प्राप्त % उपलब्धता और उपयोगिता :

सीएमपीडीआईएल द्वारा निर्धारित लक्ष्य और प्राप्ति को दिखाकर एचईएमएम की उपलब्धता और उपयोगिता का ब्योरा नीचे दिया गया है।

(आंकड़े पूर्णांक में)

क्र.	उपकरण	के अनुसार संख्या		% उपलब्धता			% उपयोगिता		
		31.03.18	31.03.17	अप्रैल '17 से मार्च'18	अप्रैल '16 से मार्च'17	सीएमपीडीआईएल मानदंड	अप्रैल '17 से मार्च'18	अप्रैल '16 से मार्च'17	सीएमपीडी आईएल मानदंड
1	ड्रैगलाइन	01	02	93	85	85	2	16	73
2	शोवेल	82	85	71	68	80	30	30	58
3	सरफेस माइनर	20	15	83	83	--	46	49	--
4	डम्पर	323	321	71	67	67	27	24	50
5	डोजर	130	116	71	61	70	26	26	45
6	ड्रिल	88	91	82	81	78	21	23	40
कुल		**644**	**630**						

II. प्राप्त कार्य घंटे:

क्रमांक	उपकरण	कार्य घंटे	
		2017-18	**2016-17**
1	ड्रैगलाइन	141	3547
2	शोवेल	192545	190478
3	सरफेस माइनर	56858	57746
4	डंपर	520317	516319
5	डोजर	180812	179969
6	ड्रिल	76537	80906

III.

क) प्राप्त ड्रैगलाइन,डम्पर, डोजर और ड्रिल की उपलब्धता, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक तथा सीएमपीडीआई मानदंडों से भी अधिक है। प्राप्त शोवेल की उपलब्धता पिछले साल की तुलना में अधिक तथा सीएमपीडीआई मानदंडों से कम है। सरफेस माइनर की उपलब्धता पिछले वर्ष के समान है।

ख) उपयुक्त कर्मचारी/भूमि की निष्क्रियता तथा अनुपलब्धता के कारण ड्रैगलाइन का कार्य घंटे पिछले वर्ष की तुलना में कम है।

ग) गर्मी में अर्थात 1 अप्रैल से 15 जून तक 11.00 बजे से 3.30 बजे तक परियोजनाओं में समय को सीमित करना संचयन एचईएमएम के उपयोग को प्रभावित करता है और इस पर 2% का प्रभाव पड़ता है।

घ) कामकाजी कर्मचारी की अनुपलब्धता के कारण भरतपुर ओसीपी की ड्रैगलाइन साल भर निष्क्रिय रही। एमसीएल में ड्रैगलाइन के लिए कोई कर्मचारी नहीं है।

- शोवेल की उपयोगिता पिछले वर्ष के समान है। डंपर की उपयोगिता में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है।
- उपयोगिता निम्न कारणों से भी प्रभावित हुई है -

1. विशेष रूप से तालचर कोलफील्ड्स में कानून और व्यवस्था की समस्याएं।
2. जगन्नाथ और अनंत ओसीपी के वन मंजूरी में देरी।
3. बेलपहाड़ और समलेश्वरी ओसीपी में विस्फोटक बाधा।

IV. उपलब्धता और उपयोगिता में सुधार करने के लिए उठाए गए कदम -

क. एचईएमएम के दैनिक उत्पादन और उनके कार्यघंटे का क्षेत्रीय और मुख्यालय स्तर पर बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है।

ख. एचईएमएम का समय समय पर सर्वेक्षण तथा ऐसे उपकरण के किए गए सर्वेक्षण के बदलें पु:स्थापन खरीद प्रक्रिया ।

ग. विभिन्न फ्लोट उप-असेंबली जैसे इंजन, प्रसारण(हस्तांतरण) और अन्य असेंबली का अत्यावश्यकता में प्रतिस्थापन के लिए मुख्यालय तथा केंद्रीय कर्मशाला में अनुरक्षण करना।

घ. ओईएमएस द्वारा नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर नए मॉडल उपकरण का संचालन और अनुरक्षण के लिए तकनीकी कौशल को बेहतर बनाना।

ङ. मानसून अवधि से पहले खराब सड़कों का रखरखाव।

च. ऑपरेटर के आराम पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जो नई एचईएमएम खरीदी जा रही हैं उनमें वातानुकूलित केबिन लगाए जा रहे हैं।

छ. एमसीएल प्रबंधन द्वारा विभिन्न मंचों पर भूमि अधिग्रहण, कानून और व्यवस्था की समस्याएं उठाई जा रही हैं।

ज. भूमि विस्थापितों-जैसे अकुशल श्रमशक्ति को विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित किया जा रहा है।

V. एचईएमएम के टूटफूट की स्थिति:

उपकरण	**जनसंख्या**		**टूटने > 3 महीने**	
	31.03.18 के अनुसार	31.03.17 के अनुसार	31.3.18 के अनुसार	31.03.17 के अनुसार
ड्रैगलाइन	01	02	00	00
शोवेल	82	85	05	04
सर्फ़ेस माइनर	20	15	01	00
डम्पर	323	321	49	55
डोजर	130	116	24	26
ड्रिल	88	91	06	05
एमसीएल कुल	644	630	85	90

VI. केन्द्रीय कार्यशालाओं में पुनःस्थापित उपकरण /मरम्मत किए गए सिस्टम_:

क्षेत्र	**वर्ष**	
	2017 -18	2016 -17
केंद्रीय कर्मशाला (तालचेर)	01	01
केंद्रीय कर्मशाला(ईब वैली)	03	00
एमसीएल कुल	04	01

VII. उपयोगिता क्षमता (खुली परियोजना)

क्रमांक	**विवरण**	**क्षमता (वर्ष के (अप्रैल के आधार पर 1**		**पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि**
		2017-18	2016-17	
1	विभागीय क्षमता (मि घन मीटर).	96.34	111.24	-13.4%
2	सिस्टम क्षमता (मि(घन मीटर).	261.43	290.20	-9.91%
3	विभागीय उत्पाद (मि (घन मीटर).	48.91	51.395	-4.84%
4	कुल उत्पादन (मि (घन मीटर)	223.731	207.202	7.98%
5	विभागीय क्षमता उपयोग	51 %	46%	10.87%
6	सिस्टम क्षमता का उपयोग	85.58%	71.39%	19.88%

8. ऊर्जा:

i) **तालचेर कोलफील्ड्स** :सेंट्रल ईलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यूटिलिटि ऑफ ओड़िशा के कमांड क्षेत्र के अंतर्गत 31.0 एमवीए के अनुबंध मांग के साथ ओपीटीसीएल अंगुल उप स्टेशन से नंदिरा-(3X20 एमवीए) 132/33 केवी, ग्रिड उप स्टेशन-तक 11 किलोमीटर लंबी 132 केवी डबल सर्किट ओवर हेड ट्रांसमिशन लाइन को बिजली प्राप्त है।

ii **ईब वैली कोलफील्ड्स** :वेस्टर्न इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी ऑफ ओड़िशा (वेस्को) के कमांड क्षेत्र के अंतर्गत 22.25 एमवीए के अनुबंध मांग के साथ ओपीटीसीएल बुढ़िपदर उप स्टेशन से-19 किमी लंबी 132 केवी डबल सर्किट ओवरसमिशन लाइन के माध्यम से जोरबागहेड ट्रां-, 132/33 केवी, ग्रिड उप-स्टेशन को बिजली प्राप्त होती है।

iii) बसुंधरा कोलफील्ड्स : वेस्टर्न इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी ऑफ ओड़िशा के कमांड क्षेत्र (वेस्को) के तहत 6 एमवीए के अनुबंध की मांग के साथ 33 कि.मी. लंबे 220 किलोवाट ओवेरहेड ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से ओपीटीसीएल, बुढ़िपदर 40 एमवीए (2x20 MVA) 220/33 केवी उप-स्टेशन, से बसुंधरा क्षेत्र को बिजली प्राप्त होती है।

8.4 बिजली की उपलब्धता

पैरामीटर	2017-18	2016-17
अनुबंध मांग (एमवीए)	61.271	60.650
अधिकतम मांग (एमवीए)(वित्तीय वर्ष के दौरान एक महीने में सबसे ज्यादा)	60.217	54.934
ऊर्जा खपत (लाख किलोवाट)	303.53	302.096
विशिष्ट ऊर्जा खपत (किलोवाट/टन)	2.12	2.17
बिजली की विशिष्ट खपत (कम्पोजिट प्रोडक्शन के लिए) (अर्थात कोयला+ओ.बी. निकालना), किलोवाट घंटा/क्यू. मी. में	1.35	1.46

एमसीएल जागृति विहार कार्यालय में 0.5 एमवीए से 0.9 एमवीए और एमसीएल जागृति विहार कॉलोनी से 0.3 एमवीए से 0.504 एमवीए तक वृद्धि तथा 0.017 एमवीए के मांग अनुबंध की एमसीएल जागृति विहार में नए उप-स्टेशन की स्थापना । (0.621 एमवीए की कुल वृद्धि)

9. <u>एमसीएल के प्रमुख भूमिगत उपकरणों की संख्या और कार्यनिष्पादन</u> :-

9.1 वर्तमान में मैन राइडिंग सिस्टम हिराखड-भुंडिया खदान, ऑरिएंट क्षेत्र की खान सं. 2 और तालचेर क्षेत्र के नंदिरा भूमिगत खान में संचालित है। वर्ष 2016-17 के दौरान ओरिएंट खान सं.-2 में सेकंड मैन राइडिंग सिस्टम स्थापित की गई है। ओरिएंट खान सं. -2 में एक और मैन रईडिंग सिस्टम स्थापित की जा रही है।

पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान प्रमुख भूमिगत उपकरण और उनकी उपलब्धता यहां दी गई है:

क्र.	उपकरण का नाम	कार्यरत		2016-17		2017-18	
		2016-17	2017-18	% उपलब्धता	%उपयोगिता	%उपलब्धता	%उपयोगिता
1	वाइन्डर	6	2	66.66	101.46	100.00	99.09
2	हौलेज(मुख्य)	32	71	100.00	101.46	38.03	99.09
3	एसडीएल*	17	13	52.93	25.31	52.90	22.54
4	एलएचडी*	27	27	75.39	44.76	61.22	32.14
5	मुख्य पम्प	54	58	87.03	101.46	67.24	99.09
6	वेंटिलेटर फेन	11	10	90.91	101.46	90.00	99.09
7	बेल्ट कोनवेयर	71	58	83.09	101.46	81.03	99.09
8	लोकोमोटिव	4	4	50.00	101.46	100.00	99.09
9	कोल ड्रील	102	78	69.6	101.46	67.95	99.09

भूमिगत उत्पादन	**2017-18**	**2016-17**
वास्तविक	10.40	10.14632
लक्ष्य उत्पाद	10.50	10

<u>अन्य एसडीएल और एलएचडी उपकरणों के लिए जिसके लिए कोई विशिष्ट मान उपलब्ध नहीं है</u>

% उपलब्धता = उपलब्ध उपकरण / कार्यरत उपकरण *X 100*

% उपयोग = वास्तविक उत्पादन / लक्ष्य उत्पादन *X 100*

<u>एसडीएल और एलएचडी के लिए, फार्मूला सीआईएल के नियमों के अनुसार है</u>

$$* \ \% \ \text{उपलब्धता} = \frac{H_w + H_i}{H_s} \times 100$$

जहां,

H_w = वास्तविक कार्य समय / वर्ष,

H_i = निष्क्रिय घंटे / वर्ष

H_s = शिफ्ट घंटे / वर्ष

$$* \ \% \ \text{उपयोग} = \frac{H_w}{H_s} \times 100$$

जहां,

H_w = वास्तविक कार्य समय / वर्ष,

H_s = शिफ्ट घंटे/वर्ष

भूमिगत (यू.जी.) खनन उत्पादन लक्ष्य उत्पादन से अधिक है, इसलिए एस.डी.एल. और एल.एच.डी. के अलावा यू.जी उपकरणों के उपयोग का प्रतिशत 100% से अधिक है। जहां प्रतिशत उपयोग एस.डी.एल. और एल.एच.डी. के अलावा कोयला उत्पादन पर निर्भर है, वहीं प्रतिशत उपलब्धता यू.जी. उपकरण कोयला उत्पादन पर निर्भर नहीं हैं। इसलिए प्रतिशत उपलब्धता और प्रतिशत उपयोग स्वतंत्र हैं और कोयले के उत्पादन के आधार पर प्रतिशत उपयोग प्रतिशत उपलब्धता से अधिक हो सकते हैं।

9.2 <u>कोल्ड हैंडलिंग संयंत्र और वे-ब्रिज और उनके कार्यात्मक क्षेत्र की संख्या</u>

वर्ष 2016-17 के दौरान 8.93 मीट्रिक टन कोयले की तुलना में वर्ष **2017-18** में 8.21 मीट्रिक टन कोयला निकाला गया था।

	2017-18		**2016-2017**	
	एमटीवाई में क्रशिंग	सीएचपी के माध्यम से भेजा से भेजा गया कोयला (मि.टन)	एमटीवाई में क्रशिंग	सीएचपी के माध्यम से भेजा गया कोयला
कोयला हैंडलिंग प्लांट्स/फीडर ब्रेकर	36.5	8.21	36.5	8.93
संयंत्र की क्रशिंग क्षमता का %		22.49%	24.47%	

एमसीएल के अधिकांश ओसीपी में प्रौद्योगिकी परिवर्तन से सरफेस माइनर की शुरुआत के बाद, क्रशर/सीएचपी का उपयोग काफी हद तक कम हो गया और इस तरह हम स्टैंडबाय के रूप में उपयोग किए जाते है और जहां पारंपरिक रूप से कोयला कम मात्रा में उत्पादन किया जाता है उतना ही कोयला उत्पादन हो रहा है। 2017-18 के दौरान सरफेस माइनर द्वारा कुल 91.5% कोयला उत्पादन किया गया था। 2017-18 के दौरान एमसीएल में कुल आर.ओ.एम कोयले का उत्पादन केवल 13.165 मिलियन टन है। चूंकि क्रशिंग क्षमता काफी अधिक है, किसी भी नए क्रशर या फीडर ब्रेकर को लाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

बेलपहाड़ ओसीपी, समलेश्वरी ओसीपी, भरतपुर ओसीपी के फीडर ब्रेकर (एफबी)/कोयला हैंडलिंग प्लांट्स (सीएचपी) के एन.डी.टी. परीक्षण के प्रस्ताव को सी.एम.पी.डी.आई.एल. के लिए सूचित किया गया है। सी.एम.पी.डी.आई.एल. के एनडीटी परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर प्रतिशत उपयोग में सुधार के लिए एफबी/सीएचपी में वृद्धि करना होगा।

9.2.1 **<u>इन सीएचपी के कार्यात्मक क्षेत्र निम्नानुसार है :-</u>**

प्रमुख सीएचपी

क्षेत्र	सीएचपी की स्थान	क्षमता (एमटीवाई)
जगन्नाथ	जगन्नाथ ओसीपी	2.0
भरतपुर	भरतपुर ओसीपी	3.5
कुल		**5.50**

9.2.2 **छोटे सीएचपी/फीडर ब्रेकर**

क्षेत्र	सीएचपी की स्थान	क्षमता (एमटीवाई)
जगन्नाथ	जगन्नाथ ओसीपी	4.0
	अनंता ओसीपी	7.0
हिंगुला	हिंगुला	2.0
	बलराम	4.0
ईब वैली	लजकुरा ओसीपी	2.0
	संलेश्वरी ओसीपी	1.0
लखनपुर	बेलपहाड़ ओसीपी	2.0
लिंगराज	लिंगराज ओसीपी	6.0
बसुंधरा	बसुंधरा ओसीपी	1.0
	कुलड़ा ओसीपी	2.0
कुल		**31.00**

9.2.3 **कोयला प्रेषण को सुचारू बनाने के लिए एमसीएल के सभी प्रमुख खुली खदानों में सीपीपी/साईलो का निर्माण, योजना के निष्पादन/निविदा/अंतिम रूप देने के विभिन्न चरणों में हैं।**

क्र.	सी.एच.पी./साइलों विवरण	क्षमता	वर्तमान स्थिति
1	भरतपुर साइडिंग पर साइलो लोडिंग व्यवस्था के साथ कोयला हैंडलिंग प्लांट	15 एमटीवाई क्षमता	परियोजना की संपूर्ण प्रगति 99.80% है और जून, 2018 तक पूरी होने की उम्मीद है। संयंत्र का परीक्षण 23.04.2018 से प्रभावी रूप से आयोजित किया गया था और 11 रेक सफलतापूर्वक लोड किए गए थे। परियोजना जून -2018 तक शुरू की जाएगी।
2	लिंगराज ओसीपी में कोयला परिवहन और साइलों लोडिंग की व्यवस्था।	16 एमटीवाई क्षमता	कार्य प्रगति पर है तथा कुल प्रगति 99.50% है। साइलों को हॉपर प्राप्त करने से सी.एच.पी. का परीक्षण चलन दिनांक-11.04.2018 को आयोजित किया गया था। रेल कनेक्टिविटी का काम मैसर्स आर.आई.टी.ई.एस. द्वारा किया जा रहा है। साइलों के रेल कनेक्टिविटी को पूर्ण करने के पश्चात् ही परियोजना शुरू की जाएगी।
3	जगन्नाथ वाशरी से होते हुए भूवनेश्वरी ओसीपी से स्पार साईडिंग III के पास साइलों तक कच्चे कोयले का परिवहन।	10 एमटीवाई क्षमता	एल.ओ.ए. दिनांक-28.03.2017 को जारी किया गया था। साइट दिनांक-12/10/2017 को सौंपी गई। काम की कुल प्रगति 24.07% है, साइलो -1, ग्राउंड बंकर -2 का खुदाई और निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है। सितंबर, 2019 तक निर्माण और हैंडओवर की उम्मीद है
4	हिंगुला ओसीपी से पाइप कन्वेयर द्वारा प्रस्तावित हिंगुला वाशरी और बलराम साइडिंग, हिंगुला क्षेत्र में साईलो व्यवस्था के लिए कोयला परिवहन।	10 एमटीवाई क्षमता	दिनांक-11.08.2016 को एल.ओ.ए. जारी किया गया और समझौते पर हस्ताक्षर दिनांक-21.01.2017 को किया गया था। पाइप कन्वेयर के लिए साइट दिनांक-23.06.2017 को चरणबद्ध तरीके से सौपा गया तथा और स्थानीय ग्रामीणों की समस्याओं और पाइप कन्वेयर की ट्रेसल के निर्माण कार्य दिनांक-10.08.2017 से चल रहा है। साइलों के खुदाई कार्य रेलवे द्वारा ओ.एच.ई. और रेल पटरियों को हटाने के बाद पूर्ण हो चुका है। ट्रक प्राप्ति हूपर के लिए वन मंजूरी स्थल और पाइप कन्वेयर का हिस्सा जून, 2018 तक अपेक्षित है और इन फॉन्ट्स पर काम जल्द शुरू किया जाएगा। जुलाई, 2019 तक इसे पूर्ण होने की उम्मीद है।
5	ईब वैली में कच्चे कोयले की आपूर्ति के लिए लखनपुर में कोयला हैंडलिंग प्लांट और साइलों के साथ रैपिड लोडिंग सिस्टम	10 एमटीवाई क्षमता	टी.सी. निविदा रद्द करने के लिए अनुशंसित है क्योंकि बोलीदाताओं में से कोई भी तकनीकी आवश्यकता का अनुपालन नहीं करता है। टी.सी. अनुशंसा के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास अनुमोदन हेतु भेजी गई है।

9.2.4 वे-ब्रिज का विवरण

क्र.	वे-ब्रिज के प्रकार	2017-18	2016-17
1	इलेक्ट्रॉनिक रोड वेब्रिज (स्टेटिक)	96	92
2	इलेक्ट्रॉनिक रोड वेब्रिज (इन मोशन)	40	40
3	रेल वे-ब्रिज (इलेक्ट्रॉनिक)	29	29
4	वर्ष के दौरान % वजन (रेल द्वारा)	99.14	99.21
5	वर्ष के दौरान % वजन (कुल वजन)	99.45	99.5

वर्तमान में, कोयले का आंतरिक वजन (उत्पादन वजन) स्टॉक इंड या साइडिंग इंड पर किया जा रहा है। दोनों सिरों (स्टॉक यार्ड और सिडिंग) पर वजन सुनिश्चित करने के लिए, मोशन रोड वेब्रिज में 100 टी की 34 संख्या की खरीदी का कार्य जारी है। इसके अलावा, अतिरिक्त वजन की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए 100 टी क्षमता की 21 स्थिर वेब्रिज की खरीदी का कार्य प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2018-19 के दौरान दोनों वस्तुओं को चालू करने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, 15 रेल इन-मोशन वेब्रिज की खरीदी का कार्य भी जारी है तथा इसकी स्थापना का कार्य वर्ष 2018-19 के भीतर पूर्ण हो जायेगी। प्रेषित कोयले के निर्बाध वजन को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को शामिल किया गया है।

10. पूंजीगत संरचना :

दिनांक 31.3.2018 के अनुसार कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूँजी रु. 980.00 करोड़ है, जो प्रत्येक रु.1000/- की 7758200 इक्विटी शेयर एवं प्रत्येक रु.1000/- की 2041800 इक्विटी के 10 % संचयी परिशोध्य प्राथमिक शेयर में विभाजित है ।

दिनांक 31.3.2018 के अनुसार कंपनी की प्रदत समतुल्य शेयर पूँजी रु. 706.13 करोड़ रुपये में अपरिवर्तित रही। समस्त समतुल्य शेयर पूँजी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) एवं इसकी नामितों द्वारा नियंत्रित होती है।

11. <u>वित्तीय समीक्षा:</u>

कंपनी ने पिछले वर्ष के कुल रु. 23443.22 करोड़ के सकल कारोबार की तुलना में चालू वर्ष में सकल विक्रय मूल्य रु. 22379.91 करोड़ (एसटीसी सहित) का कारोबार रिकॉर्ड किया है । गतवर्ष के रु. 6875.68 करोड़ का कर पूर्व लाभ 2017-18 में रु. 7339.66 करोड़ हुआ है। पिछले वर्ष रु.4512.97 करोड़ के तुलना में वर्ष 2017-18 कर प्रश्चात लाभ रु. 4761.29 करोड़ है। वर्ष 2016-17 की तुलना में 2017-18 के वित्तीय परिणाम निम्नानुसार है:

[रु. करोड़ में]

	2017-18	2016-17 (पुन: कथित)
कुल लाभ (ह्रास एवं ब्याज के पूर्व)	7784.26	7279.12
घटाव : ह्रास(सामाजिक मद मूल्य ह्रास समेत)	371.34	348.44
ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	73.26	55.00
कर पूर्व निवल लाभ	7339.66	6875.68
घटाव: आयकर के लिए प्रावधान एवं आस्थगित कर दायिता	2578.37	2362.71
कर पश्चात निवल लाभ	4761.29	4512.97
पी और एल में उपलब्ध ओपी बेलेन्स	920.05	583.36
घटाव : सामान्य आरक्षित में अंतरित	238.06	224.55
सीएसआर आरक्षित में अंतरित	-	-
दीर्घकालिक विकास में अंतरित	-	-
समतुल्य शेयर पर अंतरिम लाभांश	4350.00	2982.00
समतुल्य शेयर पर प्रस्तावित लाभांश	-	-
लाभांश पर कर	885.56	607.06
उपरोक्त विनियोग के पश्चात लाभ:		362.67
कुल लाभ (ह्रास एवं ब्याज के पूर्व)	**207.72**	**920.05**
कर से पूर्व अन्य विस्तृत आय (ओसीआई)	**27.34**	**(1.40)**
घटाव : ओसीआई में आयकर के लिए प्रावधान	**9.46**	**(0.48)**
कर के पश्चात अन्य विस्तृत आय (ओसीआई)	**17.88**	**(0.92)**
कर के पश्चात कुल विस्तृत आय	**4779.17**	**4512.05**

11.1 आरक्षण में स्थानांतरण

वर्ष के लिए कर पश्चात 5% लाभ की राशि रु. 238.06 करोड़ जनरल रिजर्व में स्थानांतरित कर दी गई है।

11.2 लाभांश:

निदेशक गण ने रु. 706.13 करोड़ प्रदत ईक्वीटी शेयर पूंजी के अन्तरिम लाभांश के रूप में 616.03% की अनुशंसा की है। इस तरह आपके अनुमोदन के लिए प्रदत ईक्वीटी शेयर पूंजी (गत वर्ष के 1675.28%) रु. 4350.00 करोड़ का कुल लाभांश 616.03% है।

लाभांश के लेखा का आउटफ्लो रु. 4350.00 करोड़ लाभांश तथा लाभांश पर रु. 885.56 करोड़ रुपये कर को शामिल कर रु. 5235.56 करोड़ हो जाएगा।

11.3 ऋण:

असुरक्षित ऋण:

कंपनी एन.एल.सी.आई.एल. को 2017-18 के दौरान 7% वार्षिक दर पर सामान्य वित्त पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1000 करोड़ रुपये का ऋण दिया है।

12. निवेश:

12.1 एमसीएल की सहायक कंपनियों एमएनएच शक्ति लिमिटेड, एमजेएसजे कोयला लिमिटेड, महानदी बेसिन पावर लिमिटेड और महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल) के इक्विटी शेयरों में गैर मौजूदा निवेश के लिए क्रमश: 59.57 करोड़ रुपये, 57.06 करोड़ रुपये, 5 लाख रुपये और 3.20 लाख रुपये है।

12.2 31.03 2018 को 7.55% सुरक्षित गैर-परिवर्तनीय आईआरएफसी टैक्स फ्री 2021 श्रृंखला 79 बांड, 8% सुरक्षित गैर परिवर्तनीय आईआरएफसी बांड, 7.22% सुरक्षित गैर परिवर्तनीय आईआरएफसी टैक्स फ्री बॉन्ड, 7.22% सुरक्षित रिडीमेबल आरईसी टैक्स फ्री बॉन्ड, क्रमशः रु. 200.00 करोड़, रु. 108.75 करोड़, रु. 499.95 करोड़ और रु. 150.00 करोड़ था ।

13. पूंजीगत व्यय

गत वर्ष के रु. 1822.29 करोड़ (पुन: कथित) के व्यय की तुलना में इस वर्ष के दौरान कुल पूंजी व्यय रु.1373.54 करोड़ रुपये था।

14. उधार:

दिनांक 31.03.2018 तक मैसर्स लेबनर फ्रांस एसए, फ्रांस को क्रेडिट पर चार हाइड्रोलिक शॉवेल की आपूर्ति के लिए 7.0 9 करोड़ रुपये की राशि बकाया है।

15. विक्रय मूल्यांकन

वर्ष 2016-17 में एमसीएल की सकल बिक्री रू. 23443.22 करोड़ की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान रू. 22379.91 करोड़ रहा था।

वर्ष 2017-18 के दौरान कुल प्राप्ति रू. 22906.88 करोड़ थी जो चालू वर्ष के सकल बिक्रि पर 102.35 % हो सकती है।

15. राजकोष को भुगतान

आपकी कंपनी केंद्रीय और राज्य राजकोष के लिए एक प्रमुख योगदानकर्ता रही है।

पिछले वर्ष के दौरान किए गए भुगतान की तुलना में वर्ष के दौरान रॉयल्टी,बिक्री कर, स्टॉइंग एक्साइज ड्यूटी और प्रवेश कर के लिए कंपनी द्वारा किए गए भुगतान निम्नानुसार हैः

(रू. करोड़ में)

	2017-18	2016-17
रॉयल्टी	1752.01	1663.66
एनएमईटी	35.03	33.37
डीएमएफ	525.58	846.77
बिक्री कर/ओडिशा वैट/	191.42	834.68
स्टोसिंग एक्साइज ड्यूटी	33.36	143.01
प्रवेश कर	16.38	69.58
स्वच्छ ऊर्जा उपकर	1334.59	5720.34
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	230.50	1005.06
वस्तु और सेवाकर	668.71	-
जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर	4195.91	-
कुल	**8983.49**	**10316.47**

16. परियोजना सुत्रिकरण/पूंजी परियोजनाएं

16.1 योजना

एमसीएल ने वर्ष 2017-18 के दौरान 150.00 मिलियन टन कोयले के उत्पादन की योजना बनाई है। वर्ष 2017-18 में आकलित पूँजीगत लागत रु. 1300.00 करोड़ होगी जिसका अधिकांश भाग हैवी अर्थ मूविंग मशीन (एचईएमएम) की खरीद, भूमि अधिग्रहण और आधारभूत संरचनाओं के विकास पर खर्च होगा।

16.2 परियोजना गठन:

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान सीएमपीडीआईएल द्वारा चार परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई थी:

1. लखनपुर-लिलारी-बेलपहाड़ एकीकृत (सामान्य -30 एमटीवाई, पीक- 37.5 एमटीआई)
2. भरतपुर पुनर्गठन (सामान्य- 20 एमटीवाई, पीक 26 एमटीवाई)
3. लजकुरा-ओरिएंट विस्तार (15 एमटीवाई)
4. भुवनेश्वरी विस्तार (38 एमटीवाई)

16.3 परियोजना कार्यान्वयन:

2017-18 के दौरान एमसीएल का कुल पूंजी व्यय 1300.00 करोड़ रुपये लक्ष्य की तुलना में 1,367.87 करोड़ रुपये है।

16.4 पूंजी परियोजनाएं /योजना:

<u>**कोयला परियोजनाएं: -**</u>

एमसीएल में अब तक कुल 51 स्वीकृत कोयला खनन परियोजना (3 बंद परियोजनाओं सहित) है। इन स्वीकृत परियोजनाओं की रेटेड उत्पादन क्षमता 224.41 लाख थी, जिसमें 12738.75 करोड़ (आरसीई सहित) की स्वीकृत पूंजीगत लागत थी। कुल 51 परियोजनाओं में से 35 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 16 परियोजनाएं चालू परियोजनाएं हैं। 51 परियोजनाओं की पूंजी परिव्यय के साथ वर्तमान क्षमता निम्नानुसार है:

परियोजना वर्ग (करोड़ रु.)	स्वीकृत परियोजना की संख्या	स्वीकृत क्षमता (एमटीवाई)	स्वीकृत पूंजी (करोड़ रु.)	स्थिति		
				बंद	पूर्ण	कार्यरत (चालू)
100 और अधिक	20	162.50	11618.88	1	17	12
50 से 100	12	26.33	776.67	0	5	4
20 से 50	10	25.00	246.67	1	5	0
20 से कम	09	10.58	96.52	1	5	0
कुल	**51**	**224.41**	**12738.75**	**3**	**32**	**16**

पूर्ण परियोजनाएं :- 35

क्र.	परियोजना का नाम	परियोजना क्षमता (एमटीवाई)	स्वीकृत पूंजी (करोड़ रु.)	समाप्ति तारीख
तालचेर कोलफील्ड्स				
1.	अनंता ओ/सी	4.00	338.44*	01.04.2008
2.	अनंता ओ/सी विस्तार चरण-I	1.50		
3.	अनंता ओ/सी विस्तार चरण-II	6.50		
4.	बलांडा ओ/सी ईवीएएम आरपीआर *(बंद)*	1.00	33.20	मार्च 1984
5.	बलराम ओ/सी(कलिंगा ओसीपी)	8.00	344.63*	31.03.2000
6.	भरतपुर ओ/सी	3.50	158.97 (RCE)	मार्च 1991
7.	भरतपुर ओ /सी विस्तार चरण-I	1.50	48.02	मार्च 1998
8.	छिन्दिपदा ओ /सी	0.35	19.75	मार्च 2007
9	हिंगुला -II ओ/सी	2.00	47.93*	31.03.2002
10.	हिंगुला -II ओ/सी विस्तार चरण-I	2.00	89.78	मार्च 2009
11.	हिंगुला -II ओ/सी विस्तार चरण-II	4.00	35.67	मार्च 2009
12.	जगन्नाथ ओ/सी/जगन्नाथ विस्तार	4.00	66.71 / 4.71	मार्च 2004
13.	जगन्नाथ ओ/सी विस्तार चरण-II	2.00	4.95	मार्च 2008
14.	लिंगराज ओ/सी	5.00	229.84	मार्च 1998
15.	लिंगराज ओ/सी विस्तार चरण-I	5.00	98.89	मार्च 2007
16.	लिंगराज ओ/सी विस्तार चरण-II	3.00	2.18	मार्च 2008
17.	लिंगराज ओसी विस्तार चरण-III	3.00	306.18**	31.03.2014
18.	नंदीरा यू/जी (विस्तार)	0.33	17.96	मार्च 1995
	उप कुल (बंद खानों की क्षमता सहित)	**48.68**	**1847.81**	

ईब वैली कोलफील्ड्स				
19.	बसुन्धरा (ई) ओ / सी (बंद)	0.60	19.70	मार्च 1998
20.	बसुन्धरा (पश्चिम) ओ / सी	2.40	68.74 (RCE)	मार्च 2007
21.	बसुन्धरा (पश्चिम) विस्तार चरण-I	4.60	46.52	मार्च 2011
22.	बेलपहाड़ ओ/सी	2.00	246.93*	31.03.2015
23.	बेलपहाड़ ओ/सी विस्तार चरण-I	1.50		
24.	बेलपहाड़ ओ/सी विस्तार चरण-II	4.50		
25.	लजकुरा ओ/सी	1.00	38.98 (RCE) / 3.22	मार्च 1991
26.	लजकुरा ओसीपी विस्तार चरण-I	1.50	194.99**	मार्च 2013
27.	लखनपुर ओ/सी	5.00	215.02*	31.03.2000
28.	लखनपुर ओ/सी विस्तार चरण-I	5.00	98.74	मार्च 2010
29.	लखनपुर ओसीपी विस्तार चरण-II	5.00	116.54	मार्च 2011
30.	लिलारी ओ/सी/ लिलारी विस्तार	0.80	19.78 / 0.63	मार्च 1992
31.	समलेश्वरी ओ/सी	3.00	636.24**	31.03.2013

32.	समलेश्वरी ओ/सी विस्तार चरण-I	1.00		
33.	समलेश्वरी ओ/सी विस्तार चरण-II	1.00		
34.	समलेश्वरी ओ/सी विस्तार चरण-III	2.00		
35.	समलेश्वरी ओ/सी विस्तार चरण-IV	5.00		
	उप कुल (बंद खानों की क्षमता सहित)	**45.90**	**1706.03**	
	कुल (पूर्ण परियोजना)	**94.58**	**3553.84**	

(*)अनुमोदित संशोधित लागत प्राक्कलन -सह-समापन रिपोर्ट के अनुसार समापन लागत।

(**)अनुमोदित संशोधित लागत प्राक्कलन -सह-समापन रिपोर्ट तथा लक्ष्य वर्ष से अतिरिक्त स्वीकृत पूंजी के अनुसार

चालू परियोजनाएँ :-16

क्र.	परियोजना का नाम	परियोजना क्षमता(एमटीवाई)	स्वीकृत पूंजी (करोड़ रु.)	परियोजना अनुमोदन की तारीख
तालचेर कोलफील्ड्स				
1	अनंत ओसीपी विस्तार चरण -III	3.00	251.95#	31.08.2008
2	बलराम ओसीपी विस्तार	8.00	^209.56	22.12.2007
3	भरतपुर ओसीपी विस्तार चरण -2	6.00	95.87	25.06.2003
4	भरतपुर ओसीपी विस्तार चरण -III	9.00	131.39	12.02.2007
5	भुवनेश्वरी ओसीपी	20.00	490.10	22.12.2007
6	हिंगुला- II ओसीपी विस्तार चरण-III	7.00	479.53	08.11.2008
7	जगन्नाथ पुन: संगठन	6.00 *	337.66	26.05.2014
8	जगन्नाथ भूमिगत	0.67	80.75	15.10.2001
9	कनिहा ओसीपी	10.00	457.77	22.12.2007
10	नटराज भूमिगत	0.64	92.11	30.01.2001
11	तालचेर (डब्ल्यू) भूमिगत	0.52	85.08	18.02.2002
	पूर्ण योग	**64.83**	**2711.77**	
ईब-वैली कोलफील्ड्स				
12	बसुंधरा (डब्ल्यू) विस्तार	7.00 *	**620.42	07.05.2014
13	कुल्डा ओसीपी	10.00	^372.81#	12.01.2005
14	कुल्डा विस्तार ओसीपी	5.00	**348.16#	25.06.2014
15	सीयारमल ओसीपी	40.00	**3756.36	29.05.2014
16	गर्जनबहाल ओसीपी	10.00	**1375.38	08.11.2014
	उप कुल	**65.00**	**6473.14**	
	कुल *(चालू परियोजनाएं)*	**129.83**	**9184.91**	
	महायोग *(बंद खानों की क्षमता सहित)*	**224.41**	**12738.75**	

(*)*ये अतिरिक्त क्षेत्रों को जोड़ने वाली मूल परियोजनाओं का विस्तार हैं, इसलिए, क्षमता में कोई अतिरिक्त जुड़ाव नहीं होगा।*

(**)अनुमोदित संशोधित लागत प्राक्कलन -सह-समापन रिपोर्ट तथा लक्ष्य वर्ष से अतिरिक्त स्वीकृत पूंजी के अनुसार

(#)सीएमडी, एमसीएल के डीओपी में स्वीकृत पूंजी का ***10%*** शामिल है। (**^) -** कुल स्वीकृति में योजनाएं शामिल हैं।

मौजूदा पुरानी भूमिगत खदानें - 06

क्र.	परियोजना का नाम	सीएमपीडीआईएल द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार एमटीवाई में क्षमता (मि.टन/वर्ष)				
		2013-14	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**
1	हिमगीर रामपुर कोलियरी	0.245	Closed	Closed	Closed	Closed
2	हिराखंड बुंदिया खान	0.551	0.551	0.612	0.612	0.505
3	ओरिएंट खान 1 और 2	0.490	0.428	0.428	0.367	0.352
4	ओरिएंट खान 3	0.643	0.551	0.490	0.000	0.122
5	ओरिएंट खान 4	0.061	0.061	0.061	0.122	0.061
6	तालचर भूमिगत खान	0.329	0.318	0.340	0.272	0.173
	कुल	**2.319**	**1.909**	**1.931**	**1.373**	**1.213**
	एमसीएल के लिए **कुल योग** (इसमें बंद खान की क्षमता शामिल हैं।)				**225.783**	**225.623**

भविष्य की परियोजनाएं: - 05.

क्र.	परियोजना का नाम	परियोजना क्षमता(एमटीवाई)	टिप्पणी
1.	एकीकृत लखनपुर-बेलपहाड़ - लिलारी ओसीपी	30.0 **(अतिरिक्त-6.20** एमटीवाई)	03.02.15 को एमसीएल बोर्ड द्वारा परियोजना रिपोर्ट अनुमोदित। पहले वर्ष के लिए 535.80 करोड़ रुपये के व्यय के लिए 12.08.15 को सीआईएल बोर्ड द्वारा सिद्धान्त: मंजूरी। आउटसोर्सिंग संस्करण में 23.12.17 को एमसीएल बोर्ड द्वारा अनुशंसित वॉशरी (10 एमटीई) सहित 30 एमटीवाई की संशोधित परियोजना रिपोर्ट। संशोधित परियोजना रिपोर्ट मार्च 18 को स्वीकृति के लिए में सीआईएल को प्रस्तुत की गई।
2.	भरतपुर पुनर्गठन(विस्तार)	20.0	08.09.17 को 194 वें एमसीएल बोर्ड द्वारा स्वीकृत. 27.10.17 को पीएसी को प्रस्तुत। पीएसी की सिफारिश के अनुसार संशोधित परियोजना रिपोर्ट की तैयारी सीएमपीडीआई, भुवनेश्वर में चल रही है।
3.	बलराम विस्तार ओसीपी	15.0 **(अतिरिक्त –7.0** एमटीवाई)	31.03.12 को एमसीएल बोर्ड द्वारा परियोजना रिपोर्ट का 'सिद्धांत:' अनुमोदन। सीएमपीडीआई में परियोजना रिपोर्ट की तैयारी चल रही है।
4.	गोपालजी-कनिहा विस्तार ओसीपी	30.0 **(अतिरिक्त -20** एमटीवाई)	20.05.15 को एमसीएल बोर्ड द्वारा गोपालजी-कनिहा विस्तार खुली परियोजना की परियोजना रिपोर्ट और पहले वर्ष के लिए 80.15 करोड़ रुपये व्यय दिनांक 23.09.15 को ईएससी द्वारा अनुमोदित । गोपालजी-कनिहा विस्तार (30 एमटीवाई) का यूसीई तैयारी में है।
5.	कुलड़ा-गर्जन बहाल विस्तार ओसीपी	40.0 **(अतिरिक्त -15** एमटीवाई)	सीएमपीडीआई में परियोजना रिपोर्ट की तैयारी चल रही है।
6.	लजकुरा -ओरिएंट विस्तार ओसीपी	15.0 **(अतिरिक्त -11.31** एमटीवाई)	परियोजना रिपोर्ट 31.03.2017 को प्रस्तुत की गई थी। वार्षिक कार्य योजना-2018-19 के अनुसार यूसीई तैयार किया जाना है।
7.	समलेश्वरी ओसीपी	20.00 **(अतिरिक्त –8.0** एमटीवाई)	21.09.15 को एमसीएल बोर्ड द्वारा स्वीकृत। 10.02.16 को 89 वीं अधिकारित उप समिति की बैठक से पहले रखा जाए। सीएमपीडीआई, रांची में संशोधन के तहत।
		कुल अतिरिक्त क्षमता **– 67.51** एमटीवाई	

गैर-खनन परियोजनाएं:-

एमसीएल की 20 करोड़ रुपये से कम लागत वाली प्रमुख गैर-खनन परियोजनाएं:

क्र.	परियोजना का नाम	पूंजीगत लागत (रु. करोड़)
1	बुँदिया खदान से राष्ट्रीय राजमार्ग 200 को जोडनेवाली 12.54 किलोमीटर के कॉंक्रीट सीटी सड़क का निर्माण।	135.29
2	ईब-वैली कोलफील्ड्स में 5 वर्ष से अधिक चलने वाली सभी सीटी सड़कों का निर्माण।	94.22
3	लाजकुरा वेलकम गेट से खदान 3 जंक्शन तक 3.7 किमी की बाय पास रोड का निर्माण	35.56
4	तालचेर कोलफील्ड में 4 लेन 41.5 किमी लंबी सड़क का निर्माण	251.35
5	लिंगराज ओसीपी के चेक पोस्ट से से एनएच-200 तक डायवर्सन रोड का निर्माण।	135.16
6	तालचेर में घंटपाड़ा गांव के निकट क्रॉसिंग लेवल पर आरओबी का निर्माण	37.50
7	तालचेर कोलफील्ड्स में 5 वर्ष से अधिक चलने वाली सभी सीटी सड़कों का निर्माण।	165.92 संशोधित - 243.00
	क) बलराम ओसीपी से गुजरने वाली 27.26 करोड़ रुपये की नई कोल कॉरीडोर का निर्माण (अनुमोदन की तारीख - 25.05.17)	
	ख) लिंगराज ओसीपी से गुजरने वाली 22.96 करोड़ रुपये की नई कोल कॉरीडोर का निर्माण।	
8	बांकीबहाल से कनिका रैल साईडिंग तक 27 किमी सड़क मार्ग को 2 लेन से 4 लेन तक छोड़ा करना ।	मूल - 162.87 संशोधित - 242.06
9	सुंदरगढ़ जिले में बांकीबहाल से भेदभाल (एसएच-10 पर) से अलग 4-लेन (संशोधित 2-लेन) समर्पित कोल कॉरीडोर सड़क का निर्माण। लंबाई -33.00 किमी, पुल-4	398.97
10	बसुंधरा पश्चिम विस्तार चेक पोस्ट से सरदेगा रेलवे साइडिंग तक 2-लेन कंक्रीट रोड का निर्माण।	30.39
11	अनंत स्पूर साइडिंग V और VI में 15 एमटीवाई के लिए साईलो लोडिंग व्यवस्था।	198.66
12	लिंगराज ओसीपी में 16 एमटीवाई के लिए साईलो लोडिंग व्यवस्था।	237.56 संशोधित - 495.01
	लिंगराज ओसीपी में संशोधित सीएचपी और साईलो लोडिंग व्यवस्था	
13	झारसुगुडा - बरपाली - सरदेगा रेलवे लाइन।	मूल- 469.68 संशोधित-1007.12
14	अंगुल स्टेशन से कलिंगा सीपीपी तक रेलवे लिंक	99.00
15	तालचेर और पारादीप बंदरगाह के बीच ऑटो सिग्नलिंग सिस्टम	63.23
16	बी-ओ-एम आधार पर बसुंधरा वॉशरी (10.00 एमटीवाई)	334.72
17	बी-ओ-ओ आधार पर जगन्नाथ वॉशरी (10.00 एमटीवाई)	265.35
18	बी-ओ-एम आधार पर ईब वैली वॉशरी (10.00 एमटीवाई)	336.90
19	बी-ओ-ओ आधार पर हिंगुला वॉशरी (10.00 एमटीवाई)	321.96
20	बसुंधरा-गर्जनबहाल क्षेत्र की इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान	498.75
कुल		**5224.20**

20 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली एमसीएल की गैर-खनन पूर्ण परियोजनाएं:

क्र.	परियोजना का नाम	पूंजीगत लागत (रु. करोड़)
1	बसुंधरा गर्जनबहाल क्षेत्र में 5 वर्ष से अधिक चलने वाली सभी कॉंक्रीट सीटी सड़कों का निर्माण।	22.96
2	कनिहा ओसीपी में कॉंक्रीट सीटी रोड का निर्माण।	26.92
3	तालचेर यार्ड के लिए टीएलएसबी केबिन से तालचेर में भुवनेश्वरी ओसीपी की सेवा के लिए थर्ड लाइन का निर्माण ।	47.60
कुल		**97.48**

6.0 विदेशी सहयोग: निरंक

7.0 & 8.0 आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी समावेश

क. एमसीएल सरफेस माइनर द्वारा खुली खान में कोयला निकालने के लिए विस्फोट मुक्त प्रौद्योगिकी शुरू करने वाला पथ प्रदर्शक है।

ख. एमसीएल सभी प्रमुख खुली परियोजनाओं में रैपिड लोडिंग सिस्टम के साथ साइलो की शुरुआत करने जा रहा है।

ग. ग्राहकों को स्वच्छ कोयला प्रदान करने के लिए ईब वैली वॉशरी और 03 अन्य वॉशरी के लिए जारी आश्वासन पत्र निविदा की प्रक्रिया में हैं।

9.0 सरकार की मंजूरी लंबित परियोजनाएं: शून्य

10.0 2017-18 के दौरान भूमि अधिग्रहण और अधिपत्य: मुख्य रिपोर्ट में शामिल

(आंकड़े हेक्टेयर में)

क्षेत्र	किराये की भूमि	सरकारी गैर वन भूमि		वन भूमि		कुल अधिग्रहण		कुल अधिकार	टिप्पणियां
		अधिग्रहित	अधिपत्य	अधिग्रहित	अधिपत्य	अधिग्रहित	अधिपत्य		
1	जगन्नाथ	0	8.891	0	6.00	0	0	0	14.891
2	हिंगुला	0	112.453	0	0	0	0	0	112.453
3	भरतपुर	0	0	0	124.622	0	0	0	124.622
4	लिंगराज	0	0	0	0	0	0	0	0
5	कनिहा	0	56.801	0	106.346	0	0	0	163.147
6	ईब-वैली	0	7.771	0	0	0	0	0	7.771
7	लखनपुर	0	36.145	0	0	0	0	0	36.145
8	बी-जी क्षेत्र	0	1.958	0	0	0	0	0	1.958
	कुल	0	224.019	0	236.968	0	0	0	460.987

16.16 निर्माण,संचालन, अनुरक्षण(बीओएम) आधार पर वॉशरी की स्थिति:

सीआईएल के निर्णयानुसार निर्माण, संचालन, अनुरक्षण (BOM) अवधारणा पर अधिक राखवाले कोयले की किफ़ायती धुलाई के लिए वाशरी की स्थापना के लिए एमसीएल प्रथम चरण में 10 एमटीवाई क्षमतावाली चार कोयला वाशरी अर्थात हिंगुला वाशरी, बसुंधरा वाशरी, लखनपुर में ईब वैली वाशरी और जगन्नाथ वाशरी की स्थापना कर रहा है।

यद्यपि बीओएम अवधारणा पर हिंगुला वाशरी (10 एमटीवाई) एवं जगन्नाथ वाशरी (10 एमटीवाई) का कार्यान्वयन नहीं किया गया है और नए/पुन: निविदा किए इन वाशरियों के गठन की अवधारणा बीओएम से बीओओ में बदल दी गई है यह कोयला मंत्रालय के "सभी नई प्रस्तावित वाशरी जिनकी निविदाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया है उसे बीओओ अवधारणा के तहत निर्माण किया जाए"। तदुपरान्त जगन्नाथ वॉशरी (10.0 एमटीवाई) और हिंगुला वाशरी (10.0 एमटीवाई) एमसीएल, की स्थापना के लिए पूर्व निविदा गतिविधियां, बीओओ अवधारणा पर शुरू की गई और बोली दस्तावेज की तैयारी अंतिम चरण में थी। इस बीच 14.11.2017 को महाप्रबंधक (परियोजना निगरानी विभाग),कोल इंडिया लिमिटेड से एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें नई वॉशरी के लिए समयरेखा निर्धारित की गई थी। उक्त पत्र में जगन्नाथ वॉशरी (10 एमटीवाई) और हिंगुला वाशरी (10 एमटीवाई) एमसीएल की स्थापना के लिए बीओएम के अनुसार मोड का उल्लेख किया गया था। इसके बाद 05.01.2018 को ई-मेल के माध्यम से महाप्रबंधक (परियोजना निगरानी विभाग), कोल इंडिया लिमिटेड से एक पत्र प्राप्त हुआ। उक्त पत्र के अनुसार महाप्रबंधक (परियोजना निगरानी विभाग), कोल इंडिया लिमिटेड ने निम्न संवाद किया:

उद्धरण:

दिनांक 14-11-2017 के पत्र संख्या CIL/PMD/Ws/430के अनुसार "नई वॉशरीज की समय रेखा" विषय पर सम्प्रेषण जारी किया गया जिसकी स्थिति यथावत है ।

गैर- उद्धरण:

इसके अलावा, दिनांक 11.01.2018 को नई दिल्ली में सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में वॉशरीज पर एक समीक्षा बैठक हुई थी। समीक्षा बैठक में सचिव (कोयला) ने उल्लेख किया कि "सहायक कंपनियों को अपने संबंधित बोर्ड में वॉशरीज के निर्माण के तरीके (बीओएम/बीओओ/ईपीसी) का निर्णय लेना चाहिए।"

दिनांक 31.01.2018 को एमसीएल बोर्ड ने अपनी 198 वी बैठक में बीओओ अवधारणा से बीओएम अवधारणा में जगन्नाथ और हिंगुला वाशरी की स्थापना के तरीके में बदलाव को मंजूरी दे दी है।

दिनांक 26 मार्च 2018 को बीओएम अवधारणा पर जगन्नाथ वॉशरी (10 एमटीवाई) और हिंगुला वॉशरी (10 एमटीवाई) के लिए निविदा जारी की गई है।

दिनांक 14.03.2018 को लखनपुर में ईब-वैली वॉशरी (10 एमटीवाई) के संबंध में एल -1 बोलीदाता को आश्वासन पत्र (लोओए) जारी किया गया था ।

बसुंधरा वाशरी (10 एमटीवाई) से संबंधित सूचना पत्र 14 मई को में एल-1 बोलीदाता को जारी किया गया था और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरण मंजूरी (ईसी) और वन निकासी (एफसी) की प्राप्ति के बाद एल-1 बोलीदाता को पुरस्कार पत्र (एलओए) जारी किया जाएगा।

चरण-1 के अतिरिक्त एमसीएल तीन और वाशरीज अर्थात लखनपुर वॉशरी (20 एमटीवाई क्षमता), गर्जनबहाल वॉशरी (10 एमटीवाई क्षमता) और सिमरल वॉशरी (40 एमटीवाई क्षमता) स्थापित करने की योजना बना रहा है।

चरण-1 के तहत इन चार वाशरीज की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार से दी गई है ।

(क) बीओएम अवधारणा पर लखनपुर में ईब-वैली वॉशरी (10 एमटीवाई क्षमता):

1. मई-2015 में निविदा जारी की गई थी।
2. 12/09/2016 को निम्नतम बोलीदाता, मैसर्स ग्लोबल कोल एंड माइनिंग प्राइवेट को सूचना पत्र जारी किया गया था ।
3. ईसी (दिनांक 30/03/2017) 31/03/2017 को प्राप्त हुआ। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से ईसी की कुछ विशिष्ट स्थितियों में संशोधन की मांग की गई। 15.06.2017 की संशोधित पर्यावरण मंजूरी (ईसी) 26.07.2017 को प्राप्त हुई।
4. 01.07.2017 से प्रभावी वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए, एल-1 बोलीदाता ने परियोजना पूंजी लागत और परिचालन लागत के अंतिम संशोधित प्राइस ब्रेक-उप मूल्य (उद्धृत मूल्य पर जीएसटी के प्रभाव और एंटी-प्रॉफिटिंग प्रावधानों के प्रभाव पर विचार करते हुए) को फरवरी 2018 में क्रमश: 08/01/2018 और 22/01/2018 को एमसीएल की सक्षम प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया था।
5. 14/03/2018 को एल -1 बोलीदाता को आश्वासन पत्र (एलओए) जारी किया गया।
6. अनुबंध मई 2018 तक हस्ताक्षर किए जाने का कार्यक्रम है।

(ख) बीओएम अवधारणा पर बसुंधरा वॉशरी (10 एमटीवाई क्षमता) :

1. मई 2013 में निविदा आमंत्रित की गई थी।
2. मई '2014 में "न्यूनतम बोलीदाता" एम / एस एसीबी (इंडिया) लिमिटेड को सूचना पत्र जारी किया गया था।
3. सितंबर 2014 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा संदर्भ शर्तें (TOR) जारी की गई थी।
4. संशोधित संदर्भ शर्तें (TOR) 29.02.2016 को प्राप्त हुआ।
5. 18 जनवरी 2016 को 6.82 हेक्टेयर ठेका भूमि के अधिग्रहण और कब्जे के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया गया। अधिग्रहण अगस्त 2018 तक होने की से आशा की जाती है।
6. 0.85 हेक्टेयर गैर सरकारी वन भूमि का अधिग्रहण और अधिकार अप्रैल -2018 तक होने की उम्मीद है।
7. पर्यावरण मंजूरी के लिए ईएसी बैठक 28.02.2017 को आयोजित की गई थी। बैठक के मिनट 10.03.17 को प्राप्त हुए। ईएसी ने बसुंधरा (पूर्व) ओसीपी के लिए खान बंद करने की स्थिति रिपोर्ट जमा करने की सिफारिश की है। एमसीएसआर रिपोर्ट RI-VII, सीएमपीडीआई द्वारा एमसीएल को प्रस्तुत की गई थी। यह रिपोर्ट उचित अनुमोदन के बाद पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड की जानी है।
8. दिनांक 28/02/2017 को 29.41 हेक्टेयर वन भूमि के चरण -1 में एफसी के लिए एफएसी बैठक आयोजित की गई थी। दिनांक17/03/17 को बैठक का कार्यवृत्त अपलोड किया गया था।

30.05.2017 को एफएसी के अवलोकन का अनुपालन डीएफओ, सुंदरगढ़ को प्रस्तुत किया गया था। डीएफओ, सुंदरगढ़ ने आर एंड आर योजना में संशोधन के लिए प्रस्ताव को वापस कर दिया था। 15.06.2017 को संशोधित आर एंड आर योजना अनुमोदन के लिए जिला कलेक्टर, सुंदरगढ़ को प्रस्तुत की गई थी। जिला कलेक्टर, सुंदरगढ़ द्वारा दिनांक 03.01.2017 को प्रस्ताव अनुमोदित किया गया और 05/01/18 को सुंदरगढ़ डीएफओ को भेजा गया था तथा दिनांक 17.02.2018 को अतिरिक्त पीसीसीएफ भुवनेश्वर को सौंप दिया गया था।

9. पर्यावरण मंजूरी, वन निकासी और भूमि के अधिग्रहण (वन भूमि, ठेका भूमि और गैर सरकारी वन भूमि) प्राप्त करने के बाद ही निम्नतम बोलीदाता को आदेश पत्र जारी किया जा सकता है।
10. जुलाई 2018 तक पर्यावरण मंजूरी की उम्मीद है

(ग) <u>बीओएम अवधारणा पर हिंगुला वॉशरी (10 एमटीवाई क्षमता)</u> :

1. 30 अक्तूबर, 2015 को पर्यावरण मंजूरी (EC) प्रदान की गई ।
2. 29 दिसंबर,2015 को स्थापना करने के लिए एसपीसीबी (SPCB) द्वारा सहमति जारी की गई ।
3. एमसीएल के पक्ष में बीओएम (BOM) अवधारणा पर ईसी और सहमति की स्थापना प्राप्त की गई।
4. अनुज्ञा पत्र एम/एस एमआईईएल को 01 जनवरी 2016 को जारी किए गए।
5. मैसर्स एमआईईएल को जारी एलओए दिनांक 03/11/2016 को ने निर्धारित अवधि के भीतर पीएफएस जमा न करने के कारण रद्द कर दिया था और मैसर्स एमआईईएल की बोली जमानत से संबंधी बैंक गारंटी 05/11/2016 को नगद कर ली गई थी।
6. नई निविदा के पाठ्यक्रम बीओएम अवधारणा पर कोयला मंत्रालय के निर्णय के संबंध में कोल इंडिया से निर्देश प्राप्त हुए थे कि "सभी नए प्रस्तावित वाशरीज, जिसके टेंडर को अभी तक है अंतिम रूप दिया जाना शेष है उनका निर्माण बीओओ अवधारणा पर किया जाएँ तथा उसे 28/02/2016 को आयोजित बैठक में एमसीएल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएँ। बीओएम को बीओओ अवधारणा में बदलाव को ध्यान में रखते हुए, एमसीएल बोर्ड ने यह ध्यान दिया कि यह सीआईएल/मंत्रालय के आधार पर किया जा रहा है। तत्पश्चात बीओओ अवधारणा पर हिंगुला वॉशरी (10.0 एमटीआई),एमसीएल की स्थापना के लिए पूर्व निविदा गतिविधियां शुरू की गई थी तथा बोली दस्तावेज की तैयारी अंतिम चरण में थी।
7. इसके अलावा, दिनांक 11/01/2018 को नई दिल्ली में सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में वॉशरीज पर एक समीक्षा बैठक हुई थी। समीक्षा बैठक में सचिव (कोयला) ने उल्लेख किया कि "सहायक कंपनियों को अपने संबंधित बोर्डों में वॉशरीज के निर्माण के तरीके (बीओएम/ बीओओ/ईपीसी) का निर्णय लेना चाहिए ।"
8. एमसीएल बोर्ड ने दिनांक 31.01.2018 को आयोजित अपनी 198 वीं बैठक में जगन्नाथ वॉशरी और हिंगुला वाशरी की स्थापना के तरीके बीओओ अवधारणा से बीओएम अवधारणा में बदलाव को मंजूरी दे दी ।
9. बीओएम अवधारणा पर हिंगुला वॉशरी (10 एमटीवाई) के लिए 26 मार्च, 2018 को निविदा जारी की गई है।

(घ) बीओ एम अवधारणा पर जगन्नाथ वॉशरी (10 एमटीवाई क्षमता):

1. 31/8/16 की पर्यावरण मंजूरी (ईसी) दिनांक 05/09/16 को प्राप्त हुई। कुछ विशिष्ट स्थितियों में संशोधन की आवश्यकता है । पर्यावरण मंजूरी में संशोधन के लिए 27/12/16 को आयोजित ईएसी बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार समिति ने 31 अगस्त 2016 की पर्यावरण मंजूरी पर जैसा कि परियोजना समर्थक द्वारा अनुरोध किया गया है, पर्यावरण मंजूरी में संशोधन की सिफारिश की। संशोधित पर्यावरण मंजूरी अब तक प्रतीक्षा है।
2. दिनांक 30/11/2016 को 22/10/16 को स्थापित करने की सहमति।
3. बीओएम अवधारणा पर एमसीएल के पक्ष में स्थापित करने के लिए पर्यावरण मंजूरी और सहमति दोनों को प्राप्त किया गया।
4. 15 जून, 2015 को जारी ई-निविदा को अनिवार्य पुष्टि दस्तावेजों को जमा न करने के कारण एल-1 बोलीदाता का प्रस्ताव अस्वीकार करने के कारण रद्द कर दिया गया था। 06/10/16 का निरसती आदेश 07/10/16 को अपलोड किया गया था ।
5. एल -1 बोलीदाता ने माननीय उच्च न्यायालय, कटक, उड़ीसा में निविदा रद्द करने को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका दायर की है। माननीय उच्च न्यायालय ने 21/06/2017 में रिट याचिका खारिज कर दी और एल -1 बोलीदाता की बोली सुरक्षा के खिलाफ बैंक गारंटी रद्द कर दी गई।
6. बीओएम संकल्पना पर पुन: निविदा के दौरान कोयला मंत्रालय के फैसले के संबंध में सीआईएल से निर्देश प्राप्त हुए कि "सभी नए प्रस्तावित वॉशरीज, जिनके निविदा को अंतिम रूप दिया जाना है, को बीओओ (बिल्ड-ओन-ऑपरेटेट) के तहत निर्माण किया जाना चाहिए। तथा इसे 28/02/2016 को आयोजित एमसीएल बोर्ड की बैठक में रखा गया था। बीओएम से बीओओ अवधारणा में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए एमसीएल बोर्ड ने सूचित किया कि यह सीआईएल/मंत्रालय के उदाहरण पर किया जा रहा है। इसके बाद बीओओ अवधारणा पर जगन्नाथ वॉशरी (10.0 एमटीआई),एमसीएल की स्थापना के लिए पूर्व निविदा गतिविधियां शुरू की गई और बोली दस्तावेज की तैयारी अंतिम चरण में थी।
7. इसके अलावा दिनांक 11.01.2018 को नई दिल्ली में सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में वॉशरीज पर एक समीक्षा बैठक हुई थी। समीक्षा बैठक में सचिव (कोयला) ने उल्लेख किया कि "सहायक कंपनियों को अपने संबंधित बोर्डों में वॉशरीज के निर्माण के तरीके (बीओएम / बीओओ / ईपीसी) का निर्णय लेना चाहिए।"
8. एमसीएल बोर्ड ने दिनांक 31.01.2018 को आयोजित अपनी 198 वीं बैठक में जगन्नाथ वॉशरी और हिंगुला वाशरी की स्थापना के तरीके बीओओ अवधारणा से बीओएम अवधारणा में बदलाव को मंजूरी दे दी ।
9. बीओएम अवधारणा पर हिंगुला वॉशरी (10 एमटीवाई) के लिए 26 मार्च, 2018 को निविदा जारी की गई है।

17. भूवैज्ञानिक अन्वेषण:

विवरण		2017-18	
सीआईएल ब्लॉक में (एम सी एल क्षेत्र मे) कुल ड्रीलिंग (मी.)		लक्ष्य	वास्तविक
	विभागीय	15500	15448
	बाहयस्रोत	16500	28907
	कुल	32000	44355
कोयला भंडार (सी.आई.एल ब्लॉक के (एम सी एल क्षेत्र मे) मि.टन में	साबित	तालचेर कोयलांचल	ईब-वैली कोयलांचल
	सूचित	10867.224	9212.817
	अनुमानित	4966.694	5154.010
	कुल	16334.368	15898.460

18. पर्यावरण प्रबंधन

18.1 सीएसआर एवं स्थिरता पर प्रतिवेदन का प्रकाशन:

एमसीएल, 2011-12 से सीएसआर और स्थिरता पर वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित करता रहा है। अब तक एम.सी.एल ने पांच प्रतिवेदन प्रकाशित कर चुका है। स्थिरता रिपोर्टिंग में हमारा क्रमिक विकास समकक्षों की तुलना में लाभ में मानक बेंचमार्क पर्यावरण एवं समाज हेतु वचनबद्धता को पूरा करने में मदद करता है। हम मूलभुत मुद्दों पर स्टेक होल्डर्स की स्थिरता समाप्ति प्रक्रिया जारी रखना चाहते हैं। 2016-17 की रिपोर्ट खनन और धातु आपूर्ति क्षेत्र के साथ कोर मानदंड के अनुसार जीआरआई जी 4 के साथ संबद्ध की जाएगी और वह प्रगति है।

18.2 वैधानिक मंजूरी एवं अनुपालन

18.2.1 मंजूरी:

18.2.1.1 वन मंजूरी (एफ.सी)

वन अधिनियम (संरक्षण), 1980 एवं संशोधन तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु, परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार गैर वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि का उपयोग करने के लिए-वन मंजूरी की आवश्यकता है। तदनुसार एम.सी.एल ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में चरण-I एवं चरण-II प्राप्त किए हैं।

क़. चरण-I में वन मंजूरी

क्र	परियोजना का नाम	वन क्षेत्र (हेक्टेयर मे)	पत्र क्रमांक और तारीख
1	विस्तारित अनंता खुली खदान परियोजना	240.672	वन.सं-8-37/2015-एफ.सी, दिनांक-11.09.2017
2	गर्जनबहाल खुली खदान परियोजना	88.899	वन.सं-8-/11/2015-एफ.सी, दिनांक-11.09.2017

ख. चरण-II वन मंजूरी

क्र	परियोजना का नाम	वन क्षेत्र (हेक्टेयर मे)	पत्र क्रमांक और तारीख
1	हिंगुला खुली खदान परियोजना	440.53	वन सं-8-69/2014-एफ.सी दिनांक: 19.01.2018
2	गर्जनबहाल खुली खदान परियोजना	88.899	वन सं-8-11/2015-एफ.सी दिनांक: 06.03.2018

18.2.1.2 पर्यावरण मंजूरी (ई.सी):

ई.आई.ए अधिसूचना 2006 (पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित) के अनुसार किसी भी खदान के संचालन या विस्तार/वृद्धि किए जाने के पूर्व पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पर्यावरण संबंधी मंजूरी (ई.सी) जरुरी है। तदनुसार एम.सी.एल सभी खानों के लिए नियमित रुप से आवेदन कर पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त टी.ओ.आर. एवं पर्यावरण मंजूरी निम्न तालिका में दी गई है।

क. **वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त टी.ओ.आर.**

क्रमांक	परियोजना का नाम	क्षमता (मिलियन टन)	पत्र संख्या तथा दिनांक
1.	विस्तारित कुलड़ा खुली खदान परियोजना	10.0 से 15.0	J-11015/10/1995-IA-II(M)part दिनांक: 18/05/17
2.	विस्तारित जगन्नाथ खुली खदान	6.0 to 7.5	J-11015/177/2005-IA-II(M)pt दिनांक: 16/08/17 (ToR) and दिनांक: 28/12/17 (टी.ओ.आर. में संशोधन)
3.	विस्तारित बसुंधरा (पश्चिम) खुली खदान परियोजना	8.75	J-11015/26/2007-IA-II(M) दिनांक: 02/02/18

ख.) वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त पर्यावरण मंजूरी

क्र.	परियोजना का नाम	क्षमता (मिलियन टन)	पत्र संख्या तथा दिनांक
1.	विस्तारित कनिहा खुली खदान	10 to 14.0	J-11015/134/2007-IA-II(M)ptदिनांक: 17/07/17
2.	गर्जनबहाल खुली खदान परियोजना	13.0	J-11015/159/2015-IA-II(M)ptदिनांक: 09/11/17
3.	विस्तारित अनंता खुली खदान परियोजना चरण-III (पर्यावरण मंजूरी में संशोधन)	12.0 to 20.0	J-11015/397/2008-IA-II(M) दिनांक: 16/02/18
4.	विस्तारित भूवनेश्वरी खुली खदान	25.0 to 28.0	J-11015/397/2008-IA-II(M) दिनांक:16/02/18 (दिसम्बर, 2018 के पूर्व ई.ए.सी. द्वारा किये जा रहे पर्यावरण मंजूरी की समीक्षा)
5.	लखनपुर खुली खदान (चरण-II)	18.75 to 21.0	J-11015/391/2012-IA-II(M) दिनांक- 28/02/18 (दिसम्बर, 2018 के पूर्व ई.ए.सी. द्वारा किये जा रहे पर्यावरण मंजूरी की समीक्षा)
6.	विस्तारित कुलडा खुली खदान परियोजना	10.0 to 14.0	J-11015/10/1995-IA-II(M) Dtd: 22/03/18 दिनांक 28/03/18 को प्राप्त स्पष्टीकरण की वैधता दिसम्बर, 2018 के पूर्व ई.ए.सी. द्वारा किये जा रहे पर्यावरण मंजूरी की समीक्षा)

(ग) एमसीएल के खानों के लिए उपलब्ध कुल पर्यावरण मंजूरी (मि.टन)

क्र. सं.	विवरण	तालचेर कोलफील्ड्स	ईब वैली कोलफील्ड्स	कुल
1	दिनांक:31.03.2017 तक उपलब्ध पर्यावरण मंजूरी	124.60	68.26	192.86
2	वर्ष 2017-18 के लिए पर्यावरणीय अनुदान (अतिरिक्त क्षमता)	7.00	19.25	26.25
3	दिनांक-01.04.2018 को तक उपलब्ध कुल पर्यावरण मंजूरी	131.60	87.51	219.11

18.2.3 वैधानिक अनुपालन

- एमसीएल के सभी संचालित खानों और एक रेलवे साइडिंग के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ओड़िशा सरकार से “संचालन की सहमति प्राप्त की गई ।
- खनन के संचालन के कारण भूजल की गुणवत्ता और अस्थिरता की नियमित निगरानी के लिए 40 नेटवर्क का पाइजोमीटर एवं बोरवेल स्थापित किए जा रहे हैं।
- एस.पी.सी.बी, ओड़िशा सरकार से प्राप्त खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ के अंतर्गत नियम, 2016 के तहत सभी संचालित खानों को ‘प्राधिकार’ प्राप्त हैं। उपयोग के लिए बैटरी तथा अपशिष्ट से निष्काशित ऑयल व ग्रीस की अधिकृत पुन: प्रोसेस करने हेतु निलाम किया जाता है। कानून अनुसार बैटरियों के लिए अर्धवार्षिक विवरणी एवं अपशिष्ट पदार्थों के वार्षिक विवरणी एस.पी.सी.बी, ओड़िशा सरकार को प्रस्तुत की जा चुकी हैं।
- वर्ष के दौरान प्रत्येक 22 संचालित खानों के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के अंतर्गत फॉम-v में पर्यावरण विवरण के प्रस्तुतीकरण के लिए अधिकारियों के बहु अनुशासनिक टीम द्वारा पर्यावरण लेखा परीक्षा आयोजित की गई। सभी 22 संचालित खानों के लिए कथित दिनांक 14.09.17 के पत्र अनुसार एस.पी.सी.बी को जमा की गई थी।
- **खदान जल का उपयोग:**

– प्रयोगविहिन क्वारी में खुली खदान का अतिरिक्त संग्रहीत जल का उपयोग एच.ई.एम.एम की धुलाई, धुल के शमन, अग्निशमन, जलवाही स्तर को रिचार्ज करने के लिए किया जाता है।

– समुदाय के पीने एवं कृषि आदि के लिए भूमिगत जल की आपूर्ति की जाती है। (209.076 लाख क्यूबिक मीटर जिसमें प्रति वर्ष 85.80 लाख क्यूबिक मीटर जल पीने के लिए उपलब्ध कराई जाती है)।

– पानी बाहर छोड़ा नहीं गया है। (शून्य द्रव निकासी)।

– वर्ष 2017-18 के दौरान एम.सी.एल के 24 खदानों के लिए संबलपुर विश्वविद्यालय द्वारा मोबाइल ऐप “कोलजल” में प्रस्तुत खान जल उपयोग डेटा को मंजूरी दी है।

- ई.आई.ए अधिसूचना 2006 के तहत पर्यावरण मंजूरी प्राप्त सभी परिचालित खदानों में पर्यावरण मंजूरी शर्तों के अनुपालन की छमाही रिपोर्ट 2017-18 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पूर्वी क्षेत्र कार्यालय, भुवनेश्वर एवं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, दिल्ली को प्रतुत की गई थी।

- 11 की संख्या में परिवेश वायु शीतलन स्टेशन की खरीद एवं स्थापना हेतु सी.एम.पी.डी.आई, आर.आई-VII को दिनांक 16.03.18 को कार्य आदेश जारी किए गए।

18.3 पर्यावरण रक्षा व सुधार के लिए किए गए उपाय:

18.3.1 वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय:

पर्यावरण के प्रति कंपनी की चिंता को ध्यान में रखते हुए वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए काफी लंबे समय से प्रक्रियाएं प्रारंभ की गई तथा इसके बहुत उपाय किए गए हैं जिनमें से कुछ को निम्नानुसार रेखांकित किया गया है।

- एमसीएल ने पर्यावरण हितैषी सरफेस माइनर टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कोयला उत्पादन में निरंतर वृद्धि की जा रही है (1999-2000 में 4.2 प्रतिशत से 2017-18 में 92.17 प्रतिशत)। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान सरफेस माइनर के माध्यम से कोयला उत्पादन की जानकारी नीचे सारणीबद्ध है।

कुल कोयला उत्पादन (मि.टन)	खुली खदान द्वारा कोयला उत्पादन(मि.टन)	सरफेस माइनर द्वारा कोयला उत्पादन	
		मि.टन	%
143.058	142.017	130.892	92.17

- वर्ष 2017-18 में लगभग 74.82% कोयला परिवहन पर्यावरण के अनुकुल अंत:स्थलीय परिवहन प्रणाली द्वारा किया गया है अर्थात रेल, बेल्ट एवं एम.जी.आर एवं सड़क के माध्यम से प्रेषण केवल 25.18% है (वर्ष 2016-17 के दौरान यह प्रेषण 26.72% था)। रेल में प्रत्येक रेक की क्षमता लगभग 3800 टन है जो 240 ट्रक के समान है जिसमें 15-16 टन कोयला लेने की क्षमता है।
- रेक लोडिंग सुविधा और रेल विनिर्माण को बढ़ाया/सुधार और सुदृढ़ किया जा रहा है, वर्तमान में कोयला 21 साईडिंग और 3 एमजीआर के माध्यम से भेजा जाता है। रैक की औसत संख्या 65 रेक प्रति दिन है। बलराम खुली खदान परियोजना में रेलवे साइडिंग 10 का निर्माण प्रगति पर है।
- एम.सी.एल के सभी प्रमुख खुली खदान में कोयले के प्रेषण को व्यवस्थित करने के लिए सी.एच.पी/एस.आई.एल.ओ का निर्माण कार्य निष्पादन/निविदा/योजना को अंतिम रुप देने के विभिन्न चरण में है।

क्र.	सी.एच.पी/एस.आई.एल.ओ विवरण	क्षमता(मि.टन)	दिनांक 01.04.2018 तक की स्थिति
1	भरतपुर साइडिंग में कोल संचालन, सन्यंत्र एवं एस.आई.एल.ओ लोडिंग व्यवस्था।	15	परियोजना की प्रगति कुल मिलाकर 99.80% है जो अप्रैल 2018 तक पूरा होना अपेक्षित है।
2	लिंगराज खुली खदान परियोजना में कोयला परिवहन एवं एस.आई.एल.ओ लोडिंग व्यवस्था।	16	कार्य प्रगति पर एवं कुल मिलाकर प्रगति 99% है। जून 2018 तक परियोजना का पूरा होना अपेक्षित है।
3	जगन्नाथ वॉशरी के माध्यम से स्पर साइडिंग- III के समीप भुवनेश्वरी खुली खदान परियोजना से एस.आई.एल.ओ तक कच्चा कोयला का परिवहन।	10	परियोजना की कुल प्रगति 17.26% है जो सितम्बर 2019 तक पूरा होना अपेक्षित है।
4	बलराम साइडिंग, हिंगुला क्षेत्र में हिंगुला वॉशरी को प्रस्तावित कनवेयर पाइप के द्वारा हिंगुला खुली खदान परियोजना से एस.आई.एल.ओ तक कोयला परिवहं।	10	परियोजना की कुल प्रगति 8.20% है जो जुलाई 2019 तक पूरा होना अपेक्षित है।
5	लखनपुर में ईब-वैली वॉशरी को कच्चा कोयला आपूर्ति हेतु एस.आई.एल.ओ के साथ कोयला संचालन सन्यंत्र एवं लोडिंग।	10	निविदा प्रक्रिया के अंतर्गत है एवं अप्रैल 2018 तक पूर्ण होना अपेक्षित है।

- खनन गतिविधियों से होने वाली प्रदुषण को नियंत्रित करने के लिए खदानों में विभिन्न क्षमता के 103 विभागीय एवं संविदात्मक गतिशील जल टैंकर उपलब्ध कराई गई है।
- आवासीय क्षेत्रों, स्कूलों एवं अन्य क्षेत्रों को छोड़कर कोयला परिवहन के लिए अलग से एक गलियारी का निर्माण किया गया है:
  - o टी.सी.एफ में कोयला परिवहन गलियारी की लंबाई 20.99 कि.मी एवं आई.बी.सी.एफ में 17.03 कि.मी है।
  - o ईब कोयलांचल: ओरियंट क्षेत्र में कार्य आदेश जारी किया जा चुका है एवं ईब-वैली क्षेत्र में निविदा उसके अंतिम चरण में है।
  - o तालचेर कोयलांचल: अनुबंध निष्पादित किया जा चुका है एवं कार्य अपनी प्रगति पर है।
- पहले चरण में 35% राख सामग्री से कम राख के कोयले को प्राप्त करने के लिए कोयला धुलाई हेतु 10 मिलियन टन क्षमता की चार कोल वॉसरी बनाई गई हैं। पर्यावरण मंज़ूरी एवं वन मंज़ूरी की स्थिति नीचे दी गई है।

क्रमांक	वॉशरी का नाम	पर्यावरण एवं वन मंज़ूरी की स्थिति
1	हिंगुला वॉशरी	ई.सी से प्राप्त पत्र सं. J-11015/67/2013-IA-II(M)दिनांक-28/10/2015
2	जगन्नाथ वॉशरी	ई.सी से प्राप्त पत्र सं. J-11015/203/2015-IA-II(M)दिनांक-31/08/2016 एवं ई.सी में संशोधन दिनांक.15/02/2017
3	ईब वैली वॉशरी	ई.सी से प्राप्त पत्र सं. J-11015/171/2015-IA-II(M)Dt.30/03/2017 एवं ई.सी में संशोधन दिनांक.15/06/2017
4	बसुंधरा वॉशरी	वन एवं पर्यावरण मंज़ूरी प्रगति पर है।

- कोलफील्ड्स में खनन लीज से बाहर के कोयला परिवहन सड़कों में धूल प्रदूषण नियंत्रण के लिए 12 के.एल. क्षमता के चलित जलवाहक नियोजित किए गए है ।
- सभी रेलवे साइडिंग में वैगन लोडिंग के दौरान धूल प्रदूषण नियंत्रण के लिए अचल फुहारे लगाए गए हैं । चलित पानी टैंकर भी उपलब्ध किए गए है ।
- कोल हैंडलिंग संयंत्र में धूल प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु मिस्टर्स ,अचल फुहारे तथा मोबाइल जलवाहक उपलब्ध हैं। तथापि काफी नगण्य पारंपरिक कोयला उत्पादन(8.19% मात्र) और सीएचपी में क्रशिंग की आवश्यकता में कमी के करण सीएचपी से धुल उत्सर्जन में काफी कमी आई है ।
- इस वर्ष के दौरान पक्की तथा कच्ची ब्लैक टोपिंग सड़कों का रख रखाव तथा उसकी-सृढ़िकरण का कार्य संपन्न किया गया ।
- सभी कोयला लोडेड ट्रक खान क्षेत्र को छोड़ने से पहले तिरपाल से ढके हुए होते हैं।
- मानवीय सफाई और छलकाव और कोयला परिवहन सड़कों पर धूल का संग्रहण।
- तालचेर और ईब वैली कोयलांचल में पक्के कोयला परिवहन सड़कों को झाड़ने तथा कोयले के चूर्ण और धूल को संग्रहण के लिए निर्वात प्रचालित मैकेनिकल रोड स्वीपर में तीन हेवी ड्यूटी ट्रक कार्यरत हैं।

- सभी ड्रील धूल निकासी एवं वेट ड्रीलिंग सिस्टम से युक्त हैं।
- वित्तीय वर्ष में धुल के शमक़्न हेतु प्रत्येक क्षेत्र में 10 मिस्ट ब्लॉवर सह रोड फोगर की स्थापना की जाएगी।
- आवासीय क्षेत्रों और बुनियादी ढांचे सहित खान के बीच ग्रीन बेल्ट को विकसित करना जारी रखा गया है।

18.3.2 जल संसाधन प्रबंधन के लिए कार्यनीति:

- वित्तीय वर्ष 2017-18 में एम.सी.एल के सभी खानों ने "शून्य निर्वहन" प्राप्त किया है।
- खनन कार्य के कारण अन्य बोर कुओं के साथ-साथ भूजल की गुणवत्ता और अस्थिरता की नियमित निगरानी 40 पाइज़ोमीटर लोगों के नेटवर्क के माध्यम से की जा रही है।
- सतह जल की गुणवत्ता और जल प्रवाह की गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जा रही है।
- मृदा जल संरक्षण के लिए बांध का निर्माण किया गया है।
- सतह के प्रवाह के लिए कैच नालियों और गारलैंड नालियों का का निर्माण किया गया है।
- डी-कोल वाइडस का उपयोग वर्षा जल संचयन और जलीय पदार्थ को पुनः चार्ज करने के लिए किया जाता है। माइन सम्प औद्योगिक कार्यों जैसे के लिए पूरे साल में पानी की आपूर्ति, जैसे अग्निशमन, धूल दमन, कार्यशालाओं में वाहन धोने, खनन क्षेत्रों में वृक्षारोपण आदि में जल की आपूर्ति करता है।
- इनमें से कुछ माइन सम्प का उपयोग पानी के शुद्धिकरण के बाद कॉलोनियों में पीने योग्य पानी की आपूर्ति के लिए भी किया जाता है। आसपास के गांव में सिंचाई के प्रयोजनों के लिए इस तरह के पानी की मांग करते हैं।
- ये सम्प भी बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे बरसात के मौसम में सतह के प्रवाह के लिए माध्यम के रूप में कार्य करते हैं।
- भूमिगत जल की रिचार्जिंग के लिए एम.सी.एल में कुल 51 जल संचयन संरचनाएं मौजुद हैं।
- एचईएमएम कार्यशालाओं से निकले प्रवाह को ईटीपी/तेल और ग्रीस ट्रेप में शुद्ध किया जाता है और शुद्ध किए गए पानी का पुन :उपयोग किया जा रहा है।
- स्थानीयकृत अपवाह के शुद्धिकरण के लिए अवशोषण तालाब/खनन जल निकासी उपचार संयंत्र प्रदान किए गए हैं।
- सभी बड़ी कॉलोनियों (9) के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस.टी.पी) उपलब्ध कराए गए हैं। अन्य कॉलोनियों में सीवेज नीकासी हेतु सेप्टिक टैंक की व्यवस्था कि गई है।

18.3.3 ध्वनि एवं भूमि कंपन नियंत्रण उपाय:

- कुल कोयले का 92.17% उत्पादन विस्फोट रहित पर्यावरणीय अनुकूल सरफेस माईनर प्रौद्योगिकी से किया जाता है जिससे आकारित कोयले उत्पादन हेतु ड्रिलिंग, विस्फोटन और सीएचपी प्रचालन हेतु पारंपरिक खनन वांछित होता है, की तुलना में शोर और भूमि कंपन काफी हद तक कम हो जाता है।
- आवासीय क्षेत्रों एवं खानों के बीच ग्रीन बेल्टों का विकास किया गया है तथा वर्ष के दौरान कुछ नए स्थानों पर अवसंरचना का अनुरक्षण भी किया गया।

- शोर शराबे में कार्य करनेवाले कामगारों तथा नए कामगारों को ईयर मफ एवं ईयर प्लगस प्रदान किए गए।
- विस्फोट के लिए नॉन-इलेक्ट्रिक डेटोनेटर्स का प्रयोग किया गया है जिससे शोर तथा कम भूमिगत कंपन होता है।
- सभी एचईएमएम में पर्याप्त शोर के स्तर को कम करनेवाली तकनीक लगाई गई हैं।.

18.3.4 भूमि सुधार एवं वृक्षारोपण:

- सामग्री के पार्श्व-भराव के लिए गैर-कोयलेवाले रिक्त स्थान का प्रयोग किया गया और तत्पश्चात जैविक सुधार प्रक्रिया के रूप में पौध-रोपण किया गया।
- पर्यावरण के प्रति कंपनी की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए खानों में कंपनी ने आवश्यक भौतिक सुधार करने के बाद बैकफील्ड आंतरिक डम्प तथा बाह्य डम्प पर मिश्रित स्वदेशी प्रजातियों पौधे लगाए हैं। स्थापना के बाद से वृक्षारोपण 54.903 लाख है। (टीसीएफ- 22.024 लाख, ईब वैली कोलफील्ड्स -30.345 लाख एवं मुख्यालय एवं भूमि - 2.534 लाख) पौधे लगाए अन्य भूमि एवं खाली पड़े स्थानों पर भी पौधे लगाए गए ।
- वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, पौधों की कुल संख्या 2.707 लाख है (सरकारी भूमि पर लगाए गए पौधों के साथ) एम.सी.सी की निधि से सी.एस.आर के माध्यम से राज्य वन विभाग द्वारा सरकारी भूमि पर लगाए गए पौधों की संख्या 1.70 लाख है। (अनगुल-0.2 लाख, झारगुड़ा-1.0 लाख, चंदका डब्लू एल, भुवनेश्वर-0.5 लाख)।
- वर्ष 2017-18 के दौरान 0.36 लाख से भी अधिक पौधों का वितरण किया गया है।
- पौधों को आवासीय टाउनशिप और कार्यालय परिसर में विशेष रूप से फलदार, फूलों और औषधीय पौधों और पेड़ों को लगाया जाता है।

- **परियोजना हरियाली:**

o इस परियोजना के अंतर्गत एम.सी.एल एवं एम.डी.ओ, मेसर्स भुवनेश्वरी कोल माइनिंग लिमिटेड ने राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान, कटक से परामर्श के पश्चात भुवनेश्वरी खुली खदान परियोजना के 8 एकड़ एवं पुन:प्राप्त भूमि पर धान (सी.आर धान 206 गोपीनाथ) उगाया गया है।

o पहली बार तालचेर कोल्फील्ड्स खदानों में ऐसे भूमि-सुधार आरंभ किया है। इस उदाहरण ने खनन क्षेत्र में पुनर्वास एवं आजीविका का एक उल्लेखनीय उदाहरण स्थापित किया है।

o धान के साथ-साथ, केले, एवं पपीते के भी पौधे लगाए गए हैं।

o धान के खेतों के मेढों पर अरहर दाल के पौधों का रोपण किया गया है।

- राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग एजेंसी द्वारा तैयार रिमोट सेंसिंग डेटा के माध्यम से भूमि सुधार के माध्यम से ईब-वैली एवं तालचेर कोयलांचल दोनों में सी.एम.पी.डी.आई.एल के माध्यम से 16 खुली खदान परियोजना (13 > 5 एमएम^3/ वर्ष और 3 <5 एमएम^3/ वर्ष क्षमता) पर निगरानी चल रही है।

18.3.5 अपशिष्ट प्रबंधन:

- नीलामी में अपशिष्ट पदार्थों (एच.ई.एम.एम से जले हुए तेल एवं इस्तेमाल की गई बैटरियाँ) को पंजीकृत रीसाइक्लिंग एजेंसियों को बेचा गया है।

- वर्ष 2017-18 के दौरान उपयोग की गई 915.25 कि.ली तेल जिनकी कीमत रु 1.76 करोड़ रुपए एवं एसीड बैटरियों की जिनकी कीमत रु 27.08 लाख है उन्हें अधिकृत रिसाइक्लर को बेचा जा चुका है।
- मेडिकल यूनिटों से बायो मेडिकल और अन्य खतरनाक अपशिष्टों का निपटान निर्धारित विधियों/प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाता है।

18.3.6 पर्यावरणीय निगरानी:

- वर्ष के दौरान रु .9.75 करोड़ की अनुमानित लागत पर सीएमपीडीआईएल प्रयोगशालाओं के साथ-साथ वायु, पानी और शोर की नियमित रूप से पर्यावरणीय निगरानी की गई।
- सीपीसीबी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार क्रियाविधि, आवृत्ति, आदि को कड़ाई से बनाए रखा था।
- संविधान के अनुसार एसपीसीबी और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को निगरानी के परिणाम प्रस्तुत किए गए थे। पर्यावरण निगरानी के परिणाम कंपनी के वेबसाइट पर मासिक आधार पर अपलोड किए जाते हैं।

18.4 एमसीएल वेब साइट का प्रकाशन

पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एमसीएल अपनी वेबसाइट www.mahanadicoal.in पर नियमित रूप से निम्नलिखित पर्यावरण सूचना प्रकाशित और अद्यतन कर रहा है।

i. पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और उसके अर्ध-वार्षिक अनुपालन द्वारा जारी पर्यावरण मंजूरी पत्र।
ii. प्रत्येक डायवर्सन परियोजना के लिए पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी वन मंजूरी पत्र।
iii. प्रत्येक परियोजना का संचालन करने के लिए स्थापना की सहमति और संचालन की सहमति।
iv. एस.पी.सी.बी द्वारा जारी प्रत्येक परियोजना का खतरनाक अपशिष्ट प्राधिकरण ।
v. एमसीएल के सभी संचालित खानों का पर्यावरणीय विवरण।
vi. वार्षिक सीएसआर और स्थिरता रिपोर्ट।
vii. पर्यावरणीय निगरानी रिपोर्ट की वार्षिक और मासिक रूटीन ।
viii. सेटलाइट डेटा पर आधारित भूमि उपयोग योजना पर रिपोर्ट्।

18.5 वर्ष 2017-18 के लिए खदान बंदी प्रकोष्ठ की गतिविधियाँ:

- दिनांक 31.03.2018 में एम.सी.एल के एसक्रो (Escrow) लेखा में जमा निधि की कुल राशि रु 10,29,83,006.00 है एवं शेष रु 834,81,40,944.00 है।
- खदान बंदी की गतिविधियों के प्रथम चरण के अंतर्गत भुवनेश्वरी खुली खदान परियोजना, जगन्नाथ क्षेत्र के एसक्रो(Escrow) लेखा से रु 192.52 लाख के दावे की प्रतिपूर्ति सी.सी.ओ कोलकाता को प्रस्तुत की जा चुकी है।
- तीसरी पार्टी द्वारा लेखा परीक्षा के लिए निम्नलिखित परियोजना के एसक्रो (Escrow) लेखा से प्रतिपूर्ति दावा की फाइल सी.एम.पी.डी.आई, आर.आइ-VII, भुवनेश्वर को प्रस्तुत की जा चुकी है।

क्रमांक.#	खान का नाम	* एम.सी.पी गतिविधियों का प्रगतिशील चरण	दावा राशि लाख रुपए में
1	भुवनेश्वरी खुली खदान परियोजना	चरण-2	2595.47
2	समलेश्वरी खुली खदान परियोजना	चरण -1 चरण -2	2527.296 4102.784
3	जगन्नाथ खुली खदान परियोजना	चरण -1 चरण -2	1684.00 2083.850
4	लखनपुर खुली खदान परियोजना	चरण -1	4194.00
5	बेलपहाड़ खुली खदान परियोजना	चरण -1	2377.764
6	लिलारि खदान परियोजना	चरण -1	1682.605
7	तालचेर कोलियारी भूमिगत खदान	चरण -1	67.528
8	नंदिरा भूमिगत खदान	चरण -1	79.40

*दिए गए चरण, पांच साल को इंगित करता है।

19. <u>बिक्री और विपणन कार्यप्रणाली</u>

एम.सी.एल ने वर्ष 2017-18 के दौरान 138.267 मि.टन के ऑफ-टेक का लक्ष्य प्राप्त किया है यह बढ़ोत्तरी बंद तथा राज्य सरकार द्वारा गर्मी के दिनों में कोयले परिवहन पर लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद है।

19.1. मांग एवं ऑफ-टेक:

वर्ष 2017-18 के दौरान 138.267 मि.टन लक्ष्य की तुलना में 150 मि.टन ऑफ-टेक किया गया है जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 92.2% है जिस पर 4.7 मि.टन की वृद्धि हुई है। 2017-18 के दौरान क्षेत्रवार प्रेषण नीचे दिए गए हैं।

(आंकड़े मि.टन में)

क्षेत्र	2017-18			2016-17
	लक्ष्य	वास्तविक	% प्राप्ति	वास्तविक
विद्युत	105.433	99.274	87.05	98.550
सीमेंट	0.260	0.186	85.66	0.257
सीपीपी और अन्य	44.307	38.802	82.63	44.200
कोलियरी में सेवन	0	0.005	-	0.005
कुल	150	138.267	85.6	143.012

फोर्स मेजर के कारण वर्ष 2017-18 के दौरान कोयला ऑफ टेक में आई कमी का विवरण नीचे दिया गया है :

(आंकड़े मि.टन में)

परियोजना का नाम / ब्यौरा	2016-17			फोर्स मेजर के कारण वास्तविक हानि	अभियुक्ति
	एमओयू लक्ष्य	वास्तविक	अंतर		
कनिहा ओसीपी	10.000	8.038	1.962	1.962	समर्पित एमजीआर के माध्यम से एनटीपीसी कनिहा द्वारा कम कोयला उठाव। गर्मी के मौसम में दिन के समय परिवहन पर राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण कम प्रेषण। तालचेर कोलफील्ड्स में स्थानीय आंदोलन/हड़ताल के कारण कोयले का कम प्रेषण। 2 महीने से कुलदा खदान में एवं 10 दिनों से लखनपुर खदान में ई.सी की गैर उपलब्धता।
लिंगराज ओसीपी	15.000	13.640	1.360	1.360	
भरतपुर ओसीपी	13.650	9.435	4.215	4.215	
अनंता ओसीपी	19.000	16.841	2.159	2.159	
रेलवे रेकों की संख्या में कमी के कारण प्रेषण में कमी	70.10 (रेक/दिन)	65.2 (रेक/दिन)	4.9 (रेक/दिन)	6.86	1रेक= 1.4 मि.टन/वर्ष

वर्ष 2016-17 के दौरान प्रकृतिक आपदा के कारण ऑफ-टेक के कुल हानि 16.556 मि.टन है लेकिन प्रभावी हानि 11.73**3** मि.टन था क्योंकि अन्य खदानों ने ज्यादा प्रेषण किया है।

19.2. वैगन लोडिंग

वर्ष 2017-18 में 66.3.2 रेक प्रति वर्ष के स्थान पर 65.2 रेक प्रति वर्ष की औसत दैनिक वैगन लोडिंग हुई है। गत वर्ष की तुलना में वेगन लोडिंग में 1.1 रेक/दिन अर्थात 1.8% की वृद्धि हुई है। क्षेत्रवार लक्ष्य एवं लोडिंग नीचे दिया गया है।

(आंकड़े रेक/दिन में)

क्षेत्र	2016-17			2015-16
	लक्ष्य	आपूर्ति	लोडिंग	वास्तविक
ईब वैली	32.99	30.0	30.0	30.9
तालचेर	37.11	35.2	35.2	35.3
कुल	70.10	65.2	65.2	66.2

19.3. ई :नीलामी-

एम.सी.एल ने वर्ष 2017-18 में स्पाट फारवर्ड ई-नीलामी के तहत 16.398 मिलियन टन उपलब्ध कराया है जिसके जवाब में बोलीदाताओं ने 15.541 मिलियन टन की बुकिंग की है जिससे अधिसूचित मूल्य पर रु 1214.5 कोरोड़ प्रीमियम वसूली हुई है।

19.4. ईंधन आपूर्ति समझौता :(एफएसए)

वर्ष 2017-18 के दौरान एमसीएल ने 50 उपभोक्ताओं के साथ एक एफएसए हस्ताक्षर किया गया।

20. <u>कोयले की गुणवत्ता में सुधार</u>

उपभोक्ता की संतुष्टि के लिए उपभोक्ता साथ ही भिन्न पॉवर हाउस को सही आकार एवं गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति के लिए एम.सी.एल ने कई उपाए किए हैं। वर्ष के दौरान सही गुणवत्ता एवं आकार के कोयलों के प्रेषण हेतु भी कई कदम उठाए हैं।

कंपनी द्वारा गुणवत्ता सुधार एवं ग्राहकों की संतुष्टि के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं-:

1. ग्राहकों की संतुष्टि में सुधार करने के लिए विभिन्न उपभोक्ताओं के साथ सतत् संवाद स्थापित किया गया है।
2. उपभोक्ताओं को साईडिंग पर कोल लोडिंग व्यवस्था साथ ही कोयला विश्लेषण प्रयोगशाला का व्यक्तिगत तौर पर निरीक्षण एवं जांच करने के लिए प्रोत्साहित किया है।
3. उन मुख्य सभी साइडिंग्स, जहां से ज्यादातर उपभोक्ताओं और कोर सेक्टर के उद्योगों को काफी मात्रा में कोयला भेजा जाता है, को नोडल अधिकारियों के सीधे निरीक्षण के अंतर्गत रखा गया है।
4. प्रमुख व मामुली शिकायतों की प्राप्ति पश्चात इनकी जांच की जाएगी एवं इसके परिणाम संबंधित उपभोक्ता को दिखाई जाएगी तथा इस संबंध में संबंधित क्षेत्रों द्वारा सुधारात्मक उपाय लिए जाएंगें।
5. सभी उपभोक्ताओं को सुनिश्चित गुणवत्ता का कोयला प्रेषित करने के संबंध में गुणवत्ता नियंत्रण विभाग द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर सभी रेलवे साइडिंग का सतत निरीक्षण किया जाता है।
6. प्रेषित कोयले की उपयुक्त गुणवत्ता एवं मात्रा सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण विभाग के अधिकारियों की टीम द्वारा विभिन्न स्थलों का औचक निरीक्षण किया जाता है।
7. गुणवत्ता नियंत्रण विभाग द्वारा कार्य, साइडिंग एवं विश्लेषण प्रयोगशालाओं का नियमित तौर पर निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण के दौरान असंगति अथवा दोष पाए जाने की सूचना क्षेत्र के संबंधित मुख्य महाप्रबंधकों को सुधारात्मक उपाय करने के लिए दी जाती है।
8. तृणमूल स्तर पर गुणवत्ता के बारी में जागरुकता पैदा करने के लिए सभी क्षेत्रों में जनवरी 2018 से मार्च 2018 तक "गुणवत्ता ड्राईव" मनाया गया ।
9. बेहतर पारदर्शिता और उपभोक्ता संतोष के लिए सी.आई.एम.एफ.आर को सी.पी.पी जैसे आई.पी.पी और बिजली उपयोगिता उपभोक्ताओं और गैर-विनियमित क्षेत्र में आपूर्ति की जाने वाले कोयले के संग्रह और विश्लेषण के लिए एम.ओ.सी/सी.आई.एल के निर्देशों के आधार पर स्वतंत्र तृतीय पक्ष नमूनाकरण एजेंसी के रुप में तैनात किया गया है। गैर नियमित क्षेत्र जैसे सी.पी.पी, स्पंज एवं सीमेंट क्षेत्र आदि, लिंकेज नीलामी, अन्य ई-नीलामी योजना भारत की गुणवत्ता परिषद द्वारा तीसरी पार्टी के लिए कवर किया गया है।

10. विभिन्न क्षेत्रों जैसे ईब-वैली, लखंपुर,ओरियंट, बसुंधरा, जगन्नाथ, लिंगराज, भरतपुर, हिंगुला, तालचेर एवं कनिहा में कुल 10 कोयला विश्लेषण प्रयोगशालाएं हैं। 2017-18 से पहले ईब-वैली, भरतपुर एवं जगन्नाथ क्षेत्र के तीन कोयला विश्लेषण प्रयोगशालाओं को एन.बी.पी.एल मान्यता प्राप्त है। वर्ष 2017-18 के दौरान हिंगुला एवं कनिहा क्षेत्र के कोयला विश्लेषण प्रयोगशालाओं को एन.बी.पी.एल मान्यता प्रमाणपत्र दिए गए। चरण अनुसार बाकी बचे क्षेत्रों के लिए एन.बी.पी.एल मान्यता हेतु आवश्यक कदम उठाए गए हैं।
11. इस वर्ष के दौरान कोयले के खनन के लिये चयनित खनन प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, तदानुसार लखनपुर खुली खदान परियोजना, बेलपहाड़ खुली खदान परियोजना, लिंगराज खुली खदान परियोजना, भरतपुर खुली खदान परियोजना, बलराम खुली खदान परियोजना, हिंगुला खुली खदान परियोजना, बसुंधरा (पश्चिम), कुलदा खुली खदान परियोजना, समलेश्वरी खुली खदान परियोजना, अनंता खुली खदान परियोजना, भुवनेश्वरी खुली खदान परियोजना एवं कनिहा खुली खदान परियोजना में गत वर्ष 2016-17 में 15 की जगह इस वर्ष कुल 19 की संख्या में विभागीय सरफेस माइनर लगाए गए हैं ।
12. सरफेस माइनरों का प्रयोग करते हुए कोल सीम से बेकार पदार्थों को दूर किया जाता है जिससे कोयले की गुणवत्ता बनाए रखने में सहायता मिलती है।
13. उपभोक्ताओं को 100 एम.एम आकार का कोयला प्रदान करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए गए हैं। इसके लिए रेल, बेल्ट एवं एम.जी.आर द्वारा भेजे गए कोयले को सी.एच.पी एवं फीडर ब्रेकर्स द्वारा तोड़ा गया।
14. गुणवत्ता के संबंध में उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी तथा पारदर्शिता के उद्देश्यार्थ साईडिंग/लोडिंग केंद्रों पर बाउंड पृष्ठ रजिस्टर रखा गया है, जिसमें लोडिंग के समय मौजूद उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि गुणवत्ता/आकार एवं सुविधाओं के संबंध में अपनी टिप्पणियां/सुझाव लिखने के लिए स्वतंत्र होते हैं।
15. सी.सी.ओ कोलकाता द्वारा सख्त नमूना प्रक्रिया विधि को अपनाकर तथा आई.आई.टी गुवाहाटी के सद्स्य द्वारा आयोजित वर्ष 2017-18 के लिए सीम, स्टॉक, साइडिंग एवं टिपर नमूनों के संबंध में वार्षिक कोलग्रेड को उपभोक्ताओं की अधिकतम संतुष्टि के रुप में आकलित किया गया है।

21. **सुरक्षा और बचाव**

'सुरक्षित खनन' आपकी कंपनी की मूल क्षमताओं में से एक है जिसे सुरक्षा विधियों और तकनीकों के निरंतर अभ्यास के माध्यम से प्राप्त किया गया है। 'शून्य दुर्घटना' लक्ष्य के साथ आपकी कंपनी नियमित रूप से स्वयं को तैयार करती है योजना बनती है, तथा सज्जित होती है ताकि सर्वोत्तम लक्ष्य हासिल किया जा सके और कर्मचारियों के लिए अधिक उत्पादक करने के लिए प्रेरित बल बन सके।

1. दुर्घटना सांख्यिकी:

क्र.	विवरण	2017-18	2016-17
1	घातक दुर्घटनाओं की संख्या	3	6
2	मृत्यु संख्या	3	6
3	गंभीर दुर्घटनाओं की संख्या	6	8
4	गंभीर चोट की संख्या	6	8
5	मृत्यु दर प्रति मिलियन टन उत्पादन प्रति 3 लाख मैनशिफ्ट	0.021 0.191	0.043 0.379
6	गंभीर चोट की दर प्रति मिलियन टन उत्पादन प्रति 3 लाख मैनशिफ्ट	0.042 0.382	0.057 0.506
7	स्थान-वार मृत्यु यूजी ओसी एजी	0 2 1	1 5 --

2. एमसीएल में सुरक्षा सुधार हेतु उठाए गए कदम:

(i) प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के प्रारंभ में इकाईवार समझौता-ज्ञापन निर्धारित किया जाता है और पूरी कंपनी को खानों में प्रचालन, अनुरक्षण तथा कार्यकारी स्थितियों में सुरक्षा मानकों में सुधार लाया जाता है।

(ii) 15 खुली खदान और 6 भूमिगत खदानों के सभी परिचालनों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा प्रबंधन योजना के विकसित स्वरूप की समीक्षा मई 2017 में पूरी की गई। सभी खानों की सुरक्षा प्रबंधन योजना की लेखा परीक्षा नवंबर 2017 तक पूरी की गई थी। एमसीएल के सभी खानों की लेखा परीक्षित सुरक्षा प्रबंधन योजना को डीजीएमएस को दिसंबर 2017 में सौपा गया।

(iii) समझौता-ज्ञापन लक्ष्यों की अधिप्राप्ति हेतु निर्बाध व कुशल निष्पादन के लिए पर्याप्त सामग्री और आर्थिक संसाधन प्रदान किए गए हैं।

(iv) सभी कर्मचारियों को सुरक्षा साधन जैसे कि हैलमेट, सुरक्षा जूते, फ्लोरोसेंट जैकेट, ईयर मफ, चश्में, दस्ताने आदि प्रदान किए किए जाते हैं ताकि अस्वस्थ और चोट लगने वाली स्थितियों से बचाव हो सके। वर्ष 2017-18 में 41007 जोड़ी माइनिंग जूते, 13606 जोड़ी गमबूट खरीदे गए।

(v) 11वें सुरक्षा सम्मेलन, कोयला खदानों में सुरक्षा पर स्थायी समिति, सीआईएल सुरक्षा बोर्ड, कंपनी स्तर सुरक्षा समिति, क्षेत्र स्तर सुरक्षा समिति और परियोजना स्तर सुरक्षा समितियों की सिफारिशों का निष्ठापूर्वक कार्यान्वयन किया जाता है

(vi) कोयला खान विनियमन 1957 और कोयला खान विनियमन 2017 के प्रावधानों के अंतर्गत नियुक्त किए गए खदान अधिकारियों द्वारा सांविधिक निरीक्षण के अतिरिक्त, सुरक्षा मानकों का कामगार निरीक्षकों (खान नियम 1955 के अंतर्गत गठित), खान स्तर पर सुरक्षा समिति (खान नियम 1955 के अंतर्गत गठित), क्षेत्र स्तर त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति और कंपनी स्तर त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है।

(vii) परियोजना स्तर सुरक्षा समितियों, क्षेत्र स्तर त्रिपक्षीय सुरक्षा समितियों और अनुषंगी स्तर त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति में कामगारों के प्रतिनिधियों के साथ सुरक्षा मामलों पर संयुक्त परामर्श किया जाता है। सहायक स्तर की त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति की बैठक 22.09.2017 को सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी।

(viii) क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र सुरक्षा अधिकारी और कंपनी मुख्यालय स्तर पर पूर्णरूपेण आईएसओ विभाग में सुरक्षा अधिकारी द्वारा आंतरिक सुरक्षा संगठनों के जरिए सांविधिक नियमों विनियमों और सुरक्षा योजनाओं के कार्यान्वयन का बहु-स्तरीय निरीक्षण किया जाता है।

(ix) कंपनी के सुविधाजनक स्थानों में स्थापित, सामूहिक व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में कामगारों, पर्यवेक्षकों और कार्यपालकों को सुरक्षा संबंधी पक्षों पर उनके कार्यों से संबंधित प्रशिक्षण व पुन: प्रशिक्षण दिया जाता है और उनके कौशल का उन्नयन किया जाता है। प्रशिक्षण की आवश्यकता के अनुसार बाहरी संस्थानों में भी दिया जाता है, उदाहरण के लिए डंपर ऑपरेटरों के कौशल सुधार के लिए वर्ष 2017-18 में 16 डंपर ऑपरेटरों को नोर्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड, सिंगरौली में सिम्युलेटर प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।

(x) कामगारों और पर्यवेक्षकों की दोष व बीमारियों का पता लगाने हेतु नियमित चिकित्सा जांच की जाती है ताकि सही समय पर उनका उपचार हो सके।वर्ष 2017-18 के दौरान, एमसीएल के आवधिक चिकित्सा परीक्षण(पीएमई) केंद्रों में 5939 विभागीय कर्मचारियों और 2138 संविदात्मक (कॉट्रक्चुअल) व्यक्तियों की पीएमई जांच की गई। .

(xi) सुरक्षा के मुद्दों पर कर्मचारियों के मध्य संबंध और जिम्मेदारी की समझ को बढ़ावा देने के लिए 15 मई से 15 नवबंर 2017 तक " मेरी कंपनी मेरा गौरव " के जश्न के दौरान सभी खानों में सुरक्षा अभियान आयोजित किए गए।सुरक्षा अभियान के तहत सुरक्षा समिति की बैठक, खान दुर्घटनाओं पर वीडिओं का प्रदर्शन, क्षेत्रों में सुरक्षा संदेशों को पहुँचाना, साथ ही सड़कों पर सुरक्षा नाटक आयोजित की गई थी ।

(xii) सुरक्षा आवश्यकताओं की पूरी प्रणाली को अद्यतन व सामंजस्य स्थापित करने के लिए पूरी कंपनी में सुरक्षा पखवाड़ा तथा विशेष सुरक्षा अभियान चलाए जाते हैं। इस अवसर पर विभिन्न श्रेणियों के लिए खान परियोजनाओं व कर्मशालाओं में ट्रॉफी व शील्ड वितरित किए जाते है।वर्ष 2017-18 के दौरान एमसीएल की सभी स्थापनाओं में दिनांक 06/02/2018 से 19/02/2018 तक वार्षिक खान सुरक्षा पखवाड़ा मनाया गया।

(xiii) प्राथमिक चिकित्सा प्रतियोगिता, वार्षिक खान सुरक्षा पखवाडे 2017-2018 के एक भाग के रूप में दिनांक 17/01/2018 में आयोजित की गई। 5 महिला टीम, ओरिएंट क्षेत्र , ईब वैली क्षेत्र , लखनपुर क्षेत्र, जगन्नाथ क्षेत्र और सीडब्ल्यूएस (तालचेर) क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व स्वरूप के रूप में भाग लेती है। कुल मिलाकर प्रतियोगिता में 17 टीमों ने भाग लिया।

(xiv) ओ.बी डंप और परतें की प्रभावी निगरानी के लिए प्रत्येक खान, क्षेत्र और कॉर्पोरेट स्तर पर भू-तकनीकी प्रकोष्ठ की स्थापना की गई।

(xv) कोल इंडिया सुरक्षा सूचना पोर्टल के माध्यम से सुरक्षा संबंधित जानकारी ऑनलाइन प्रस्तुत की जाती है।

3. <u>बचाव सेवाएँ</u>

एमसीएल की खदानों में आपातकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एमसीएल ने ईब वैली कोलफील्ड्स में ओरिएंट क्षेत्र और तालचेर कोलफील्ड्स में आरआरआरटी,तालचेर क्षेत्र में सुसज्जित खदान बचाव स्टेशन स्थापित किए है। एमसीएल की बचाव सेवा के द्वारा निम्नलिखित गतिविधियों को पूरा किया गया:

1. दिनांक 05.11.2017 को आरआरआरटी तालचेर में ज़ोनल खदान बचाव प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था।.
2. मेसर्स टाटा स्टील लिमिटेड, धनबाद में दिनांक 12/12/2017 से 15/12/2017 तक अखिल भारतीय खानों में बचाव प्रतियोगिता में भाग लिया और बचाव और वसूली के संचालन में चौथा स्थान और कुल मिलाकर 5 वें स्थान से सम्मनित किया गया।
3. 2017-18 के दौरान खान बचाव स्टेशन और आरआरआरटी ने कुल 24 आपातकालीन/अग्निशमन अभियान चलाए जिसमें 01 नंदिरा भूमिगत खानों में, 09 विभिन्न खान परिसरों में और 14 किसी भी खनन गतिविधि से संबंधित नहीं है लेकिन समाज/नागरिक टाउनशिप में हुए है।
4. वर्ष 2017-18 के दौरान 16 व्यक्तियों को बचाव एवं रिकवरी अभियान में प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया गया था
5. 185 बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों को आरआरएस, ओरिएंट एरिया और आरआरआरटी, तालचेर एरिया में बचाव और रिकवरी के संचालन में रिफ्रेशर ट्रेनिंग दी गई।
6. कुल 185 आरटीपी मेडिकल की जांच की गई और फिट होने के लिए पाए गए.
7. 2017-18 में रायगढ़ क्षेत्र के निजी भूमिगत माइन्स गेयर पलामा खानों के गारे पलामा IV/4 (मैसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड) को प्रशिक्षण और आपातकालीन सहायता दी गई।

वर्ष 2017-18 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्निलखित प्रस्ताव अनुमोदित किए गए थे।

1. 12 पुनर्वसन उपकरणों के साथ 02 टेस्ट किट।
2. 02 ऑक्सीजन बूस्टर पंप (बिजली संचालित)।
3. 04 ऑक्सीजन बूस्टर पंप (मानव संचालित)।
4. 03 ट्यूब उपकरण।
5. 06 लघु अवधि श्वास उपकरण।
6. 16 एफआरपी बास्केट स्टेचर्स।
7. 02 बचाव डमी, 01 ऑक्सीजन शुद्धता टेस्टर .
8. स्वयं निहित श्वास उपकरण के लिए स्पेयर पार्ट्स .
9. 7 एम^3 ऑक्सीजन सिलेंडरों की 10 की खरीदी के लिए प्रस्ताव.
10. 09 वातानुकूलित की खरीदी के लिए प्रस्ताव.
11. एससीबीएएस स्टोर करने के लिए 02 लकड़ी की टेबल खरीदी के लिए प्रस्ताव .

<u>वर्ष 2017-18 में निम्नलिखित सामग्रियों की खरीदी की गई थी</u>

1. 01 स्टेशन वैगन.
2. गैस क्रोमैटोग्राफ की स्वीकृति और आपूर्ति की खरीदी के आदेश

22. **कम्प्यूटरीकरण**

कोलनेट: कोलनेट के विभिन्न मॉड्यूल जैसे वित्तीय सूचना प्रणाली(एफ़आईएस), कार्मिक सूचना प्रणाली (पीआईएस), वेतन पंजीकरण, विक्रय एवं विपणन, उत्पादन सूचना प्रणाली, सामाग्री प्रबंधन प्रणाली, उपकरण निगरानी प्रणाली का उपयोग हो रहा है। कोलनेट सिस्टम में कुछ विविध मॉड्यूल को भी जोड़ा गया है जिसमे संविदात्मक कर्मचारियों के फोटो के साथ साथ आवधिक चिकित्सा परीक्षा, निविदा और 2 लाख से कम के पुरस्कार, पूरी में हॉलिडे रूम की ऑनलाइन बूकिंग, फ़ाइल ट्रेकिंग सिस्टम, ऑनलाइन संविदा प्रबंधन प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक पूंजी निधि प्रबंधन आदि की विस्तृत जानकारी के लिए व्यक्तिगत सूचना प्रणाली को भी शामिल किया गया है।
सड़क तथा रेल मार्ग से बिक्री बिलिंग, बिल भुगतान प्रविष्टि स्थिति, कर्मचारियों की जानकारियों का अद्यतन, उत्पादन जानकारी की प्रविष्टि, ऑनलाइन सामग्री प्रबंधन प्रणाली, पेरोल प्रणाली आदि गतिविधियाँ सेंट्रल कोलनेट सर्वर में क्षेत्र व परियोजना स्तर पर संचालित है। क्षेत्रों में कोलनेट सिस्टम से वित्तीय सूचना प्रणाली जगन्नाथ, ईब वैली और बसुधंरा क्षेत्र में तीन नोडल सर्वर सफलतापूर्वक चल रहे है।

ई-भुगतान एवं ई-प्राप्तियाँ: सभी भुगतान एवं प्राप्तियाँ इलेक्ट्रोनिक माध्यम से की जा रही है।

ऑपरेटर स्वतंत्र ट्रक प्रेषण प्रणाली(ओआईटीडीएस): एमसीएल की तीन खुली खदानों - बलराम, लिंगराज और भरतपुर में ओआईटीडीएस स्थापित करने के पश्चात सफलतापूर्वक संचालित हो रही है।
एमसीएल वेबसाइट: एमसीएल की वेबसाइट www.mahandicoal.in सीएमपीडीआई रांची के सर्वर पर होस्ट की जाती है तथा उसके द्वारा अनुरक्षित की जा रही है। आवश्यकतानुसार वेबसाइट की पुनर्संरचना की जा रही है। कोयला उपभोक्ता को वापसी से संबंधित जानकारी, दूरस्थ प्रासंगिक जानकारी के अद्यतन की सुविधा, मासिक तीसरे पक्ष का कोयला नमूना विश्लेषण परिणाम, भर्ती विभाग की सूचना और परिणाम सीएसआर से संबंधित गतिविधियां, निविदा और 2 लाख से कम के पुरस्कार आदि को नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। कोलनेट सर्वर के माध्यम से सही समय पर संविदाकार/वेडर्स के भुगतान बिल की स्थिति को वेबसाइट में प्रदर्शित किया जाता है।
ऑनलाइन शिकायत निवारण (समाधान): इंटरफेस के रूप में वर्तमान वेबसाइट में जोड़े गए ऑनलाइन शिकायत निवारण (समाधान) का स्टेकहोल्डर्स कि शिकायत निवारण के लिए उपयोग किया जा रहा है।
ई-मेल अकाउंट: एमसीएल के सभी अधिकारियों को एनआईसी द्वारा प्राप्त डोमेन 'coalindia.in' के अंतर्गत ई-मेल अकाउंट प्रदान किया गया है साथ ही ई-ऑफिस के कार्यान्वयन के लिए आवश्यकता के अनुसार कुछ गैर-अधिकारियों को भी 'coalindia.in' डोमेन के अंतर्गत ई-मेल अकाउंट प्रदान किया गया है।

निविदाओं कि अपलोडिंग::- सीआईएल के ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से जारी सभी निविदाएँ भारत सरकार के केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल में स्वचालित रूप से प्रदर्शित किए जाते है। 02 लाख से कम निविदाओं से संबंधित जानकारी कोलनेट पर उपलब्ध है और नियमित आधार पर एमसीएल के वेबसाइट पर होस्ट किए गए है।

ओएमएमएस(ऑनलाइन सामाग्री प्रबंधन प्रणाली):- केंद्रीय कोलनेट सेवा में सभी क्षेत्रीय/केंद्रीय भंडारों और केंद्रीय कार्यशालाओं के स्टोर से संबंधित गतिविधियों को पूरा करने के लिए और पीओएल रसीद/विस्फोटक के मुद्दे/प्राप्ति के लिए भी चल रहा है। वस्तुसूची के प्रभावी नियंत्रण के लिए विभिन्न रिपोर्ट भी उपलब्ध है। स्टोर अंकों के 100% सीआईएल मानक कोडिफिकेशन योजना के अनुसार चेक अंकों के साथ संहिताबद्द किया गया है।

एमसीएल के भुवनेश्वर और कोलकाता कार्यालय के बीच संबंध: कोलनेट मॉड्यूल के प्रचालन के लिए बीएसएनएल से प्राप्त 1 एमबीपीएस लीज लाइन के माध्यम से भुवनेश्वर और कोलकाता स्थित एमसीएल के कार्यालय आपस में जुड़े है। बीएसएनएल से अतिरिक्त एमपीएलएस नेटवर्क को भी इन कार्यालयों के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अतिरिक्त इंटरनेट पर वीपीएन कनेक्टिविटी के माध्यम से कोलनेट प्रचालन संभव है।

इंटरनेट लीज लाइन - वर्तमान में मौजूदा कॉर्पोरेट नेटवर्क के माध्यम से एमसीएल के प्रयोगकर्ताओं के लिए इंटरनेट उपयोग की सुविधा प्रदान करने के लिए बीएसएनएल से प्राप्त इंटरनेट लीज लाइन को 40 एमबीपीएस तक बढ़ा दिया गया है।. रेलटेल से प्राप्त अन्य 10 एमबीपीएस इंटरनेट लीज लाइन को विकसित कर 40 एमबीपीएस किया गया जिसे जीपीएस/जीपीआरएस आधारित वाहन ट्रेकिंग सिस्टम के लिए उपयोग किया जा रहा है।

उत्पादकता सुधार स्कीम साफ्टवेयर:- उत्पादकता सुधार स्कीम के तहत इनसेन्टीवों की गणना के लिए विकसित सॉफ्टवेयर, एमसीएल के विभिन्न खुली खदानों में सफलतापूर्वक चल रहें है। सॉफ्टवेयर आवश्यकतानुसार समय-समय पर निगमित योजनाओं में हुए बदलाव का संशोधन करता है।

वे - ब्रीज की कनेक्टिविटी-रेल व रोड ,(मोशन-टिक व इनस्टे)दोनो वे ब्रिज मेसर्स आईटीआई-लिमिटेड द्वारा स्थापित रेडियो लिंक के माध्यम से जुड़े हुए हैं ।

अतिरिक्त आंकड़ा संप्रेषण नेटवर्क: क्षेत्रीय अधिकारियों/परियोजना अधिकारियों/वे-ब्रिजों को मुख्यालय से जोड़ने के लिए एमपीएलएस/वीएसएटी आधारित अतिरिक्त आंकड़ा संप्रेषण नेटवर्क की स्थापना हेतु कार्यादेश दे दिया गया है। एमपीएलएस कनेक्टिविटी चरण-एक और चरण-दो के 50 स्थान पर पूरा हो चुका है। .

मुख्यालय और तीन नोडल क्षेत्र - तालचेर क्षेत्र के जगन्नाथ क्षेत्र, ईब वैली कोलफील्ड्स के ईब वैली क्षेत्र तथा बसुंधरा गर्जनबहाल क्षेत्र में स्थापित हाइ एण्ड आईबीएम सर्वर संचालित है। नोडल स्थानो पर ये सभी सर्वर मुख्यालय से जुड़े है। बसुंधरा क्षेत्र का सर्वर को रिकव्हरी साइट के रूप में स्थापित की गई है।

ठेकेदारों के बिल भुगतान की निगरानी:- कोलनेट सर्वर में बिल ट्रेकिंग माड्यूल भलीभांति कार्यशील है । इस प्रणाली में ठेकेदारों/विक्रेताओं से प्राप्त बिलों को संबंधित प्रयोक्ता विभाग द्वारा ऑनलाइन दर्ज कर लिया जाता है । इन बिलों के अंतिम गंतव्य अर्थात, उनके भुगतान तक की स्थिति कोलनेट सर्वर में अद्यतन की जाती है तथा उसे एमसीएल वेबसाइट अर्थात www.mahanadicoal.in में अपलोड किया

जाता है ताकि संबंधित पार्टी अपनी बिलों की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकें । इस प्रकार संबंधित पार्टी हमारे वेबसाइट से अपने बिलों की स्थिति ज्ञात कर सकते है ।संबंधित पक्षों को अपने बिल की स्थिति जानने के लिए कार्य आदेश संख्या या बिल संख्या और कार्य आदेश तिथि के आधार पर एक मोबाइल ऐप्स विकसित किया गया है।

जीपीएस/जीपीआरएस आधारित वाहन मार्ग प्रणाली:-

(i) कोयले के उत्पादन/आंतरिक परिवहन हेतु प्रयुक्त 1800 ट्रक/टिपर पर वाहन मार्गन प्रणाली आधारित जीपीएस/जीपीआरएस लगाए गए हैं । केन्द्रीय सर्वर में वास्तविक समय में ही इनसे संबंधित जानकारी एकत्रित हो जाती है । इन वाहनों द्वारा जियो-फेंसिंग का उल्लंघन, ट्रिप, लंबा-ठहाराव, तय की की गई दूरी सहित विभिन्न संबंधित प्रतिवदेन सीधा दृष्यावलोकन, http://.mclvts.in. वेबलिंक के माध्यम से किया जा सकता है। यह लिंक हमारे www.mahanadicoal.in वेबसाइट में भी उपलब्ध है। इस प्रणाली में यह सुविधा भी है कि यह संबंधित परियोजना व क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रयोगकर्ताओं तक एसएमएस अलर्ट भी स्वत: प्रेषित करता है ।

(ii) वाहन जियों फेंसिंग के बाहर न जा पाएं इसकी ट्रेकिंग के लिए मार्ग सहित खान सीमा का जियो-फेंसिंग किया जा चुका है।

(iii) सभी क्षेत्रीय कार्यालयों का केन्द्रीय नियंत्रण आवास एमसीएल मुख्यालय में स्थापित किया जा चूका हैं।

(iv) 3483 जीपीएस इकाइयों को दर अनुबंध के आधार पर लिया है 2305 जीपीएस इकाइयों की आपूर्ति की गई है जिसमें से 2156 जीपीएस इकाइयों को कोयला उत्पादन/आंतरिक परिवहन तथा ओ.बी हटाने के कार्य में लगे दोनों संविदात्मक तथा विभागिय/वाहनों/उपकरणों में स्थापित की गई है।

वे-ब्रिज व रेलवे साइडिंग की निगरानी के लिए सीसीटीवी:-

(i) रेलवे साइडिंग की निगरानी के लिए 22 विडीयों कैमरे लगवाए गए हैं।

(ii) इन-मोशन और स्थिर वे ब्रिजों पर 94 आईपी कैमरे लगाए गए हैं।

(iii) ऑनलाईन के माध्यम से वेजर्मेंट आंकडे को तीव्र गति से इन-मोशन एवं स्थिर वे-ब्रिज से केन्दीय वीटीएस और कोलनेट सर्वर के माध्यम से एमसीएल मुख्यालय प्रेषित किया जाता है।

फाइल ट्रैकिंग प्रणाली यह सॉप्टवेयर एमसीएल के महत्वपूर्ण फाइलों को विभिन्न विभागों और उपयुक्त स्थानों पर पहुँचाने के लिए कोलनेट की सहायता से फाइल ट्रैकिंग प्रणाली का निर्माण किया गया। 31 मार्च 2018 तक 50338 फाइलें इस माध्यम से भेजी जा चुकी हैं।

एसएमएस /ई-मेल सजगता: एमसीएल द्वारा अपनाए गए ई-इनिशियटिव्स के अनुसार सड़क द्वारा सुपुर्दगी आदेश,आरडीओ के माध्यम सुपुर्दगी, आरडीओ को वापसी, तथा वेतन बनाने संबंधी कर्मचारियों की जानकारी एसएमएस द्वारा उपभोक्ता को भेजी जाती है.संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष /जीएमएस लंबित फाइलों की स्थिति पर नियमित आधार पर इस फाइल ट्रैकिंग मॉड्यूल के माध्यम से ट्रैकिंग कर रहें है।बैंक गारंटी की समाप्ति के संबंध में संबंधित विक्रेताओं/दलों और वित्त विभाग के अधिकारियों को एसएमएस भेजने का भी प्रावधान किया गया है।

वाईफाई नेटवर्क- की स्थापना एमसीएल के निगमित कार्यालय और पता जागृति विहार के आवासीय कॉम्प्लेक्स में हुई हैं।

मोबाइल एप्लिकेशन : मोबाइल एप्लिकेशन का विकास (i) कोयले के उत्पादन आंतरिक परिवहन से संबंधित स्थायी एवं इन-मोशन वे-ब्रिजो से वजन किए गए कोयले की जानकारी को देखने के लिए।
(ii) रेलवे साईडिंग में स्थापित किए गए कैमेरे में चल रहे सीसीटीवी विडियो को मोबाइल द्वारा जमा किए बिल की ट्रेकिंग की स्थिति जानने के लिए। (iii) ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत बिलों की ट्रेकिंग स्थिति। (IV) एमसीएल की सीएसआर संबंधी उपयोगी जानकारी जैसे ओड़ीशा के कई जिलों में पूर्ण/अपनाई गई सीएसआर गतिविधियां साथ ही में सीएसआर सीएसआर पॉलिसी, वार्षिक रिपोर्ट, सीएसआर के अंतर्गत बजट और खर्च, प्रमुख सीएसआर गतिविधि की जानकारी को दर्शाने के लिए। आरडीओ विवरण, लोडिंग शेड्यूल, दैनिक प्रेषण सारांश और किसी भी आरडीओ के प्रेषण विवरण देखने के लिए एमसीएल द्वारा अलग मोबाइल ऐप विकसित किया गया है, जिसे सीआइएल मोबाइल ऐप "ग्राहक साधक कोयला वितरण" के साथ एकीकृत किया गया है।

ई-ऑफिस कार्यान्वयन: पावती के दोहरेकरण के लिए एमसीएल मुख्यालय में ई-ऑफिस शुरू किया गया है और यह लाइव चल रहा हैं। एमसीएल ने उत्कृष्ट रेटिंग के लिए फरवरी 2018 में ई-ऑफिस उपयोगकर्ताओं द्वारा 75% से अधिक लॉगिन के ईएमयू लक्ष्य को हासिल किया है। ई-ऑफिस से संबंधित सहयोग प्राप्त करने के लिए एनआईसीएसआई से 2 प्रशिक्षण और परिवर्तन प्रबंधन विशेषज्ञ को सोर्सिंग के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है।

पीसी और उनसे संबंधित उपकरण की खरीद/प्रतिस्थापन:जीईएम पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा पीसीएस और परिधीय खरीदी के लिए प्रस्ताव और अतिरिक्त आवश्यकताओं की मंजूरी दे दी गई हैं। जीईएम के माध्यम से खरीद प्रक्रिया प्रगति पर हैं।

मौजूदा लैन का उन्नयन : एमसीएल मुख्यालय क्षेत्र के अधिकारियों और केंद्रीय/क्षेत्रीय स्टोरों में लैन को अपग्रेड करने के लिए आदेश दिया गया हैं। विभिन्न स्थानों पर प्रतिष्ठापन और प्रवर्तन में लाने के कार्य प्रगति पर हैं।

इलेक्ट्रोनिक पूंजी निधि प्रबंधन : परियोजनाओं के पीआर प्रावधानों को बनाए रखने के लिए कोलनेट में एक मॉड्यूल विकसित किया गया है- हेड वाइज, यूनिट वाइस, फंड आवंटन के लिए प्रस्ताव की शुरूआत, फंड की पुनःविनियोजन (यदि आवश्यक हो), योजना और परियोजना विभाग के अनुरोध पर विभिन्न स्तर पर जांच और उसकी स्वीकृति, वित्त विभाग और सक्षम प्राधिकारी की अंतिम मंजूरी दी गई है । ऑटो जेनरेटेड एसएमएस संबंधित अधिकारियों को दिया जाता है जो प्रक्रिया में शामिल होते हैं जब भी ऑनलाइन मोड में फंड आवंटन/पुनःविनियोजन के लिए एक स्तर से दूसरे स्तर पर चलता है। कोलनेट कार्यान्वयन जुलाई 2017 के उपरांत यह विकसित मॉड्यूल सफलतापूर्वक चल रहा है।

संविदा प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली - कोलनेट में एक ऐसा विकसित मॉड्यूल तैयार किया गया है जो संविदा, संबंधित जानकारियाँ जैसे संविदा विवरण, कार्यारम्भ, मुख्यालय /क्षेत्र/ परियोजना स्तर पर की दैनिक कृत्यों की जानकारियों को सामाहित करता है । इस मॉड्यूल में विभिन्न एमआईएस रिपोर्ट तैयार की जाती है। इससे सभी संविदाओं के प्रभावी निगरानी में मदद मिलती है।

स्वचालित मेलिंग सिस्टम- वास्तविक समय पर ई-मेल के माध्यम से कोलनेट सरवर से उपभोक्ताओं को आरडीओ की प्रतिलिपियाँ कोल बीजक भेजने हेतु कोलनेट में प्रावधन बनाए गए है।

पूर्व मुद्रित स्टेशनरी - सभी क्षेत्र में वेतन प्रसंस्करण के केंद्रीयकरण के उपरांत, कार्यक्रम के तहत पूर्व मुद्रित स्टेशनरी पर वेतन पर्ची मुद्रित करने के लिए संशोधित किया गया है। एमसीएल में इसके कार्यान्वयन के लिए मुख्यालय में पूर्व-मुद्रित स्टेशनरी पर इसका परीक्षण किया गया हैं।

भावी योजना/ अन्य जारी गतिविधियाः

» ईआरपी के कार्यान्वयन के लिए सीआईएल द्वारा पहले चरण में एमसीएल का चयन किया गया, जिसके लिए सीआईएल द्वारा निविदा जारी की गई। ईआरपी केंद्र के लिए बुनियादी ढांचे की तैयारी के लिए कार्रवाई शुरू की गई है।

» **क्षेत्रे और परियोजनाओं में ई-कार्यालय का कार्यान्वयन-** द्वितीय चरण में प्राप्तियों के डायरेनाइजेशन के लिए क्षेत्र और परियोजनाओं पर ई-ऑफिस चालू किए गए है। ई-ऑफिस(ई-फाइल) की फाइल प्रणाली भी सभी स्थानों पर लागू की जाएगी ।

» **दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली-**दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली सभी संग्रहीत फाइलों औऱ दस्तावेजों को संरक्षित करने के लिए लागू की जाएगी। हाई-ईन्ड स्कैनर की खरीदी प्रगति पर है। स्कैंन किए गए दस्तावेजों को संरक्षित करने के लिए कोलनेट में एक मॉड्यूल विकसित किया गया है और इसे कार्यान्वयन करने के उपरांत दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली में माइग्रेशन के लिए मेटा-डाटा कैप्चर किया गया है। .

» **ओपन कास्ट खानों में सीसीटीव्ही द्वारा निगरानी-**सभी ओपन कास्ट खानों में गतिविधियों के निरीक्षण के लिए सीसीटीव्ही निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी। वीडियों स्ट्रीम मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में उपलब्ध होंगे।

» **मोबाइल एप्स-** जहां तक संभव हो सकें शेयरहोल्डरों के साथ स्वीकार्य अधिकतम प्रासंगिक जानकारी साझा करने के लिए निकट भविष्य में और अधिक मोबाइल एप्स विकसित किए जाएंगे।

» **लागत प्रबंधन और बजट नियंत्रण-** कोलनेट में लागत प्रबंधन तथा बजट नियंत्रण मॉड्यूल को लागत शीट औऱ राजस्व बजट की तैयारी और प्रसंस्करण के लिए संशोधित तथा कार्यान्वित किया जाएगा।

» **कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के उपरांत चिकित्सा सुविधाए उपलब्ध कराना (सीपीआरएमएसई)-** .कोलनेट में घरेलू भुगतान औऱ अधिकारियों के लिए 25 लाख रूपये की सीमा के तहत प्रतिपूर्ति औऱ गैर-अधिकारियों के लिए 5 लाख रूपये और 5 निर्दिष्ट बीमारियों के लिए असीमित श्रेणी के प्रतिपूर्ति के लिए कोलनेट में एक अलग मॉड्यूल विकसित किया जाएगा। प्रासंगिक जानकारी ऑटो जनरेंटेड एसएमएस के माध्यम से सेवानिवृत कर्मचारियों को भेजी जाएगी।

23. दूरसंचार

1. पूरे राज्य में एमसीएल संगठन के विभिन्न इकाइयों में सेवारत 2000 से अधिक अधिकारियों, जेसीसी सदस्य, प्रमुख स्टाफ, रेलवे सिडिंग, सुरक्षा कार्मिक, बचाव ब्रिगेड कार्मिक और खान बचाव के स्टेशनों आदि को कम से कम लागत पर 24 घंटे सातों दिन असीमित दूरसंचार की सुविधा दी गई है, को सक्षम करते हुए से मोबाइल सीयूजी सुविधा प्रदान की गई है जो एमसीएल के संचार अवसंरचना को काफी मजबूत बनाता है.

2. आईपी आधारित विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क (डब्ल्यूएएन), जो लगभग एमसीएल की प्राय: सभी यूनिटों को कवर करता है, का व्यापक पैमाने पर सफलतापूर्वक विभिन्न कार्यकलापों जैसे वित्त, कार्मिक, और परिचालन अनुप्रयोग इत्यादि के लिए प्रयोग किया जाता है और संगठन के विभिन्न कार्यकलापों के लिए आनलाइन डाटा संचार, प्रबंधन सुविधा हेतु भी इनका प्रयोग किया जाता है। ईआरपी, ई-निगरानी जैसे अन्य रीयल-टाइम डेटा सेवाओं के लिए इसका उपयोग बढ़ाने के लिए नेटवर्क के विस्तार और उन्नयन के लिए कदम उठाए गए हैं। इस उन्नत नेटवर्क का उपयोग करते हुए, एमसीएल के उपरोक्त इन-हाउस सेवाओं और इंटरनेट की सेवा प्रदान करते हुए आपकी कंपनी ने अपने कार्यस्थल में सभी अधिकारियों को वाई-फाई सुविधा प्रदान करने के लिए भी कदम उठाया है।.आपकी कंपनी ने बीएसएनएल एमपीएलएस नेटवर्क के साथ मौजूदा कोलनेट नेटवर्क (आईसीएन) के इंटरफेसिंग की सुविधा भी उपलब्ध की गई है, जो अब कोलनेट कनेक्टिविटी के लिए एक अनावश्यक नेटवर्क के रूप में कार्य करता है।
3. आपकी कंपनी ने कोयला क्षेत्र तक परियोजनाओं में संचार के लिए विभिन्न खानों में वीएचएफ संचार नेटवर्क स्थापित किया है। इसे उन्नत परिचालन दक्षता के लिए प्रत्येक वर्ष इसे बढ़ाया जा रहा है।
4. **सीसीटीवी निगरानी प्रणाली:**:

   क) एमसीएल मुख्यालय, बुर्ला के कार्यालय परिसर में सीसीटीवी कैमरा निगरानी के लिए लगवाया गया है, इसकी सुरक्षा के लिए निगमित कार्यालय की व्यवस्था की गई है।

   ख) सीसीटीवी निगरानी प्रणाली को सभी क्षेत्रीय/केंद्रीय भंडार और केंद्रीय कार्यशालाओं में स्थापित किया गया है।

   ग) एमसीएल की विभिन्न परियोजनाओं में कई असुरक्षित स्थानों पर कई कैमरे लगाए गए हैं।

   घ) एमसीएल के सभी क्षेत्रों में सभी कोल शेयरों में लोडिंग पॉइंट पर कोल नमूना स्थानों पर और प्रयोगशालाओ में सीसीटीव्ही निगरानी प्रणाली लगाई गई है।

   ड़) अनधिकृत गतिविधियों की संभावनाओं को कम करने और एक परिष्कृत नेटवर्क बनाने के लिए खानों में औऱ मैगजीन समूह में एचईएमएम कार्यशालाओं में डीजल वितरण स्टेशनों में और परियोजनाओं के अन्य दुर्बल स्थानों के विभिन्न प्रवेश/निकास स्थानों पर अनधिकृत वाहनों और कार्मियों के प्रवेश को रोकने के लिए सीसीटीव्ही निगरानी प्रणाली की स्थापना के लिए पहल की गई है।

5. **आधार सक्रिय बॉयोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस):**

   क) भारत सरकार के डिजीटल इंडिया कार्यक्रम औऱ सीआईएल के मानव संसाधन दृष्टि 2020 के साथ-साथ कर्मचारियों के बीच समय की पाबंदी सुनिश्चित कराने के लिए एमसीएल मुख्यालय,संबलपुर,एमसीएल कार्यालय,भुवनेश्वर औऱ सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में एईबीएएस स्थापित किए गए है। एमसीएल की सभी इकाइयों एईबीएएस को कार्यान्वित किया जा रहा है। कर्मचारियों एवं ठेकेदार कर्मचारियों सहित 35500 से अधिक कर्मचारी एमसीएल डोमेन के एईबीएएस पोर्टल (***mclsbp.attendance.gov.in)***में पहले से ही पंजीकृत है।

6. एमसीएल की लगभग सभी इकाइयों में आंतरिक टेलीफोन कनेक्टिविटी और ईपीएबीएक्स सिस्टम की हजारों लाइनें परियोजनाओं में आंतरिक संचार सुविधाओं के लिए स्थापित की जा चुकी है।
7. एमसीएल मुख्यालय के सभी निदेशकों, सीव्हीओ और विभागाध्यक्षों और कुछ अन्य अधिकारियों के लिए 24 x7 संचार औऱ सूचना चैनल सुनिश्चित करवाने के लिए आवसीय कार्यालयों में बीएसएनएल ब्रॉडबेंड के अलावा उच्च गति वायरलेस इंटरनेट हॉटस्पॉट की सुविधा मुहैया करवाई गई है। इंटरनेट कनेक्टिविटी में इन सभी दैनिक संचार के कागजातों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में स्थानांतरित कर दिया जाता, जिसके परिणामस्वरूप समय और संसाधनों की बचत होती है।
8. कंपनी के शीर्ष प्रबंधन में गोपनीयता और त्वरित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक इंटरनल क्लोज्ड टेलीफोन नेटवर्क विशेष रूप से निदेशक और सीवीओ के लिए बनाया गया है।
9. एमसीएल के सभी रोड वे-ब्रिज के लिए वाईमैक्स इंटरनेट की सुविधा प्रदान की गई है और सड़क बिक्री मोड के माध्यम से भेजे जाने वाले ट्रकों के लिए ऑनलाइन ई-ट्रांजिट पास बनाने के लिए उपयोग किया जा रहा है। वाईमैक्स इंटरनेट की सुविधा एमसीएल मुख्यालय में केन्द्रीय सर्वर पर वजन और अन्य संबंधित आंकड़ों के संचरण के लिए इन- मोशन रोड वे ब्रिज तक आगे बढ़ा दी गई है।
10. एमसीएल मुख्यालय अलग-थलग स्थान होने से विभाग द्वारा इसके कर्मचारियों के मनोरंजन के लिए जागृति विहार और आनंद विहार को कवर करते हुए कर्मचारी और अधिकारियों के आवास एवं अन्य स्थानों पर केबल टीवी सेवा के लगभग 700 कनेक्शन की व्यवस्था एवं अनुरक्षण किया जाता है । इसे बेहतर दृश्य अनुभव के लिए डिजिटल मोड में अपग्रेड कर दिया गया है।
11. त्वरित और सुरक्षित संचार के लिए सभी भूमिगत परियोजनाओं में भूमिगत संचार प्रणाली स्थापित की गई है।. विभिन्न भूमिगत परियोजनाओं में विभाग द्वारा पर्यावरणीय टेली-मॉनिटरिंग सिस्टम को भी अनुरक्षण किया जा रहा है और इसे बढ़ाने के लिए उपाए किए गए हैं।
12. सीआईएल के साथ-साथ इंटरनेट(पब्लिक नेटवर्क) पर वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठके आयोजित करने के लिए एमसीएल मुख्यालय, संबंलपुर औऱ एमसीएल कार्यालय,भुवनेश्वर में एक एंटरप्राइज ग्रेड वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम स्थापित किया गया है कि -प्रबंधन द्वारा त्वरित और सहयोगी निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। यह प्रणाली एमसीएल के लाइसेंस प्राप्त इंटरप्राइजेस ग्रेड बहु सम्मेलीत इकाई औऱ क्लाइंट सर्वर पर चलती है जो संसाधनों की गोपनीयता औऱ उपलब्धता सुनिश्चित करता है। हम भुवनेश्वर औऱ कोलकाता के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ-साथ एमसीएल कार्यालयों में वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम को विस्तारित किया जा रहा है।

24. अनुषंगी उद्योगों का विकास

एमसीएल स्थानीय उभरते उद्यमियों को आत्मनिर्भरता की प्रक्रिया के माध्यम से स्व-रोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और भंडार/उपभोग्य/मरम्मत आदि के क्षेत्रों में राजस्व द्वारा पर्याप्त हिस्सेदारी के द्वारा उन्हें एक स्थायी व्यवसाय प्रदान करता है।

उपरोक्त कारणों के लिए एमसीएल की पूर्ण एमएसएमई-सहायक विकास प्रकोष्ठ है जो निम्नलिखित गतिविधियों के लिए प्रतिबद्ध है:

- ओडिशा राज्य के भीतर अपने परिचालन क्षेत्राधिकार में छोटे पैमाने पर उद्योगों की संभावनाओं का पता लगाने और उनके विकास करने के लिए अनुमति देता है और सभी प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। .
- राज्यों के उद्योग निदेशालय और डी.आई.सी. की सहायता से एमसीएल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आयात प्रतिस्थापन, पुर्जों की उपलब्धता में सुधार करना।
- बढ़ी हुई स्व-रोज़गार की संभावना को बनाने और राज्य के क्षेत्रीय युवा जनसंख्या के बीच आत्मनिर्भरता को बनाने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण।
- वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक मानक को पाने की नई गतिशीलता तक पहुंचने के लिए इस राज्य के आम जनता की समृद्धि और देश के औद्योगिक मानचित्र में इस राज्य की उन्नति और एमएसईएस के साथ एससी/एसटी एमएसईएस के औद्योगिक उत्पादों का समायोजन।

कंपनी की स्थापना के बाद से एमसीएल ने ओडिशा के एमएसईएस की मदद की और विकसित किया है। एमएसईएस को विभिन्न उपभोज्य पुर्जो/वस्तुओं और एमसीएल के अभियांत्रिकी और खनन अनुभाग में शामिल उत्पादन प्रक्रियाओं से सीधे जुड़े सेवा संबंधी कार्यों के लिए प्रूवन/ अनंतिम अनुषंगी से नवाजा गया है।

इन अनुषंगी इकाइयों को बनाए रखने के अपने निरंतर प्रयासों में एमसीएल उन अनुषंगी इकाइयों को सतत व्यवसाय प्रदान कर रहा है जो सामग्री की गुणवत्ता की आपूर्ति और शीघ्र सुपुर्दगी देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अनुषंगी इकाइयों के कार्य निष्पादन की समीक्षा करने के बाद उनके मामलों को अनुषंगी स्थिति के नवीकरण के लिए समझा जाता है। दिनांक 31/03/2018 को एमसीएल की लगभग 30 एमएसईएस इकाइयां (अनुषंगी इकाइयां) योग्यता और खरीद प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भागीदारी और उपयोगकर्ता के क्षेत्रों में विभिन्न गुणवत्ता वाले उत्थान की आपूर्ति के आधार पर सहायक स्थिति मे साबित हुई हैं।भारत सरकार द्वारा पहचाने गए 358 आइटमों के अलावा एमसीएल द्वारा पहचाने जाने वाले 49 अनुसूचित अनुषंगी मदें हैं।

एमसीएल सहायक इकाइयों पर लगातार निगरानी रख रहा है और समय-समय पर परस्पर संवादात्मक सत्र/बैठकों का आयोजन करके उनकी शिकायतों का निवारण करने की कोशिश कर रहा है।यह सत्य है कि वित्त वर्ष 2017-18 में, एमसीएल ने पहले ही बी 2 बी बैठक सह कुल 07 राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर के विक्रेता विकास कार्यक्रमों में भाग लिया है। विक्रेता इंटरैक्शन बैठक निम्नानुसार है:

i. आईडीसीओएल ऑडिटोरियम में ओएएसएमई के छोटे औऱ मध्य उद्यमों का **31 वीं वार्षिक राज्य सम्मेलन औऱ अल्फी फूडटेक शिखर सम्मेलन 2017** का आयोजन ओडिशा विधानसभा,कटक, भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। एमसीएल ने 2 लाख रू(केवल 2 लाख रूं) इन कार्यक्रम के प्रयोजन के लिए दिए है।

ii. एमसीएल के सहयोग से एमएसएमई-डीआई कटक द्वारा एससीएल के साथ **विक्रेता विकास कार्यक्रम और पारस्परिक बैठक का आयोजन 9 अक्टूबर 2017** को झासुगुडा में किया गया ।

iii. राष्ट्रीय स्तर के विक्रेता विकास कार्यक्रम-सह-औदयोगिक प्रदर्शनी और क्रेता विक्रेताओं की बैठक एमएसएमडी-डीआई, कटक द्वारा में **एमएसएमआई एक्सपों ओडिशा-2017 के** रूप में मनाई गई। एमसीएल ने 1.00 लाख (एक लाख रूपये) इस कार्यक्रम के प्रयोजन के लिए दिए है।

iv. 3 जनवरी 2018 को बीबीएसआर में सार्वजनिक खरीद नीति, सरकारी ई-मार्केट (जीइएम) और पैकेजिंग और निर्यात पर राष्ट्रीय कार्यशाला।

v. राष्ट्रीय स्तर के विक्रेता विकास कार्यक्रम और सह-औद्योगिक प्रदर्शन और क्रेता विक्रेताओं की बैठक " एक्सपों ओडिशा-2017" एमएसएमई-डीआई बालासोर,कटक में 31 जनवरी से 4 फरवरी 2018 तक आयोजित की गई । एमसीएल ने 50,000/- रूपये (पचास हजार रूपये) इस कार्यक्रम के प्रयोजन के लिए दिए है।

vi. एससी/एसटी उद्यमियों के लिए एनएसआईसी, राउरकेला द्वारा 20.12.2017 को संबलपुर में विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

vii. माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ओड़ीशा, निर्यात, संवर्धन और विपणन निदेशालय, उड़ीसा लघु उद्योग निगम, भुवनेश्वर के सहयोग से उद्योग निदेशालय, ओडिशा द्वारा 5 मार्च से 10 मार्च 2018 तक भुवनेश्वर में उद्यमी सप्ताह के साथ "**एमएसएमई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला -** 2018" का आयोजन किया गया । इस कार्यक्रम के प्रयोजन के लिए एमसीएल ने 5 लाख (केवल पांच लाख रुपये) दिए।

एमसीएल द्वारा अपनाई गई पॉलिसी की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

भारत सरकार के सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय (एमएसएमई) द्वारा जारी एमएसई आदेश 2012 के अनुसार सार्वजनिक खरीद नीति का कार्यान्वयन 2015-16 से अनिवार्य हो गया है। एमसीएल ने जुलाई,2013 से प्रभावी मौजूदा सहायक नीति को तैयार और कार्यान्वित कर लिया था। एमएसईएस और अनुषंगी उद्योग के लिए एमसीएल द्वारा अनुसरित नई खरीद नीति एमसीएल पोर्टल में सहायक और एमएसई के शीर्ष http://www.mahanadicoal.in/About/pdf/ANCILLARY_POLICY.pdf पर उपलब्ध है।

- सूक्ष्म और लघु उद्योग द्वारा उत्पादित कुल वार्षिक उत्पादों और सेवाओं की कम से कम 20 प्रतिशत की खरीद की जाएगी। सूक्ष्म और लघु उद्योग से 20% वार्षिक खरीद में, 20% (अर्थात 20 में से 4%) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्योगों से खरीदी जाएगी। हालांकि, ऐसे सूक्ष्म और लघु उद्योग की निविदा प्रक्रिया में भाग लेने या निविदा आवश्यकताओं और एल 1 मूल्य को पूरा करने की विफलता की स्थिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्योग के लिए निर्धारित 4% उपलक्ष्य को अन्य सूक्ष्म और लघु उद्योग से खरीदा जाएगा।
- निविदा में भाग लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्योग, एल-1+15 प्रतिशत के प्राइस बैंड के भीतर कीमत का हवाला देते हुए उनकी कीमत एल 1 से कम कर ऐसी स्थिति में आपूर्ति की अनुमति दे सकते हैं जहां एल1 मूल्य सूक्ष्म और लघु उद्योग के अलावा अन्य एंटरप्राइजेज दे और ऐसे सूक्ष्म और लघु उद्योग को कुल निविदा मान के 20 प्रतिशत तक की आपूर्ति करने की अनुमति दी जाएगी।
- वर्तमान व्यापार करने के लेन-देन की लागत को कम करने के लिए, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को निविदा का सेट नि:शुल्क देकर, बकाया धन के भुगतान से सूक्ष्म और लघु उद्यमों को छूट देकर सहायता प्रदान की जाएगी।

– सूक्ष्म और लघु उद्यमों से 358 मदों की खरीद, जिसे उनसे विशेष खरीदारी के लिए आरक्षित किया गया है। नई नीति के कार्यान्वयन के लिए, एक मानक एनआईटी पहले से ही कार्यान्वित कर दी गई है जहां केवल एमएसई फर्म ही भाग ले सकते हैं सूक्ष्म और लघु उद्यम कंपनियों के अलावा कोई भी ऑफर स्वीकार नहीं किया जाएगा।
– यह बताया जा सकता है कि एमसीएल के पास निविदा 2.00 लाख से अधिक अनुमानित मूल्य वाले निविदाओं के लिए ई-निविदा की नीति है । एमएसई सहित सभी के लिए खुला है जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।
– **एमसीएल की वार्षिक खरीद और पिछले तीन वर्षों के एमएसई से खरीद का % नीचे दिया गया है:**

		2015-16	2016-17	2017-18
1	कुल वार्षिक खरीद (लाख में)	8872.01	7927.00	9460.00
2	सूक्ष्म और लघु उद्यम से कुल खरीद (लाखों में)	2174.09	3002.69	5621.76
3	% कुल खरीद के एमएसई से खरीद	24.50	37.87	59.42

एमसीएल ने वित्त वर्ष 2017-18 में कुल वार्षिक खरीद का 59.42% एमएसई से खरीदा है और वर्ष 2013-14 से शुरू होने वाले न्यूनतम 20% लक्ष्य को लगातार प्राप्त कर रहा है और भविष्य में इस प्रवृत्ति को बनाए रखने के लिए भी प्रतिबद्ध है। पॉलिसी एमएसई द्वारा उत्पादित या प्रदान की गई उत्पादों या सेवाओं की कुल वार्षिक खरीद के 20% को प्राप्त करने की जरूरत है, जो सफलतापूर्वक हासिल की गई है।

एमसीएल खरीद प्रक्रिया की निगरानी, ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर बोलीदाताओं के डाटाबेस को अद्यतन, 20% लक्ष्य को हासिल करने और सुधार करने के लिए हितधारकों के साथ परसस्पर विचार विमर्श कर रहा है।

25. मानव संसाधन प्रबंधन (एचआरएम)

औद्योगिक संबंध

अग्रणी औद्योगिक संस्थान होने से कंपनी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ सहयोग करते हुए औद्योगिक संबंध बनाये हुए हैं ताकि संस्थान में सौहार्दपूर्ण कार्य वातावरण बना रहे। हमारी कंपनी ने बाह्य एजेन्सियों तथा खनन क्षेत्रों के नजदीक के ग्रामीणों से भी मित्रतापूर्ण संबंध कायम रखा है।

ऊँचाईयों की प्राप्ति के लिए प्रबंधन एवं कर्मचारियों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध ही एक धुरी (Pivotal) है और कंपनी सदैव उत्तम औद्योगिक संबंध को बनाए रखने में पूरा ध्यान देती है। इस वर्ष भी कंपनी ने तीन स्तरीय औद्योगिक संबंध कायम रखने में सफलता प्राप्त किया। मामला एवं शक्तियों के प्रत्यायोजन(डेलिगेशन आफ पावर) के आधार पर कर्मचारियों की शिकायतों/मांगों को विभिन्न स्तर के औद्योगिक संबंध प्रणाली द्वारा सुलझाया जाता है।

औद्योगिक संबंध शांतिपूर्ण रहा और वर्ष 2017-18 के दौरान प्रबंधन और ट्रेड यूनियनों के बीच मजबूत कोई हरताल नहीं हुआ मजबूत संबंधों को दर्शाता है ।

कार्यरत सभी चार श्रम संगठनों द्वारा प्रबंधन के साथ उच्च स्तरीय औद्योगिक संबंध बनाये रखने के लिए किए गये प्रयास बहुत ही सराहनीय है।

सहभागी प्रबंधन:

प्रबंधन के साथ एक विशिष्ट स्तर तक दैनंदिन कार्यों के साथ-साथ कार्पोरेट आयोजन में निर्णय लेने में कर्मचारियों की भागीदारी कार्पोरेट लक्ष्य प्राप्त करने के मार्ग को सुगम बनाती है। आपकी कंपनी एमसीएल ने सहभागिता प्रबंधन के मूल्यों को जानते हुए इसके आरंभ से ही इस सिद्धांत को अपनाया है।

जेसीसी और कल्याण बोर्ड में प्रतिनिधित्व के लिए ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों का नामांकन परिचालित ट्रेड यूनियनों द्वारा (आईआर प्रणाली के तहत शामिल) किया जाता है। उल्लेखित द्विपक्षीय फोरम के अलावा क्षेत्र के साथ-साथ कारपोरेट स्तर पर भी त्रिपक्षीय सुरक्षा समितियां कार्य कर रही हैं जिसमें ट्रेड यूनियनों द्वारा नामांकित प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ऊपर लिखित द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय समितियां विशेष निर्णय लेने और समस्याएं सुलझाने में प्रबंधन की सहायता करने में सक्रिय हैं।

अपने कर्मचारियों के साथ न केवल प्रबंधन सहभागिता के जरिए बल्कि राजभाषा पखवाड़ा, सुरक्षा सप्ताह, गुणवत्ता पखवाड़े इत्यादि मे सहभागिता के अवसर पर वाद-विवाद और संगोष्ठी ही नहीं बल्कि कर्मचारी संबद्धता जैसी श्रेष्ठ पद्धतियों को आत्मसात के जरिए कार्य संस्कृति, सौहार्दपूर्ण परिवेश और निष्ठा विकसित करने में एमसीएल विश्वास रखता है।

आपकी कंपनी लैंगिक संवेदनशीलता के महत्व को समझती है और अपनी महिला कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने और महिला कर्मचारियों द्वारा उठाए गए मुद्दों/शिकायतों के निपटारा के लिए विशेष ध्यान देती है। महिलाओं के उन्नति एवं विकास के लिये ताकि वे अवसरों का सर्वोतम उपयोग अधिक आत्मविश्वास के साथ प्रभावी रुप से आगे बढ़ सके, इस के लिये एमसीएल विप्स (सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाएं) फोरम के माध्यम से महिला कर्मचारियों को प्रशिक्षण एवं सेमिनार के द्वारा उन्हें सूचना एवं विचारो के आदान प्रदान के लिये मंच उपलब्ध कराता है ।

कंपनी में 2016-17 में कंपनी स्तर/क्षेत्र स्तर/परियोजना स्तर पर औद्योगिक संबंध , कल्याण, सुरक्षा, जेसीसी इत्यादि से संबंधित नियमित बैठकें हुई जिसमें कर्मचारी कल्याण, सुरक्षा और कर्मचारियों की शिकायतों से संबंधित विभिन्न मामलों पर यूनियन प्रतिनिधियों से चर्चा हुई और समरस्याएं मैत्रीपूर्ण भाव से निपटाई गईं। चर्चा के दौरान, कार्य प्रक्रियाओं के सुधार और संगठन के दैनंदिनी कार्यों में सुधार के लिए अनेक नए विचार और सुझाव भी प्रस्तुत किए गए।

इसके अतिरिक्त, क्षेत्र/मुख्यालय पर कोल इंडिया अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ (सी.आई.एस.टी.ई.ए) के साथ बैठक भी की गई जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के कर्मचारियों की शिकायतों पर चर्चा की गई और उन्हें मैत्रीपूर्ण भाव से निपटाने हेतु कार्यवाही आरंभ की गई।

संघ का एक सदस्य इकाई/क्षेत्र/मुख्यालय स्तर की निम्नलिखित फोरम में शामिल किया गया जो सहभागिता प्रबंधन की ओर एक अच्छा कदम है:-

i) आवास आबंटन समिति
ii) क्षेत्रीय संयुक्त सलाहकार समिति
iii) कॉर्पोरेट संयुक्त सलाहकार समिति

25.5 मनोरंजन गतिविधियां

टीम भावना को प्रेरित करने और कर्मचारियों के बीच आपसी भावना को समझने को ध्यान में रखते हुए एमसीएल के विभिन्न क्षेत्रों सहित मुख्यालय में नियमित रूप से विभिन्न सामाजिक व मनोरंजन गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। कर्मचारियों के लाभ के लिए विभिन्न अंतर्क्षेत्रीय टूर्नामेंट के आयोजनार्थ प्रतिवर्ष स्पोर्ट्स-कैलेंडर बनाए जाते हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान एमसीएल ने कोल इंडिया अंतर्कम्पनी लॉन टेनिस व कोल इंडिया अंतर्कम्पनी टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया। सीआईएल स्पोर्ट्स कैलेंडर के अनुसार सीआईएल की विभिन्न अनुषंगियों में आयोजित सीआईएल टूर्नामेंट में शामिल होने के लिए टीम प्रतिनियुक्त किया गया। कोल इंडिया स्थापना के साथ-साथ एमसीएल के स्थापना दिवस के अवसर पर एमसीएल मुख्यालय में पुरूषों, महिलाओं व बच्चों के लिए उत्कृष्टता हेतु दौड़ का आयोजन किया गया। विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। इन दोनों अवसरों पर सभी प्रतिभागियों को नारे व लोगो सहित टी-शर्ट व कैप प्रदान किया गया। 01 अप्रेल से लेकर 03 अप्रेल 2018 के दरम्यान उत्कल दिवस से एमसीएल स्थापना दिवस आदि तक सांस्कृतिक कार्यक्रम, गोल्फ टूर्नामेंट तथा अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों की एक क्रम जारी रहा। खनिक दिवस आयोजन 2017 के दौरान सर्वोत्तम खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किया गया। एमसीएल महिला मंडल ने एमसीएल परिधि में अनेकों परोपकारी कार्य किए। विभिन्न संस्थाओं को अपने क्षेत्रों में मनोरंजक व सामाजिक गतिविधियों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

<u>मानव संसाधन विकास-</u>

तेजी से बदलते ऊर्जा परिदृश्य के साथ तालमेल रखते हुए कंपनी अपने कर्मचारियों को तकनीकी प्रशिक्षण के साथ-साथ प्रबंधकीय कौशल के विभिन्न पहलुओं में सतत प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के प्रक्रिया के माध्यम से विकसित करने का प्रयास करती है। प्रशिक्षण हमारी कंपनी की कॉर्पोरेट नीति का एक अभिन्न हिस्सा है जिसमें मानव संसाधनों के विकास को संगठनात्मक विकास की कुंजी के रूप में शामिल किया गया है।

सामरिक योजना के कार्यों को पूरा करने के लिए तीन प्रबंधन संस्थानों- प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान(एमटीआई), बुर्ला; बेलपहाड़ प्रशिक्षण संस्थान(बीटीआई) लखनपुर क्षेत्र; खनन इंजीनियरिंग एवं उत्खनन प्रशिक्षण संस्थान(एमईईटीआई), केंद्रीय कर्मशाला,तालचेर तथा पाँच ग्रुप वोकेशनल/वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर क्रमश: जगन्नाथ क्षेत्र, तालचेर, लखनपुर, ओरियंट और बसुंधरा क्षेत्र में एचआरडी के प्रयासो को एकीकृत करने के लिए प्रत्येक वर्ष वार्षिक एचआरडी योजना पर कार्य किया जाता है।

<u>वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए प्रशिक्षण विवरण</u>

1. **<u>आंतरिक प्रशिक्षण - एमटीआई, बीटीआई, एमईईटीआई और जीवीटीसी</u>**

क्र.सं.	कर्मचारियों	वर्ष 2016-17	वर्ष 2017-18
1.	कार्यकारी	447	384
2.	पर्यवेक्षक	990	1098
3.	श्रमिक	5695	6292
	कुल	7132	7774

2. **बाह्य प्रशिक्षण विवरण**

क्र.सं.	क्र.सं.	वर्ष 2016-17	वर्ष 2017-18
1.	कार्यकारी	873	747
2.	पर्यवेक्षक	89	50
3.	श्रमिक	89	45
	कुल	1051	842

3. **कुल प्रशिक्षण (आंतरिक और बाह्य)**

क्र.सं.	कार्यकारी	वर्ष 2016-17	वर्ष 2017-8
1.	पर्यवेक्षक	1320	1131
2.	श्रमिक	1079	1148
3.	कुल	5784	6337
	कार्यकारी	8183	8616

4. **विभिन्न शैक्षणिक संस्थान के छात्रों को इंटर्नशिप प्रशिक्षण**

क्र.सं.	विद्यार्थी	वर्ष2016-17	वर्ष 2017-18
1.	खनन अभियंता	158	167
2.	खनन डिप्लोमा	1134	1028
3.	बी टेक	112	104
4.	एमबीए	42	48
5.	अन्य	54	63
	कुल	1498	1410

दिनांक 05.02.2014 को आयोजित एमसीएल बोर्ड की 155 वीं बैठक के फैसलों के अनुसार, नव नियुक्त कर्मचारियों को स्कूली शिक्षा कार्यक्रम के तहत 02 साल की अवधि के लिए अपनी स्कूलिंग और कौशल विकास के लिए विभिन्न सूचीबद्ध संस्थानों को प्रायोजित किया जा रहा है।

5. स्कूलिंग और स्किलिंग (आईटीआई) के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए प्रायोजन का विवरण (आईटीआई)

सत्र	व्यापार		कुल
	फिटर	इलेक्ट्रीशियन	
2016-18 तक (31.03.2017)	49	32	81
2017-19 तक (31.03.2018)	48	91	139

6. **कौशल विकास प्रशिक्षण (शिक्षा के तहत) के लिए प्रायोजन का विवरण**

सत्र	केएसएएस, भुवनेश्वर	एमआईटीएस, रायगडा	कुल
2016-18 तक (31.03.2017)	42	115	157
2017-19 तक (31.03.2018)	127	26	153

7. राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद (एनएसडीसी) मान्यता प्राथमिक शिक्षा (आरपीएल) विभागीय खान संचालन कर्मचारियों (05 साल से अधिक अनुभव) को 02 दिनों का प्रशिक्षण 03.04.2017 से 30.05.2017 तक 571 कर्मचारियों और राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद (एनएसडीसी) के लिए शुरू किया गया। 10 दिनों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आरपीएल (ब्रिज कोर्स) 10.07.2017 से 01.11.2017 तक 921 कर्मचारियों (05 वर्ष से कम अनुभव) के लिए वित्त वर्ष में शुरू हुआ।

8. **<u>एमसीएल बोर्ड के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया</u>**

क्र.सं.	वर्ष	प्रशिक्षु की सं.	भारत में	विदेश में
1.	2016-17	5	04	01
2.	2017-18	शून्य	शून्य	शून्य

9. **2016-17 एवं 2017-18 में प्राप्त किया मानव दिवस प्रशिक्षण**

क्रमांक	कर्मचारी	वर्ष 2016-17	वर्ष 2017-18
1.	अधिकारी	6949	5081
2.	पर्यवेक्षक	6185	6079
3.	श्रमिक	48674	60606
	कुल	61808	71766

10. **विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम**

क्रमांक	**कर्मचारी**	वर्ष 2016-17	वर्ष 2017-18
1.	परियोजना प्रबंधन	40	8
2.	संविदा प्रबंधन	18	14
3.	जोखिम प्रबंधन	12	23
4.	पर्यावरण, वन प्रबंधन एवं भू अधिग्रहण	28	10
5.	सिम्यूलेटर प्रशिक्षण	36	34

सन् 2017-18 में समझौता ज्ञापन के 35% लक्ष्य की तुलना में 38.8% कर्मचारियों को पाँच दिवसीय कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया है।

भुवनेश्वर में प्राकृतिक संसाधन तथा ऊर्जा प्रबंधन(एम.आई.एन.आर.ई.एम.) के एमसीएल संस्थान-

एमसीएल ने कोयला अनुभाग में कोयला उपक्रम के अधिकारियों के लिए विकसित एवं उभरते हुए विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नया कदम उठाया है। टोमांडों भुवनेश्वर में आगामी सुविधाओं ने प्रशिक्षण एवं विकास, आर. एवं डी., कसलटेंसी और सामान्य शिक्षा कार्यक्रम जैसी विविध गतिविधियों पर लक्ष्य साधा है। नई तकनीकी से उभरती योग्यता अंतराल, व्यापार के विविधिकरण, और अधिकारियों की सेवानिवृत्ति को फिर से संरचित मानव संसाधन विकास हस्तक्षेप के माध्यम से फिर से भरा जा सकता है जिसके लिए संस्थान रुका हुआ था।

राजधानी भुवनेश्वर में विश्व स्तरीय संस्था के रुप में उभरने के लिए एमसीएल द्वारा एकमात्र उन्नत एवं पूर्ण पूंजीकृत संस्था एमसीएल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रिसोर्स अँड एनर्जी मैनेजमेंट, सोसाइटी के रूप में दिनांक 16.01.2016 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत महानिरीक्षक(पंजीकरण), ओड़ीशा द्वारा पंजीकृत कि गई है।

चूंकि MINREM का प्रचालन अधिकारियों की मौजूदा प्रतिभा को विकसित करने, शिक्षा के साथ-साथ भविष्य में चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाने और नवीनता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए नियत किया जाता है।

प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, संबलपुर, बेलपहार प्रशिक्षण संस्थान, बेलपहार / खनन अभियांत्रिकी (इंजीनियरिंग) और खुदाई प्रशिक्षण संस्थान, तालचेर

प्रशिक्षण पाठ्यचर्या:

क. अधिकारी विकास कार्यक्रम:-

सामान्य प्रबंधन कार्यक्रम अधिकारियों के प्रबंधन कौशलों और कार्यनिष्पादन हेतु।

कार्यात्मक और क्रॉस कार्यात्मक कार्यक्रम: अन्य विभाग के कार्य के बारे में ज्ञान विकसित करने के लिए।

कम्प्यूटर जागरूकता कार्यक्रम: सभी संबंधित कार्यालयीन कार्यों के कुशल एवं सरलतापूर्वक कार्यकलाप।

ख. पर्यवेक्षक कार्यक्रम:-

पर्यवेक्षक विकास कार्यक्रम: ज्ञान व कौशल उन्नयन हेतु ।

पर्यवेक्षकों के लिए सुरक्षा प्रबंधन में जागरूकता सृजित करने हेतु। पर्यवेक्षकों :

ओवरमैंन व माइनिंग सरदार जैसे व्यक्तियों के कैरियर संवर्धन हेतु ।

कंप्यूटर जागरूकता कार्यक्रम सभी संबंधित :कार्यालयीन कार्यों के कुशल और सुचारु निष्पादन हेतु ।

ग. श्रमिकों हेतु कार्यक्रम:-

निष्पादन हेतु श्रमिक विकास कार्यक्रम: श्रमिकों के कौशल उन्नयन हेतु।

एचईएमएम प्रशिक्षण: उचित प्रशिक्षण के बाद विभिन्न खदानों मे तैनाती के लिए भू-विस्थापितों को इस प्रशिक्षण के लिए चुना गया है।

कंप्यूटर जागरूकता कार्यक्रम सभी संबंधित :कार्यालयीन कार्यों के कुशल और सुचारु निष्पादन हेतु ।

प्रबंधन प्रशिक्षण:

प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों को संगठनात्मक विकास के विभिन्न प्रबंधकीय और व्यवहारिक पहलुओं में आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, बुर्ला में समय-समय पर कंपनी की आवश्यतानुसार विभिन्न विषयों पर आंतरिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा कुछ अधिकारियों को विभिन्न बाह्य संगठनों जैसे आई.आई.सी.एम. रांची, आई.आई.एम., आई.आई.टी. , एन.आई.टी. एवं भारत तथा विदेश के अन्य प्रख्यात् प्रशिक्षण केन्द्रों में नए कौशल हासिल करने और ज्ञान को अद्यतन करने के लिए भेजा जाता है।

<u>तकनीकी प्रशिक्षणः</u>

खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियमों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार जी.वी.टी.सी. में विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसे कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य तेजी से आगे बढ़ रही तकनीकी के साथ श्रमिकों/ऑपरेटरों/मैकानिकों के तकनीकी कौशल को बढ़ाने हेतु किया जाता है। जी.वी.टी.सी. में श्रमिकों के प्रशिक्षण के प्रकार दिए गए हैं। जी.वी.टी.सी. में सभी प्रशिक्षण वैधानिक प्रकृति में दी जाती है।

<u>बुनियादी पाठ्यक्रम</u>:

इस प्रशिक्षण का मूल उद्धेश्य नवनियुक्त श्रमिकों को खनन गतिविधियों, नियमों और विनियमों तथा प्रौद्योगिकियों से परिचित कराना है।

<u>नया (रिफ्रेसर) पाठ्यक्रम</u>

ये कार्यक्रम पांच साल में एक बार उन लोगों के लिए आयोजित किए जाते हैं जो पहले से ही बुनियादी पाठ्यक्रम से गुजर चुके हैं और खानों में कार्यरत् हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य श्रमिकों के तकनीकी ज्ञान को बढ़ाना तथा उसे अद्यतन करना है, ताकि उन्हें अधिक कुशल बनाया जा सके।

<u>विशिष्ट पाठ्यक्रमः</u>

इन कार्यक्रमों के तहत् श्रमिकों को प्रौद्योगिकी में बदलाव, नौकरी प्रोफाइल में बदलाव, उपकरण विन्यास/क्षमता में परिवर्तन और उत्पादन प्रणाली में सुधार के मामलों की जानकारी दी जाती है।

<u>मानव संसाधन पहल</u>

<u>सलाहकार-मैंटी योजना</u>

सी.आई.एल. के सलाहकार मैंटी योजना के अनुसार, नए प्रवेशकों की उच्च प्रतिधारण दर सुनिश्चित करने तथा प्रशिक्षित और प्रतिबद्ध सलाहकारों के पूल को विकसित करने के लिए, एमसीएल ने 107 मैंटीस (सहायक प्रबंधक E-3 ग्रेड में) के लिए विभिन्न विषयों से 23 सलाहकार नियुक्त किए हैं। संगठन के लिए यह एक प्रमुख प्राथमिकता क्षेत्र है।

इस योजना का उद्देश्य उनके व्यावसायिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए मैंटीस के साथ उनके सामाजिक संपर्क को बनाने में मदद करना है तथा भविष्य में वरिष्ठ नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए उच्च क्षमता वाले अधिकारियों को विकसित करना है।

मुख्यालय में वर्ष 2017-18 के दौरान सलाहकार मैंटी योजना के अंतर्गत सलाहकारों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों से संकाय आमंत्रित करके एक पारस्परिक विचार-विमर्श कार्यक्रम की व्यवस्था की गई थी।

<u>प्रशिक्षु (अपरेंटिस) अधिनियम, 1961 के अंतर्गत प्रशिक्षण देना 1961 (संशोधित 2016)</u>

क्रमांक	वर्ष	आई.टी.आई. उत्तीर्ण प्रशिक्षु के संलग्न की संख्या	पी.डी.पी.टी. में संलग्न की संख्या	पी.जी.पी.टी. में संलग्न की संख्या
1.	**2016-17**	182	200	-
2.	**2017-18**	207	195	02

25.5 मनोरंजन गतिविधियां

टीम भावना को प्रेरित करने और कर्मचारियों के बीच आपसी भावना को समझने को ध्यान में रखते हुए एमसीएल के विभिन्न क्षेत्रों सहित मुख्यालय में नियमित रूप से विभिन्न् सामाजिक व मनोरंजन गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। कर्मचारियों के लाभ के लिए विभिन्न अंतर्क्षेत्रीय टूर्नामेंट के आयोजनार्थ प्रतिवर्ष स्पोर्ट्स-कैलेंडर बनाए जाते हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान एमसीएल ने कोल इंडिया अंतर्कम्पनी लॉन टेनिस व कोल इंडिया अंतर्कम्पनी टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया। सीआईएल स्पोर्ट्स कैलेंडर के अनुसार सीआईएल की विभिन्न अनुषंगियों में आयोजित सीआईएल टूर्नामेंट में शामिल होने के लिए टीम प्रतिनियुक्त किया गया। कोल इंडिया स्थापना के साथ-साथ एमसीएल के स्थापना दिवस के अवसर पर एमसीएल मुख्यालय में पुरूषों, महिलाओं व बच्चों के लिए उत्कृष्टता हेतु दौड़ का आयोजन किया गया। विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। इन दोनों अवसरों पर सभी प्रतिभागियों को नारे व लोगो सहित टी-शर्ट व कैप प्रदान किया गया। 01 अप्रेल से लेकर 03 अप्रेल,2018 के दरम्यान उत्कल दिवस से एमसीएल स्थापना दिवस आदि तक सांस्कृतिक कार्यक्रम, गोल्फ टूर्नामेंट तथा अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों की एक क्रम जारी रहा। खनिक दिवस आयोजन 2017 के दौरान सर्वोत्तम खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किया गया। एमसीएल महिला मंडल ने एमसीएल परिधि में अनेकों परोपकारी कार्य किए। विभिन्न संस्थाओं को अपने क्षेत्रों में मनोरंजक व सामाजिक गतिविधियों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

25.5.1 शिक्षा:

एमसीएल ने कोयला खदानों के आस-पास चल रही शैक्षिक संस्थाओं, एन.के. महाविद्यालय, तालचेर सहित 17 निजी रूप से प्रबंधित स्कूलों को सहायता-अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की है । हमारे बच्चों के लिए अच्छी शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु एमसीएल में 09 डीएव्ही पब्लिक स्कूल चल रहे हैं। इसमें विशेष रूप से बालिकाओं के लिए डीएवी बालिका हाई स्कूल तथा सभी डीएव्ही स्कूल में स्मार्ट कक्षाओं का प्रावधान शामिल है। वर्ष 2017-18 के दौरान, डीएवी पब्लिक स्कूलों के आवर्ती व्यय हेतु रू. 3116.78 लाख (राजस्व) तथा निजी स्कूलों को रू 53,82,904 उपलब्ध कराए गए। उपर्युक्त के अलावा, आईजीआईटी, सरांग और ओएसएमई, क्योंझर (डिप्लोमा तकनीकी स्कूलों) में वेज बोर्ड कर्मचारियों के बच्चों के दाखिले हेतु 40 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं।

25.5.2 मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति

सी.आई.एल. छात्रवृत्ति योजना के अनुसार, 1081 नंबर कर्मचारी वार्ड को योग्यता के आधार पर छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया है, जिसके लिए वर्ष 2017-18 के दौरान राशि-1677,580रू खर्च किये गए थे।

एमसीएल ने कर्मचारियों के बच्चों को तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा के लिए ट्यूशन फीस और हॉस्टल का किराया देकर वित्तीय सहायता दी थी। वर्ष 2017-18 के दौरान 144 कर्मचारियों के बच्चों को इस योजना के तहत 35,67,463/- रुपये वितरित किए गए।

साफ-सुथरा आवास/सामाजिक सुविधाएं-

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, साफ-सुथरे आवास के लिए राशि-1 9, 22,50,000.00रु के विशेष बजट की स्वीकृति दे दी गई, जिसमें आवासीय भवन, सड़क और अन्य सहयोगी कार्यों, गैर आवासीय भवन और स्वच्छता इत्यादि शामिल हैं।

26. राजभाषा

भारत सरकार की राजभाषा नीति को एमसीएल मुख्यालय और क्षेत्र में लागू करने के लिए प्रतीक वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम / कैलेंडर तैयार किया जाता है और सभी कार्यक्रम कैलेंडर के अनुसार किए जाते है।

वर्ष 2017-18 के दौरान एमसीएल में निम्न कार्यक्रमो / गतिविधियों का आयोजन किया गया था:

1. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें:

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 26.04.2017, 26.07.2017, 28.10.2017 और 07.02.2018 को निदेशक (कार्मिक), एमसीएल की अध्यक्षता में हुई, जिसमें क्षेत्र और मुख्यालयों में राजभाषा गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा की गई और भारत सरकार के राजभाषा नीति के सुचारू रूप से कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

2. राजभाषा कार्यशाला:

एमसीएल मुख्यालय और क्षेत्र में राजभाषा कार्यशालाएं आयोजित की गईं:

वर्ष 2017-18 में एमसीएल में कुल 14 राजभाषा कार्यशालाएं आजोजित की गई, जिसमें 445 प्रतिभागियों को भारत सरकार की राजभाषा नीति के नियम और विनियमों से परिचित कराया गया। प्रतिभागीयों ने हिंदी में टिप्पणियां और मसौदा तैयार करने का अभ्यास किया। वर्ष 2016-17 में 10 राजभाषा कार्यशालाएं आयोजित की गई जिनमें कुल 447 अधिकारी / कर्मचारी प्रशिक्षित किए गए।

3. राजभाषा (हिंदी) का प्रशिक्षण:

राजभाषा (हिंदी) प्रशिक्षण और परीक्षाओं का आयोजन हिंदी शिक्षण योजना, भारत सरकार के अंतर्गत किया गया था। वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल 185 कर्मचारी उत्तीर्ण हुए थे । वित्त वर्ष 2016-17 में हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत कुल 244 कर्मचारी उत्तीर्ण हुए थे, ब्योरा निम्नानुसार है: -

सत्र	प्रबोध	प्रवीण	प्रज्ञा	कुल
2017-18	40	63	82	185
2016-17	44	116	84	244

कोल इंडिया लिमिटेड के परिपत्र के अनुसार सफल उम्मीदवारों को एक बार एकमुश्त नगद राशि इनाम के रूप में दी जाती है। प्राज्ञ उत्तीर्ण उम्मीदवारों को एमसीएल द्वारा एकमुश्त नगद राशि के साथ-साथ उनके वार्षिक वेतन वृद्धि के बराबर का नगद पुरस्कार भी दिया जाता है।

4. कंप्यूटर पर यूनिकोड समर्थित हिंदी टाइपिंग प्रशिक्षण:

वर्ष 2017-18 के दौरान दिनांक 12.08.2017 को तकनीकी सेमिनार का आयोजन किया गया था तथा दिनांक 04.12.2017 से 07.12.2017 तक कंप्यूटर पर यूनिकोड समर्थित हिंदी टाइपिंग प्रशिक्षण प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान (एमटीआई), आनंद विहार, एमसीएल मुख्यालय में आयोजित किया गया था जिसमें एमसीएल के 65 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया था, जबकि 2016-17 87 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया था।

5. अनुवाद प्रशिक्षण:

अनुवादकों के कौशल विकास के लिए, एमसीएल, मुख्यालय में 12.02.2018 से 16.02.2018 तक पांच दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें एमसीएल के 15 कर्मचारी प्रशिक्षित हुए।

6. राजभाषा पुरस्कार योजना:

एमसीएल में राजभाषा के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने और गति प्रदान करने के लिए, **"एमसीएल राजभाषा कार्यान्वयन पुरस्कार योजना"** वर्ष 2015 में शुरू की गई है। 09 में 03 पुरस्कार क्षेत्रो को, 03 बड़े विभागों को और शेष 03 कंपनी मुख्यालय के छोटे विभागों को दिए गए थे। वर्ष 2016-17 के लिए सभी 9 पुरस्कार दिनांक 27.09.2017 को आयोजित राजभाषा पखवाड़ा-2017 के समापन समारोह के अवसर पर अध्यक्ष द्वारा दिए गए थे।

7. अखिल भारतीय हिंदी हास्य कवी सम्मेलन:

एमसीएल मुख्यालय में "अखिल भारतीय हिंदी हास्य कवी सम्मेलन" का आयोजन राजभाषा पखवाड़ा -2017 के समापन दिवस समारोह दिनांक 27.09.2017 को आयोजित किया गया था।

8. हिंदी दिवस/हिंदी पखवाडा:

दिनांक 14.09.016 को एमसीएल मुख्यालय तथा क्षेत्रों में हिंदी दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन श्री ए. के. झा, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक,एमसीएल ने किया। एमसीएल मुख्यालय/क्षेत्रों में 14 से 28 सितंबर, 2017 तक राजभाषा पखवाड़ा मनाया गया। पखवाड़े के दौरान एमसीएल के कर्मचारियों के लिए हिंदी निबंध लेखन, परिचर्चा, नोटिंग और मसौदा, तथा हिंदी टाइपिंग एवं गृहिनियों के लिए हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया।

एमसीएल ऑडिटोरियम, जागृति विहार में 27.09.2017 को हिंदी पखवाड़ा के समापन दिवस के समारोह पर हिंदी प्रतियोगिताओं के सभी विजेताओं को श्री जे. पी. सिंह, निदेशक तकनीकी (संचालन) और श्री मुनवार खुर्शीद (आईआरपीएफ), सीवीओ, एमसीएल द्वारा पुरस्कार और प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

9. विश्व हिंदी दिवस:

एमसीएल मुख्यालय में दिनांक 10.01.2018 को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। 10.01.2018 को कार्यक्रम का उद्घाटन श्री बी.सी. त्रिपाठी महाप्रबंधक (प्रबं.प्रशि.सं./राजभाषा/मासंवि) द्वारा किया गया। इस अवसर पर एक राजभाषा संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया था। प्रो. के.पी. गुप्ता, पूर्व-विभागाध्यक्ष(हिंदी), जीएम विश्वविद्यालय और डॉ. जयंत कर शर्मा, ओईएस (आई), रजिस्ट्रार, ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय (ओएसओयू) को सम्मानित किया गया और उन्होंने सभा को संबोधित किया।

10. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, संबलपुर की बैठकें:

वर्ष के दौरान नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास),संबलपुर की दो छमाही बैठकों का आयोजन दिनांक 23.06.2017 और 29.11.2017 को एमसीएल मुख्यालय में हुआ। बैठक की अध्यक्षता निदेशक (कार्मिक), एमसीएल ने की थी।

11. टॉलिक, राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता:

नगर राजभाषा समिति, सम्बलपुर के सभी सदस्य कार्यालय में राजभाषा के कार्यान्वयन की उन्नति के लिए "नराकास राजभाषा शील्ड" प्रतियोगिता का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। वर्ष 2016-17 में कुल 09 चयनित सदस्य कार्यालय को "नराकास राजभाषा शील्ड" से सम्मानित किया गया गया था। दिनांक 29.11.2016 को आयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, सम्बलपुर की बैठक में निदेशक (कार्मिक),एमसीएल द्वारा शील्ड प्रदान की गई।

12. पुस्तकों की खरीद:-

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार 87,560/- रुपये की किताबें खरीदी गईं थीं जिनमें से 69,572/- रु. हिंदी और ओड़िया पुस्तकों की खरीद के लिए खर्च किए गए, जो वर्ष 2017-18 के लिए 79.46% है जबकि वर्ष 2016-17 में 1,05,000/- रु. में से 59584/- रु. केवल हिंदी और ओड़िया पुस्तकों की खरीद के लिए खर्च किए गए थे, जो खर्च की कुल राशि का 56.74 % है।

13. एमसीएल की वेबसाइट:

एमसीएल की वेबसाइट द्विभाषी की गई है और इसे नियमित आधार पर अद्यतन किया जा रहा है।

14. राजभाषा पोर्टल:

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड वेबसाइट में राजभाषा पोर्टल उपलब्ध है, जिसमें एमसीएल की राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को अद्यतन के रूप में देखी देखी जा सकती हैं।

15. राजभाषा पत्रिका:

वर्ष 2017-18 के दौरान "राजभाषा झलाकियां" और "संबलप्रभा" नामक दो राजभाषा पत्रिकाओं के पांचवे अंक का प्रकाशन किया गया हैं। "राजभाषा झलाकियां" के पांचवे अंक का विमोचन राजभाषा पखवाड़ा के समापन दिवस समारोह दिनांक 27.09.2017 को किया गया और "संबलप्रभा" का पांचवे अंक का विमोचन दिनांक 23.06.2017 को आयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, सम्बलपुर की प्रथम बैठक के दौरान किया गया था।

27. भूमि / आर एंड आर

आपकी कंपनी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए परियोजना प्रभावित / विस्थापित परिवारों की सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है और परियोजना प्रभावित परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए प्रयास कर रही है और विकास के साथ प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है जो इसकी आर एंड आर नीति में काफी दिखाई देता है। एमसीएल ओडिशा राज्य की आर एंड आर नीति का पालन करता है और 2017-18 के दौरान रोजगार / वार्षिकता के बदले 786 रोजगार / नकद मुआवजा प्रदान किया है और शुरुआत के बाद से कुल 15012 रोजगार/वार्षिकी के बदले में रोजगार/नकद मुआवजे प्रदान किया है । एमसीएल भूमि निकायों से संबंधित शिकायतों के निवारण की दिशा में आरपीडीएसी की सलाह पर काम कर रहा है । भूमि विस्थापितों के लाभ के लिए पक्की सड़कों, सड़क प्रकाश व्यवस्था, स्वास्थ्य केंद्रों , डाकघरों, दैनिक बाजारों, स्कूलों, सामुदायिक केंद्रों , पूजा स्थानों आदि के साथ पुनर्वास कॉलोनियां स्थापित की गई हैं। एमसीएल कोलफील्ड्स में उपलब्ध मौजूदा अस्पतालों /दवाखानों में मुफ्त में या 2.00 रुपये प्रति रोगी के मामूली शुल्क पर सभी आसपास के ग्रामीणों को ओपीडी सुविधा प्रदान करता है।

आपकी कंपनी ने प्रभावित ग्रामीणों को पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रदान करके खनन गतिविधियों के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण करती है। वर्ष 2017-18 के दौरान एमसीएल ने 460.987 हेक्टेयर भूमि का भौतिक कब्जा कर लिया है ।

28. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कोयला उत्पादन में वृद्धि को देखते हुए, गांवों और प्रभावित समुदाय के समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए सीएसआर शुरू की जा रहा है। एमसीएल समाज के सतत विकास के लिए सीएसआर को एक प्रमुख व्यावसायिक प्रक्रिया के रूप में मानता है।

सीसीआईएल और एमसीएल की सीएसआर नीति के अनुसार वर्ष 2016-17 के लिए सीएसआर गतिविधियों के लिए तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के लिए एमसीएल ने कंपनी के औसत निवल लाभ का 2% के आधार पर 122.85 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान सीएसआर के तहत खर्च की गई राशि 2,67.52 करोड़ रुपये है।

एमआईएमएसआर में 100 सीट वाले मेडिकल कॉलेज होगा जिसमें अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ 500 बिस्तर वाले मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल होंगे। इस परियोजना में 300 लड़कों के लिए छात्रावास, 200 लड़कियों के छात्रों के लिए एक अलग से छात्रावास, 100 इंटर्न के लिए दो ब्लॉक छात्रावास , 57 जूनियर निवासी डॉक्टरों के लिए एक छात्रावास और नर्सों के लिए 50 बिस्तर वाले छात्रावास की कल्पना की गई है। वित्त वर्ष 2017-18 में एमआईएमएसआर को 492.62 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिनमें से एमसीएल ने 209 .57 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

स्कूल शौचालयों के निर्माण के लिए 24.72 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है।

कंपनी अधिनियम की धारा 134 के उपनियम (3) के खंड (0) तथा कंपनी नियमावली 2014 के नियम (9) (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) के अनुसार कानून दवारा आवश्यक प्रकटीकरण **अनुलग्नक - 1** के रूप में संलग्न है।.

29 जेंडर बजट की व्यवस्था -

आपकी कंपनी का दृढ़ विश्वास है कि विकास के लाभों की पुरूषों के बराबर महिलाओं तक प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए जेंडर मेनस्ट्रीमिंग में जेंडर बजट व्यवस्थापन एक शक्तिशाली माध्यम है। नीति/कार्यक्रम निर्धारण, कार्यान्वयन तथा इसकी समीक्षा में जेंडर परिप्रेक्ष्य को बनाए रखते हुए एमसीएल में यह मात्र एक लेखा कार्य न होकर एक सतत प्रकिया है । 31 मार्च 2018 को कुल महिला कर्मचारियों की ताकत 1941 थी, जो एमसीएल के कुल कर्मचारियों की 8.65% थी।

आपकी कंपनी ने अपनी सामाजिक प्रतिक्रिया के बावजूद हमेशा जेंडर बजट के मुद्दे को कंपनी और कंपनी के बाहर संवेदनशील दिखाया है। सर्वोत्तम संभव प्रयासों के माध्यम से उन्हें संबोधित सार्वजनिक क्षेत्र विंग/शाखा, एमसीएल में महिलाओं विप्स को सक्रिय रूप से कार्य करने की अनुमति देने के साथ विस्तृत प्रदर्शन व ज्ञान वर्धन हेतु कंपनी और बाहर के सेमिनारों और सम्मेलनों में इसके सदस्यों को भाग लेने की अनुमति देना।

- अपने कार्यबल के जेंडर विशिष्ट डाटाबेस का अनुरक्षण।.
- महिला कर्मचारियों द्वारा दाखिल की गई शिकायतों के उपयुक्त व समयानुसार निवारण के लिए शिकायत समिति गठित की गई है ।

- सीआईएल नियमों के अनुसार पात्र महिला अधिकारियों को बाल देख-रेख अवकाश (सीसीएल) प्रदान करना।
- खान दुर्घटनाओं में मृत कर्मचारियों की पत्नियों हेतु रोजगार के लिए आयु सीमा में छूट।
- उपयुक्त प्रतिनिधित्व और संबोधन से संबंधित मामलों के निपटारे हेतु प्रबंधन और ट्रेड यूनियनों के बीच होनेवाली औद्योगिक संबंध बैठकों में महिला कर्मचारियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना।

<u>कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण।</u>

"कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप कंपनी ने एक यौन उत्पीड़न विरोधी नीति बनाई है। यौन उत्पीड़न के बारे में प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) की स्थापना की गई है। इस पॉलिसी के तहत सभी कर्मचारी (स्थायी, ठेका, अस्थायी, प्रशिक्षु) शामिल हैं।“

प्राप्त शिकायतों की संख्या: शून्य

निपटाए गए शिकायतों की संख्या: शून्य

30. जनसंपर्क:

हितधारकों से संवाद करने के लिए सक्रिय होना आपकी कंपनी के सद्भावना एक मूल मंत्र है। इसके लिए, हम अपने हितधारकों को संस्थान में घटनाओं साथ-साथ व्यापार संचालन से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में सूचित और अद्यतन रखने के लिए बहुत सक्रिय हैं।

हमने सामरिक रूप से नियोजित संचार द्वारा आंतरिक और बाहरी जनता के साथ अपने संबंध को मजबूत करना जारी रखा है, क्योंकि हम बड़े पैमाने पर मीडिया को शक्तिशाली के रूप में मानते हैं जो विभिन्न व्यावसायिक-संबंधों के साथ ही कंपनी के सामाजिक और विकासात्मक पहलुओं को पूरा करने में मदद करता है।

आपकी कंपनी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ (मीडिया) के सदस्यों के साथ एक बहुत ही मजबूत व्यावसायिक संबंध बनाए रखती है।

वर्ष 2017-18 के दौरान, आपकी कंपनी ने भारत सरकार के एक बड़े पैमाने पर आउटरीच कार्यक्रम (एम.ओ.पी.) - "सबका साथ, सबका विकास सम्मेलन" का ओडिशा के 13 अलग-अलग स्थानों पर सफलतापूर्वक आयोजन किया गया जिसमें केंद्र सरकार की विकास योजनाओं के साथ-साथ एम. सी. एल. के सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत अपनाए गए आर्थिक उत्थान उपायों को बतलाया गया। इसके अलावा, भारत सरकार के संसदीय मामलों के मंत्रालय की तरफ से भुवनेश्वर में सेमिनार-सह-प्रदर्शनी के माध्यम से एक और एम.ओ.पी. "न्यू इंडिया: वी रिसोलव टू मेक (नया भारत हम कर के रहेंगे) सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।

कंपनी के मानवीय छवि अर्थात पर्यावरण अनुकूल कोयला खनन परिचालन, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) इत्यादि के निर्माण पर विशेष जोर दिया गया, जिससे ओड़ीशा के सामान्य जीवन में विशेष रूप से एमसीएल के आसपास के क्षेत्रों में दृष्टिगत उन्नति भी हुई हैं।

कंपनी के जन संपर्क टिम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को संलग्न किया है और कंपनी के हितधारकों को अच्छी तरह से सूचित करने के लिए वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा शीर्ष प्रबंधन के विशेष साक्षात्कार की व्यवस्था की है। कंपनी की विभिन्न घटनाओं, गतिविधियों और उपलब्धियों पर प्रेस वक्तव्य के रूप में कंपनी से जानकारी का बढ़ता प्रवाह कंपनी की पहल और सफलताओं के लिए व्यापक प्रचार प्रदान करता है।

सामरिक संचार के माध्यम से संकट के चलते व्यापार के संचालन में कंपनी की अशांत स्थितियों को बदलकर अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में जन संपर्क विभाग सक्रिय है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भुवनेश्वर और कटक में उद्योग प्रदर्शनी में कंपनी की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के साथ-साथ प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित सीएसआर मेला 2018 में एमसीएल के जनसंपर्क ने भाग लिया ।

एमसीएल के जन शक्ति विभाग ने जनता को शामिल करने के लिए कंपनी द्वारा आयोजित कई विषयों जैसे स्वच्छ भारत पहल पर "सहयोग की शक्ति" लघु हिंदी फिल्म पर, "नया भारत" सोशल मीडिया के लिए एक छोटी श्रृंखला, "ए ग्रोइंग कोल जायंट!" कंपनी पर एक वृत्तचित्र, "अपनका साथी-रे, सब्यूबले" सब्बा साथ सबका विकास विषय पर एमओपी के लिए एक ओडिया लघु फिल्म पर ऑडियो-विज़ुअल प्रस्तुत किया है।

पारंपरिक मीडिया के माध्यम से कंपनी के संवर्धन के अलावा सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट facebook@/mahanadicoal के माध्यम से; माइक्रो ब्लॉगिंग साइट Twitter @ / mahanadicoal; और वीडियो साझा करने वाली वेबसाइट YouTube @/mahanadiCoalfields के माध्यम से लोगों के व्यापक दृष्टिकोण के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म / सोशल मीडिया में आपकी कंपनी की उपस्थिति, दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। सोशल मीडिया स्पेस में विशेष रूप से किशोरों के बीच, आगे बढ़ने के लिए आपकी कंपनी अब एंड्रॉइड आधारित सोशल प्लेटफ़ॉर्म जिसे Instagram @ / pro.mcl कहा जाता पर फोटो और वीडियो साझा करने के लिए आगे बढ़ रही है।

जनसंपर्क टिम सतत रूप से सामाजिक मुद्दों जैसे जैसे 'भ्रष्टाचार', 'एड्स', 'बेटी पढ़ाओ', 'स्वच्छ भारत', 'पर्यावरण संरक्षण' आदि पर लोगों के बीच रचनात्मक सामग्री प्रसारित, प्रकाशित एवं प्रस्तुत कर बड़े कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता पैदा करने में निराकन्तर संलग्न है।

31. सामाजिक सुविधाओं पर पूंजीगत निवेश

31.03.2017 से 31.03.2018 तक की सामाजिक सुविधाओं पर पूंजीगत निवेश का विवरण यहां बताया गया है। (रू. करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	स्थायी परिसंपत्तियों का सकल मूल्य	
		31.3.2018 के अनुसार	**31.3.2017** के अनुसार
1	भवन	524.71	476.49
2	संयंत्र और मशीनरी	75.96	74.56
3	फर्नीचर फिटिंग और उपकरण	9.44	9.16
4	वाहन	7.43	7.56
5	विकास	9.29	9.29
	कुल	**626.82**	**577.06**

32. सतर्कता गतिविधियां और उपलब्धियां:

एमसीएल के सतर्कता विभाग का मुख्य केंद्र लीवरेजिंग प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से निवारक सतर्कता पर रहा है। उनकी मुख्य भूमिका कंपनी के कारोबारी लेनदेन में मानव हस्तक्षेप को कम कर भ्रष्टाचार से प्रभावित क्षेत्र के रूप में चिह्नित क्षेत्रों में व्यवस्थित सुधार का सुझाव देना है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, एक निवारक, भावी सूचक और प्री एम्पटिव सतर्कता उपायों के रूप में, विभिन्न क्षेत्र संचालन के साथ-साथ उचित प्रणाली और प्रक्रियाओं में अनियमितताओं की पहचान के लिए सीवीओ के मार्गदर्शन में नियमित औचक निरीक्षण किया गया है। इसके अलावा, प्राथमिक एजेंडे में कर्मचारियों के बीच सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाना शामिल है, जिसमें विचार विमर्श / संगोष्ठी के माध्यम से नए भर्ती हुए प्रबंधन प्रशिक्षु, विक्रेता, छात्र और आम नागरिक शामिल हैं।

1. <u>निवारक सतर्कता गतिविधियां</u>:

(क) <u>निरीक्षण:</u>

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, 88 औचक निरीक्षण और 23 नियमित निरीक्षण किए गए हैं। इस तरह के निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र संचालन में निष्पक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए सिस्टम / प्रक्रिया की सुव्यवस्थितता पर रहा है। कोयला स्टॉक यार्ड की गुणवत्ता जांच, ई-निगरानी इकाई, इन-मोशन वेजिब्रिज अंशांकन, कोयला परिवहन, सड़क बिक्री से संबंधित गतिविधि, जिओ-फेंस के उल्लंघन इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रीय संचालन की औचक जांच की गई है, जिससे आवश्यकतानुसार, परिपत्र निर्देश, दिशानिर्देश और दंडकारी कार्रवाई के माध्यम से फॉर्म में विभिन्न व्यवस्थित सुधार हुए हैं।

(ख) <u>2017-18 के दौरान किए गए प्रणालीगत सुधार:</u>

समग्र रूप से कंपनी तथा विभिन्न विभागों/ कारोबारी गतिविधियों में व्यवस्थित सुधार लाने हेतु सतर्कता विभाग द्वारा 24 सलाहकार जारी किए गए हैं।

2.<u>दंडात्मक सतर्कता :</u>

वित्तीय वर्ष 2017-18 में जांच, पूछताछ इत्यादि हेतु लिए गए सतर्कता मामलों का विवरण निम्नलिखित है

विवरण		मामलों की संख्या	शामिल कार्मिकों की संख्या
(क)	कुल सतर्कता मामले	26	86
(ख)	विभागीय कार्यवाही के लिए दर्ज किए गए कुल मामले	11	24
	i) मेजर पेनाल्टी कार्यवाही	6	15
	ii) माइनर पेनाल्टी कार्यवाही	5	9
(ग)	मामलों की कुल संख्या जिसमें दंड लगाया गया	16	119
	i) मेजर	7	104
	ii) माइनर	9	15

3. कर्मचारियों का क्रमावर्ती:

कंपनी में संवेदनशील पदों/विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए क्रमावर्ती की व्यवस्था है। वर्ष के दौरान, 298 कर्मचारियों को क्रमावर्तित किया गया। इसमें वे अधिकारी भी शामिल है जिनका नाम वर्ष 2017 के लिए “सहमत सूची” (Agreed List) और “संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों” की सूची में है।

4. संसदीय प्रश्न, आरटीआई एवं आवधिक रिपोर्ट :

रिपोर्टिंग वर्ष में चौदह (14) संसदीय प्रश्न तथा पाँच (05) आरटीआई प्रश्नों का जवाब दिया गया। केन्द्रीय सतर्कता आयोग, कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया को मासिक, तिमाही, वार्षिक प्रतिवेदन समय पर प्रेषित किया गया।

5. सतर्कता अनापत्ति :

वर्ष के दौरान, निदेशक, वरिष्ठ कार्यपालक और गैर-कार्यपालक स्तर के अधिकारी सहित 14,575 कर्मचारियों की पदोन्नति, परिवीक्षा, अधिवर्षिता मामलों से संबंधित सतर्कता अनापत्ति स्थिति मुख्य सतर्कता आयुक्त, कोल इंडिया लिमिटेड, कोयला मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया। सतर्कता स्थिति ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए कार्यकारी और गैर-अधिकारियों दोनों के लिए ऑनलाइन सतर्कता अनापत्ति मॉड्यूल लागू किया गया है।

6. कोयला खानों में बेहतर निगरानी और अनुश्रवण के लिए आईटी और अन्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग :

कोयला खानों एवं कार्यालयों में बेहतर निगरानी और अनुश्रवण के लिए निम्नलिखित आईटी और अन्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जा रहा है :

i) जियो-फैंसिंग
ii) जीपीएस/जीपीआरएस आधारित वेहिकल ट्रैकिंग डिवाइस
iii) आंतरिक कोयला परिवहन टिपर्स की आरएफआईडी टैगिंग
iv) आरएफ़आईडी रीडर्स
v) वेब्रिजें
vi) सीसीटीवी कैमरे से निगरानी
vii) कंट्रोल रूम
viii) आधुनिक कोयला सर्वेक्षण और मापन गैजेट्स
  क) एसयूआरपीएसी सॉफ्टवेयर
  ख) 3 डी स्थलीय लेजर स्कैनर (3डीटीएलएस)
  ग) अनमैन्ड एरियल वेहिकल (यूएवी ड्रोन)
ix) विस्फोटक टेस्टिंग (वीओडी मीटर)
x) मोबाइल एप्लीकेशन
xi) आस्ति प्रबंधन पोर्टल
xii) बॉयोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली
xiii) एकीकृत ईंधन प्रबंधन प्रणाली
xiv) ई- ऑफिस
xv) कोलनेट के मॉड्यूल

9. सतर्कता जागरूकता सप्ताह – 2017 का आयोजन :

केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, सम्बलपुर में दिनांक 30 अक्टूबर 2017 से 04 नवंबर 2017 तक मुख्यालय एवं इसके सभी क्षेत्रों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

10. राष्ट्रीय स्तर पर सतर्कता विभाग को प्राप्त पुरस्कार एवं मान्यताएं:

1) दिनांक 30.10.2017 को सतर्कता जागरूकता सप्ताह के उद्घाटन समारोह में केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली ने एमसीएल को दो पुरस्कारों से सम्मानित किया, जिसे भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से प्रदान किया गया। उनका विवरण निम्नानुसार हैं:

i) सीवीओ, एमसीएल को - वर्ष 2016 में सतर्कता नवोन्मेष की श्रेणी में
ii) संगठन के रूप में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड को - वर्ष 2016 के लिए "बेस्ट इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिस टू फाइट करप्शन " की श्रेणी में

2) सीवीओ, एमसीएल को 09.02.2018 को हैदराबाद के तेलंगाना में श्री अजय मिश्रा, विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग, तेलंगाना सरकार द्वारा "राष्ट्रीय ऊर्जा समिट पुरस्कार 2018" से सम्मानित किया गया।

3) सीवीओ, एमसीएल को माननीय इस्पात मंत्री, भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में "थर्ड एलेट्स पीएसयू समिट अवार्ड - 2017" से सम्मानित किया गया।

32. ई-प्रोक्योरमेंट

15.08.2009 को शुरू किया गया एमसीएल की ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली सफलतापूर्वक चल रही है और आज तक इस माध्यम से 13500 से अधिक निविदाएं को अंतिम रूप दिया गया हैं । एमसीएल को इस वेब-आधारित सॉफ़्टवेयर समाधान को लागू करके अत्यधिक लाभान्वित किया गया है। निविदाएं को अंतिम रूप देने में समय चक्र में काफी कमी हुई है और यह निविदा प्रबंधन की प्रक्रिया में बेहतर पारदर्शिता और सुविधा की आवश्यकता पर जोर देता है। विभिन्न बोलीदाताओं द्वारा जमा बयाना राशि (ईएमडी) का प्रबंधन स्वचालित किया गया है और इस प्रक्रिया के कार्यान्वयन के बाद बोलीदाताओं को उनकी ईएमडी, बोली की अस्वीकृति के अगले दिन स्वत: वापस कर दी जाती है। संगठन के सद्भावना बोली लगाने वालों के लिए बेहतर पारदर्शिता और सुविधा की वजह से बधाई गई है। सिस्टम में निरंतर सुधार हैं और नई सुविधाओं को जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं । 21.01.2016 से प्रभावी निविदा की रिवर्स नीलामी मोड जो पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है, वित्त वर्ष के दौरान अच्छे परिणाम देने शुरू कर दिए हैं । वर्तमान में पॉलिसी के मामले में, 2.00 लाख रुपये और उससे अधिक की कीमत वाले निविदाओं को ई-प्रोक्योरमेंट मोड के माध्यम से अंतिम रूप दीया जा रहा हैं। इसमें मल्टीकरेंसी वैश्विक निविदाओं सहित वर्क्स की खरीद, वस्तु और सेवाओं की खरीद शामिल है ।

<u>एमसीएल ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम की विशेष विशेषताएं</u>

1. पोर्टल सॉफ्टवेयर द्वारा निविदाओं के तकनीकी हिस्से का मूल्यांकन स्वत: किया जाता है और बोली के मूल्यांकन में मानव हस्तक्षेप को कम किया जाता है।
2. बोलीदाता द्वारा संरचित और उद्देश्य प्रारूप में बोलीदाता प्रदान किए गए आंकड़ों के आधार पर पोर्टल सॉफ्टवेयर द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। बोलीदाताओं को निविदा में उनके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के समर्थन में दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता होती है ।
3. बोलीदाताओं को अपनी बोली के मूल्यांकन के लिए किसी दस्तावेज़ को ऑफ़लाइन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
4. व्यापार निविदाओं के मूल्यांकन के लिए आवश्यक व्यापार तर्क इनपुट डेटा को मान्य करने और उचित अलर्ट संदेश देने के लिए पोर्टल सॉफ्टवेयर में शामिल है ।
5. बोलीदाता बोली प्रस्तुत करते समय प्रत्येक स्तर पर फीडबेक प्राप्त करता है कि बोली निविदा की आवश्यकता के अनुरूप है अथवा नहीं ।
6. रुपये 1 करोड़ मूल्य और इससे अधिक के मूल्य की निविदा के बेहतर मूल्य के लिए ऑनलाइन रिवर्स नीलामी प्रक्रिया अपनाई गई है।
7. रिवर्स नीलामी में एच 1 उन्मूलन की अवधारणा बेहतर मूल्य खोज के लिए लागू की गई है।
8. हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी (एचईएमएम) और महत्वपूर्ण उपकरणों की खरीद के लिए उच्च मूल्य निविदाओं के लिए मूल्य बोली लगाने से पहले सहायक दस्तावेजों के सत्यापन के साथ दो भाग निविदा प्रणाली का पालन किया जा रहा है।
9. पूर्व जीएसटी अवधि से पोस्ट जीएसटी व्यवस्था तक प्रकाशित सभी निविदाओं के आसान संचालन के लिए पोर्टल और मैनुअल में उचित परिवर्तन को शामिल किया गया था और निविदाओं का संचालन आसान था ।

34. एकीकृत प्रबंधन प्रणाली(आईएमएस)

एमसीएल 1995 से आईएसओ/आईएमएस प्रमाणीकरण के लक्ष्य का पीछा कर रहा है और वर्ष 2012-13 में, एमसीएल को कंपनी-व्यापी एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) आईएसओ 9001: 2008 - गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, आईएसओ14001: 2004-पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली और ओएचएसएएस 18001: 2007 - व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली के लिए मान्यता प्राप्त है जो 2016 में पूरी हुई 3 साल की अवधि के लिए सभी लागू अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है, जो निमन्वत है -

आईएसओ 9001: 2008: क्यूएमएस - संगठन के आंतरिक दक्षता तथा ग्राहकों के ध्यानकेन्द्रीयता को नियंत्रित करने हेतु

आईएसओ 14001: 2004 ईएमएस - संगठन के पर्यावरणीय की चिंताओं के प्रबंधन के लिए

ओएचएसएएस 18001:2007 ओएचएसएमएस - संगठन की व्यावसायिक-स्वास्थ्य और सुरक्षा चिंताओं के प्रबंधन के लिए

यह प्रमाणीकरण सीएमपीडीआई, रांची के माध्यम से एमएस प्रमाणन सेवा प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता द्वारा किया गया।

अप्रैल 2016, में एमसीएल को उपर्युक्त मानकों के लिए 10.04.2019 तक वैध रूप में 3 साल की अवधि के लिए फिर से प्रमाणित किया गया था।

<u>वर्ष 2017-18 में आईएमएस कक्ष द्वारा जारी(की गई) गतिविधियां -</u>

इन मानकों में संशोधन किया गया है और नए मानकों के जारी होने के 3 वर्षों के भीतर यानि सितंबर 2018 तक आईएसओ 9001: 2015, आईएसओ 14001: 2015 और ओएचएसएएस 18001 (आईएसओ 45001 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना) के नवीनतम अंतरराष्ट्रीय संस्करणों का पालन करने की आवश्यकता है।

इस उद्देश्य के लिए, अगस्त 2017 में सीएमपीडीआईएल को आईएसओ मानकों के परामर्श और उन्नयन के लिए तथा इसके प्रभावी कार्यान्वयन के कार्य से सम्मानित किया गया था। इसके बाद सीएमपीडीआईएल ने एमसीएल के अधिकारियों के साथ बैठकें और चर्चा सत्र आयोजित करके एमसीएल में आईएमएस का व्यापक अध्ययन किया। जनवरी 2018 में नई कॉर्पोरेट प्रबंधन नीति तैयार की गई और उसे नए आईएमएस नियमावली के मसौदे में शामिल किया गया।

सीएमडी, एमसीएल के अनुमोदन हेतु मार्च 2018 में सीएमपीडीआईएल ने अंतिम मसौदे नियमावली प्रस्तुत की। संशोधित मानकों में किए गए परिवर्तनों के पूर्ण अध्ययन के बाद अद्यतन आईएमएस नियमावली तैयार की गई हैं। अनावश्यक सुविधाओं का विलय करके अप्रचलित आवश्यकताओं को सुलझाने के लिए नए मैनुअल को अपेक्षाकृत संक्षिप्त, समझने में आसान और सुलभ बनाया जाता है। प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, अब तक 25 अन्य युवा अधिकारियों ने अलग-अलग विभागों और क्षेत्र / इकाइयों को साइट जागरूकता और प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में, मार्च 2018 के तीसरे सप्ताह में आईआईसीएम रांची और एमटीआई, एमसीएल मुख्यालय में प्रशिक्षण से सम्मानित किया है, सीएमपीडीआईएल के मुख्य लेखा परीक्षकों के साथ इन 25 नए प्रशिक्षित आंतरिक लेखा परीक्षकों ने संशोधित प्रणाली के लिए 1 आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित की गई। दिनांक 22.03.2018, को सीएमडी, एमसीएल द्वारा आईएमएस मैनुअल की स्वीकृति पर प्रमाणन एजेंसी, मेसर्स/ एमएस प्रमाणन ने दिनांक 22.03.2018 को दस्तावेज़ की लेखा परीक्षा आयोजित की और अप्रैल 2018 के अंतिम सप्ताह में पहली निगरानी लेखा परीक्षा निर्धारित की गई है, जिसके सफलतापूर्ण समापन पर संशोधित मानकों के लिए एमसीएल को प्रमाणित किया जाएगा।

उपर्युक्त के अलावा, आईएमएस सेल सफलतापूर्वक पूरा हो गया है।

- वर्ष 2017-2018 के लिए 4 त्रैमासिक आंतरिक लेखा परीक्षा।
- प्रमाणीकरण एजेंसी द्वारा अर्ध-वार्षिक निगरानी लेखा परीक्षा, अगले अप्रैल 2018 में निर्धारित की जा रही है।
- प्रदर्शन में बदलाव के लिए बलराम ओसीपी एवं लजकुरा ओसीपी हेतु मॉडल खान योजना।
- वर्ष 2017-2018 के लिए आईएमएस 9.2 वार्षिक उद्देश्यों, लक्ष्यों तथा कार्यक्रमों को तैयार एवं वितरित किया गया।
- आईएमएस को लागू करने पर 360* फीडबैक प्रणाली खनिक दिवस पर सर्वोत्तम कार्य निष्पादन इकाई
- एमसीएल के कर्मचारियों के लिए मस्तिष्क प्रेरक सह-प्रेरणात्मक सत्र।

अंतर्राष्ट्रीय जगत में स्वीकृत प्रक्रियाओं की सर्वोतम कला को आईएसओ मानकों के रूप में कार्यान्वित करते हुए निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन प्रणाली को बेहतर बनाने हेतु एमसीएल मुख्यालय में आईएमएस सेल कार्यान्वित है:

- कंपनी की गुणवत्ता, आंतरिक क्षमता, पर्यावरण, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सामाजिक जवाबदेही और ऊर्जा निष्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यवस्थित और समान प्रबंधन के लिए व्यापक प्रबंधन प्रणाली की स्थापना करना।
- विभिन्न प्रबंधन प्रणालियों के कार्यान्वयन के लिए एक समेकित दृष्टिकोण और सरलीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रयासों के दोहराव और लागत को दूर करना, जो कि अन्यथा असंबंधित और असंगत हो सकते हैं।
- एक अच्छे नेटवर्क वाली प्रबंधन प्रणाली और स्वस्थ कार्य वातावरण के तहत स्पष्ट परिभाषित भूमिकाओं, उत्तररदायित्व जवाबदेही और प्राधिकार द्वारा एक अच्छी कार्य संस्कृति को शामिल करना, संचालनों की निरंतरता सुनिश्चित करना और संचालनात्मक संघर्ष को दूर करना।
- नियमित कार्य निश्चित करने के दौरान हानिकारक और गैर मूल्य युक्त संचालनों को कम करना, इसके फलस्वरूप संचालन के दौरान समय, लागत और संसाधनों की प्रत्यक्ष बचत तथा पर्यावरण और सामाजिक लागतों पर अप्रत्यक्ष बचत करना।
- सभी इच्छुक पार्टियों में आत्मविश्वास पैदा करना।
- कोयले का खनन एवं आपूर्ति करना जो कि लगातार उपभोक्ता, नियामक निकाय एवं समाज की आवश्यकता को पूरा करते हैं।
- पर्यावरण, व्यवसायिक, स्वास्थ्य और सुरक्षा, समाज और ऊर्जा के संबंध में अपनी जिम्मेदारी के प्रति वचनबद्धता।
- निरंतर सुधार प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण।
- सभी विधिक एवं अन्य आवश्यकताओं का अनुपालन।
- कुछ छोटी अवधि की उपलब्धियों के स्थान पर स्थायी एवं सतत सुधार पर जोर देना।

भविष्य की कार्य योजना : वर्ष 2018-19

1. वित्तीय वर्ष 2018-19 में, एमसीएल पूर्ण रूप में आईएसओ 50001: 2011 ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली को मान्यता देने के लिए आवेदन करने जा रहा है - जो संगठन में सभी ऊर्जा इनपुट की युक्तिसंगत खपत के प्रबंधन में मदद करेगा।

   मौजूदा मानकों के साथ ISO 50001 के एकीकरण की प्रक्रिया सीएमपीडीआईएल, रांची द्वारा की जा रही है और इसे अद्यतन प्रबंधन नियमावली में दर्शाया जाता है।

   प्रमाणन एजेंसी के चयन की प्रक्रिया हेतु तथा कुछ उपयुक्त और व्यावहारिक प्रक्रिया का पता लगाने के लिए सीएमडीआईएल, रांची के परामर्श से एमसीएल मुख्यालय में एक समिति गठित की गई है।
2. एमसीएल ओएचएसएएस 18001: 2007 को आईएसओ 45000 में अपग्रेड करने की भी योजना बना रहा है और इसके लिए आईएसओ के दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया है।

35. पुरस्कार और मान्यता-

35.1 2017-18 के दौरान अपनी गतिविधि के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि/उल्लेखनीय योगदान के लिए आपकी कंपनी को निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किये गए।

1. एमसीएल को जूरी के निर्णय और मीडिया रिसर्च ग्रुप एवेल्यूयेशन पर यूएसए आधारित "इंटेरनैशलन ब्रांड कनसल्टिंग कोर्पोरेशन' द्वारा वर्ष 2017 के लिए भारत का 'बेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी अवार्ड' से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार दिनांक 10 मार्च, 2018 को एमबी और सीईओ, आईबीसी द्वारा द लीला होटल, मुंबई में न्यायमूर्ति अनूप मेहता, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुंबई उच्च न्यायालय, श्री सत्येंद्र पाल सिंह, जॉर्जिया में भारत के वाणिज्य दूतावास और श्री अरबिंद मालकेर, आईआरटीएस की उपस्थिति में प्रदान किया गया।
2. औद्योगिक विकास के क्षेत्र में उत्पादकता, गुणवत्ता, नवाचार और प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए एमसीएल को 8 जुलाई 2017 को आर्थिक अध्ययन संस्थान द्वारा भारत के संविधान क्लब, नई दिल्ली में "वर्तमान आर्थिक परिदृश्य" पर आयोजित संगोष्ठी में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। सीएमडी की ओर से, श्री एल एन मिश्रा, निदेशक (कार्मिक), एमसीएल को ओड़िशा के राज्यपाल महामहिम डॉ एस सी जमीर के कर कमलों से यह पुरस्कार प्राप्त हुए।
3. 25 जुलाई, 2017 को नई दिल्ली में दून एंड ब्रैडस्ट्रीट पीएसयू अवॉर्ड्स 2017 द्वारा एमसीएल को "सर्वश्रेष्ठ मिनिरत्न पुरस्कार" से सम्मानित किया गया था, यह पुरस्कार श्री नीरज कुमार गुप्ता, आईएएस सचिव -निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा द्वारा श्री ए के. झा, सीएमडी एमसीएल को प्रदान किया गया।
4. एमसीएल को **10 मई, 2017** को मुंबई में दलाल स्ट्रीट इनवेस्टमेंट जर्नल द्वारा भारत के बेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अवॉर्ड्स (पीएसयू) **'2016** में "वर्ष का मिनिरत्न ऑफ द ईयर (गैर-विनिर्माण)" प्रदान किया गया।
5. महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड को गुवाहाटी में आयोजित सार्वजनिक क्षेत्र (विप्स) में महिलाओं की 28 वीं राष्ट्रीय बैठक में मिनिरत्न श्रेणी के तहत पहला सर्वश्रेष्ठ उद्यम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और यह पुरस्कार असम के माननीय मुख्यमंत्री श्री सरबानंद सोनोवाल के कर कमलों से प्रदान किया गया।
6. 8 जुलाई, 2017 को आर्थिक अध्ययन संस्थान द्वारा भारत के संविधान क्लब, नई दिल्ली में आयोजित "वर्तमान आर्थिक परिदृश्य" पर संगोष्ठी में श्री ए. के. झा को कॉर्पोरेट क्षेत्र की ओर से उनकी उपलब्धियों और कर्तव्यों के निर्वहन में निष्ठा के कारण "लीडरशिप इनोवेशन एक्सलेंस अवार्ड" से सम्मानित किया गया। सीएमडी की ओर से, श्री एल एन मिश्रा, निदेशक (कार्मिक), एमसीएल को ओड़िशा के राज्यपाल महामहिम डॉ एस सी जमीर के कर कमलों से पुरस्कार प्राप्त हुए।
7. एमसीएल को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 30 अक्टूबर, 2017 को सतर्कता अभिनव में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। श्री मुनव्वर खुर्शीद, मुख्य सतर्कता अधिकारी, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड को माननीय उपाध्यक्ष श्री वेंकैया नायडू के कर कमलों से यह पुरस्कार प्राप्त हुआ।
8. ओड़िशा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक द्वारा 19 जनवरी, 2018 को भुवनेश्वर में एमसीएल को "संबाद कॉर्पोरेट एक्सलेन्स अवार्ड" में "गोल्ड अवार्ड" से सम्मानित किया गया।

9. 20 अगस्त 2013 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में लगातार दो वर्ष 2013 और 2014 के लिए एमसीएल के जगन्नाथ कोलियरी (तालचर कोलफील्ड्स) को श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "खानों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार" से सम्मानित किया गया। श्री एस. के. चौधरी, परियोजना अधिकारी, श्री डी. के. प्रधान परियोजना प्रबंधक, श्री सुजीत बिस्वाल कार्यकर्ता निरीक्षक (खनन) और श्री बसंत साहू, कार्यकर्ता निरीक्षक (विद्युत) ने जगन्नाथ कोलियरी की तरफ से भारत के माननीय राष्ट्रपति महामहिम श्री राम नाथ कोविंद के कर कमलों से यह पुरस्कार प्राप्त किया।
10. कोल इंडिया की समस्त सहायक कंपनियों में एमसीएल को प्रथम घोषित किया गया था और 1 नवंबर, को कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के स्थापना दिवस पर कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा 2017 के लिए इसे कॉर्पोरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वृक्षारोपण, स्कूलों और अस्पतालों की सफाई, कॉलोनियों की सफाई और स्वच्छता अभियान हेतु कंपनियों पर निर्णय किया गया था।
11. 30 अगस्त, 2017 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थागत अभ्यास की श्रेणी में उत्कृष्ट योगदान के लिए एमसीएल को सम्मानित किया गया। श्री मुनव्वर खुर्शीद, मुख्य सतर्कता अधिकारी, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड को माननीय उपाध्यक्ष श्री वेंकैया नायडू के कर कमलों से यह पुरस्कार प्राप्त हुआ।
12. श्री ए. के. झा, सीएमडी, एमसीएल को दिनांक 23 दिसंबर, 2017 को भुवनेश्वर में ओड़िशा इंकलेव (आईएनसी) अवार्ड 2017' कार्यक्रम में "ओड़िशा इंकलेव (आईएनसी) बिजनेस लीडरशिप अवॉर्ड 2017" से सम्मानित किया गया।
13. श्री ए. के. झा, सीएमडी, एमसीएल को व्यापार और सामाजिक सेवा में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों हेतु बिजनेस एक्सेलेंस के लिए "भारतीय अचीवर्स पुरस्कार" से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार श्री सुनील शास्त्री, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और लाल बहादुर शास्त्री फाउंडेशन के अध्यक्ष और श्री निनॉन्ग एरिंग, अरुणाचल प्रदेश के सांसद द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 को "भारतीय आवास केंद्र, नई दिल्ली में आयोजित मेक इन इंडिया: उद्यमियों के लिए पर्यावरण को सक्षम बनाने एवं सृजन की संगोष्ठी के "44 वें इंडियन अचीवर्स" में प्रदान किया गया।
14. श्री ए. के. झा, सीएमडी, एमसीएल को 24 अगस्त, 2014 को नई दिल्ली में भारत इंटरनेशनल मैत्री सोसाइटी द्वारा "भारत ज्योति पुरस्कार" से सम्मानित किया गया।
15. श्री एल एन मिश्रा, निदेशक कार्मिक, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड को औद्योगिक संबंधों और सीएसआर गतिविधियों में विकास के लिए दिनांक 3 मार्च, 18 को कैनवास द्वारा राउरकेला दिवस के अवसर पर भंजा भवन, राउरकेला में 'राउरकेला रत्न सम्मान' से सम्मानित किया गया।
16. श्री मुनव्वर खुर्शीद, मुख्य सतर्कता अधिकारी, महानदी कोलफील्ड्स को 9 फरवरी 2018 को हैदराबाद, तेलंगाना में आयोजित राष्ट्रीय विद्युत शिखर सम्मेलन 2018 में उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार श्री अजय मिश्रा, विशेष मुख्य सचिव, ऊर्जा मंत्रालय, तेलंगाना सरकार के कर कमलों से प्रदान किया गया।

36. लेखा परीक्षक

36.1 सांविधिक लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित लेखा परीक्षा फ़र्मों को वर्ष 2017-18 के लिए सांविधिक/शाखा लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया ।

सांविधिक लेखापरीक्षक	शाखा लेखापरीक्षक
सिंह राय मिश्रा एंड क.	मेसर्स एसआरबी असोसियट्स
चार्टर अकाउंटेंट	पांचवा तल्ला, आईडीसीओ टावर,
भुवनेश्वर	जनपथ, भुवनेश्वर
	ओड़िशा -751022

36.2 **लागत लेखा परीक्षक**

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 जिसे कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) संशोधन नियमवाली 2014 के साथ पढ़ा जाए, के तहत कंपनी कोयला के खनन से संबंधित लागत लेखा परीक्षा का रिकॉर्ड रखती है, जिसका लेखा परीक्षा किया जाना आवश्यक है।

आप के निदेशकों ने लेखा परीक्षा समिति की अनुशंसा पर मेसर्स चन्द्र वाधवा एण्ड कंपनी 204, कृष्णा हाउस 4805/24, भारत राम रोड दरियागंज, नई दिल्ली को कंपनी मुख्यालय एवं इसके ईकाइयों ईब कोयलांचल के क्षेत्रों और बसुंधरा तथा सीडबल्यूएस (ईब-वैली) क्षेत्र के लिए वितीय वर्ष 2017-18 के कुल लेखा परीक्षा फीस 2,78,910.00 तथा ज़ेब खर्च 1,39,455.00 (अधिकतर) लेखा परीक्षा शुल्क पर लागू सेवा कर लागत रिकार्ड की लेखा परीक्षा करने के लिए मुख्य लागत लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया तथा ii सर्समे (एस. धल एण्ड कंपनी, लागत लेखापाल, प्लॉट नं4897/400 ., ग्राम-बारामुंडा, भुवनेश्वर को कनिहा, सीडबल्यूएस (तालचेर) सहित तालचेर कोयलांचल के क्षेत्रो के लागत रिकॉर्ड्स की लेखा परीक्षा के लिए वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी की शाखा लागत लेखा परीक्षक के तौर पर कुल लेखा परीक्षा फीस 1,84,570.00 तथा ज़ेब खर्च 92,285.00 तथा लेखा परीक्षा फीस पर लागू सेवा कर पर नियुक्त किया गया है।

36.3 **सचिवीय लेखा परीक्षक** :

कंपनी लेखा परीक्षक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204 तथा कंपनी (नियुक्त और प्रबंधन कार्मिक के परिश्रमिक) नियमावली 2014, के प्रावधानों के तहत कंपनी ने मेसर्स मोहापात्रा एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिवों, भुवनेश्वर, ओड़िशा को वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी की सचिवीय लेखा परीक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया है। सचिवीय लेखा परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत किए गए रिपोर्ट को अनुलग्नक II में संलग्न किया गया है।

37. सावधि जमा -

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 73 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में यथापरिभाषित रूप में, लोगों से जमा के रूप में कोई राशि स्वीकार नहीं की है।

38. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(एम)(यूएस) के तहत सूचनाओं का विवरण -

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3) (एम) के प्रावधान के अनुसार ऊर्जा संरक्षण, प्रोद्योगिकी अवशोषण एवं विदेशी विनिमय के आय तथा व्यय से संबंधित सूचना इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक-**III** में दी गई है।

39. निदेशक मण्डल

39.1 निम्नलिखित व्यक्ति रिपोर्ट के अंतर्गत वर्ष के दौरान निदेशक बने रहे -

1. श्री ए.के. झा -अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
2. श्री जे.पी. सिंह - निदेशक (तक./संचालन)
3. श्री के.के. परिडा - निदेशक (वित्त)
4. श्री एल.एन. मिश्रा - निदेशक (कार्मिक)
5. श्री एस.एन. प्रसाद - निदेशक
6. डॉ. राजीव मल्ल - निदेशक
7. श्री एच. एस. पति - निदेशक

39.2 निम्नलिखित व्यक्ति रिपोर्ट के अंतर्गत वर्ष के दौरान निदेशक नियुक्त हुएः

1. श्री आर. के. सिन्हा - निदेशक (12.06.2017 से प्रभावी)
2. श्री आर. के. वासुदेवन - निदेशक (वित्त)(04.02.2018 से प्रभावी)
3. सुश्री सीमा शर्मा - स्वतंत्र निदेशक (06.09.2017 से प्रभावी)

39.3 निम्न व्यक्ति रिपोर्ट के अंतर्गत वर्ष के दौरान निदेशक पद से मुक्त हुएः

1. श्री एम. चौधरी - निदेशक (12.06.2017 तक)
2. श्री के. के. परिडा - निदेशक (वित्त) (30.06.2017 तक)

40. निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

प्राप्त जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा उनके सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर यह पुष्टि की जाती है कि आपकी कंपनी के निदेशकगण द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-134(3)(सी) के तहत निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किया गया है:

क) 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा की प्रस्तुति में सामग्रियों के विचलन से संबंधित समुचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा मानकों का अनुसरण किया गया है।

ख) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीति का चयन कर उसका सुसंगत प्रयोग किया एवं उचित तथा विवेकपूर्ण निर्णय सहित आकलन किया ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति तथा आलोच्य वर्ष में कंपनी के लाभ एवं हानि की सही एवं स्पष्ट जानकारी दी जा सके।

ग) कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने तथा निवारण हेतु कंपनी अधिनियम 1956 /कंपनी अधिनियम 2013 , के प्रावधान के अनुसार समुचित लेखा रिकार्डों के अनुरक्षण के लिए निदेशकों द्वारा उचित तथा पर्याप्त सावधानी बरती गई है।

घ) निदेशकों ने 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए क्रियाशील कारोबार (गोईंग कंसर्न) के आधार पर लेखा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है।

ङ) सही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कार्य कर रहे हैं और वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त और प्रभारी रूप से संचालित है।

च) सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली कार्य कर रही हैं एवं वह पर्याप्त तथा प्रभावी रूप से संचालित हैं।

41. कार्पोरेट गवर्नेंस: इस रिपोर्ट के साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर एक रिपोर्ट **अनुलग्नक- IV** में संलग्न है।

42. प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट: प्रबंधन चर्चा एंव विश्लेषण रिपोर्ट **अनुलग्नक-**V में संलग्न है।

43. भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणी:

भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखा पर की गई टिप्पणी इस प्रतिवेदन के **अनुलग्नक-**VII में संलग्न है ।

44. लेखा परीक्षा समिति:

समिति का पुनर्गठन दिनांक 22.12.2017 को किया गया। इसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं-:

1.	श्री राजीव मल्ल	-	अध्यक्ष
2.	सरकारी नामांकित निदेशक	-	सदस्य
3.	श्री एस. एन. प्रसाद, डी(एम), सीआईएल	-	सदस्य
4.	श्री एच.एस. पति	-	सदस्य
5.	सुश्री सीमा शर्मा	-	सदस्य
6.	निदेशक (तक./संचा.)	-	सदस्य
7.	निदेशक (वित्त)/सीएफ़ओ	-	आमंत्रित
8.	निदेशक (कार्मिक)	-	आमंत्रित
9.	निदेशक (तक./यो. एवं पारियो.)	-	आमंत्रित

44.1 **कार्यक्षेत्र**

1. वित्तीय विवरण की समीक्षा ।
2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की आवधिक समीक्षा ।
3. सरकारी लेखा परीक्षा एवं वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा ।
4. संचालनगत कार्य निष्पादन तथा पैरामीटर के मानक की समीक्षा ।
5. परियोजनाओं एवं अन्य पूँजीगत योजनाओं की समीक्षा ।
6. आंतरिक लेखा परीक्षा के परिणाम/अवलोकन की समीक्षा।
7. एमसीएल में एक आनुपातिक एवं प्रभावी आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य प्रणाली का विकास ।
8. किसी भी मामले का विशेष अध्ययन,जॉच जिसमें बोर्ड द्वारा अग्रसारित मामले भी शामिल हैं।

लेखा परीक्षा समिति ने एमसीएल के वित्तीय और अन्य ऑकड़े/सूचना का आकलन किया है। समिति द्वारा अवलोकित तथ्यों को एमसीएल बोर्ड के पास भेजा जाता है। समिति आवश्यकतानुसार बैठक कर सकती है लेकिन यह अपेक्षा की जाती है कि वे कम से कम तीन महीने में एक बार अवश्य मिलें ।

46. लागत रिकार्ड:

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 के अनुसार कंपनी के लागत रिकॉर्ड का अनुरक्षण केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 01.04.2011 से निर्धारित किया गया है। कंपनी केवल एक उत्पाद अर्थात कोयले का उत्पादन करती है और कंपनी ओवरहेड सहित मदवार लागत के ब्योरों के साथ रिकॉर्डिंग, निर्धारण और रिपोर्टिंग की निरंतर एकीकृत प्रणाली है। इसका नियमित अंतराल पर लागत रिपोर्टों से मिलन किया जाता है।

47. समझौता-ज्ञापन मापदंडों के परिप्रेक्ष्य में निष्पादन

लोक उद्यम विभाग(डीपीई), भारी उद्योग एवं लोक उद्योग, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप सीएमडी, एमसीएल और अध्यक्ष, सीआईएल के बीच वर्ष 2016-17 के लिए हस्तक्षरित समझौता ज्ञापन पर एमसीएल का निष्पादन तैयार किया गया है और कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने इसकी लेखा- परीक्षा की है। इसका कंपनी के भौतिक और वित्तीय निष्पादन पर आधारित समझौता-ज्ञापन रेटिंग “बहुत अच्छा” रहा है।

48. सीआईएल के अंशधारकों के लिए अनुषंगी लेखा:

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 08.02.2011 के सामान्य परिपत्र संख्या 2/2011 के तहत एमसीएल मुख्यालय में एमसीएल का वार्षिक लेखा सीआईएल के अंशधारकों की मांग पर जॉच एवं संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए उपलब्ध रहेगा ।

49. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (1) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसार, वार्षिक रिटर्न (फॉर्म संख्या एमजीटी-9) का सार **अनुलग्नक- VII** में संलग्न है तथा निम्नलिखित लिंक में वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। :
http : / /www.mcl.gov.in /Financial /MGT%209%202017-18.**pdf**

50. आभार

50.1 आपके निदेशक गण कोयला मंत्रालय, भारत सरकार एवं कोल इंडिया लिमिटेड के प्रति उनकी बहुमूल्य सहायता, समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करते हैं। आपके निदेशकगण केंद्रीय सरकार तथा ओड़िशा सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के प्रति उनके बहुमूल्य सहयोग के लिए भी आभार व्यक्त करते हैं। दूसरे सहयोगी संगठनों से प्राप्त सहयोग एवं सहायता के लिए निदेशकों ने सधन्यवाद आभार व्यक्त किया है।

50.2 निदेशकों ने श्रमिक संगठन एवं अधिकारी संगठन से प्राप्त सहयोग एवं सभी स्तर के कर्मचारियों की दलगत भावना, मूल्यवान तथा निष्ठापूर्ण सेवा के लिए आभार व्यक्त किया है, जिससे कंपनी अपना लक्ष्य तथा सर्वांगीण अभिवृद्धि प्राप्त करने में सफल रही है ।

50.3 निदेशकों ने महत्वपूर्ण उपभोक्ताओं को उनके निरंतर समर्थन ,संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए आभार व्यक्त किया है, जिसके बिना कंपनी इतनी मजबूती से नहीं उभरती ।

50.4 निदेशकों ने लेखा परीक्षकों, भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखाकार कार्यालय तथा ओड़िशा के कंपनियों के रजिस्ट्रार द्वारा दी गई सेवा की भी सराहना की है।

50.5 निदेशकों ने संबलपुर एवं ओड़िशा के कोयला क्षेत्रों में रहनेवाले विशिष्ट नागरिकों को समय-समय पर दिए गए उनके सहयोग के लिए भी धन्यवाद दिया है।

51. अनुलग्नक (एडेन्डा):

निम्नलिखित कागजात संलग्न हैं:

1. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3) के अधीन निदेशकों के प्रतिवेदन में दी जानेवाली आवश्यक सूचनाएं ।
2. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204 के प्रावधानों ओर कंपनी(नियुक्ति तथा प्रवंधन से जुड़े कार्मिकों के परिश्रमिक) नियमावली, 2014 के अनुवर्ती सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट।
3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) के तहत निदेशकों की रिपोर्ट में अनुपूरक।
4. लेखा परीक्षकों द्वारा कार्पोरेट गवर्नेंस(शासन) पर रिपोर्ट।
5. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट।
6. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियां।
7. फार्म एमजीटी 9 में वार्षिक रिटर्न का सार।

ह/-

(**ए. के. झा**)

संबलपुर **अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक**

तिथि: 17.07.2018 **(DIN: 06645361)**

मैं पुष्टि करता हूँ कि समीक्षाधीन वर्ष में ,सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन ने आचरण संहिता के प्रावधानों के अनुपालन की पुष्टि की है।

ह/-

(ए. के. झा)

संबलपुर **अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक**

तिथि:: 17.07.2018 **(DIN: 06645361)**

अनुलग्नक-1

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के उप) धारा-3) के खंड (0) और कंपनी नियमावली, 2014 के नियम (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व) 9 के खंड के अनुपालन में]

I. कार्य शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित परियोजनाओं या कार्यक्रमों के अवलोकन तथा सीएसआर नीति और प्रस्तावित परियोजनाओं या कार्यक्रमों के वेब-लिंक के संदर्भ सहित कंपनी की सीएसआर नीति की एक संक्षिप्त रूपरेखा।

एमसीएल की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा:

उद्देश्य:

एमसीएल की सीएसआर नीति का मुख्य उद्देश्य समाज के सतत विकास के लिए सीएसआर को प्रमुख व्यवसायिक प्रक्रिया बनाने के लिए दिशानिर्देश देना है। इसका उद्देश्य दीर्घकालिक सामाजिक और पर्यावरणीय परिणामों के आधार पर समाज के कल्याणकारी उपायों की गतिविधियों में सरकार की भूमिका को बढ़ाने में है।

एमसीएल कार्यान्वयन के लिए ग्लोबल कॉम्पैक्ट के सिद्धांतों की सदस्यता लेने के लिए, एक अच्छे कॉर्पोरेट सिटीजन के रूप में कार्य करेगा।

कार्य क्षेत्र :

एमसीएल सीएसआर के क्षेत्र में समय-समय पर संशोधन के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII का पालन करता है।

सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्र:

एमसीएल के संबंध में, सीएसआर गतिविधियों को पूरा करने के लिए, बजट राशि का 80% परियोजना कंपनी मुख्यालय के /क्षेत्र मुख्यालय /खानों /साइट /25 किलोमीटर के दायरे में खर्च किया जाना चाहिए और बजट का 20% खर्च ओड़िशा के बाकी हिस्सों में किया जाएगा। एमसीएल (मुख्यालय) के संबंध में, सीएसआर को विस्तृत रूप से परिचालित जिलों सहित पूरे ओड़िशा में क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

राशि का आवंटन:

तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय लाभ के लिए सीएसआर के फंड कंपनी के औसत शुद्ध लाभ के 2% के आधार पर आवंटित किया जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के प्रावधान के अनुसार औसत शुद्ध लाभ की गणना की गई है।

एमसीएल की पूर्ण सीएसआर नीति को कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। सीएसआर नीति के लिए वेब लिंक :http://www.mahanadicoal.in/About/csrpolicy.php

II. सीएसआर समिति का गठन

एमसीएल में तीन प्रकार की सीएसआर समितियां हैं, जो नीचे दी गई हैं:

1. क्षेत्र स्तर की सीएसआर समिति:

- क्षेत्रीय मुख्य मु.म.प्र./म.प्र. — अध्यक्ष
- क्षेत्रीय कार्मिक प्रबन्धक — सदस्य
- क्षेत्रीय परियोजना अधिकारी — सदस्य
- स्टाफ ऑफिसर (सिविल) — सदस्य
- क्षेत्रीय वित्तीय प्रबन्धक — सदस्य
- क्षेत्रीय चिकित्सा अधिकारी — सदस्य
- स्टाफ ऑफिसर (ई एंड एम) — सदस्य
- स्टाफ ऑफिसर (एल एवं आर) — सदस्य

2. मुख्यालय स्तर की सीएसआर समिति:

- निदेशक(कार्मिक), एमसीएल — अध्यक्ष
- जीएम (सीएसआर),एमसीएल — सदस्य
- महाप्रबंधक (सिविल), एमसीएल — सदस्य
- महाप्रबंधक (वित्त), एमसीएल — सदस्य
- महाप्रबंधक (पर्यावरण), एमसीएल — सदस्य
- महाप्रबंधक (एल एंड आर), एमसीएल — सदस्य
- महाप्रबंधक (कार्मिक एवं औ. सं.), एमसीएल — सदस्य
- मुख्य चिकित्सा प्रमुख, एमसीएल — सदस्य

3. एमसीएल बोर्ड की उप समिति सीएसआर और एसडी बोर्ड स्तर पर एक समिति है। सदस्य नीचे दिए गए हैं:

- श्री एच.एस. पति (स्वतंत्र निदेशक) — अध्यक्ष
- सरकारी नामांकित निदेशक — सदस्य
- डॉ. राजीव मल्ल (स्वतंत्र निदेशक) — सदस्य
- निदेशक (तक/ योजना एवं परियोजना) — सदस्य
- निदेशक(कार्मिक), — सदस्य
- निदेशक (तक/संचालन) — सदस्य
- निदेशक(वित्त) — आमंत्रित

III. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत शुद्ध लाभ बजट गणना

सीएसआर के लिए कर से पहले 3 साल के मुनाफे की गणना)2017-18 के लिए(	
वर्ष	**राशि (करोड़ में)**
2014-2015	5314.24
2015-2016	6260.43
2016-2017	6853.32
कुल	**18427.99**
पिछले तीन वित्तीय वर्षों का औसत शुद्ध लाभ है (टैक्स से पहले लाभ)	6142.66
औसतन लाभ का 2%	**122.85**

IV. निर्धारित सीएसआर व्यय (उपरोक्त मद 3 के रूप में राशि का दो प्रतिशत)

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ (टैक्स से पहले लाभ) का दो प्रतिशत 122.85 करोड़ रुपये है।

V. वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च किए गए सीएसआर का विवरण।

क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि;

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि 122.85 करोड़ रुपये है।

ख) अव्ययित राशि, यदि कोई हो;

लेखापरीक्षा के बाद पिछले वर्ष की तुलना में अव्ययित/बकाया राशि शून्य है। (वास्तविक खर्च 166.60 करोड़ रूपये बजट की राशि 113.36 करोड़ रुपए से अधिक है

इस वर्ष में अव्ययित/बकाया राशि शून्य है। (वास्तविक व्यय बजट की राशि से अधिक है) [(122.85 करोड़ रुपये + 0 रुपये) - 267.52 करोड़ रुपये}

ग) वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का विवरण नीचे विस्तृत रूप से दिया गया है

निर्धारित प्रारूप में गतिविधियों की सूची संलग्नक -1 के रूप में अनुलग्नक की गई है।

VI. अगर कंपनी पिछले तीन वित्तीय वर्षों या उसके किसी भी हिस्से के औसत शुद्ध लाभ के दो प्रतिशत खर्च करने में असफल होती है, तो वह अपनी बोर्ड रिपोर्ट में राशि खर्च न करने का कारण प्रस्तुत करेगी ।

लागू नहीं।

VII. सीएसआर समिति का एक जवाबदेही कथन है कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में है-

कंपनी अधिनियम, 2013 में अपेक्षित सीएसआर समिति का एक जवाबदेही विवरण अनुलग्नक-2 के रूप में अलग से संलग्न है।

<u>अनुलग्नक-1</u>

						आंकड़े (लाख में)	
1	2	3	4	5	6	7	8
सं	**वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए निर्दिष्ट की गई सीएसआर परियोजना या गतिविधि**	**परियोजना शामिल किए जाने वाले क्षेत्र**	**परियोजनाओं या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिले निर्दिष्ट करे जहां परियोजेन या कार्यक्रम किए गए थे**	**परियोजना या कार्यक्रम के अनुसार राशि परिव्यय (बजट)**	**परियोजनाओं या कार्यक्रमों उप-प्रमुख (1) प्रत्यक्ष व्यय (2) ओवरहेडस पर खर्च की गई राशि**	**रिपोर्टिंग अवधि 31.03.2018 तक संचयी व्यय**	**व्यय राशि : प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से**
1	भूख, गरीबी और कुपोषण को समाप्त करना, स्वास्थ्य निवारक देखभाल और स्वच्छता को बढ़ावा देना और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।	ओडिशा के सभी खनन जिले और अन्य जिला	अंगुल, झारसुगुडा, सुन्दरगढ़, संबलपुर, खुर्दा, बोलांगीर, ढेंकनाल, गजपति, गंजाम, जाजपुर, कालाहंडी, नयागढ़, रायगढ़ा, सोनपुर, कंधमाल	19083.97	3435.92	15945.83	एमसीएल, एनपीसीसी, और राज्य सरकार
2	विशेष शिक्षा और रोजगार बढ़ाने के कौशल, विशेषकर बच्चों, महिलाएं, बुजुर्गों और विकलांगो के शिक्षण को बढ़ावा तथा आजीविका बढ़ाने वाली परियोजनाओं को बढ़ाना ।	ओड़िशा के सभी खनन जिले और अन्य जिला	अंगुल, झारसुगुडा, सुंदरगढ़, संबलपुर	50270.52	21400.38	33344.37	एमसीएल और एनबीसीसी
3	लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को सशक्त करना, महिलाओं और अनाथों के लिए घरों और हॉस्टलों की स्थापना करना; वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम, डे केयर सेंटर जैसी अन्य सुविधाएं स्थापित करना और सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के सामने आने वाली असमानताओं को कम करने के उपाय	ओड़िशा के सभी खनन जिले और अन्य जिला	अंगुल, झारसुगुडा, सुंदरगढ़, संबलपुर	93.69	65.51	76.98	एमसीएल द्वारा प्रत्यक्ष
4	पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन, वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषिसंसाधन-, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और मिट्टी, वायु और पानी की गुणवत्ता को बनाए रखना सुनिश्चित करना	सभी खनन जिले	अंगुल, झारसुगुडा, सुंदरगढ़,	286.58	233.84	275.03	एमसीएल द्वारा प्रत्यक्ष

5	ऐतिहासिक महत्व के भवनों, स्थलो और कलात्मक कार्य के पुनर्स्थापना सहित राष्ट्रीय विरासत और संस्कृति का संरक्षण; पुस्तकालयों की स्थापना; पारंपरिक हस्तशिल्प के विकास एवं उन्नयन	सभी खनन जिले	अंगुल, झारसुगुडा, सुंदरगढ़	52.86	52.86	52.86	एमसीएल द्वारा प्रत्यक्ष
6	सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध के कारण हुई विधवाओं और उनके आश्रितों के हितों के लिए उपाय			0.00	0.00	0.00	
7	ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेल और ओलंपिक खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण;	ओड़िशा के सभी खनन जिले और अन्य जिला	अंगुल, झारसुगुडा, सुंदरगढ़	1335.18	420.80	861.65	एमसीएल तथा राज्य सरकार
8	प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय राहत निधि या केंद्र सरकार द्वारा सामाजिक-स और आर्थिक विका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं की राहत और कल्याण के लिए स्थापित किसी भी अन्य कोष को योगदान			0.00	0.00	0.00	
9	शैक्षिक संस्थानों में स्थित प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटरों को प्रदान किया गया अंशदान या निधि जो केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित की जाती है।			0.00	0.00	0.00	
10	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	ओड़िशा के सभी खनन जिले और अन्य जिला	अंगुल, झारसुगुडा, सुंदरगढ़, संबलपुर	6091.67	1142.99	1906.85	एमसीएल तथा राज्य सरकार
11	गंदीबस्ती क्षेत्र विकास			0.00	0.00	0.00	
कुल:				77214.48	26752.31	52463.56	

अनुलग्नक—2

प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि सी.एस.आर. नीति का कार्यान्वयन और निगरानी, कंपनी के सी.एस.आर. उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में है।

हस्ताक्षर महाप्रबंधक (सीएसआर), एमसीएल	हस्ताक्षर निदेशक (कार्मिक), एमसीएल
हस्ताक्षर अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, एमसीएल (डीआईएन: 06645361)	हस्ताक्षर अध्यक्ष, सीएसआर समिति (डीआईएन: 05283445)

<u>अनुलग्नक -II</u>

<u>फॉर्म संख्या MR-3</u>

<u>सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट</u>

समाप्त वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी नियम सं .9 (नियुक्ति एवं पारिश्रमिक कर्मियों) नियमावली, 2014 के अनुसरण में

सेवा में,

सदस्य,

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड;

जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर.

हमने **महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड** (जिसे बाद कंपनी कहा गया) पर लागू वैधानिक प्रावधानों और अच्छी कॉर्पोरेट पद्धति के अनुपालन द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा का आयोजन किया है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस तरह से आयोजित की गई थी कि कॉर्पोरेट संहिता/ वैधानिक अनुपालन उस पर हमारी राय के मूल्यांकन का तार्किक आधार प्राप्त हो सके।

कंपनी की किताबें, कागज, मिनट किताबें, भरें हुए फार्म और रिटर्न और कंपनी द्वारा अनुरक्षित रिकॉर्ड और कंपनी द्वारा दी गई जानकारी भी, सचिवीय लेखा परीक्षा के आयोजन के समय इसके अधिकारी, एजेंट, और प्राधिकृत प्रतिनिधि के सत्यापन के आधार पर हम अपने मतानुसार रिपोर्ट देते है कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखा परीक्षा अवधि के दौरान सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया गया है तथा कंपनी के पास रिपोर्टिंग के संबंध में उचित बोर्ड प्रक्रियाएँ तथा विस्तृत अनुपालन-तंत्र है ।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हमने कंपनी की किताबें, कागज, मिनट किताबें, भरें हुए फार्म और रिटर्न तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित रिकॉर्ड का निम्न प्रावधान के अंतर्गत परीक्षण किया है:

i. इसके तहत बनाए गए कंपनियों अधिनियम, 2013 और नियमावली।

ii. इसके तहत बनाए गए प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए") और नियमावली **(लागू नहीं)**

iii. इसके तहत बनाए गए डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और विनियम और उप-कानून (लागू नहीं)

iv. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, प्रवासी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधारी के विस्तार के लिए इसके तहत बनाए गए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और नियमों और विनियम।**(लागू नहीं)**

v. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित नियम और दिशानिर्देश:-

क. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड विनियम, 2011 (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और टेकओवेर्स); **(लागू नहीं)**

ख. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (आंतरिक व्यापार पर प्रतिषेध) विनियम, 1992; **(लागू नहीं)**

ग. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड विनियम, 2009 (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं के मुद्दे); **(लागू नहीं)**

घ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) के दिशानिर्देश, 1999; (लागू नहीं)

ङ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड विनियम, 2008 (मुद्दा और ऋण प्रतिभूतियों की लिस्टिंग); (**लागू नहीं)**

च. कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार से संबंधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड विनियम, 1993 को के बारे में (मुद्दा और शेयर ट्रांसफर एजेंट के रजिस्ट्रार); **(लागू नहीं)**

छ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2009 **(लागू नहीं)** और

ज. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड विनियम, 1998 (प्रतिभूति की पुनर्खरीद); **(लागू नहीं)**

vi. सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देश।

vii. विभिन्न विभागों द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल को समय समय पर प्रस्तुत किए गए प्रमाणपत्र के आधार पर तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित प्रमाणपत्रों और रिकॉर्ड के सत्यापन के आधार पर औद्योगिक विशेष कानून के अंतर्गत निम्नलिखित प्रक्रिया और अनुपालनों को सत्यापित किया जा रहा है।

क. खान अधिनियम, 1952

ख. खान रियायत नियमावली, 1960

ग. खान बचाव नियमावली, 1985

घ. खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियमावली, 1966

ङ. खान (एब्सट्रैक्ट की पोस्टिंग) नियमावली, 1954

च. खान और खनिज (विकास विनियमन) अधिनियम, 1957

छ. भारतीय विद्युत नियमावली, 1985

ज. भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884

झ. भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 2008

ञ. कोयला खान विनियम, 1957

ट. कोयला खान संरक्षण एवं विकास अधिनियम, 1974

ठ. कोयला खान पेंशन योजना, 1998

ड. कोयला खान भविष्य (विविध प्रावधान) अधिनियम, 1948

ढ. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986

ण. जल (रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम 1974

त. वायु (रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1981

थ. मजदूरी भुगतान (खान) नियमावली, 1956

द. अवितरित मजदूरी भुगतान (खान) नियमावली, 1959

ध. मातृत्व लाभ (खान) नियमावली, 1963

न. कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2000

ऩ. कोलियरी नियंत्रण नियमावली, 2004

प. भारतीय खान ब्यूरो (इलेक्ट्रिकल पर्यवेक्षक और इलेक्ट्रीशियन) भर्ती नियमावली, 1990

हमने निम्न लागू खंड के अनुपालन की जांच की है:

i. भारत के कंपनी सचिव की संस्था द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानक।

ii. कंपनी द्वारा किसी स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीबद्ध करार (लागू नहीं)

हम और वित्तीय कानूनों के अनुपालन, वित्तीय अभिलेखों और खातों की पुस्तकों के रखरखाव पर रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, यद्यपि उनकी सांविधिक लेखा परीक्षा के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा समीक्षा की जा रही हैं।

अनुलग्नक 'ख' में निर्दिष्ट निरीक्षणों और योग्यता के संबंध में समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू कंपनी अधिनियम, नियमों, विनियमों, डीपीई दिशानिर्देशों, सचिवीय मानक, आदि के प्रावधानों का पालन किया है।

<u>बोर्ड का गठन:</u>

कंपनी के निदेशक मंडल को अनुलग्नक-बी में निर्दिष्ट पर्यवेक्षण और योग्यता के अधीन विधिवत गठित किया गया है और समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुई निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे तथा बोर्ड को सूचना का खुलासा पर्याप्त था और कंपनी द्वारा उचित बोर्ड प्रक्रिया का पालन किया गया था।

<u>बैठक का आयोजन:</u>

बोर्ड बैठकें, एजेंडा को निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया गया है और एजेंडा पर विस्तृत टिप्पणी कम से कम सात दिन पहले भेजे गए और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए बैठक से पहले एजेंडा पर जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है। बोर्ड और कमेटी बैठक में बहुमत निर्णय लिए जाते है और विधिवत दर्ज किए जाते हैं।

<u>लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के साथ अनुपालन:</u>

कंपनी में लागू कानून, नियम, विनियम और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं।

<u>अंतर कॉर्पोरेट ऋण और पेशगी:</u>

<u>सीसीएल को ऋण निधि:</u>

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, 06 मई 2017 को आयोजित बैठक में कंपनी के निदेशक मंडल ने कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) को 1,500 करोड़ रुपये के ऋण प्रदान करने के लिए अनुमोदन दिया है। सेंट्रल । इस संबंध में कंपनी ने कोयला मंत्रालय से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त की है।

एमसीएल द्वारा एनएलसीआईएल को ऋण निधि व्यवस्था:

इसके अलावा, लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, 30 अक्टूबर 2017 को आयोजित बैठक में कंपनी के निदेशक मंडल ने लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित नियमों और शर्तों के अनुसार किश्तों में 2,000 करोड़ रुपये के ऋण प्रदान करने के लिए अनुमोदन किया है। और एनसीसी इंडिया लिमिटेड को एमसीएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया है। इस संबंध में कंपनी ने एमओसी से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त की है।

अधिकृत पूंजी की वृद्धि:

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, 21 मार्च, 2018 को आयोजित बैठक में कंपनी के सदस्यों ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13, 61, 62 और अन्य लागू प्रावधान यदि कोई है, के अनुसार कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी वृद्धि को मंजूरी दे दी है रु. 5,00,00,00,000.00 (केवल पांच सौ करोड़ रुपये) को 29,588,200 (बीस नौ लाख पचास आठ हजार दो सौ) इक्विटी शेयरों में प्रत्येक को 1,000.00 रुपये (रुपये एक हजार) में विभाजित किया गया है और 9,80,00,00,000.00 (केवल नौ सौ सत्तर करोड़ रुपये) को 20,41,800 रु. (बीस लाख चालीस एक हजार आठ सौ रु.) 10% संचयी छुट योग्य वरीयता शेयर में प्रत्येक को 1,000.00 (रुपये एक हजार) के साथ 77,58,200 (सत्तर सात लाख पचास आठ हजार दो सौ) में विभाजित किया गया है। कंपनी के मौजूदा शेयरों के साथ पेरी पस्सू रैंकिंग की गई है।

बोनस शेयरों का मुद्दा:

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, 31 जनवरी 2018 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 23, 63 और अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, के अनुसार पूंजी रिडेम्प्शन रिजर्व और कंपनी के सामान्य रिजर्व से 564.9 1 करोड़ रुपये को कंपनी के मौजूदा शेयरधारकों को 4:1 के अनुपात में बोनस शेयरों की राशि को पूंजीकरण करने की सिफारिश की है जैसा कि परिभाषित किया गया है कंपनी का रिजर्व और अधिशेष इसकी भुगतान इक्विटी शेयर पूंजी के 10 गुना से अधिक है। सदस्यों के अनुमोदन के लिए मामला रखा गया था और बोनस जारी करने के लिए एक समिति गठित करने की आवश्यकता थी। तदनुसार, बोर्ड द्वारा अनुशंसित बोनस जारी करने के लिए सीएमडी, डी (टी / ओपी), डी (टी / पीएंडपी) और डी (पी) को शामिल कर अनुमोदन देने प्रभावी बनाने के लिए एक बोनस कमेटी गठित की गई थी। सदस्यों ने 21 मार्च 2018 को आयोजित बैठक में बोनस शेयर जारी करने के लिए सहमति व्यक्त की है। तत्पश्चात, 28 मार्च 2018 को आयोजित बैठक में बोनस कमेटी ने 56,49,064 रुपये को 1,000 / - प्रत्येक के इक्विटी शेयरों में(विशिष्ट संख्या 1412267 से 7061330 तक) आवंटित करके शेयरों के बोनस जारी करने को मंजूरी दे दी। प्रत्येक मौजूदा इक्विटी शेयर कोल इंडिया लिमिटेड को दी गई इक्विटी शेयरों को 4 अनुपात मे कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर के रूप मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ 22/03/2018 (रिकॉर्ड तिथि) पेरु पस्सू रैंकिंग में जमा किया गया है। कंपनी ने 28.03.2018 को सीआईएल को बोनस शेयर आवंटित किए हैं।

<u>महिला स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति:</u>

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान दिनांक 01/04/2017 से 05/09/2017 तक बोर्ड में एक स्वतंत्र महिला निदेशक कमी आई है। यद्यपि निदेशक मंडल में महिला स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्रीमती सीमा शर्मा की नियुक्ति के बाद दिनांक 06/09/2017 को महिला निदेशक के संबंध में परिच्छेद XI (नियुक्ति और निदेशक नियमों की योग्यता, नियमावली 2014) के नियम -3 के प्रावधानों का पालन किया गया है।

स्थान:भुवनेश्वर
तिथि:

देब मोहपात्र एंड कंपनी,
कंपनी सचिव

हस्ताक्षर
सीएस देबदत्त महापात्र, साथी,
एफसीएस सं. 5474, सी पी संख्या: 4583

नोट: यह रिपोर्ट हमारे पत्र के साथ पढ़ी जाएँ जिसे अनुलग्नक क और अनुलग्नक ख के रूप में संलग्न किया गया है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न हिस्सा है।

'अनुलग्नक - क'

सेवा में,
सदस्य,
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड;
जागृति विहार, **बुर्ला**, **संबलपुर**.

इस पत्र के साथ यहां तक तारीख को पढ़ा जाए।

1. सचिवीय रिकॉर्ड के रखरखाव की ज़िम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी इन सचिवीय लेखा परीक्षा के आधार पर रिकॉर्ड पर अपनी राय व्यक्त करना है।
2. हमने सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखा परीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है। परीक्षण के आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन किया गया था कि सचिवीय रिकॉर्ड में परिलक्षित तथ्य सही है। हम मानते हैं कि पद्धति और प्रक्रियाएं जिनका हमने अनुसरण किया है, हमारे विचार को एक उचित आधार प्रदान करते हैं।
3. हमने कंपनी के खातों की पुस्तकों तथा वित्तीय रिकॉर्ड की शुद्धता और औचित्य का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहाँ आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों और घटनाओं आदि के अनुपालन के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट के प्रावधानों और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के अनुपालन की ज़िम्मेदारी प्रबंधन की है। परीक्षण के आधार पर हमारे सत्यापन का परीक्षण सीमित था।
6. सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट न ही कंपनी के भविष्य व्यवहार्यता के लिए और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के लिए, जिसके साथ प्रबंधन कंपनी के मामलों का आयोजन किया गया है, के रूप में एक आश्वासन है।

स्थान : भुवनेश्वर
दिनांक :

कृते देब महापात्र एण्ड कं.
कंपनी सचिव

हस्ताक्षर
सीएस देबदत्त महापात्र साझेदार,
एफ़सीएस सं. 5474, सीपी सं.: 4583

'अनुलग्नक 'ख'

सचिवीय लेखा परीक्षक और प्रबंधन के जवाब का अवलोकन

क्र.	निरीक्षण	प्रबंधन का जवाब
1.	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 4 के खण्ड 8 के प्रावधान के तहत वर्ष के दौरान निदेशक मंडल द्वारा स्वतंत्र निदेशकों के कार्य निष्पादन का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था।	समय-समय पर कोयला मंत्रालय द्वारा निदेशक का मूल्यांकन किया जा रहा है। कंपनी को न तो स्वतंत्र निदेशक को नियुक्त करने का अधिकार है और ना ही उनका मूल्यांकन करने का।
2.	चाहे कंपनी ने कॉर्पोरेट प्रशासन के लिए तथा बोर्ड और समिति में बोर्ड सदस्य के इष्टतम संयोजन के संदर्भ में दिनांक 14-05-2010 के सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिए हो अथवा नहीं।	एमसीएल बोर्ड के गठन में 4 स्वतंत्र निदेशक है। उनमें से 3 कोयला मंत्रालय द्वारा नियुक्त किए गये हैं। शेष 01 निदेशकों की नियुक्ति कोयला मंत्रालय के पास लंबित है। एक बार जब वे नियुक्त किए जाते हैं तो समिति के रूप में अच्छी तरह से कंपनी नियम और डीपीई दिशा निर्देशों के प्रावधानों को पूरा करेंगे।
3	महिला स्वतंत्र निदेशक का पद 01/04/2017 से 05/09/2017 तक रिक्त रहा है क्योंकि कंपनी ने बोर्ड में चैप्टर XI के नियम -3 (निदेशक की नियुक्ति और योग्यता नियमावली, 2014) के तहत आवश्यक महिला निदेशक नियुक्त नहीं किया है।	सुश्री सीमा शर्मा को कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव के अधीन दिनांक 06.09.2017 को पत्र संख्या 21/18/2017-बीए (iii) के अनुसार महिला निदेशक नियुक्त किया गया है।

अनुलग्नक - III

निदेशकों की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) के तहत निदेशकों की रिपोर्ट में दी जाने वाली जानकारी को ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी विनिमय, आय एवं व्यय से संबंधित कंपनी नियमावली,1988 (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में ब्योरे का उल्लेख) के साथ पढ़ा जाए।

1. ऊर्जा का संरक्षण

1(क). अपनाए गए विद्युत ऊर्जा संरक्षण के उपाय

इस वर्ष की ऊर्जा स्थिति के मुख्य आकर्षण नीचे तुलनात्मक कथन के साथ प्रस्तुत किए गए हैं:

i. वर्ष 2017-18 के दौरान बिजली की विशिष्ट खपत (कोयला के लिए) वर्ष 2016-17 के 2.17 किलोवाट /टन की तुलना में 2.12 किलोवाट /टन अर्थात 0.46% कम है।

ii. 2017-18 के दौरान बिजली की विशिष्ट खपत (समग्र उत्पादन के लिए) (अर्थात कोयला+ओ.बी. हटकर) वर्ष 2016-17 के 1.46 किलोवाट/क्यूबिक मीटर की तुलना में 1.35 है जो 8.15% कम है।

iii. पी.एफ. बनाए रखने के लिए वर्ष 2017-18 के दौरान उपरोक्त 0.96 पीएफ़ के अनुरक्षण के लिए 71.35 लाख रुपए के पावर फैक्टर प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई।

iv. वर्ष 2017-18 के दौरान सभी आपूर्ति केंद्र के मासिक बिजली बिल के भुगतान की व्यवस्था के लिए हर महीने के चौथे तारीख को 173.6 लाख रुपए की छुट वेसको/सीईएसयू से उपलब्ध कराई गई थी।

1.(ख) विशेष पहल

i. एमसीएल के 12 अलग-अलग स्थानों पर सेवा भवन की छत पर सोलर रुफ़ टॉप परियोजना संयंत्र के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम मैसर्स सीएमपीडीआई को सौंपा गया है। छतों के आंकड़े एकत्रित किए गए है और इस वित्त वर्ष अर्थात 2018-19 में डीपीआर को अंतिम रूप दिया जाएगा। चिन्हित स्थान नीचे सारणीबद्ध हैं।

क्रमांक	क्षेत्र का नाम	स्थान / भवन
1	जगन्नाथ	डीएवी स्कूल (अँग्रेजी माध्यम)
2	लिंगराज	क्षेत्र/महाप्रबंधक का कार्यालय
3		परियोजना कार्यालय, लिंगराज
4		एलटीएस औषधालय
5	हिंगुला	परियोजना कार्यालय, बलराम ओसीपी
6	के. कर्मशाला तालचेर	सीडब्लूएस तालचर
7	लखनपुर	क्षेत्र/महाप्रबंधक का कार्यालय
8		बेलपाहर परियोजना कार्यालय, बेलपाहर ओसीएम
9		त्रिवेणी गेस्ट हाउस
10	ईब वैली	केंद्रीय अस्पताल
11	ओरिएंट	क्षेत्र/महाप्रबंधक का कार्यालय (एम ब्लॉक)
12		परियोजना कार्यालय, रामपुर उप क्षेत्र

ii. 40 वाट के 13,908 फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट को 20 वाट एलईडी लैंप से प्रतिस्थापन की योजना को अनुमोदन प्राप्त हो चुका है और खरीद कार्रवाई की प्रक्रिया में है। उम्मीद की जाती है कि इन लाइटों को वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा।

iii. उच्चतर वाट क्षमता वाले 7,044 पारंपरिक स्ट्रीट लाइट को कम वाट क्षमता वाले एलईडी लैंप से प्रतिस्थापित करने कि योजना को अनुमोदन प्राप्त हो चुका है और खरीद कार्रवाई की प्रक्रिया में है तथा उम्मीद की जाती है कि इन लाइटों को वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा।

iv. एमसीएल कर्मचारियों के सभी आवासीय क्वाटरों में 17,235 एनर्जी मीटर उपलब्ध कराने की योजना पर कार्रवाई की गई है और ऊर्जा मीटर वर्ष 2018-19 के दौरान स्थापित होने की उम्मीद है।

v. 30 नोड्स चंडीपाड़ा, भरतपुर क्षेत्र को 30 सौर ऊर्जा स्ट्रीट लाइट्स, बसुंधरा क्षेत्र के 48 बिस्तर वाले एमटी हॉस्टल के लिए दो सौर वॉटर हीटर सिस्टम तथा भुवनेश्वरी ओसीपी के ट्रांसिट हाउस के लिए दो सौर वॉटर हीटर उपलब्ध कराने की योजना को मंजूरी दे दी गई है और इसकी खरीद प्रक्रियाधीन है।

vi. ओवर हेड लाइन से अनधिकृत बिजली की खपत को समाप्त करने के लिए, 43.5 किलोमीटर की ओवर हेड लाइन कंडक्टर को एरियल बंच कंडक्टर प्रतिस्थापित कर दिया गया है। 17.5 किलोमीटर की अधिक मात्रा प्रतिस्थापित की जा रही है।

1.(ग) <u>ऊर्जा के प्रभावी संरक्षण के लिए बिजली की खपत में संभावित / संभव कमी के लिए उठाए गए कदम</u>

i. वर्ष 2017-18 के दौरान बलराम और कुलड़ा ओसीपी के संबंध में विद्युत ऊर्जा उपभोग के लिए बेंचमार्किंग अध्ययन किया गया है।

ii. 2 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए उत्पादित बिजली का अधिक से अधिक उपयोग करने हेतु आनंद विहार, एमसीएल मुख्यालय के वाणिज्यिक और घरेलू ऊर्जा केंद्र का विलय। इस संबंध में मैसर्स वेस्को द्वारा फील्ड निरीक्षण किया गया है और बढ़ती अनुबंध मांग के साथ सिफारिश को सूचित किया जाएगा।

iii. तालचेर कोलफील्ड के लिए विश्वसनीय बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए 60 एमवीए से 120 एमवीए तक नंदीरा सब-स्टेशन का विस्तार पूरा हो रहा है।

iv. जगुति विहार कार्यालय सह आवासीय परिसर में दिनांक 30/11/2017 को 2X1.6 एमवीए, 33/11 केवी उप स्टेशन की सफलतापूर्वक शुरुआत कर दी गई है।

v. एकल प्वाइंट ट्रांसफार्मर से मल्टी प्वाइंट पोल माउटेड ट्रांसफार्मर तक पोल टाउनशिप पावर वितरण के पुनर्गठन के लिए व्यवहार्यता।

vi. कम स्तर पर बिजली की अधिकतम मांग को कम करने तथा जितना संभव हो सके टॉड (दिन का समय) प्रोत्साहन उपलब्ध करने के लिए पंपिंग जैसे नियमित लोड को ऑफ-पीक घंटों के दौरान संचालित किया जा रहा है।

vii. औद्योगिक पंपों द्वारा ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए, कदम उठाए गए हैं, जैसे रखरखाव की प्रभावशीलता, वितरण और चूषण आकार का अनुकूलन और, बोर-छेद के माध्यम से पोंटुन, डिलिवरी और केबल्स का उपयोग आदि।

viii. पंखों के लिए पारंपरिक चोक और रेग्युलेटर के बजाय इलेक्ट्रॉनिक रेग्युलेटर का उपयोग।

ix. उच्च सितारा रेटिंग के एयर कंडीशनर की खरीद, एयर कंडीशनर के फिल्टर की नियमित सफाई, आवश्यकता न होने पर एयर कंडीशनरों को बंद करना आदि। प्रतिस्थापित एयर कंडीशनर सहित सर्वेक्षण किए गए सभी एयर कंडीशनर पांच सितारा रेटिंग के है।

x. ढीली कनेक्शन से बचने और फ़्यूज़ के उचित आकार का उपयोग करना।

xi. उचित केबल के आकार के साथ न्यूनतम केबल घाटे अर्थात रेटेड क्षमता का सुनिश्चित करना।

xii. ट्रांसफार्मर क्षमता का इष्टतम उपयोग जिससे ट्रांसफार्मर घाटे को कम किया जा सकता है।

xiii. पावर कैपेसिटर का उपयोग करके ऊर्जा के करीब करीब 0.97 का अनुरक्षण किया गया है, ताकि ऊर्जा क्षति को कम किया जा सके।

xiv. ओवरहेड कंडक्टर के उचित आकार का उपयोग करके न्यूनतम संचरण हानि सुनिश्चित की गई है।

xv. ऊर्जा के नुकसान को कम करने के लिए स्टेज पम्पिंग / इंटरमीडिएट पम्पिंग को कम कर दिया गया है।

xvi. पंपों में बिजली के मोटर्स का सटीक आकार सुनिश्चित करना।

xvii. पंपों में डिलीवरी लाइनों और चूषण के उच्च आकारों / अनुशंसित आकारों का उपयोग और थ्रॉटलिंग से बचने के लिए।

xviii. पंपिंग दक्षता में सुधार के लिए पाइपलाइनों में किसी तरह के रिसाव न होना सुनिश्चित करना।

xix. बीयरिंग आदि की उचित स्थिति सुनिश्चित करना।

xx. पीक घंटे के दौरान गैर-उत्पादक लोड को नियंत्रित कर अर्थात् यदि आवश्यक हो तो लोड-शेडिंग का सहारा लेकर सटीक निगरानी के लिए अनुबंध की मांग के करीब अधिकतम मांग को समाविष्ट किया जाता है। कम से कम मांग के दोहरे लाभ के लिए विद्युत कारक को बढ़ाने के लिए उपयुक्त विनिर्देशन के कैपेसिटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है।

2. क. ईंधन और स्नेहक:

ईंधन और स्नेहक के उपभोग में कमी के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए:

इंजन, प्रसारण और हाइड्रोलिक संचालित प्रणालियों की आवधिक मरम्मत की जा रही है।

क. उपकरणों के हाइड्रोलिक तेल के रिसाव को कम करने के लिए होज़ों और उनके मार्ग की आवधिक जांच की जा रही है।

ख. टायर्स में हवा के दबाव की नियमित रूप से उचित जांच की जाती है।

ग. सेल्फ स्टार्टर्स, अल्टर्नेटर्स और बैटरियों की नियमित जांच।

घ. सीएमपीडीआई द्वारा निर्धारित मानदंडों में विशेष डीजल खपत की नियमित नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

ङ. उपकरणों की खराबी को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

च. बेहतर नियंत्रण और डीजल की खपत के लिए एकीकृत ईंधन प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) के फिटमेंट और स्थापना की शुरुआत की जा रही है।

2. ख. **<u>ऊर्जा उपभोग के लिए उपायों का प्रभाव और उत्पादन के मापदंडों पर परिणामस्वरूप प्रभाव</u>**

विवरण	**17-18**	**16-17**	पिछले वर्ष से % परिवर्तन
विद्युत ऊर्जा			
(I) बिजली की विशिष्ट खपत (कोयला के लिए), किलोवाट/टन में	2.12	2.17	(-2.36) (अनुकूल)
(ii) बिजली की विशिष्ट खपत (संमिश्र उत्पादन के लिए) (यानी कोयला + ओ.बी. निकालना), किलोवाट/ क्यूबिक मीटर में	1.35	1.46	(-8.15) (अनुकूल)
ईंधन और स्नेहक			
(i) एचएसडी की खपत, संयुक्त उत्पादन के लीटर/क्यूबिक मीटर में।	0.193	0.21	(-8.10) (F)
(ii) स्नेहक की खपत, संयुक्त उत्पादन के लीटर/क्यूबिक मीटर में ।.	0.009	0.010	(-10.00) (F)
(iii) एचएसडी की खपत, कोयला उत्पादन के लीटर/टन में	0.303	0.313	(-3.19) (F)
(iv) स्नेहक की खपत, कोयला उत्पादन के लीटर/क्यूबिक में ।	0.014	0.014	(0.00) (F)
v) पीओएल की विशिष्ट लागत, रु./टन	20.07	19.82	(1.26) (A)

एफ - अनुकूल ए - प्रतिकूल

2. ग) विदेशी विनिमय का आय औऱ व्यय

I) निर्यात , निर्यात बढ़ाने के लिए की गई पहल, उत्पादों के लिए नए निर्यात बाज़ारों का विकास, निर्यात गतिविधियों सेवाओं और निर्यात योजनाओं से संबंधित गतिविधियां : कंपनी निर्यात गतिविधियों में शामिल नहीं है।

II) विदेशी विनिमय उपयोग औऱ अर्जन।

(रू. करोड़ में)

विवरण	**चालू वर्ष**	**विगत वर्ष**
क) विदेशी विनिमय का उपयोग		
I) आयात के सीआईएफ मूल्य क) घटक, भंडार, स्पेयर पार्टस ख) पूंजीगत वस्तुएं	0.10 28.37	0.02 शून्य
II) यात्रा	0.36	0.01
III) व्याज	0.09	0.09
IV) अन्य	-	-
ख) विदेशी विनिमय का आय	शून्य	शून्य

<u>अनुलग्नक-IV</u>

कॉर्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन का प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्यों
मैसर्स महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

हमने **महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड**(इसके बाद कंपनी के रूप में संदर्भित) द्वारा दिनांक-31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए कॉर्पोरेट शासन के शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जो लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के कॉरपोरेट शासन के दिशा-निर्देश के अनुबंध में दी गई है।

कॉर्पोरेट शासन के शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए स्वीकार की गई प्रक्रिया एवं अनुपालन पर हमारी जांच सीमित है। यह न तो लेखा परीक्षा है न ही कंपनी के वित्तीय पर विचारों की अभिव्यक्ति है।

हमारे विचार से तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण व प्रबंधन द्वारा दी गई प्रस्तुतीकरण के अनुसार हम यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने ऊपर दर्शायें गए **'अनुलग्नक-I'** में उल्लेखित निरीक्षण के आधार पर डी.पी.ई. के दिशानिर्देशों के तहत् दिये गए कॉरपोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

हम यह पुनः कहते हैं कि यह अनुपालन कंपनी के भविष्य में वैधता के लिए न तो आश्वासन है और न ही कंपनी के मामलों को देखने वाले प्रबंधन की प्रवीणता या प्रभावशीलता है।

कृते राघव गर्ग एंड एसोसियेट्स
(कंपनी सचिव)

स्थान-संबलपुर
दिनांक:24.04.2018

हस्ता/-
सी.एस. राघव गर्ग, ए.सी.एस.
प्रोपराइटर
सदस्यता संख्या-51644, सी.पी. संख्या-18834

अनुलग्नक-1

क. **लेखा परीक्षा समिति की संचरना:-**

जैसा कि ऊपर बताया गया है, वर्ष 2017-18 के दौरान स्वतंत्र निदेशक का 01 पद लंबे समय से खाली पड़ा हैं एवं भारत सरकार भी अब तक इस खाली पद को भर नहीं कर पायी है। जैसा कि लेखा समिति के दो तिहाई सदस्यों में स्वतंत्र निदेशक होंगे जिसके परिणामस्वरूप लेखा परीक्षा समिति की संरचना के संबंध मेँ डी.पी.ई. दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है। कंपनी ने लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष के संबंध में भी अनुपालन नहीं किया है जो एक स्वतंत्र निदेशक होगा।

कंपनी के प्रबंधन ने कहा है कि कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक बार 01 से अधिक स्वतंत्र निदेशकों शामिल किए जाने के बाद कंपनी के लेखा परीक्षा समिति के सभी 04 स्वतंत्र निदेशकों को इसके सदस्य के रूप में माना जाएगा तथा इनमे से एक को लेखा परीक्षा समिति का अध्यक्ष भी बनाया जाएगा, जो डी.पी.ई. दिशा निर्देशों के प्रावधानों का पालन करेगा।

कृते राघव गर्ग एंड एसोसियेट्स
(**कंपनी सचिव**)

स्थान-संबलपुर
दिनांक-24.04.2018

हस्ता/-
सी.एस. राघव गर्ग, ए.सी.एस.
प्रोपराइटर, सदस्यता संख्या-51644,
सी.पी. संख्या-18834

<u>कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट</u>

कंपनी का दर्शन:

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के संगठनात्मक प्रणाली में कॉर्पोरेट शासन व्यापारिक दर्शन के रूप में इसकी गइराई तक शामिल है, जिससे पारदर्शिता, वृहत्तर संगठनात्मक न्याय एवं कार्पोरेट स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।

वर्ष 2010-11 से केंद्रीय सरकार से अनिवार्यत: अनुपालन हेतु कॉर्पोरेट शासन पर दिशा-निर्देश प्राप्त हुए हैं। लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सीमा के अंदर कार्य नीति बनाने के लिए नये परिप्रेक्ष्य एवं समुचित अध्यवसाय के साथ दिशा-निर्देशों का पुनरावलोकन किया गया है।

समता, न्याय, पारदर्शिता, जवाबदेही इत्यादि कसौटी होने के नाते अच्छे गवर्नेन्स के मूलाधार के रूप में स्वीकार किये गये हैं। एमसीएल के संबंध में इन सभी आधारभूत मूल्यों को व्यापार के सभी आयामों में यथासंभव प्रयोग में लाया जाना है।

निदेशक मंडल:

कार्यकारी, नामित एवं स्वतंत्र निदेशकों के बोर्ड में उच्चतम जुड़ाव के सिद्धान्त को मानते हुए निम्नलिखित विभिन्न श्रेणियों के 10 (दस) निदेशकों को लेकर एमसीएल का निदेशक मंडल दिनांक 31.03.2018 को गठित किया गया:-

क) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक समेत, 05 (पाँच) कार्यकारी निदेशक।

ख) 03 (तीन) सरकारी अंशकालीन निदेशक(नमिति) ।

ग) 02 (दो) अंशकालिक सरकारी निदेशक (नोमिनी)

इसके अलावा ईस्ट कोस्ट रेलवे, भुवनेश्वर के मुख्य प्रचालन प्रबंधक को भी बोर्ड के स्थायी के रूप में आमंत्रित किया जा हैं।

वर्ष 2017-18 के दिनांक 18.04.2017, 06.05.2017, 25.05.2017, 10.06.2017, 01.08.2017, 08.09.2017, 30.10.2017, 07.11.2017, 22.12.2017, 31.01.2018, 28.02.2018, 09.03.2018 तथा 30.03.2018 को निदेशकों की उपस्थिति में 60% औसत से अधिक उपस्थिति में 12 बार बैठकें की गई तथा दो बैठकों के बीच में 64 दिन से कम अंतराल रहा।

बोर्ड के गठन का विवरण, निदेशकों की निजी उपस्थिति और अन्य कंपनियों के निदेशकों की संख्या का ब्यौरा निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:

नाम एवं पदनाम	श्रेणी	बोर्ड की बैठकें		अन्य कंपनियों में निदेशक के पद पर	उपस्थित पिछले एजीएम	अन्य समिति में सदस्यता	
		कार्यकाल में आयोजित	उपस्थित			लेखा परीक्षा समिति	अन्य समिति
श्री ए के झा, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक	कार्यकारी	*13*	*13*	शून्य	हां	नहीं	*02*

श्री जे.पी. सिंह, निदेशक (तक./परि.)	कार्यकारी	13	13	(i) एम.बी.पी.एल. (ii) एम.सी.आर.एल. (iii) एम.एन.एच.शक्ति (iv) एम.जे.एस.जे. कोल लिमिटेड	नहीं	01	05
श्री ओ पी सिंह, निदेशक (तक./संचालन)	कार्यकारी	13	13	(i) एम.जे.एस.जे. कोल लिमिटेड (ii) एम.एन.एच.शक्ति लिमिटेड (iii) एम.बी.पी.एल.	हां	शून्य	04
श्री एल.एन. मिश्रा, निदेशक (कार्मिक)	कार्यकारी	13	12	(i) एम.बी.पी.एल. (ii) एम.एन.एच.शक्ति लिमिटेड (iii) एम.सी.आर.एल. (iv) एम.जे.एस.जे. कोल लिमिटेड	नहीं	शून्य	03
श्री के के परिडा, निदेशक (वित्त)	कार्यकारी	04	04	(i) एम.बी.पी.एल. (ii) एम.जे.एस.जे. कोल लिमिटेड (iii) एम.सी.आर.एल.	नहीं	शून्य	04
श्री एम. चौधुरी, निदेशक	सरकार द्वारा नामित	3	2	एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड	नहीं	01	01
श्री एस.एन. प्रसाद निदेशक	सरकारी अंशकालिक	13	09	(i) कोल इंडिया लिमिटेड (ii) नोर्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड	हां	01	01
डॉ. आर. मल्ल निदेशक	स्वतंत्र	13	12	शून्य	नहीं	01	02
श्री एच.एस. पति, निदेशक	स्वतंत्र	13	10	शून्य	नहीं	01	02
श्री आर.के. सिन्हा, निदेशक	सरकार द्वारा नामित	08	05	कोल इंडिया लिमिटेड	नहीं	01	शून्य
श्रीमती एस. शर्मा, निदेशक	स्वतंत्र	07	06	शून्य	नहीं	01	02
श्री के.आर. वासुदेवन, निदेशक(वित्त)	कार्यकारी	03	03	(i) एम.सी.आर.एल. (ii) एम.जे.एस.जे. कोल लिमिटेड (iii) एम.बी.पी.एल.	नहीं	शून्य	04

छमाही और वार्षिक लेखों, पूंजीगत व्यय, कोयला बिक्री अनुबंध, जनशक्ति बजट, वैधानिक अनुपालन रिपोर्ट आदि जैसे प्रशासन के निश्चित विषय बोर्ड की समीक्षा और अनुमोदन के लिए आरक्षित हैं।

निदेशक का पारिश्रमिक:

क) पूर्णकालिक निदेशक

नाम	अन्य निदेशकों के साथ संबंध	कंपनी के साथ व्यापार संबंध, यदि कोई है	वर्ष 2017-18 के लिए पारिश्रमिक
			पारिश्रमिक पैकेज अर्थात वेतन, कार्य निष्पत्ति से जुड़े प्रोत्साहन योजना, पीएफ योगदान, पेंशन आदि (रु.) के सभी अवयव
श्री ए. के. झा	शून्य	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	***35,60,516.00***
श्री ए. के. तिवारी	शून्य	निदेशक(तक./प्रचालन)	***8,61,064.30*** ***(मात्र PRP)***
श्री जे.पी. सिंह	शून्य	निदेशक(तक./प्रचालन)	***47,90,503***
श्री के. के. परिडा	शून्य	निदेशक *(*वित्त*)*	***39,97,752.00*** (सेवानिवृत्ति छुट्टी नगदीकरण सहित)) ***Rs.18,39,219.00)***
श्री एल.एन. मिश्रा	शून्य	निदेशक*(*कार्मिक*)*	***34,45,305.10***
श्री ओ.पी. सिंह	शून्य	निदेशक*(*तक./पी. एंड पी.*)*	***33,24,834.50***
श्री के.आर. वासुदेवन	शून्य	निदेशक *(*वित्त*)*	***1,72,510.50***

***ख*) अधिकारिक अंशकालिक निदेशक:**

कंपनी द्वारा आधिकारिक अंशकालिक निदेशकों को कोई पारिश्रमिक भुगतान नहीं किया जाता है।

ग) गैर आधिकारिक अंशकालिक निदेशक

बोर्ड/समिति की बैठकों शुल्क को छोड़कर कोई पारिश्रमिक भुगतान गैर-अधिकारी अंशकालिक निदेशकों को नहीं किया जाता है।

***घ*) सेवा करार, सूचना अवधि, पृथक्करण शुल्क:**

कंपनी के सभी कार्यकारी निदेशकों को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। नियुक्ति *03* महीने की नोटिस पर या उसके बदले *03* महीने के वेतन के भुगतान पर दोनों तरह समाप्त कर दी जा सकती है।

बोर्ड की समितियां:

i. लेखा परीक्षा समिति

एमसीएल का मानना है कि उचित स्वशासन और निर्धारित कार्यक्षेत्र व्यवसाय के सुचारू संचालन के लिए कुशल मशीनरी हो सकती है। समिति में नियमित अंतराल पर बैठके होती है और जितनी जल्दी हो सके यह मुद्दों को संबोधित करती है। लेखापरीक्षा समिति की बैठकें भी उचित एजेंडे और कार्रवाई की गई रिपोर्टों के साथ समयबद्ध रूप से आयोजित की जाती हैं।

लेखा परीक्षा समिति के पास एमसीएल की वित्तीय और अन्य डेटा/जानकारी है। समिति द्वारा किए गए निरीक्षण से एमसीएल बोर्ड को सूचित किया जाता है। समिति जितनी बार वांछित बैठके बुला सकती है, लेकिन एक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक की आशा की जाती है।

कार्य क्षेत्र

क) वित्तीय विवरण की समीक्षा ।

ख) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की आवधिक समीक्षा ।

ग) सरकारी लेखापरीक्षा एवं वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा ।

घ) संचालनगत कार्य निष्पादन तथा पैरामीटर के मानक की समीक्षा ।

ङ) परियोजनाओं एवं अन्य पूँजीगत योजनाओं की समीक्षा ।

च) आंतरिक लेखापरीक्षा के परिणाम/अवलोकन की समीक्षा ।

छ) एमसीएल में एक आनुपातिक एवं प्रभावी आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य प्रणाली का विकास ।

ज) किसी भी मामले का विशेष अध्ययन, जांच जिसमें बोर्ड द्वारा अग्रसारित मामले भी शामिल हैं ।

लेखा-परीक्षा समिति के गठन और बैठकों का ब्यौरा:

वर्ष के दौरान लेखा-परीक्षा की ग्याहरवीं बैठके जो कि दिनांक-06.05.2017, 22.05.2017, 25.05.2017, 01.08.2017, 08.09.2017, 24.09.2017, 30.10.2017, 09.01.2018, 30.01.2018, 28.02.2018 और 09.03.2018 को हुई और बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.	नाम	स्थिति	अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थिति
1.	श्री एस.एन. प्रसाद	अध्यक्ष	4	4
2.	श्री एम. चौधुरी	सदस्य	3	2
3.	डॉ. आर. मल्ल	सदस्य	4	4
4.	डॉ. आर. मल्ल	अध्यक्ष	7	7
5.	श्री जे.पी. सिंह	सदस्य	11	11
6.	श्री एच.एस. पति	सदस्य	11	7
7.	श्री आर.के. सिन्हा	सदस्य	8	5
8.	श्री एस.एन. प्रसाद	सदस्य	3	2
9.	श्री ओ.पी. सिंह	सदस्य	3	3
10.	श्रीमती एस. शर्मा	सदस्य	4	3

लेखा-परीक्षा समिति की प्रत्येक बैठकों में निदेशक(वित्त)/सी.एफ.ओ., आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रमुख और सांविधिक लेखा-परीक्षकों को वित्त, लेखा, लेखा-परीक्षा और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली से संबंधित मामलों को स्पष्ट करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

मौजूदा लेखा परीक्षा समिति के अतिरिक्त, कंपनी की रणनीति और तकनीकी निर्णय लेने की प्रक्रिया को और मजबूत बनाने, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का उत्साह से पालन करने हेतु और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना की आवश्यकता के माध्यम से मूल्य वर्धन को ध्यान में रखते हुए 2011-12 के दौरान 134 व 135 वीं बोर्ड की मीटिंग में निम्नलिखित उप-समितियां गठित की गई हैं।

ii) तकनीकी उप-समिति:

कार्य-क्षेत्र:

एमसीएल बोर्ड के अनुमोदन के लिए परियोजनाओं का मूल्यांकन, निरूपण और सिफारिश करना।

उपसमिति का गठन और बैठकों का ब्यौराः

वर्ष के दौरान उपसमिति की तीन बैठकें दिनांक-06.09.2017, 18.10.2017 तथा 09.12.2017 को हुई जिनमें निम्न सदस्य उपस्थित थेः-

क्र.	नाम	स्थिति	अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थिति
1.	श्री ए.के. झा	अध्यक्ष	3	3
2.	श्री जे.पी. सिंह	सदस्य	3	3
3.	श्री ओ.पी. सिंह	सदस्य	3	3
5.	श्री एल.एन. मिश्रा	सदस्य	3	3
6.	श्री एस. घोष	सदस्य	3	2

iii) सीएसआर तथा स्थिरता विकास उप समिति (सी.एस.आर. एंड एस.डी.) :

कार्य-क्षेत्र:

डीपीई के प्रावधानों तथा एमसीएल बोर्ड द्वारा समय समय पर निर्धारित दिशानिर्देशों के तहत पुनर्निर्मित समिति के साथ निहित कार्यक्षेत्र और प्राधिकरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार होगा।

उप-समिति का संयोजन और बैठक विवरण:

वर्ष के दौरान 10.06.2017, 01.08.2017, 20.11.2017 तथा 30.03.2018 को सीएसआरएसडी उप-समिति की चार बैठके हुई, जिसमें सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है-

क्र.	नाम	स्थिति	अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थिति
1.	डॉ. राजीव मल्ल	सदस्य	4	4
2.	श्री एम. चौधुरी	सदस्य	4	4
3.	श्री जे.पी. सिंह	सदस्य	4	4
4.	श्री एल.एन. मिश्रा	सदस्य	4	4
5.	श्री ओ.पी. सिंह	सदस्य	2	2
6	श्री एच.एस. पति	अध्यक्ष	4	3
7.	श्रीमती एस. शर्मा	सदस्य	1	1
8.	श्री के. आर. वासुदेवन	सदस्य	1	1

iv) जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी):

कार्यक्षेत्र:

समिति का कार्यक्षेत्र सीआईएल की नीति और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार होगा।

उप-समिति का संयोजन और मीटिंग विवरण:

दिनांक-09.02.2016 को जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया तथा निम्नलिखित सदस्यों के साथ दिनांक-27.08.2016 इसका पुनर्गठन किया गया।

क्र.	नाम	स्थिति
1.	निदेशक(तक./प्रचालन)	अध्यक्ष
2.	निदेशक(कार्मिक)	सदस्य
3.	निदेशक(तक./पी.एंड पी.)	सदस्य
4.	निदेशक(विपणन), सी.आई.एल.	सदस्य
5.	निदेशक(वित्त)	सदस्य
6	महाप्रबंधक (एस. एंड आर.)	मुख्य जोखिम अधिकारी

वर्ष 2017-18 के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं गई थी।

v) नामांकन एवं पारिश्रामिक समिति:

कार्य क्षेत्र:

समिति के साथ निहित काम और प्राधिकरण का क्षेत्र कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अनुसार सरकार को दी गई छूट के अनुसार होगा। शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के अनुसार सरकारी कंपनियों को छुट दी जाएगी।

उप-समिति का संयोजन और मीटिंग विवरण:

वर्ष के दौरान दिनांक 10.06.2017 को नामांकन और पारिश्रमिक उप-समिति की दो बार बैठक हुई सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

क्र.	नाम	स्थिति	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थिति
1.	डॉ. आर. मल्ल	अध्यक्ष	1	1
2.	श्री एम. चौधुरी	सदस्य	1	1
3.	श्री एच.एस. पति	सदस्य	1	0
4.	श्री एस.एन. प्रसाद	सदस्य	1	0

vi) भू-विस्थापित मामलों की उपसमितिः

कार्य क्षेत्र :

कम्पनी द्वारा अपनाई जा रही आर. एंड आर. नीति के वर्तमान मानकों के अनुसार रोजगार, नगद क्षतिपूर्ति आदि के सभी मामलों पर विचार करना और अनुमोदन करना ।

उपसमिति का गठन और बैठकों का ब्यौराः

भू-विस्थापित मामलों की उपसमिति की वर्ष में 11 बैठकें दिनांक 04.04.2017, 12.05.2017, 03.06.2017, 05.07.2017, 03.09.2017,14.11.2017, 29.11.2017, 06.01.2018, 16.01.2018, 10.03.2018 तथा 31.03.2018 को हुई, जिनमें सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार रहीः

क्र.स.	नाम	पद	अवधि में आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थिति
1	श्री ए.के. झा	अध्यक्ष	11	11
2	श्री जे.पी. सिंह	सदस्य	11	11
3	श्री के.के. परिडा	सदस्य	03	03
4	श्री ओ.पी. सिंह	सदस्य	11	11
5	श्री एल.एन. मिश्रा	सदस्य	11	11
6	श्री के.आर. वासुदेवन	सदस्य	02	02

सांविधिक लेखा-परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा, 139 के तहत निम्नलिखित लेखा परीक्षा संस्थाओं को वर्ष 2017-18 के लिए सांविधिक/शाखा लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

वैधानिक लेखा परीक्षक
सिंह राय मिश्रा एंड कं,
चार्टर्ड अकाउंटेंट,
भुवनेश्वर

शाखा लेखा परीक्षक
मैसर्स एस.आर.बी. एसोसिएट्स
5वीं मंजिल, आई.डी.सी.ओ. टावर्स,
जनपथ, भुवनेश्वर, ओडिशा-751022

लेखा परीक्षा का प्रकार	पारिश्रमिक रु.	टिप्पणियां
वर्ष **2017-18** के लिए सांविधिक लेखापरीक्षा	रु. 40,43,252/- (रु. 25,88,172/- प्रमुख लेखा परीक्षा के लिए और रु.. 14,55,080/- शाखा लेखा परीक्षा के लिए)	वास्तविक आधार पर यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति/भुगतान और उस पर देय जी.एस.टी. लागू होगा।
समेकन के लिए लेखापरीक्षा	रु.. 97,350/-	वास्तविक आधार पर यात्रा व्यय का प्रतिपूर्ति/भुगतान और उस पर देय जी.एस.टी. लागू होगा।
कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन	रु. 37,400/-	वास्तविक आधार पर यात्रा व्यय का प्रतिपूर्ति/भुगतान और उस पर देय जी.एस.टी. लागू होगा।

शेयरधारकों की आम बैठक:

पिछले 03 वर्षों के दौरान आयोजित शेयरधारकों की आम बैठक का विवरण निम्नानुसार है:

अंशधारियों की सामान्य बैठकें:

वर्ष	दिनांक	समय	स्थान	विशेष संकल्प, यदि कोई हो
2014-15	08.07.2015	पूर्वाहन 10.30 बजे	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड जागृति विहार, बुर्ला, सम्बलपुर	शून्य
2015-16	11.07.2016	अपराहन 04.00 बजे	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड जागृति विहार, बुर्ला, सम्बलपुर	एक
2016-17	21.07.2017	पूर्वाहन 11.00 बजे	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड जागृति विहार, बुर्ला, सम्बलपुर	एक

असाधारण सामान्य बैठक:

वर्ष	दिनांक	समय	स्थान	विशेष संकल्प, यदि कोई हो
2015-16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2016-17	12.03.2017	11.00 AM	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड जागृति विहार, बुर्ला, सम्बलपुर	एक
2017-18	21.03.2018	10.30 AM	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड जागृति विहार, बुर्ला, सम्बलपुर	दो

एमसीएल बोर्ड के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंध कर्मियों के लिए कारोबारी आचार संहिता एवं आचार नीति :
दिनांक 29 मार्च, 2008 को कोलकाता में आयोजित 94वीं बैठक में कंपनी के निर्देशक मण्डल ने निर्देशकों एवं वरिष्ठ कार्मिक प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता अपनाई है जिसे एमसीएल के वेबसाइट www.mahanadicoal.in पर पोस्ट किया गया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसी) पर रिपोर्ट:
एमसीएल के सभी आंतरिक लेखा परीक्षक ने एमसीएल में प्रचलित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सभी लेखा परीक्षकों ने यह राय दी है कि एमसीएल ने सभी भौतिक मामलों में, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (संचालन नियंत्रणों सहित) को निर्धारित किया है और इस तरह के नियंत्रण पर्याप्त हैं और वर्ष 2017-18 के दौरान प्रभावी ढंग से संचालित हो रहे हैं।

जोखिम प्रबंधन :
प्रभावी जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया हेतु कंपनी के विभिन्न कार्यक्षेत्रों में जोखिम की पहचान, आंकलन एवं नियंत्रण को महत्व देते हुए पारम्परिक, आंतरिक एवं बाह्य जोखिम पर आवश्यक नियंत्रण हेतु नियमित उपाय किये जाते हैं । भू-अधिग्रहण, वन अनुमति, भू-विस्थापितों की समस्याएँ ऐसे संकटपूर्ण कारक हैं, जिन पर प्रबंधन लगातार मॉनिटर करता है। आंतरिक कारकों जैसे मशीनों के बचाव हेतु रख-रखाव, सुरक्षा औद्योगिक संबंध इत्यादि पर भी आवश्यक महत्व दिया जाता है ताकि कंपनी का कार्य सुचारु रूप से चल सके। एमसीएल में जोखिम प्रबंधन कार्यविधि के संचालन की समीक्षा करने के लिए शीर्ष स्तर पर बोर्ड की एक पृथक उप-समिति वर्ष 2011-12 में गठित की गई है। कंपनी के अधिनियम, 2013 के अनुभाग 134(3)(एन) का आवश्यकता अनुसार पालन करने हेतु प्रावधान किया गया है जिसके तहत समिति का पुनर्गठन एमसीएल बोर्ड जिसका नाम जोखिम प्रबंधन समिति(आरएमसी) द्वारा दिनांक 09.02.2016 को किया गया था महाप्रबंधक (एस एंड आर) एमसीएल को मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु मनोनीत किया गया था। एमसीएल के एक प्रतिनिधि आर एंड सी समन्वय तथा जोखिम प्रबंधन से संबन्धित मामलो का अनुपालन करेंगे।

व्हीसल ब्लोवर नीति :
एक सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी की सारी गतिविधियों सी एंड एजी सतर्कता, सीबीआई आदि द्वारा लेखा परीक्षा हेतु खुले हैं। सी.आई.एल. की नीति के अनुसार ही बनाई गई है और उसका अनुपालन किया जाता है।

लेखांकन का तरीका :

वित्तीय विवरण लागू अनिवार्य लेखांकन मानकों एवं कंपनी अधिनियम 2013 की संबंधित आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किये जाते हैं।

संचार के माध्यम :

कंपनी की संचालन एवं वित्तीय कार्य निष्पादन की रिपोर्ट प्रमुख अंग्रेजी अखबारों एवं स्थानीय अखबारों में छापी जाती हैं। इसके अतिरिक्त वित्तीय परिणाम कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जाते हैं ।

लेखा परीक्षा योग्यताएं:

कंपनी का हमेशा प्रयास रहा है कि वह अनक्वालिफाइड वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करें। 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के खातों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों का जवाब निदेशकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए एमसीएल के खातों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के प्रावधानों के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां भी संलग्न हैं।

बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण:

कार्यकारी निदेशकगण उनके संबंधित कार्य क्षेत्रों में अपेक्षित विशेषज्ञता और अनुभव के आधार पर कंपनी के व्यवसाय के जोखिम प्रोफाइल के साथ-साथ व्यवसाय मॉडल के बारे में जागरूक है। अंशकालिक निदेशकों को कंपनी के व्यापार मॉडल के बारे में पूरी जानकारी है। यद्यपि कॉर्पोरेट प्रशासन से बेहतर परिचित होने के उद्देश्य से, शीर्ष संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए स्वतंत्र निदेशकों को नामित किया गया है। कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप एक निदेशकों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण भी किया जाना है।

डी.पी.ई. दिशानिर्देशों के अनुसार कॉर्पोरेट प्रशासन पर अनुपालन

आपकी कंपनी ने ओएम नंबर डीपीई/14 (38)/10-वित्त दिनांक 28.06.2011 के अनुसार डी.पी.ई. द्वारा जारी दिशानिर्देश लागू किया है और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए सी.ई.ओ. द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया गया है।

आपकी कंपनी ने वर्ष 2017-18 के लिए कॉर्पोरेट शासन में 87.00% का वार्षिक स्कोर हासिल किया है, जो 'उत्कृष्ट' ग्रेडिंग है।

अनुलग्नक-V

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

क) उद्योग संरचना और विकास:

कोयला - ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत:

कोयला ऊर्जा का प्रमुख, टिकाऊ और भरोसेमंद स्रोत है। वैश्विक रूप से, वाणिज्यिक ऊर्जा के लिए कोयले का उपयोग 1950 से मुख्यतः पर्यावरण संबंधी चिंता और सस्ते तेल और गैस की उपलब्धता के कारण नीचे जा रहा है। हालांकि, भारत में परिस्थिति पूरी तरह से अलग है। देश में कोयले के प्रचुर भंडार और आसानी से उपलब्धता के कारण कोयले की बिजली उत्पादन में एक प्रमुख भूमिका निभाने की संभावना है।

कोयला भंडार:

हमारे देश में जीवाश्म संसाधनों के 97% कोयला का हैं। दिनांक 01.04.2017 के अनुसार राष्ट्रीय कोयला इन्वेंटरी में 68 अलग-अलग कोयला क्षेत्रों में 1200 मीटर की गहराई तक 315.15 अरब टन (बी.टी.) में कोयले के स्रोतों का विवरण देता है, विवरण निम्नानुसार हैं:

क्र.	राज्य	कोलफील्ड्स की संख्या	कोयला भंडार (बी.टन)	भारत का %
1	झारखंड	12	82.440	26.16%
2	ओडिशा	2	77.285	24.52%
3	छत्तीसगढ	13	56.661	17.98%
4	पश्चिम बंगाल	4	31.667	10.05%
5	मध्यप्रदेश	8	27.673	8.78%
6	तेलंगाना	1	21.464	6.81%
7	महाराष्ट्र	5	12.259	3.89%
8	उत्तर पूर्वी राज्य	20	1.702	0.54%
9	आन्ध्र प्रदेश	1	1.581	0.50%
10	उत्तर प्रदेश	1	1.062	0.34%
11	बिहार	1	1.354	0.43%
कुल		68	315.15	100%

झारखंड के बाद कोयले के आरक्षित भंडार में ओड़िशा भारत में दूसरे स्थान पर है। 01 अप्रैल, 2017 को ओड़िशा में कोयले का कुल भंडार 77.28 अरब टन है, जो कुल राष्ट्रीय कोयला भंडार का लगभग 24.52% है। ओड़िशा के दो कोलफील्ड्स अर्थात् तालचेर और ईब-वैली कोलफील्डस, एमसीएल के अपने अधिकार क्षेत्र में हैं, तालचेर सबसे बड़ा कोलफील्डस (51.163 बिलियन टन) और ईब-वैली (26.122 बिलियन टन) भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोलफील्ड्स है। आरक्षित कोयले के 77.285 अरब टन में साबित हुआ कोयला आरक्षित 34.809 बीटी (45.04%) है।

ओडिशा के तालचेर और ईब-वैली कोलफील्ड्स में विशाल तापीय ग्रेड गैर-कोकिंग कोल का भंडार है, जिनके पास सबसे अनुकूल कॉरिअबिलिटी संभावना है। दक्षिणी और पश्चिमी भारत के मौजूदा और प्रस्तावित तापीय संयंत्रों के लिए कोयले की मांग बढ़ रही है।

कोयला ऑफ टेक और प्रेषण:

वर्ष 2018-19 के लिए 681.00 मिलियन टन कोयला निकालने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड ने ऑफ टेक कार्यक्रम की योजना बनाई गई है, जिसमें से 169.00 मिलियन टन (24.82%) एमसीएल का भी हिस्सा है।

वर्ष 2017-18 के लिए XI वीं और XII वीं योजना के लिए क्षेत्र-वार वास्तविक कोयला ऑफ टेक

(आंकड़े मि.टन में)

	XI योजना					XII योजना						
	2007-08 वास्तविक	2008-09 वास्तविक	2009-10 वास्तविक	2010-11 वास्तविक	2011-12 वास्तविक	2012-13 वास्तविक	2013-14 वास्तविक	2014-15 वास्तविक	2015-16 वास्तविक	2016-17 वास्तविक	2017-18 वास्तविक	2018-19 (बीई)
विद्युत	68.09	70.47	70.88	74.73	77.11	88.16	78.223	87.717	91.173	98.550	99.274	124.43
सीमेंट	0.19	0.17	0.26	0.27	0.23	0.348	0.340	0.432	0.24	0.257	0.186	0.26
उर्वरक	-	-	-	0.02	0.026	0.060	0.0367	0.024	0.004	0.00	0.052	0.06
अन्य	15.35	20.06	27.01	27.07	25.16	23.396	35.742	34.828	48.797	44.204	38.750	44.25
कुल	83.63	91.30	98.15	102.09	102.52	111.964	114.342	123.001	140.214	143.011	138.262	169.00

वर्ष 2017-18 के XIवीं और XIIवीं योजना के लिए विधि-वार वास्तविक कोयला परिचालन तथा वर्ष 2018-19 के लिए अनुमान

(आंकड़े मि.टन में)

	XI योजना					XII योजना						
	2007-08 वास्तविक	2008-09 वास्तविक	2009-10 वास्तविक	2010-11 वास्तविक	2011-12 वास्तविक	2012-13 वास्तविक	2013-14 वास्तविक	2014-15 वास्तविक	2015-16 वास्तविक	2016-17 वास्तविक	2017-18 वास्तविक	2018-19 (बीई)
रेल	51.68	54.18	55.84	59.24	60.310	68.727	72.2246	81.260	89.079	90.776	89.442	111.58
सड़क	12.16	18.68	23.35	25.12	25.623	25.219	24.506	25.152	34.515	38.210	34.816	39.52
एमजीआर	18.59	17.08	17.37	16.11	14.797	16.191	15.745	15.166	15.231	12.611	12.588	16.70
अन्य	1.20	1.36	1.59	1.62	1.791	1.819	1.866	1.423	1.389	1.410	1.416	1.20
संपूर्ण	83.63	91.30	98.15	102.09	102.521	111.959	114.342	123.001	140.214	143.007	138.262	169.00

कोयला उपलब्धता:

एमसीएल में 2008-09 से 2017-18 प्रक्षेपण में वास्तविक कोयला उत्पादन और 2018-19 में मौजूदा खानों, पूर्ण परियोजना, एवं कार्यरत परियोजना से उत्पादन नीचे दी गई है।

(आंकड़े मि.टन में)

	2008-09 वास्तविक	**2009-10** वास्तविक	**2010-11** वास्तविक	**2011-12** वास्तविक	**2012-13** वास्तविक	**2013-14** वास्तविक	**2014-15** वास्तविक	**2015-16** वास्तविक	**2016-17** वास्तविक	**2017-18** वास्तविक	**2018-19** (बीई)
मौजूदा खदान	1.32	1.35	1.32	1.333	0.967	0.778	1.127	0.981	0.8936	0.91	0.86
पूर्ण परियोजना	64.85	71.19	73.27	66.645	67.344	59.988	70.906	76.220	77.5699	68.817	64.64
कार्यरत एवं नई परियोजना	30.17	31.54	25.69	35.140	39.584	49.674	49.346	60.70	60.7549	73.331	97.00
कुल	96.34	104.08	100.28	103.118	107.895	110.440	121.379	137.901	139.2084	143.058	162.50

उत्पादकता:

एमसीएल में ओ.सी.पी. से कोयला उत्पादन तथा ओ.बी. निष्कासन अनुबंध के माध्यम और विभागीय माध्यम से किया जाता है। कुछ परियोजनाओं में ओ.बी.आर. को बाह्य स्रोतो से भी निकाला जाता है। एमसीएल मे ओएमएस की स्थिति निम्नानुसार हैः-

	2008-09 वास्तविक	2009-10 वास्तविक	2010-11 वास्तविक	2011-12 वास्तविक	2012-13 वास्तविक	2013-14 वास्तविक	2014-15 वास्तविक	2015-16 वास्तविक	2016-17 वास्तविक	2017-18 वास्तविक	**2018-19** (बीई
यूजी	1.25	1.29	1.25	1.24	0.97	0.84	0.77	0.67	0.65	0.74	0.73
ओसी	23.05	18.89	20.50	20.38	21.34	22.16	22.11	24.24	25.72	31.52	29.45
संपूर्ण	16.59	14.66	15.37	15.36	16.07	16.69	17.10	18.88	20.08	24.22	23.71

स्वाट विश्लेषण

शक्ति:

- सीआईएल की सहायक कंपनियों में दूसरी सबसे बडी कोयला उत्पादक कंपनी।
- कोयला उत्पादन, उत्पादकता और राजस्व के मामले में विकास की मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड।
- अच्छी कार्य प्रणाली- कुशल, अनुभवी और समर्पित कार्य बल।
- अन्वेषण और खनन योजना की मजबूत क्षमता।
- ओड़िशा राज्य में कोयला खनन क्षेत्र में खनन संचालन और देश में प्रमुख उपभोक्ताओं की सेवा

कमजोरी:

- भूमिगत खानों को हानि पर चलाना।
- कोयले की निकासी काफी हद तक बाहरी एजेंसियों पर निर्भर है और निकासी बढ़ते हुए कोयला अंचल में बुनियादी सुविधाओं की कमी है।
- उपलब्ध संसाधनों में कम ग्रेड के कोयले का प्रभुत्व।

अवसर:

- विशेष रूप से विद्युत उत्पादन के लिए देश में कोयले की भारी मांग।
- एमसीएल में कोयला खनन की भारी संभावना।
- उत्तरी भारत में स्थित विद्युत संयंत्र, भी एमसीएल से जुड़े हुए हैं।
- एक स्वस्थ विपणन रणनीति तैयार करने के लिए और उपभोक्ताओं, रेलवे और वाहक के साथ दीर्घकालिक समझौता तैयार करने के लिए।
- वाशरी की स्थापना के लिए
- सत्ता में विविधीकरण
- तरल (तेल) के लिए कोयला गैसीकरण और कोयले के लिए संयुक्त उपक्रम।.

चुनौती:

- कोयला खुली खदान खनन के लिए उत्तरदायी - अधिक भूमि की आवश्यकता।
- भूमि अधिग्रहण और फलस्वरूप सामाजिक विस्थापन।
- पुनर्वास और पुनर्स्थापन के मुद्दे।
- पर्यावरण प्रदूषण के लिए खुली खदान खनन में आशंका।
- कोयला परिवहन में रेलवे की अपर्याप्तता।
- उपभोक्ताओं का बहुमत कोयला क्षेत्र से दूर हैं अर्थात उपभोक्ताओं को रेल भाड़ा में वृद्धि उच्च भूमि लागत।

- तटीय आधारित टीपीपीएस के पास आयातित कोयले का इस्तेमाल करने के लिए विकल्प हैं
- कैप्टिव खनन - बाजार में कोयले की बिक्री के लिए राज्य सरकार की कंपनियों, कुछ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ब्लॉक का आवंटन।

ख) कार्य निष्पादन:

मुख्य रिपोर्ट में शामिल

ग) आउटलुक

सदस्यों को पता है कि वर्तमान में एमसीएल में 94.58 मिलियन टन क्षमता (बंद खानों की क्षमता सहित) की 35 पूर्ण परियोजना है जिसमें से XI योजना अवधि के दौरान 1.60 मिलियन टन क्षमता की 02 परियोजना बंद हो चुकी है। कार्यान्वयन के अंतर्गत 129.83 मिलियन टन क्षमता की 16 चालू परियोजनाएं (मार्च, 2018 के अनुसार) हैं। 2017-18 के दौरान इन चालू परियोजनाओं से उत्पादन 73.331 मिलियन टन है।

ईब-वैली कोलफील्ड के बसुंधरा क्षेत्र (गोपालपुर पथ के रूप में जाना जाता है) में पर्याप्त क्षमता है, लेकिन वहाँ केवल थोड़ा-थोड़ा कोयला निकासी व्यवस्था है। आपकी कंपनी ने कोयले के परिवहन को बढ़ाने हेतु योजना बनाई और बसुंधरा क्षेत्र से झारसुगुडा रेलवे स्टेशन तक 52 किलोमीटर लंबी रेल लाइन को मंजूरी दी है।

इसी तरह तालचेर कोलफील्ड में कलिंगा अंगुल लिंक रेलवे लाइन का निर्माण चल रहा है। एक बार यह खंड पूरा हो गया है तो वहाँ अंगुल साइड से खाली रेल की एक दिशात्मक आंदोलन होगा तथा तालचेर साइड से लोडेड रेक खाली की जाएगी। इस दोहरे रेक आंदोलन से तालचेर कोयला क्षेत्र की क्षमता में वृद्धि होगी।

घ) जोखिम और चिंता:

खनन स्थल विशिष्ट होता है और इसके स्थान को बदला नहीं जा सकता। निम्न जोखिम और चिंताएं इसमें शामिल है :

- वन और पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने में देरी।
- पुनर्वास और पुनर्स्थापन की उच्च लागत
- रोजगार कानून और व्यवस्था मे निर्धारित मानदंडों से परे रोजगार की मांग, खनन और कोयला परिवहन के संचालन में बाधा डालने की बार-बार समस्या।
- एच.ई.एम.एम. और अन्य विद्युत एवं यान्त्रिकी समान की खरीद मे देरी।

ङ) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनके पर्याप्तता:

मुख्य रिपोर्ट में शामिल।

च) परिचालन निष्पादन के संबंध में वित्तीय कार्य निष्पादन पर चर्चाएँ:

मुख्य रिपोर्ट में शामिल।

छ) अनेक कार्यरत् लोगों को शामिल कर मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध में भौतिक विकास:

मुख्य रिपोर्ट में शामिल।**.**

ज) पर्यावरणीय सुरक्षा और संरक्षण, **तकनीकी संरक्षण**, **अक्षय ऊर्जा विकास**, **विदेशी मुद्रा संरक्षण।**

मुख्य रिपोर्ट में शामिल।

झ) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

मुख्य रिपोर्ट में शामिल।

अनुलग्नक -VI

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोलफील्ड लिमिटेड के लेखा पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियॉ

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत दिए गए वित्तीय प्रतिवेदन की रूपरेखा के अनुसार 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है । अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143, धारा 143(10) के तहत निर्धारित मानक लेखा परीक्षा के अनुसार वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। उनके द्वारा लेखा परीक्षा, दिनांक 24.05.2018 एवं संशोधित लेखा प्रतिवेदन दिनांक 07.06.2018 में ऐसा करने का उल्लेख किया गया है।

मैने भारत के लेखा नियंत्रक और महालेखाकार के प्रतिनिधि के रूप में कंपनी अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरण का पूरक लेखा परीक्षण किया है। यह पूरक लेखा परीक्षा स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यरत कागजातों के आकलन के बिना और सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों से की गई सीमित प्राथमिक पूछताछ एवं कुछ चुने हुए लेखांकन रिकार्डो की परीक्षा के आधार पर की गई है। अनुपूरुक लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाशित लेखा परीक्षा के परिणामस्वरुप (क) में स्वतंत्र लेखा परीक्षा "अन्य मामले" के तहत किए गए संशोधन में हमारी जानकारी के तहत अधिनियम की धारा 143(6) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के परिशिष्ट पर टिप्पणी योग्य कोई बात ध्यान में नहीं आई है।

मेरे द्वारा किए गए लेखा परीक्षा के आधार पर मेरे जानकारी में ऐसी कोई महत्वपूर्ण तथ्य संज्ञान प्रकाश में नहीं आया है जिसके आधार पर उस पर या सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन के अनुपूरक पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी की जा सके।

कृते एवं भारत के लेखा नियंत्रक एवं
महालेखाकार की ओर से
हस्ता/-
(रीना साहा)
प्रधान निदेशक
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन सदस्य
लेखा परीक्षा बोर्ड-।। कोलकाता

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 21.06.2018

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोलफील्ड लिमिटेड के लेखा पर अधिनियम धारा 129(4) पढ़ी जाए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत दिए गए वित्तीय प्रतिवेदन की रूपरेखा के अनुसार 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है । अधिनियम की धारा 129(4) पढ़ी जाए, अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143, धारा 143(10) के तहत निर्धारित मानक लेखा परीक्षा के अनुसार वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। अधिनियम की धारा 129(4) पढ़ी जाए। उनके द्वारा लेखा परीक्षा, दिनांक 24.05.2018 एवं संशोधित लेखा प्रतिवेदन दिनांक 06.07.2018 में ऐसा करने का उल्लेख किया गया है।

मैने भारत के लेखा नियंत्रक और महालेखाकार के प्रतिनिधि के रूप में कंपनी अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरण का पूरक लेखा परीक्षण किया है। अधिनियम की धारा 129(4) पढ़ी जाए। हमने उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, महानदी कोल रेलवे लिमिटेड, एमजेएसजे कोल लिमिटेड, एमएनएच शक्ति लिमिटेड और महानदीदी बेसिन पावर लिमिटेड के वित्तीय विवरण का एक पूरक लेखा परीक्षा आयोजित की है। यह पूरक लेखा परीक्षा स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यरत कागजातों के आकलन के बिना और सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों से की गई सीमित प्राथमिक पूछताछ एवं कुछ चुने हुए लेखांकन रिकार्डो की परीक्षा के आधार पर की गई है। अनुपूरुक लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाशित लेखा परीक्षा के परिणामस्वरुप (क) में स्वतंत्र लेखा परीक्षा "अन्य मामले" के तहत किए गए संशोधन में हमारी जानकारी के तहत अधिनियम की धारा 143(6) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के परिशिष्ट पर टिप्पणी योग्य कोई बात ध्यान में नहीं आई है।

जिसके आधार पर उस पर या सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन के अनुपूरक पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी की जा सके।

कृते एवं भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखाकार की ओर से

हस्ता/-

(रीना साहा)
प्रधान निदेशक
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन सदस्य
लेखा परीक्षा बोर्ड-।। कोलकाता

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 10.07.2018

स्वतंत्रलेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के सदस्यगण

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट :

हमने महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31.03.2018 समाप्त वर्ष के तुलनपत्र, लाभ-हानि लेखा (अन्य समेकित आय सहित), नकद प्रवाह विविरणी तथा वर्ष के लिए एक्विटी मे परिवर्तन, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक सुचनाओं का सारांश (इसके पश्चात "स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणियों" का संदर्भ) शामिल है। इस वित्तीय विवरणी में छ: खनन क्षेत्रों एवं तालचेर कोलफील्ड्स की एक केंद्रीय कर्मशाला से संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा परीक्षित आंकड़े शामिल है ।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व:
कंपनी के निदेशक मण्डल, इस स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणियों के निर्माण के संबंध में कंपनी अधिनियम ("अधिनियम") 2013 की धारा 134(5) के तहत नियमों को पढ़े, मे उल्लेखित मामलों के लिए उत्तरदायी है जो धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानक सहित भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार मामलों (वित्तीय स्थिति) की सही एवं स्पष्ट जानकारी, लाभ-हानि (अन्य समेकित आय सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन), नगदी प्रवाह, कंपनी के एक्विटी शेयर मे परिवर्तन की जानकारी देता है।
कंपनी के निदेशक मंडल का उत्तरदायित्व है कि वे कंपनी की संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यथोचित लेखा अभिलेखों को बनाए रखें जो धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और रोकने के लिए यथोचित लेखा नीतियों का चयन व लागू करने, उचित व विवेकपूर्ण निर्णय व अनुमान करने व ऐसी यथोचित आंतरिक भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय नियंत्रण लागू करने व बनाए रखने, जो प्रासंगिक लेखा अभिलेखों की सटीकता और संपूर्णता सुनिश्चित करती हो, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित हो और सत्य व निष्पक्ष कथन का आलोकन कराती हो और जो किसी धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से होने वाली गलत विवरण से मुक्त हो, जो कंपनी के निदेशकों द्वारा उपरोक्तानुसार भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणियां तैयार करने में उपयोग की जाती हों ।

लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व:
हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणियों के आधार पर अपना मत व्यक्त करना है। लेखा परीक्षण करते समय हमने लेखा परीक्षा अभिलेखों में शामिल किए जाने वाले आवश्यक अधिनियम के प्रावधानों, अधिनियम के तहत ऐसे प्रावधानों को जो लेखा व लेखापरीक्षा मानकों एवं तदाधीन नियमों को ध्यान में रखा है ।

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा किया। ये मानक नैतिक आवश्यकताओं के अनुरूप हैं तथा हमने लेखा परीक्षा इस प्रकार आयोजित व निष्पादित की कि हमें जो भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण प्राप्त हुए उसमें किसी गलत विवरण के न होने के प्रति हम आश्वस्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणियों में राशि और प्रकटन के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया शामिल है।

चयनित प्रक्रिया लेखापरीक्षक के निर्णय और भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणियों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है चाहे यह धोखे से हो अथवा चूक से। इन जोखिम मूल्यांकनों को करने में लेखापरीक्षक कंपनी के संगत आंतरिक नियंत्रण और परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त लेखापरीक्षा अपनाने में भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणियों की सही प्रस्तुति पर विचार करता है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा लेखांकन अनुमानों की उपयुक्तता व स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणियों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल हैं।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा एवं अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा उनके प्रतिवेदनों के संबंध में प्राप्त, निम्नानुसार अन्य विषय-वस्तु के उप-अनुच्छेद (क) में दर्ज, लेखापरीक्षा साक्ष्य, भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखा परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु, पर्याप्त और उपयुक्त है।

मत :

हमारे मत में और हमारी पूर्ण जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी अधिनियम द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करती है तथा भारतीय लेखांकन मानक सहित 31 मार्च, 2017 के अनुसार प्राय: भारत मे स्वीकार्य कंपनी की वित्तीय स्थिति की लेखा नीतियों तथा इसके लाभ (अन्य समेकित आय सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन), इसके नगद प्रवाह और वर्ष के लिए एक्विटी मे परिवर्तन के साथ सही एवं स्पष्ट जानकारी देता है।

अन्य मामलें:

(क) हमने निदेशक मंडल द्वारा अपनाई गई वित्तीय विवरणी पर दिनांक 24.05.2018 को भुवनेश्वर में की एक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (मूल रिपोर्ट) जारी की है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ए) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अवलोकन के अनुसार, हमने लेखा परीक्षा रिपोर्ट में संशोधन किया है। संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट का कंपनी के

वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किए गए आंकड़ों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट मूल रिपोर्ट का अधिग्रहण करती है, जिसे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अवलोकनों और अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं के बिन्दु संख्या 3 (एच) (iii) में किए गए संशोधन पर विचार करने के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है। और लेखन परीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक 'क' के बिंदु संख्या vii (क) और vii (ख) में संशोधन किए गए है।

मूल रिपोर्ट की तारीख के बाद की घटनाओं पर हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं के बिन्दु संख्या 3 (एच) (iii) में किए गए संशोधन पर विचार करने के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है। और लेखन परीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक 'क' के बिंदु संख्या vii (क) और vii (ख) में किए गए संशोधन तक ही सीमित है। (सीएआरओ 2016).

(ख) हमने 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा कंपनी के स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक समेत तालचेर कोलफील्ड्स की 6 खानों और एक केंद्रीय कर्मशाला के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की है जो 31 मार्च, 2018 के अनुसार रु. 1420660.03 लाख की कुल परीसंपत्तियो तथा उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए 8242561.48 लाख रुपये का कुल राजस्व को दर्शाता है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरण / जानकारी हमें प्रस्तुत की गई है, और जहां तक यह इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है, हमारी राय पूरी तरह से इस तरह के शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

(ग) सूचित किया जाता है कि समूह ने कंपनी अधिनियम, 2013 (भारतीय लेखांकन मानक अनुपालन वित्तीय विवरण प्रारूप) के अनुसूची III के तहत आवश्यकता के अनुसार एक अमूर्त संपत्ति के रूप में अपने खनन अधिकार का खुलासा नहीं किया है, क्योंकि वर्तमान में यह अभिमत है कि वर्तमान में भारतीय मानक लेखांकन में मूल्य निर्धारित करने के लिए कोई मूल्य निर्धारण यार्ड स्टिक नहीं है।

(घ) वर्ष के दौरान कंपनी ने एनएलसीआईएल को मासिक आधार पर देय 7% प्रतिवर्ष ब्याज की दर पर 1000 करोड़ रुपये असुरक्षित ऋण दिया था जिसने कोयला मंत्रालय से सहमति प्राप्त की है। जैसा कि प्रबंधन द्वारा हमें स्पष्टीकरण के अनुसार यह ब्याज दर बाजार दर की तुलनात्मक बाजार दर के बराबर है और इसलिए वित्तीय विवरणों पर भारतीय मानक लेखांकन 109 के संदर्भ में इस लेनदेन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

हमारी राय इन मामलों के संबंध में योग्य नहीं है।

हमें इन पर विश्वास है :

क. ओबीआर लागत के मानक अनुपात और चालू अनुपात के बीच भिन्नता हेतु समायोजन सहित आधिक्य और लेखांकन के मामले में एडवांस स्ट्रिपिंग, प्रकटित कोयला, औसती मानक अनुपात, चालू अनुपात, अनुपात भिन्नता आदि के संबंध में प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत तकनीकी आंकड़े।

(ख) सेंट्रल माईन प्लानिंग एंड डिजाईन इंस्टिट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) द्वारा तैयार खान बंद करने की योजना और खान बंद करने के खर्चों के बारे में कंपनी के प्रबंधन द्वारा किए गए प्रावधान।

(ग) अचल परिसंपत्तियों की हानि के लिए प्रावधान करने हेतु प्रबंधन का तकनीकी या अन्य मूल्यांकन/अनुमान करना

अन्य वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 की धारा 143 की उप-धारा (11) के अनुसार हम आदेश के पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण 'अनुलग्नक-क' में देते हैं।
2. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा 'अनुलग्नक-ख' में जारी अनुदेशों के आधार पर हमे दी गई जानकारी तथा व्याख्या के अनुसार कंपनी के रेकॉर्ड तथा बही के ऐसे जांच के आधार जैसा कि हमारे विचार में थी हो, अधिनियम कि धारा 143(5) के शर्तों में हमारे प्रतिवेदन को हम संलग्न कर रहे हैं।
3. अधिनियम की धारा 143(3) में यथावांछित सीमा तक हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क. हमने अपने पूर्ण ज्ञान और विश्वास में ऐसी सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो उक्त भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे;

ख. हमारी राय में उपरोक्त भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणियों को तैयार करने से संबंधित कानून द्वारा आवश्यक रूप में उचित लेखा-बही इन पुस्तकों के परीक्षण के पश्चात जिस रूप में पाई गई वैसे ही रखी गई है।

ग. शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143(8) के अंतर्गत लेखा परीक्षित छः खदान क्षेत्र तथा तालचेर क्षेत्र के एक केंद्रीय कर्मशाला लके लेखाओं के प्रतिवेदन को हमारे पास भेजा गया तथा इस प्रतिवेदन को तैयार करने में हमारे द्वारा उचित रूप से उसका निपटान किया गया।

घ. इस रिपोर्ट के साथ व्यवहारित तुलन-पत्र, लाभ व हानि विवरणी और नगदी प्रवाह विवरणी, ईक्विटी में परिवर्तन की विवरणी लेखा-बहियों में हैं भारतीय लेखांकन मानक

वित्तीय विवरणी को तैयार करने के उद्देश्य के लिए उचित लेखा बही को अनुरक्षित किया जाता है।

ङ. हमारी राय मे अधिनियम की धारा 133 में जारी संगत नियमों को पढ़े, जिसके अंतर्गत उल्लेखित उपरोक्त स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय रिपोर्ट के साथ लेखांकन नीतियों का अनुपालन किया जाता है।

च. कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 को अधिसूचना संख्या जी.ए.स.आर 463 (ई) के शर्तों में एक सरकारी कंपनी होने के कारण हमे यह सूचित किया गया है कि कंपनी के लिए निदेशको के अपात्रता के संबंध में अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान लागू नहीं है।

छ. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग और इस तरह के नियंत्रक की प्रभावशाली आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कि पर्याप्तता के संबंध में 'अनुलग्नक-ग' में हमारी रिपोर्ट देखें।

ज. लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन में कंपनी नियमावली, (ऑडिट एंड ऑडिटर्स) 2014 के नियम 11 के अनुसार शामिल अन्य मामलों के संबंध में हमारे मत में और हमारी पूर्ण जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार-

i. नोट 38 के बिन्दु 4 का अवलोकन करते हुए कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणी में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है।

ii. लागू कानून या लेखा मानकों के तहत व्युत्पन्न अनुबंध सहित लंबी अवधि के अनुबंधों पर निकट भविष्य में होने वाले नुकसान के लिए वित्तीय विवरणियों में प्रावधान किया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 (कंपनी अधिनियम, 1956 का पूर्व अनुच्छेद 205 सी) के तहत कंपनी को निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में किसी भी राशि को स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए फंड में किसी भी राशि को स्थानांतरित करने में देरी नहीं हुई है।

कृते सिंह रे मिश्रा एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन: 318121ई
ह/-
(जीतेन कुमार मिश्रा)
साझेदार
एम. संख्या; 052796

स्थान: संबलपुर
तिथि: 07.06.2018

लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन का अनुलग्नक-क

31 मार्च, 2018 के समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणी में कंपनी के सदस्यों के स्वतंत्र लेखापरीक्षकों को संदर्भित अनुलग्नक में, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(i) (क) कंपनी ने मात्रात्मक विवरण एवं परिसंपत्तियों की स्थिति समेत पूर्ण विवरण को दर्शानेवाला समुचित रिकार्ड रखा है।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा कंपनी की स्थायी परिसंपत्तियों की प्रत्यक्ष जांच की गई है। इन जाँचों में वस्तुओं की कोई अनियमितता नहीं देखी गई है।

ग) हमें दी गई जानकारी तथा व्याख्या के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्ड की जांच के आधार पर यह सप्ष्ट हुआ है कि कंपनी के पास फ्रीहोल्ड और लीज होल्ड भूमि के लिए क्लीयर टाइटल/लीज डीड है यद्यपि कंपनी के कब्जे में आनंद विहार और जागृति विहार में 58.984 एकड़ भूमि है। कंपनी ने प्रीमियम जमा कर दिया है और उसके पक्ष में भूमि को स्वीकृत करने के लिए आवेदन कर दिया है, जिसके लिए संप्रेषण कार्य निष्पादित किया जाना है।

ii) जैसा कि हमें स्पष्टीकरण दिया गया है कि कोयले के भंडार की प्रत्यक्ष जांच एक तर्कसंगत अंतराल के बाद तथा भंडार एवं पूर्जो के स्टॉक(मार्गस्थ और /या आपूर्तिकर्त्ताओं/ ठेकेदारों के पास निरीक्षण के तहत को छोड़कर) की जॉच प्रबंधन द्वारा चरणबद्ध कार्यक्रम के तहत की जाती है। वास्तविक स्टॉक एवं पुस्तकीय स्टॉक के वास्तविक जाँच से उत्पन्न अंतर को लेखा की पुस्तक में दर्शाया गया।

iiii) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार एवं रिकार्ड की जांच के आधार पर हम सूचित करते हैं कि चालू लेखा बही सहित अल्प अवधि ब्याज का कोल इंडिया लिमिटेड, स्वामित्वधारी कंपनी तथा अनुषंगिक कंपनियों महानदी बेसिन पावर लिमिटेड, एम.जे.एस.जे. कोल लिमिटेड, एम.एन.एच. शक्ति लिमिटेड, महानदी कोल रेलवे लिमिटेड के साथ अनुरक्षित किया जाता है। हमने यह भी देखा कि कंपनी ने एनएलसी इंडिया लिमिटेड को 1000 करोड़ रुपये का असुरक्षित ऋण दिया है, जिसे कोयला मंत्रालय की सहमति भी मिली है।

क. रिकार्ड की परीक्षा एवं उपलब्ध सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि इस तरह के दिये गये ऋण के निबंधन एवं शर्त कंपनी के हित के प्रतिकूल नहीं है।

ख. कोल इंडिया लिमिटेड, स्वामित्वधारी कंपनी और अनुषंगी कंपनियों के साथ चालू शेष खाते पर ब्याज की नियमित प्राप्ति की जाती है। चालू जमा के ब्याज दर पर एम.सी.एल. कोल इंडिया लिमिटेड के साथ ब्याज दर जमा करती है तथा एमसीएल की अनुषंगी कंपनियां भी इस प्रकार के ब्याज जमा करने का कार्य करती है।

वर्ष 2016-17 के दौरान सीसीएल को दिए गए अग्रिम ऋण ब्याज सहित समझौते की शर्तों के अनुसार सीसीएल द्वारा चुकाया गया है।

एनएलसीआईएल को दिए गए ऋणों के संबंध में, एनएलसीआईएल द्वारा मूलधन का पुनर्भुगतान अभी तक नहीं हुआ है और एनएलसीआईएल कंपनी को ब्याज का नियमित भुगतान कर रहा है।

ग. महानदी बेसिन पॉवर लिमिटेड, एम.जे.एस.जे. कोल इंडिया लिमिटेड, एम.एन.एच. शक्ति लिमिटेड, महानदी कोल रेलवे लिमिटेड अनुषंगी कंपनियों के साथ चालू खाता के संबंध में कोई बकाया राशि नहीं है क्योंकि पुनः भुगतान अवधि निर्धारित नहीं है तथा तथा वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान एनएलसीआईएल को प्रदान किए गए ऋण करने के संबंध में कोई बकाया नहीं है।

(iv) हमें प्राप्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कर्ज, निवेश तथा गारंटी से संबंधित अधिनियम की धारा-185 तथा 186 के प्रावधान का अनुपालन किया गया है।

(v) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।

(vi) कंपनी द्वारा स्वतंत्र रुप से लागत की लेंखा परीक्षा की जाती है तथा हमलोग कंपनी(लागत लेखांकन रिकार्ड) नियमावली ,2014 जिसे केंद्रीय सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत मोटे तौर पर कंपनी द्वारा अनुरक्षित गत रिकार्ड की समीक्षा की है और हमारा मत है स्पष्ट है कि दिया गया लागत रिकार्ड रखा एवं अनुरक्षित किया गया है।

(vi) (क) कंपनी के रिकार्ड और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी सामान्यत: अविवादित सांविधिक बकाये जिसमें भविष्य निधि, आयकर, विक्रय कर, वैट, संपत्ति कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं लागू अन्य सांविधिक बकाये शामिल हैं, को वर्ष के दौरान उपयुक्त प्राधिकारी के पास जमा करती है। निम्न को छोडकर वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि को कोई बकाया देय, उसके देय होने की तिथि से छः महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया नहीं।

अधिनियम का नाम	बकाया की प्रकृति	राशि (रु. लाख में)	राशि से संबंधित अवधि	बकाया तिथि	भुगतान की तिथि
एमएम (डीआर) अधिनियम	अधिभार	5096.88	2015-16	04/07/2017	अभी तक चुकाया नहीं गया

(ख) कंपनी के रिकार्ड एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार 31मार्च 2018 को आयकर, विक्रय कर, संपत्ति कर,सेवा कर,सीमा शुल्क,उत्पाद शुल्क एवं सेस के विवादित बकायों का विवरण नीचे दिया गया है

क्र.	**नियम का नाम**	**बकाया की प्रकृति**	**राशि (रु. लाख में)**	**राशि से संबंधित अवधि**	**जहां से विवाद लंबित है**
1	आयकर अधिनियम	आयकर	22735.34	2015-16	CIT (A), Sambalpur (Case disposed off by CIT(A))
2	आयकर अधिनियम	आयकर	36,784.48	08-09, 09-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14	ITAT, Cuttack (Cases disposed off by ITAT)
3	आयकर अधिनियम	आयकर	6909.33	97-98, 98-99, 05-06, 06-07 & 07-08	High Court, Orissa

क्र.	**नियम का नाम**	**बकाया की प्रकृति**	**राशि (रु. लाख में)**	**राशि से संबंधित अवधि**	**जहां से विवाद लंबित है**
बसुंधरा					
1	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	654.11	2011-2014	सी.ई.एस.टी.ए.टी. कोलकाता
2	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	2.75	2009-2012	आयुक्त अपील
ओरिएंट					
1	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	12.74	2017	जीएसटी आयुक्तालय, भुवनेश्वर
2	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	9.24	2017	जीएसटी सहा. आयुक्त संबलपुर
3	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	7.35	01.01.13-31.03.15	जीएसटी सहा. आयुक्त संबलपुर
4	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	43.20	2013-14 और 2014-15	जीएसटी सहा. आयुक्त संबलपुर
5	स्वच्छ ऊर्जा उपकर अधिनियम	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	89.04	2013-14 और 2014-15	संयुक्त आयुक्त, राऊरकेला
ईब वैली					
1	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	843.24	2011-12	सी.ई.एस.टी.ए.टी. कोलकाता
2	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	1,015.06	2012-13	सी.ई.एस.टी.ए.टी. कोलकाता
3	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	793.79	2013-14	सी.ई.एस.टी.ए.टी. कोलकाता
4	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	1,145.92	2014	सी.ई.एस.टी.ए.टी. कोलकाता
5	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	243.89	2014-15	सी.ई.एस.टी.ए.टी. कोलकाता

6	वित्त अधिनियम	सेवा कर	1.5	2008-09	आयुक्त सीबीईसी
7	वित्त अधिनियम	सेवा कर	17.72	2010-11 से 2014-15 तक	आयुक्त सीबीईसी
8	ओड़ीशा वैट	बिक्री कर	123.93	2005-06	आयुक्त बिक्री कर
9	ओड़ीशा वैट	बिक्री कर	683.12	2006-07	आयुक्त बिक्री कर
10	ओड़ीशा वैट	बिक्री कर	2.68	2009-11	आयुक्त बिक्री कर
11	ओड़ीशा वैट	बिक्री कर	86.3	2013-14	आयुक्त बिक्री कर
12	ओड़ीशा वैट	बिक्री कर	6,694.67	2015-16	आयुक्त बिक्री कर

लिंगराज					
1	वित्त अधिनियम	सेवा कर	2.26	2007-08 से 2014-15	सहायक आयुक्त
2	वित्त अधिनियम	सेवा कर	6.81	2012-13	सहायक आयुक्त
3	ओड़ीशा वैट	सीएसटी	1.16	1998-99	एसीसीटी, कटक II रेंज
4	ओड़ीशा वैट	सीएसटी	0.06	2001-2002	आयुक्त कटक
5	ओड़ीशा वैट	सीएसटी	16.14	2000-2001	आयुक्त कटक
6	ओड़ीशा वैट	सीएसटी	1.13	2004-2005	एसीसीटी, कटक II रेंज
7	ओईटी अधिनियम	प्रवेश कर	52.07	1999-2000	सहा. आयुक्त, अंगुल
8	ओईटी अधिनियम	प्रवेश कर	4.93	2003-2004	उच्च न्यायालय, ओड़ीशा
9	ओईटी अधिनियम	प्रवेश कर	4.52	2004-2005	उच्च न्यायालय, ओड़ीशा
भरतपुर					
1	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1994	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	95.2	अप्रैल 2011 से मार्च 2015	माननीय उच्च न्यायालय
2	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1994	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	125.36	अप्रैल 2011 से मार्च 2015	माननीय उच्च न्यायालय
3	सेवा कर अधिनियम 1994	सेवा कर	923.29	01.04.03 से 31.12.07	सी.ई.एस.टी.ए.टी. कोलकाता
4	सेवा कर अधिनियम 1994	सेवा कर	445.23	जनवरी 08 से जून 09.	सी.ई.एस.टी.ए.टी. कोलकाता
5	सेवा कर अधिनियम 1994	सेवा कर	146.46	जुलाई 2009 से जनवरी 2010	सी.ई.एस.टी.ए.टी. कोलकाता
6	सेवा कर अधिनियम 1994	सेवा कर	124.22	फरवरी 2010 से जुलाई 2010	सी.ई.एस.टी.ए.टी. कोलकाता
7	सेवा कर अधिनियम 1994	सेवा कर	111.12	अगस्त 2010 से मार्च 2011	सी.ई.एस.टी.ए.टी. कोलकाता
8	सेवा कर अधिनियम 1994	सेवा कर	83.57	अप्रैल 2011 से दिसंबर 2011	सी.ई.एस.टी.ए.टी. कोलकाता
9	सेवा कर अधिनियम 1994	सेवा कर	103.76	जनवरी 12 से नवंबर 12	आयुक्त (अपील), केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर, भुवनेश्वर -1
10	सेवा कर अधिनियम 1994	सेवा कर	58.17	दिसंबर 12 से मार्च 14	आयुक्त (अपील), केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर, भुवनेश्वर -II अयुक्तालय
11	सेवा कर अधिनियम 1994	सेवा कर	9.13	1 जून 2007 से 31 मार्च 2012	सहा। आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर, अंगुल डिवीजन, अंगुल
12	सेवा कर अधिनियम 1994	सेवा कर	7,785.59	2006-07 से फरवरी 2011	सी.ई.एस.टी.ए.टी. कोलकाता
13	सेवा कर अधिनियम 1994	सेवा कर	20.14	01.01.05 से 15.03.06	सी.ई.एस.टी.ए.टी. कोलकाता

जगन्नाथ					
1.	सीएसटी	बिक्री कर	27.20	1985-86	बिक्री कर अधिकरण
2.	सीएसटी	बिक्री कर	1.60	1987-88	बिक्री कर अधिकरण
3.	सीएसटी	बिक्री कर	190.16	1993-94	अपर आयुक्त, कटक
4.	सीएसटी	बिक्री कर	4.10	1994-95	बिक्री कर अधिकरण, कटक
5.	सीएसटी	बिक्री कर	18.01	1995-96	बिक्री कर अधिकरण, कटक
6.	सीएसटी	बिक्री कर	7.90	1996-97	बिक्री कर अधिकरण, कटक
7.	सीएसटी	बिक्री कर	0.13	2001-02	अतिरिक्त आयुक्त, कटक
8.	सीएसटी	बिक्री कर	14.76	2003-04	अपर आयुक्त
9.	सीएसटी	बिक्री कर	31.56	2005-2006	अपर आयुक्त
10.	ओईटी	बिक्री कर	5.25	2004-05	अपर आयुक्त, कटक
11.	ओईटी	बिक्री कर	2,000.00	2005-2007	ओड़ीशा उच्च न्यायालय
12.	ओएसटी	बिक्री कर	2.46	1989-90 to	अपर आयुक्त, कटक
13.	ओएसटी	बिक्री कर	1.30	1991-92	बिक्री कर अधिकरण
14.	ओएसटी	बिक्री कर	74.12	1992-93	बिक्री कर अधिकरण
15.	ओएसटी	बिक्री कर	1.37	2001-02	अपर आयुक्त, कटक
16.	ओईटी	बिक्री कर	209.80	01.04.2008 से 31.01.2012 तक	अपर आयुक्त, (अपील) , कटक
17.	वैट	बिक्री कर	532.82	01.04.2009 से 30.09.2011 तक	अपर आयुक्त, (अपील) , कटक
18.	सीएसटी	बिक्री कर	4,842.38	01.04.2009 से 30.09.2011 तक	अपर आयुक्त, (अपील) , कटक
19.	ओईटी	बिक्री कर	25.92	01.04.2012 to 31.03.2014 तक	अपर आयुक्त, (अपील) , कटक
20.	वैट	बिक्री कर	7.22	01.04.2012 से 31.03.2014 तक	अपर आयुक्त, (अपील) , कटक
21.	सीएसटी	बिक्री कर	104.61	01.04.2012 से 31.03.2014 तक	अपर आयुक्त, (अपील) , कटक
22.	सीएसटी	बिक्री कर	0.33	01.09.2011 से 31.03.2012 तक	संयुक्त आयुक्त (अपील), अंगुल
23.	उत्पाद शुल्क अधिनियम	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	8.86	01.03.2011 से 31.03.2015 तक	केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, भुवनेश्वर
24.	उत्पाद शुल्क अधिनियम	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	203.81	Mar-11	केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, भुवनेश्वर
25.	स्वच्छ ऊर्जा उपकर अधिनियम और नियम	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	9,117.79	2010-11 से 2014-15	केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, राऊरकेला
26.	उत्पाद शुल्क अधिनियम	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	6,870.11	2010-11 से 2014-15	केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, राऊरकेला
27.	केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम,1985	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	1.51	2011-12 से 2013-14 तक	आयुक्त (अपील)
28.	केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम,1985	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	49.23	2013-14	आयुक्त (अपील)

लखनपुर					
1	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	2488.00	2010-11 से 2014-15 तक	कटक उच्च न्यायालय
2	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	2304.45	2011-12 से 2014-15 तक	कटक उच्च न्यायालय

तालचेर					
1	सेवा कर	केंद्रीय बिक्री कर यू / आर 12 (5)	0.06	2000-01	बिक्री कर के अपर आयुक्त, कटक ने स्थगन आदेश दिए।
2	सेवा कर	ओड़ीशा बिक्री कर 12 (4)	1.08	1998-99	वाणिज्यिक कर आयुक्त, कटक ने स्थगन आदेश दिए।
3	सेवा कर	ओड़ीशा सेवा कर	1.07	1993-94	बिक्री कर अपर आयुक्त के दिशा-निर्देशों अनुसार, मूल्यांकन एसटीओ को वापस कर दिया गया था।
हिंगुला					
1	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	8,081.31	2010-11 से 2014-15 तक	उच्च न्यायालय
2	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	8,294.82	2010-11 से 2014-15 तक	उच्च न्यायालय
3	ओएसटी	सेवा कर	66.50	1993-94, 2001-02, 2003-04	अपील अपर आयुक्त कटक के लंबित अपील
4	सीएसटी	सेवा कर	1.23	1995-96, 2003-04	अपील अपर आयुक्त कटक के लंबित अपील
5	ओड़ीशा प्रवेश कर	ओईटी	140.87	2003-04 & 2004-05	वाणिज्यिक कर अधिकरण
6	वित्त अधिनियम	सेवा कर	8.96	2011-12& 2013-16	आयुक्त अपील

उपरोक्त राशि के अलावा प्रतिवाद स्वरूप विक्रय कर के रूप में रु. 31.41 करोड़ जमा किया गया तथा प्रतिवाद स्वरूप आयकर के रूप में रु. 632.54 करोड़ जमा किया गया एवं विरोध सहित रु.2.89 करोड़ केंद्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में जमा किया गया तथा प्रतिवाद के स्वरूप सेवा कर की तुलना में रूपये 0.45 करोड़ जमा किये गए हैं।

viii) प्रबंधन द्वारा हमें दिये गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान किसी भी वित्तीय संस्था, बैंक या सरकार से किसी भी ऋण या उधारी के पुनर्भुगतान के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं हैं। कंपनी ने किसी भी प्रकार का ऋण जारी नहीं किया है।

ix) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या भावी सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण साधन सहित) तथा आवधिक ऋण के द्वारा कोई राशि नहीं की है। तद्नुसार आदेश का पैराग्राफ-3(ix) लागू नहीं है।

i) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा कंपनी में किसी भी प्रकार की धोखा संबंधी सूचना या रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

ii) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्ड की जांच के आधार पर प्रावधान की धारा-197, अधिनियम की अनुसूची-V में पढ़ी जाये तथा उसके द्वारा आदेशित आवश्यक अनुमोदन के अनुसार कंपनी ने प्रबंधकीय पारिश्रिक का भुगतान/प्रदान किया है।

iii) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार आदेश का पैराग्राफ-3(ix) लागू नहीं है।

iv) कंपनी एक राज्य नियंत्रक उद्यम एवं संबंधित पार्टी लेनदेन के साथ भारतीय लेखांकन मानक-24 की धारा-26 की तहत जरूरी प्रासंगिक विवरण को प्रस्तुत किया गया।

v) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्ड की जांच के आधार पर कंपनी ने आलोच्य वर्ष के दौरान किसी भी तरह के अधिमान्य आवंटन या निजी स्थानत या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं किया। जैसा कि कंपनी आलोच्य वर्ष के दौरान किसी भी तरह के अधिमान्य आवंटन या निजी स्थानत या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नही किया, कंपनी अधिनियम,2013 धारा 42 के आवश्यकता अनुसार जिस उद्देश्य के लिए फंड बढ़ाया गया उसमें इस्तेमाल राशि के अनुपालन, जो लागू नहीं है ।

vi) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्ड के जांच के आधार पर कंपनी के निदेशकों या उसके साथ जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ किसी भी गैर नकदी लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है। तदनुसार आदेश का पैराग्राफ-3(xv) लागू नहीं है।

vii) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के धारा 45 आईए के अंतर्गत पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है ।

कृते सिंह रे मिश्रा एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन: 318121ई

हस्ताक्षर
जीतेन कुमार मिश्रा
साझेदार
एम. संख्या; 052796

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 07/06/2018

अनुलग्नक – **'ख(i)'**

कंपनी : महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड
जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर

वितीय वर्ष **2017-18**

<u>कंपनी अधिनियम, **2013** की धारा 143(5) तहत (सी तथा एजी कार्यालय द्वारा अनुवर्ती प्रतिवेदन हेतु दिशानिर्देश जारी किया गया जिसे लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 के खातों में लागू किया गया है।</u>

क्रम.सं	निर्देशन	संबंधित लेखा परीक्षाओं का उत्तर
1.	क्या कंपनी के पास क्रमशः फ्रीहोल्ड तथा लीज़ होल्ड हेतु क्लीयर टाइटल/लीज डीड है ? यदि नहीं, तो कृपया फ्रीहोल्ड तथा लीज़होल्ड भूमि के क्षेत्र का विवरण दे, जिसमें टाइटल/लीज डीड उपलब्ध नहीं है ।	कंपनी ने फ्रीहोल्ड तथा लीजहोल्ड भूमि हेतु टाइटल/लीजहोल्ड को निष्पादित कर दिया है / फिर भी कंपनी ने आनंद विहार तथा जागृति विहार में 58.984 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है। कंपनी ने इसके लिए प्रीमियम जमा किया तथा इस भूमि को अपने पाक्स में स्वीकार करने के लिए आवेदन जमा किया। हस्तांतरण संबंधी विलेख का निष्पादन अभी किया जाना है।
2.	उधर ऋण/ब्याज इत्यादि को अवैध घोषित करना/बट्टे खाते डालने का कोई मामला है यदि हाँ तो इसका कारण एवं संलग्न राशि बतायें ।	हमें दी गई जानकारी के अनुसार लेखा परीक्षा के वर्ष के दौरान कोई उधार/ऋण/ब्याज इत्यादि को अवैध घोषित करने का मामला नहीं है ।
3.	क्या ऐसा कोई रिकार्ड रखा जाता है जिसमे थर्ड पार्टी के इनवेंटरी तथा सरकार या अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा उपहार/अनुदान के रूप में प्राप्त संपति हो।	आवश्यता के अनुसार सामान्य रिकार्ड को रखा जाता है जिसमें थर्ड पार्टी सहित इनवेंटरी दर्ज होता है प्राप्त सूचना के अनुसार सरकार या किसी प्राधिकारी द्वारा कोई उपहार कंपनी को प्राप्त नहीं हुआ है ।

अनुलग्नक – 'ख(ii)'

कंपनीः महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर

वित्तीय वर्षः 2017-18

वर्ष 2017-18 में कोल इंडिया एवं उसकी सहायकों के लेखा परीक्षा के लिए नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, के कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 143(5) के अंतगर्त सी एंड एजी कार्यालय द्वारा जारी किया गया अतिरिक्त निर्देशों के अनुसार रिपोर्ट

क्रम.सं	निर्देशन	संबंधित लेखा परीक्षाओं का उत्तर
1.	क्या समोच्च मानचित्र को ध्यान में रखते हुए कोयला भंडार का माप किया गया था। सभी मामलों में वास्तविक भंडार रिपोर्ट, समोच्च मानचित्र सहित था? कोयले की नई ढेर लगाई गयी है यदि हाँ तो इनके लिए क्या सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन लिया गया है ।	हां समोच्च मानचित्र को ध्यान में रखते हुए स्टॉक मापन किया गया है और भौतिक स्टॉक मापन रिपोर्ट सभी मामलों में समोच्च मानचित्र के साथ हैं। वर्ष के दौरान बनाए गए नए ढेर, यदि कोई है, को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है।
2.	क्षेत्र के पुनर्गठन/विभाजन/विलय के समय क्या संपत्तियों एवं गुणों का कंपनी द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया था ? यदि हाँ तो क्या संबंधित सहायक ने अपेक्षित प्रक्रिया का पालन किया था ।	हमें उपलब्ध जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अनंत ओसीपी भरतपुर क्षेत्र से जगन्नाथ क्षेत्र में स्थानांतरित कर दी गई है और आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा स्थायी संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है।
3.	क्या सीआईएल और सहायक कंपनियों में प्रत्येक खदान के लिए अलग एस्क्रो खाते बनाए गए गए है। खाते के निधि के उपयोग की भी जांच करें।	कंपनी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ खान-वार एस्क्रो खातों का रख-रखाव कर रही है। वर्ष के दौरान कंपनी ने खान बंदी गतिविधि के लिए कोई राशि वापस नहीं ली थी। हालांकि, वर्ष के दौरान किए गए प्रगतिशील खान बंद होने वाले खर्चों को एस्क्रो खातों से प्राप्त करने योग्य माना जाता है।
4.	क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए अवैध खनन के लिए दंड का प्रभाव उचित रूप से माना जाता है और इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है?	उप निदेशक खानों के कार्यालय ने 2000-01 से 2010-11 के लिए पर्यावरण मंजूरी के उल्लंघन के लिए कंपनी की 17 खानों को मांग नोटिस जारी किए। 8297.77 करोड़ रुपये कादावा है। कंपनी ने इस तरह के दावे के खिलाफ संशोधन आवेदन किया है और भारत सरकार के कोयला मंत्रालय, संशोधन प्राधिकरण से आदेश प्राप्त कर लिया है। की। यह दावा "आकस्मिक देयताओं" की सूची में दिखाई दे रहा है।

अनुलग्नक-ग

लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड(i) के अंतर्गत आंतरिक नियंत्रण प्रतिवेदनः

31 मार्च 2018, में समाप्त वर्ष में कंपनी के साथ लेखापरीक्षा संयोजन के रूप में हमारे समेकित भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणी में हमने महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड(कंपनी) के वित्तीय प्रतिवेदन पर अंतरिम वित्तीय नियंत्रणों का परीक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के प्रति प्रबंधन का उत्तरदायित्वः-

भारत के चार्टड अकाउंटेन संस्थान द्वारा जारी किये गए वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थिति के आवश्यक घटक को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा वित्तीय प्रतिवेदन मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को बनाए रखना एवं स्थापित करना, कंपनी के संबंधित निदेशक मंडल की जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों में कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत् डिजाइन, कंपनी नीतियों के पालन सहित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रख-रखाव एवं कार्यान्वयन, व्यापार के व्यवस्थित एवं कुशल संचालन सुनिश्चित करना, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों का पता लगाना और उसकी रोकथाम, सटीकता एवं लेखा-अभिलेखों की पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी के समय पर तैयारी शामिल है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व है कि हम लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी के इन वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत व्यक्त करे। हमने अधिनियम की धारा-143(10) के तहत् निर्दिष्ट एवं आई.सी.ए.आई द्वारा जारी किया गया लेखा परीक्षा मानकों और लेखा परीक्षा के वित्तीय प्रतिवेदन(मार्गदर्शन नोट) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर मार्गदर्शकीय नोट के अनुसार लेखा परीक्षा किया है। ये मानक नैतिक आवश्यकता के अनुरूप है तथा हमने लेखा परीक्षा इस प्रकार नियोजित व निष्पादित किया कि हमें जो वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्राप्त हुए वह अनुरक्षित एवं स्थापित है एवं वे प्रभावी ढंग से कार्य कर रहें है।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता एवं उनके परिचालन प्रभाव के बारे में हमारे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया शामिल है। वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करने के लिए मौजूदा सामग्री की कमजोरी से होने वाली जोखिम का आंकलन करना। डिजाइन के परीक्षण एवं मूल्यांकन और जोखिंम के आंकलन के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरण पर आंतरिक नियंत्रण को हमारे लेखा परीक्षा में शामिल किया गया है।

हमारा विश्वास है कि वित्तीय प्रतिवेदन पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखा परीक्षा की राय उसे एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त है।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसे वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता तथा आम तौर पर स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी परियोजनाओं के लिए वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए बनाया गया है। कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है जो (1)अभिलेखों के रखरखाओं से संबंधित जो कंपनी के संपत्ति के लेनदेन एवं स्वभाव को उचित रूप से दर्शाएँ (2) स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय वक्तव्यों व्यक्तवों की तैयारी की अनुमति, आवश्यक लेनदेन के लिए उचित आस्वादन प्रदान करते हैं तथा कंपनी के निदेशक एवं प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कंपनी की प्राप्तियाँ एवं व्यय किया जा रहा है ।(3)अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, व कंपनी की संपत्ति जिसका वित्तीय विवरण पर प्रभावों हो सकता है, का समय पर पता लगाना एवं रोक-थाम के संबंध में उचित आस्वादन प्रदान करते हैं।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएं:-

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के निहित सीमाओं सहित नियंत्रण की अनुचित प्रबंधन ओवरराइड व मिलीभगत की संभावना के कारण सामग्री के गलत बयान, धोखाधड़ी या त्रुटि हो सकता है और इसका पता नहीं लगाया जा सकता। भविष्य में वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों वा प्रक्रियाओं के अनुपालन के स्तर में गिरावट आ सकती है ।

मत

हमारे मत में भारत के चार्टड अकाउंटेन संस्थान द्वारा जारी किया गया वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के स्थिति के आवश्यक घटक को ध्यान में रखते हुये कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है तथा यह 31 मार्च, **2018** तक प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे।

कृते सिंह रे मिश्रा एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन: 318121ई

हस्ताक्षर
जीतेन कुमार मिश्रा
साझेदार
एम. संख्या; 052796

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 07/06/2018

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के सदस्यगण

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट :

हमने महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ("धारक कंपनी) और उसकी अनुषंगी कंपनियों (सामूहिक रूप से "कंपनी" या "ग्रुप" कहा जाएगा) के स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31.03.2018 समाप्त वर्ष के तुलनपत्र, लाभ-हानि लेखा (अन्य समेकित आय सहित), नकद प्रवाह विवरण तथा वर्ष के लिए एक्विटी मे परिवर्तन, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक सुचनाओं का सारांश (इसके पश्चात "स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणियों" का संदर्भ) शामिल है। इस वित्तीय विवरण में छः खनन क्षेत्रों एवं तालचेर कोलफील्ड्स की एक केंद्रीय कर्मशाला से संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा परीक्षित आंकड़े शामिल है।

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व:

होल्डिंग कंपनी के निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की आवश्यकताओं के संदर्भ में इन समेकित लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए जिम्मेदार है जो अधिनियम, धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानक (इंडियन एएस) समेत भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार समूह की इक्विटी में समेकित परिवर्तनों, समेकित वित्तीय स्थिति, व्यापक आय सहित समेकित वित्तीय कार्य निष्पादन, समेकित नगद प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है। इसके अंतर्गत जारी प्रासंगिक नियम को पढ़ा जाए। समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं; समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल समूह की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पहचानने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन; निर्णय और अनुमान बनाना जो उचित और विवेकी हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखा की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से परिचालन कर रहे थे, समेकित भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक, जो एक वास्तविक और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और जो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण गलतफहमी से मुक्त हो जो उपरोक्त के रूप में होल्डिंग कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण की तैयारी के उद्देश्य से उपयोग किया गया है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर इन समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के बारे में राय व्यक्त करें। लेखापरीक्षा आयोजित करते समय, हमने अधिनियम के प्रावधान, लेखा और लेखा परीक्षा मानकों और मामलों के प्रावधानों को ध्यान में रखा है जिन्हें अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल करने की आवश्यकता है।

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा का आयोजन किया। उन मानकों की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं और योजना का अनुपालन करते हैं और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा निष्पादित करते हैं कि समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के रूप में गलती से मुक्त हैं या नहीं।

एक लेखापरीक्षा में राशि प्राप्त करने के साक्ष्य की प्रक्रिया तथा समेकित भारतीय लेखांकन मानक में प्रकटीकरण प्रक्रिया शामिल है। उन जोखिम आकलनों करने में, लेखा परीक्षक होल्डिंग कंपनी की समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करता है जो परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए उचित परिस्थिति पर एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है। एक लेखापरीक्षा में होल्डिंग कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता, लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता इसके साथ-साथ समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करने का भी मूल्यांकन शामिल है।

हम मानते है कि हमारे तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य नीचे दिए गए अन्य मामलों के अनुच्छेद (क) में उल्लिखित रिपोर्टों के संदर्भ में भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है।

मत

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी ,तथा हमें दी गई स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा मांगी गई आवश्यक जानकारी लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते है जो 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष तक समूह की समेकित वित्तीय स्थिति भारत मे सामान्य तौर पर स्वीकार्य भारतीय लेखांकन मानक समेत इसके समेकित वित्तीय प्रदर्शन सहित अन्य व्यापक आय, समेकित नकद प्रवाह और वर्ष के लिए इक्विटी में समेकित परिवर्तन है।

महत्वपूर्ण मामलें

एमजेएसजे कोयला लिमिटेड के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकर्षित किया जाता है;

एमजेएसजे कोल लिमिटेड (एमसीएल की सहायक कंपनी) के लेखा संख्या 40 में नोट्स के पैरा नंबर 3 में संदर्भ आमंत्रित किया गया है, जहां बैंक गारंटी राशि 22.448 करोड़ रुपये की बदले रु. 22.248 करोड़ का गलत तरीके से खुलासा किया है तथा कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण के नोट 38 के पैरा 4 (ग) में बैंक गारंटी राशि रु. 51.42 करोड़ के बदले रु. 51.62 करोड़ गलत रूप से का खुलासा किया है।

एमजेएसजे कोल लिमिटेड ने मूल रूप से कोयला मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में बैंक गारंटी के रूप में 1111.24 करोड़ रूपये दिए है। हालांकि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 111.24 करोड़ रुपये की राशि घटाकर रु. 22.248 करोड़ कर दी है और तदनुसार कंपनी ने उस राशि के लिए एसबीआई, तालचेर द्वारा जारी बैंक गारंटी नंबर 50/48 दिया है, जो 28.02.2018 तक मान्य था। हालांकि कंपनी ने इसके नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू की है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय योग्य नहीं है।

अन्य मामलें

(क) 31 मार्च, 2018 के अनुसार समेकित तुलन पत्र में दिखाई देने वाली "अन्य इक्विटी" और "पूंजी कार्य-प्रगति " की राशि क्रमशः रु. 2224.33 करोड़ और रु. 2315.50 करोड़ रुपये है। अब हम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ए) के तहत महानदी बेसिन पावर लिमिटेड (एमसीएल की सहायक कंपनी) के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान प्रारंभिक व्यय के गैर-चार्जिंग खर्च 5.01 करोड़ रुपये इक्विटी शेयर के इक्विटी के ओवरस्टेटमेंट तथा पूंजीगत कार्यवाही के परिणामस्वरूप उसी राशि के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अवलोकन पर ध्यान आकर्षित करते हैं।

(ख) हमने निदेशक मंडल द्वारा अपनाए गए समेकित वित्तीय विवरणों पर एक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (मूल रिपोर्ट) दिनांक 24.05.2018 को जारी की है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ए) के तहत महानदी बेसिन पावर लिमिटेड ("एमसीएल" की एक सहायक कंपनी) तथा एमजेएसजे कोयला लिमिटेड ("एमसीएल" की एक सहायक कंपनी) की संशोधित सांविधिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के दिनांक 25.06.2018 के अवलोकन के अनुसार हमने लेखा परीक्षा रिपोर्ट में संशोधन किया है। यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट मूल रिपोर्ट का अधिग्रहण करती है, जिसे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अवलोकनों पर विचार करने के लिए संशोधित किया गया है जैसा ऊपर उल्लिखित खंड (क) में वर्णित है और अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं की रिपोर्ट पर मामलों के अनुच्छेद और बिंदु संख्या 1 (जी) (iii) में किए गए संशोधन भी किया गया है।

मूल रिपोर्ट की तारीख के बाद की घटनाओं पर हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह से एमजेएसजे कोल लिमिटेड ("एमसीएल" की सहायक कंपनी) की संशोधित वैधानिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर मामलों के अनुच्छेद में किए गए संशोधन तथा महानदी बेसिन पावर लिमिटेड ("एमसीएल" की सहायक) की रिपोर्ट में उपरोक्त खंड (क) में उल्लिखित तथा अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर बिन्दु 1 (जी) (iii) में किए गए संशोधन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अवलोकन तक सीमित है।

(ग) हमने एमएनएच शक्ति लिमिटेड, एमजेएसजे कोयला लिमिटेड, महानदी बेसिन पावर लिमिटेड, महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (सहायक कंपनियों) की वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी का लेखा परीक्षा नहीं किया, जिनके वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी में 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए रुपये 23395.59 लाख की कुल परीसंपत्ति, कुल राजस्व रु. 0.11 लाख रुपये और शुद्ध नकद प्रवाह रु. 751.50 लाख दर्शाती है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना जाता है। 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों में ग्रुप के शेयर का रु. 1.59 लाख शुद्ध घाटा भी शामिल है, जैसा कि माना जाता है। इन वित्तीय सूचनाओं का लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन और हमारे समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय द्वारा प्रस्तुत की गई है, जहां तक यह इन सहायक कंपनियों के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है और हमारी रिपोर्ट अधिनियम की धारा 143 के उपधारा (3) और (11) के उपरोक्त सहायक कंपनियों से संबंधित है, जो कि अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

(घ) सूचित किया जाता है कि समूह ने कंपनी अधिनियम, 2013 (भारतीय लेखांकन मानक अनुपालन वित्तीय विवरण प्रारूप) के अनुसूची III के तहत आवश्यकता के अनुसार एक अमूर्त संपत्ति के रूप में अपने खनन अधिकार का खुलासा नहीं किया है, क्योंकि वर्तमान में यह अभिमत है कि वर्तमान में भारतीय लेखांकन मानक में मूल्य निर्धारित करने के लिए कोई मूल्य निर्धारण यार्ड स्टिक नहीं है।

(ङ) वर्ष के दौरान कंपनी ने एनएलसीआईएल को मासिक आधार पर देय 7% प्रतिवर्ष ब्याज की दर पर 1000 करोड़ रुपये असुरक्षित ऋण दिया था जिसने कोयला मंत्रालय से सहमति प्राप्त की है। जैसा कि प्रबंधन द्वारा हमें स्पष्टीकरण के अनुसार यह ब्याज दर बाजार दर की तुलनात्मक बाजार दर के बराबर है और इसलिए वित्तीय विवरणों पर भारतीय लेखांकन मानक 109 के संदर्भ में इस लेनदेन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, और नीचे दी गई अन्य कानूनी नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, उपर्युक्त मामलों के संबंध मेंकिए गए कार्यों पर निर्भरता, अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी संशोधित नहीं है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा आवश्यक है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

ए) हमने उपरोक्त समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के हमारे उद्देश्य पूर्ति के लिए हमारे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के साथ सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगा है और प्राप्त किया है।

बी) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के खातों की जांच किए जाने से यह प्रतीत होता है कि वित्तीय विवरण की तैयारी से सबंधित कानून का यथोचित पालन लेख पुस्तकों में किया गया है।

सी) हमारी राय में, इस रिपोर्ट का समेकित बैलेंस शीट, लाभ और हानि का समेकित विवरण, नकद प्रवाह का समेकित विवरण और निपटाई गई इक्विटी में परिवर्तनों का समेकित विवरण समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के निर्माण के उद्देश्य से बनाए गए लेखा पुस्तकों के साथ सहमत हैं।

डी) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित इंडस्ट्रीज वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानक का अनुपालन करते हैं, जो इसके तहत जारी किए गए प्रासंगिक नियमों के साथ पढ़ा जाता है।

ई) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. जी.एस.आर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के संदर्भ में सरकारी कंपनी होने के नाते निदेशकों की अपात्रता के संबंध में अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान कंपनियों के लिए लागू नहीं हैं,

एफ़) समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा ऐसे के संबंध में नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में "अनुलग्नक ए" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें; तथा

कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षकों) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दी गई स्पष्टीकरण के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में:

i. समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण समूह की समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमे के प्रभाव का खुलासा करता है। समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के नोट 38 के बिंदु संख्या 4 का संदर्भ लें;

ii. डेरिवेटिव अनुबंध सहित दीर्घकालिक अनुबंधों पर निकट भविष्य में होने वाले नुकसान, यदि कोई हो, के लिए लागू कानून या लेखांकन मानकों के तहत आवश्यक समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में प्रावधान किया गया है।

iii. चूंकि न तो होल्डिंग कंपनी और न ही अनुषंगी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 (2) के तहत आवश्यक निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में किसी भी राशि को स्थानांतरित करना होता है (पूर्व कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 सी), निधि में राशि स्थानांतरण की देरी का प्रश्न नहीं उठता।

कृते सिंह राय मिश्रा एंड को.
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 318121ई.
ह/-
जितेन कुमार मिश्रा
भागीदार
सदस्यता संख्या.: 052796

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 06/07/2018

अनुलग्नक – ए

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के संबंध में

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 के उपधारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के रूप में समेकित भारतीय लेखांकन मानक के हमारे लेखापरीक्षा के साथ, हमने महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ("धारक कंपनी") और इसकी सहायक कंपनियों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षा किया है, जो उस तारीख में भारत में शामिल कंपनियां हैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी -

भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान ("आईसीएआई ') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए धारक कंपनी के निदेशक मंडल और इसकी सहायक कंपनियां, जो भारत में शामिल कंपनियां हैं, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और उसे बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रुपरेखा, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो अपने व्यापार के व्यवस्थित और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से परिचालन कर रहे थे, जिसमें संबंधित कंपनी की नीतियों का पालन करना, इसकी संपत्ति की सुरक्षा, रोकथाम और धोखाधड़ी का पता लगाना और त्रुटियां, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल हैं।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी यह ज़िम्मेदारी है कि हम अपने लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करें। हमने आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शन नोट") और आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षा पर मानक, धारा 143 (10) के तहत निर्धारित समझा जाने वाले मानदंडों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा के लिए लागू सीमा तक हमारे लेखापरीक्षा का आयोजन किया। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं और योजना का पालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को स्थापित गया है, और यदि ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं तो उसे बनाए रखा गया है।

हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी प्रचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं शामिल है। हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, वस्तु कमजोरी के जोखिम का आकलन करना और आकलन जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की रुपरेखा और प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षकों के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों के वस्तु गलतबयानी के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य और अन्य लेखकों द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य नीचे दिए गए अन्य मामलों में उल्लिखित रिपोर्ट के संदर्भ में, कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली हमारी लेखापरीक्षा राय के आधार के पर पर्याप्त और उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और भारतीय लेखा मानक समेत आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वें नीतियां और प्रक्रियाएं में शामिल हैं-(1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित यह है कि, वह विस्तार से, कंपनी की संपत्ति के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से प्रतिबिंबित करता है; (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि आम तौर पर भारतीय लेखांकन मानक सहित आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए लेन-देन दर्ज किए जाते हैं और कंपनी की रसीदें और व्यय केवल प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं तथा(3) कंपनी के परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या स्वभाव की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें जो वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं की वजह से, नियंत्रण की अनुचित या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड(अधिभावी) की संभावना, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण वस्तु गलतबयानी हो सकती है और उसका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में बदलावों के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर ह्रास हो सकता है।

मत

हमारी राय में, आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियां, जो भारत में शामिल कंपनियां हैं, सभी भौतिक मामलो में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2018 तक प्रभावी ढंग से परिचालन कर रहे थे।

अन्य मामले

हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता की पर्याप्तता और संचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143 (1) के तहत, क्योंकि यह सहायक कंपनियों से संबंधित है, औऱ ऐसी कम्पनियों के लेखा परीक्षकों के संबंधित रिपोर्ट के आधार पर जो भारत में शामिल कम्पनियाँ है।

कृते सिंह राय मिश्रा एंड को.
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 318121ई.
ह/-
जितेन कुमार मिश्रा
भागीदार
सदस्यता संख्या.: 052796

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 06/07/2018

<u>महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड</u>

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी)

प्रारुप एओसी-1

(कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 5 के सेक्शन 129 की उपधारा (3) के पहले प्रावधान के अनुसार)

अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय विवरण की प्रमुख विशेषताओं वाले विवरण

<u>भाग "क" : अनुषंगी कंपनियां</u>

(करोड़ में)

क्र.	विवरण	अनुषंगी कंपनियों का नाम			
		एमजेएसजे कोयला लिमिटेड	एमएनएच शक्ति लिमिटेड	एमसीआरएल	एमबीपीएल
1	रिपोर्टिंग अवधि	01.04.16 to 31.03.17	01.04.16 to 31.03.17	01.04.17 to 31.03.18	01.04.17 to 31.03.18
2	रिपोर्टिंग मुद्रा	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए
3	शेयर पूंजी	95.10	85.10	0.05	0.05
4	रिजर्व और अधिशेष	(1.01)	(0.52)	(0.89)	(0.02)
5	कुल संपत्ति	103.09	85.92	20.97	33.87
6	कुल देयताएँ	103.09	85.92	20.97	33.87
7	निवेश	0.00	0.00	0.00	0.00
8	कुल बिक्री	0.00	0.00	0.00	0.00
9	कराधान से पहले लाभ	0.00	0.00	(0.01)	(0.01)
10	कराधान के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00
11	कराधान पश्चात लाभ	0.00	0.00	(0.01)	(0.01)
12	प्रस्तावित लाभांश	0.00	0.00	0.00	0.00
13	31.03018 को शेयर होल्डिंग का %	60.00	70.00	100.00	64.00

भाग "ख": सहयोगी और संयुक्त उद्यम

संयुक्त उद्यम से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के अनुसार विवरण

क्रमांक	विवरण	संयुक्त उद्यम का नाम नीलांचल पावर ट्रांसमिशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
1	नवीनतम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट तिथि	-
2	31.03.2018 के अनुसार कंपनी द्वारा आयोजित सहयोगी/संयुक्त उद्यम के शेयर	-
	संख्या	-
	सहयोगी/ संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि	-
	धारिता % का विस्तार	-
3	महत्वपूर्ण प्रभाव कैसे है इसका विवरण	-
4	सहयोगी / संयुक्त उद्यम के समेकित न होने के कारण	संचालन की शुरुआत होने को है
5	नवीनतम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार शेयरधारिता के लिए निवल मूल्य	-
6	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ/हानि	-
	i. समेकन में स्वीकार्य	-
	ii. समेकन में अस्वीकार्य	-

ह/-
(ए. के. सिंह)
कंपनी सचिव

ह/-
(वी.वी.के. राजू)
महाप्रबंधक (वित्त)

ह/-
(के. आर.वासुदेवन)
निदेशक (**वित्त**)
(**डीआईएन**: 07015077)

ह/-
(ए.के. झा)
अध्यक्ष- सह प्रबन्ध निदेशक
(**डीआईएन**: 06645361)

हमारे द्वारा संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते/की ओर से
कृते सिंह रे मिश्रा एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
संस्था पंजी. संख्या : 318121E
ह/-
(सीए जे. के. मिश्रा)
साथी
(**सदस्यता संख्या** 0552796)

स्थान: **सम्बलपुर**
दिनांक: 24.05.2018

<u>अनुलग्नक-VII</u>

प्रारूप संख्या एमजीटी-9

वार्षिक रिटर्न का सार

महानदी कोरिल्ड्स लिमिटेड के 31/03/2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (1) और कंपनियों (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसार]

I.	**पंजीकरण और अन्य विवरण:**		
i)	सीआईएन :	U10102OR1992GOI003038	
ii)	पंजीकरण तिथि:	03/04/1992	
iii)	कंपनी का नाम :	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	
iv)	कंपनी की श्रेणी:	1 सार्वजनिक कंपनी ( )	
		2 निजी कंपनी (√)	
v)	कंपनी की उप श्रेणी:		
	सरकारी कंपनी	(√)	
	छोटी कंपनी	( )	
	एकल व्यक्ति कंपनी	( )	
	विदेशी कंपनी की अनुषंगी कंपनी	( )	
	एनबीएफसी	( )	
	गारंटी कंपनी	( )	
	शेयरों द्वारा सीमित	(√)	
	असीमित कंपनी	( )	
	शेयर पूंजीवाली कंपनी	(√)	
	बिना शेयर पूंजीवाली कंपनी	( )	
	धारा 8 के तहत पंजीकृत कंपनी	( )	
vi)	पता	:	**पोस्ट – जाग्रति विहार, बुर्ला**
	कस्बा/शहर :	:	**संबलपुर**
	राज्य	:	**ओडिशा**
	देश का नाम :	:	**भारत**
	पिन कोड :	:	768020
	फैक्स संख्या :	:	0663-2542977
	ई-मेल पता :	:	cosecymcl@gmail.com
	वेबसाइट	:	<u>www.mahanadicoal.in</u>
vii)	मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एस) पर सूचीबद्ध शेयर		(√) हाँ / नहीं
vii)	रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का नाम, पता और संपर्क विवरण, यदि कोई हो		निरंक

II. कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियां

कंपनी के कुल कारोबार में 10% या उससे अधिक का योगदान करने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों का उल्लेख किया जाएगा: -

क्र.	**मुख्य उत्पाद / सेवाओं का नाम और विवरण**	**उत्पाद / सेवाओं का एनआईसी कोड**	**कंपनी के कुल कारोबार का %**
1	कोयला	051-05101 and 051-05102	100

III. **होल्डिंग, अनुषंगी और सहभागी कंपनियों का विवरण –**

क्र.	कंपनी का नाम एवं पता	सीआईएन/जीएलएन	होल्डिंग / अनुषंगी/सहभागी	शायर धारकों का %	लागू अनुभाग
1	कोल इंडिया लिमिटेड, कोल भवन, प्रिमाइस संख्या -04 प्लॉट सं. एएफ़-III एक्शन एरिया -1ए न्यू टाउन राजारहाट कोलकाता - 700156.	L23109WB1973GOI028844	होल्डिंग	100	Sec-2(87)
2	एमएनएच शक्ति लिमिटेड, आनंद विहार, पो- जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर - 768020. ओड़िशा	U10100OR2008GOI010171	अनुषंगी	70	Sec-2(87)
3	एमजेएसजे कोल लिमिटेड, हाउस नं -42, प्रथम तल, हाकिमपारा, पो. - अंगुल, अंगुल - 75 9153 ओड़िशा	U10200OR2008GOI010250	अनुषंगी	60	Sec-2(87)
4	हानदी बेसिन पावर लिमिटेड, प्लॉट नं. जी-3, गडकान, चंद्रशेखरपुर, भुवनेश्वर - 751017, ओड़िशा	U40102OR2011GOI014589	अनुषंगी	100	Sec-2(87)
5	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड सी/ओ-एमसीएल, कॉरपोरेट कार्यालय, एमडीएफ रूम, पो.- जागृति विहार,बुर्ला, संबलपुर - 768020, ओड़िशा	U60100OR2015GOI019349	अनुषंगी	64	Sec-2(87)
6	नीलांचल पावर ट्रांसमिशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड सी/ओ - ओपीटीसीएल भोई नगर, भुवनेश्वर -751022, ओड़िशा	U40102OR2013PTC016434	सहभागी	50	Sec-2(6)

IV. **शेयर होल्डिंग पैटर्न**

(कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी में गिरावट)

i) श्रेणी-वार शेयर होल्डिंग

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष की शुरुआत में शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान परिवर्तन %
	डिमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयर का %	डिमेट	भौतिक	उल	कुल शेयर का %	
क. प्रवर्तक									
(1) **भारतीय**	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क)व्यक्तिगत/एचयूएफ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) केन्द्रीय सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग) राज्य सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
घ) निकाय कार्पोरेशन	0	1412266	1412266	100	0	70,61,330	70,61,330	100	0
ई) बैंक / वित्तीय संस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0
च) कोई अन्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0
प्रमोटर (क) का कुल शेयरहोल्डिंग	0	1412266	1412266	100	0	70,61,330	70,61,330	100	0
ख) सार्वजनिक शेयरहोल्डिंग									
1. संस्थानों									
क) म्युचुअल फंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) बैंक / वित्तीय संस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग) केन्द्रीय सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
घ) राज्य सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ड़) वेंचर कैपिटल फंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
च) बीमा कंपनियां	0	0	0	0	0	0	0	0	0
छ) एफआईआई	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ज) विदेशी उद्यम पूंजी निधि	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I) अन्य (निर्दिष्ट)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप-कुल (ख) (1): -	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. गैर संस्थान									
क) कार्पोरेशन निकाय									
i) भारतीय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ii) प्रवासी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) व्यक्तिगत									
I) शेयर 1 लाख रु. तक व्यक्तिगत नाममात्र की पूंजी शेयरधारक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ii) शेयर 1 लाख रु. से अधिक व्यक्तिगत नाममात्र की पूंजी शेयरधारक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

उप-कुल (ख) (2): -	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल सार्वजनिक शेयर होल्डिंग (ख) = (ख) (1) + (ख) (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग. जीडीआर और एडीआर के लिए संरक्षक द्वारा रखे शेयर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
महायोग (क+ख +ग)	0	1412266	1412266	100	0	70,61,330	70,61,330	100	0

ii) <u>संस्थापकों की शेयरधारिता</u>

क्र.	शेयर धारक आ नाम	वर्ष के प्रारम्भ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में % परिवर्तन
		शेयर की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का %	कुल शेयरों में के लिए जमा / भार का %	शेयर की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का %	कुल शेयरों में के लिए जमा / भार का %	
1	**कोल इंडिया लिमिटेड**	1412266	100	0	70,61,330	100	0	0

*iii) **प्रमोटर्स के शेयरहोल्डिंग में परिवर्तन***

क्र.	शीर्ष 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए	वर्ष के प्रारम्भ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का %
1	वर्ष के प्रारम्भ में				
	कोल इंडिया लिमिटेड	14,12,266	99.99	14,12,266	99.99
	श्री ए.के. झा	1	0.00001	1	0.00001
	श्री एस. भट्टाचार्य	1	0.00001	1	0.00001
	श्री एस. एन. प्रसाद	1	0.00001	1	0.00001
2	वृद्धि / कमी के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में तिथि-वार वृद्धि / कमी (जैसे आवंटन / स्थानांतरण / बोनस / उद्यम इक्विटी आदि):	0	0	0	0
	कोल इंडिया लिमिटेड(बोनस)	56,49,064	80.00	70,61,330	99.99
3	वर्ष के अंत में (या अलग होने की तिथि पर, यदि वर्ष के दौरान अलग हो)				
	कोल इंडिया लिमिटेड	70,61,330	99.99	70,61,330	99.99
	श्री ए.के. झा	1	0.00001	1	0.00001
	श्री एस. भट्टाचार्य	1	0.00001	1	0.00001
	श्री एस. एन. प्रसाद	1	0.00001	1	0.00001

iv) **शीर्ष दस शेयरधारकों के शेयरधारिता पैटर्न (जीडीआर और एडीआर के निदेशकों, प्रमोटरों, धारकों के अलावा):**

क्र.		वर्ष के प्रारम्भ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का %
1	वर्ष के प्रारम्भ में	0	0	0	0
2	वृद्धि / कमी के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में तिथि-वार वृद्धि / कमी (जैसे आवंटन / स्थानांतरण / बोनस / उद्यम इक्विटी आदि):	0	0	0	0
3	वर्ष के अंत में	0	0	0	0

v) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता:

क्र.		वर्ष के प्रारम्भ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग	
	प्रत्येक निदेशक और केएमपी के लिए	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का %		
1	वर्ष के प्रारम्भ में				
	श्री ए.के. झा	1	0.00001	1	0.00001
2	वृद्धि / कमी के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में तिथि-वार वृद्धि / कमी (जैसे आवंटन / स्थानांतरण / बोनस / उद्यम इक्विटी आदि):	**NIL**			
3	वर्ष के अंत में				
	श्री ए.के. झा	1	0.00001	1	0.00001

V. ऋण

बकाया / अर्जित ब्याज सहित कंपनी की ऋणी, लेकिन भुगतान हेतु बकाया नहीं:

(रु. करोड़ में)

विवरण	जमा के अलावा सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋण
वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ऋणी				
i) मूल राशि	1500.00	706.64	0.00	2206.64
ii) बिना भुगतान का बकाया ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00
iii) अर्जित ब्याज लेकिन बकाया नहीं	0.29	0.00	0.00	0.29
कुल (i+ii+iii)	1500.29	706.64	0.00	2206.93
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणी में बदलाव				
* जोड़ना	0.00	0.45	0.00	0.45
* घटाव	1500.29	700.00	0.00	2200.29
निवल परिवर्तन	(1500.29)	(699.55)	0.00	(2199.84)
वित्तीय वर्ष अंत में ऋणी				
i) मूल राशि	0.00	7.09	0.00	7.09
ii) ब्याज लेकिन बकाया नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00
iii) अर्जित ब्याज लेकिन बकाया नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल (i+ii+iii)	0.00	7.09	0.00	7.09

***VI.* निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक**

क. **प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/या प्रबंधक को पारिश्रमिक:**

क्र.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/या प्रबंधक का नाम						कुल राशि
1	सकल वेतन	श्री ए.के. झा (सीएमडी)	श्री जे. पी. सिंह (डबल्यूटी डी)	श्री के. के. परिडा (डबल्यूटीडी)	श्री एल. एन. मिश्रा (डबल्यूटीडी)	श्री ओ.पी. सिंह (डबल्यूटी डी)	श्री के. आर. वासुदेवन (डबल्यूटी डी)	
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 (रु.) की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (रु.)	35,60,516	47,90,503	4997752	34,45,305	33,24,834	1,72,510	20291420
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के	168301	275490	151370	178799	193165	0	967125

	तहत लाभ का मूल्य (रु.)							
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ (रु.)	0	0	0	0	0	0	0
2	स्टॉक विकल्प (रु.)	0	0	0	0	0	0	0
3	उद्‌यम इक्विटी (रु.)	0	0	0	0	0	0	0
4	छूट - लाभ के % के रूप में - अन्य, निर्दिष्ट करें (रु.)	0	0	0	0	0	0	0
5	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें (रु.)	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (क) (रु.)	3728817	5065993	5149122	3624104	3517999	172510	21258545
	अधिनियम के अनुसार सीमा (रु.)	-	-	-	-	-	-	-

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक:

क्र.	पारिश्रमिक का विवरण	श्री एच.एस. पति	डॉ. राजीव मल्ल	कुल राशि	क्र.
1	स्वतंत्र निदेशकगण				
	बोर्ड कमेटी की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	580000	420000	220000	1220000
	कमीशन	0	0	0	0
	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	0	0	0	0
	कुल (1)	580000	420000	220000	1220000
2	अन्य गैर-कार्यकारी निदेशकगण	0	0	0	0
	बोर्ड कमेटी की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	0	0	0	0
	कमीशन	0	0	0	0
	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	0	0	0	0
	कुल (2)	0	0	0	0
	कुल(B)=(1+2)	580000	420000	220000	1220000
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	0	0	0	0
	अधिनियम के अनुसार कुल अधिकतम सीमा	-	-	-	0

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्ण कालिक निदेशक के अलावा अन्य प्रमुख प्रबंधक को पारिश्रमिक:

Sl. no.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधक कार्मिक	
		कंपनी सचिव	कुल
1	सकल वेतन (रु.)		
	(क) आयकर अधिनियम, 1 9 61 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	30,03,830.70	30,03,830.70
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961की धारा 17(2) के तहत लाभ का मूल्य	1,88,965.00	1,88,965.00
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ का मूल्य	-	-
2	स्टाक ऑप्शन (रु.)	-	-
3	उद्‌यम एक्विटी (रु.)	-	-
4	कमीशन (रु.)		
	- के अनुसार लाभ का %	-	-
	अन्य, निर्दिष्ट करें	-	-
5	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें (रु.)	-	-
	कुल	33,81,760.70	33,81,760.70

VII. जुर्माना/ दंड/ गलतियों को जोड़ना:

प्रकार	**कंपनी अधिनियम की धारा**	**संक्षिप्त विवरण**	**लगाए गए जुर्माना/दंड/ शुल्क का विवरण**	**अधिकार [आरडी/एनसीएलटी /न्यायालय]**	**की गई अपील, यदि कोई है (विवरण दें)**
क. कंपनी					
दंड	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
सज़ा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
कंपाउंडिंग	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
ख. निदेशकगण					
दंड	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
सज़ा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
कंपाउंडिंग	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
ग. अपराध में अन्य अधिकारी					
दंड	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
सज़ा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
कंपाउंडिंग	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

तुलन पत्र
31 मार्च, 2018 के अनुसार

(₹ करोड़ में)

	टिप्पणियॉ	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार पुन: घोषित
<u>परिसंपत्तियाँ</u>			
गैर चालू परिसम्पत्तियॉ			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	4,529.41	3,940.38
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगतिपर	4	2,247.62	1,864.74
(ग) अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां	5	126.95	111.12
(घ) अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियाँ	6	4.83	5.31
(ड.)विकाशाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियाँ		-	-
(च) निवेश सम्पत्ति		-	-
(छ) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) निवेश	7	1,075.41	1,075.41
(ii) ऋण	8	1,000.82	1,201.06
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	876.30	732.24
(ज) आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ (निवल)		-	-
(i) अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ	10	305.00	382.50
कुल गैर चालू परिसम्पत्तियाँ (क)		10,166.34	9,312.76
चालू परिसंपत्तियां			
(क) वस्तु सूची	12	474.76	322.13
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) निवेश	7	-	202.00
(ii) व्यापार प्राप्तियाँ	13	606.86	1,054.44
(iii) नगद एवं नगद समतुल्य	14	204.85	372.36
(iv) अन्य बैंक शेष	15	13,096.76	14,662.95
(v) ऋण	8	0.32	0.32
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	9	745.43	999.28
(ग) वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)		698.66	706.54
(घ) अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	11	1,387.95	1,025.75
कुल चालू परिसम्पत्तियाँ(ख)		17,215.59	19,345.77
कुल परिसंपातियाँ (क+ख)		**27,381.93**	**28,658.53**

तुलन पत्र
31 मार्च, 2018 के अनुसार

(₹ करोड़ में)

	टिप्पणी संख्य	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार पुन: घोषित
इक्विटी एवं देयताएं			
इक्वीटी			
क) इक्वीटी शेयर पूँजी	16	706.13	141.23
ख) अन्य इक्वीटी	17	2,236.99	3,258.28
कंपनी के इक्वीटीधारकों को इक्वीटी का श्रेय		2,943.12	3,399.51
गैर नियंत्रित ब्याज		-	-
कुल इक्वीटी (क)		2,943.12	3,399.51
देयताएं :			
गैर-चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	18	6.50	6.13
(ii) भुगतान योग्य व्यापार		-	-
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	20	45.08	40.19
(ख) प्रावधान	21	17,650.46	16,734.66
(ग) आस्थगित कर दायिताएं(निवल)		247.79	201.82
(घ) अन्य गैर चालू दायिताएँ	22	208.58	176.83
कुल गैर चालू दायिताएं (ख)		18,158.41	17,159.63
चालू दायिताएं :			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	18	-	2,200.00
(ii) भुगतान योग्य व्यापार	19	572.01	403.77
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	20	627.93	510.63
(ख) अन्य चालू दायिताएं	23	3,746.06	3,954.71
(ग) प्रावधान	21	1,334.40	1,030.28
(घ) चालू कर दायिताएं(निवल)			
कुल चालू दायिताएं (ग)		6,280.40	8,099.39
कुल इक्वीटी एवं दायिताएं (क+ख+ग)		**27,381,93**	**28,658.53**

साथ में दी गई टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

उसी दिन हमारे द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुरूप
कृते, सिंह राय मिश्रा एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सख्या:
318121 ई

ह/-	ह/-	ह/-
(ए.के. सिंह)	(वी.वी.के.राजू)	(के.आर. वासुदेवन)
कंपनी सचिव	महाप्रबंधक(वित्त)	निदेशक(वित्त)
		डीआईएन : 07915732

ह/-	ह/-	ह/-
(जे.पी. सिंह)	(ए.के.झा)	(सीए जे.के. मिश्रा)
निदेशक(तक./संचालन)	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	भागीदार
डीआईएन : 06620453	डीआईएन: 06645361	052796

दिनांक : 24.05.2018
स्थान : भुवनेश्वर

लाभ- हानि विवरण

(₹ करोड़ में)

		टिप्पणी सं.	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
	संचालन से राजस्व			
क	विक्रय (निवल उगाही परंतु उत्पाद शुल्क सहित)	24	13,673.32	14,156.95
ख	अन्य संचालन राजस्व(निवल उगाही परंतु उत्पाद शुल्क सहित))		1,008.88	825.03
(I)	**संचालन से राजस्व (क+ख)**		14,682.20	14,981.98
(II)	अन्य लाभ	25	1,214.65	1,486.31
(III)	**कुल लाभ (I+II)**		**15,896.85**	**16,468.29**
(IV)	**खर्च**			
	खपत वस्तुओं की लागत	26	604.56	583.60
	व्यापार में भंडार का क्रय			
	तैयार अच्छे माल/कार्य प्रगति पर एवं व्यापार में भंडार की वस्तु सूची में बदलाव	27	(188.54)	97.52
	उत्पाद शुल्क		230.50	1,005.06
	कार्मिक हितलाभ पर व्यय	28	3,002.93	2,369.22
	बिजली पर व्यय		130.58	124.69
	कार्पोरेट सामाजिक दायित्व पर व्यय	29	267.52	166.60
	मरम्मत	30	129.33	118.57
	संविदात्मक व्यय	31	2,480.64	2,286.94
	वित्तीय लागत	32	73.26	55.00
	मूल्यह्रास / परिशोधन / हानि पर व्यय		371.34	348.44
	प्रावधान	33	(194.09)	442.33
	बट्टे खाते डालना	34	-	-
	अन्य व्यय	35	648.51	681.35
	OBR			
	स्ट्रीपिंग गतिविधि समायोजन		1,000.65	1,313.29
	कुल व्यय (IV)		**8,557.19**	**9,592.61**
(V)	**अपवादात्मक मदें एवं कर पूर्व लाभ (III-IV)**		**7,339.66**	**6,875.68**
(VI)	अपवादात्मक मदें			
(VII)	**कर पूर्व लाभ (V-VI)**		**7,339.66**	**6,875.68**
(VIII)	कर संबंधी व्यय	36	2,578.37	2,362.71
(IX)	**संचालन जारी रखने की अवधि पर लाभ (VII-VIII)**		**4,761.29**	**4,512.97**

लाभ- हानि विवरण

(₹ करोड़ में)

		टिप्पणी सं.	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार पुन: घोषित
(X)	संचालन बंद होने से लाभ/(हानि)			
(XI)	संचालन बंद होने पर ब्याज व्यय			-
(XII)	संचालन बंद होने से लाभ/(हानि) (कर पश्चात) (X-XI)			
(XIII)	संयुक्त उद्यम /एसोसियेट्स के शेयर से लाभ/(हानि)			-
(XIV)	**वर्ष के लिए लाभ (IX+XII+XIII)**		**4,761.29**	**4,512.97**
	अन्य वृहद आय	37		
	क. (i) ऐसे आइटम जो लाभ या हानि के लिए पुन:		27.34	(1.40)
	(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		9.46	(0.48)
	ख. (i) आइटम जो लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत किए जाएंगे			-
	(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत किया जाएगा			-
(XV)	**कुल अन्य वृहद लाभ**		**17.88**	**(0.92)**
(XVI)	**वर्ष के लिए कुल वृहद आय (XIV+XV) वर्ष के लिए लाभ(हानि) एवं अन्य वृहद लाभ सहित)**		**4,779.17**	**4,512.05**
	लाभ का श्रेय :			
	कंपनी के मालिक		**4,761.29**	**4,512.97**
	गैर नियंत्रित ब्याज			
			4,761.29	**4,512.97**
	अन्य वृहद आय का श्रेय :			
	कंपनी का मालिक		**17.88**	**(0.92)**
	गैर नियंत्रित ब्याज			
			17.88	**(0.92)**
	कुल वृहद लाभ का श्रेय :			
	कंपनी के मालिक		**4,779.17**	**4,512.05**
	गैर नियंत्रित ब्याज		-	-
			4,779.17	**4,512.05**
(XVII)	**प्रति इक्वीटी शेयर आय(संचालन जारी रखने हेतु):**			
	(1) मूल		**32,419.32**	**24,400.58**
	(2) डायल्यूटेड		**32,419.32**	**24,400.58**
(XVIII)	**प्रति इक्वीटी शेयर आय(संचालन बंद करने हेतु):**			
	(1) मूल		-	-
	(2) डायल्यूटेड		-	-
(XIX)	**प्रति इक्वीटी शेयर आय(संचालन जारी रखने एवं बंद करने हेतु):**			
	(1) मूल		**32,419.32**	**24,400.58**
	(2) डायल्यूटेड		**32,419.32**	**24,400.58**

साथ में दी गई टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

उसी दिन हमारे द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुरूप

(ए.के. सिंह) — कंपनी सचिव

(वी.वी.के.राजू) — महाप्रबंधक(वित्त)

(के.आर.वासुदेवन) — निदेशक(वित्त) — डीआइएन : 07915732

फर्म पंजीकरण संख्या: 318121 इ

(जे.पी.सिंह) — निदेशक(तक./संचालन) — डीआईएन: 06620453

(ए.के.झा) — अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक — डीआईएन: 06645361

(सीए जे.के. मिश्रा) — भागीदार — सदस्य संख्या - 052796

दिनांक : 24.05.2018

स्थान : भुवनेश्वर

31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में बदलाव का विवरण

(₹ करोड़ में)

क. इक्विटी शेयर पूँजी

विवरण	01.04.2016 को बकाया के अनुसार	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	01.04.2017 को बकाया के अनुसार	01.04.2017 को बकाया के अनुसार	वर्ष दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	31.03.2018 के अनुसार बकाया
नकदी में पूरी तरह से चुकाए जानेवाले प्रत्येक रु.1000 के 1412266 इक्विटी शेयर	186.40	(45.17)	141.23	141.23	564.90	706.13

ख . अन्य इक्विटी

	अन्य रिजर्व		सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	अन्य व्यापक आय	कुल
	कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व	कैपिटल रिजर्व				
01.04.2016 के अनुसार शेष	204.18	-	3,470.32	590.19	11.99	4,276.68
लेखांकन नीति में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-
पूर्व अवधि त्रुटियां	-	-	-	(6.83)	-	(6.83)
01.04.2016 को पुन: घोषित बकाया	204.18		3,470.32	583.36	11.99	4,269.85
वर्ष के दौरान योग	**45.17**		-	-	-	45.17
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	(1,617.06)	-	-	(1,617.06)
वर्ष के दौरान लाभ	-	-	-	4,512.97	-	4,512.97
वर्ष के दौरान अन्य वृहद आय	-	-	-	-	(0.92)	(0.92)
विनियोग	-	-	-	-	-	-
सामान्य रिजर्व को/से अंतरण	-	-	224.55	(224.55)	-	-
अन्य रिजर्व को/से अंतरण	-	-	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	(2,982.00)	-	(2,982.00)
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
कार्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	(607.06)	-	(607.06)
बाईबैक वितरण कर	-	-	-	(362.67)	-	(362.67)
31.03.2017 के अनुसार शेष	**249.35**	-	**2,077.81**	**920.05**	**11.07**	**3,258.28**
01.04.2017 के अनुसार शेष	**249.35**	-	**2,077.81**	**920.05**	**11.07**	**3,258.28**
वर्ष के दौरान योग	-	-	-	-	-	-
वर्ष क दौरान समायोजन	(249.35)	-	(315.55)	-	-	(564.90)
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटियां	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान लाभ	-	-	-	4,761.29		4,761.29
वर्ष के दौरान अन्य वृहत आय	-	-	-	-	17.88	17.88
विनियोग						
अन्य रिजर्व से/को अंतरण	-	-	-	-	-	-
अन्य रिजर्व से/को अंतरण	-	-	238.06	(238.06)	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	(4,350.00)	-	(4,350.00)
कार्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	-	-
प्री-कॉपरेटिव व्यय का समायोजन	-	-	-	(885.56)	-	(885.56)
बाई बैक डिस्ट्रिब्यूशन टैक्स	-	-	-	-	-	-
31.03.2018 के अनुसार शेष	**0.00**	-	**2,000.32**	**207.72**	**28.95**	**2,236.99**

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

टिप्पणी : 1 कॉर्पोरेट जानकारी

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, एक मिनी रत्न कंपनी है, जिसका मुख्यालय संबलपुर ओड़िशा में स्थित है, जिसे 3 अप्रैल 1992 को कोल इंडिया लिमिटेड की 100% सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया गया था जिसमें ओड़िशा राज्य में स्थित खानों में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की संपत्ति एवं देयताएं शामिल थी।

कंपनी मुख्य रूप से कोयले के खनन और उत्पादन में लगी हुई है। कंपनी के प्रमुख उपभोक्ता बिजली और इस्पात क्षेत्र हैं अन्य क्षेत्रों के उपभोक्ताओं में सीमेंट, उर्वरक,ईंट-भट्ठे आदि शामिल हैं।

ओड़िशा में एमसीएल की 4 सहायक और एक संयुक्त उपक्रम कंपनी है। सभी सहायक कंपनियां विकास के चरण में है। समूह संरचना की जानकारी टिप्पणी संख्या 38 में वर्णित है।

टिप्पणी 2: महत्पूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 **वित्तीय विवरण की तैयारी का आधार**

कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार, कंपनी का वित्तीय विवरण तैयार किया गया है।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के साथ ही सभी वर्षों तक एमसीएल ने (बाद में जिसे कंपनी कहा गया) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित लेखांकन मानक(ए.एस,) कंपनी लेखा नियमावली, 2014 के पैराग्राफ 7 तथा कंपनी (लेखांकन मानक), नियमावली, 2006 के अनुसार अपने वित्तीय विवरणों को तैयार किया है।

मापन को ऐतिहासिक लागत के आधार पर वित्तीय विवरणों के अनुसार तैयार किया गया है, सिवाय इसके कि

- उचित वित्तीय संपत्ति और देयताओं को उचित मूल्य पर मापा जाता है (अनुच्छेद 2.15 मैं वित्तीय साधनों पर लेखांकन नीति देखें)
- परिभाषित लाभ योजना को संपत्ति योजना के उचित मूल्य पर मापा जाता है।
- वस्तु सूची पर लागत या एनआरवी इनमें से जो भी कम हो (अनुच्छेद 2.11 में वर्णित लेखांकन नीति का अवलोकन करे)।

2.1.1 पूर्ण अंकों में राशि

इन वित्तीय विवरणों में राशि जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक करोड़ रुपए दो दशमलव अंको तक राउंड किए जाएंगे।

2.2 समेकन के आधार

2.2.1 अनुषंगियाँ -

सहायक कंपनियां वे संस्थाएं हैं जिन पर कंपनी का नियंत्रण है। कंपनी एक इकाई पर नियंत्रण करती है, जब कंपनी को इकाई के साथ अपनी भागीदारी से परिवर्तनीय लाभ हो या इनका अधिकार हो तथा इकाई के संबंध में गतिविधियों को निर्देशित करने के लिए अपनी शक्ति के माध्यम से उन लोगों को प्रभावित करने की क्षमता हो, तब कंपनी को नियंत्रित कर स्थानांतरित किया जाता है उस तारीख से सहायक कंपनियां पूरी तरह से समेकित की जाती है। जब नियंत्रण समाप्त हो जाता है तो उस तारीख से उनको हटा दिया जाता है।

कंपनी द्वारा व्यापारिक संयोजन के लिए लेखांकन के अधिग्रहण विधि का उपयोग किया जाता है।

कंपनी संपत्ति देनदारियों, इक्विटी, नकदी प्रवाह आय एवं व्यय की वस्तुओं को शामिल करने के उपरांत मुख्य एवं उसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण को जोड़ती है। अंतर कंपनी लेनदेन कंपनियों के बीच शेष एवं अवास्तविक लाभ का निषेध करती हैं। कंपनियों के बीच अवास्तविक नुकसान को भी निकाल दिया जाता है, जब तक कि लेनदेन परिसंपातियों की हानि का सबूत नहीं मिलता है। एमसीएल में समेकित सभी कंपनियाँ आम तौर पर नीतियों का उपयोग करती है जैसे कि एमसीएल द्वारा किए गए लेनदेन तथा समान परिस्थितियों में घटनाओं के लिए संकलित किया गया है। एमसीएल के समेकित एक विशेष सहायक कंपनी के महत्वपूर्ण विचलन के मामलों में एमसीएल के समेकित लेखांकन नीतियों के अनुरूप होने के लिए इस तरह के एक सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण का उचित समायोजन किया जाता है।

सहायक कंपनियों के परिणामों और इक्विटी में गैर-नियंत्रित हित, इक्विटी में बदलाव का समेकित विवरण एवं तुलन पत्र को अलग से लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया गया है।

2.2.2 सहायिकाएँ -

सहायक कंपनियां वे संस्थाएं हैं जिन पर कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव है लेकिन कोई नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं है। यह आमतौर पर ऐसा मामला है जहां कंपनी 20% से 50% के बीच मतदान अधिकार रखती है।

सहयोगियों में निवेश का लेखांकन, लेखांकन की एक्विटी पद्धति के द्वारा किया जाता है, प्रारम्भ में इसे लागत के रूप में माना जाता है सिवाय तब जब निवेश या उसका कोई भाग विक्रय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है इस मामले में भारतीय लेखांकन मानक 105 के आधार पर लेखांकन किया जाता है।

कंपनी उद्देश्यपूर्ण साक्ष्य के आधार पर सहयोगियो में अपने शुद्ध निवेश को कम करती है।

2.2.3 संयुक्त व्यवस्था:

संयुक्त व्यवस्था वह व्यवस्था है जहां कंपनी एक या एक से अधिक अन्य पार्टियों के साथ संयुक्त नियंत्रण करती है।

संयुक्त नियंत्रण अनुबंध की सहमति से सहमत होने की वह व्यवस्था है ,जहां प्रसांगिक गतिविधियों से संबंधित फैसले को साझा करने के लिए पार्टियों के सर्वसम्मत संकल्प की आवश्यकता होती है।

संयुक्त व्यवस्था को संयुक्त अभियान या संयुक्त उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकरण संयुक्त व्यवस्था के कानूनी ढांचे के बजाए प्रत्येक निवेशक के अनुबंध के अधिकारों और दायित्व पर निर्भर करता है।

2.2.3.1 संयुक्त संचालन

संयुक्त संचालन वह संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत कंपनी को संपत्ति से संबंधित देनदारियों के लिए परिसंपत्तियों और दायित्वों के अधिकार मिले हैं। कंपनी परिसंपत्तियों ,देनदारियों, राजस्व और संयुक्त संचालन के खर्चो और उसके किसी भी संयुक्त रुप में आयोजित किए गए परिसंपत्तियों, देनदारियों ,राजस्व और व्ययों पर अपना प्रत्यक्ष अधिकार रखती है इसे उचित शीर्षकों के तहत वित्तीय वक्तव्य में शामिल किया गया हैं।

2.2.3.2 संयुक्त उद्यम

संयुक्त उद्यम वे संयुक्त व्यवस्थाएं हैं जिसमें कंपनी को शुद्ध परिसंपत्ति व्यवस्था के अधिकार प्राप्त हैं।

समेकित तुलनपत्र में लागत को उचित मूल्य पर पहचाने जाने के उपरांत संयुक्त उद्यम में ब्याज इक्विटी पद्धति के उपयोग करने हेतु जवाबदेह है।

संयुक्त उद्यमों में निवेश का लेखांकन, लेखांकन की एक्विटी पद्धति के द्वारा किया जाता है, प्रारम्भ में इसे लागत के रूप में माना जाता है सिवाय तब जब निवेश या उसका कोई भाग विक्रय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है इस मामले में भारतीय लेखांकन मानक 105 के आधार पर लेखांकन किया जाता है।

कंपनी उद्देश्य के साक्ष्य के आधार पर संयुक्त उद्यम में अपने शुद्ध निवेश को ह्रास करती है।

2.2.4 इक्विटी पद्धति -

लेखांकन की इक्विटी पद्धति के तहत निवेश को शुरुआती लागत पर मान्यता प्राप्त है, इसके बाद कंपनी के शेयरों के अधिग्रहण के लाभ व हानि में निवेशक के नुकसान को पहचानने के लिए तथा कंपनी शेयरों के अन्य व्यापक आय में निवेशक के अन्य व्यापक आय को पहचानने के लिए उसका समायोजन किया जाता है। सहयोगियों और संयुक्त उद्यम से प्राप्त या प्राप्त होने वाली लाभांश को निवेश की मात्रा में कमी के रूप में लिया जाता है।

जब कंपनी के इक्विटी शेयर के निवेश में कोई नुकसान किसी अन्य असुरक्षित दीर्घकालिक प्राप्य सहित इकाई के हितों के बराबर या उसकी रुचि से अधिक हो जाता है, तो कंपनी अधिक नुकसान की पहचान तब तक नहीं करती, जब तक की अन्य इकाई की तरफ से कार्य या भुगतान न किया गया हो।

कंपनी और उसके सहयोगियों एवं संयुक्त उपक्रम के बीच लेन-देन के फायदे इन संस्थाओं में कंपनी के हित की सीमा तक समाप्त हो जाते हैं। अनावृत नुकसान भी समाप्त हो जाते हैं जब तक कि अपनाई गई लेनदेन की नीतियों में संपत्ति की हानि का सबूत नहीं मिलता, कंपनी द्वारा अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए जहां आवश्यक हो वहां निवेशक को ध्यान में रखते हुए इक्विटी की लेखांकन नीतियों में बदलाव किया जाता है।

2.2.5 स्वामित्व के हितों में बदलाव -

कंपनी गैर-नियंत्रण हितों के साथ लेनदेन का व्यवहार करती है जिसके परिणामस्वरूप कंपनी के इक्विटी स्वामित्वों के साथ लेनदेन के नियंत्रण में कमी नहीं होती। स्वामित्व के हित में परिवर्तन अनुषंगियों में उनके संबंधित प्रभाव को दर्शाने हेतु नियंत्रित और गैर-नियंत्रित हितों की वहन राशि के बीच एक समायोजन है। गैर-नियंत्रित हितों की राशि में एवं किसी भुगतान या प्राप्त किए गए उचित मूल्य में किसी भी प्रकार के अंतर को इक्विटी के भीतर स्वीकार किया जाएगा।

जब कंपनी नियंत्रण, संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव के नुकसान के कारण एक निवेश हेतु समेकित या इक्विटी खाते को समाप्त करती है तो किसी भी इक्विटी में बनाए गए हित लाभ व हानि में स्वीकार किए गए वर्तमान राशि में बदलाव सहित उसके उचित मूल्य पर पुनः मापे जाते हैं। यह उचित मूल्य सहयोगी कंपनी ,संयुक्त उद्यम व वित्तीय संपत्ति के बनाए गए हित के रूप में लेखांकन प्रयोजन हेतु वर्तमान राशि होंगे।

इसके अलावा उस इकाई के संबंध में अन्य व्यापक आय में पहले से स्वीकृत राशि का विवरण दिया जाता है जैसे कि कंपनी में संबंधित संपत्ति या देनदारियों का सीधे निपटारा किया गया है। इसका मतलब यह हो सकता है कि अन्य व्यापक व्यय में पहले से स्वीकृत राशियों का लाभ व हानि के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है। यदि संयुक्त उद्यम व सहयोगी कंपनी में स्वामित्व हित कम है परंतु संयुक्त नियंत्रण व महत्वपूर्ण प्रभाव बने हुए हैं तो केवल अन्य व्यापक व्यय में पहले से स्वीकृत राशि का समानुपात शेयर हानि व लाभ में जहां आवश्यक हो वर्गीकृत किया जाएगा।

2.3 वर्तमान एवं गैर-वर्तमान वर्गीकरण

कंपनी के वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर तुलनपत्र में संपत्ति एवं देनदारियों को प्रस्तुत किया जाता है। कंपनी द्वारा एक परिसंपत्ति को वर्तमान लागत के रूप में तब माना जाता है, जब:

क. अपने सामान्य संचालन चक्र में यह अपेक्षित है कि संपत्ति स्वीकार की जाये व बेची या उपभोग की जाये।

ख. सबसे पहले संपत्ति की देयताओं को व्यापार हेतु बनाए रखना अपेक्षित होगा।

ग. रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के भीतर परिसंपत्तियों की पहचान की गई हो।

घ. परिसंपत्ति नगद या नगद समकक्ष (जैसा कि भारतीय लेखांकन मानक 7 में परिभाषित है) जब तक संपत्ति का आदान-प्रदान प्रतिबंधित किया जाता है या रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 माह के लिए देयताओं को व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किया जाता है तब अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर वर्तमान रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

कंपनी द्वारा देयताओं को वर्तमान में स्वीकार किया जाएगा, जब:

क. अपने सामान्य संचालन चक्र में अपेक्षित देयताएं स्थापित की गई हो।

ख. सबसे पहले देयताओं को व्यवसाय हेतु बनाए रखना अपेक्षित होगा।

ग. रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के भीतर देयताओं का निपटारा किया जाएगा।

घ. रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 माह के लिए देयताओं के निपटान को स्थगित करने के लिए सशर्त अधिकार नहीं होंगे। देयता की शर्तें जो कि काउंटर पार्टी के विकल्प पर हो

सकती है, जिसके परिणामस्वरुप इक्विटी के जारी करने के मुद्दों के निपटारे का परिणाम इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करता है।

अन्य सभी देयताएं गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत है।

2.4 राजस्व मान्यता-

2.4.1 वस्तु की बिक्री से प्राप्त राजस्व:

वस्तु बिक्री से प्राप्त राजस्व निम्नलिखित शर्तों के पूरा होने पर स्वीकार किया जाएगा।

क. कंपनी ने विक्रेता को वस्तुओं के स्वामित्व, जोखिम एवं पुरस्कार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है।

ख. कंपनी के स्वामित्व के संबंध में वस्तुओं की बिक्री पर प्रबंधकीय भागीदारी एवं प्रभावी नियंत्रण नहीं रहेगा।

ग. राजस्व राशि विश्वसनीय तरीके से मापी जा सकती है।

घ. यह संभव है कि लेन-देन से जुड़े आर्थिक लाभ सीधे कंपनी को प्रदान किया जाएगा।

ङ. लेन-देन के संबंध में किए गए या खर्च किए जाने की लागत को विश्वसनीय तरीके से मापा जा सकता है।

सरकार/अन्य वैधानिक निकायों की तरफ से एकत्र किए गए करों, लेवी या शुल्क को छोड़कर अनुबंधित रूप से परिभाषित भुगतान के शर्तों को ध्यान में लेते हुए प्राप्य उचित मूल्य पर राजस्व को मापती है।

जब तक राजस्व मान्यता हेतु उपरोक्त शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है तब तक ग्राहकों से प्राप्त अग्रिमों को ग्राहक की जमा राशि के रूप में सूचित किया जाएगा।

हालांकि, भारत के लेखा परीक्षक संस्थान द्वारा जारी भारतीय लेखांकन मानक 18 पर शिक्षात्मक सामग्री के आधार पर कंपनी ने यह मान लिया है कि उत्पाद शुल्क की वसूली कंपनी अपनी जिम्मेदारी पर करेगी। यही कारण है कि यह उत्पादक की देयता है, जो उत्पाद लागत का हिस्सा है, चाहे वस्तु बेचे गए हों या नहीं।

चूंकि कंपनी के लिए प्रवाहित उत्पाद शुल्क की वसूली कंपनी अपने लेखा, सकाल राजस्व में उत्पाद शुल्क को शामिल करती है।

हालांकि, कंपनी द्वारा अन्य कर लेवी व शुल्क को प्राप्त नहीं किया गया है तथा उसे शुद्ध राजस्व में शामिल नहीं किया गया है।

2.4.2 **ब्याज**

प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए ब्याज आय स्वीकार की जाती है।

2.4.3 **लाभांश**

जब भुगतान प्राप्ति के अधिकार स्थापित किए जाएंगे तब निवेश से लाभांश आय स्वीकार की जाएगी।

2.4.4 अन्य दावे:

जब प्राप्ति की निश्चितता होती है और विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है तब अन्य दावे (ग्राहकों से देरी से प्राप्त होने पर ब्याज सहित) इसके लिए जवाबदेही होंगे।

2.4.5 सेवाओं का प्रतिपादन:

जब सेवाओं के प्रतिपादन में शामिल लेन-देन का परिणाम विश्वसनीय रूप से अनुमानित किया जाता है तो लेनदेन के पूरा होने के संदर्भ में संबंधित राजस्व को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लेनदेन के रूप में स्वीकार किया जाता है। जब निम्नलिखित सभी शर्तें पूर्ण हो तों लेनदेन का आकलन विश्वसनीय तरीके से किया जा सकता है।

क. राजस्व राशि विश्वसनीय रूप से मापी जायेगी।

ख. यह संभव है कि लेनदेन से जुड़ी आर्थिक लाभ सीधे कंपनी को जाए।

ग. रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लेन-देन पूर्ण होने के चरण को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

घ. लेने-देन हेतु खर्च लागत तथा लेन-देन को पूरा करने की लागत विश्वसनीय रूप से मापी जाएगी।

2.5 सरकार से अनुदान -

सरकारी अनुदान तब तक स्वीकार नहीं किये जाएंगे जब तक कि उचित आश्वासन न हो की कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करेगी और यह निश्चित अनुदान प्राप्त करेगी।

सरकारी अनुदान को लाभ और हानि के विवरणों से व्यवस्थित आधार पर मान्यता प्राप्त है जिसके लिए कंपनी को संबंधित लागतों का खर्च अनुदान की क्षतिपूर्ति के आधार पर प्रदान की जाएगी।

स्थगित आय के रूप में अनुदान की स्थापना के द्वारा सरकारी अनुदान/परिसंपत्तियों से संबंधित सहयोग को तुलनपत्र में दर्शाया गया है तथा परिसंपत्ति के उपयोग के व्यवस्थित आधार पर लाभ व हानि के विवरण को स्वीकार किया जाता है।

आय से संबंधित अनुदान शीर्ष, अन्य आय के अंतर्गत लाभ व हानि को विवरण के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

एक सरकारी अनुदान जो पहले से किए गए खर्चों या हानियों हेतु मुआवजे के रुप में या भविष्य में संबंधित लागतों के बिना कंपनी को तत्काल वित्तीय सहायता देने हेतु उपलब्ध है, जिसमें उस अवधि के लाभ या हानि के रूप में इसे स्वीकार किया गया है।

सरकारी अनुदान या प्रमोटरों का योगदान जिसे सीधे तौर पर ''पूंजीगत रिजर्व'' से मान्यता प्राप्त है, जो कि ''शेयरधारक निधि'' का अहम हिस्सा है।

2.6 पट्टे

वित्त पट्टा एक पट्टा है जो मूलत: परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए आकस्मिक रुप से सभी जोखिमों और पुरस्कारों को हस्तांतरित करता है। शीर्षक का स्थानांतरण किया भी जा सकता है अथवा नहीं भी।

प्रचालन पट्टा एक पट्टा होने के अतिरिक्त एक वित्त पट्टा भी है।

2.6.1 कंपनी एक पट्टेदार के रूप में :

पट्टे को आरंभिक रूप में वित्त पट्टे या प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.6.1.1 पट्टे के प्रारंभ में **वित्त पट्टों** को शुरुआती समय में पट्टे पर संपत्ति के उचित मूल्य या, यदि निम्न, न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है। पट्टे का भुगतान वित्त प्रभारों तथा कमी की देयता के बीच विभाजित किया जाता है ताकि शेष राशि की देयता पर स्थाई दर प्राप्त हो सके।

लाभ और हानि के विवरणानुसार वित्त प्रभार को लागत द्वारा मान्यता प्राप्त है, जब तक कि वे प्रत्यक्ष रुप से योग्य परिसंपत्तियां नहीं खरीदते हैं, इस मामले में वह उधार लेनदेन की लागत पर कंपनी की सामान्य नीति के अनुसार पूंजीकृत किए जाते हैं।

संपत्ति के उचित उपयोग को पट्टे युक्त परिसंपत्ति क्षीण करती है। तथापि यदि कोई उचित निश्चितता नहीं है कि कंपनी पट्टा अवधि के अंत तक स्वामित्व प्राप्त करेगी, परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोग तथा पट्टे की अवधि को संपत्ति क्षीण करती है।

2.6.1.2 **परिचालित पट्टे:**

परिचालित पट्टे के अंतर्गत पट्टे का भुगतान पट्टे अवधि के दौरान प्रत्यक्ष रूप में किए गए व्यय के आधार पर पहचाना जाता है जब कि :

क. अन्य व्यवस्थित आधार उपयोगकर्ताओं के लाभ के समय के स्वरूप का प्रतिनिधि करता है भले ही कम भुगतानकर्ताओं का भुगतान उस आधार पर ना किया गया हो या,

ख. पट्टादाता के अपेक्षित मुद्रा स्थिति की लागत में रियायत प्राप्त होने के लिए अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के पट्टादाता को किए गए भुगतान के रूप में संचारित किया गया है। यदि पट्टादाता को किए गए भुगतान सामान्य मुद्रास्फीति से भिन्न हो तो, यह शर्त नहीं मानी जाएगी।

2.6.2 **पट्टेदाता के रुप में कंपनी:**

परिचालन पट्टा: परिचालन पट्टा (सेवा राशि यथा बीमा पट्टा तथा रख-रखाव को छोड़कर) से आय पट्टा को आय के रूप में पहचाना जाता है जो सीधे तौर पर परिपाटी के पट्टा शर्तों पर अवलंबित रहती है, जिसमें

क) एक और व्यवस्थित आधार उपयोगकर्ता के लाभ के समय पैटर्न का अधिक प्रतिनिधि है, भले ही पाठकों को भुगतान उस आधार पर न हो;

ख) इसका भुगतान इस रूप में संरचित होता है कि सामान्य अवमूल्यन की स्थिति में भी अनुमानित प्रतिपूरक लागत का अवमूल्यन मूल्य बिना व्यवधान के समायोजित होता है। यदि पट्टा का भुगतान अवमूल्यन की तुलना में काफी प्रतिपूरक रहता है तो इस स्थिति में यह व्ययित नहीं होता है।

समझौता तथा परिचालन पट्टा में किया गया प्रारंभिक व्यय को सीधे पट्टा संपत्ति के साथ शेष राशि को भी जोड़ दिया जाता है जैसा कि पट्टा आय के रूप में प्रारंभिक पट्टा के शर्तों के अनुरूप जिसे निष्पादित किया गया था।

वित्तीय पट्टा के अंतर्गत बकाया राशि को उस रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है जिसमें कंपनी के पट्टे में सीधे निवेश की गई प्राप्ति के साथ उसे जोड़ दिया जाता है। वित्तीय पट्टा आय को लेखा के गणना की अवधि में दर्ज किया जाता है जिसमें पट्टा के अतिरिक्त बकाया निवेश को निरंतर आवृत्तिमूलक रुप में दर्शाया जाता है।

2.7 बिक्री हेतु गैर चालू संपत्ति

यदि इनकी कुल राशि निरंतर उपयोग के बजाय बिक्री के माध्यम से पुनर्प्राप्त की गई हो, तो कंपनी गैर चालू संपत्तियों को वर्गीकृत एवं बिक्री हेतु उसे आयोजित करती है। विक्रय को पूरा करने के लिए आवश्यक क्रियाओं में, बिक्री में महत्वपूर्ण बदलावों की संभावना न होने एवं बिक्री हेतु वापस लिए गए निर्णय का संकेत होना चाहिए। प्रबन्धन वर्गीकरण की तिथि से 1 वर्ष के भीतर अपेक्षित विक्रय करने हेतु प्रतिबद्ध है।

जब विनिमय में वाणिज्यिक सार होता है तब इन उद्देश्यों के लिए, बिक्री लेनदेन में अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों के लिए गैर-चालू परिसंपत्तियों के आदान-प्रदान को भी शामिल किया जाता है। विक्रय वर्गीकरण के लिए आयोजित मानदंडों को केवल तब तक ही माना जाता है जब तक कि परिसंपत्तियां या निपटान समूह अपने वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध होते हो, केवल ऐसी शर्तों के लिए जो ऐसी संपत्ति (या निपटान समूहों) की बिक्री के लिए सामान्य और प्रथागत है इसकी बिक्री की अत्यधिक संभावना है और इसे वास्तव में बेचा जाएगा पर उसका त्याग नहीं किया जाएगा। संपत्ति या निष्पादन समूह वर्तमान स्थिति के अनुसार इसे निष्पादित करने के लिए सक्षम हो सकेगा, जब

- समुचित प्रबंधन स्तर से निष्पादित समूह को बिक्री के लिए यथोचित योजना तैयार करना अपेक्षित हो।
- क्रेता खोज के लिए प्रभावी कदम उठाना तथा संपूर्ण योजना को निष्पादित करना अपेक्षित हो।
- संपत्ति (निष्पादन समूह) के विक्रय मूल्य के लिए सटिक कदम उठाए जा रहे हैं जिसे चालू कीमत के अनुरूप इसका व्यवहारिक मूल्य को आकलित किया जाना अपेक्षित हो।
- यह विक्रय वर्गीकरण की तिथि से 1 वर्ष के अंदर अनुमानत: तैयार कर ली जाएगी तथा
- इस योजना से संबंधित सभी यथोचित योजना जिसमें कतिपय कुछ संशोधन व सुधार आवश्यक हो उसकी भी समीक्षा कर तैयार करना अपेक्षित होगा ताकि जरूरत पड़ने पर इस योजना को निरस्त भी किया जा सके।

2.8 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण:-

जमीन की खरीदी ऐतिहासिक लागत पर की जाती है। इस ऐतिहासिक लागत में भूमि अधिग्रहण से जुड़े खर्च, पुनर्वास खर्च, पुन:स्थापन लागत तथा संबंधित विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार के बदले दिए गए मुआवजे आदि शामिल हैं।

मान्यता के बाद, अन्य सभी परिसंपत्तियों, संयंत्रों और उपकरणों की मद को कम लागत पर किसी भी संचित मूल्यह्रास और लागत मॉडल के तहत किसी भी संचित हानि के नुकसान पर ले जाया जाता है। किसी भी संपत्ति की कीमत, संयंत्र तथा उसके उपकरण में निम्नलिखित तथ्यों का होना वांछित है।

क) व्यापार छूट में मिले कटौती के बाद इनका क्रय मूल्य जिसमें निर्यात शुल्क तथा गैर-वापसी क्रय शुल्क शामिल हो।

ख) स्थान तक संपत्ति को लाने के लिए किसी भी प्रत्यक्ष व्यय/सामयिक व्यय तथा प्रबंधन द्वारा क्षमतानुसार परिचालन के लिए उठाया गया अत्यावश्यक कदम।

ग) सामग्री के परिवर्धन तथा हटाये जाने हेतु प्रारंभिक अनुमानित खर्च तथा समेकित स्थान तक इसे पहुँचाने के लिए व इसके व्यवहार के लिए जिसे कंपनी ने उस स्थिति में खर्च किया है जब इस सामग्री को उसने अपने आधिपत्य में रखा हो या एक निर्धारित अवधि के अन्तर्गत उसका व्यवहार किया गया हो, जिसके लिए उसने अपना निवेश किया था।

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण में खर्च किए गए प्रत्येक अंश को कुल लागत के अनुसार विखंडित कर साफ-साफ दर्शाया जाना अपेक्षित है। हालांकि, पीपीई के मद के महत्वपूर्ण भाग (एस) में एक ही

उपयोगी जीवन और अवमूल्यन विधि है, जो मूल्यह्रास शुल्क निर्धारित करने के लिए एक साथ समूहबद्ध होती है।

'मरम्मत और रखरखाव' के लिए वर्णित दिन-प्रतिदिन की सेवा की लागत को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, जिसमें समान खर्च होता है।
संपत्ति, संयंत्र और उसके उपकरण का कुल मूल्य बदले जाने वाले उपष्करण के यथोचित पाठ की राशि के मूल्य के समतुल्य होगा, जिससे यह लाभ होगा कि इस उपष्करण की राशि भविष्य में भी वित्तीय लाभ प्रदान करेगी जो कि कंपनी के लिए लाभकारी होगा एवं इसका मूल्य आवृत्ति के रूप में भी आकलित किया जाएगा। इस उपष्करण के मूल्य को उसके स्थान पर परिवर्तित किया जाएगा, जिससे निम्नलिखित विक्रेद्रीकरण नीति के अनुरूप विकेंद्रित करना अपेक्षित होगा।
जब वृहद स्तर पर निरीक्षण किया जाएगा तो इसके मूल्य को निर्देशित किया जाएगा, जो इस संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में परिवर्तित हो चुका था और इस तारतम्य में भविष्य के लाभांश के साथ कंपनी के उपयोग के लिए भी लाया जाएगा तथा इन सामग्रियों का मूल्य सटीक रूप से आकलित किया जायेगा। विगत जांच के लागत की शेष वहन राशि (भौतिक भाग के रूप में चिन्हित) अस्वीकृत की जाएगी।
संपत्ति, संयंत्र या उपकरण का कोई भी अंश इसके साथ सम्मिलित किये पर जाने पर उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा या भविष्य में कोई भी लाभ उसे प्राप्त नहीं होगा, जो कि इन सम्पत्तियों के निरंतर व्यवहार से अपेक्षित रहा हो। किसी तरह का लाभ या नुकसान संपत्ति, संयंत्रों या उपकरणों के इन विकेन्द्रीकरण के सापेक्ष में इनका लाभ या नुकसान समझा जाएगा।
सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण का विवरण तथा जमीन के मामलों को छोड़कर प्रति लागत मूल्य के रूप में निम्नलिखित रूप से व्यवहार में अनुमानित लाभ के रूप में चिन्हित किया जाएगा।

अन्य भूमि

(पट्टेकृत भूमि सहित)	-परियोजना की अवधि या पट्टा अवधि में से जो भी कम हो	
भवन	-	3-60 वर्ष
सड़क	-	3-10 वर्ष
दूरसंचार	-	3-9 वर्ष
रेलवे साईडिंग	-	15 वर्ष
संयंत्र एवं उपकरण	-	5-15 वर्ष
कम्प्यूटर एवं लैपटॉप	-	3 वर्ष
कार्यालय के उपकरण	-	3-6 वर्ष
फर्नीचर या फिकचर	-	10 वर्ष
वाहन	-	8-10 वर्ष

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर प्रबंधन का मानना है कि उपयोगी जीवन दिये गए सर्वोतम अवधि का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर प्रबंधन को संपत्ति का उपयोग करने की अपेक्षा होती हैं। इसलिए परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची II के भाग सी के तहत निर्धारित उपयोगी जीवन से भिन्न होगा।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

संपत्ति, संयंत्र या उपकरण का अवशिष्ट मूल्य परिसंपत्ति की कुछ वस्तुओं को छोड़कर मूल संपत्ति का 5% माना जाता है, जिसमें कोयला टब, घुमावदार रस्सियाँ, ढुलाई की रस्सियाँ, स्टोविंग पाइप और सुरक्षा लैम्प आदि सम्मिलित है, जिसके लिए तकनीकी तौर पर अनुमानित उपयोगी जीवन एक वर्ष के साथ शून्य अवशिष्ट मूल्य के रूप में निर्धारित की जाती है।

वर्ष के दौरान जोड़े गए/निकाले गए सम्पत्तियों पर मूल्यह्रास के अतिरिक्त/निपटान के महीने के संदर्भ में प्रो-राटा के आधार पर प्रदान किया जाता है।

कोयला धारण क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) (सीबीए) अधिनियम 1957 के तहत “अन्य भूमि” का मूल्य अधिग्रहित भूमि के रूप में शामिल है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत मुआवजा, पारदर्शिता के अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापना (आर.एफ.सीटी.एल.ए.ए.आर) अधिनियम, 2013 के तहत सरकारी भूमि के दीर्घकालीन हस्तांतरण आदि शामिल है, जो कि परियोजना के शेष जीवन के आधार पर परिशोधित होता है और पट्टेकृत भूमि के मामले में इस तरह के परिशोधन पट्टे की अवधि पर आधारित होते हैं या इनमें से जो भी कम हो के तहत परियोजना के शेष राशि पर आधारित होते हैं।

पूरी तरह से विखंडित , उपयोग के लिए अनुपयुक्त संपत्तियों को दर्शाया जाता है जो इस संपत्ति , संयंत्र या उपकरण के अंतर्गत इसके समायित मूल्य को केवल दर्शाते ही नहीं है अपितु जांच कर इसकी संपुष्टि भी करते हैं।

कंपनी द्वारा कतिपय संपत्ति की संरचना/विकास पर जो मूलधन व्यय किया जाता है उसका उत्पादन, वस्तु की आपूर्ति या कंपनी के अद्यतन आवश्यक होता है। संपत्ति, संयंत्र या उपकरण के अंतर्गत या इंवेलिंग एसेट के रूप में उसका प्रतिनिधित्व किया जाता है।

2.9. खदान बंदी, साइट का उद्धार एवं डिकमिसिनिंग बाध्यताएँ -

भूमि सुधार एवं संरचनाओं के निषेध के लिए कंपनी के कार्य में भू-तल एवं भूमिगत दोनों प्रकार के खदानों पर भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के निर्देशानुसार होने वाले खर्च सम्मिलित है। कंपनी खदान बंदी क्षेत्र की मरम्मत एवं निषेध कार्य का आंकलन इस कार्य पर भविष्य में होने वाली नगद खर्च एवं लगाने वाली खर्च की विस्तृत लेखा-जोखा तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर करती है। खदान बंदी व्यय अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार उपलब्ध करायी जाती है। खर्च के आकलन मुद्रा स्फीति के अनुसार बढ़ते हैं एवं इसकी दर कम होने पर घटते हैं, जो मुद्रा और जोखिमों के समय मूल्य के वर्तमान बाजार के मूल्यांकन को सूचित करती है। यथा प्रावधान में वर्णित कार्य को सम्पन्न करने के लिए आवश्यक अनुमानित खर्च के वर्तमान मूल्य को सूचित किया जाता है। कंपनी सुधार एवं खदान बंदी के समापन के देय धन से संलग्न संपत्ति का लेखा जोखा रखती है। कार्य तथा संपत्ति देयधन को खर्च होने की समयावधि में मान्यता प्राप्त होती है। क्षेत्र के मरम्मत के समस्त मूल्य को सूचित करने वाली संपत्ति (केंद्रीय खनन योजना एवं रचना संस्थान समिति के आकलन के अनुसार) खदान बंदी योजना के अनुसार पीपीई में एक भिन्न वस्तुओं के रूप में जानी जाएगी तथा शेष परियोजना/खदान के जीवनकाल के आधार पर परिशोधित होगी।
रियायत का प्रभाव खत्म होते ही समय के साथ प्रावधान के मूल्य में उतरोत्तर बढ़ोतरी होगी। एक खर्च के रूप में इसे वित्तीय खर्च माना जाता है।
अग्रिम अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार इस उद्देश्य से एक विशेष निलंब निधि खाता रखे जाने का प्रावधान है।

कुल खान बंद करने के दायित्वों को कार्य का हिस्सा बनाने हेतु साल दर साल प्रगतिशील खनन बंद के खर्चों को शुरू में निलंब खाते से प्राप्त किया जाता है और उसके बाद उस वर्ष में उनका दायित्व के साथ समायोजन किया जाता है जिसमें राशि प्रमाणित एजेंसी की सहमति के बाद इसे वापस लेने का अधिकार रखती है।

2.10 अन्वेषित एवं मूल्यांकित परिसंपत्तियाँ -

अन्वेषित तथा मूल्यांकित परिसंपत्तियों में पूंजीगत लागत शामिल होती हैं जो कि कोयला और संबन्धित संसाधनो की खोज के कारण उत्पन्न होती हैं। तकनीकी व्यवहार्यता के निर्धारण और पहचान वाले संसाधन की व्यावसायिक व्यवहार्यता के मूल्यांकन निम्न बातों के तहत सम्मिलित किये गये हैं :

- अन्वेषण के अधिकारों का अधिग्रहण।
- ऐतिहासिक अन्वेषण डेटा के शोध एवं विश्लेषण ;
- स्थलाकृतिक, भौगोलिक, रासायनिक और भू-भौतिक अध्ययन के माध्यम से अन्वेषित आधार सामग्री को उपलब्ध करना;
- अन्वेषित ड्रिलिंग, ट्रेचिंग तथा नमूने ;
- संसाधनों की मात्रा तथा उनके संवर्ग का निर्धारण करना एवं जाँचना ;
- परिवहन तथा आधारिक संरचनाओं की आवश्यकताओं का सर्वेक्षण ;
- बाजार का आयोजन तथा वित्त अध्ययन ;

इसके बाद के संस्करण में कर्मचारी पारिश्रमिक, उपयोग किए गए सामग्री एवं ईंधन की लागत, ठेकेदारों को किए गए भुगतान भी शामिल है।

चूंकि अंतर्निहित घटक, भविष्य के अन्वेषण में किए गए अपेक्षित कुल लागतों के निरर्थक/अविवेच्य भाग को दर्शाता है एवं इन लागतों को अन्य पूंजीगत अन्वेषण लागतों एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है।

परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता एवं व्यावसायिक व्यवहार्यता की लंबित निर्धारण के आधार पर परियोजना पर अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत का भुगतान किया जाता है तथा उसे गैर मौजूदा परिसंपत्तियों के तहत एक अलग मत के रूप में प्रकट किया जाता है, जिसे बाद में कम लागत के संचित हानि/ प्रावधान के रूप में मापा जाता है

एक बार साबित होने के बाद भंडार का निर्धारण एवं खानों/परियोजनाओं के विकास हेतु मंजूरी अन्वेषण एवं परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन पूंजीगत कार्य के तहत "विकास " में स्थानांतरित की गई है। हालांकि यदि यह साबित होता है कि भंडार का निर्धारण नहीं किया गया है तो अन्वेषण तथा मूल्यांकन की गई परिसंपत्तियों को अस्वीकृत किया जाएगा।

2.11 विकास व्यय -

प्रमाणित किये गए भंडार का निर्धारण किया जाता है एवं खान/परियोजनाओं के विकास हेतु स्वीकृत निर्माण के तहत परिसम्पत्ति के रूप में पूंजीगत अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत पहचाने जाते हैं तथा "विकास" शीर्ष के तहत पूंजीगत कार्य की प्रगति के घटक के रूप में प्रकट किया जाता है एवं सभी विकास हेतु व्यय पूंजीकृत किये जाते हैं। पूंजीकृत विकास व्यय, विकास चरण के दौरान निकाले गए कोयले की बिक्री से प्राप्त शुद्ध आय है।

<u>वाणिज्यिक संचालन :</u>

परियोजना/खानों को राजस्व में लाया जाता है; धारणीय आधार पर उत्पादन हेतु परियोजना/खान की वाणिज्यिक तत्परता, परियोजना प्रतिवेदन में विशेष रूप से वर्णित शर्तों या निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर स्थापित की जाती है।

क) अनुमोदित परियोजना प्रतिवेदन के आधार पर वित्तीय वर्ष के आरंभ में जिसमें कि परियोजना ने निर्धारित क्षमता का 25% उत्पादन प्राप्त किया है या

ख) कोयले के 2 साल के उत्पादन, या

ग) वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से जिसमें उत्पादन मूल्य कुल मूल्य से ज्यादा हो, जो भी घटना पहले हो।

राजस्व में लाये जाने पर "अन्य खनन आधारित संरचना" के नामकरण के तहत परिसंपत्तियों के अंतर्गत पूंजीगत कार्य को सम्पत्ति घटक, संयंत्र एवं उपकरण के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है। 20 वर्षों में राजस्व के तहत लाये गए खदान या चालित परियोजना जो भी कम हो, के वर्ष से अन्य खनन आधारित संरचना परिशोधित की जाती है।

2.12 अमूर्त परिसंपत्तियाँ -

प्राप्त अमूर्त परिसंपत्तियाँ लागत के प्रारम्भिक पहचान पर मापे जाते हैं। व्यापार संयोजन में प्राप्त अमूर्त परिसम्पत्तियों की लागत, अधिग्रहण तारीख पर उनके उचित मूल्य हैं। प्रारम्भिक मान्यता के

अनुसार अमूर्त सम्पत्ति किसी भी संचित परिशोधन (उनके उपयोगी कार्यकाल में प्रत्यक्ष आधार पर गणना की जाती है) एवं संचित नुकसान यदि कोई हो, पर खर्च किये जाते हैं।

आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त पूंजीकृत विकास लागत को छोड़कर पूँजीकृत नहीं किया जाता है। इसके अलावा संबन्धित व्यय उस अवधि के हानि व लाभ के विवरण एवं व्यापक आय के रूप में पहचाने जाते हैं, जिसमें व्यय किया गया है। अमूर्त सम्पत्ति के उपयोगिता को सीमित/अनिश्चित काल के रूप में मूल्यांकित किया जाता है। सीमित उपयोगिता के साथ अमूर्त परिसंपत्तियों का उनके उपयोगी आर्थिक जीवन पर परिशोधित किया जाता है एवं जब भी संकेत मिले कि अमूर्त सम्पत्ति में घाटा होगा, तभी इन कमियों का मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित होगा। परिशोधन अवधि एवं सीमित उपयोगी जीवन के साथ एक अमूर्त सम्पत्ति के लिए परिशोधन विधि कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन या परिसंपत्तियों में अंकित भविष्य के आर्थिक लाभों के उपभोग को अपेक्षित पद्धति द्वारा परिशोधन अवधि या विधि को संशोधित करने हेतु ध्यान में लाया जाता है एवं लेखांकन अनुमानों में उसे परिवर्तन के रूप में माना जाता है। अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधित व्यय को लाभ व हानि के विवरण में स्वीकार किया गया है।

एक अमूर्त परिसम्पत्ति उनके अनिश्चित उपयोगिता के साथ परिशोधित नहीं की जाती अपितु प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में कमी हेतु उसका परीक्षण किया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्ति की पहचान न होने से उत्पन्न लाभ व हानि को शुद्ध निपटान आय एवं परिसंपत्ति की वर्तमान राशि में अंतर के रुप में मापा जाता है, जिसे कि लाभ व हानि में मान्यता प्राप्त है।

अंवेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों को बेचने हेतु पहचाने गए ब्लॉक या बाहरी एजेंसियों को बेचने का प्रस्ताव प्रदान किया गया है (अर्थात, सीआईएल के निर्धारित नहीं किए गए ब्लॉक के लिए) तथा अमूर्त संपत्ति के रुप में उसे वर्गीकृत भी किया गया है एवं हानि के लिए परीक्षण भी किया गया है।

सॉफ्ट्वेयर की लागत को अमूर्त संपत्ति के रुप में मान्यता प्राप्त है, उपयोग करने हेतु कानूनी अधिकार की अवधि में प्रत्यक्ष रुप से या तीन साल से कम, इनमें से जो भी कम हो, को एक शून्य अवशिष्ट मूल्य के साथ परिशोधित किया जाता है ।

2.13 परिसंपत्तियों की हानि (वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा)

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिसंपत्तियों में कमी का आकलन करती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। परिसंपत्तियों से प्राप्त राशि, परिसंपत्ति या उपयोगिता से उत्पन्न इकाई मूल्य एवं व्यक्तिगत परिसंपत्तियों को निर्धारित करने हेतु निर्धारित मूल्य में वृद्धि की जाती है। जब तक परिसंपत्ति में नगदी प्रवाह नहीं की गई हो तो वह अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूह से स्वतंत्र होती है जिसमें नगद उत्पन्न इकाई परिसंपत्तियों से जुड़ी होती है, उसके लिए प्राप्त राशि निर्धारित की जाती है। हानि परीक्षण हेतु कंपनी व्यक्तिगत खदान के रुप में नकदी उत्पन्न इकाई पर विचार करती है।

यदि वर्तमान राशि परिसंपत्ति से प्राप्त अनुमानित राशि से कम हो तो वर्तमान परिसंपत्ति राशि को प्राप्त राशि से घटाया जाता है एवं हानि से हुई कमी को लाभ व हानि के विवरण में स्वीकार किया जाता है।

2.14 निवेश संपत्ति

परिसंपत्ति (भूमि या भवन या भवन का भाग या दोनों) को किराया हेतु आयोजित या पूंजी अभिमूल्यन या दोनों उत्पादन में उपयोग या वस्तु व सेवाओं की आपूर्ति या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए या व्यापार के सामान्य कार्यप्रणाली में**,** विक्रय को निवेश की गई संपत्ति के रुप में वर्गीकृत किया गया है।

निवेश संपत्ति का आकलन प्रारम्भिक रूप से इसके लागत के आधार पर किया जाता है तथा इससे संबन्धित लेनदेन लागत पर भी लागू किया जाता है ।

निवेशित सम्पत्तियों का मूल्य ह्रास विधि के तहत उनके प्रत्यक्ष उपयोगी जीवन पर आधारित होते हैं।

2.15 **वित्तीय साधन**

वित्तीय साधन एक अनुबंध है जो कि परिसंपत्ति और किसी अन्य वित्तीय इकाई को देयता या इक्विटी उपकरण प्रदान करती है।

2.15.1 **वित्तीय परिसंपत्तियाँ -**

2.15.1 प्रारंभिक मान्यता और माप

वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिन्हें लाभ या हानि के उचित मूल्य पर साथ ही वित्तीय परिसंपत्तियों के विशेष रूप से अधिग्रहण के मामलों में एवं सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को उचित मूल्य पर आरंभिक स्तर पर पहचाना जाता है। खरीददारी या वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री जो बाजार की जगह पर विनियमन या सम्मेलन द्वारा स्थापित समय सीमा के भीतर परिसंपत्तियों की वितरण के लिए आवश्यक होती है, उन्हे व्यापार तिथि पर मान्यता प्राप्त है अर्थात वह तिथि जिसमें कंपनी की संपत्ति को खरीदने या बेचने की प्रतिबद्धता है।

2.15.2 आगामी माप

वित्तीय परिसंपतियों को आगामी माप हेतु चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

- ऋण उपकरणों पर परिशोधित लागत
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन (एफ़.वी.टी.ओ.सी.आई)।
- लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण, व्युत्पन्न और इक्विटी साधन।(एफ़वीटीपीएल)

- उचित मूल्य पर मापे गए ईक्विटी साधनों के माध्यम से अन्य व्यापक आय। (एफ़.वी.टी.ओ.सी.आई)।

2.15.2.1 परिशोधित लागत पर ऋण साधन

निम्नलिखित दोनों शर्तों के पूरा होने के उपरांत ऋण साधन परिशोधित लागत पर मापे जाते हैं।

क. परिसंपत्तियों को व्यापार मॉडल के अन्तर्गत बनाएं रखने का प्रावधान है, जिसका उद्देश्य परिसंपत्तियों के संविदात्मक नगदी का प्रवाह संग्रह करना है और

ख. नगदी प्रवाह की निर्दिष्ट तिथि पर परिसंपत्तियों के संविदात्मक शर्तों के तहत भुगतान किए गए मूल एवं ब्याज की राशि को बकाया राशि में सम्मिलित किया गया है।

प्रारंभिक माप के बाद प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग (ईआईआर) करते हुए ऐसे वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर या अभिगत प्रभावी ब्याज या शुल्क जिस पर ईआईआर के एक भाग के रूप में अधिग्रहण की कीमत पर व्यक्त होती है। ईआईआर वित्तीय आय के तहत लाभ और हानि के अंतर्गत परिशोधित होती है। लाभ व हानि में कमी के कारण हुई हानियों को स्वीकार किया गया है।

2.15.2.2 एफ.वी.टी.ओ.सी.आई में ऋण साधन :

अगर निम्नलिखित दोनों मानदंडों को प्राप्त कर लिया गया हो तो एफ.वी.टी.ओ.सी.आई में डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को इस रुप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

क. संविदात्मक नगदी प्रवाह के संग्रह तथा वित्तीय परिसंपत्ति के विक्रय दोनों के द्वारा व्यापार मॉडल के उद्देश्य को प्राप्त किया गया।

ख. परिसंपत्ति संविदात्मक नगदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करता है।

एफ.वी.टी.ओ.सी.आई श्रेणी के अंतर्गत शामिल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को उचित मूल्य पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर शुरू में मापा जाता है। उचित मूल्य संचार को अन्य विस्तृत आय में पहले से ही मान्यता प्राप्त है। वैसे कंपनी ने पी एंड एल में ब्याज आय, क्षति, नुकसान तथा बदलाव और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को पहचान लिया है। परिसंपत्तियों के गैर पहचान जो कि ओसीआई में पहचाने गए है को संचयी लाभ या नुकसान के तहत पी एंड एल के लिए इक्विटी में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। ब्याज अर्जित होने पर अर्जित किये गए एफवीटीओसीआई डैब्ट इन्स्ट्रुमेंट को ब्याज में जिस एफआईआर तरीके का उपयोग किया जाता है, उसी रूप में रिपोर्ट किया जाता है।

2.15.2.3 एफवीटीपीएल में डेब्ट इंस्ट्रूमेंट:

डेब्ट इंस्ट्रुमेंट के लिए एफवीटीपीएल एक अवशिष्ट श्रेणी के रूप में है। कोई डेब्ट इंस्ट्रूमेंट जो ऋण चुकाने की लागत या एफवीटीपीएल के रूप में श्रेणीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करता उसे एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके साथ ही कंपनी एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को नामित करने का चुनाव भी कर सकती है। जो एफवीटीपीएल में ऋण चुकाने की लागत तथा एफवीटीओसीआई के मानदंडों को पूरा करते हैं। वैसे ऐसे चुनाव की अनुमति सिर्फ तभी दी जाएगी जब ऐसा करना एक पहचाने गए असंगति को कम या समाप्त करने के लिए उचित हो।

कंपनी ने एफवीटीपीएल में किसी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को नामित नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल डेब्ट इंस्ट्रुमेंट को उचित मूल्य पर पी एंड एल में पहचाने गए सभी बदलावों के साथ मापा जाता है।

2.15.2.4 अनुषंगी, सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश:

भारतीय लेखांकन मानक 101(भारतीय लेखांकन मानक में प्रथम बार अंगीकरण) एवं पिछले जीएएपी के अनुसार इन निवेशों की वहन राशि संक्रमण की तिथि में उल्लेखित लागत राशि के रूप में निर्धारित की जाएगी। बाद में अनुषंगियों, सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश किये गए मूल्य को मापा जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणी से संबंधित भारतीय लेखांकन मानक 28 के पैरा 10 में विहित इक्विटी प्रणाली के अनुसार सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश की गणना की जाती है।

2.15.2.5 अन्य इक्विटी निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 109 के दायरे में सम्मेलित सभी अन्य इक्विटी निवेश के लाभ एवं हानि को उचित मूल्य पर मापा जाता है।

अन्य सभी इक्विटी इन्स्ड्रुमेंट में परिवर्तन के उपरांत कंपनी उचित मूल्य में प्रस्तुत करने हेतु चुनाव कर सकती है। कंपनी ऐसा चुनाव इंस्टुमेंट दर इंस्टुमेंट के आधार पर करती है। वर्गीकरण आरंभिक पहचान करने हेतु की गई है जो कि अटल है।

अगर कंपनी एफवीटीओसीआई पर इक्विटी इंस्टुमेंट को वर्गीकृत करने का निर्णय लेती है तब ओसीआई में पहचाने गए लाभांश को छोड़कर इंस्टुमेंट पर सभी उचित मूल्य में परिवर्तन हो जाता है। पी एण्ड एल से ओसीआई में यहां तक कि निवेश की राशि में भी कोई पुनरावृत्ति नहीं हुई है। कंपनी इक्विटी के भीतर संचयी लाभ या हानि को स्थानान्तरित कर सकती है।

पीएण्डएल में पहचाने गए सभी बदलावों के साथ उचित मूल्य पर एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को मापा जाता है।

2.15.2.6 मान्यता रद्द करना

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या जहां लागू हो, परिसंपत्ति के एक भाग या समान वित्तीय परिसंपत्ति का एक भाग) की मान्यता को प्राथमिक स्तर पर रद्द किया गया (जैसे तुलन पत्र से हटाया गया), जब

- परिसंपत्तियों से नगद प्रवाह को प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो गया हो या
- कंपनी ने परिसंपत्तियों से नगद प्रवाह को प्राप्त करने के अधिकार को स्थानांतरित किया या प्राप्त नगद प्रवाह का भुगतान करने हेतु दायित्व निकासी व्यवस्था के अंतर्गत तीसरी पार्टी के लिए बिना सामग्री विलंब के ग्रहण किया और या तो

(क)कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिम और पुरस्कार को काफी हद तक स्थानांतरित कर दिया है या

(ख) कंपनी ने न तो हस्तांतरित किया है और न ही संपत्ति के सभी जोखिम और पुरस्कार को काफी हद तक बनाए रखा है लेकिन परिसंपत्ति पर नियंत्रण को स्थानांतरित अवश्य किया है।

जब कंपनी ने परिसंपत्ति से प्राप्त नगद प्रवाह पर अपने अधिकार को स्थानांतरित किया या निकासी व्यवस्था में प्रवेश किया तो यह मूल्यांकित हुआ कि इसने किस हद तक स्वामित्व के जोखिमों एवं पुरस्कारों को बरकरार रखा है। कंपनी ने न तो संपत्ति को हस्तांतरित किया, न ही संपत्ति के सभी पुरस्कारों व जोखिम को बनाए रखा और न ही उनके नियंत्रण को हस्तांतरित किया। जब कंपनी सतत भागीदारी को बनाए रखने तथा स्थानांतरित संपत्ति की पहचान रखने का प्रयास करती है, तो

ऐसे मामलों में कंपनी भी एक सहयोगी देयता की पहचान करती है। स्थानांतरित संपत्ति तथा सहयोगी देयता को एक आधार पर मापा जाता है। कंपनी द्वारा उसके दायित्वों तथा अधिकारों को प्रतिबंधित किया जाता है। सतत भागीदारी जो कि संपत्ति पर प्रतिभूति के रूप में चिन्हित है जिसे संपत्ति के मूल तथा जारी राशि के आवश्यकतानुसार चुकाया जाता है, उसे निम्न स्तर पर मापा जाता है।

2.15.2.7 वित्तीय संपत्ति की हानि (उचित मूल्य को छोड़कर)

भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों तथा क्रेडिट जोखिमों के अनावरण के माप तथा उसमें हुई हानि के लिए कंपनी अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) के मॉडल को लागू करती है।

क. वित्तीय परिसंपत्तियां जो कि डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है और जिनका मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है उदाहरणत: ऋण प्रतिभूति, व्यापार प्राप्त, बैंक बैलेन्स इत्यादि।

ख. वित्तीय परिसंपत्ति जो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है तथा उसे एफवीटीओसीआई पर मापा जाता है।

ग. भारतीय लेखांकन मानक 17 के अंतर्गत प्राप्त पट्टे।

घ. प्राप्त पट्टे या नगद प्राप्त करने के लिए किसी भी अनुबंध का अधिकार या उस लेनदेन के परिणामस्वरुप अन्य वित्तीय सहमति जो कि भारतीय लेखांकन मानक 11 तथा भारतीय लेखांकन मानक 18 के क्षेत्र के अंतर्गत है।

हानि भत्ता की पहचान के लिए कंपनी ने निम्न सरल दृष्टिकोण का पालन किया-:

- प्राप्त कारोबार या अनुबंध राजस्व प्राप्त करने योग्य तथा
- भारतीय लेखांकन मानक 17 के अंतर्गत लेनदेन से प्राप्त सभी पट्टे।

सरलीकरण दृष्टिकोण के उपयोग से कंपनी को क्रेडिट जोखिमों में ट्रैक बदलाव को पहचानने की आवश्यकता नहीं होती है।

2.15.3 वित्तीय देयताएँ -

2.15.3.1. आरंभिक पहचान तथा माप-

कंपनी की वित्तीय देयताएं व्यापार तथा अन्य ऋण देयताओं और उधार सहित बैंक ओवरड्राफ्ट को शामिल करती है।

ऋण और उधार लेने के मामले में तथा विशेषकर लेनदेन की लागतों पर शुद्ध भुगतान करने हेतु वित्तीय देयताएँ प्रारम्भिक स्तर पर उचित मूल्य में दर्शायी जाती है।

2.15.3.2 अनुवर्ती माप -

वित्तीय देयताओं की माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करती है जो कि नीचे वर्णित है।

2.15.3.3 वित्तीय देयताएँ लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर -

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएँ व्यापार और वित्तीय देनदारियों के लिए आयोजित वित्तीय देयताओं में शामिल की जाती है, जिसे लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नामित किया गया है। आयोजित रूप में वित्तीय देयताओं को तब वर्गीकृत किया जाता है जब वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के प्रयोजन के लिए उपलब्ध हो। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा व्युत्पन्न डैब्ट इन्स्ड्रुमेंट को भी शामिल किया गया है, जिसे प्रतिरक्षा संबंध में प्रतिरक्षा इन्स्ड्रुमेंट के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, इसे भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार पारिभाषित किया

गया है। सेपरेटेड इम्बेडेड डेरीवेटिवस को भी उस समय तक व्यापार के लिए आयोजित रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब तक कि इन्हें प्रभावी प्रतिरक्षा उपकरण के रूप में चिन्हित नहीं किया जाता।

देयताओं पर लाभ या हानियों को व्यापार के लिए आयोजित लाभ या हानि के रूप में पहचाना गया है।

वित्तीय देनदारियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज किया गया है, जैसा कि मान्यता की प्रारम्भिक तिथि पर नामित है तथा सिर्फ तब ही जब भारतीय लेखांकन मानक 109 के मानदंड संतुष्टीजनक पाये जाते हैं। एफवीटीपीएल में नामित देयताओं के निष्पक्ष मूल्य पर लाभ/हानि जो कि जोखिम ऋण में परिवर्तन के कारण है तथा इसे ओसीआई में मान्यता प्राप्त है। इन लाभ-हानियों को बाद में पी एंड एल में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। कंपनी इक्विटी के भीतर संचयी लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है। ऐसी देयताओं को उचित मूल्य पर अन्य सभी परिवर्तनों के साथ लाभ तथा हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है। कंपनी ने लाभ तथा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किसी वित्तीय देयताओं को नामित नहीं किया है।

2.15.3.4 परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएँ

प्रारम्भिक मान्यता के पश्चात इन्हें बाद में प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। जब प्रभावी ब्याज पर परिशोधन की प्रक्रिया द्वारा देयताओं को वापस लिया जाता है, तब लाभ या हानि में नफा या नुकसान को पहचाना जाता है। परिशोधित लागत का आकलन अधिग्रहण और शुल्क या लागतों पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए की जाती है, जो कि प्रभावी ब्याज दर का अभिन्न हिस्सा है। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है। यह श्रेणी आम तौर पर उधार लेने पर लागू होती है।

2.15.3.5 मान्यता वापस लेना

एक वित्तीय देयता की मान्यता को तब वापस लिया जाता है जब देयताओं के तहत दायित्व का निर्वहन रद्द या समाप्त हो गया हो। जब वित्तीय देयताओं को समान ऋणदाता के साथ विभिन्न शर्तों पर पुन:प्रतिस्थापित किया जाता है तब यह मौजूदा देयताओं के शर्तों को संशोधित करेगा, तत्पश्चात इस तरह के एक विनियम या संशोधन को मूल दायित्व की मान्यता और एक नई देयता की पहचान के रुप में माना जाएगा। किसी अन्य पार्टी को समझाए गए या हस्तांतरित किये गये वित्तीय लेनदेन राशि और उसमें से किसी भी हस्तांतरित परिसंपत्तियों या दायित्वों सहित भुगतान किए गए विचारों को लाभ व हानि के रुप में स्वीकार किया जाएगा।

2.15.4 वित्तीय देयताओं का पुनः वर्गीकरण:

कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों का वर्गीकरण करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद वित्तीय परिसंपत्तियां जो कि इक्विटी साधन एवं वित्तीय देनदारियां हैं उसे पुन:वर्गीकृत किया जाएगा। वित्तीय देयताएं वे ऋण साधन हैं जिनका पुन:वर्गीकरण सिर्फ तभी किया जा सकता है जब उनके व्यावसायिक मॉडल की परिसंपत्तियों में बदलाव किया जाए। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन आंतरिक और बाह्य बदलाव के परिणामस्वरुप व्यापार मॉडल में परिवर्तन करता है जो कंपनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं और बाहरी पार्टियों के लिए स्वत: स्पष्ट है। व्यापार मॉडल में परिवर्तन तब होता है जब कंपनी महत्वपूर्ण संचालन हेतु कार्य को प्रारंभ या समाप्त करती है। कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति को पुनः पेश करती है या पुन:वर्गीकृत करती है, जो कि व्यापार मॉडल में बदलाव के तुरंत बाद आगामी प्रतिवेदन का पहला दिन समझा जाता है। कंपनी पहले से स्वीकृत किसी लाभहानि (लाभ व हानि में कमी सहित) या ब्याज को पुन:वर्णित नहीं करती है।

निम्नलिखित सारणी पुन:वर्गीकरण विधि तथा उनकी जिम्मेदारियों को दर्शाते हैं-:

वास्तविक वर्गीकरण	**संशोधित वर्गीकरण**	**लेखांकन विधि**
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	पुन:वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य को मापा जाता है। पिछले परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के अंतर को पी एंड एल के रुप में पहचाना जाता है।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुन:वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य उनके वर्तमान में जारी कुल राशि का प्रतिनिधित्व करती है। ईआईआर की गणना नये जारी किये गये राशि के आधार पर की जाती है।
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	पुन: वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य को मापा जाता है। परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के अंतर को ओसीआई में पहचाना जाता है। पुनर्वर्गीकरण के कारण ईआईआर में बदलाव नहीं किया गया।

एफवीटीओसीआई	**परिशोधित लागत**	**पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य उसकी नई परिशोधित लागत वाली राशि होगी। हालांकि ओसीआई में लाभ या हानि को उचित मूल्य के हिसाब से समायोजित किया गया है। जिसके फलस्वरूप परिसंपत्तियों को मापा जाता है जिस तरह वे हमेशा से परिशोधित मूल्य पर मापे जाते हैं।**
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुन:वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य उसकी नई जारी की गई राशि होगी, जिसमें किसी अन्य राशि के समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीपीएल	परिसंपत्तियां उचित मूल्य पर ही मापी जाएंगी। ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को पुन: जमा करने की तिथि में पी एंड एल के रुप वर्गीकृत किया गया।

2.15.5 वित्तीय साधन को पूरा करना:

वित्तीय संपत्ति तथा वित्तीय देयताओ को पूरा किया गया और समिति द्वारा तुलनपत्र में शुद्ध राशि की सूचना दी गई। अगर उसे प्राप्त मात्रा में पूरा करने हेतु वर्तमान में कानूनी अधिकार मिलते हो, तो संपत्ति को प्राप्त करने साथ ही साथ देयताओं के निपटान हेतु एक शुद्ध आधार पर समझौता किया जा सकता है।

2.16 उधार लेने की लागत-

उधार लेने की विशिष्ट लागत के रूप में और जब वह अधिग्रहण निर्माण या परिसंपत्तियों का उत्पादन करने के लिए सीधे रूप से जुड़े हुए हो, तो उसे छोड़कर खर्च किया जा सकता है, जो संपत्ति अपने उपयोग के लिए पर्याप्त अवधि लेती है उस स्थिति में उन्हें उन तारीखों तक परिसंपत्तियों की लागत के एक हिस्से के रूप में पंजीकृत तब तक किया जा सकता है जब तक कि संपत्ति उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाती है।

2.17 कर निर्धारण:

आयकर व्यय वर्तमान में देय और स्थगित कर के योग को दर्शाता है।

वर्तमान कर एक अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर नुकसान) के संबंध में आयकरों की देय राशि (वसूली योग्य) होती है। लाभ-हानि और अन्य व्यापक आय के रिपोर्ट के अनुसार कर योग्य लाभ ''आयकर से पहले लाभ'' से अलग होते हैं क्योंकि उनमें आय या व्यय की वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जो कि अन्य वर्षों मे कर योग्य है अथवा उन्हें घटाया भी जा सकता है और बाद में उसमें उन वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है, जो कभी भी कर योग्य या घटाए गए होते हैं। वर्तमान कर के लिए कंपनी की देनदारियों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक मूल रूप से अधिनियमित किए गए दरों का उपयोग करते हुए उसकी गणना की जाती है।

अस्थाई करों के अंतर के लिए स्थगित की गई कर देनदारियों को आमतौर पर मान्यता प्राप्त होती है। काफी हद तक सभी हटाए गए अस्थाई अंतर के लिए आस्थगित कर संपत्ति को आमतौर पर मान्यता प्राप्त है। यह संभावित है कि इससे वह कर योग्य लाभ हमें उपलब्ध होगा जिसके लिए उन करों को हटाया गया था एवं उन अस्थाई करों का उपयोग भी किया जा सकेगा। ऐसे संपत्ति और देनदारियों को उस अवधि तक मान्यता प्राप्त नहीं होगी, जब तक कि अस्थाई अंतर सद्भावना से या अन्य परिसंपत्तियों के प्रारंभिक मान्यता (व्यापार समायोजन के अलावा अन्य) से वह उत्पन्न न हुआ

हो एवं लेनदेन की देयताएं जो न केवल कर योग्य लाभ को प्रभावित करती है अपितु लेखांकन लाभ को भी प्रभावित करती हैं।

जहां कंपनी अस्थाई अंतर के उत्क्रम को नियंत्रित करने में सक्षम है या उसको छोड़कर सहायिकाओं तथा अनुषंगियों में निवेश करती है, वहां ऐसे कर योग्यों के अस्थाई अंतरों के लिए आस्थगित कर देयताओं को मान्यता प्राप्त होती है। यह संभव है कि अस्थाई अंतर निकट भविष्य में रद्द नहीं होगी, ऐसे निवेशों तथा ब्याजों के साथ जुड़े अथवा घटाए गए अस्थाई अंतर से उत्पन्न आस्थगित कर परिसंपत्तियों को कुछ हद तक मान्यता प्राप्त है, यह संभव है कि वहां अस्थाई अंतरों के लाभ का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगी।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्थगित कर संपत्ति के वहन राशि की समीक्षा की जाती है और उसे कम भी किया जा सकता है। यह संभव नहीं है कि संपत्ति के किसी या सभी हिस्से को पुनः प्राप्त करने की अनुमति के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में अमान्यता प्राप्त आस्थगित कर संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और इसे इस हद तक मान्यता दी जाती है कि आस्थगित कर संपत्ति के सभी या कुछ हिस्सों को पुनःप्राप्त करने की अनुमति के लिए पर्याप्त कर लाभ उपलब्ध हो सके।

आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों को कर दरों पर मापा जाता है और इसे उस अवधि में लागू करने की अपेक्षा भी की जाती है, जिससे कि कर दरों (तथा कर कानून) पर आधारित देनदारियों व परिसंपत्तियों का निपटारा किया जा सके। इसे रिपोर्टिंग तिथि के अंत तक लागू या मूल रूप से अधिनियमित किया जाता है।

आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों की माप उसके कर परिणामों को दर्शाती है, जो इस रीति का अनुसरण करती है जिसमें कंपनी को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिसंपत्तियों और देनदारियों की संख्या को व्यवस्थित करने की उम्मीद होती है।

संबन्धित मदों को छोड़कर चालू और आस्थगित कर को क्रमश: उनके अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में स्वीकार किया गया हैं। चालू और आस्थगित कर को अन्य व्यापक आय में सीधे इक्विटी के अंतर्गत लाभ या हानि के रूप में स्वीकार किया जाता है। जब चालू कर या आस्थगित कर व्यावसायिक संगठन के प्रारम्भिक लेखांकन में आते हैं तो उसके कर प्रभाव को व्यावसायिक संगठन के लेखांकन में शामिल किया जाता है।

2.18 कर्मचारी हितलाभ

2.18.1 **अल्पावधि हितलाभ**

कर्मचारियों के सभी अल्पावधि लाभ को उस अवधि में मान्यता प्राप्त होते हैं जिस अवधि तक वे खर्च किए जाते हैं।

2.18.2 रोजगार पश्चात् लाभ एवं अन्य कर्मचारियों के लिए दीर्घावधि लाभ

2.18.2.1 पारिभाषित योगदान योजनाएं:

भविष्य निधि एवं पेंशन के लिए पारिभाषित योगदान योजनाएं जो कि रोजगार पश्चात् प्राप्त होने वाली लाभ योजनाएं है, जिसके अंतर्गत कंपनी कानून के अधिनियमन के तहत् गठित एक अलग सांविधिक निकाय द्वारा रखी गई निधि में निश्चित योगदान का भुगतान करती है और कंपनी के पास आगे की राशियों के भुगतान हेतु कोई भी कानून एवं रचनात्मक दायित्व नहीं होता है। परिभाषित योगदान योजनाओं में योगदान के लिए कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के अवधि के दौरान लाभ और हानि के बयान में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

2.18.2.2 पारिभाषित लाभ योजनाएं-

पारिभाषित लाभ योजनाएं एक पारिभाषित योगदान योजनाओं के अलावा एक अन्य रोजगार लाभ योजनाएं भी है। उपदान, छुट्टी भुगतान आदि पारिभाषित लाभ योजनाएं है। पारिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी की शुद्ध दायित्वों को भविष्य लाभ राशियों के तहत् आकलन करके गणना की जाती है, जिसे कर्मचारियों ने अपने सेवा के बदले वर्तमान और पूर्व की अवधि में अर्जित किया है। लाभ में रियायत अपने वर्तमान मूल्य को लेकर किया जाता है तथा संपत्तियों के उचित मूल्य के द्वारा उसे हटाया भी जाता है, इनमें से जो भी उचित हो, के द्वारा कार्य निष्पादित किया जाता है। छूट की दर जो कि वर्तमान समय में कंपनी के दायित्वों में उल्लेखित शर्तों के अंतर्गत परिपक्व होने वाली रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों की मौजूदा बाजार पर आधारित होती है और यह एक ही मुद्रा में अंकित होगी, जिसमें लाभ का भुगतान करने की अपेक्षा होती है।

बीमांकिक मूल्यांकन के प्रयोग में छूट दर के बारे में धारणाएं परिसंपत्तियों पर अपेक्षित वसूल किए गए भावी दर, वेतन वृद्धि दर तथा नैतिकता दर आदि के अंतर्गत शामिल होती हैं। इस तरह के अनुमान इन योजनाओं की दीर्घावधि के कारण अनिश्चितताओं के अधीन है। अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग कर प्रत्येक तुलनपत्र पर अंकित होती हैं जिनकी गणना बीमांकक द्वारा की जाती है। जब गणना कंपनी के हित में हों, तो भविष्य में योजना के योगदान में कमी या योजना से धन वापसी के रूप में आर्थिक लाभों में स्वीकृत परिसंपत्तियों का उपलब्ध वर्तमान मूल्य पर सीमित किया जाता है। यदि योजना देनदारियां के समाधान पर या योजना के दौरान वसूली योग्य हो तो कंपनी को आर्थिक लाभ उपलब्ध होगा।

कुल पारिभाषित देयताओं का पुनः माप किया जाता है जिसमें परिसंपत्ति योजना (ब्याज छोड़कर) पर वसूली को ध्यान में लेते हुए बीमांकिक लाभ व हानि को शामिल किया गया हो तथा परिसंपत्तियों (ब्याज छोड़कर यदि कोई हो) का प्रभाव अन्य व्यापक आय में तुरंत स्वीकार किया जाता है। कंपनी निर्धारित अवधि के लिए पारिभाषित लाभ दायित्वों को मापने एवं उपयोग होने वाली छूट दर को लागू करने के लिए शुद्ध पारिभाषित लाभ देयताओं (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज (आय) निर्धारित करती है। इसके बाद वार्षिक अवधि के दौरान पारिभाषित लाभ देयताएं (परिसंपत्ति) योगदान और लाभ भुगतान के परिणामों के फलस्वरुप प्राप्त पारिभाषित लाभ देयताओं के अंतर्गत परिसंपत्तिओं में परिवर्तन करती है।

पारिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित कुल ब्याज खर्च एवं अन्य खर्चों को लाभ व हानि में स्वीकार किया जाता है। जब योजना से प्राप्त लाभों में बढ़ोत्तरी की जाती है तब कर्मचारियों द्वारा पिछले सेवा से संबंधित बढाये गए लाभों को लाभ व हानि विवरण में खर्च के रूप में दर्शाया जाता है।

2.18.3 अन्य कर्मचारी हितलाभ

कुछ अन्य कर्मचारी लाभ योजनाएँ जैसे- एलटीए, एलटीसी, लाइव कवर स्कीम, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, व्यवस्थापन भत्ता, सेवानिवृत्त के पश्चात् चिकित्सा लाभ योजना तथा खान में हुई दुर्घटनाओं में मृतकों के आश्रितों के लिए रियायत आदि उपर्युक्त वर्णित परिभाषित लाभ योजनाओं को मान्यता प्राप्त है। इन लाभों में विशिष्ट निधिकरण नहीं है।

2.19 विदेशी मुद्रा

भारतीय रुपए (आईएनआर) आर्थिक क्षेत्र में प्रमुख मुद्रा होने के कारण कंपनी ने अपने मुख्य संचालनों के लिए मुद्रा एवं कार्यात्मक मुद्रा को भारतीय रूप में प्रतिवेदित किया है।

लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करते हुए कंपनी ने विदेशी मुद्राओं में हुए लेनदेन को प्रतिवेदित मुद्रा में परिवर्तित किया है। प्रतिवेदित अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक संपत्ति और देयताएं, प्रतिवेदित अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दरों पर बदली की जाती है। मौद्रिक संपत्ति एवं देयताओं का निपटान अवधि के दौरान प्रारंभिक पहचान पूर्व से परिवर्तित दर पर भिन्न मौद्रिक संपत्ति एवं देयताओं के दर में परिवर्तित होने के कारण होती है, इसे भिन्न विनिमय लाभ व हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

विदेशी मुद्रा में अंकित गैर मौद्रिक मदों को लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों में शामिल किया जाता है।

2.20 अलग करने हेतु खर्च/समायोजन

खुली खदान, खनन के मामलों में खदान के अनुपयोगी सामानों (ओवरबर्डन) जैसे मिट्टी एवं चट्टान को कोयला सीम के ऊपर से निकालना आवश्यक होता है ताकि कोयला एवं उसके निष्कर्षण को प्राप्त किया जा सके। खुली खदानों में कंपनी को खानों की सुरक्षा (तकनीकी रूप से अनुमानित) करने हेतु ऐसे खर्चों का सामना करना पड़ता है।

इसलिए एक नीति के अंतर्गत प्रतिवर्ष 10 लाख टन की क्षमता के साथ खानों में स्ट्रिपिंग की लागत पर, स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति और अनुपात विवरण के समायोजन पर एवं प्रत्येक खदान पर तकनीकी मूल्यांकन वाले औसत स्ट्रिपिंग अनुपात (ओबी:कोयला) के रूप में खर्च किया जाता है। खानों के बाद खाते को राजस्व में लाया जाता है।

स्ट्रिपिंग गतिविधियों के तहत् परिसंपत्ति एवं तुलनपत्र की तिथि में अनुपात भिन्नता की कुल शेष राशि को गैर वर्तमान प्रावधान/अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियों के शीर्ष के अंतर्गत स्ट्रिपिंग गतिविधि के समायोजन के रूप में अंकित किया जाता है।

रिकॉर्ड के अनुसार प्रतिवेदित अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा ओबीआर लेखांकन अनुपात जहां प्रतिवेदित मात्रा एवं मापी गई मात्रा में भिन्नता हो, को दो वैकल्पिक अनुमेय सीमा के भीतर गणना हेतु ध्यान में लाया जाता है जैसा कि नीचे उल्लेखित है।

खान के ओबीआर का वार्षिक क्वांटम	विचलन की अनुमानित सीमाएं	
	I	II
	%	क्वांटम(मिलियन घन-मीटर में)
1 मिलियन घन-मीटर से कम	+/- 5%	0.03
1 से 5 मिलियन घन-मीटर के बीच	+/- 3%	0.20
5 मिलियन घन-मीटर से अधिक	+/- 2%	

जहां उपरोक्त भिन्नता मुनासिब सीमा से परे हो, तो वहां उसे मात्रा के रूप में माना जाएगा।
1 लाख टन से कम क्षमता वाले खानों के मामलों में उपरोक्त नीति लागू नहीं होगी और वर्ष के दौरान खर्च किये गए स्ट्रीपिंग गतिविधि के वास्तविक लागत को लाभ और हानि के रूप में मान्यता प्राप्त होगी।

2.21 वस्तु सूची

2.21.1 कोयले का स्टॉक:

कोल/कोक की वस्तुसूची कम लागत और शुद्ध वसूली मूल्य पर दर्शायी जाती है। वस्तुसूची की लागत की गणना प्रथम बार प्रथम पद्धति के माध्यम से की जाती है। शुद्ध प्राप्य मूल्य वस्तु की अनुमानित बिक्री मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है और बिक्री करने के लिए सभी आवश्यक लागत को पूर्ण भी करती है।
कोल आरक्षित स्टॉक खाते में यह माना जाता है कि जहां आरक्षित स्टॉक और मापी गई स्टॉक के बीच का अंतर +/-5% तक हो या ऐसे मामलों में जहां अंतर +/-5% से अधिक हो वहां उसे मापा हुआ स्टॉक माना जायेगा। शुद्ध वास्तविक मूल्य या लागत में से जो भी कम हो, ऐसे स्टॉक मूल्यवान समझे जायेंगे।
कोयला, कोक फाइन कोयला और कोक जुर्माना कम लागत या शुद्ध वसूली मूल्य पर मूल्यवान होते हैं और उसे कोयला स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।
कोल के भंडार स्लरी (कोकिंग/सेमी-कोकिंग) मध्यम स्तर के वाशरी और उनके उत्पाद शुद्ध वसूली मूल्य पर मूल्यवान होते हैं और उन्हें कोल स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

2.21.2 भंडार और पुर्जे

केंद्रीय और क्षेत्रीय भंडार में भंडार और स्पेयर पार्ट्स (जिसमें कमजोर उपकरण भी शामिल हैं) के स्टॉक की कीमत स्टोर लेजर के रूप में मानी जाती है एवं औसत विधि के आधार पर उसके मूल्य की गणना महत्वपूर्ण होती है। भंडारों और स्पेयर पार्ट्स की सूची में कोयला खदानों/ उप-भंडार/डीलिंग कैप/उपभोक्ता केंद्रों को वर्ष के अंत तक केवल भौतिक रूप से सत्यापित स्टोर के अनुसार मूल्यवान समझा जायेगा।

अनुपयोगी, क्षतिग्रस्त और अप्रचलित भंडार और पुर्जों के लिए 100% की दर से एवं विगत 5 वर्षों से जो भंडार व पुर्जे उपयोग में नहीं लाये गए हैं उनके लिए 50% की दर का प्रावधान बनाया गया।

2.21.3 अन्य वस्तु सूची

कार्यशाला के कार्यों का मूल्यांकन उनके कार्य की प्रगति पर निर्धारित होती है। प्रेस कार्य का स्टॉक (कार्य प्रगति के साथ) मुद्रण प्रेस में स्टेशनरी और केंद्रीय अस्पताल में दवाओं की लागत मूल्य पर निर्धारित होती है।

हालांकि स्टेशनरी (प्रिंटिंग प्रेस में लाने के अलावा) ईंटों ,रेत, दवाइयों (केंद्रीय अस्पताल को छोड़कर) विमान के पुर्जों और स्क्रैप आदि को सूची में उल्लेखित नहीं किया जाता है क्योंकि उनका मूल्य महत्वपूर्ण नहीं होता।

2.22 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं संपत्तियां

प्रावधान को तब मान्यता प्राप्त होता है जब कंपनी की पिछली घटना के परिणामस्वरुप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) उसे प्राप्त हो, और यह संभव है कि दायित्वों का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभों की आवश्यकता होनी आवश्यक है और उसे दायित्वों की विश्वसनीयता के रूप में भी लिया जा सकता है। जहां समय मूल्यवान है वहां दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित व्यय को वर्तमान मूल्य के अनुरूप रखा जाता है।

सभी प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तिथि पर की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को दर्शाने के लिए उसका समायोजन किया जाता है।

जहां यह संभव ना हो कि आर्थिक लाभों का आउटफ्लों आवश्यक होगा या राशि का सटीक रूप से अनुमान नहीं लगाया गया हो, तो वहाँ दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में प्रकट किया जाना प्रासंगिक हो जाता है जब तक कि आर्थिक लाभ के आउटफ्लों की संभावना रिमोट नहीं होती। संभावित दायित्व के अस्तित्व की केवल एक या अधिक भावी अनिश्चित घटनाओं की उपस्थिति या गैर-घटना से पुष्टि की जाएगी, जो कि पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं होगी एवं जब तक कि आर्थिक लाभ के आउटफ्लों की संभावना रिमोट नहीं होती, तब तक उन्हें प्रासंगिक देनदारियों के रूप में प्रकट किया जाएगा।

प्रासंगिक संपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त नहीं है। हालांकि जब आय की प्राप्ति वास्तव में निश्चित होती है, तो संबंधित कोई भी संपत्ति आकस्मिक संपत्ति नहीं होती है और इनकी मान्यताएं यथोचित होती हैं।

2.23 उपार्जित शेयर

अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों को भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद शुद्ध लाभ से विभाजित करके प्रति शेयर मूल आय की गणना की जाती है। प्रति शेयरों में मंदित आय की गणना इक्विटी शेयरों की औसत लाभ को विभाजित करके की जाती है, जो कि शेयरों की मूल आय से प्राप्त होती है और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जो कि सभी डिलिटिव संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी की जाती है।

2.24 निर्णय, आकलन और धारणाएं

भारतीय लेखांकन मानक के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी में लेखांकन नीतियों के आवेदन को प्रभावित करने वाले अनुमान, निर्णय और धारणाएं बनाने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है जो

लेखांकन नीतियों और संपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशि, वित्तीय विवरणों की तारीख पर आकस्मिक संपत्तियों और देनदारियों के प्रकटीकरण और रिपोर्ट अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की राशि को प्रभावित करता है। जटिल और व्यक्तिपरक निर्णयों से जुड़े लेखांकन नीतियों का उपयोग और इन वित्तीय विवरणों में धारणाओं के उपयोग का खुलासा किया गया है। लेखांकन परिणाम समय - समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। वास्तविक परिणाम अनुमानित लागत से भिन्न होते हैं। अनुमान के आधार पर इनकी निरंतर समीक्षा की जाती है और समयानुरूप लेखा अनुमानों का पुनर्निरीक्षण एवं उनका संशोधन भी किया जाता है। सामग्रियों को उनके वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रभावी रूप से प्रकट किया जाता हैं।

2.24.1 निर्णय

कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में प्रबंधन ने निम्नलिखित फैसले लिए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रकाश वित्तीय वक्तव्यों में मान्यता प्राप्त राशियों पर डाला गया है:

2.24.1.1 लेखांकन नीतियों का निर्माण -

लेखांकन नीतियां ऐसे वित्तीय वक्तव्य हैं जिसमें लेनदेन, अन्य घटनाओं और शर्तो के बारे में प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है, जिसके लिए वे आवेदन करते हैं। जिन नीतियों का प्रभाव अव्यवस्थित हो उन नीतियों को लागू करने की आवश्यकता नहीं होती।

प्रबंधन ने भारतीय लेखांकन मानक के अभाव में जो विशिष्ट रूप से लेनदेन, घटना की स्थिति पर लागू होते हैं, के अंतर्गत अपने निर्णयानुसार लेखांकन नीतियों के विकास तथा उसे लागू करने के लिए तथा परिणाम प्राप्त करने हेतु निम्न जानकारियाँ उद्धृत की है।

क उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय लेने के अनुरूप और

ख वित्तीय वक्तव्यों में विश्वसनीयता :

i. कंपनी ईमानदारी से वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नगदी प्रवाह का प्रतिनिधित्व करती है।

ii. आर्थिक लेनदेन, अन्य घटनाएं और स्थितियां अवैध रूप से प्रतिबिंबित है।

iii. तटस्थ है अर्थात पूर्वाग्रह से मुक्त,

iv. मितव्ययी, तथा

v. सभी सामग्रियां पूर्ण रुप से निरंतरता पर आधारित होती हैं।

प्रबंधन निर्णय लेते हैं और उन्हें अवरोही क्रम में निम्नलिखित स्रोतों के द्वारा संदर्भित किया जाता है।

क. भारतीय लेखांकन मानक में लेनदेन से संबंधित मुद्दों की आवश्यकताएं, और

ख. परिभाषित मानदंड और परिसंपत्तियां, देनदारी आय और खर्च की अवधारणा।

निर्णय लेने के लिए प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड की सबसे हाल की घोषणाओं पर विचार करती है और उनकी अनुपस्थिति में अन्य मानक स्थापित निकायों जो कि सामान्य विचारात्मक तंत्र

का उपयोग करते हुए लेखांकन मानकों और अन्य लेखांकन साहित्य और स्वीकृत उद्योग कार्य का विकास करती है जिससे कि उपरोक्त अनुच्छेद में स्रोतों के साथ विवाद की स्थिति न पैदा हो।

कंपनी खनन क्षेत्र का संचालन करती है (एक ऐसा क्षेत्र जहां अन्वेषण, मूल्यांकन, उत्पादन चरण का विकास विभिन्न स्थलाकृति और भू-क्षेत्र के इलाकों पर आधारित है, जो दशकों से चल रहे पट्टे में फैला हुआ है और जहां लगातार परिवर्तन की संभावनाएं होती है) जहां लेखांकन नीतियों की वृद्धि हुई है। पिछले कई दशकों से अनुसंधान समितियों द्वारा विशिष्ट उद्योग प्रथाओं की नियमावली के रूप में उसे अनुमोदित किया गया है। कंपनी लेखांकन साहित्य के विकास के साथ-साथ लेखांकन नीतियों के भी विकास का प्रयास करती है और इसमें भरतीय लेखांकन मानक 8 के विकास का विशेष रुप से ध्यान दिया जाता है। वित्तीय वक्तव्यों को लेखांकन के आधार पर तैयार किया जाता है।

2.24.1.2 सामग्रियाँ -

भारतीय लेखांकन मानक सामग्रीयुक्त वस्तुओं का उपयोग करती है। प्रबंधन विचार करते हुए यह निर्णय लेते है कि एकीकृत वस्तुओं या वस्तुओं के समूह को वित्तीय विवरणों में सामग्री के रूप में लिया जा सकता है। सामग्री का आकलन वस्तुओं के आकार और प्रकृति के अनुरूप किया जाता है। निर्णायक कारण यह है कि उपयोगकर्ता वित्तीय निर्णयों के आधार पर निर्णय लेते हैं जो कि भूलचूक से आर्थिक निर्णय को प्रभावित भी करते हैं। प्रबंधन भारतीय लेखांकन मानक के मदों का निर्धारण करते हुए आवश्यकताओं को पूर्ण करती है एवं किसी विशेष परिस्थिति में या तो प्रकृति या किसी मद की मात्रा या कुल वस्तुओं का निर्धारण भी करती है। इसके अलावा कंपनी अपने जरूरत के अनुरूप मौजूदा सभी वस्तुओं को अलग से रखती है ताकि नियमानुरूप जब उन्हें इनकी आवश्यकता हो तब इनका उपयोग किया जा सके।

2.24.1.3. परिचालन पट्टा -

कंपनी ने पट्टा समझौते में प्रवेश किया है। कंपनी शर्तों और निबंधन समझौते के मूल्यांकन के आधार पर यह निर्धारित करती है कि पट्टे आर्थिक जीवन के वाणिज्यिक संपत्ति का मुख्य भाग और परिसंपत्ति के उचित मूल्य के रूप में गठित नहीं किए जा सकते हैं, ताकि जो बरकरार है वे सभी महत्वपूर्ण जोखिमों, स्वामित्व और परिचालन पट्टे को अनुबंध खाते में रखे जा सके।

2.24.2 आकलन और धारणाएँ-

रिपोर्टिंग तिथि में भावी भविष्य और अन्य महत्वपूर्ण स्त्रोतों के बारे में मुख्य धारणाएँ दी गई है, जो कि अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्तियों और देनदारियों की मात्रा के रूप में समायोजित किए जायेंगे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है। कंपनी आकलन और धारणाओं के आधर पर समेकित वित्तीय वक्तव्यों को तैयार करती है। कंपनी भविष्य में होने वाले विकास जिसमें बाजार में होने वाली परिवर्तनों पर मौजूदा परिस्थिति के अनुरूप उन पर नियंत्रण रखती है। ऐसे बदलाव तब होते हैं जब वे घटित होती हैं।

2.24.2.1 गैर वित्तीय सम्पत्तियों की हानि -

अगर किसी परिसंपत्ति या नकद उत्पन्न करने वाली इकाई का वहन मूल्य उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो, तो हानि का संकेत है, जो कि इसके उचित मूल्य से निपटने की कम लागत और उपयोग में इसके मूल्य से अधिक है। कंपनी हानि के परीक्षण के उद्देश्य से अलग-अलग खानों को अलग नकद उत्पादन इकाइयों के रूप में मानती है। उपयोग की जाने वाली गणक मान डीसीएफ मॉडल पर आधारित होती है। नगदी प्रवाह को अगले पाँच वर्षों के लिए बजट से प्राप्त किया जाता है और जिसमें पुनर्गठन की गतिविधियां शामिल नहीं की जाती, जिसके लिए कंपनी अभी तक प्रतिबद्ध नहीं है एवं जिसमें सीजीयू की परिसंपत्तियों के प्रदर्शनों का भविष्य में उपयोग किया जा सके। वसूली राशि संवेदनशील होती है जो कम दर पर डीसीएफ मॉडल के साथ-साथ अपेक्षित भावी नगदी और प्रविष्टि प्रयोजन के विकास दर को बढ़ाती है। यह अनुमान अन्य खनन के बुनियादी ढांचे के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक है। विभिन्न सीजीयू के लिए वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने के लिए प्रमुख मान्यताओं का वर्णन किया गया है और जिसे आगे संबन्धित टिप्पणियों में भी वर्णित किया गया है।

2.24.2.2 कर

अस्थायी परिसंपत्तियाँ को अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस सीमा तक मान्यता प्राप्त है, जिस सीमा तक कर लगाने योग्य लाभों की उपलब्धता को उनके घाटे में भी उपयोग किया जा सके। प्रबंधन के महत्वपूर्ण निर्णयों की आवश्यकता इसलिए है कि आस्थगित कर परिसंपत्तियों की राशि का निर्धारण किया जा सके जिससे वह पहचाने जा सके। उपरोक्त समय के आधार पर और भविष्य में कर के लाभों के स्तर के साथ भावी कर योजनाओं के तहत रणनीतियाँ बनाई जायेंगी।

2.24.2.3 योजनाओं के लाभ की परिभाषा -

पारिभाषित लाभ, ग्रेजुएटी योजना और अन्य रोजगार चिकित्सा लाभों की लागत और ग्रेजुएटी दायित्वों के वर्तमान मूल्य का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन से किया जाता है। मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ शामिल होती है, जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती है। इसमें छूट दर, भविष्य में वेतन बढ़ोतरी और मृत्यु दर का निर्धारण शामिल किया जाता है।

मूल्यांकन और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति में शामिल जटिलता, परिभाषित लाभ, दायित्वों की मान्यताओं में परिवर्तन अत्यंत ही संवेदनशील होते हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में सभी मान्यताओं की समीक्षा की जाती है। सबसे अधिक परिवर्तन होने वाला विषय छूट दर होता है। भारत में संचालित योजनाओं के लिए उपर्युक्त छूट दर को निर्धारित करने में प्रबंधन सरकारी बॉन्ड के ब्याज दरों के साथ मुद्रित रोजगार के ब्याज दायित्वों पर विचार करती है।

मृत्यु दर देश के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मृत्यु दर की सारणी पर आधारित होते हैं। मृत्यु दर के सारणी में बदलाव केवल जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर आधारित होती है। भावी वेतन वृद्धि और ग्रेजुएटी की बढ़ोत्तरी भविष्य की मुद्रास्फीति की दर पर निर्धारित की जाती है।

2.24.2.4. वित्तीय साधनों का उचित मूल्य माप -

जब तुलन पत्र में दर्ज वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्य को सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत कीमतों के आधार पर मापा नहीं जा सकता, तो उनका उचित मूल्य डीसीएफ मॉडल के साथ आम तौर पर स्वीकृत मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके मापा जाता है। जहां तक संभव हो इन मॉडलों को बाजार से लिया जाता है। परंतु जहां तक संभव ना हो, वहाँ उचित मूल्यों को स्थापित करने के लिए निर्णायक परिणामों की आवश्यकता पड़ती है। निर्णय में नगदी की जोखिम, क्रेडिट जोखिम, अस्थिरता और अन्य प्रासंगिक इनपुट जैसे विचाराधीन निवेश शामिल होते हैं। धारणाओं में परिवर्तन और अनुमानित ऐसे कारक वित्तीय रिपोर्ट में दिये गए उचित मूल्य को प्रभावित करते हैं।

2.24.2.5 विकास के तहत अमूर्त संपत्तियां -

कंपनी ने लेखांकन नीति के अनुसार अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोग परियोजना के विकास के लिए किया है। आम तौर पर जब परियोजना की रिपोर्ट तैयार की जाती है, तब निर्णयों के आधार पर प्रबंधन द्वारा प्रारम्भिक पूँजी लागत की तकनीक और आर्थिक व्यवहार को स्वीकार किया जाता है।

2.24.2.6. खानों को बंद करने, साइट पुन: स्थापना व डीकमिस्निंग दायित्वों के लिए प्रावधान

खदानों को बंद करने के लिए उचित कारणों का होना अनिवार्य है। साइट पुन: स्थापना और डीकमिसनिंग दायित्व निम्न छूट दर पर प्राप्त होती है। साइट पुन: स्थापना और निराकरण अपेक्षित समय पर एवं अपेक्षित लागत के अनुरूप होते हैं। कंपनी परियोजना/खानों में डीसीएफ पद्धति को चलाने का प्रावधान करती है।

- कोल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट, के अनुसार अनुमानित लागत प्रति हेक्टर होगी।
- छूट दर(प्रति कर दर) जो की समय के वर्तमान मूल्यों के मूल्यांकन और देनदारियों के लिए वर्तमान बाजार द्वारा किए गए आकलन को दर्शाती है।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी -3 : संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(₹ करोड़ में)

	फ्रीहोल्ड भूमि	अन्य भूमि	भूमि सुधार/ साइट पुनर्स्थापना लागत	भवन निर्माण (जलापूर्ति,सड़कों और कलवर्ट सहित)	संयंत्र एवं उपकरण	दूरसंचार	रेलवे साइडिग	फर्नीचर एंड फीक्सचर	कार्यालय उपकरण	वाहन	हवाई जहाज	अन्य खनन आधारित संरचना	सर्वे-आफ परिसंपत्तियां	अन्य	कुल
सकल वहन राशि :															
01.04.2016 के अनुसार	30.29	2,070.28	318.67	328.05	777.81	23.29	84.86	13.32	11.41	15.50	-	169.32	7.79	-	3,850.59
योग	0.03	510.34	9.29	52.86	139.56	1.81	16.54	2.55	3.82	0.63	-	46.04	9.42	-	792.89
विलोपन/समायोजन	-	-	(12.38)	(0.02)	(8.48)	-	-	0.04	(0.13)	-	-	0.45	(0.82)	-	(21.34)
31.03.2017 के अनुसार	30.32	2,580.62	315.58	380.89	908.89	25.10	101.40	15.91	15.10	16.13	-	215.81	16.39	-	4,622.14
01.04.2017 के अनुसार	30.32	2,580.62	315.58	380.89	908.89	25.10	101.40	15.91	15.10	16.13	-	215.81	16.39	-	4,622.14
योग	-	660.35	4.97	61.21	170.33	1.64	49.18	2.07	5.15	2.04	-	17.73	2.01	-	976.68
विलोपन/समायोजन	-	-	(11.74)	(1.46)	(28.36)	0.05	-	(0.15)	(2.05)	(0.10)	-	(0.61)	(1.44)	-	(45.86)
31.03.2018 के अनुसार	30.32	3,240.97	308.81	440.64	1,050.86	26.79	150.58	17.83	18.20	18.07	-	232.93	16.96	-	5,552.96
संचित,मूल्यह्रास एवं हानि															
01.04.2016 के अनुसार	-	75.96	41.01	9.55	158.64	4.73	6.75	1.53	2.65	2.06	-	13.45	0.53	-	316.86
वर्ष के लिए प्रभार	-	94.82	35.39	16.27	160.17	4.40	9.10	1.80	4.04	2.29	-	15.59	5.62	-	349.49
हानि	-	-	-	-	1.60	-	-	-	-	-	-	0.56	-	-	2.16
विलोपन/समायोजन	-	-	-	0.02	12.96	0.22	0.01	0.76	(1.20)	0.01	-	0.47	-	-	13.25
31.03.2017 के अनुसार	-	170.78	76.40	25.84	333.37	9.35	15.86	4.09	5.49	4.36	-	30.07	6.15	-	681.76
01.04.2017 के अनुसार	-	170.78	76.40	25.84	333.37	9.35	15.86	4.09	5.49	4.36	-	30.07	6.15	-	681.76
वर्ष के लिए प्रभार	-	149.23	36.44	15.54	127.51	4.73	12.33	1.66	3.25	2.21	-	17.98	0.87		371.75
हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.91	-		0.91
विलोपन/समायोजन	-	(1.28)	-	0.18	(28.30)	0.03	-	0.78	(2.61)	0.04	-	0.84	(0.55)		(30.87)
31.03.2018 के अनुसार	-	318.73	112.84	41.56	432.58	14.11	28.19	6.53	6.13	6.61	-	49.80	6.47	-	1,023.55
निवल वहन राशि															
31.03.2018 के अनुसार	30.32	2,922.24	195.97	399.08	618.28	12.68	122.39	11.30	12.07	11.46	-	183.13	10.49	-	4,529.41
31.03.2017 के अनुसार	30.32	2,409.84	239.18	355.05	575.52	15.75	85.54	11.82	9.61	11.77	-	185.74	10.24	-	3,940.38

टिप्पणी:

1. भूमि - अन्य में कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम,1957 तथा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1984 अंतर्गत अधिग्रहीत भूमि शामिल है ।

2. पट्टाधाक भूमि में कोयला धारक क्षेत्र(अधिग्रहण और विकास) अधिनियम,1957 तथा भूमि अधिग्रहण अधिनियम,1984,ओडिशा सरकार भूमि निपटान अधिनियम,1962 शामिल है। पट्टाधारक भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण तथा विकास) अधिनियम 1957 के तहत भूमि के स्वामित्व को उस हद तक स्थानांतरित करने के लए अधिसूचना के आधार पर पूँजीलकृत किया गया है,जिसके लिए स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त किया गया है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम,1894,ओडिशा सरकार भूमि निपटान अधिनियम,1962 को राज्य प्राधिकारी द्वारा अधिकार प्रमाणित होने पर पूँजीकृत किया गया है।

3.अधिकांश मामलों में कंपनी के पक्ष में भूमि के वाहनों का कार्य निष्पादन लंबित है।

4.. कंपनी अधिनियम,2013 की अनुसूची-।। के अंतर्गत मूल्यह्रास से संबंधित जानकारी प्रदान की गई है। हालांकि,परिसंपत्ति के भिन्न वर्ग के भीतर इम्बेडेड कुछ लंबित परिसंपत्तियों के मूल्य को अलग करने के लिए तकनीकी मूल्यांकन की सहायता ली गई,कंपनी अधिनियम,2013 की अनुसूची-।। के अनुसार भिन्न तरह की संपत्तियों के लिए उनकी उपयोगिता के अनुसार उनका मूल्यह्रास किया गया ।

5. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान संपत्ति,संयंत्र और उपकरणों के संबंध में 0.91 करोड़ रुपए जो हानि हुई उसे लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया गया।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी -4 : पूँजी डब्लूआईपी

(₹ करोड़ में)

	भवन निर्माण (जलापूर्ति,सड़कों और कलवर्ट सहित)	संयंत्र एवं उपकरण	रेलवे साइडिग	विकास	अन्य	कुल
सकल वहन राशि :						
01.04.2016 के अनुसार	244.62	349.46	38.79	192.67	-	825.54
योग	93.19	196.90	29.56	912.61	-	1,232.26
पूँजीकरण	(83.71)	(82.66)	(5.04)	(5.45)	-	(176.86)
विलोपन/ समायोजन	(0.38)	(8.62)	-	7.07	-	(1.93)
31.03.2017 के अनुसार	253.72	455.08	63.31	1,106.90	-	1,879.01
						-
01.04.2017 के अनुसार	253.72	455.08	63.31	1,106.90	-	1,879.01
योग	73.69	200.98	17.73	300.99	-	593.39
पूँजीकरण	(59.45)	(53.53)	-	(34.25)		(147.23)
विलोपन/समायोजन	(0.98)	(64.18)	1.68	0.52		(62.96)
31.03.2018 के अनुसार	266.98	538.35	82.72	1,374.16	-	2,262.21
संचित प्रावधान एवं हानि						
01.04.2016 के अनुसार	-	11.88	-	-	-	11.88
वर्ष के लिए प्रभार	-	0.77	-	-	-	0.77
हानि	-	2.88	-	-	-	2.88
विलोपन/समंजन	-	(1.26)	-	-	-	(1.26)
31.03.2017 के अनुसार	-	14.27	-	-	-	14.27
						-
01.04.2017 के अनुसार	-	14.27	-	-	-	14.27
वर्ष के लिए प्रभार	-	0.52	-	-	-	0.52
हानि	-	-	-	-	-	-
विलोपन/समंजन	-	(0.20)	-	-	-	(0.20)
31.03.2018 के अनुसार	-	14.59	-	-	-	14.59
निवल वहन राशि						
31.03.2018 के अनुसार	266.98	523.76	82.72	1,374.16	-	2,247.62
31.03.2017 के अनुसार	253.72	440.81	63.31	1,106.90	-	1,864.74

1.संयंत्र एवं मशीनों के मद के मामलों मेन स्थापना लंबित खाते के कारण जिन्हे संयंत्र एवं मशीनों में रखा गया है इनके द्वारा मूल्यह्रास के समतुल्य का प्रावधान लाए यथा आवश्यक बट्टे खाते डालने के लिए कार्रवाई की जाती है । यदि संयंत्र एवं मशीन के कुल मद बाद में प्रयोग के लिए रखा जाता है जैसे प्रावधान करने के पश्चात प्रथम वर्ष के प्रयोग के बाद किए गए मूल्यह्रास वर्ष के लिए मूल्यह्रास हैं इसके अलावे मद के लिए लेखांकन समंजन के साथ प्रावधान मूल्यह्रास और इस प्रावधान के बीच है 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹.0.52 करोड़ प्रावधान इस लेखा में किया गया है ।

2. उपरोक्त सक्षम परिसंपातियाँ जैसे राशि ₹ 966.95 करोड़ के रेलवे ट्रैक का विकास और अन्य खनन आधारभूत संरचना के तहत ₹ 157.72 करोड़ के बंकिबाहल से कनिका रेलवे साईडिंग तक दो लेन से चार लेन सड़क का चौड़ीकरण ।

टिप्पणी -5 : अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां

	(₹ करोड़ में)
	अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत
सकल वहन राशि:	
01.04.2016 के अनुसार	114.27
योग	5.22
विलोपन/समायोजन	(8.37)
31.03.2017 के अनुसार	111.12
01.04.2017 के अनुसार	111.12
योग	15.83
विलोपन/समायोजन	-
31.03.2018 के अनुसार	126.95
संचित प्रावधान एवं हानि	
01.04.2016 के अनुसार	-
वर्ष के लिए प्रभार	-
हानि	-
विलोपन/समायोजन	-
31.03.2017 के अनुसार	-
01.04.2017 के अनुसार	-
वर्ष के लिए प्रभार	-
हानि	-
विलोपन/समायोजन	-
31.03.2018 के अनुसार	-
निवल वहन राशि	
31.03.2018 के अनुसार	126.95
31.03.2017 के अनुसार	111.12

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी -6 : अन्य अमूर्त(इंटेजीवल) परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	कंप्यूटर साफ्टवेयर	बिक्री के लिए कोल ब्लॉक	अन्य	कुल
सकल वहन राशि :				
01.04.2016 के अनुसार	0.51	4.91	-	5.42
योग	0.22	-	-	0.22
पूँजीकरण/विलोपन	(0.13)	-	- -	0.13
31.03.2017 के अनुसार	0.60	4.91	-	5.51
01.04.2017 के अनुसार	0.60	4.91	-	5.51
योग	-	-	-	-
पूँजीकरण/विलोपन	-	(0.33)	-	(0.33)
31.03.2018 के अनुसार	0.60	4.58	-	5.18
संचित प्रावधान एवं हानि				
01.04.2016 के अनुसार	0.04	-	-	0.04
वर्ष के लिए प्रभार	0.16	-	-	0.16
हानि	-	-	-	-
विलोपन/समंजन	-	-	-	-
31.03.2017 के अनुसार	0.20	-	-	0.20
01.04.2017 के अनुसार	0.20	-	-	0.20
वर्ष के लिए प्रभार	0.15	-	-	0.15
हानि	-	-	-	-
विलोपन/समंजन	-	-	-	-
31.03.2018 के अनुसार	0.35	-	-	0.35
निवल वहन राशि				
31.03.2018 के अनुसार	0.25	4.58	-	4.83
31.03.2017 के अनुसार	0.40	4.91	-	5.31

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी -7(i) : निवेश

गैर चालू

(₹ करोड़ में)

	प्रतिशतता (%) धारक	चालू वर्ष में शेयरों की संख्या / (गत वर्ष)	चालू वर्ष प्रति शेयर अंकित मूल्य / (गत वर्ष)	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
शेयर में निवेश					
अनुषंगी कंपनियों में इक्वीटी शेयर					
एमएनएच शक्ति लिमिटेड.	70%	59570000/ (59570000)	10.00	59.57	59.57
एमजेएसजे कोल लिमिटेड	60%	57060000/ (57060000)	10.00	57.06	57.06
एमबीपीएल	100%	50000/ (50000)	10.00	0.05	0.05
एमसीआरएल	64%	32000/(32000)	10.00	0.03	0.03
गैर-व्यापार (उद्धृत)					
सुरक्षित बांड में					
7.55 % सुरक्षित अपरिवर्तित ईआरएफसी कर-मुक्त 2021 सीरीज 79 बॉड		20000/(20000)	100000/ (100000)	200.00	200.00
8% सुरक्षित अपरिवर्तित ईआरएफसी कर-मुक्त बॉन्ड		1087537/ (1087537)	1000/ (1000)	108.75	108.75
7.22 % सुरक्षित अपरिवर्तित आईआरएफसी कर-मुक्त बॉड		4999/(4999)	1000100/ (1000100)	499.95	499.95
7.22 % सुरक्षित प्रतिदेय आरईसी कर-मुक्त बॉड		1500000/ (1500000)	1000/ (1000)	150.00	150.00
कुल :				**1075.41**	**1075.41**
अनुद्धत निवेश की कुल राशि				**116.71**	**116.71**
उद्धृत निवेश की कुल राशि				**958.70**	**958.70**
उद्धत निवेश का बाजार मूल्य				**993.40**	**995.19**
निवेश -मूल्य में हानि की कुल राशि :				-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी -7(ii) :

निवेश
चालू

(₹ करोड़ में)

	यूनिटों की संख्या (चालू वर्ष/(गत वर्ष)	एनएव्ही (₹ में)	**31.03.2018 के अनुसार**	**31.03.2017 के अनुसार**
व्यापार (अनुद्धृत)				
म्यूचुअल फंड निवेश				
कैनरा रोबेको लिक्वीड फंड	-/(69617.11)		-	7.00
एसबीआई प्रीमियर लिक्वीड फंड	-/(1026663.34)		-	103.00
यूटीआई मनि मार्केट फंड	-/(902451.20)		-	92.00
कुल :			**-**	**202.00**
उद्धत निवेश की कुल राशि			-	-
अनुद्धृत निवेश की कुल राशि			-	202.00
अनुद्धत निवेश का बाजार मूल्य				202.04
निवेश -मूल्य में हानि की कुल राशि :			-	-

टिप्पणी : व्यापार (अनुद्धृत) म्युचुअल फंड एनएव्ही ऊपर निर्दिष्ट अंकित मूल्य के बराबर है।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी -8 : ऋण

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 के अनसार		31.03.2017 के अनसार	
गैर-चालू				
संबंधित पार्टियों को ऋण				
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-		-	
- असुरक्षित,जिसे अचछा समझा गया	-		1,200.00	
- संदेहास्पद	-		-	
घटाव: संदेहास्पद ऋण हेतु भत्ते		-		1,200.00
कार्मिकों के लिए ऋण				
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	0.82		1.06	
- असुरक्षित,जिसे अचछा समझा गया	-		-	
- संदेहास्पद	-		-	
घटाव: संदेहास्पद ऋण हेतु भत्ते		0.82		1.06
अन्य ऋण				
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-		-	
- असुरक्षित,जिसे अचछा समझा गया	1,000.00		-	
- संदेहास्पद	-		-	
घटाव: संदेहास्पद ऋण हेतु भत्ते		1000.00		-
कुल		**1,000.82**		**1,201.06**
वर्गीकरण				
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया		0.82		1.06
- असुरक्षित,जिसे अच्छा समझा गया		1,000.00		1,200.00
- संदेहास्पद		-		-
घटाव: संदेहास्पद ऋण हेतु भत्ते		-		-
चालू				
संबंधित पार्टियों का ऋण				
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-		-	
- असुरक्षित,जिसे अच्छा समझा गया	-		-	
- संदेहास्पद	-		-	
घटाव: संदेहास्पद ऋण हेतु भत्ते		-		-
कार्मिकों के लिए ऋण				
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	0.32		0.32	
- असुरक्षित,जिसे अच्छा समझा गया	-		-	
- संदेहास्पद	-		-	
घटाव: संदेहास्पद ऋण हेतु भत्ते		0.32		0.32
अन्य ऋण				
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-		-	
- असुरक्षित,जिसे अच्छा समझा गया	-		-	
- संदेहास्पद	-		-	
घटाव: संदेहास्पद ऋण हेतु भत्ते				
कुल		**0.32**		**0.32**
वर्गीकरण				
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया		0.32		0.32
- असुरक्षित,जिसे अच्छा समझा गया		-		-
- संदेहास्पद		-		-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी -9 :
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 के अनसार		31.03.2017 के अनसार	
गैर चालू				
बैंक जमा		2.68		2.56
खदान बंदी के तहत बैंक में जमा		834.81		696.75
खदान बंदी व्यय हेतु इस्क्रो लेखा से प्राप्य		0.57		0.57
अन्य जमा specified in note)	38.24	-	32.36	
घटाव: संदेहास्पद जमा हेतु प्रावधान	-	38.24	-	32.36
अन्य प्राप्तियां	0.16		0.16	
घटाव: संदेहास्पद जमा हेतु प्रावधान	0.16	-	0.16	-
कुल		**876.30**		**732.24**
उधार/अन्य से मार्जिन मनी या सिक्यूरिटी के रूप में बैंकों में शेष		2.68	36.62	2.56

टिप्पणी:

1.कोयला मंत्रालय, भारत सरकार तथा बाद में कोयला नियंत्रक के साथ हुए करार के शर्तों के अनुसार आधिसूचित बैंक में 3 माह से अधिक अवधि तक ₹ 834.81 करोड़ की पूर्णता तक खनन निस्पादिता एसक्रो एकाउंट में जमा होता है ।

2. बैंक में जमा ₹ .1.91 करोड़ जिनमें ब्याज की राशि ₹ . 1.32 करोड़ है वह विसिष्ट शर्तों के अनुसार जमा है जो जिला कोर्ट सुंदरगढ़ के अंतर्गत विचारधीन है जिसे एक अधिकारी द्वारा विचार किया गया है और कोर्ट द्वारा जबतक अंतिम निर्देश आ जाता तबतक इस राशि की निकासी नहीं की जा सकती ।

3.बैंक में जमा जिसमें ₹. 0.03 करोड़ समाविष्ट है उसे बीजी के लिए मोबाइल रेडियो, जिसकी आपूर्ति दूर संचार विभाग भारत सरकार करता है और ओआईटीडीएस के प्रयोजन हेतु इसे जारी किया जाता है ।

4. बैंक में जमा ₹ 0.74 करोड़ एमआईएमएसआर के लिए टीएएमडीए को जारी किया जाता है जो संस्थान निर्माण योजना हेतु प्राप्त अनुमोदन से वहाँ किया जाता है ।

5.अन्य (गैर चालू) :-	31.03.2018	31.03.2017
विद्युत आपूर्ति उपक्रम	36.30	31.66
सुरक्षा एवं अन्य जमा	0.06	0.06
पी एंड टी विभाग	0.03	0.03
गैस कंपनी एवं अन्य के साथ जमा	1.85	0.61
	38.24	**32.97**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी -9 :

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

		31.03.2018 के अनुसार		31.03.2017 के अनुसार
चालू				
सीआईएल के साथ अतिरिक्त निधि		-		53.94
खदान बंदी हेतु इस्क्रो लेखा से प्राप्य		-		-
अनुषंगी कंपनियों के साथ चालू लेखा		43.68		38.24
असुरक्षित दीर्घावधि ऋण को वर्तमान परिपक्वता		-		300.00
निम्न पर प्राप्ति योग्य ब्याज				
- निवेश		31.35		31.29
- बैंक जमा		369.25		569.96
- अन्य		4.68		2.78
अन्य जमाo be specified in note)	-		-	
घटाव :संदिग्ध जमा हेतु भत्ते	-	-	-	-
प्राप्य दावे	293.89		0.30	
घटाव :संदिग्ध जमा हेतु भत्ते	-	293.89	-	0.30
अन्य प्राप्तियां	3.34		2.77	
घटाव :संदिग्ध जमा हेतु भत्ते	0.76	2.58	-	2.77
कुल		**745.43**		**999.28**

टिप्पणी :

	31.03.2018	31.03.2017
1. अन्य प्राप्तियां		
क. बाहरी से वसूली योग्य	1.71	1.48
ख. विद्युत वसूली	0.39	0.58
ग. अन्य प्राप्तियां (जलापूर्ति के संबंध में)	0.34	0.70
घ. अन्य	0.90	0.01
	3.34	2.77

2. राज्य सरकार से डीएमएफ़ के तहत ₹293.79 करोड़ प्राप्ति योग्य जिसे प्राप्ति योग्य दावों में शामिल किया गया है जो पहले से सरकार के पास जमा किया गया है यह सर्बोच्च न्यायालय आदेश के तहत कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्या जीएसआर 837 (ई) इसकी प्रभावी तिथि 20.10.2015 से 12.01.2015 की गई है।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी -10 : अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 के अनुसार		31.03.2017 के अनुसार	
(i) पूँजी अग्रिम	295.79		374.46	
घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	0.55	295.24	0.55	373.91
(ii) पूँजी अग्रिम के अलावा अग्रिम				
(क) उपयोगिताओं के लिए सुरक्षा जमा	-		-	
घटाव: संदेहास्पद जमा हेतु प्रावधान	-	-	-	-
(ख) अन्य जमा (to be specified in note)	9.76		8.59	
घटाव: संदेहास्पद जमा हेतु प्रावधान	-	9.76	-	8.59
(ग) संबंधित पार्टियों को अग्रिम		-		-
(घ) राजस्व हेतु अग्रिम	-		-	
घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-	-	-
(ङ) अन्वेषन ड्रीलिंग कार्य	-		-	
घटाव: प्रावधान	-	-	-	-
(च) प्रीपेड व्यय		-		-
(छ) अन्य		-		-
कुल		305.00		382.50

टिप्पणी

वर्गीकरण

असुरक्षित - अच्छा समझा गया	304.45	381.95
- संदेहास्पद समझा गया	0.55	0.55

अन्य जमा-

कोर्ट में जमा	6.45	6.33
सरकारी अथोरिटी में जमा	3.31	2.26
	9.76	8.59

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां
टिप्पणी -11 : अन्य चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 के अनुसार		31.03.2017 के अनुसार	
(क) राजस्व के लिए अग्रिम	228.94		225.86	
घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	4.90	224.04	2.16	223.70
(ख) वैधानिक बकाए का अग्रिम भुगतान	24.45		27.99	
घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	24.45	-	27.99
(ग) संबंधित पार्टियों को अग्रिम		-		-
(घ) कार्मिकों को अग्रिम	101.93		5.64	
घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	0.03	101.90	0.03	5.61
(ङ) अग्रिम - अन्य e specified in note)	-		-	
घटाव: संदेहास्पद दावा हेतु प्रावधान	-	-	-	-
(च) उपयोगिताओं के लिए जमा	-		-	
घटाव : प्रावधान	-	-	-	-
(छ) जमा - अन्य e specified in note)	829.53		679.58	
घटाव : प्रावधान	-	829.53	-	679.58
(ज) सीईएनवीएटी क्रेडिट प्राप्य		-		76.01
(झ) इनपूट टैक्स क्रेडिट प्राप्य		195.58		-
(झ) मैट क्रेडिट इनटाइटलमेंट		-		-
(ञ) प्रीपेड व्यय		12.45		12.86
(ट) प्राप्तियां - अन्य	-		-	
घटाव: प्रावधान	-	-	-	-
कुल		**1,387.95**		**1,025.75**

टिप्पणी :

1 **अन्य को जमा:**

	31.03.2018	31.03.2017
विरोध के तहत बिक्री कर जमा	31.41	43.86
विरोध के तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क जमा	2.89	2.88
विरोध के तहत सेवा कर और ब्याज जमा	0.41	0.26
विरोध के तहत एस.टैक्स पर जुर्माना जमा	0.04	0.04
विरोध के तहत आयकर जमा	794.78	632.54
	829.53	679.58

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी -12 : वस्तुसूची

(जैसा लिया गया,मूल्यांकन एवं प्रबंधन द्वारा प्रमाणित)

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 के अनुसार		31.03.2017 के अनुसार	
(क) कोयले का स्टॉक	400.78		254.70	
विकास के तहत कोयला	-		-	
	400.78		254.70	
घटाव : प्रावधान	-		-	
कोयले का स्टॉक (निवल)		400.78		254.70
(ख) स्टोर एवं पुर्जे का भंडार(लागत पर)	75.72		78.54	
योग : मार्गस्थ स्टोर	14.23		0.96	
घटाव : प्रावधान	26.57		19.89	
कुल पुर्जे एवं स्टोर का स्टॉक (लागत पर)		63.38		59.61
(ग) केंद्रीय अस्पताल में दवाओं का स्टॉक		0.76		1.11
(घ) कर्मशाला कार्य :				
कार्य प्रगति पर एवं तैयार माल	9.84		6.71	
घटाव : प्रावधान	-		-	
कर्मशाला कार्यों पर निवल स्टॉक		9.84		6.71
(ङ) प्रेस कार्य :				
कार्य प्रगति पर एवं तैयार माल		-		-
		474.76		**322.13**

1. वर्ष के दौरान भंडार/पूर्जो के वास्तविक जांच में किसी तरह की कमी/अधिकता नहीं पायी गई है। 31.03.2018 को संचयी प्रावधान रु.0.98 करोड़(31.03.2017 को रु.0.90 करोड़) हो गया है।

2. उपयुक्त/ मरम्मत के अयोग्य मदों वाले भंडार एवं पूर्जे तथा वे पूर्जे जिनका प्रयोग 5 वर्षों से नहीं किया गया है, के संबंध में क्रमश: 100 % एवं 50 % का प्रावधान लेखांकन नीति के अनुसार रखा गया है। 31.03.2018 को संचयी प्रावधान रु. 25.38 करोड़ (31.03.2017 को रु.18.68 करोड़) हो गया है।

3. दिनांक 31.03.2018 को परिसंपतियों में हानि के लिए प्रावधान में रु.0.21 करोड़ (31.03.2017 के लिए रु. 0.23 करोड़) रखा गया है ।

4. कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार औसत वजन तरीके के से भंडार एवं पूर्जों का मूल्यांकन किया गया है। शुद्ध कार्यान्वयन मूल्य की सुनिश्चितता में कठिनाई के चलते शुद्ध कार्यान्वयन मूल्य के साथ प्राप्त लागत को लेखा में न तो रखा गया है न समंजित किया गया है।

टिप्पणी-12 का अनुलग्नक

(परिमाण लाख टन में) (मूल्य लाख ₹ में)

वर्ष के अंत में बुक स्टॉक के साथ खाते में अपनाया गया क्लोज़िंग स्टॉक का मिलान   टेबूल -क

	सकल स्टॉक		नन वेंडेवल स्टॉक		वेंडेवल स्टॉक	
	परिणाम	मूल्य	परिणाम	मूल्य	परिणाम	मूल्य
1. (क) 01.04.17 को आरभिंक स्टॉक	63.87	27654.17	-	-	63.87	27654.17
(ख) 5% से अधिक कमी	1.19	2,184.54	-	-	1.19	2,184.54
आरंभिक लेखा में लिए गए स्टॉक	62.68	25,469.63			62.68	25469.63
2. अवधि में उत्पादन	1,430.58	1,381,827.81	-	-	1430.58	1381827.81
3. उप जोड़ (1क+2)	1,494.45	1,409,481.98	-	-	1,494.45	1,409,481.98
4. अवधि के लिए ऑफ टेक						
(क) बाहर प्रेषण	1,382.62	1,367,332.00	-	-	1382.62	1367332.00
(ख) वाशरियों में कोयला खपत	-	-	-	-	-	-
(ग) घरेलू खपत	0.05	95.67	-	-	0.05	95.67
कुल(क)	1,382.67	1,367,427.67	-	-	1382.67	1367427.67
5. उत्पन्न स्टॉक	111.78	42,054.31	-	-	111.78	42054.31
6. मापा गया स्टॉक	110.23	39,902.29	-	-	110.23	39902.29
7. अंतर (5-6)	1.55	2,152.02	-	-	1.55	2,152.02
8. अंतर का ब्रेक-अप :						
(क) 5% के अंदर वृद्धि	0.57	168.02	-	-	0.57	168.02
(ख) 5% के अंदर कमी	0.95	343.64	-	-	0.95	343.64
(ग) 5% से अधिक वृद्धि	-	-	-	-	-	-
(घ) 5% से अधिक की कमी	1.17	1,976.40	-	-	1.17	1,976.40
9. लेखा में लिया गया अंतिम स्टॉक (6-8क+8ख)	110.61	40,077.91	-	-	110.61	40077.91

अंतिम कोयला स्टॉक का सारांश   टेबूल :ख

	कच्चा कोयला				धोया/ देशाल्ड कोयला				अन्य उत्पाद		कुल	
	कोकिंग		नन-कोकिंग		कोकिंग		नन-कोकिंग					
	परिणाम	मूल्य	परिणाम	मूल्य	परिणाम	मूल्य	परिणाम	मूल्य	परिणाम	मूल्य	परिणाम	मूल्य
आरंभिक स्टॉक (लेखा परीक्षित)	-	-	63.87	27,654.17	-	-	-	-	-	-	63.87	27,654.17
5% से अधिक की कमी			1.19	2,184.54							1.19	2,184.54
घटाव : नन वेंडेवल कोयला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समंजित आरंभिक स्टॉक (वेंडेवल)	-	-	62.68	25,469.63	-	-	-	-	-	-	62.68	25,469.63
उत्पादन	-	-	1,430.58	1,381,827.81	-	-	-	-	-	-	1,430.58	1,381,827.81
आफटेक												
(क) बाहर प्रेषण	-	-	1,382.62	1,367,332.00	-	-	-	-	-	-	1,382.62	1,367,332.00
(ख) वाशरियों में कोयला खपत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ग) घरेलू खपत	-	-	0.05	95.67	-	-	-	-	-	-	0.05	95.67
उत्पन्न अंतिम स्टाक	-	-	111.78	42,054.31	-	-	-	-	-	-	111.78	42,054.31
घटाव : कमी	-	-	1.17	1,976.40	-	-	-	-	-	-	1.17	1,976.40
अतिरिक्त			-	-								
अंतिम स्टॉक	-	-	110.61	40,077.91	-	-	-	-	-	-	110.61	40,077.91

आंतरिक सर्वेक्षण माप टीमों ने कोयले का भौतिक रूप से स्टॉक का सत्यापित किया है। कुछ क्षेत्रों में भी बाहरी टीमों द्वारा सत्यापित किया गया है। बुक स्टॉक (खान / कोलियरीवार) पर +/- 5% के भीतर कोयला स्टॉक के भौतिक सत्यापन पर मिली कमी / वृद्धि को लेखा नीति के अनुसार अनदेखा किया जाता है।

5% से अधिक की कमी का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्षेत्र	खदान	बुक स्टॉक (लाख टन में)		मापा गया स्टाक (लाख टन में)		% अंतर	
		31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
ओरियंट	खदान संख्या -3	0.12	0.20	-	0.08	100.00	58.98
	एचबीएम- जी 9	0.30	0.30	-	-	100.00	100.00
तालचेर	नंदिरा - जी 8	0.50	0.50	-	-	100.00	100.00
	तालचेर - जी 5	0.25	0.75	-	0.48	100.00	36.45
	कुल :	0.17	1.75		0.56		

उस मामले में जब अंतर +/- 5% से अधिक है, पॉलिशी के मुताबिक मापे गए स्टॉक को लेखा में लिया जाता है। दिनांक 31.03.2018 के मुताबिक अंतर 5% की स्थिति में 1.17 लाख टन के परिमाण के लिए रु.19.76 करोड के अंतर के मूल्य को लेखा में शामिल किया गया।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी -13 : व्यापार से प्राप्य

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 के अनुसार		31.03.2017 के अनुसार	
चालू				
व्यापार प्राप्तियां				
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया				
- असुरक्षित,जिसे अच्छा समझा गया	606.86		1054.44	
- संदेहास्पद	30.14		109.53	
घटावः डूबा एवं संदेहास्पद ऋण हेतु भत्ते	30.14	606.86	109.53	1054.44
कुल		**606.86**		**1054.44**
टिप्पणी :				
1 नियत तिथि से छः माह से कम अवधि के लिए बकाया ऋण ।	440.84		960.92	
2 नियत तिथि से छः माह से अधिक अवधि लिए बकाया ऋण ।	166.02		93.52	
संदेहास्पद ऋण	30.14		109.53	
		637.00		**1163.97**

टिप्पणी:

1 कोई व्यापार या अन्य प्राप्तियां कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से अलग-अलग या संयुक्त रूप से किसी दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं हैं, न ही किसी भी व्यापार या अन्य प्राप्य कंपनियों या निजी कंपनियों के क्रम में क्रमशः देय हैं, जिसमें कोई निदेशक भागीदार, एक निदेशक या सदस्य है।

2 किसी भी समय 3 महीने से कम समय में देनदारों से शेष राशि प्राप्त नहीं की जा रही है।

3 टिप्पणी 21 के प्रावधानों में रु.173.45 करोड़ (31.03.2017 को रु. 80.77 करोड़) का स्वीकृति कोयला की गुणवत्ता में अंतर के लिए रखा गया है यह रेफरि संप्लर के नमूना जांच के परिणाम के लिए है तथा टिप्पणी 21 के प्रावधानों में दिखाया गया है।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी -14 : नगद एवं नगद समतुल्य

(₹ करोड़ में)

		31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
(क)	बैंक में शेष		
	- जमा खातों में		
	(3 माह तक परिपक्वता सहित)	-	-
	- चालू खातों में		
	क. ब्याज सहित (सीएलटीडी खाते इत्यादि)	119.77	95.11
	ख. गैर-ब्याज सहित	85.08	277.25
	- कैश क्रेडिट खाते में	-	-
(ख	भारत के बाहर बैंक शेष	-	-
(ग)	चेक,ड्राफ्ट एवं स्टाम्प हाथ में	-	-
(घ)	नगद हाथ में	-	-
(ङ)	भारत के बाहर नगद हाथ में	-	-
(च)	अन्य	-	-
	कुल नगद एवं नगद समतुल्य	204.85	372.36
	बैंक ओवरड्राफ्ट	-	-
	कुल नगद एवं नगद समतुल्य(निवल बैंक आवरड्राफ्ट)	204.85	372.36
	अवधि के दौरान अनुसूचित बैंकों के अलावा किसी भी समय बैंकों के साथ अधिकतम बकाया राशि	शून्य	शून्य

टिप्पणी :

1 नकद और नकद समतुल्यों में हाथ और बैंकों में, स्वीप अकाउंट्स और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता वाले बैंकों के साथ सावधि जमा शामिल है।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी -15 : अन्य बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
बैंक में शेष		
- खाते में जमा(परिपक्वता सहित 3 माह से अधिक)		
क. स्थायी जमा	13,096.76	14,662.95
ख. सीएलटीडी खाते	-	-
- खदान बंदी योजना	-	-
- भुगतान न किए गए लाभांश	-	-
- लाभांश खाते	-	-
कुल	**13,096.76**	**14,662.95**
उधार / अन्य से संबंधित मार्जिन या सिक्युरीटी मनी के रूप में तय सीमा के तहत बैंकों में शेष राशि	34.75	34.06

टिप्पणी:

1. अन्य बैंक बैलेन्स में सावधी जमा और अन्य बैंक जमा शामिल होते हैं जो की प्रतिवेदन की प्रारंभिक तिथि से 12 महीनो के भीतर नगद के रूप में वसूल किए जाने आपेक्षित है ।
2. अदालत के आदेशानुसार वर्ष 2005-06 में बारूद दर के अनुबंध के मुकाबले ₹ 0.04 करोड़ वसूल किए गए थे।
3. मेससे आइआरसी लोजिस्टिक लिमिटेड के बीजी के नकदीकरण के लिए माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के मुकाबले निर्धारित जमा में ₹ 0.19 करोड़ शामिल है ।
4. माननीय उच्च न्यायालय कटक के अंतरिम आदेश के अनुसार मेसर्स वीडियोकॉन इंडस्ट्री लिमिटेड के संबंध में कंपनी द्वारा बीजी नकदी करण(एफ़एसए) के मुकाबले निर्धारित ₹ 8.26 करोड़ आरक्षित जमा शामिल है ।
5. सावधि जमा में मेसर्स श्री महावीर फेरो अल्लोयस प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में कंपनी द्वारा 40% टपेरिंग मनी के लिए ₹ 0.16 करोड़ की राशि शामिल है । माननीय उच्च न्यायालय कटक के आदेशानुसार वर्ष 2015 की रिट याचिका संख्या 3109 के अंतिम परिणाम तक शामिल है ।
6. माननीय उच्च न्यायालय कटक (ओड़िशा) के अंतरिम आदेश के खिलाफ ₹ 5.97 करोड़ मुआवजे के जमा राशि के तहत शामिल है अर्थात विवादित भूमि में शामिल मुआवजे की शेष राशि को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है ।
7. मेसर्स एमसीएल- केएसआईपीएल जेवी द्वारा प्रस्तुत बीजी के नगदीकरण के संबंध में ओड़िशा के माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ₹ 1.06 करोड़ की सावधि जमा शामिल है ।
8. भारतीय स्टेट बैंक के धरनाधिकार के अधीन ₹ 13.35 करोड सावधि जमा रखा गया है जो भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में बैंक गारंटी के अनुदान के लिए अनुषंगी कंपनी मेसर्स एमजेएसजे कोल लिमिटेड की और से ब्लॉक आवंटन की शर्तों को पूरा करने के लिए आश्वासन पत्र जारी करता है ।
9. न्यायालय के आदेशानुसार वर्ष 2005-06 में बारूद दर अनुबंध के लिए प्राप्त मूल्य में अंतर हेतु ₹ 5.73 करोड़ सावधि जमा शामिल है ।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां
टिप्पणी -16 : इक्वीटी शेयर पूँजी

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
अधिकृत		
₹1000/- प्रति शेयर के 77,58,200 इक्वीटी शेयर	775.82	295.82
	775.82	**295.82**
निर्गत, सब्सक्राइब्ड और पेड-अप		
₹1000/- प्रति शेयर के 7061330 इक्वीटी शेयर नगद रूप में पूर्ण भुगतान	706.13	141.23
	706.13	**141.23**

1. 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा आयोजित कंपनी में शेयर

शेयरधारकों के नाम	शेयरों की सख्या (अंकित मूल्य ₹1000/- प्रत्येक	कुल शेयरों का प्रतिशत
कोल इंडिया लिमिटेड(धारक कंपनी) एवं इसके नामिनी	7061330	100

2. दिनांक 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी ने पूर्ण प्रदत्त मौजूदा इक्विटी शेयर के प्रत्येक सदस्य के लिए ₹ 1000 के अंकित मूल्य के 04 प्रदत्त इक्विटी शेयर, जारी किया है ।

3. समूह के पास सिर्फ एक ही श्रेणी के इक्वेटी शेयर हैं जिनका अंकित मूल्य प्रति शेयर ₹ 1000 हैं इक्वेटी शेयर धारक समय-समय पर घोषित लाभांश को प्राप्त करने एवं शेयर धारकों की बैठक में उनके शेयरों के लिए मतदान करने का अधिकारी है ।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी -17 : अन्य इक्वीटी

(₹ करोड़ में)

	अन्य रिजर्व					
	कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व	कैपिटल रिजर्व	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	अन्य वृहद आय	कुल
01.04.2016 को शेष	**204.18**	**-**	**3,470.32**	**590.19**	**11.99**	**4,276.68**
वर्ष के दौरान योग	-	-	-	-	-	-
लेखा नीति में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-
पूर्व अवधि त्रुटियां	-	-	-	(6.83)	-	**(6.83)**
01.04.2016 को पून: घोषित शेष	204.18	-	3,470.32	583.36	11.99	**4,269.85**
वर्ष के दौरान योग	45.17	-	-	-	-	**45.17**
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	(1,617.06)	-	-	**(1,617.06)**
वर्ष के दौरान लाभ	-	-	-	4,512.97	-	**4,512.97**
वर्ष के दौरान अन्य वृहत आय	-	-	-	-	(0.92)	**(0.92)**
विनियोजन	-	-	-			-
सामान्य आरक्षित को/से अंतरण	-	-	224.55	(224.55)	-	-
अन्य आरक्षित को/से अंतरण	-	-	-		-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	(2,982.00)	-	**(2,982.00)**
अंतिम लाभांश	-	-	-		-	-
कार्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	(607.06)	-	**(607.06)**
बाईबैक पर टैक्स	-	-	-	(362.67)	-	**(362.67)**
31.03.2017 के अनुसार शेष	**249.35**	**-**	**2,077.81**	**920.05**	11.07	**3,258.28**
01.04.2017 के अनुसार शेष	249.35	-	2,077.81	920.05	11.07	**3,258.28**
वर्ष के दौरान योग	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	(249.35)	-	(315.55)	-	-	**(564.90)**
लेखा नीति में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-
पूर्व अवधि त्रुटियां	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान लाभ	-	-	-	4,761.29	-	**4,761.29**
वर्ष के दौरान अन्य वृहत आय	-	-	-	-	17.88	17.88
विनियोजन	-	-	-	-	-	-
सामान्य आरक्षित को/से अंतरण	-	-	238.06	(238.06)	-	-
अन्य आरक्षित को/से अंतरण	-	-	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	(4,350.00)	-	**(4,350.00)**
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
कार्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	(885.56)	-	**(885.56)**
इक्वीटी शेयर का बाईबैक	-	-	-	-	-	-
बाईबैक पर टैक्स	-	-	-	-	-	-
31.03.2018 के अनुसार शेष	**0.00**	-	**2,000.32**	**207.72**	**28.95**	**2,236.99**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी -18: उधार

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
गैर-चालू		
आवधिक ऋण		
- बैंक से	6.50	6.13
- अन्य पार्टियों से	-	-
संबंधित पार्टियों से ऋण	-	-
अन्य ऋण	-	-
कुल	6.50	6.13
वर्गीकरण		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	6.50	6.13
चालू		
मांग पर पुन: प्राप्य ऋण		
- बैंक से	-	1,500.00
- अन्य पार्टियों से	-	-
संबंधित पार्टियों से ऋण	-	700.00
अन्य ऋण	-	-
कुल	-	2,200.00
वर्गीकरण		
सुरक्षित	-	1,500.00
असुरक्षित	-	700.00

टिप्पणी :

1.फ्रांस के लेबेरर से 4 हाइड्रोलिक शोवेल की खरीद के लिए नेशनल बैंक ऑफ पेरिस और नैटेक्सिस बैंक के साथ समझौते के माध्यम से ऋण की व्यवस्था की गई थी। 31.03.2018 को (पुनर्भुगतान के बाद शुद्ध) में ₹ 7.0 9 करोड़ ऋण बकाया है। (जो 31.03.2017 को ₹ 6.64 करोड़ था)।

शेष का विवरण निम्न प्रकार है :-

	यूरोEuro	₹ करोड़ में
01.04.2017 के अनुसार शेष	956737.96	6.64
31.03.2018 को समाप्त वर्ष के दौरान पुन: भुगतान	74113.58	0.57
विनिमय अंतर(ट्रांसलेशन डिफरेंश)	-	1.02
31.03.2018 के अनुसार शेष	882624.38	7.09

₹ 7.09 करोड़ के शेष में ₹ 0.59 करोड़ के दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वता शामिल है।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी -19: व्यापार से प्राप्य

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
चालू		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए व्यापार भुगतान	0.92	1.26
अन्य व्यापार भुगतान		
-स्टोर एवं पुर्जे	44.34	41.52
-विद्युत एवं ईंधन	2.21	0.51
-अन्य	524.54	360.48
कुल	**572.01**	**403.77**

टिप्पणी :

अन्य: (प्रमुख मद)		
कोयला परिवहन प्रभार	193.23	144.96
बकाया व्यय- राजस्व	291.77	177.81
सीएमपीडीआईएल	37.73	35.27
	522.73	**358.04**

एमएसएमई को बकाया राशि और ब्याज यदि कोई हो, की समयवृद्धि

अवधि	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
15 दिनों के भीतर बकाया	0.34	0.42
16 से 30 दिनों के भीतर बकाया	0.41	0.43
31 से 45 दिनों के भीतर बकाया	-	0.08
45 दिनों बाद तक बकाया	0.17	0.33
कुल एमएसएमई क्रेडिटर	**0.92**	**1.26**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां
टिप्पणी -20: अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
गैर-चालू		
प्रतिभूति जमा	40.48	34.76
अररनेस्ट मनी	-	-
अन्य(प्रतिभूति जमा-प्रबंधन प्रशिक्षु)	4.60	5.43
	45.08	**40.19**
चालू		
चालू खाता		
- सीआईएल	27.95	-
- अनुषंगी कंपनियां	-	-
दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता	0.59	0.51
भुगतान न किए गए लाभांश	-	-
प्रतिभूति जमा	120.41	105.74
अररनेस्ट मनी	39.77	49.15
वेतन,मजदूरी एवं भत्ते के लिए देयताएं	211.62	168.61
अन्य	227.59	186.62
कुल	**627.93**	**510.63**

टिप्पणी :

1. वित्तीय वर्ष 2018-19 में लिवेर,फ्रांस को ऋण का पुन: भुगतान	**74113.58 euro**	**₹ 0.59 करोड़**

2.अन्य(चालू) :-

विद्युत एवं ईंधन	15.05	16.19
अन्य (प्रमुख मद) मरम्मत एवं अनुरक्षण - ₹.52.18 करोड़ , ठेकेदार को भुगतान/बिल/ओबीआर जॉब-₹ 13.13 करोड़ बिलम्ब शुल्क -₹ 1.55 करोड़ बिजली,वेतन,तिमाही बोनस-₹ 0.50 करोड़ आडिट फीस एवं व्यय - ₹ 0.46 करोड़ साइडिंग अनुरक्षण - 1.16 करोड़ जीपीएस आधारित ओआईटीडीएस प्रणाली का अनुरक्षण -2.44 करोड़	71.52	67.00
अन्य दायिताएं - (प्रमुख मद) सायलो परियोजना(लिंगराज) के लिए मेसर्स एल एंड टी की रोकी गई राशि -₹ 31.75करोड़ सीआईएसपीए- ₹ 3.48 करोड़ ठेकेदार की रोकी गई राशि- ₹ 60.15 करोड़ प्रतिभूति जमा (एक्सप्लोसिव)-₹ 25.06 करोड़ स्टेल चेक/रिटर्न चेक,रद्द किया गया चेक-₹ 7.51 करोड़ स्क्रैप बिक्री/डिस्कार्ड/परिसंपत्तियों का सर्वे --₹6.77 करोड़	137.25	98.28
प्रतिभूति जमा-प्रबंधन प्रशिक्षु	3.77	5.15
कुल	**227.59**	**186.62**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां
टिप्पणी -21: प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
गैर चालू		
कर्मचारियों के लाभ		
- उपदान	-	-
- छुट्टी नगदीकरण	10.75	75.55
- अन्य कर्मचारी लाभ	63.76	128.18
	74.51	203.73
साईट बहाली/खदान बंदी	773.97	729.59
स्ट्रीपिंग एक्टीवीटी समंजन	16,801.98	15,801.34
अन्य o be specified in note)	-	-
कुल	**17,650.46**	**16,734.66**
चालू		
कर्मचारियों के लाभ		
- उपदान	202.37	48.41
- छुट्टी नगदीकरण	25.45	21.56
- अनुग्रह राशि	118.15	109.75
- कार्य निष्पादन संबंधी भुगतान	97.95	138.15
- अन्य कर्मचारी लाभ	244.21	152.26
- एनसीडब्लूए -X	303.06	146.36
- अधिकारी वेतन संशोधन	103.71	9.78
	1,094.90	626.27
साइट बहाली/ खदान बंदी	-	-
कोयले के अंतिम स्टॉक पर उत्पाद शुल्क	-	39.33
कोयला गुणवत्ता वेरियेंस	173.45	80.77
अन्य	66.05	283.91
कुल	**1,334.40**	**1,030.28**

टिप्पणी :-

1 **विभिन्न प्रावधानों की स्थिति निम्न प्रकार है :**

क्र.सं.	**प्रावधान**	**01.04.2017 को आरभिंक शेष**	**वर्ष के दौरान जोड़ /राइट बैक**	**वर्ष के दौरान किए गए भुगतान/समंजन**	**31.03.2018 को अंतिम शेष**
i	उपदान के लिए(एक्यूरियल)	-8.55	377.51	223.95	145.01
	उपदान के लिए	56.96	34.52	34.12	57.36
ii	छुट्टी नगदीकरण के लिए(एक्यूरियल)	97.11	-10.31	51.62	1.02
	छुट्टी नगदीकरण के लिए	-	1.02		307.97
iii	अन्य कर्मचारी लाभ के लिए	280.44	32.75	5.22	307.97
iv	ओबीआर समजन लेखा के लिए	15,801.34	1,000.65	-	16,801.98
v	खदान बंदी के लिए	728.80	44.38	-	0.79
vi	भूमि सुधार हेतु	0.79	-	-	0.79

2. खदान बंदी के लिए प्रावधान :

खदान बंदी योजना को बनाने के संबंध में कोयला मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए एक प्रावधान किया गया। एसे प्रावधान सीएमपीडीआईएल (कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी) के तकनीकी मुल्याकन के अनुसार बनाए जाते हैं । प्रत्येक खदान बंदी व्ययों के लिए (सीएमपीडीआई द्वारा यथा मूल्यांकित) के लिए देयता में 8% की छुट दी गई है तथा एसे प्रावधान के बनने के 01 साल तक खदान बंदी देयता को पूंजीकृत किया गया है। 31.03.2018 के अनुसार प्रावधानों को पूरा करने के लिए डिस्काउंट को अनदेखा करके अनुवर्ती वर्ष में प्रावधान का पुन:मूल्यांकन किया गया है।

3. खदान बंदी व्यय के प्रावधान में ₹ 9.44 करोड़ की व्यापक योजना के तहत ₹ 0.23 करोड़ वेतन और मजदूरी के अलावा वर्तमान अवधि व्यय को समायोजित करने के उपरांत (विभागीय वेतन को छोड़ कर और ₹ 18.21 करोड़ के लिए मंजूरी) में देउलबेरा कोलियारी में अस्थिर काम काज की रोक थाम और उन में स्थिरीकरण के लिए ₹ 4.42 करोड़ का प्रावधान किया गया है । बालू भरण के माध्यम से देउलबेरा कोलियारी के अस्थिर

4. 31.03.2018 के तहत कर्मचारियों के अन्य हित लाभ (चालू) जिसमे सेवानिवृत लाभ के लिए 9.84 % की दर से ₹ 154.34 करोड़ प्रावधान किया गया ।

5. गैर कार्यकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय कोयला मजदूर समझौता (एनसीडबल्यूए -X) दिनांक 01.07.2016 से प्रभावी होगा एवं जो 10 अक्टूबर 2017 तक अंतिम रूप दिया गया तथा एनसीडबल्यूए-X के अनुसार गैर सरकारी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान अक्टूबर 2017 से प्रारम्भ किया जा चुका है । एनसीडबल्यूए -X के तहत वकाया राशि 01.04.2017 से 30.09.2017 तक ₹.156.70 करोड़ का प्रावधान किया गया, जो 01.07.2016 से 30.09.2017 तक की कुल अवधि हेतु कुल प्रावधान ₹.303.06 करोड़ बनता है तदर्थ भुगतान के रूप में ₹.95.51 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान टिप्पण- 11 में अग्रिम के रूप में दर्शाया गया है ।

6. भारत सरकार द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों के तहत सार्वजनिक उद्धयम विभाग (डीपीई) के कार्यालय ज्ञापन (एमओ) संख्या. W-02/0028/2017-DPE(WC)-GL-XIII/17 दिनांक 3 अगस्त,2017 को परिसंचालित किया गया जिसमें बोर्ड स्तर के अधिकारियों और बोर्ड स्तर के नीचे के अधिकारियों और गैर संघीय पर्यावेक्षकों (सीपीएसई) के वेतन और भर्ते में संशोधन किया गया जो 01.01.2017 से प्रभावी है ।

वित्तीय विविरणों में दिनांक 01.01.2017 से 31.03.2018 तक की अवधि के लिए सामील किया गया है अधिकारियों के वेतन संशोधन के लिए ₹103.71 करोड़ का प्रावधान स्वीकार किया गया है इसमें अधियाकरियों के वेतन के सभी अंशो (इसमें नियोक्ता का पीएफ़ योगदान) अंकलित प्रभाव पड़ेगा कर्मचारियों के अन्य हित लाभ तथा डीपीई दिशानिर्देशों के तहत सभी सेवानिवृत लाभ का अंतिम अनुपालन लंबित है ।

7. विभिन्न नमूने से प्राप्त होने वाले नमूने के परिणाम हेतु कोयला गुणवत्ता अंतर के लिए ₹ 173.45 करोड़ (31.03.2017 के लिए ₹ 80.77 करोड़) का प्रावधान रखा गया है ।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी -22: अन्य गैर चालू देयताएं

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
आस्थगित आय(सीसीडीए ग्रांट)	208.58	176.83
कुल :	**208.58**	**176.83**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी -23: अन्य चालू देयताएं

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 के अनुसार		31.03.2017 के अनुसार	
पूँजीगत व्यय		900.26		636.46
वैधानिक बकाया				
सामान एवं सेवा कर	135.98		-	
जीएसटी रियायत सेस	546.51		-	
विक्रय कर/ वैट	1.48		11.02	
भविष्य निधि एवं अन्य	12.68		8.62	
केंद्रीय उत्पाद कर	-		6.92	
कोयले पर रायल्टी एवं सेस	54.13		51.52	
स्टोइंग उत्पाद शुल्क	-		37.70	
क्लीन एनर्जी सेस	-		791.77	
नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट	2.56		3.20	
डिस्ट्रीक्ट मिनरल फाउन्डेशन	29.51		46.43	
अन्य वैधानिक उगाही	0.40		2.84	
स्रोत पर कटौती/संग्रह किया गया आयकर	9.92	793.17	3.40	963.42
ग्राहकों/अन्य से अग्रिम		2,022.11		2,325.03
लाभांश वितरण पर कर		-		-
अन्य देयताएं		30.52		29.80
कुल		**3,746.06**		**3,954.71**

टिप्पणी:

ओड़िशा सरकार से प्राप्ति की तुलना में दिनांक 31.7.2001 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के निर्देश के अनुसार वर्ष 2005-06 में अन्य देयताओं में कोयले पर उपकर में ₹ 8.40 करोड़ (निवल भुगतान) और 9.47 करोड़ (निवल भुगतान) का ब्याज शामिल है। ग्राहकों को धन वापसी योग्य है।चालू वर्ष के दौरान, कंपनी ने उपकर देयता की अप्रदत्त राशि के लिए 12% की दर से गणना कर ₹ 1.01 करोड़ (31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए ₹.1.01 करोड़) का ब्याज प्रदान किया है।इस प्रकार 31.03.2018 को शामिल कुल देयता ₹.30.52 करोड़ 31.03.2017 को ₹.29.5 करोड़) हो गई। कंपनी उन ग्राहकों / पार्टियों की पहचान नहीं कर सकी है जिन्हे धन वापस किया जाना है। ग्राहकों / पार्टियों को धनवापसी के लिए तरीकों का अंतिम रूप देना अभी तक किया जाना शेष है।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी -24: संचालन से राजस्व

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
क. कोयले की बिक्री	**22,379.91**	**23443.22**
घटाव : अन्य वैधानिक उगाही		
रायल्टी	1,752.01	1,663.66
सामान एवं सेवा कर	628.65	-
जीएसटी रियायत सेस	4,195.91	-
कोयले पर सेस	-	-
स्टोइंग उत्पाद शुल्क	33.36	143.01
केंद्रीय बिक्री कर	49.08	224.06
क्लीन एनर्जी सेस	1,334.59	5,720.34
राज्य विक्रय कर/भाट	136.37	586.87
नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट	35.03	33.37
डिस्ट्रीक्ट मिनरल फाउन्डेशन	525.58	846.77
अन्य उगाही	16.01	68.19
कुल उगाही	8,706.59	9,286.27
कोयले का विक्रय(निवल) (क)	**13,673.32**	**14,156.95**
ख. अन्य संचालन राजस्व		
कोयला आयात के लिए सुविधा प्रभार	-	-
रेत भराई और सुरक्षा कार्य के लिए सब्सिडी	2.05	2.24
लोडिंग एंड अतिरिक्त परिवहन प्रभार	838.47	847.92
घटाव :अन्य वैधानिक उगाही	36.17	25.13
	802.30	822.79
निकासी प्रभार की सुविधा	214.76	-
घटाव : उगाही	10.23	-
	204.53	-
अन्य संचालन राजस्व (निवल)(ख)	**1,008.88**	**825.03**
सचालन से राजस्व (क+ख)	**14,682.20**	**14,981.98**

टिप्पणी:-

1.बालू भरण और सुरक्षा कार्यों के लिए सब्सिडी के रूप में, कोयला खानों में (संरक्षण और विकास) के लिए कोयला मंत्रालय,के अधिनियम, 1974 के तहत कोयला मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा वर्ष 31.03.2018 के दौरान बालू भरन और सुरक्षित कार्यों के लिए किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए 2.05 करोड़ रूपये दिए गए हैं। ।

2.वस्तु की बिक्री में उत्पाद शुल्क सहित ₹ 219.66 करोड़ (31.03.2017 ₹951.36 करोड़) और उत्पाद शुल्क सहित के वस्तु निवल की बिक्री ₹ 13453.66 करोड़ (31.03.2017 ₹13213.09 करोड़) है।

3.लोडिंग और अतिरिक्त परिवहन शुल्क, उत्पाद शुल्क सहित में 10.84 करोड़ (31.03.2017 ₹ 53.70 करोड़) शामिल है । उत्पाद शुल्क का लोडिंग और अतिरिक्त परिवहन शुल्क निवल ₹791.46 करोड़ (31.03.2017 ₹761.5 9 करोड़) है।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां
टिप्पणी - 25: अन्य आय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
ब्याज से आय		
बैंक में जमा	858.91	1088.73
निवेश	70.72	70.53
ऋण	100.27	0.29
समूह के अंदर स्थित फंड	-	47.64
अन्य	20.14	83.65
लाभांश आय		
अनुषंगी कंपनियों में निवेश	-	-
म्युच्युअल फंड में निवेश	107.26	114.45
अन्य गैर संचालन आय		
परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ	0.24	0.05
विदेशी मुद्रा विनिमय से लाभ	-	0.59
रेट वेरियेंन्स का विनिमय	-	-
पट्टे का किराया	17.21	1.98
दायिता/राइट बैंक प्रावधान	1.68	0.02
स्टॉक में कमी पर उत्पाद शुल्क	-	16.07
विविध आय	38.22	62.31
कुल	**1,214.65**	**1,486.31**

टिप्पणी :

1 अन्य :

आईटी रिफन्ड पर ब्याज	-	71.95
ऋण/ बाहरी पार्टियों को अग्रिम पर ब्याज	2.01	3.06
अनुषंगी कंपनियों से ब्याज	2.74	2.28
ग्रुप लीव इनकैशमेंट स्कीम पर अर्जित ब्याज	15.37	6.35
कर्मचारियों के ऋण पर ब्याज	0.02	0.01
	20.14	**83.65**

2 विविध आय में शामिल किया गया है(बड़े मद)

जुमोना ,एलडी आपूर्तिकत्तोओ से बसुला गया	3.06
ग्राहकों से वसुला गया जुर्माना	12.65
ठेकेदारों एवं अन्य से जुर्माना	4.18
ठेकेदारों / आपूर्तिकर्ताओं से ईएमडी / एसडी जब्त करना	9.35
स्क्रैप विक्रय	2.79
	32.03

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी - 26: खपत किए गए सामग्रियों की लागत

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
विस्फोटक	135.96	132.77
लकड़ी	0.28	0.36
तेल एवं लूब्रीकेंट्स	288.82	277.15
एचईएमएम पुर्जे	125.37	120.86
खपत योग्य अन्य स्टोर्स एवं पुर्जे	54.13	52.46
कुल	**604.56**	**583.60**

टिप्पणी :	आरंभिक	जोड़/ समंजन	अंतिम
विस्फोटक	2.28	135.90	2.22
लकड़ी	0.15	0.13	-
तेल एवं लूब्रीकेंट्स	8.33	287.79	7.30
एचईएमएम पुर्जे	53.16	126.21	54.00
खपत योग्य अन्य स्टोर्स एवं पुर्जे	14.62	55.33	15.82
	78.54	605.36	79.34

टिप्पणी 27 : तैयार माल /सामान की सूची में बदलाव, कार्य प्रगति पर एवं व्यापार में स्टॉक

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 के अनुसार		31.03.2017 के अनुसार	
कोयले का आरंभिक स्टॉक	254.70		346.83	
जोड़ :आरंभिक स्टॉक में समंजन	39.33		-	
घटाव : कोयले का क्षय	-	215.37	-	346.83
कोयले का अंतिम स्टॉक	400.78		254.70	
घटाव : कोयले का क्षय	-	400.78	-	254.70
क कोयले की वस्तुसूची में बदलाव		185.41		92.13
कार्यशाला द्वारा तैयार माल का आरंभिक स्टॉक एवं डब्लूआईपी	6.71		12.10	
जोड़ :आरंभिक स्टॉक में समंजन	-		-	
घटाव : प्रावधान	-	6.71	-	12.10
कार्यशाला द्वारा तैयार माल का अंतिम स्टॉक एवं डब्लूआईपी	9.84		6.71	
घटाव : प्रावधान	-	9.84	-	6.71
ख कर्मशाला की वस्तुसूची में बदलाव		3.13		5.39
प्रेस ओपनिंग जॉब				
i) तैयार माल	-		-	
ii) कार्य प्रगति पर	-	-	-	-
घटाव : प्रेस क्लोजिंग जॉब				
i) तैयार माल	-		-	
ii) कार्य प्रगति पर	-	-	-	-
ग प्रेस जॉव के अंतिम स्टाक की वस्तुसूची में बदलाव		-		-
व्यापार संबंधी वस्तुसूची के स्टाक में बदलाव(क+ख+ग) { कमी/ अभिवृद्धि) }		**(188.54)**		**97.52**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी - 28: कार्मिकों के हितलाभ

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
वेतन, मजदूरी, भत्ते, बोनस इत्यादि	1,714.94	1,544.75
एनसीडब्लुए) - X के लिए प्रावधान *	156.50	146.01
अधिकारियों का वेतन संशोधन **	93.93	9.78
अनुग्रह राशि	118.83	112.38
पीआरपी	16.47	21.09
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	223.75	204.91
उपदान	411.76	57.38
छुट्टी नकदीकरण	72.75	106.01
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति		-
कामगार क्षतिपूर्ति	0.49	0.76
वर्तमान कर्मचारियों के लिए चिकित्सा व्यय	47.29	43.69
सेवानिवृत कर्मचारियो के लिए चिकित्सा व्यय	9.44	5.29
स्कूलों और संस्थानों को अनुदान	32.08	26.04
खेलकूद व मनोरंजन	5.02	4.92
कैंटीन व क्रैच	1.36	1.03
विद्युत - टाउनशिप	57.83	57.23
बस, एम्बुलेंस आदि का किराया प्रभार	4.54	3.92
अन्य कर्मचारी हितलाभ	35.95	24.03
	3,002.93	**2,369.22**

* टिप्पणी सं.21 के फूटनोट-5 का संदर्भ लें

** टिप्पणी सं.21 के फूटनोट-6 का संदर्भ लें

1 "31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए एनसीडब्ल्यूए-X में 01.07.2016 से 31.03.2017 की अवधि से संबंधित रु.39.82 करोड़ शामिल है।"

2 ग्रैच्युटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 के भुगतान और उसके बाद जारी अधिसूचना के अनुसार, अधिकतम ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गई है जो 29.03.2018 को प्रभावी होगी 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए ग्रैच्युटी की अधिकतम सीमा में रु.354.97 करोड़ परिवर्तन हुआ ।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी -29 : कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेवारी पर व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
सीएसआर पर व्यय	267.52	166.60
कुल	**267.52**	**166.60**

टिप्पणी -30 : मरम्मत

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
भवन	69.73	57.91
संयंत्र एवं यंत्र	56.67	57.17
अन्य	2.93	3.49
कुल	**129.33**	**118.57**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी -31 : संविदात्मक व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
परिवहन प्रभार :		
- बालू	0.03	0.01
- कोयला एवं कोक	1,180.87	1,173.56
- भंडार एवं अन्य	0.03	-
वैगन लदाई	68.61	80.37
संयंत्र एवं यंत्रों को भाड़े पर लेना	1,177.65	983.20
अन्य संविदात्मक कार्य	53.45	49.80
कुल	**2,480.64**	**2,286.94**

टिप्पणी -32 : वित्तीय लागत

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
ब्याज पर व्यय		
उधारी	14.05	0.38
छूट का अनवाइंड (साइट बहाली)	51.15	47.05
समूह के अंदर स्थित फंड	-	-
अन्य	8.06	7.57
कुल	**73.26**	**55.00**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी -33 : प्रावधान (नेट आफ रिवर्सल)

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
(क) भत्ते / प्रावधान		
संदिग्ध ऋण	19.64	71.77
कोयला गुणवत्ता वेरियेंस	173.45	80.77
संदिग्ध अग्रिम एवं दावे	0.08	0.14
भंडार एवं पुर्जे	6.68	1.96
अन्य	55.83	289.09
कुल(क)	**255.68**	**443.73**
(ख) भत्ते/प्रावधान रिवर्सल		
संदिग्ध ऋण	99.03	-
कोयला गुणवत्ता वेरियेंस	80.77	-
संदिग्ध अग्रिम एवं दावे	0.02	0.05
भंडार एवं पुर्जे	-	1.19
अन्य	269.95	0.16
कुल(ख)	**449.77**	**1.40**
कुल (क-ख)	**(194.09)**	**442.33**
टिप्पणी :		
अन्य :- क्रियेटेड		
पूंजी डब्लुआईपी	0.53	0.64
सर्वे-आफ	0.37	4.47
प्राप्य दावे	3.44	14.19
विविध अग्रिम	-	0.06
उत्पाद शुल्क	-	115.86
क्लीन एनर्जी सेस	-	153.87
औषधियां	0.02	-
वर्ष 2015-16 के लिए पर्यावरण क्लीयरेंस हेतु मांग	50.97	-
	55.33	289.09
अन्य :- रिवर्सल		
देउलबेरा कोलियरी के अस्थायी कार्यों का स्थायीकरण एवं बालू भराई ।	0.22	0.16
उत्पाद शुल्क	115.86	-
क्लीन एनर्जी सेस	153.87	-
सर्वे-आफ	-	-
	269.95	0.16

टिप्पणी : रु. 173.45 करोड़(रु. 80.77 करोड़) कोयला गुणवत्ता अंतर के रूप में रिफ्री सैम्पलर्स से सैम्पल परिणाम की प्रतीक्षा के लिए एक प्रावधान किया गया है/

टिप्पणी -34 : राइट आफ(नेट आफ पास्ट प्रावीजन्स)

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
संदिग्ध ऋण		
घटाव :- पूर्व प्रदत्त		
	-	-
संदिग्ध अग्रिम		
घटाव :- पूर्व प्रदत्त		
	-	-
कोयले का स्टाक		
घटाव :- पूर्व प्रदत्त		
	-	-
अन्य		
घटाव :- पूर्व प्रदत्त		
	-	-
कुल	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी - 35: अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
यात्रा व्यय		
- घरेलू	14.93	14.75
- विदेशी	0.09	0.36
प्रशिक्षण व्यय	7.42	11.98
दूरभाष एवं डाक खर्च	6.44	4.25
विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार	14.30	5.48
भाड़ा प्रभार	0.05	0.08
डेमरेज	1.44	4.70
दान /अभिदान	0.13	0.12
सुरक्षा व्यय	106.44	66.60
सीआईएल का सेवा प्रभार	143.22	70.30
भाड़ा प्रभार	38.30	35.00
सीएमपीडीआई प्रभार	17.17	22.44
विधिक व्यय	1.69	1.19
बैंक प्रभार	0.01	0.03
गेस्ट हाऊस व्यय	2.41	2.46
परामर्श प्रभार	1.23	1.60
अंडरलोडिंग प्रभार	35.60	16.83
विक्रय/डिस्कार्ड/सर्वेआफ परिसंपत्तियों पर हानि	0.98	0.82
लेखा परीक्षकों का मानदेय एवं व्यय		
- लेखा परीक्षा फीस	0.14	0.14
- कर संबंधी मामले	-	-
- अन्य सेवाओं के लिए	0.13	0.13
-व्यय की प्रतिपूर्ति	0.20	0.24
आंतरिक लेखा परीक्षा फीस पर व्यय	2.08	2.57
पुनर्वास प्रभार	82.96	85.81
रायल्टी एवं सेस	0.18	0.19
रायल्टी एवं स्टोइंग उत्पाद शुल्क पर एसबीसी एंड केकेसी	4.85	21.61
कोयले के अंतिम स्टाक पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क		-
जीएसटी		-
किराया	0.42	0.90
दर एवं कर	24.93	34.76
बीमा	0.41	0.52
विदेशी मुद्रा विनिमय पर हानि		-
विनियम दर में अंतर से हानि	1.02	-
पट्टा किराया	0.07	-
बचाव/सुरक्षा हेतु व्यय	2.41	2.39
डेड रेन्ट/सरफेस रेन्ट	0.19	0.45
साइडिंग अनुरक्षण प्रभार	32.63	22.34
भूमि/फसल क्षतिपूर्ति	0.08	0.07
आर एंड डी व्यय	0.79	0.86
पर्यावरण और वृक्षारोपण व्यय	16.17	17.89
शेयरों के बाय बैक पर व्यय	0.03	0.33
विविध व्यय	86.97	231.16
कुल	**648.51**	**681.35**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी - 36: कर संबंधी व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
चालू वर्ष	2532.40	2325.80
आस्थगित कर	45.97	42.36
एमएटी क्रेडिट इनटाइटलमेंट	-	-
पिछले वर्षों में	-	(5.45)
कुल	**2,578.37**	**2,362.71**
31.03.2018 को भारतीय कर की दर में कर व्यय और लेखांकन लाभ का समंजस्य ।		
कर पूर्व लाभ/(हानि)	7,339.66	6,854.72
भारत में 34.6081% की वैधानिक आयकर दर (31 मार्च 2017: 34.6081%)	2,540.12	2,372.29
घटाव : पिछले वर्ष के मौजूदा आयकर के संबंध में समायो	4.89	1.27
घटाव : आय में कर से छूट	(61.60)	(64.02)
घटाव: सहयोगियो एव संयुक्त उद्यमो के परिणामो का शेयर	-	-
योग:: कर उद्देश्यों के लिए गैर-कटौती योग्य व्यय	385.46	303.86
घटाव : आयकर के अनुसार अतिरिक्त व्यय की अनुमति है	(336.48)	(287.61)
लाभ और हानि के विवरण मे आयकर व्यय की सूचना दी गई है	**2,532.39**	**2,325.80**
प्रभावी आयकर दर:	34.50%	33.93%
आस्थगित कर देयता निम्न से संबंधित है:		
आस्थगित कर देयता		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित	123.47	55.95
अन्य	241.87	257.35
कुल आस्थगित कर देयता	365.34	313.30
आस्थगित कर परिसंपत्ति		
व्यापार प्राप्तियों से संबंधित	9.68	36.89
कर्मचारी लाभ	67.75	34.88
अन्य	40.12	39.71
कुल आस्थगित कर संपत्ति	117.55	111.48
निवल आस्थगित कर संपत्ति / (देयताएं)	**(247.79)**	**(201.82)**

क) समूह कर परिसंपत्तियां और देनदारियां परिसंतुलित होती हैं पर केवल तभी जब वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ और मौजूदा कर देनदारियों को निर्धारित करने के लिए स्थगित कर परिसंपत्तियां और स्थगित कर देनदारियां उसी कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित हों जो कानूनी रूप से लागू करने योग्य है

ख) 31 मार्च 2018 को, ₹ 45.97 करोड़ की स्थगित कर देयता (31 मार्च 2017: ₹.42.36 करोड़), सभी करों में अस्थायी अंतर के लिए पहचाने जाते हैं ।

ग) 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान,शेयरधारकों के कंपनी को ₹4,350 करोड़ का अंतरिम लाभांश का भुगतान किया गया । इसके परिणामस्वरूप कर प्राधिकारियों को ₹885.56 करोड़ के डीडीटी का भुगतान हुआ है। कंपनी यह मानती है की शेयरधारकों की तरफ से कर प्राधिकारी अतिरिक्त भुगतान का प्रतिनिधित्व (रिप्रेजेंट) करेंगे । डीडीटी पर इक्विटी प्रभार लगाया जाता है।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी - 37: अन्य वृहत आय

(₹ करोड़ में)

		31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
(क)	**(i) लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं किए जानेवाले मदें**		
	पुनर्मूल्यांकन अधिशेष में परिवर्तन	-	-
	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनःमाप	27.34	(1.40)
	ओसीआई के माध्यम से इक्विटी उपकरण	-	-
	एफ़वीटीपीएल में निर्दिष्ट वित्तीय देयताओं के स्वयं के क्रेडिट जोखिम से संबंधित उचित मूल्य परिवर्तन	-	-
	संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का शेयर	-	-
		27.34	(1.40)
	(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
	पुनर्मूल्यांकन अधिशेष में परिवर्तन	-	-
	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः माप	9.46	(0.48)
	ओसीआई के माध्यम से इक्विटी उपकरण	-	-
	एफ़वीटीपीएल में निर्दिष्ट वित्तीय देयताओं के स्वयं के क्रेडिट जोखिम से संबंधित उचित मूल्य परिवर्तन	-	-
	संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का शेयर	-	-
		9.46	(0.48)
	कुल(क)	**17.88**	**(0.92)**
(ख)	**(i) लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत किए जानेवाले मदें**		
	किसी विदेशी संचालन के वित्तीय विवरणों के अनुवाद में विनिमय अंतर	-	-
	ओसीआई के माध्यम से ऋण साधन	-	-
	नकदी प्रवाह हेज मे हेजिंग उपकरणो पर लाभ और हानि का प्रभावी भाग	-	-
	संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का शेयर	-	-
		-	-
	(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत किया जाएगा		
	किसी विदेशी ऑपरेशन के वित्तीय विवरणों के अनुवाद में विनिमय अंतर	-	-
	ओसीआई के माध्यम से ऋण साधन	-	-
	नकदी प्रवाह हेज मे हेजिंग उपकरणो पर लाभ और हानि का प्रभावी भाग	-	-
	संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का शेयर	-	-
		-	-
	कुल (ख)	**-**	**-**
	कुल (क+ख)	**17.88**	**(0.92)**

नोट:-38: 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वित्तीए विवरण हेतु अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

1. उचित मूल्य मापन

क. वर्गवार वित्तीय साधन

(करोड़ रूपये में)

	31 मार्च, 2018			31 मार्च, 2017		
	एफ़.वी.टी.पी.एल.	एफ़.वी.टी.ओ.सी.आई	परिशोधित लागत	एफ़.वी.टी.पी.एल.	एफ़.वी.टी.ओ.सी.आई.	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां						
निवेश :						
सुरक्षित बॉन्ड			958.70			958.70
सहायक कंपनियों में इक्विटी शेयर			116.71			116.71
अनुषंगी कंपनी में अधिमानी शेयर			NIL	NIL		NIL
म्यूचुअल फंड	0.00			202.00		
ऋण			1001.14			1201.38
जमा एवं प्राप्य			1621.73			1731.52
व्यापार प्राप्य			606.86			1054.44
नगद एवं नगद समतुल्य			204.85			372.36
अन्य बैंक शेष			13096.76			14662.95
वित्तीय देयताएं						
उधार			6.50			2206.13
व्यापार देय			572.01			403.77
प्रतिभूति जमा एवं बयाना			209.03			200.23
अन्य देयताएं			463.98			350.59

ख. उचित मूल्य अनुक्रम

वित्तीय साधन के उचित मूल्यों को निर्धारित करने हेतु लिए गए फैसलों एवं अनुमानों को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है, जिसे (क) उचित मूल्य पर मापा तथा पहचाना जाता है एवं (ख) परिशोधित लागत पर मापा जाता है तथा जिसके लिए वित्तीय विवरणी में उचित मूल्यों का उल्लेख भी किया गया है। उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग किये गए इनपुट की विश्वसनीयता के बारे में एक संकेत प्रदान करने हेतु कंपनी ने अपने वित्तीय साधन को लेखांकन मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में विभाजित किया है। प्रत्येक स्तर का स्पष्टीकरण तालिका में निम्नानुसार है -

(करोड़ रूपये में)

उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियों और देयतायों को मापा गया -आवर्ती उचित मूल्य मापन	31 मार्च, 2018			31 मार्च, 2017		
	स्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तर I	स्तर II	स्तर III
एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियां						
निवेश						
म्यूचुअल फ़ंड	-	-	-	202.00	-	-
वित्तीय देयताएँ						
मद, यदि कोई हो	-	-	-	-	-	-

वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयतायों को परिशोधित लागत पर मापा गया तथा जिसके लिए उचित मूल्य का उल्लेख दिनांक 31 मार्च, 2018 की समाप्ति पर किया गया	31 मार्च, 2018			31 मार्च, 2017		
	स्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तर I	स्तर II	स्तर III
एफ.वी.टी.पी.एल. में वित्तीय परिसंपत्तियां						
निवेश :						
संयुक्त उद्यम में इक्विटी शेयर	-	-	116.71	-	-	116.71
म्यूचुअल फ़ंड	-	-	-	-	-	-
वित्तीय देयताएं						
अधिमानी शेयर	-	-	-	-	-	-
उधार	-	-	6.50	-	-	2206.13
व्यापार देनदारियाँ	-	-	572.01	-	-	403.77
सुरक्षा जमा तथा अर्जित राशि	-	-	209.03	-	-	200.23
अन्य देयताएँ	-	-	463.98	-	-	350.59

कंपनी वित्तीय साधनों के उचित मूल्य को निर्धारित करने के लिए निर्णय और अनुमानों को उपयोग में लाती है, जो कि उचित मूल्य पर पहचाने और मापे जाते हैं। निष्पक्ष मूल्य निर्धारित करने हेतु उपयोग किये गए इनपुटों की विश्वसनीयता के संबंध में कंपनी ने अपने वित्तीय साधनों को लेखांकन मानकों के तहत् तीन निर्धारित स्तरों में वर्गीकृत किया है। प्रत्येक स्तर की व्याख्या नीचे दी गई हैः-

स्तर 1: स्तर 1 पदानुक्रम में उद्धृत कीमतों का उपयोग करके वित्तीय साधनों का मूल्यांकन किया गया है।

स्तर 2: वे वित्तीय उपकरण जिनका सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया गया है, उनके उचित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके किया जाना अपेक्षित है, जो कि निरीक्षण बाजार के आंकडों के उपयोग को अधिक बढ़ाता है एवं इकाई विशिष्ट के अनुमानों पर यथासंभव कम निर्भर करता है। उचित मूल्य के लिए जरुरी सभी महत्वपूर्ण निविष्टियाँ स्तर-2 में उपकरण के रुप में शामिल की गई हैं।

स्तर 3: यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण निविष्टियां प्रत्यक्ष बाजार के आंकडों पर आधारित नहीं हो तो उपकरण स्तर 3 में उसे शामिल किया जाएगा। असूचीगत इक्विटी प्रतिभूतियां, वरीयता शेयरों के उधार, सुरक्षा जमा तथा अन्य देनदारियों को स्तर 3 में शामिल किया गया है।

ग. उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन तकनीक का उपयोग:

मूल्यांकन तकनीक का उपयोग वित्तीय साधनों के लिए किया जाता है, जिसमें बाजार में उपकरणों के उद्धृत कीमत को भी शामिल किया जाता है।

घ. महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष इनपुट का उपयोग कर उचित मूल्य मापनः

वर्तमान में कोई भी उल्लेखनीय अप्रभावित निवेश का प्रयोग कर उचित मूल्य का मापन नहीं किया गया है।

ङ. वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के उचित मूल्य, परिशोधित लागत पर मापे जाते है

- उनके अल्पावधि के कारण व्यापार प्राप्तियों की वर्तमान राशि, अल्पावधि जमा, नकद एवं नकद समकक्ष तथा व्यापार भुगतान को उनके उचित मूल्यों के समान ध्यान में लिया जाता है।
- कंपनी का मानना है कि सुरक्षा जमा को महत्वपूर्ण वित्तीय घटक में शामिल न किया जाये। माइलस्टोन के रूप में (सुरक्षा जमा) भुगतान कंपनी के प्रदर्शन के साथ मेल खाते हैं और अनुबंध के लिए वित्तीय प्रावधान के अतिरिक्त अन्य कारणों के रख-रखाव की अपेक्षित राशि को पूर्ण करती है। यदि ठेकेदार अनुबंध के तहत् अपने दायित्वों को पूर्ण करने में असफल होते हैं तो प्रत्येक माइलस्टोन भुगतान निर्दिष्ट प्रतिशत धारण कर कंपनी के हित की रक्षा करते हैं। तद्नुसार, सुरक्षा जमा की लेन-देन लागत को प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य माना जाता है और बाद में उसे अमूर्त लागत पर मापा जाता है।

महत्वपूर्ण अनुमान : वित्तीय उपकरण जिनका सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया जा रहा है, उनका मूल्यांकन तकनीक की सहायता से निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में कंपनी, उपयुक्त मान्यताओं को निर्धारित करने हेतु है एक तकनीक का चयन करती है।

2. जोखिम विश्लेषण एवं प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य एवं नीतियां

कंपनी के मुख्य देयताओं में ऋण, उधार, व्यापार एवं अन्य देय आदि शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन हेतु उन्हें वित्तीय सहायता एवं गारंटी प्रदान करना है। कंपनी के मुख्य वित्तीय परिसंपत्तियों में संचालन से सीधे व्युत्पन्न ऋण, व्यापार एवं अन्य प्राप्तियां, नगद एवं नगद समकक्ष शामिल हैं। कंपनी बाजार क्रेडिट एवं नकदी जोखिम के संपर्क में है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों की निगरानी करते हैं। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन जोखिम समिति के द्वारा मंडित किए गए हैं, जो परस्पर वित्तीय जोखिम तथा समूह के लिए उपयुक्त वित्तीय जोखिमों के शासन ढांचे पर अपनी सलाह देते हैं। जोखिम समिति कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियों के लिए अपना आश्वासन निदेशक मंडल को देती है जो कि उचित नीतियों एवं प्रक्रिया द्वारा शासित होती हैं तथा वित्तीय जोखिम कंपनी के नीतियों एवं जोखिम बैंकों के उद्देश्यानुसार पहचाने, मापे एवं

प्रबंधित किए जाते हैं। निदेशक मंडल जोखिमों के प्रबंधन हेतु की गई समीक्षा एवं नीतियों से सहमत है, जो संक्षेप में नीचे दिए गए हैं।

कंपनी बाजार, क्रेडिट एवं नकदी जोखिम के संपर्क में है। यह टिप्पणी जोखिम के स्त्रोतों की जानकारी देती है जिससे यह स्पष्ट है कि यह इसके इकाई के संपर्क में है तथा किस तरह यह जोखिम एवं वित्तीय लेखांकन विवरण के प्रभावों का प्रबंधन करती है।

जोखिम	जोखिम से उत्पन्न	माप	प्रबंधन
क्रेडिट जोखिम	नकद एवं नकद समकक्ष, परिशोधित लागत पर मापे गए वित्तीय परिसंपत्तियां, व्यापार प्राप्तियां	विश्लेषण/ क्रेडिट रेटिंग	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), बैंक जमा क्रेडिट सीमा विविधीकरण एवं अन्य प्रतिभूतियां
नकदी जोखिम	उधार एवं अन्य देयताएं	आवधिक नकदी प्रवाह	प्रतिबद्धित क्रेडिट लाइन उपलब्धता एवं उधार की सुविधाएं
बाजार जोखिम - विदेशी विनियम	भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन, मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति एवं देयताएं	नकदी प्रवाह का संवेदनशीलता पूर्वानुमान	लेखा समिति एवं वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा नियमित रुप से निगरानी एवं समीक्षा
बाजार जोखिम - ब्याज दर	नकद एवं नकद समकक्ष, बैंक जमा तथा म्यूचुअल फंड	नकदी प्रवाह का संवेदनशील पूर्वानुमान	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा नियमित रुप से निगरानी एवं समीक्षा।

भारत सरकार द्वारा जारी किए गए डीपीई के दिशानिर्देशानुसार निदेशक मंडल द्वारा कंपनी के जोखिम का प्रबंधन किया जाता है। मंडल अत्यधिक नगदी निवेश की नीतियों सहित कुल प्रबंधन जोखिम हेतु लिखित रूप में मूलधन प्रदान करती है।

क) **क्रेडिट जोखिम**

क्रेडिट जोखिम**,** नगद एवं नगदी समकक्ष**,** परिशोधित लागत में किये गए निवेश तथा बैंक एवं वित्तीय संसाधनों के साथ जमा तथा बकाया प्राप्तियों से उत्पन्न है।

क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

प्राप्तियां मुख्य रूप से कोयले की बिक्री से उत्पन्न होती हैं। कोयले की बिक्री ई-नीलामी एवं ईंधन आपूर्ति अनुबंध(एफ.एस.ए.) के माध्यम से की गई बिक्री के अंतर्गत वर्गीकृत है।

वृहद आर्थिक जानकारी (जैसे की विनियामक परिवर्तन) को ईंधन आपूर्ति अनुबंध(एफ.एस.ए.) एवं ई-नीलामी शर्तों के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है।

ईंधन आपूर्ति अनुबंध-

एन.सी.डी.पी. के शर्तों के अनुसार एवं इस पर विचार करते हुए हम अपने ग्राहकों या राज्य नामांकित एजेंसियों के साथ कानूनी तौर पर लागू किये गए एफएसए में प्रवेश करते हैं, जो बदले में अंतिम ग्राहकों(इंड कसटमर्स) के साथ उचित वितरण व्यवस्था में प्रवेश करता है। हमारे एफएसए को निम्न तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है।

- ऊर्जा उपयोगिता क्षेत्र, राज्य ऊर्जा उपयोगिता, निजी ऊर्जा उपयोगिता (पीपीयूएस) तथा स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक (आईपीपीएस) में ग्राहकों के साथ (एफएसएएस)।
- गैर ऊर्जा उद्योग (कैपिटल पावर प्लांट(सीपीपीएस)) में ग्राहकों के साथ एफएसएएस।
- राज्य द्वारा नामित एजेंसियों के साथ एफएसएएस।

ई-नीलामी योजना-

जो ग्राहक कोयला की आवश्यकताओं को एनसीडीपी के अंतर्गत उपलब्ध संस्थागत तंत्र के माध्यम से पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, उनको कोयला उपलब्ध कराने हेतु कोयला ई-नीलामी योजना का प्रारंभ किया गया है। उदाहरणत: एनसीडीपी के तहत आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु आवंटन में की गई कमी, मौसम के अनुरुप कोयले की आवश्यकताओं का उपयोग एवं सीमित कोयले की आवश्यकताएं जो दीर्घावधि लिंकेज की आश्वस्ति नहीं देते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। ई-नीलामी के तहत प्रस्तावित कोयले की मात्रा की समीक्षा कोल मंत्रालय द्वारा समय-समय पर की जाती है।

अपेक्षित क्रेडिट हानि- कंपनी संदेहपूर्ण/परिसंपत्ति में हुए क्रेडिट हानि हेतु अपेक्षित क्रेडिट जोखिम हानि को जीवन भर अपेक्षित क्रेडिट हानि द्वारा प्रदान करती है।(सरलीकृत दृष्टिकोण)

सरलीकृत दृष्टिकोण के तहत व्यापार प्राप्तियों हेतु अपेक्षित क्रेडिट हानि

दिनांक-31.03.2018 तक (करोड़ रूपये में)

विश्लेषण	दो महीनों के लिए बकाया	छः माह के लिए बकाया	एक वर्ष के लिए बकाया	2 वर्ष के लिए बकाया	3 वर्ष के लिए बकाया	3 वर्ष से अधिक के लिए बकाया	कुल
कुल वहन राशि	423.96	47.02	27.34	47.96	60.44	30.28	637.00
अपेक्षित हानि दर	-	-	-	-	-	99.54%	4.73%
अपेक्षित क्रेडिट हानि भत्ता	-	-	-	-	-	30.14	30.14

दिनांक-31.03.2017 के तहत्

विश्लेषण	दो महीनों के लिए बकाया	छः माह के लिए बकाया	एक वर्ष के लिए बकाया	2 वर्ष के लिए बकाया	3 वर्ष के लिए बकाया	3 वर्ष से अधिक के लिए बकाया	कुल
कुल वहन राशि	559.48	401.44	96.46	77.19	1.12	28.28	1163.97
अपेक्षित हानि दर	-	2.34%	73.64%	2.25%	96.43%	93.00%	9.41%
अपेक्षित क्रेडिट हानि भत्ता	-	9.38	71.03	1.74	1.08	26.30	109.53

हानि भत्ता प्रावधान का समाधान - व्यापार प्राप्य

	रूपये करोड़ में
दिनांक- 31.03.2017 तक हानि भत्ता	109.53
हानि भत्ता में परिवर्तन	79.39
दिनांक-31.03.2018 तक हानि भत्ता	30.14

वित्तीय परिसम्पत्तियों में हुए हानि हेतु किये गए महत्वपूर्ण आकलन एवं निर्णय : -

ऊपर बताए गए वित्तीय संपत्ति के लिए हानि प्रावधान की धारणा अपेक्षित हानि दर तथा न्यूनतम जोखिम पर आधारित होती है। कंपनी इन मान्यताओं को बनाने के लिए अतीत के इतिहास, मौजूदा बाजार की स्थिति और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किए गए हानि के आकलनों के आधार पर इनपुट का चयन करती है।

ख) नगदी जोखिम -

विवेकतापूर्ण नगदी जोखिम प्रबंधन देय दायित्वों को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध क्रेडिट सुविधाओं की पर्याप्त मात्रा के तहत नगदी और बिक्री योग प्रतिभूतियों को बनाए रखता है तथा धन की उपलब्धता को भी दर्शाता है। अंतर्निहित व्यवसायों की प्रकृति के कारण कंपनी भंडार की प्रतिबद्धता को बनाए रखने के लिए वित्त पोषण में लचीलापन रखता है।

प्रबंधन अपेक्षित नगदी प्रवाह के आधार पर कंपनी की नगदी स्थिति (नीचे उधार लेने की सुविधा शामिल है) के पूर्वानुमानों, नगद एवं नगद समकक्ष की स्थिति पर नजर रखती है। यह आम तौर पर कंपनी द्वारा निर्धारित अभ्यास और सीमा के अनुरुप परिचालित कंपनियों में स्थानीय स्तर पर किया जाता है।

(i) वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

नीचे दी गई तालिका कंपनी की वित्तीय देयदाताओं को उनके अनुबंधित परिपक्वता के आधार पर प्रासंगिक समूह में विश्लेषित करती है।

तालिका में प्रकट की गई राशि संविदात्मक अनिर्धारित नकदी प्रवाह है। छूट का प्रभाव महत्वपूर्ण न होने की स्थिति में बारह महीनों के भीतर शेष राशि को उनके बकाया संतुलन के बराबर समझा जाता है।

(रूपये करोड़ में)

वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता दिनांक- 31.03.18	**3 माह से कम**	**3 माह से 6 माह**	**6 माह से 1 वर्ष**	**1 वर्ष से 2 वर्ष**	**2 से 5 वर्ष**	**कुल**
उधार	-	-	-	0.59	5.91	6.50
वित्त पट्टे के तहत दायित्व	-	-	-	-	-	-
व्यापार देनदारियां	572.01	-	-	-	-	572.01
अन्य वित्तीय देयदताएं	569.87	2.81	55.25	10.61	34.47	673.01
कुल	1141.88	2.81	55.25	11.21	40.37	1251.52

वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता दिनांक- 31.03.17	3 माह से कम	3 माह से 6 माह	6 माह से 1 वर्ष	1 वर्ष से 2 वर्ष	2 से 5 वर्ष	कुल
उधार	2200.00	-	-	0.51	5.62	2206.13
वित्त पट्टे के तहत दायित्व	-	-	-	-	-	-
व्यापार देनदारियां	385.14	18.22	0.41	-	-	403.77
अन्य वित्तीय देयदताएं	377.93	28.91	103.79	24.25	15.94	550.82
कुल	2976.79	47.13	104.20	24.76	21.56	3160.72

ग. बाजार जोखिम

क. विदेशी मुद्रा जोखिम :

कंपनी विदेशी मुद्रा लेनदेन से उत्पन्न विदेशी विनियम के संपर्क में है। विदेशी संचालन के संबंध में विदेशी विनिमय जोखिम नगण्य है। कंपनी आयात करता है एवं जोखिम नियमित रुप से अनुवर्ती द्वारा प्रबंधित भी करता है। जब विदेशी मुद्रा जोखिम महत्वपूर्ण होती है, तब कंपनी के पास एक नीति है जिसे वह कार्यान्वित करता है।

ख. नकदी प्रवाह एवं उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम

बैंक जमा कंपनी में उत्पन्न मुख्य ब्याज दर जोखिम साथ ही कंपनी का नकदी ब्याज दर जोखिम प्रदर्शित करता है।

कंपनी सार्वजनिक उद्यम के विभाग, क्रेडिट सीमित बैंक जमा विविधिकरण एवं अन्य प्रतिभूतियों से प्राप्त दिशानिर्देशों का उपयोग कर जोखिम प्रबंधन करता है।

पूंजी प्रबंधन

कंपनी एक सरकारी इकाई होने के नाते वित्त मंत्रालय के तहत निवेश विभाग एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन के दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी पूंजी का प्रबंध करती है।

कंपनी की पूंजी संरचना निम्नानुसार है :

(रूपये करोड़ में)

	31.03.2018	**31.03.2017**
इक्विटी शेयर पूंजी	706.13	141.23
वरीयता शेयर पूंजी	शून्य	शून्य
दीर्घकालिक ऋण	6.50	6.13
दीर्घकालिक कर्ज की चालू परिपक्वता	0.59	0.51

3. कर्मचारी लाभ : मान्यता एवं माप (भारतीय लेखांकन मानक-19)

i) **भविष्य निधि :**

नामित ट्रस्ट कोयला खदान भविष्य निधि जो अनुमत प्रतिभूतियों में निधि का निवेश करता है, में पूर्व निर्धारित दरों से कंपनी भविष्य निधि एवं पेंशन निधि पर तय योगदान का भुगतान करता है। वर्ष के दौरान लाभ व हानि विवरण (टिप्पणी-28) में निधि किये गए 223.75 करोड़ रुपए (दिनांक- 31.03.2017 तक 204.91 करोड़ रुपये) का योगदान स्वीकार किया गया है।

ii) कंपनी ने कुछ परिभाषित लाभ योजनाओं का संचालन बीमांकिक आधार पर किया है:

(क) **लगाये गए लागत** -

- o उपदान
- o छुट्टी नकदीकरण

(ख) **अपव्यय**

- o लाइफ कवर स्कीम
- o निपटान भत्ता
- o समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा
- o यात्रा छुट्टी रियायत
- o चिकित्सा लाभ
- o खान दुर्घटना लाभ पर आश्रितों को मुआवजा

बीमांकिक द्वारा मूल्यांकन के आधार पर दिनांक- 31.03.2018 तक कुल देयता 1522.36 करोड़ रुपए हैं, जिसका विवरण नीचे उल्लेखित है।

(रूपये करोड़ में)

विषय	**दिनांक - 01.04.2017 पर प्रारंभिक बीमांकिक देयता**	**वर्ष के दौरान वृद्धिशील देयता**	**दिनांक-31.03.2018 पर समाप्त बीमांकिक देयता**
उपदान	718.74	355.18	1073.92
अर्जित छुट्टी	245.66	1.85	247.51
अर्ध वेतन छुट्टी	55.02	(12.16)	42.86
लाइफ कवर स्कीम	5.68	(0.23)	5.45
अधिकारियों के लिए निपटान भत्ता	4.61	1.33	5.94
गैर-अधिकारियों के लिए निपटान भत्ता	8.69	(0.26)	8.43
समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना	0.12	(0.01)	0.11
यात्रा छुट्टी रियायत	42.23	3.21	45.44
अधिकारियों के लिए चिकित्सा लाभ	70.41	7.15	77.56
गैर-अधिकारियों के लिए चिकित्सा लाभ	0.50	0.73	1.23
खान दुर्घटना लाभ पर आश्रितों को मुआवजा	13.49	0.42	13.91
कुल	1165.15	357.21	1522.36

iii) **प्रकटीकरण के अनुसार बीमांकिक प्रमाण पत्र**

कर्मचारियों के लाभ के लिए गैच्युटी (फंडेड) एवं छुट्टी नगदीकरण (फंडेड) के प्रकटीकरण के बीमांकिक प्रमाण पत्र नीचे दिये गए हैं-

भारतीय लेखांकन मानक 19 (2015) के अनुसार दिनांक-31.03.2018 में उपदान देयता के बीमांकिक मूल्यांकन प्रमाणपत्र

(रूपये करोड़ में)

परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	**दिनांक-31.03.2018 तक**	**दिनांक-31.03.2017 तक**
अवधि के प्रारंभ में कार्य का वर्तमान मूल्य	718.74	686.00
चालू सेवा लागत	53.43	56.85
ब्याज लागत	52.43	46.69
योजना संशोधनः अवधि के अंत में निहित भाग (पूर्व सेवा)	354.97	
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण कार्य में बीमांकिक(लाभ)/घाटा	(50.13)	43.54
अप्रत्याशित अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/घाटा	21.96	(30.24)
भुगतान किए गए लाभ	77.48	84.10
अवधि के अंत में कार्य का वर्तमान मूल्य	1073.92	718.74

(रूपये करोड़ में)

संपत्ति योजना के उचित मूल्य में परिवर्तन	**दिनांक-31.03.2018 तक**	**दिनांक-31.03.2017 तक**
अवधि के प्रारंभ में संपत्ति योजना का उचित मूल्य	727.20	669.61
ब्याज आय	56.07	48.55
कर्मचारी योगदान	223.45	81.24
भुगतान किए गए लाभ	77.48	84.10
ब्याज आय छोड़कर संपत्ति योजना पर लाभ	(0.83)	11.90
अवधि के अंत में संपत्ति योजना का उचित मूल्य	928.41	727.20

(रूपये करोड़ में)

तुलनपत्र के लिए सामंजस्य दिखाते वक्तव्य	दिनांक-31.03.2018 तक	दिनांक-31.03.2017 तक
लागत की स्थिति	(145.51)	8.46
अवधि के अंत में अप्रत्याशित बीमांकिक लाभ/हानि	-	-
संपत्ति निधि	928.41	727.20
देयता निधि	1073.92	718.74

योजना मान्यताओं को दर्शाते वक्तव्य :	दिनांक-31.03.2018 तक	दिनांक-31.03.2017 तक
छूट दर	7.71%	7.25%
संपत्ति योजना पर अपेक्षित लाभ	7.71%	7.25%
मुआवजा बढ़ोत्तरी दर (वेतन मुद्रास्फीति)	9.00% अधिकारियों के लिए एवं 6.50% कर्मचारियों के लिए	9.00% अधिकारियों के लिए एवं 6.50% कर्मचारियों के लिए
औसत अपेक्षित भाविष्य सेवा (शेष जीवन कार्य)	14	11
नैतिकता तालिका	IALM 2006-2008 के अंत में	
उम्र में सेवानिवृत्ति (पुरूष एवं महिला)	60	60
पूर्व सेवानिवृत्ति एवं असक्ततता	0.30%	1.00%

(रूपये करोड़ में)

लाभ व हानि विवरण में पहचाने गए व्यय	31.03.2018 तक	31.03.2017 तक
वर्तमान सेवा लागत	53.43	56.85
भूतपूर्व सेवा लागत(निर्दिष्ट)	354.97	-
शुद्ध ब्याज लागत	(3.64)	(1.86)
लाभ लागत (लाभ व हानि विवरण में पहचाने गए व्यय)	404.76	54.99

(करोड़ रूपये में)

अन्य व्यापक आय	**31.03.2018 तक**	**31.03.2017 तक**
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण कार्य में बीमांकिक (लाभ)/हानि	**(50.13)**	**43.54**
अप्रत्याशित अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	**21.96**	**(30.24)**
कुल बीमांकिक लाभ/हानि	**(28.17)**	**13.30**
योजना परिसंपति की वापसी, ब्याज आय को छोड़ कर	**(0.83)**	**11.90**
अवधि की समाप्ती पर उपलब्ध शेष	**(27.34)**	**1.40**
निवल (आय)/ मान्यता प्राप्त अवधि में अन्य व्यापक आय में व्यय	**(27.34)**	**1.40**

मृत्यु दर तालिका	
आयु	आयु
25	**0.000984**
30	**0.001056**
35	**0.001282**
40	**0.001803**
45	**0.002874**
50	**0.004946**
55	**0.007888**
60	**0.011534**
65	**0.0170085**
70	**0.0258545**

मद प्रकटीकरण				**(करोड़ रूपये में)**
31.03.2017			31.03.2018	
बढ़ना	घटना	संवेदनशील विश्लेषण	बढ़ना	घटना
692.54	746.69	छूट दर (-/+0.5%)	103.69	1113.33
-3.64%	3.89%	संवेदनशीलता के आधार पर परिवर्तन %	-3.444%	3.670%
727.22	709.75	वेतन वृद्धि (-/+ 0.5%)	110.24	1045.00
1.18%	-1.25%	संवेदनशीलता के आधार पर परिवर्तन %	2.652%	-2.693%
719.53	717.94	संघर्षण दर (-/+ 0.5%)	107.49	1072.97
0.11%	-0.11%	संवेदनशीलता के आधार पर परिवर्तन %	0.088%	-0.088%
723.62	713.85	मृत्यु दर (-/+ 10%)	108.03	1067.52
0.68%	-0.68%	संवेदनशीलता के आधार पर परिवर्तन %	0.596%	-0.596%

नगदी प्रवाह की सूचना दर्शाती तालिका	
	करोड़ रूपये में
आगामी वर्ष के लिए कुल (संभावित)	1084.08
न्यूनतम निधि आवश्यकाताएं	422.32

अनुमानित भविष्य भुगतान लाभ की जानकारी दर्शाती तालिका (पूर्व सेवा)	
वर्ष	करोड़ रूपये में
1	132.48
2	114.36
3	111.77
4	108.77
5	116.04
6 to 10	585.93
10 वर्ष से अधिक	999.23
भूतपूर्व एवं भविष्य सेवा में छूट न दिए गए कुल भुगतान	
पूर्व सेवा से संबंधित छूट न दिए गए कुल भुगतान	2168.58
ब्याज हेतु कम छूट	(1094.66)
अनुमानित लाभ दायित्व	1073.92

आगामी वर्ष के शुद्ध आवधिक लाभ के घटकों को दर्शाती तालिका	
	करोड़ रूपये में
आगामी अवधि के लिए चालू सेवा लागत(केवल नियोक्ता अंश)	54.59
आगामी अवधि के लिए हित लाभ	77.69
योजना परिसंपत्ति पर अपेक्षित लाभ	82.80
गैर मान्यता प्राप्त भूतपूर्व सेवा लागत	
गैर मान्यता प्राप्त बीमांकिक/अवधि के अंत में लाभ-हानि	
निपटान लागत	
संक्षेप लागत	
अन्य(बीमांकिक लाभ/हानि)	
लाभ लागत	49.49

(करोड़ रूपये में)

शुद्ध देयता का विभाजन	**31.03.2018 तक**	**31.03.2017 तक**
चालू देयता	127.65	78.59
गैर-चालू देयता	946.27	640.15
शुद्ध देयता	1073.92	718.74

भारतीय लेखांकन मानक 19 (2015) के अनुसार दिनांक- 31.03.2018 में छुट्टी नकदीकरण लाभ (ई.एल./एच.पी.एल.) के रुप में बीमांकिक मूल्यांकन प्रमाण-पत्र

(करोड़ रूपये में)

परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	**31.03.2018 तक**	**31.03.2017 तक**
अवधि के प्रारंभ में कार्य का वर्तमान मूल्य	300.68	243.98
चालू सेवा लागत	23.39	61.22
ब्याज लागत	22.27	16.84
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण कार्य में बीमांकिक (लाभ)/हानि	(15.97)	49.02
जनसांख्यिकीय धारणा में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर वास्तविक (लाभ) / हानि	0.00	0.00
अप्रत्याशित अनुभव के कारण बीमांकिक लाभ/हानि	(16.30)	(46.90)
लाभ भुगतान	23.69	23.47
अवधि के अंत में कार्य का वर्तमान मूल्य	290.38	300.68

(करोड़ रूपये में)

संपत्ति योजना के उचित मूल्य में परिवर्तन	**31.03.2018 तक**	**31.03.2017 तक**
अवधि के प्रारंभ में संपत्ति योजना का उचित मूल्य	203.57	-
ब्याज आय	15.70	6.69
नियोक्ता योगदान	60.05	220.69
लाभ भुगतान	23.69	23.47
ब्याज आय छोड़कर संपत्ति योजना पर लाभ	(0.43)	(0.34)
अवधि के अंत में संपत्ति योजना के उचित मूल्य	255.19	203.57

(करोड़ रूपये में)

तुलनपत्र में सामंजस्य दर्शाते विवरण	31.03.2018 तक	31.03.2017 तक
लागत स्थिति	(35.19)	(97.11)
अवधि के अंत में अप्रत्याशित बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.00	0.00
संपत्ति निधि	255.19	203.57
देयता निधि	290.38	300.68

योजना मान्यताओं को दर्शाते विवरण :	31.03.2018 तक	31.03.2017 तक
छूट दर	7.71%	7.25%
संपत्ति योजना पर अपेक्षित लाभ	7.71%	7.25%
मुआवजा बढ़ोत्तरी दर (वेतन मुद्रास्फीति)	9.00% अधिकारियों के लिए एवं 6.25% कर्मचारियों के लिए	9.00% अधिकारियों के लिए एवं 6.50% कर्मचारियों के लिए
औसत अपेक्षित भविष्य सेवा (शेष जीवन कार्य)	14	11
नैतिकता तालिका	IALM 2006-2008 के अंत में	
सेवानिवृत्ति की आयु (पुरूष तथा महिला)	60	60
पूर्व सेवानिवृत्ति एवं अशक्तता	0.30% p.a.	1.00% p.a.
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति	Ignored	Ignored

मद प्रकटीकरण				(करोड़ रूपये में)
31.03.2017			31.03.2018	
बढ़ना	घटना	संवेदनशील विश्लेषण	बढ़ना	घटना
287.63	314.75	छूट दर (-/+05%)	278.19	303.53
-4.34%	4.68%	संवेदनशीलता के आधार पर परिवर्तन %	-4.196%	4.529%
314.57	287.69	वेतन वृद्धि (-/+ 0.5%)	303.44	278.16
4.62%	-4.32%	संवेदनशीलता के आधार पर परिवर्तन %	4.500%	-4.207%
301.01	300.35	संघर्षण दर (-/+ 0.5%)	290.71	290.04
0.11%	-0.11%	संवेदनशीलता के आधार पर परिवर्तन %	0.116%	-0.116%
302.52	298.85	मृत्यु दर (-/+ 10%)	292.18	288.57
0.61%	-0.61%	संवेदनशीलता के आधार पर परिवर्तन %	0.622%	-0.622%

लाभ व हानि विवरण में पहचाने गए व्यय	31.03.2018 तक	31.03.2017 तक
वर्तमान सेवा लागत	23.39	61.22
शुद्ध ब्याज लागत	6.57	10.15
शुद्ध बीमांकिक लाभ/हानि	(31.84)	2.46
लाभ लागत (लाभ/हानि विवरण में पहचाने गए व्यय)	(1.88)	73.82

अनुमानित भविष्य भुगतान के लाभ की सूचना देती तालिका	
बर्ष	(करोड़ रूपये में)
1	26.34
2	22.41
3	23.40
4	24.80
5	29.25
6 to 10	164.90
10 वर्ष से अधिक	421.54
पूर्व एवं भविष्य सेवा में छूट न दिए गए कुल भुगतान	
पूर्व सेवा से संबंधित छूट न दिए गए कुल भुगतान	712.64
ब्याज हेतु कम छूट	422.27
अनुमानित लाभ दायित्व	290.38

मृत्यु दर तालिका	
आयु	मृत्यु दर (प्रति वर्ष)
25	0.00984
30	0.001056
35	0.001282
40	0.001803
45	0.002874
50	0.004946
55	0.007888
60	0.011534
65	0.0170085
70	0.0258545

शुद्ध देयता का विभाजन	**31.03.2018 तक**	**31.03.2017 तक**
चालू देयता	25.45	21.56
गैर चालू देयता	264.92	279.12
शुद्ध देयता	290.38	300.68

4. अपरिचित मद

क. आकस्मिक देयतायें

I. कंपनी द्वारा किये गए दावे को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। (ब्याज सहित, जहां उपयुक्त हो)

(करोड़ रूपये में)

विवरण	केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार तथा अन्य स्थान	सी.पी.एस.ई.	अन्य	कुल
खुलने की तिथि 01.04.17	1727.33	2763.52	313.75	227.76	5032.36
वर्ष के दौरान सम्मिलित	578.85	8437.01*	-	99.52	9115.38
वर्ष के दौरान निपटाये गए दावे					
क. प्रारंभिक शेष से	769.80	49.44	312.62	80.21	1212.07
ख. वर्ष के दौरान संयोजन से	0.02	-	-	-	0.02
ग. वर्ष के दौरान निपटाये गए कुल दावे (क+ख)	769.82	49.44	312.62	80.21	1212.09
31.03.2018 को समाप्त	1536.36	11151.09	1.13	247.07	12935.65

* सामान्य हित बनाम यू.ओ.आई. एवं अन्य (डब्लू. पी.(सी) 2014 की संख्या-114), के मामलों में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार ओडिशा के कुछ जिला खनन अधिकारियों ने 17 परियोजनाओं में उपलब्ध पर्यावरण मंजूरी सीमा से अधिक उत्पादन का आरोप लगाते हुए मांग सूचनाएं जारी की हैं।

कंपनी ने एम.एम.डी.आर. अधिनियम के तहत् माननीय कोल न्यायधिकरण, भारत सरकार(निर्णय लेने वाले अधिकारी) के समक्ष विधिवत् संशोधित याचिका दायर की है। भारत सरकार के संशोधित प्राधिकरण कोल मंत्रालय ने दिनांक-11.04.2018 के अपने अंतरिम आदेश में संशोधन आवेदन स्वीकार किया है एवं आगे के आदेश तक 8297.77 करोड़ रूपये की मांग के निष्पादन पर रोक लगा दी है।

ख. गारंटीः

कंपनी द्वारा अन्य कंपनियों की तरफ से किसी भी प्रकार की गारंटी प्रदान नहीं की गई।

ग. शाख पत्र :

दिनांक 31.03.2018 तक बकाया शाख पत्र 7.24 करोड़ रुपए हैं (31.03.2017 तक 26.77 करोड़ रुपए) एवं जारी बैंक गारंटी के अंतर्गत 51.62 करोड़ रुपए (31.03.2017 तक 29.17 करोड़ रुपये) हैं।

II. **प्रतिबद्धता**

संविदा की अनुमानित राशि जिसे पूंजी खाते में खर्च किया जाता है,

लेकिन जिसे उपलब्ध नहीं कराया गया हैः-833.04 करोड़ रूपये(31.03.2017 तक 427.76 करोड़ रूपये)

अन्य (राजस्व प्रतिबद्धता) : 2894.57 करोड़ रूपये (31.03.2017 तक 2815.04 करोड़ रूपये)

5. समूह की जानकारी

नाम	एमसीएल के साथ संबंध	मूल गतिविधियां	निगमीकरण का देश	इक्विटी का ब्याज %	
				31.03.18	31.03.17
एम.एन.एच. शक्ति लिमिटेड	अनुषंगी कंपनी	कोयला उत्पादन	भारत	70	70
एम.जे.एस.जे. कोल लिमिटेड	अनुषंगी कंपनी	कोयला उत्पादन	भारत	60	60
महानदी बेसिन पॉवर लिमिटेड	अनुषंगी कंपनी	ऊर्जा उत्पादन	भारत	100	100
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	अनुषंगी कंपनी	रेल कोरिडोर का निर्माण एवं संचालन परियोजना	भारत	64	64

6. अन्य सूचना

क. सरकारी सहायता :

31.03.2018 (टिप्पणी-24) को समाप्त वर्ष के दौरान सैण्ड स्टोइंग एवं संरक्षणात्मक कार्य के लिए किये गए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु कोयला खान (संरक्षण तथा विकास) अधिनियम, 1974 के संदर्भ में कोयला मंत्रालय, भारत सरकार से 2.05 करोड़ रूपये की छूट प्राप्त की गई है।

31.03.2018 को समाप्त वर्ष के दौरान सी.सी.डी.ए. अनुदान 31.75 करोड़ रूपये कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सड़क और रेल के बुनियादी ढ़ांचे के काम की सहायता के लिए पूंजी अनुदान के रूप में प्राप्त की गई है तथा अभी तक प्राप्त कुल 208.58 करोड़ रूपये के स्थगित आय का खुलासा टिप्पणी-22 में किया गया है।

ख. **प्रावधान**

दिनांक 31.03.2018 तक कर्मचारी लाभ छोड़कर विभिन्न प्रावधानों की स्थिति एवं संचार बीमांकित है, जो कि नीचे दिए गए हैं :

(करोड़ रूपये में)

प्रावधान	01.04.2017 के अनुसार प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	वर्ष के दौरान वापस/ समायोजित करें	डिस्काउंट का अन वाईंडिंग	31.12.2018 के अनुसार समाप्त शेष
नोट 3:- संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण : संपत्तियों की हानि एवं कमी	681.76	372.66	(30.87)	-	1023.55
नोट 4: मुख्य कार्य में प्रगति : सीडब्ल्यूआईपी के तहत्	14.27	0.52	(0.20)	-	14.59
नोट 5: परिसंपत्तियों का अंवेषण एवं मूल्यांकन प्रावधान एवं हानि	-	-	-	-	-
नोट 6:- अन्य अमूर्त संपत्तियां प्रावधान:	0.20	0.15	-	-	0.35
नोट 8: ऋण : अन्य ऋण :	-	-	-	-	-
नोट 9: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां : अनुषंगियों के साथ चालू लेखा : प्राप्य दावे: अन्य प्राप्य (गैर चालू) अन्य प्राप्य (चालू)	- - 0.16 -	- - - 0.76	- - - -	- - - -	- - 0.16 0.76
नोट 10:- अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां: अग्रिम पूंजी: उपयोगिता हेतु सुरक्षा जमा	0.55 -	- -	- -	- -	0.55 -
नोट 11: अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां: राजस्व हेतु अग्रिम: सांविधिक देय राशि के लिए अग्रिम भुगतान कर्मचारियों को अग्रिम: अन्य जमा : अन्य प्राप्य :	2.16 - 0.03 - -	2.74 - - - -	- - - - -	- - - - -	4.90 - 0.03 - -
नोट 12: सूची: कोयला भंडार : भंडारों एवं पूर्जों का भंडार	- 19.89	- 6.68	- -	- -	- 26.57

नोट 13: व्यापार प्राप्य: ऋण हेतु प्रावधान एवं नैतिक	109.53	19.64	99.03	-	30.14
नोट 21: चालू एवं गैर चालू प्रावधान प्रदर्शन संबंधित भुगतान(पी.आर.पी.) :	138.15	16.69	(56.89)	-	97.95
एनसीडबल्यूए -X	146.36	156.70	-	-	303.06
अधिकारी वेतन संशोधन	9.78	93.93	-	-	103.71
खदान बंद	729.59	4.97	(11.74)	51.15	773.97
अनुग्रह राशि	109.75	115.80	(107.40)	-	118.15
सेवा निवृत्ति लाभ	133.93	20.41		-	154.34
कोयले की गुणवत्ता में विविधता	80.77	173.45	(80.77)	-	173.45
दावा प्राप्य	14.19	3.44	(14.19)	-	3.44
स्वच्छ ऊर्जा उपकर और उत्पाद शुल्क	269.73	-	(269.73)	-	-
वर्ष 2015-16 के लिए पर्यावरण मंजूरी मांग	-	50.97	-	-	50.97
अन्य	-	15.08	-	-	15.08

ग. रिपोर्टिंग खंड

भारतीय लेखांकन मानक 108 के प्रावधानों के अनुसार 'संचालन खंड' का उपयोग खंड सूचना प्रदान करने हेतु किया जाता है, जिसकी पहचान बीओडी द्वारा अंतरिम प्रतिवेदन के आधार पर की जाती है ताकि खंडों के संसाधनों को आवंटित किया जा सके एवं उनके प्रदर्शन का उपयोग भी किया जा सके। भारतीय लेखांकन मानक 108 के अर्थानुसार बीओडी मुख्य परिचालन निर्णय लेने वालों का समूह है।

निदेशक मंडल ने महत्वपूर्ण उत्पाद के व्यवसाय पर विचार किया है एवं निर्णय लिया है कि यह कोयले की बिक्री करने योग्य एक एकल रिपोर्ट का भाग है। वित्तीय प्रदर्शन एवं शुद्ध संपत्ति की समेकित जानकारी पी/एल एवं तुलनपत्र में प्रस्तुत की गई है।
गंतव्य द्वारा राजस्व निम्नानुसार है-

	भारत	अन्य देश
राजस्व	13673.32 करोड़	शून्य

ग्राहक द्वारा राजस्व निम्नानुसार है-

ग्राहक का नाम	राशि (करोड़ में)	देश
प्रत्येक पार्टियों का नाम जिनकी शुद्ध बिक्री मूल्य 10% से ज्यादा हो **एन.टी.पी.सी.**	2465.74	भारत
अन्य	11207.58	भारत

स्थान के द्वारा शुद्ध वर्तमान परिसंपत्ति निम्नानुसार

	भारत	अन्य देश
शुद्ध चालू परिसंपत्ति	रु. 10935.19 करोड़	शून्य

घ. प्राधिकृत पूंजी:

	31.03.2018	31.03.2017
प्रत्येक के 1000 रूपये के 77,58,200 इक्विटी शेयर	775.82	295.82
प्रत्येक 1000 रूपये के 20,41,800 का संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयर का 10% (पहले की स्वीकृति अनुसार प्रतिदेय)	204.18	204.18

ङ. प्रतिशेयर आय

क्र.सं	विवरण	दिनांक-31.03.2018 को समाप्त वर्ष		दिनांक-31.03.2017 को समाप्त वर्ष (पुनः वर्णित)	
		पी.ए.टी.	ओ.सी.आई.	पी.ए.टी.	ओ.सी.आई.
i)	इक्विटी शेयर धारकों के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ (करोड़ रूपये में)	4761.29	17.88	4512.97	(0.92)
ii)	भारित बकाया औसत इक्विटी शेयर	1474174	1474174	1849157	1849157
iii)	रुपए में प्रति शेयर मूल एवं लघु आय (अंकित मूल्य 1000 रुपये प्रति शेयर)	32298.03	121.29	24405.55	(4.98)

घ. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

क. **प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक**

श्री ए .के. झा, अध्यक्ष-सह-प्रबंध-निदेशक

श्री एल. एन. मिश्रा, निदेशक (कार्मिक/आई.आर.)

श्री जे .पी. सिंह, निदेशक (तकनीकी-संचालन)

श्री ओ. पी. सिंह, निदेशक (तकनीकी-योजना एवं परियोजना)

श्री के. आर. वासुदेवन, निदेशक (वित्त)

श्री ए. के. सिंह, कंपनी सचिव

स्वतंत्र निदेशक

श्री एच.एस. पति

डॉ. आर. मल्ल

श्रीमती सीमा शर्मा

अंशकालिक निदेशक

श्री एस.एन. प्रसाद

सरकार द्वारा नामित

श्री आर. के. सिन्हा

प्रमुखप्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिक

(करोड़ रूपये में)

क्र.सं	सीएमडी, पूर्णकालिक निदेशक एवं कंपनी सचिव को भुगतान	दिनांक- 31.03.2018 को समाप्त वर्ष	दिनांक- 31.03.2017 को समाप्त वर्ष
i)	**अल्पावधि कर्मचारी लाभ**		
	सकल वेतन	1.53	1.49
	परिलब्धियां	0.00	0.00
	चिकित्सा लाभ	0.00	0.04
ii)	**रोजगार लाभ के उपरांत** पी.एफ एवं अन्य निधि का योगदान	0.16	0.16
iii)	**समाप्ति लाभ** (वियोजन के समय प्रदत्त) छूट्टी नकदीकरण	1.05	-
	गैच्युटी	0.83	
	कुल	**3.57**	**1.69**

टिप्पणी:

i. इसके अलावा, पूर्णकालिक निदेशकों को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के ओ.एम. नं 2(18)/पी.सी.-64, दिनांक-20.11.1964 को संशोधित प्रावधानों के अनुसार 750 कि.मी. पर रियायत दर के भुगतान पर निजी यात्रा के लिए कारों का उपयोग करने हेतु अनुमति दी गई है।

बकाया शेष (करोड़ रूपये में)

क्र. सं	**स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान**	**दिनांक-31.03.2018 को समाप्त वर्ष**	**दिनांक-31.03.2017 को समाप्त वर्ष**
i)	बैठक शुल्क	0.13	0.11

क्र.सं	**विवरण**	**31.03.2018 के अनुसार**	**31.03.2017 के अनुसार**
i)	देय राशि	शून्य	शून्य
ii)	प्राप्य राशि	शून्य	शून्य

च. समूह के अंतर्गत संबन्धित पार्टी लेन-देन

कंपनी एक सरकारी संस्था होने के नाते संबन्धित पार्टी लेनदेन एवं उत्कृष्ट शेष के संबंध में सरकारी नियंत्रण के साथ सामान्य प्रकटीकरण की आवश्यकताओं में छूट देती है।

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने अपने धारक कंपनियों, अनुषंगी तथा अनुषंगियों जो सर्वोच्च शुल्क, पुनर्वास शुल्क, सीएमपीडीआईएल व्ययों, आर एंड डी व्ययों, पट्टे का किराया, अधिशेष निधि पर ब्याज, आईआईसीएम शुल्क को शामिल किया है तथा चालू खाते के माध्यम से अन्य सहायक कंपनियों द्वारा या उनके द्वारा किये गए खर्च के साथ लेनदेन में प्रवेश किया है।

भारतीय लेखांकन मानक 24 के अनुसार महत्वपूर्ण लेनदेन राशि एवं इससे संबंधित प्रकटीकरण निम्नानुसार है-

कंपनी का नाम	**कंपनी के साथ संबंध**	**वर्ष के दौरान लेनदेन राशि (करोड़ रूपये में)**
कोल इंडिया लिमिटेड	100% होल्डिंग कंपनी	(247.28)
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	100% धारक कंपनी के अनुषंगी कंपनी	(0.34)
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	100% धारक कंपनी के अनुषंगी कंपनी	0.06
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	100% धारक कंपनी के अनुषंगी कंपनी	(0.07)
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	100% धारक कंपनी के अनुषंगी कंपनी	(0.07)
नॉर्थन कोलफील्ड्स लिमिटेड	100% धारक कंपनी के अनुसंगी कंपनी	(0.14)

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	100% धारक कंपनी के अनुषंगी कंपनी	(1.13)
सीएमपीडीआई लिमिटेड	100% धारक कंपनी के अनुषंगी कंपनी	75.49
एम.जे.एस.जे. कोल लिमिटेड	अनुषंगी (60% हिस्सेदारी)	0.47
एम.एन.एच. शक्ति लिमिटेड	अनुषंगी (70% हिस्सेदारी)	0.07
महानदी बेसिन पावर लिमिटेड	अनुषंगी (100% हिस्सेदारी)	1.20
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	अनुषंगी (64% हिस्सेदारी)	1.02

कोष्ठक में दिये गए आंकड़े अन्य कंपनी के साथ कुल क्रेडिट लेन-देन को दर्शाते हैं।

छ. बीमा और वृद्धि दावा

बीमा और वृद्धि दावा का लेखा-जोखा आवेदन/अंतिम निपटान के आधार पर किया जाता है।

ज. लेखा के लिए बनाये गए प्रावधान

धीमी प्रयुक्त/स्थिर/अप्रचलित भंडार गृह, दावा, प्राप्य, अग्रिम, संदिग्ध ऋण के लिए लेखा में प्रावधान पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है ताकि संभावित नुकसान को रोका जा सके।

झ. चालू संपत्ति, ऋण और अग्रिम आदि

प्रबंधन के विचार से अचल संपत्ति के अतिरिक्त अन्य संपति और गैर चालू निवेश का मूल्य कम से कम व्यवसाय के सामान्य अवधि के दौरान वसूली पर या जिस पर मूल्य निर्धारित किया जाता है, के बराबर होता है।

ञ. चालू देयताएँ

जहां वास्तविक देयताएँ नहीं मापी जा सकती, वहाँ अनुमानित देयताएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।

ट. शेष की पुष्टि

शेष की पुष्टि एवं सामंजस्य, नगद एवं बैंक शेष, निश्चित ऋण एवं अग्रिम, दीर्घकालिक देयताएँ और चालू देयताओं के आधार पर किया जाता है।

ठ. सीआईएफ के आधार पर आयात मूल्य

(करोड़ रूपये में)

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
(i) कच्चा माल	शून्य	शून्य
(ii) पूंजीगत माल	1.93	28.37
(iii)भंडार,पुर्जा एवं उपकरण	0.03	0.10

ड. विदेशी मुद्रा के लिए किए गए खर्च

(करोड़ रूपये में)

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
यात्रा व्यय	0.09	0.36
प्रशिक्षण व्यय	शून्य	शून्य
परामर्श शुल्क	शून्य	शून्य
ब्याज	0.07	0.09
भंडार एवं पुर्जे	0.03	0.10
पूंजीगत माल	1.93	28.37
अन्य	शून्य	शून्य

ढ. विदेशी विनिमय में अर्जन

विविरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
यात्रा व्यय	शून्य	शून्य
प्रशिक्षण व्यय	शून्य	शून्य
परामर्श शुल्क	शून्य	शून्य

ण. भंडार एवं पुर्जों का कुल खपत

(करोड़ रूपये में)

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष		31.03.2017 को समाप्त वर्ष	
	राशि	कुल खपत का प्रतिशत	राशि	कुल खपत का प्रतिशत
(i) आयातित सामाग्री	0.03	0.01	0.10	0.02
(ii) स्वदेशी	604.37	99.99	583.50	99.98

त. कोयले का प्रारंभिक स्टॉक, उत्पादन, खरीद, टर्नओवर और अंतिम स्टॉक का विवरण

(करोड़ रूपये में एवं परिमाण '000 एमटी में)

	31.03.2018 को समाप्त वर्ष		31.03.2017 को समाप्त वर्ष	
	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य
प्रारंभिक शेयर	**6387.29**	**276.54**	**10191.73**	**367.52**
उत्पाद	143057.91	13818.28	139208.39	14066.87
बिक्री	138262.45	13673.32	143008.03	14156.95

स्व खपत	4.83	0.96	4.80	0.90
बट्टे खाते में डालना	-	-	-	-
5% से अधिक की कमी	116.80	19.76	119.40	21.85
5% से अधिक	-		-	-
अंतिम स्टॉक	**11061.12**	**400.78**	**6267.89**	**254.69**

थ. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(4) के अंतर्गत संरक्षित किये गए ऋण, निवेश एवं गारंटी का विवरण :-

संबन्धित शीर्ष के अंतर्गत दिये गए ऋण और किये गए निवेश निम्न है -

कंपनी का नाम	संबंध	ऋण/निवेश	राशि (करोड़ रूपये में)
एमजेएसजे कोल लिमिटेड	अनुषंगी	शेयरों में निवेश	57.06
एमएनएच शक्ति लिमिटेड	अनुषंगी	शेयरों में निवेश	59.57
महानदी बेसिन पॉवर लिमिटेड	अनुषंगी	शेयरों में निवेश	0.05
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	अनुषंगी	शेयरों में निवेश	0.03
एन.एल.सी. इंडिया लिमिटेड		दिये गये ऋण	1000.00

- दिनांक 31.03.2018 अंतर्गत ऋण के संदर्भ में समूह द्वारा कोई भी कारपोरेट गारंटी नहीं दिया गया है।
- निधिगत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए कंपनी ने मासिक आधार पर 7% ब्याज देयता पर एन.एल.सी.आई.एल. को 1000 करोड़ का ऋण दिया है एवं संवितरित कुल 2000 करोड़ रूपये की स्वीकृत ऋण 48 मासिक किस्त पर अगले माह से देय होगी।

द. संयुक्त उद्यम में लाभ (भारतीय लेखांकन मानक-31)

08 जनवरी, 2013 को नीलांचल पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड नामक संयुक्त उद्यम समूह को दिनांक-31.03.2018 तक कंपनी और ओडिशा पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच संयुक्त उद्यम अनुबंध के आधार पर शामिल किया गया था, कंपनी ने विविध व्यय के लिए 0.02 करोड़ रूपये खर्च किये एवं इन्हें प्राप्य दावों में शामिल किया है।

ध . महानदी कोल प्रबंधन संस्थान का निर्माण

कंपनी ठेकेदार मेसर्स एन.बी.सी.सी. के माध्यम से 138.83रूपये करोड़ की अनुमानित लागत पर 'महानदी कोल प्रबंधन संस्थान, भुवनेश्वर' का निर्माण कर रही है। कंपनी एवं ठेकेदार के बीच खंड संख्या-5.18 के समझौता ज्ञापन के अनुसार सांविधिक प्राधिकरणों से निर्माण एवं परियोजना के पूर्ण होने के लिए आवश्यक अनुमोदन/मंजूरी लेना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। हालांकि, भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण ने इससे संबंधित अनुमोदन प्रस्ताव पर विचार नहीं किया है क्योंकि यह परियोजना सी.डी.पी.-2010 के अनुसार प्रस्तावित रिंग रोड संरेखण पर पड़ती है। पत्र संख्या- HUD-TP-SCH-0022/2014/8008/HUD,

दिनांक-28.03.2018 के अनुसार कथित सी.डी.पी.-2010 रिंग रोड को सी.डी.पी.-01/2016 में पुनः संरेखण हेतु ओडिशा सरकार द्वारा अनुमोदन प्राप्त किये गए हैं। एमसीएल की सलाहकार एन.बी.सी.सी. ने पुनः एम.आई.सी.एम. योजना के लिए बी.डी.ए. से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है। हालांकि समूह संस्थान के निर्माण के लिए 104.23 करोड़ रूपये व्यय कर चुकी है।

न. बालिपंडा मौजा, पुरी में भूमिः-

पुरी नगर पालिका के साथ 99 वर्ष के पट्टा अवधि (दिनांक-01.04.1996 से प्रभावी) से 05 करोड़ रूपये बालिपंडा मौजा, पुरी की भूमि जिसकी कीमत 0.80 करोड़ रूपये है, पट्टे के तौर पर लिया गया है। हालांकि तहसीलदार, पुरी द्वारा दिये गए कार्यालय ज्ञापन संख्या-7206 दिनांक-21.08.2004, कलेक्टर, पुरी को संबोधित की गई एक प्रतिलिपि एमसीएल, भुवनेश्वर को "स्वीट वॉटर जोन" के तहत् आती हैं तथा इस क्षेत्र को आवास एवं शहरी विकास विभाग में सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। जैसा कि कथित भूमि स्वेट वॉटर जोन के तहत् आती है, इसलिए तहसीलदार, पुरी में 2008-09 तक भाड़े के साथ ही उपकर स्वीकार किया है। एमसीएल ने पुरी के तहसीलदार को लिखित अनुरोध किया है कि वे 2009-10 से 2018-19 तक की अवधि की डिमांड नोट पर भेजे। निदेशक(कार्मिक), एमसीएल ने पत्र संख्या-4401, दिनांक-03.03.2018 में प्रमुख सचिव, ओडिशा सरकार से अनुरोध किया है कि वे एमसीएल में कथित भूमि के प्लॉट के अधिग्रहण हेतु आवश्यक कदम उठाये।

प. लाभ मिलानः-

	अवधि जिसके लिए त्रुटि संबंधित है	2016-17 को समाप्त वर्ष (करोड़ रूपये में)
पहले रिपोर्ट की गई समूह के मालिकों के लिए जिम्मेदार कुल व्यापक आय		4491.09
<u>अवधि से पूर्व वस्तुओं के लिए समायोजन</u>		
अन्य व्यय(टिप्पण-35) (सी.एम.पी.डी.आई.एल. प्रभार)	2016-17	1.39
प्रावधान (टिप्पण- 33) (संदिग्ध ऋण)	2016-17	8.37
वित्तीय लागत (टिप्पण 32) दी गई छूट	2016-17	2.55
विमूल्यन(पी. एंड एल.) स्थल के रखरखाव हेतु लागत का विमूल्यन	2016-17	5.62
कर्मचारी लाभ व्यय(टिप्पण 28) (खेल-कूद व्यय)	2016-17	3.03
समूहों के मालिको के लिए कुल व्यापक आय (पुनः वर्णित)		4512.05

दिनांक-01.04.2016 तक समायोजित प्रतिधारित कमाई		
विक्रय (टिप्पण 24) (प्रदर्शन प्रोत्साहन)	2012-13	(20.28)
संचालन से प्राप्त राजस्व (टिप्पण 24) प्रदर्शन प्रोत्साहन	2015-16	(0.14)
अन्य व्यय (टिप्पण 35) साइडिंग रखरखाव प्रभार	2015-16	13.72
पी./एल. (विमूल्यन एवं ऋण परिशोधन)	2015-16	(0.13)

फ. अन्य

क भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार पिछली अवधि के आंकडों को पुन: वर्णित किया गया है तथा जब भी आवश्यक हो उसे पुनर्गठित और पुनर्व्यवस्थित भी किया जा सकता है।

ख पिछली अवधि के आकड़े टिप्पणी 3 से 38 कोष्ठ में दिये गए हैं

ग 31 मार्च, 2018 के अनुसार नोट 3 से 23 तुलनपत्र का एक हिस्सा है तथा उस तिथि के अर्द्ध वर्ष की समाप्ति पर लाभ तथा हानि विवरण नोट 24 से 37 के भाग में दर्शाये गए हैं। नोट-2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीति को प्रस्तुत करता है तथा नोट-38 वित्तीय विवरण के संयुक्त नोट (टिप्पणी) को प्रस्तुत करता है।

1 से 38 में हस्ताक्षर

बोर्ड की तरफ से

ह/-
ए. के. सिंह
कंपनी सचिव

ह/-
वी.वी.के. राजू
महाप्रबंधक (वित्त)

ह/-
के.आर. वासुदेवन
निदेशक (वित्त)
डीआईएन -07915732

ह/-
ए. के. झा
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डीआईएन-06645361

हमारे संलग्नित सीमित समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
उनके तरफ से
सिंह राय मिश्रा एंड कंपनी
सनदी लेखाकर
फ़र्म पंजीकरण संख्या.318121**E**
ह/-
सी.ए. जे. के. मिश्रा)
पार्टनर

स्थान: भुवनेश्वर
सदस्यता सं. 052796
दिनांक : 24.05.2018

31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए नगद प्रवाह

(₹ करोड़ में)

		31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार पुन: घोषित
क	**प्रचालन गतिविधियों से नगद प्रवाह:**		
	करपूर्व लाभ :	**7,367.00**	**6,874.28**
	समायोजन के लिए :		
	स्थिर परिसंपत्तियों पर ह्रास/हानि	341.94	365.06
	बैंक जमा पर ब्याज	(858.91)	(1,088.73)
	वित्तीय गतिविधियों संबंधी वित्तीय लागत	22.11	7.95
	डिस्काउन्ट का अनवाइन्डिंग	51.15	47.05
	स्थिर परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि	(0.24)	(0.05)
	विनियम दर का उतार-चढ़ाव	1.02	(0.59)
	स्ट्रीपिंग गतिविधियों का समायोजन	1,000.64	1,313.31
	निवेश से ब्याज/लाभांश	(177.98)	(304.57)
	बट्टे खाते एवं बनाये गए प्रावधान	150.39	394.82
	चालू/गैर चालू परिसंपत्तियों एवं देयताओं के पूर्व संचालन हेतु प्रावधान	**7,897.12**	**7,608.53**
	समायोजन के लिए :		
	वस्तुसूची	(159.31)	102.69
	व्यापार से प्राप्य	526.97	(39.02)
	गैर चालू ऋण, अग्रिम,अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों, अन्य परिसंपत्तियॉ	133.68	(675.69)
	चालू ऋण, अग्रिम,अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों, अन्य परिसंपत्तियॉ	1,400.40	(3,145.70)
	चालू/गैर चालू प्रावधान, अन्य वित्तीय देयताएं एवं अन्य देयताएं	2,086.55	3,592.57
	संचालन से उत्पन्न नगद	**7,712.31**	**7,443.38**
	भुगतान/वापस किए गए आयकर	(2,533.98)	(2,670.82)
	संचालन गतिविधियों से प्राप्त निवल नगद	**5,178.33**	**4,772.56**
ख	**निवेश गतिविधियों से नगद प्रवाह**		
	स्थिर परिसंपत्तियों की खरीद	(1,329.52)	(1,822.09)
	सीआईएल के साथ लघु अवधि जमा	53.94	293.87
	स्थिर परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि	0.24	0.05
	निवेश में बदलाव	202.00	1,143.00
	निवेश गतिविधियों से ब्याज	929.63	1,278.85
	निवेश से ब्याज/लाभांश	107.26	114.45
	निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नगद	**(36.45)**	**1,008.13**
ग	**वित्तीय गतिविधियों से नगद प्रवाह**		
	उधार में बदलाव	0.45	-1.13
	विनियम दर में उतार-चढाव	(1.02)	0.59
	वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ब्याज एवं वित्तीय लागत	(73.26)	(55.00)
	इक्वीटी शेयर पर लाभांश	(4,350.00)	(2,982.00)
	इक्वीटी शेयर संबंधी लाभांश पर कर	(885.56)	(607.06)
	इक्वीटी शेयर पूँजी का बाईबैक	-	(1,979.73)
	इक्वीटी शेयर पूँजी के बाईबैक पर कर		
	वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नगद	**(5,309.39)**	**(5,624.33)**
	नगद एवं नगद समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)	(167.51)	156.36
	वर्ष के शुरूआत में नगद एवं नगद समतुल्य	372.36	216.00
	वर्ष के अंत में नगद एवं नगद समतुल्य	**204.85**	**372.36**
	उपरोक्त विवरण अप्रत्यक्ष विधि से तैयार किया गया है	0.00	0.00

पिछले वर्ष के आंकड़े को वर्तमान अवधि वर्गीकरण की पुष्टि के लिए पुन: वर्गीकृत किया गया है।

3. सभी आंकड़े करोड़ में हैं (कोई दशमलव नहीं)

उसी दिन हमारे द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुरूप
कृते,सिंह राय मिश्रा एंड को.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.318121ई

ह/-
(ए के सिंह)
कंपनी सचिव

ह/-
(वी वी के राजू)
महाप्रबंधक (वित्त)

ह/-
(सी ए जे के मिश्रा)
भागीदार
सदस्य संख्या 052796

ह/-
(के आर वासुदेवन)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 07915732

ह/-
(ए के झा)
अधक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06645361

दिनांक: 24.05.2018
स्थान: भुवनेश्वर

समेकित तुलनपत्र

(` करोड़ में)

	टिप्पणी संख्या	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार (पुनः घोषित)
परिसंपत्तियाँ			
गैर चालू परिसम्पत्तियाँ			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	4,589.24	4,001.90
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगतिपर	4	2,315.50	1,914.40
(ग) अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां	5	142.27	126.44
(घ) अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियाँ	6	4.83	5.31
(ङ) विकाशाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियाँ		-	-
(च) निवेश सम्पत्ति			
(छ) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) निवेश	7	958.70	958.70
(ii) ऋण	8	1,000.82	1,201.06
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	877.05	732.99
(ज) आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ (निवल)		-	-
(झ) अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ	10	305.01	382.58
कुल गैर चालू परिसम्पत्तियाँ (क)		10,193.42	9,323.37
चालू परिसम्पत्तियाँ			
(क) वस्तुसूची	12	474.76	322.13
(ख) वित्तीय परिसंपातियाँ			
(i) निवेश	7	-	202.00
(ii) व्यापार प्राप्तियाँ	13	606.86	1,054.44
(iii) नगद एवं नगद समतुल्य	14	205.49	372.55
(iv) अन्य बैंक बैलेन्स	15	13,168.31	14,741.62
(v) ऋण	8	0.32	0.32
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपातियाँ	9	702.28	961.90
(ग) वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)		700.94	706.54
(घ) अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	11	1,392.89	1,032.94
कुल चालू परिसम्पत्तियाँ(ख)		17,251.85	19,394.44
कुल परिसंपातियाँ (क+ख)		**27,445.27**	**28,717.81**

समेकित तुलनपत्र

	टिप्पणी संख्या	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार (पुनः घोषित)
के अनुसार (पुनः घोषित)			
इक्विटी एवं देयताएं			
इक्विटी			
क) इक्विटी शेयर पूँजी	16	706.13	141.23
(ख) अन्य इक्विटी	17	2,224.33	3,248.40
कंपनी के इक्विटी धारकों के लिए इक्विटी का श्रेय		2,930.46	3,389.63
गैर नियंत्रित व्याज		63.59	63.59
कुल इक्विटी (क)		2,994.05	3,453.22
देयताएं			
गैर- चालू देयताएं			
(क)वित्तीय देयताएं			
(i) उधारी	18	6.50	6.13
(ii) भुगतान योग्य व्यापार		-	-
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	20	45.08	40.19
(ख) प्रावधान	21	17,650.46	16,734.66
(ग) आस्थगित कर देयताएं (निवल)		247.79	201.82
(घ) अन्य गैर चालू देयताएं	22	208.58	176.83
कुल गैर-चालू देयताएं (ख)		18,158.41	17,159.63
चालू देयताएं			
(क)वित्तीय देयताएं			
(i) उधारी	18	-	2,200.00
(ii) भुगतान योग्य व्यापार	19	572.69	404.15
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	20	628.49	511.10
(ख) अन्य चालू देयताएं	23	3,757.07	3,959.26
(ग) प्रावधान	21	1,334.56	1,030.45
(घ) चालू कर देयताएं (निवल)		-	-
कुल चालू देयताएं (ग)		6,292.81	8,104.96
कुल इक्विटी एवं देयताएं (क+ख+ग)		**27,445.27**	**28,717.81**
		-	0.00

संगत टिप्पणी वित्तीय विवरणी का अभिन्न अंग है ।

3. सभी आंकड़े करोड़ में हैं (कोई दशमलव नहीं)

उसी दिन हमारे द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुरूप
कृते,सिंह राय मिश्रा एंड को.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.318121ई

ह/-
(ए के सिंह)
कंपनी सचिव

ह/-
(वी वी के राजू)
महाप्रबंधक (वित्त)

ह/-
(सी ए जे के मिश्रा)
भागीदार
सदस्य संख्या 052796

ह/-
(के आर वासुदेवन)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 07915732

ह/-
(ए के झा)
अधक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06645361

दिनांक: 24.05.2018
स्थान: भुवनेश्वर

समेकित लाभ-हानि विवरण

(` करोड़ में)

		टिप्पणी संख्या	31.03.2018 समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2017 समाप्त वर्ष के अनुसार (पुनःघोषित)
	संचालन से प्राप्त राजस्व			
क	विक्रय (उत्पाद शुल्क जोड़ कर)	24	13,673.32	14,156.95
ख	संचालन से प्राप्त अन्य राजस्व (अन्य परिचालन राजस्व)		1,008.88	825.03
(I)	**संचालन से प्राप्त राजस्व (क+ख)**		14,682.20	14,981.98
(II)	अन्य आय	25	1,211.89	1,484.01
(III)	**कुल आय (I+II)**		**15,894.09**	**16,465.99**
(IV)	**व्यय**			
	खपत वस्तुओं की लागत	26	604.56	583.60
	स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीदारी			
	तैयार माल की वस्तु सूची, कार्य प्रगति पर एवं व्यापार भंडार की सूची में बदलाव	27	(188.54)	97.52
	उत्पाद शुल्क		230.50	1,005.06
	कर्मिक हितलाभ पर व्यय	28	3,002.93	2,369.22
	बिजली एवं ईंधन		130.58	124.69
	कार्पोरेट सामाजिक दायित्व पर व्यय	29	267.52	166.60
	मरम्मत	30	129.33	118.57
	संविदात्मक व्यय	31	2,480.64	2,286.94
	वित्तीय लागत	32	73.26	55.00
	मूल्य ह्रास/परिशोधन/हानि पर व्याय		371.34	348.44
	प्रावधान	33	(194.09)	442.33
	बट्टे खाते डालना	34	-	-
	अन्य व्यय	35	648.53	681.37
	स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन		1,000.65	1,313.29
	कुल व्यय(IV)		**8,557.21**	**9,592.63**
(V)	**असाधारण मदे और टैक्स से पूर्व लाभ (III-IV)**		**7,336.88**	**6,873.36**
(VI)	असाधारण मदें			
(VII)	**कर पूर्व लाभ (V-VI)**		**7,336.88**	**6,873.36**
(VIII)	कर पर व्यय	36	2,578.37	2,362.71
(IX)	**निरंतर संचालन से वर्ष के लिए लाभ (VII-VIII)**		**4,758.51**	**4,510.65**

समेकित लाभ-हानि विवरण

(` करोड़ में)

		टिप्पणी संख्या	31.03.2018 समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2017 समाप्त वर्ष के अनुसार (पुनःघोषित)
(X)	बंद संचालन से लाभ/(हानि)		-	-
(XI)	बंद संचालन के कर पर व्यय		-	-
(XII)	बंद संचालन से लाभ(हानि) (कर पश्चात) (X-XI)		-	-
(XIII)	संयुक्त उद्यम / एसोसिएट्स लाभ/ (हानि) में शेयर		-	-
(XIV)	**वर्ष के लिए लाभ(IX+XII+XIII)**		**4,758.51**	**4,510.65**
	अन्य व्यापक आय	37		
	क (i) मदे जो लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		27.34	(1.40)
	(ii)आयकर से संबंधित मदे जो लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा		**9.46**	(0.48)
	ख (i) मदे जो लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
	(ii)आयकर से संबंधित मदे जो लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
(XV)	**कुल अन्य बृहत आय**		**17.88**	**(0.92)**
(XVI)	**वर्ष के लिए कुल बृहत आय (XIV + XV) (अवधि के लिए लाभ (हानि) और अन्य व्यापक आय शामिल में है)**		**4,776.39**	**4,509.73**
	मुनाफे का कारण:			
	कंपनी के मालिक		**4,758.51**	**4,510.65**
	अनियंत्रित ब्याज		-	
			4,758.51	**4,510.65**
	अन्य व्यापक आय का कारण:			
	कंपनी के मालिक		**17.88**	**(0.92)**
	अनियंत्रित ब्याज		-	-
			17.88	**(0.92)**
	कुल व्यापक आय का कारण:			
	कंपनी के मालिक		**4,776.39**	**4,509.73**
	अनियंत्रित ब्याज		-	-
			4,776.39	**4,509.73**
(XVII)	**प्रति इक्विटी शेयर का आय(जारी संचालन के लिए):**			
	(1) मूलभूत		**32,400.46**	**24,388.03**
	(2) तरलीकृत		**32,400.46**	**24,388.03**
(XVIII)	**प्रति इक्विटी शेयर का आय (बंद संचालन के लिए):**			
	(1) मूलभूत		-	-
	(2) तरलीकृत		-	-
(XIX)	**प्रति इक्विटी शेयर का आय ((बंद संचालन एवं जारी के लिए):**			
	(1) मूलभूत		**32,400.46**	**24,388.03**
	(2) तरलीकृत		**32,400.46**	**24,388.03**

संगत टिप्पणी वित्तीय विवरणी का अभिन्न अंग है ।

उसी दिन हमारे द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट
कृते,सिंह राय मिश्रा एंड को
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.318121ई

ह/-	ह/-	ह/-
(ए के सिंह)	(वी वी के राजू)	(के आर वासुदेवन)
कंपनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक (वित्त)
		डीआईएन: 07915732

ह/-	ह/-	ह/-
जे पी सिंह	(ए के झा)	सी ए जे के मिश्रा
निदेशक (तक.संचालन)	अधक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	सहभागी
डीआईएन : 06620453	डीआईएन: 06645361	सदस्यता संख्या : 052796

दिनांक: 24.05.2018
स्थान: भुवनेश्वर

31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

(₹ करोड़ में)

क. इक्विटी शेयर पूँजी

विवरण	01.04.2016 के अनुसार शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2018 के अनुसार
नगदी में पूरी तरह से चुकाए जाने वाले प्रत्येक `1000 के लिए 1412266 इक्विटी शेयर	186.40	(45.17)	141.23	141.23	564.90	706.13

ख. अन्य इक्विटी

	अन्य रिजर्व		सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	अन्य व्यापक आमदनी	अनियंत्रित ब्याज	कुल
	वरीयता शेयर पूंजी का इक्विटी हिस्सा	कैपिटल रिजर्व					
01.04.2016 के अनुसार	204.18	-	3,470.32	583.66	11.99	63.59	4,270.15
लेखांकन नीति में परिवर्तन	-	-	-	-			-
पूर्व अवधि त्रुटियाँ	-	-	-	(7.86)			(7.86)
01.04.2016 को पुनः घोषित शेष के अनुसार	204.18		3,470.32	575.80	11.99	63.59	4,262.29
वर्ष के दौरान वृद्धि	**45.17**		-	-	-	-	45.17
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	(1,617.06)	-	-	-	(1,617.06)
वर्ष के दौरान निवेश	-	-	-	-	-	-	
वर्ष के दौरान लाभ	-	-	-	4,510.65	-	-	4,510.65
वर्ष के दौरान अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	(0.92)	-	(0.92)
<u>**विनियोग**</u>	-	-	-	-	-	-	-
सामान्य रिजर्व में / से अंतरण	-	-	224.55	(224.55)	-	-	-
अन्य रिजर्व में / से अंतरण	-	-	-	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	(2,982.00)	-	-	(2,982.00)
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	(607.06)	-	-	(607.06)
वापस खरीद वितरण कर	-	-	-	(362.67)	-	-	(362.67)
31.03.2017 के अनुसार शेष	**249.35**	-	**2,077.81**	**910.17**	**11.07**	**63.59**	3,248.40
01.04.2017 के अनुसार शेष	**249.35**	-	**2,077.81**	**910.17**	**11.07**	**63.59**	3,248.40
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	(249.35)	-	(315.55)	-	-	-	(564.90)
वर्ष के दौरान निवेश	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान लाभ	-	-	-	4,758.51	-	-	4,758.51
वर्ष के दौरान अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	17.88	-	17.88
<u>**विनियोग**</u>	-	-	-	-	-	-	-
सामान्य रिजर्व में/से अंतरण	-	-	238.06	(238.06)	-	-	-
अन्य रिजर्व में / से अंतरण	-	-	-	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	(4,350.00)	-	-	(4,350.00)
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	(885.56)	-	-	(885.56)
वापस खरीद वितरण कर	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2018 के अनुसार शेष	**0.00**	-	**2,000.32**	195.06	28.95	63.59	2,224.33

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

टिप्पणी : 1 कॉर्पोरेट जानकारी

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, एक मिनी रत्न कंपनी है, जिसका मुख्यालय संबलपुर ओड़िशा में स्थित है, जिसे 3 अप्रैल 1992 को कोल इंडिया लिमिटेड की 100% सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया गया था, जिसमें ओड़िशा राज्य में स्थित खानों में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की संपत्ति एवं देयताएं भी शामिल थी।

समूह मुख्य रूप से कोयले के खनन और उत्पादन में लगी हुई है। कंपनी के प्रमुख उपभोक्ता बिजली और इस्पात क्षेत्र हैं अन्य क्षेत्रों के उपभोक्ताओं में सीमेंट, उर्वरक ,ईंट-भट्टे आदि शामिल हैं।

ओड़िशा में एमसीएल की 4 सहायक और एक संयुक्त उपक्रम कंपनी है। सभी सहायक कंपनियां विकास के चरण में है। समूह संरचना की जानकारी टिप्पणी संख्या 38 में वर्णित है।

टिप्पणी 2: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 वित्तीय विवरण की तैयारी का आधार-:

कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार, समूह का वित्तीय विवरण तैयार किया गया है।

31 मार्च 2018 तक के सभी अवधि के लिए इसी दिन समाप्त वर्ष को शामिल करते हुए एम.सी.एल समेकित (इसके बाद समूह के रुप में संदर्भित) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133, सहपठित कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के अनुच्छेद 7 के तहत अधिसूचित लेखांकन मानक (ए.एस) तथा कंपनी (लेखांकन मानक) 2006 के अनुसार अपने वित्तीय विवरणों को तैयार किया है।

वित्तीय विवरण, उचित मूल्य पर पैमानित कतिपय लागत के आधार पर वित्तीय विवरणों के अनुसार तैयार किया गया है, सिवाय इसके कि

- अतिरिक्त वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को पारम्परिक लागत आधारित मूल्य पर तैयार किया गया है (अनुच्छेद 2.15 में उल्लेखित वित्तीय मसलो पर लेखांकन नीति का अवलोकन करें)
- परिभाषित लाभ योजनाएं - परिसंपत्ति योजना उचित मूल्य पर पैमानित है।
- लागत या एन.आर.वी की सूची जो भी कम हो(अनुच्छेद 2.21 में वर्णित लेखांकन नीति देखें)

2.1.1 पूर्ण अंकों में राशि

जब तक अन्यथा संकेत नहीं किया गया हो, इन वित्तीय विवरणों में राशियों को दशमल के दो प्वाइंट तक ‘रुपए करोड़ में’ पूर्ण अंकों में दिखाया गया है।

2.2 समेकन के आधार

2.2.1 अनुषंगियां -

सहायक कंपनियां वे संस्थाएं हैं जिन पर समूह का नियंत्रण है। समूह एक इकाई पर नियंत्रण तब तक करता है, जब तक समूह को इकाई के साथ अपनी भागीदारी से परिवर्तनीय लाभ हो या इनका अधिकार हो तथा इकाई के संबंध में गतिविधियों को निर्देशित कर उन लाभों को प्रभावित करने की क्षमता हो। समूह को हस्तांतरित नियंत्रण की तिथि से इसकी अनुषंगियों को समेकित किया जाता है। जब नियंत्रण समाप्त हो जाता है तब उस तारीख से उनको हटा दिया जाता है।

समूह द्वारा व्यापारिक संयोजन के लिए लेखांकन के अधिग्रहण विधि का उपयोग किया जाता है।

समूह परिसंपत्ति, देनदारियों, इक्विटी, नकदी प्रवाह आय एवं व्यय की वस्तुओं को शामिल करने के उपरांत मुख्य कंपनी एवं उसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण को जोड़ती है। अंतर कंपनी लेनदेन कंपनियों के बीच शेष एवं अवास्तविक लाभ का निषेध करती हैं। कंपनी के कंपनियों के बीच अवास्तविक नुकसान को भी निकाल दिया गया है, जब तक लेनदेन परिसंपातियों की हानि का सबूत नहीं मिलता है। एमसीएल के समेकित सभी कंपनियाँ आम तौर पर नीतियों का उपयोग करती है जैसे कि एमसीएल द्वारा किए गए लेनदेन तथा समान परिस्थितियों में घटनाओं के लिए संकलित किया गया है। एमसीएल के समेकित एक विशेष सहायक कंपनी के महत्वपूर्ण विचलन के मामलों में एमसीएल के समेकित लेखांकन नीतियों के अनुरूप होने के लिए इस तरह के एक सहायक समूह के वित्तीय विवरण के लिए उचित समायोजन किया जाता है।

सहायक कंपनियों के परिणामों और इक्विटी में गैर-नियंत्रित हित, इक्विटी में बदलाव का समेकित विवरण एवं बैलेंस शीट को अलग से लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया गया है।

2.2.2 सहायिकाएँ:-

सहायक कंपनियां वे संस्थाएं हैं जिन पर समूह का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है लेकिन उस पर कोई नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं होता है। यह आमतौर पर ऐसा मामला है जहां समूह 20% से 50% के बीच मतदान अधिकार रखती है।

लागत के रुप में मान्यता प्राप्त होने के पश्चात सहयोगी कंपनियों में निवेश का लेखा-जोखा लेखांकन की इक्विटी पद्धति का उपयोग कर किया जाता है, जब तक बिक्री के लिए आयोजित निवेश इसके एक हिस्से को वर्गीकृत नहीं किया जाता है, जिसका लेखा-जोखा भारतीय लेखांकन मानक 105 के अनुरुप किया जाएगा।

समूह अपनी सहायक कंपनियों में शुद्ध निवेश को उद्देश्यपूर्ण साक्ष्य के आधार पर कम करती है।

2.2.3 संयुक्त व्यवस्था:

संयुक्त व्यवस्था वह व्यवस्था है जहां समूह एक या एक से अधिक पार्टियों के साथ संयुक्त नियंत्रण करती है।

संयुक्त नियंत्रण अनुबंध की सहमति से सहमत होने की वह व्यवस्था है ,जहां प्रसांगिक गतिविधियों से संबंधित फैसले को साझा करने के लिए पार्टियों के सर्वसम्मत संकल्प की आवश्यकता होती है।

संयुक्त व्यवस्था को संयुक्त अभियान या संयुक्त उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकरण संयुक्त व्यवस्था के कानूनी ढांचे के बजाए प्रत्येक निवेशक के अनुबंध के अधिकारों और दायित्व पर निर्भर करता है।

2.2.3.1 संयुक्त संचालन

संयुक्त संचालन वह संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत कंपनी को संपत्ति से संबंधित देनदारियों के लिए परिसंपत्तियों और दायित्वों के अधिकार मिले हैं।

समूह परिसंपत्तियों ,देनदारियों, राजस्व और संयुक्त संचालन के खर्चों और उसके किसी भी संयुक्त रुप में आयोजित किए गए परिसंपत्तियों, देनदारियों ,राजस्व और व्ययों का अपना प्रत्यक्ष अधिकार रखती है इसे उचित शीर्षकों के तहत वित्तीय वक्तव्य में शामिल किया गया हैं।

2.2.3.2 संयुक्त उद्यम-:

संयुक्त उद्यम वे संयुक्त व्यवस्थाएं हैं जिसमें समूह को शुद्ध संपत्ति व्यवस्था के अधिकार प्राप्त हैं।

समेकित तुलन-पत्र में लागत के रुप में मान्यता प्राप्त होने के पश्चात सन्युक्त उद्यम में हितों का लेखा-जोखा इक्विटी पद्धति का उपयोग कर किया जाता है।

प्रारंभ में लागत पर पहुंचने के बाद संयुक्त उद्यम में निवेश लेखांकन पद्धति को उपयोग हेतु ध्यान में लाया जाता हैं, जबकि निवेश या उसके किसी हिस्से को बिक्री किया जाता है तो उस स्थिति में इसे भारतीय लेखा मानक 105 के अनुसार मान्यता प्राप्त है।

समूह उद्देश्य के साक्ष्य के आधार पर संयुक्त उद्यम में अपने शुद्ध निवेश को ह्रास करती है।

2.2.4 इक्विटी पद्धति -

लेखांकन की इक्विटी पद्धति के तहत निवेश को शुरुआती लागत पर मान्यता प्राप्त है, इसके बाद समूह के शेयरों के अधिग्रहण के लाभ व हानि में निवेशक के नुकसान को पहचानने के लिए तथा समूह शेयरों के अन्य व्यापक आय में निवेशक के अन्य व्यापक आय को पहचानने के लिए उसका समायोजन किया जाता है। सहयोगियों और संयुक्त उद्यम से प्राप्त या प्राप्त होने वाली लाभांश को निवेश की मात्रा में कमी के रूप में लिया जाता है।

जब समूह के इक्विटी शेयर के निवेश में नुकसान जो इकाई के हितों के बराबर या उससे अधिक हो जाता है ,जिसमें किसी अन्य असुरक्षित दीर्घकालिक प्राप्य भी शामिल है, तो समूह

अधिक नुकसान नहीं पहचानती है जब तक की अन्य इकाई की तरफ से कार्य या भुगतान न किया गया हो।

समूह और उसके सहयोगियों एवं संयुक्त उपक्रम के बीच लेन-देन के फायदे इन संस्थाओं में कंपनी के हित की सीमा तक समाप्त हो जाते हैं। अनावृत नुकसान भी समाप्त हो जाते हैं जब तक कि अपनाई गई लेनदेन की नीतियों में संपत्ति की हानि का सबूत नहीं मिलता, समूह द्वारा अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए जहां आवश्यक हो वहां निवेशक को ध्यान में रखते हुए इक्विटी की लेखांकन नीतियों में बदलाव किया जाता हैं।

2.2.5 स्वामित्व के हितों में बदलाव

समूह इक्विटी स्वामित्व के साथ लेनदेन की प्रक्रिया में होने वाले गैर नियंत्रण हितों के नुकसान को नियंत्रित करती है। स्वामित्व के हितों में बदलाव वर्तमान राशियों के नियंत्रण एवं गैर-नियंत्रण हितों को उनके संबंधित सहायक कंपनियों में दर्शाने हेतु समायोजित करती है। गैर-नियंत्रित हितों की राशि में एवं किसी भुगतान या प्राप्त किए गए उचित मूल्य में किसी भी प्रकार के अंतर को इक्विटी के भीतर स्वीकार किया जाएगा।

जब समूह नियंत्रण, संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव के नुकसान के कारण एक निवेश हेतु समेकित या इक्विटी खाते को समाप्त करती है तो किसी भी इक्विटी में बनाए गए हित लाभ व हानि में स्वीकार किए गए वर्तमान राशि में बदलाव सहित उसके उचित मूल्य पर पुनः मापे जाते हैं। यह उचित मूल्य सहयोगी कंपनी ,संयुक्त उद्यम व वित्तीय संपत्ति के बनाए गए हित के रूप में लेखांकन प्रयोजन हेतु वर्तमान राशि होंगे। इसके अलावा उस इकाई के संबंध में अन्य व्यापक आय में पहले से स्वीकृत राशि का विवरण दिया जाता है जैसे कि समूह में संबंधित संपत्ति या देनदारियों का सीधे निपटारा किया गया है। इसका मतलब यह हो सकता है कि अन्य व्यापक व्यय में पहले से स्वीकृत राशियों का लाभ व हानि के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है। यदि संयुक्त उद्यम व सहयोगी कंपनी में स्वामित्व हित कम है परंतु संयुक्त नियंत्रण व महत्वपूर्ण प्रभाव बने हुए हैं तो केवल अन्य व्यापक व्यय में पहले से स्वीकृत राशि का समानुपात शेयर हानि व लाभ में जहां आवश्यक हो वर्गीकृत किया जाएगा।

2.3 चालू एवं गैर-चालू वर्गीकरण:

समूह अपने तुलन-पत्र में चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर परिसंपत्तियों एवं देयताओं को प्रस्तुत करती है। समूह द्वारा किसी परिसंपत्ति को चालू तब माना जाता है जब,

क. यह सामान्य परिचालन चक्र में परिसंपत्तियों की वसूले अथवा बिक्री अथवा इसके उपभोग की इच्छा रखती है।

ख. यह परिसंपत्ति को मुख्य तौर पर व्यापार के उद्देश्य के लिए रखती है

ग. यह रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीने के भीतर परिसंपत्ति के वसूली की अपेक्षा रखती है अथवा

घ. परिसंपत्ति नकद समकक्ष (लेखांकन नीति 7 में यथा-परिभाषित) रुप में तब तक रहती है जब तक परिसंपत्ति को रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए विनिमय

किए जाने या देयता के निपटान के लिए उपयोग किए जाने पर प्रतिबंध न लगा दिया गया हो। अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-चालू के रुप में वर्गीकृत किया जाता है।

समूह के द्वारा किसी देयता को चालू के रुप में तब माना जाता है जब:

क. यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में देयता के निपतान की अपेक्षा रखती है।

ख. इसकी देयता मुख्य तौर पर व्यपार के लिए होती है।

ग. रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के भीतर बकाये देयता का निपटान किया जाना है अथवा।

घ. रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 माह के लिए देयता के निपटान को आस्थगित करने का कोई शर्तहीन अधिकार इसके पास नहीं है। प्रतिरुप के विकल्प पर किसी देयता के जो नियम इक्विटी-विपत्रों को जारी करके इसके निपटान के फलस्वरुप हो सकते थे, वे इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करते हैं।

अन्य सभी देयताओं को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2.4 राजस्व मान्यता-

2.4.1 बिक्री से प्राप्त राजस्व:

निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी होने पर ही सामानों की बिक्री से प्राप्त राजस्व को मान्यता दी जाती है:

क. समूह ने महत्वपूर्ण जोखिमों एवं सामानों के स्वामित्व का लाभ खरीददारों को हस्तांतरित कर दिया है।

ख. समूह निरंतर प्रबंध्कीय हस्तक्षेप जो स्वामित्व के सामान्यत: सहयोगी होते हैं, को न तो उस स्थिति/सीमा तक और न ही बेचे गए सामानों पर प्रभावी नियंत्रण को बनाए रखना चाहती है,

ग. राजस्व की रकम का मूल्यांकन विश्वसनीयता के साथ किया जा सकता है,

घ. यह संभाव्य है कि संव्यवहार सम्बद्ध आर्थिक लाभ समूह को भी मिलेगा।

ङ. लेन-देन के संव्यवहार में लगी लागत अथवा लगने वाली लागत का मूल्यांकन विश्वसनीयता के साथ किया जा सकता है।

सरकार/अन्य वैधानिक निकायों की तरफ से एकत्र किए गए कर, लेवी अथवा शुल्क को छोड़कर संविदात्मक रूप से परिभाषित भुगतान के नियमों को ध्यान में रखते हुए प्राप्त अथवा प्राप्य भुगतान उचित मूल्य पर राजस्व का मूल्यांकन किया जाता है।

जब तक राजस्व मान्यता हेतु उपरोक्त नियमों को पूरा नहीं किया जाता है तब तक ग्राहकों से प्राप्त अग्रिमों को ग्राहक की जमा राशि के रूप में सूचित किया जाएगा।

तथापि, भारत के लेखा परीक्षक संस्थान द्वारा जारी भारतीय लेखांकन मानक 18 पर शैक्षिक सामग्री के आधार पर समूह ने यह मान लिया है कि उत्पाद शुल्क की वसूली समूह की अपनी जिम्मेदारी पर होती है। सामान की बिक्री हो अथवा नहीं हो, उत्पादन लागत का अंग होने की वजह से यह निर्माता का दायित्व है। चूंकि कंपनी की अपनी जिम्मेदारी पर उत्पाद शुल्क की वसूली होती है, इसलिए सकल राजस्व में उत्पाद शुल्क शामिल है।

हालांकि ,समूह द्वारा अन्य कर लेवी व शुल्क को प्राप्त नहीं किया गया है तथा उसे शुद्ध राजस्व में शामिल नहीं किया गया है।

2.4.2 **ब्याज**

प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए ब्याज आय को मान्यता दी जाती है।

2.4.3 **लाभांश**

निवेशों से प्राप्त लाभांश की आय को तभी मान्यता दी जाती है जब भुगतान प्राप्त किए जाने का अधिकार स्थापित हो।

2.4.4 अन्य दावे:

अन्य दावे (ग्राहकों से विलंब से वसूली पर ब्याज सहित) का लेखा-जोखा रखा जाता है, जब वसूली की निश्चितता हो एवं जिसका मूल्यांकन विश्वसनीयता के साथ किया जा सके।

2.4.5 सेवाओं का प्रतिपादन:

जब सेवाओं के प्रतिपादन में शामिल लेन-देन का परिणाम विश्वसनीय रूप से अनुमानित किया जाता है तब लेनदेन के पूरा होने के संदर्भ में संबंधित राजस्व को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लेनदेन के रूप में मान्यता दी जाती है। जब निम्नलिखित सभी शर्तें पूर्ण हो तो लेनदेन का आंकलन विश्वसनीयता के साथ किया जाता है:

क. राजस्व राशि का मूल्यांकन विश्वसनीयता के साथ किया जा सकता है।

ख. यह संभव है कि लेनदेन से जुड़ी आर्थिक लाभ सीधे समूह को प्राप्त होगा।

ग. रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लेन-देन पूरा होने के चरण का विश्वसनीयता के साथ किया जा सकता है।

घ. लेने-देन हेतु खर्च लागत तथा लेन-देन को पूरा करने में आई लागत का मूल्यांकन विश्वसनीयता से किया जा सकता है।

2.5 सरकार से प्राप्त अनुदान

सरकारी अनुदान को तब तक मान्यता नहीं दी जाती, जब तक कि यथोचित आश्वासन नहीं दिया जाता है कि इससे जुड़ी शर्तों का समूह पालन करेगी तथा इसकी निश्चितता हो कि अनुदान अवश्य प्राप्त किये जाएंगे।

लाभ हानि विवरण में अवधि के दौरान नियमित आधार पर सरकारी अनुदान स्वीकार की जाती है जिसमें समूह संबंधित लागत को खर्चे के रुप में मानती है जिसके लिए अनुदान से उसकी प्रतिपूर्ति की अपेक्षा रहती है।

परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान/सहायता को आस्थगित आय के रूप में अनुदान को तुलन-पत्र में प्रदर्शित करते हुए प्रस्तुत किया जाता है तथा परिसंपत्ति की उपयोगिता के आधार पर लाभ हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

आय से संबंधित अनुदान को ‘अन्य आय’ शीर्ष के अंतर्गत लाभ हानि या विवरण के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

सरकारी अनुदान जो समूह के पूर्व में हुए खर्चों या नुकसान के लिए अथवा तत्काल आर्थिक मदद पहुंचाने के उद्देश्य से क्षतिपूर्ति के रुप में प्राप्त करने योग्य होते है, जिसमें भावी खर्चे शामिल नहीं है, उस अवधि के लाभ या हानि में स्वीकार किए जाते है जिसमें इसे प्राप्त करना है।

सरकारी अनुदान या प्रमोटरों का योगदान जिसे सीधे तौर पर ''पूंजीगत रिजर्व'' से मान्यता प्राप्त है, जो कि ''शेयरधारक निधि'' का अहम हिस्सा है।

2.6 पट्टा:

वित्तीय पट्टा वह पट्टा है जो वास्तव में सभी जोखिमों एवं उपलब्धियों को किसी परिसंपत्ति के स्वामित्व को हस्तांतरित करता है। स्वामित्व का हस्तांतरण हो भी सकता है अथवा नहीं भी हो सकता है।

प्रचालन पट्टा, वित्तीय पट्टा से एक भिन्न पट्टा है।

2.6.1 कंपनी एक पट्टेदार के रूप में:

पट्टे को आरंभिक रूप में वित्त पट्टे या प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.6.1.1 पट्टे के प्रारंभ में **वित्त पट्टों** को शुरुआती समय में पट्टे पर संपत्ति के उचित मूल्य या, यदि निम्न, न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है। पट्टे का भुगतान वित्त प्रभारों तथा कमी की देयता के बीच विभाजित किया जाता है ताकि शेष राशि की देयता पर स्थायी दर प्राप्त हो सके।

लाभ और हानि के विवरणानुसार वित्त प्रभार को लागत द्वारा मान्यता प्राप्त है, जब तक कि वे प्रत्यक्ष रुप से योग्य परिसंपत्तियां नहीं खरीदते हैं, इस मामले में वह उधार लेनदेन की लागत पर समूह की सामान्य नीति के अनुसार पूंजीकृत किए जाते हैं।

संपत्ति के उचित उपयोग को पट्टे युक्त परिसंपत्ति क्षीण करती है तथापि यदि कोई उचित निश्चितता नहीं है कि समूह पट्टा अवधि के अंत तक स्वामित्व प्राप्त करेगी तो परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोग तथा पट्टे की अवधि को संपत्ति क्षीण करती है।

2.6.1.2 परिचालित पट्टे:

परिचालित पट्टे के अंतर्गत पट्टे का भुगतान पट्टे अवधि के दौरान प्रत्यक्ष रूप में किए गए व्यय के आधार तब तक स्वीकार नहीं किया जाता जब तक कि :

क. उपभोक्ता लाभ के समय स्वरुप दूसरा सुव्यवस्थित बाजार अधिक द्योतक है, यद्यपि पट्टादाता को उस आधार पर भुगतान न किया गया हो अथवा,

ख. पट्टादाता के अपेक्षित मुद्रा स्थिति की लागत में रियायत प्राप्त होने के लिए अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के पट्टादाता को किए गए भुगतान के रूप में संचारित किया गया है। यदि पट्टादाता को किए गए भुगतान सामान्य मुद्रास्फीति से भिन्न हो तो, यह शर्त नहीं मानी जाएगी।

2.6.2 पट्टेदाता के रुप में समूह:

परिचालन पट्टा: परिचालन पट्टों से आय को (बीमा एवं अनुरक्षण जैसी सेवाओं के लिए राशि को छोड़कर) पट्टे की अवधि में जब तक इनमें से कोई न हो, तो सीधे तौर पर आय में स्वीकार किया जाता है:

क. समय प्रणाली का दूसरा व्यवस्थित आधार प्रभावी द्योतक है जिसमें पट्टादाता को इस आधार पर भुगतान नहीं करने पर भी पट्टाधारित परिसंपत्ति से प्राप्त उपयोग लाभ को कम कर दिया जाता है अथवा

ख. इसका भुगतान इस रूप में संरचित होता है कि सामान्य अवमूल्यन की स्थिति में भी अनुमानित प्रतिपूरक लागत का अवमूल्यन मूल्य बिना व्यवधान के समायोजित होता है। यदि पट्टा का भुगतान अवमूल्यन की तुलना में काफी प्रतिपूरक रहता है तो इस स्थिति में यह व्ययित नहीं होता है।

समझौता तथा परिचालन पट्टा में किया गया प्रारंभिक व्यय को सीधे पट्टा संपत्ति के साथ शेष राशि को भी जोड़ दिया जाता है जैसा कि पट्टा आय के रूप में प्रारंभिक पट्टा के शर्तों के अनुरूप जिसे निष्पादित किया गया था।

वित्तीय पट्टा के अंतर्गत बकाया राशि को उस रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है जिसमें समूह के पट्टे में सीधे निवेश की गई प्राप्ति के साथ उसे जोड़ दिया जाता है। वित्तीय पट्टा आय को लेखा के गणना की अवधि में दर्ज किया जाता है जिसमें पट्टा के अतिरिक्त बकाया निवेश को निरंतर आवृत्तिमूलक रुप में दर्शाया जाता है।

2.7 बिक्री हेतु गैर-चालू संपत्ति

समूह गैर चालू संपत्तियों को वर्गीकृत एवं बिक्री हेतु आयोजित करती है यदि इनकी कुल राशि निरंतर उपयोग के बजाय बिक्री के माध्यम से पुनर्प्राप्त की गई हो । विक्रय को पूरा करने के लिए आवश्यक क्रियाओं में, बिक्री में महत्वपूर्ण बदलावों की संभावना न होने एवं बिक्री हेतु वापस लिए गए निर्णय का संकेत होना चाहिए । प्रबन्धन वर्गीकरण की तिथि से 1 वर्ष के भीतर अपेक्षित विक्रय करने हेतु प्रतिबद्ध है।

इस उद्देश्य के लिए यह बिक्री लेनदेन विनिमय गैर चालू संपत्ति से अन्य गैर चालू संपत्ति में भी किया जा सकेगा जो व्यवसायिक प्रयोजनार्थ लागू होता है। विक्रय वर्गीकरण के लिए आयोजित मानदंडों को केवल तब तक ही माना जाता है जब तक कि परिसंपत्तियां या निपटान समूह अपने वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध होते हो, केवल ऐसी शर्तों के लिए जो ऐसी संपत्ति (या निपटान समूहों) की बिक्री के लिए सामान्य और प्रथागत है इसकी बिक्री की अत्यधिक संभावना है और इसे वास्तव में बेचा जाएगा पर उसका त्याग नहीं किया जाएगा।

संपत्ति या निष्पादन समूह वर्तमान स्थिति के अनुसार इसे निष्पादित करने के लिए सक्षम हो सकेगा, जब

- एक उचित स्तरीय प्रबंधन परिसंपत्ति (अथवा निपटान समूह) को बेचने की योजना के लिए प्रतिबद्ध हो।
- खरीददार का पता लगाने तथा योजना को पूरा करने हेतु एक कारगर कार्यक्रम की पहल की गई हो।
- वर्तमान के उचित मूल्य की तुलना में समुचित मूल्य हेतु बिक्री हेतु परिसंपत्ति (अथवा निपटान समूह) के लिए सक्रिय रुप से बाजार ढूंढ जा रहा हो।
- यह विक्रय वर्गीकरण की तिथि से 1 वर्ष के अंदर अनुमानत: पूरी हो तथा
- इस योजना से संबंधित सभी यथोचित योजना जिसमें कतिपय कुछ संशोधन व सुधार आवश्यक हो तो उसकी भी समीक्षा कर तैयार करना अपेक्षित होगा ताकि जरूरत पड़ने पर इस योजना को निरस्त भी किया जा सके।

2.8 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई):

भूमि पारम्परिक लागत पर ली जाती है। पारम्परिक लागत में वह व्यय भी शामिल है जो संबंधित विस्थापित व्यक्तियों के लिए रोजगार के बदले पुनर्वास खर्च, पुनर्वास लागत और क्षतिपूर्ति आदि जैसे भूमि के अधिग्रहण के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी है।

मान्यता के बाद, अन्य सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के एक मद को लागत मॉडल के तहत किसी संचित अवमूल्यन एवं किसी सचित क्षतिकर नुकसानों को घटाकर इसकी लागत पर वहन किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी मद की लागत में ये शामिल हैं:

क. इसके खरीद मूल्य में व्यावसायिक छोट व कटौती को घटाने के बाद आयात शुल्क एवं गै-वापसी योग्य खरीद-कर शामिल है।

ख. प्रबंधन द्वारा निर्दिष्ट तरीके से परिचालन हेतु सक्षम बनाने के लिए आवश्यक स्थान तथा स्थिति तक परिसंपत्ति को लाने में प्रत्यक्ष कारक कोई लागत है।

ग. सामग्री के परिवर्धन तथा हटाये जाने हेतु प्रारंभिक अनुमानित खर्च तथा समेकित स्थल तक इसे पहुँचाने के लिए व इसके व्यवहार के लिए जिसे कंपनी ने उस स्थिति में खर्च किया है जब इस सामग्री को उसने अपने आधिपत्य में रखा हो या एक निर्धारित अवधि के अन्तर्गत उसका व्यवहार किया गया हो, जिसके लिए उसने अपना निवेश किया था।

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण में खर्च किए गए प्रत्येक अंश को कुल लागत के अनुसार विखंडित कर साफ-साफ दर्शाया जाना अपेक्षित है। फिर भी किसी समुपयोगी अंश में उसी पीपीई के साथ जीवनोपयुक्त हो जाता है तथा विखंडनीकरण प्रणाली एक समूह में आ जाते हैं जो शुल्क सहित होता है।

मरम्मत और रख-रखाव के लिए उल्लेखित दिन-प्रतिदिन की अनुरक्षण की कीमतें, जो उस अवधि में लाभ व हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त हैं, जिसमें उस पर खर्च किया जाता हो।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक मद की कुल लागत से संबंधित महत्वपूर्ण भागों को बदलने के बाद की कीमत मद के वर्तमान राशि में स्वीकार किए जाते हैं, अगर संभव है कि मद से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेगा और मद की लागत विश्वसनियता से मापा जा सकता है, तो जिन भागों को विस्थापित किया गया है, उनमें वर्तमान राशि को नीचे अस्वीकरण नीति के अनुसार अस्वीकृत किया जाता है।

जब बड़े निरीक्षण किए जाते हैं, तो इसकी कीमत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के सामान के प्रतिस्थापन राशि के रुप में पहचानी जाती है, यदि यह संभावित है कि मद से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ समूह को मिलेगा और मद की लागत विश्वसनीयता उसे मापा जा सकता है। पिछले निरीक्षण (भौतिक भागों से अलग) की लागत का कोई शेष वर्तमान राशि को अस्वीकार कर दिया जाता है।

संपत्ति संयंत्र या उपकरण का कोई भी अंश इसके साथ सम्मिलित किये जाने पर उसे असंबद्ध कर दिया जाएगा या भविष्य में कोई भी लाभ उसे प्राप्त नहीं होगा, जो कि इन सम्पत्तियों के निरंतर व्यवहार से अपेक्षित रहा हो। किसी तरह का लाभ या नुकसान संपत्ति

संयंत्रों या उपकरणों के इन विकेन्द्रीकरण के सापेक्ष में इनका लाभ या नुकसान समझा जाएगा।

पूर्ण-स्वामित्व की भूमि के अलावा सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण का विवरण तथा संपत्ति के अनुमानित जीवन के अनुसार संरेखीय आधार पर लागत मॉडल के अनुसार प्रदान की जाती है।

अन्य भूमि

(पट्टेकृत भूमि सहित) -परियोजना की अवधि या पट्टा अवधि में से जो भी कम हो

भवन	-	3-60 वर्ष
सड़क	-	3-10 वर्ष
दूरसंचार	-	3-9 वर्ष
रेलवे साईडिंग	-	15 वर्ष
संयंत्र एवं उपकरण	-	5-15 वर्ष
कम्प्यूटर एवं लैपटॉप	-	3 वर्ष
कार्यालय के उपकरण	-	3-6 वर्ष
फर्नीचर या फिकचर	-	10 वर्ष
वाहन	-	8-10 वर्ष

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर प्रबंधन का मानना है कि दिये गए उपयोगी जीवन सर्वोतम अवधि का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर प्रबंधन को संपत्ति का उपयोग करने की अपेक्षा होती हैं। इसलिए परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची II के भाग सी के तहत निर्धारित उपयोगी जीवन से भिन्न होगा।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

सम्पदा, संयंत्र या उपकरण का अवशिष्ट मूल्य परिसंपत्तियों की मूल लागत का 5% माना जाता है, जैसे कि कोयला टब, घुमावदार रस्सियाँ, ढुलाई की रस्सियाँ, स्टोविंग पाइप और सुरक्षा लैम्प आदि जैसे परिसंपत्तियों की कुछ वस्तुओं को छोड़कर, जिसके लिए तकनीकी रुप से अनुमानित उपयोगी जीवन शून्य अवशिष्ट मूल्य के साथ एक वर्ष होना निर्धारित किया गया है।

वर्ष के दौरान जोड़े गए/निकाले गए सम्पत्तियों पर मूल्यह्रास के अतिरिक्त/निपटान के महीने के संदर्भ में प्रो-राटा के आधार पर प्रदान किया जाता है।

कोयला धारण क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) (सीबीए) अधिनियम 1957 के तहत "अन्य भूमि" का मूल्य अधिग्रहित भूमि के रूप में शामिल है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत मुआवजा, पारदर्शिता के अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापना (आरएफसीटीएलएआर) अधिनियम 2013 के तहत सरकारी भूमि के दीर्घकालीन हस्तांतरण

आदि शामिल है, जो कि परियोजना के शेष जीवन के आधार पर परिशोधित होता है और पट्टेकृत भूमि के मामले में इस तरह के परिशोधन पट्टे की अवधि पर आधारित होते हैं या इनमें से जो भी कम हो के तहत परियोजना के शेष राशि पर आधारित होते हैं।

पूरी तरह से विखंडित, उपयोग के लिए अनुपयुक्त संपत्तियों को दर्शाया जाता है जो इस संपत्ति के संयंत्र या उपकरण के अंतर्गत इसके समायित मूल्य को केवल दर्शाते ही नहीं है अपितु जांच कर इसकी संपुष्टि भी करते हैं।
समूह द्वारा कतिपय संपत्ति की संरचना/विकास पर जो मूलधन व्यय किया जाता है उसका उत्पादन, वस्तु की आपूर्ति या कंपनी के अद्यतन आवश्यक होता है। संपत्ति संयंत्र या उपकरण के अंतर्गत या इंवेलिंग एसेट के रूप में उसका प्रतिनिधित्व किया जाता है।

2.9. खदान बंदी, कार्यस्थल का जीर्णोद्धार एवं डिकमीस्निंग बाध्यताएँ -

भूमि सुधार एवं संरचनाओं के निषेध के लिए समूह के कार्य में भू-तल एवं भूमिगत दोनों प्रकार के खदानों पर भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के निर्देशानुसार होने वाले खर्च सम्मिलित है। समूह खदान बंदी क्षेत्र की मरम्मत एवं निषेध कार्य का आंकलन इस कार्य पर भविष्य में होने वाली नगद खर्च एवं लगाने वाली खर्च की विस्तृत लेखा जोखा तथा तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर करती है। खदान बंदी व्यय अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार उपलब्ध करायी जाती है। खर्च के आंकलन मुद्रा स्फीति के अनुसार बढ़ते हैं एवं इसकी दर कम होने पर घटती है, जो मुद्रा और जोखिमों के समय मूल्य के वर्तमान बाजार के मूल्यांकन को सूचित करती है। यथा प्रावधान में वर्णित कार्य को सम्पन्न करने के लिए आवश्यक अनुमानित खर्च के वर्तमान मूल्य को सूचित किया जाता है। कंपनी सुधार एवं खदान बंदी के समापन के देय धन से संलग्न संपत्ति का लेखा जोखा रखती है। कार्य तथा संपत्ति देयधन को खर्च होने की समयावधि में मान्यता प्राप्त होती है। क्षेत्र के मरम्मत के समस्त मूल्य को सूचित करने वाली संपत्ति (केंद्रीय खनन योजना एवं रचना संस्थान समिति के आंकलन के अनुसार) खदान बंदी योजना के अनुसार पीपीई में एक भिन्न वस्तुओं के रूप में जानी जाएगी तथा शेष परियोजना खदान के जीवनकाल के आधार पर परिशोधित होगी।
रियायत का प्रभाव खत्म होते ही समय के साथ प्रावधान के मूल्य में उतरोत्तर बढ़ोतरी होगी। एक खर्च के रूप में इसे वित्तीय खर्च माना जाता है।

अग्रिम अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार इस उद्देश्य से एक विशेष निलंब निधि खाता रखे जाने का प्रावधान है।

कुल खान बंद करने के दायित्वों को कार्य का हिस्सा बनाने हेतु साल दर साल प्रगतिशील खनन बंद के खर्चों को शुरू में निलंब खाते से प्राप्त किया जाता है और उसके बाद उस वर्ष में उनका दायित्व के साथ समायोजन किया जाता है जिसमें राशि प्रमाणित एजेंसी की सहमति के बाद इसे वापस लेने का अधिकार रखती है।

2.10 अन्वेषित एवं मूल्यांकित परिसंपत्तियाँ -

अन्वेषित तथा मूल्यांकित परिसंपत्तियों में पूंजीगत लागत शामिल होती है जो कि कोयला और संबन्धित संसाधनो की खोज के कारण उत्पन्न होती है। तकनीकी व्यवहार्यता के निर्धारण और पहचान वाले संसाधन की व्यावसायिक व्यवहार्यता के मूल्यांकन निम्न बातों को ध्यान में रख कर किया जाता है:

- अंवेषण के अधिकारों का अधिग्रहण ।
- ऐतिहासिक अन्वेषण डेटा का शोध एवं विश्लेषण ;
- स्थलाकृतिक, भौगोलिक, रासायनिक और भूभौतिक अध्ययन के माध्यम से अन्वेषित आधार सामग्री को उपलब्ध करना;
- अन्वेषित ड्रिलिंग, ट्रेंचिंग तथा नमूने ;
- संसाधनों की मात्रा तथा उनके संवर्ग का निर्धारण करना एवं जाँचना ;
- परिवहन तथा आधारिक संरचनाओं की आवश्यकताओं का सर्वेक्षण ;
- बाजार का आयोजन तथा वित्त अध्ययन ;

इसके बाद के संस्करण में कर्मचारी पारिश्रमिक, उपयोग किए गए सामग्री एवं ईंधन की लागत, ठेकेदारों को किए गए भुगतान भी शामिल है।

चूंकि अंतर्निहित घटक, भविष्य के अन्वेषण में किए गए अपेक्षित कुल लागतों के निरर्थक/ अविवेच्य भाग को दर्शाता है एवं इन लागतों को अन्य पूंजीगत अन्वेषण लागतों एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है।

परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता एवं व्यावसायिक व्यवहार्यता का निर्धारण को लंबित रखते हुए परियोजना द्वारा परियोजना के आधार पर अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागतों को पूंजीकृत किया जाता है तथा उसे गैर-चालू परिसंपत्तियों के तहत एक अलग मत के रूप में प्रकट किया जाता है, जिसे बाद में उन्हें संचित प्रावधान के कम लागत पर मापा जाता है।

एक बार प्रमाणित होने के बाद भंडार का निर्धारण एवं खानों/परियोजनाओं के विकास हेतु मंजूरी अन्वेषण एवं परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन पूंजीगत कार्य के तहत “विकास “में स्थानांतरित की गई है। हालांकि, यदि यह साबित होता है कि भंडार का निर्धारण नहीं किया गया है तो अन्वेषण तथा मूल्यांकन की गई परिसंपत्तियों को अस्वीकृत किया जाएगा।

2.11 विकास व्यय -

प्रमाणित किये गए भंडार का निर्धारण किया जाता है एवं खान/परियोजनाओं के विकास हेतु स्वीकृत निर्माण के तहत परिसम्पत्ति के रूप में पूंजीगत अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत पहचाने जाते हैं तथा “विकास” शीर्ष के तहत पूंजीगत कार्य की प्रगति के घटक के रूप में प्रकट किया जाता है एवं सभी विकास हेतु व्यय पूंजीकृत किये जाते हैं। पूंजीकृत विकास व्यय, विकास चरण के दौरान निकाले गए कोयले की बिक्री से प्राप्त शुद्ध आय है।

वाणिज्यिक संचालन :

परियोजना रेपोर्ट में स्पष्ट रुप से उल्लेखित शर्तों के आधार पर अथवा निम्नलिखित कसौटियों के आधार पर परियोजना वाणिज्यिक तौर पर सततता के आधार पर जब उत्पादन देने के लिए तैयार हो जाती तो परियोजना/खानों को राजस्व के लिए लाया जाता है:

क) अनुमोदित परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार निर्धारित क्षमता का 25% वास्तविक उत्पादन जिस वर्ष परियोजना से होता है, उस वर्ष के तुरंत बाद वाले वित्तीय वर्ष की शुरुआत से, अथवा

ख) कोयला तक पहुंचने के दो वर्ष बाद, अथवा

ग) उस वर्ष के बाद वाली वित्तीय वर्ष की शुरुआत से जिस में उत्पादन का मूल्य कुल खर्चों से अधिक होता है।

उपर्युक्त में जो भी पहले घटित हो।

राजस्व में लाये जाने पर "अन्य खनन आधारित संरचना" के नामकरण के तहत परिसंपत्तियों के अंतर्गत पूंजीगत कार्य को सम्पत्ति घटक, संयंत्र एवं उपकरण के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है। 20 वर्षों में राजस्व के तहत लाये गए खदान या चालित परियोजना जो भी कम हो, के वर्ष से अन्य खनन आधारित संरचना परिशोधित की जाती है।

2.12 अमूर्त परिसंपत्तियाँ -

अलग से अधिग्रहित की गई अमूर्त परिसंपत्तियों को प्रारम्भिक लागत पर मापा जाता है। व्यापार सन्योजन/व्यावसायिक संगठन में अधिग्रहित अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत अधिग्रहण की तिथि को उनका उचित मूल्य होता है। प्रारम्भिक मान्यता का अनुसरण करते हुए अमूर्त परिसंपत्तियों को किसी संचित परिशोधन (उनके उपयोगी जीवन के दौरान स्ट्रेट लाइन बेसिस पर परिकलित) एवं संचित हाँइकरण क्षति, यदि कोई है, से कम लागत पर लिए जाते हैं।

विकास लागत को छोड़कर, आंतरिक रुप से सृजित अमूर्त परिसंपत्तियों को पूंजीकृत नही किया जाता है। बल्कि संबंधित व्यय को लाभ हानि विवरण एवं जिस अवधि में खर्च हुआ है, उस अवधि में अन्य व्यापक आय में स्वीकार किया जाता है। अमूर्त परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन का निर्धारण सीमित या असीमित के रुप में किया जाता है। सीमित जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्तियों को उनके उपयोगी आर्थिक जीवन के दौरान परिशोधित कर दिया जाता है तथा जब कभी यह संकेत होता है कि अमूर्त परिसंपत्ति हानिकारक हो सकती है, तो इसके हानिकरण के लिए भी मूल्यांकन किया जाता है। सीमित उपयोगी जीवन सहित किसी अमूर्त परिसंपत्ति के लिए हानिकरण अवधि एवं हानिकरण विधि की समीक्षा कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन अथवा परिसंपत्ति में सम्मिलित भावी आर्थिक लाभों के उपयोग के अपेक्षित तरीकों में परिवर्तनों के लिए परिशोधन अवधि अथवा विधि में यथोचित संशोधन पर विचार किया जाता है। जिसे लेखाकरण प्राक्कलनों में परिवर्तन के रुप में माना जाता है। सीमित जीवन के साथ अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधन व्यय को लाभ व हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

असीमित कार्यशील जीवन के साथ किसी अमूर्त परिसम्पत्ति को परिशोधित नहीं किया जाता बल्कि प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को इसके हानिकरण की जांच की जाती है।

किसी अमूर्त परिसंपत्ति के अस्वीकरण से होने वाले फायदे एवं नुकसान को परिसंपत्ति के निवल निपटान लाभ एवं वर्तमान राशि के बीच के अंतर के रुप में मापा जाता है और जो लाभ व हानि विवरण में मान्य होता है।

अंवेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों को बेचने हेतु पहचाने गए ब्लॉक या बाहरी एजेंसियों को बेचने का प्रस्ताव प्रदान किया गया है (अर्थात, सीआईएल के निर्धारित नहीं किए गए ब्लॉक के लिए) तथा अमूर्त संपत्ति के रुप में उसे वर्गीकृत भी किया गया है एवं हानि के लिए परीक्षण भी किया गया है।

सॉफ्ट्वेयर की लागत को अमूर्त संपत्ति के रुप में मान्यता प्राप्त है, उपयोग करने हेतु कानूनी अधिकार की अवधि में प्रत्यक्ष रुप से या तीन साल से कम, इनमें से जो भी कम हो, को एक शून्य अवशिष्ट मूल्य के साथ परिशोधित किया जाता है ।

2.13 परिसंपत्तियों की हानि (वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा)

समूह प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिसंपत्तियों में कमी का आंकलन करती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। परिसंपत्तियों से प्राप्त राशि, परिसंपत्ति या उपयोगिता से उत्पन्न इकाई मूल्य एवं व्यक्तिगत परिसंपत्तियों को निर्धारित करने हेतु निर्धारित मूल्य में वृद्धि की जाती है। जबतक परिसंपत्ति में नगदी प्रवाह नहीं की गई हो तो वह अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूह से स्वतंत्र होती है जिसमें नगद उत्पन्न इकाई परिसंपत्तियों से जुड़ी होती है, उसके लिए प्राप्त राशि निर्धारित की जाती है। हानि परीक्षण हेतु समूह व्यक्तिगत खदान के रुप में नकदी उत्पन्न इकाई पर विचार करती है।

यदि वर्तमान राशि परिसंपत्ति से प्राप्त अनुमानित राशि से कम हो तो वर्तमान परिसंपत्ति राशि को प्राप्त राशि से घटाया जाता है एवं हानि से हुई कमी को लाभ व हानि के विवरण में स्वीकार किया जाता है।

2.14 निवेश संपत्ति

परिसंपत्ति (भूमि या भवन या भवन का भाग या दोनों) को किराया हेतु आयोजित या पूंजी अभिमूल्यन या दोनों उत्पादन में उपयोग या वस्तु व सेवाओं की आपूर्ति या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए या व्यापार के सामान्य कार्यप्रणाली में विक्रय में निवेश की गई संपत्ति के रुप में वर्गीकृत किया गया है।

निवेशित संपत्ति का आंकलन प्रारम्भिक रूप से इसके लागत के आधार पर किया जाता है तथा इससे संबन्धित लेनदेन लागत पर भी लागू किया जाता है ।

निवेशित सम्पत्तियों को उनके अनुमानित कार्यशील जीवन पर स्ट्रेट लाइन पद्धति का प्रयोग करते हुए अवमूल्यित किया जाता है।

2.15 वित्तीय दस्तावेज:

वित्तीय दस्तावेज एक ऐसा अनुबंध है जो कि परिसंपत्ति और किसी अन्य वित्तीय इकाई को देयता या इक्विटी उपकरण प्रदान करती है।

2.15.1 **वित्तीय परिसंपत्तियाँ -**

2.15.1 प्रारंभिक मान्यता और माप

वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिन्हें लाभ या हानि के उचित मूल्य पर साथ ही वित्तीयपरिसंपत्तियों के विशेष रूप से अधिग्रहण के मामलों में एवं सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को उचित मूल्य पर आरंभिक स्तर पर पहचाना जाता है। खरीददारी या वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री जो बाजार की जगह पर विनियमन या सम्मेलन द्वारा स्थापित समय सीमा के भीतर परिसंपत्तियों की वितरण के लिए आवश्यक होती है, उन्हे व्यापार तिथि पर मान्यता प्राप्त है अर्थात वह तिथि जिसमें समूह की संपत्ति को खरीदने या बेचने की प्रतिबद्धता है।

2.15.2 आगामी माप

वित्तीय परिसंपतियों को आगामी माप हेतु चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

- ऋण उपकरणों पर परिशोधित लागत
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन (एफ़.वी.टी.ओ.सी.आई)।
- लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण, व्युत्पन्न और इक्विटी साधन।(एफ़वीटीपीएल)
- उचित मूल्य पर मापे गए ईक्विटी साधनों के माध्यम से अन्य व्यापक आय। (एफ़.वी.टी.ओ.सी.आई)।

2.15.2.1 परिशोधित लागत पर ऋण साधन

निम्नलिखित दोनों शर्तों के पूरा होने के उपरांत ऋण साधन परिशोधित लागत पर मापे जाते हैं।

क. परिसंपत्तियों को व्यापार मॉडल के अन्तर्गत बनाएं रखने का प्रावधान है, जिसका उद्देश्य परिसंपत्तियों के संविदात्मक नगदी का प्रवाह संग्रह करना है और

ख. नगदी प्रवाह की निर्दिष्ट तिथि पर परिसंपत्तियों के संविदात्मक शर्तों के तहत भुगतान किए गए मूल एवं ब्याज की राशि को बकाया राशि में सम्मिलित किया गया है।

प्रारंभिक माप के बाद प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग (ईआईआर) करते हुए ऐसे वित्तीयपरिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर या अभिगत प्रभावी ब्याज या शुल्क जिसपर ईआईआर के एक भाग के रूप में अधिग्रहण की कीमत पर व्यक्त होती है। ईआईआर वित्तीय आय के तहत लाभ और हानि के अंतर्गत परिशोधित होती है । लाभ व हानि में कमी के कारण हुई हानियों को स्वीकार किया

2.15.2.2 एफवीटीओसीआई में ऋण दस्तावेज:

यदि निम्नलिखित दोनों मानदंडों को पूरा किया जाता है तो “ऋण दस्तावेज” का एफवीटीओसीआई के रुप में वर्गीकृत किया जाता है:

क. व्यापार मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एवं वित्तीय परिसंपत्ति की बिक्री दोनों से पूर किया जाता है, और

ख. परिसंपत्तियों का संविदात्मक नगदी प्रवाह एसपीपीआई को निरुपित करता है।

एफवीटीओसीआई श्रेणी के अंतर्गत आने वाले ऋण दस्तावेज का प्रारम्भिक तैर पर साथ ही साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को उचित मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है। उचित मूल्य के संचार को अन्य विस्तृत आय में मान्यता प्रदान की जाती है। हालांकि कंपनी ब्याज से होने वाली आय, क्षति से होने वाले नुकसान तथा बदलाव और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि में स्वीकार करती है। परिसंपत्ति के अस्वीकरण पर संचित लाभ अथवा हाँइ को पहले अन्य विस्तृत आय में मान्यता दी जाती थी, उसे लाभ व हानि के लिए इक्विटी से पुनर्वर्गीकृत किया गया है। एफओटीओसीआई ऋण दस्तावेज से अर्जित ब्याज को ईआईआर पद्धति का उपयोग करते हुए ब्याज आय के रुप में रिपोर्ट की गई है।

2.15.2.3 एफवीटीपीएल में ऋण दस्तावेज:

एफवीटीपीएल ऋण दस्तावेज के लिए अवशिष्ट श्रेणी है। ऋण दस्तावेज जो परिशोधित लागत के रुप में अथवा एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकरण के लिए मानदंड को पूरा नहीं करता है, उसे एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, समूह एक ऋण दस्तावेज को निर्दिष्ट करने का चुनाव कर सकती है, जो अन्यथा एफवीटीपीएल के रुप में परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई के मानदंडों को पूरा कराती है। हालांकि ऐसे चुनाओं की अनुमति सिर्फ तभी दी जाती है, जब कोई माप या मान्यता असंगतता को कम करता है या समाप्त करता है (जिसे लेखाकरण बेमेल कहा जाता है) समूह ने किसी भी ऋण दस्तावेज को एफवीटीपीएल के रुप में निर्दिष्ट नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल डेब्ट इंस्ड्रुमेंट को उचित मूल्य पर पी एंड एल में पहचाने गए सभी बदलावों के साथ मापा जाता है।

2.15.2.4 अनुषंगी, सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश:

भारतीय लेखांकन मानक 101 (भारतीय लेखांकन मानक में प्रथम बार अंगीकरण) एवं पिछले जीएएपी के अनुसार इन निवेशों की वहनीय राशि परिवर्तन तिथि पर मानी हुई लागत पर मान्य होगी। बाद में अनुषंगियों, सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश का मापन लागत पर होगा।

समेकित वित्तीय विवरणी से संबंधित भारतीय लेखांकन मानक 28 के अनुच्छेद 10 में विहित इक्विटी प्रणाली के अनुसार सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश की गणना की जाती है।

2.15.2.5 अन्य इक्विटी निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 109 के दायरे में सम्मिलित सभी अन्य इक्विटी निवेश के लाभ एवं हानि को उचित मूल्य पर मापा जाता है।

अन्य सभी इक्विटी दस्तावेजों के लिए समूह उचित मूल्य में तत्पश्चात परिवर्तन को अन्य विस्तृत आय में प्रस्तुत करने के लिए चयन कर सकती है। समूह किसे दस्तावेज

पर ऐसा चयनीत दस्तावेज आधार पर कर सकती है। वर्गीकरण आरंभिक स्वीकार्यता पर किया जाता है और जो कि अपरिवर्तनीय है।

यदि समूह एफवीटीओसीआई पर इक्विटी विपत्रों को वर्गीकृत करने का निर्णय करती है तब लाभांश को छोड़कर, दस्तावेज पर समस्त उचित मूल्य में परिवर्तित को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। निवेशों की बिक्री होने पर भी ओ.सी.आई से पीएंडएल में राशियों को नहीं लाया जाएगा। तथापि समूह इक्विटी के भीतर संचित लाभ और हानि को स्थांतरित कर सकती है।

एफवीटीपीएल श्रेणी के अंदर समाविष्ट इक्विटी विपत्र पीएंडएल में मान्य सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य में स्वीकार किए जाते हैं।

2.15.2.6 गैर-मान्यता :

एक वित्तीय परिसंपत्ति की (या जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक भाग या समान वित्तीय परिसंपत्ति का एक भाग) मान्यता को मुख्य रुप से तब समाप्त कर दिया जाता है (जैसे तुलन पत्र से हटाया गया), जब

- परिसंपत्तियों से नगद प्रवाह को प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो गया हो अथवा
- समूह ने परिसंपत्तियों से नगद प्रवाह को प्राप्त करने के अधिकार को स्थानांतरित किया है या प्राप्त नगद प्रवाह का भुगतान करने हेतु दायित्व निकासी व्यवस्था के अंतर्गत तीसरी पार्टी के लिए बिना सामग्री विलंब के ग्रहण किया और या तो

क) समूह ने परिसंपत्ति के सभी जोखिम और पुरस्कार को काफी हद तक स्थानांतरित कर दिया है या

ख) समूह ने न तो हस्तांतरित किया है और न ही संपत्ति के सभी जोखिम और पुरस्कार को काफी हद तक बनाए रखा है लेकिन परिसंपत्ति पर नियंत्रण को स्थानांतरित अवश्य किया है।

जब समूह ने परिसंपत्ति से प्राप्त नगद प्रवाह पर अपने अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है अथवा निकासी व्यवस्था प्रारंभ किया है, तो यह मूल्यांकन करती है कि उसने स्वामित्व के जोखिमों एवं उपलब्धियों को किस हद तक अधिकार में बनाए रखा है। समूह ने न तो संपत्ति को हस्तांतरित किया, न ही परिसंपत्ति के सभी उपलब्धियों व जोखिम को बनाए रखा है और न ही उनके नियंत्रण को हस्तांतरित किया है। जब तक समूह सतत भागीदारी को बनाए रखने तथा स्थानांतरित संपत्ति की पहचान रखने का प्रयास करती है, तो ऐसे मामलों में समूह भी एक सहयोगी देयता की पहचान करती है। स्थानांतरित संपत्ति तथा सहयोगी देयता को एक आधार पर मापा जाता है। समूह द्वारा उसके दायित्वों तथा अधिकारों को प्रतिबंधित किया जाता है। सतत भागीदारी जो कि संपत्ति पर प्रतिभूति के रूप में चिन्हित है जिसे संपत्ति के मूल तथा जारी राशि के आवश्यकतानुसार चुकाया जाता है, उसे निम्न स्तर पर मापा जाता है।

2.15.2.7 वित्तीय संपत्ति की हानि (उचित मूल्य के अलावा)

भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार समूह निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों तथा क्रेडिट जोखिमों के अनावरण के माप तथा उसमें हुई हानि के लिए समूह अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) के मॉडल को लागू करती है।

क. वित्तीय परिसंपत्तियां जो कि ऋण दस्तावेज है और जिनका मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है उदाहरणत: ऋण प्रतिभूति, व्यापार प्राप्त, बैंक बेलेन्स इत्यादि।

ख. वित्तीय परिसंपत्ति जो ऋण दस्तावेज है तथा उसे एफवीटीओसीआई पर मापा जाता है।

ग. भारतीय लेखांकन मानक 17 के अंतर्गत प्राप्त पट्टे।

घ. प्राप्त पट्टे या नगद प्राप्त करने के लिए किसी भी अनुबंध का अधिकार या उस लेनदेन के परिणामस्वरुप अन्य वित्तीय सहमति जो कि भारतीय लेखांकन मानक 11 तथा भारतीय लेखांकन मानक 18 के क्षेत्र के अंतर्गत है।

हानि भत्ता की पहचान के लिए समूह ने निम्न सरल दृष्टिकोण का पालन किया-:

- प्राप्त कारोबार या अनुबंध राजस्व प्राप्त करने योग्य तथा
- भारतीय लेखांकन मानक 17 के अंतर्गत लेनदेन से प्राप्त सभी पट्टे।

सरलीकरण दृष्टिकोण के उपयोग से समूह को क्रेडिट जोखिमों में ट्रैक बदलाव को पहचानने की आवश्यकता नहीं होती है।

2.15.3 वित्तीय देयताएं -

2.15.3.1 प्रारंभिक मान्यता एवं माप-

समूह की वित्तीय देयताओं में व्यापार एवं अन्य देय, ऋण एवं बैंक ओवरड्राफ्ट सहित उधार शामिल है।

सभी वित्तीय देयताओं को शुरु में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और ऋण और उधार और देयताओं के मामले में सीधे निवेल आरोप्य लेन-देन लागतों पर मान्यता दी जाती है।

2.15.3.2 आगामी माप (अनुवर्ती)

वित्तीय देयताओं की माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करती है जो कि नीचे वर्णित है।

2.15.3.3 वित्तीय देयताएँ लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर -

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएँ व्यापार और वित्तीय देनदारियों के लिए आयोजित वित्तीय देयताओं में शामिल की जाती है, जिसे लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नामित किया गया है। आयोजित रूप में वित्तीय देयताओं को तब वर्गीकृत किया जाता है जब वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के प्रयोजन के लिए उपलब्ध हो। इस श्रेणी में समूह द्वारा व्युत्पन्न डैब्ट इन्स्ड्रुमेंट को भी शामिल किया गया है। जिसे प्रतिरक्षा संबंध में प्रतिरक्षा इन्स्ड्रुमेंट के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, इसे भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार पारिभाषित किया गया है। सेपरेटेड इम्बेडेड डेरीवेटिवस को भी उस समय तक व्यापार के लिए आयोजित रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जबतक कि इन्हें प्रभावी प्रतिरक्षा उपकरण के रूप में चिन्हित नहीं किया जाता।

देयताओं पर लाभ या हानियों को व्यापार के लिए आयोजित लाभ या हानि के रूप में पहचाना गया है।

लाभ व हानि के माध्यम से प्रारंभिक मान्यता और उचित मूल्य पर निर्दिष्ट वित्तीय देनदारियों को मान्यता की प्रारंभिक तारीख को उसी रुप में निर्दिष्ट किया जाता है एवं केवल तभी भारतीय लेखांकन मानक 109 के मानदंड को पूरा किया जाता है। एफवीटीपीएल के रुप में निर्दिष्ट देयताओं, अपने क्रेडिट जोखिमों में परिवर्तन लाने के लिए उचित मूल्य लाभ/हानि को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। इन लाभ/हानियों को बाद में पी एंड एल में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। हालांकि समूह इक्विटी के भीतर संचित लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है। ऐसी देयताओं को उचित मूल्य पर अन्य सभी परिवर्तनों के साथ लाभ तथा हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। समूह ने उचित मूल्य पर किसी वित्तीय देयता को निर्दिष्ट नहीं किया है।

2.15.3.4 परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएँ -

प्रारम्भिक मान्यता के पश्चात प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। जब प्रभावी ब्याज पर परिशोधन की प्रक्रिया द्वारा देयताओं को वापस लिया जाता है, तब लाभ या हानि में नफा या नुकसान को पहचाना जाता है। परिशोधित लागत का आंकलन अधिग्रहण और शुल्क या लागतों पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए की जाती है, जो कि प्रभावी ब्याज दर का अभिन्न हिस्सा है। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है। यह श्रेणी आम तौर पर उधार लेने पर लागू होती है।

2.15.3.5 गैर-मान्यता :

एक वित्तीय देयता की मान्यता को तब वापस लिया जाता है जब देयताओं के तहत दायित्व का निर्वहन रद्द या समाप्त हो गया हो। जब वित्तीय देयताओं को समान ऋणदाता के साथ विभिन्न शर्तों पर पुन:प्रतिस्थापित किया जाता है तब यह मौजूदा देयताओं के शर्तों को संशोधित करता है, तत्पश्चात इस तरह के एक विनियम या संशोधन को मूल दायित्व की मान्यता और एक नई देयता की पहचान के रुप में माना जाएगा। किसी अन्य पार्टी को समझाए गए या हस्तांतरित किये गये वित्तीय लेनदेन राशि और उसमें से किसी भी हस्तांतरित परिसंपत्तियों या दायित्वों सहित भुगतान किए गए विचारों को लाभ व हानि के रुप में स्वीकार किया जाएगा।

2.15.4 वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनः वर्गीकरण:

समूह प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देनदारियों का वर्गीकरण निर्धारित करती है प्रारंभिक मान्यता के बाद वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है क्योंकि यह इक्विटी दस्तावेज एवं वित्तीय देनदारियां होती है। जो वित्तीय परिसंपत्तियों इक्विटी इंस्ट्रूमेंट तथा वित्तीय देनदारियां होती है, उनके लिए प्रारंभिक मान्यता के बाद पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों जो ऋण दस्तावेज होती है, उनके लिए पुनर्वर्गीकरण तभी किया जाता है जब उन पर संपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यापार मॉडल में परिवर्तन होता है। व्यापार मंडल में ऐसे परिवर्तनों की अपेक्षा फिर से की जाती है। समूह का वरिष्ठ प्रबंधन कंपनी के लिए बाहरी या आंतरिक परिवर्तनों जो समूह के परिचालन के लिए महत्वपूर्ण है, के परिणामस्वरुप ही व्यापार मॉडल

में परिवर्तन निर्धारित करती है। ऐसे परिवर्तन बाहरी पार्टियों के लिए साक्ष्य होते हैं। समूह अपने परिचालन के लिए किसी महत्वपूर्ण है गतिविधि की या तो शुरुआत करती है अथवा समाप्त करती है, तभी व्यापार मॉडल में परिवर्तन होता है। यदि समूह की परिसंपत्तियों को पुनर्वर्गीकृत करती है, तो वह उस पुनर्वर्गीकरण को उसकी प्रत्याशित तिथि से लागू करती है जो व्यापार मॉडल में परिवर्तन से पहले की रिपोर्टिंग अवधि की ठीक बाद का पहला दिन होता है। समूह पिछले स्वीकृति प्राप्तियों, नुकसानों (हानिकरण लाभ व हानि शामिल करते हुए) अथवा ब्याज को पुनः निश्चित नहीं करती है निम्नलिखित सारणी विविध पुन:वर्गीकरण एवं उनके स्पष्टीकरण की प्रवधि दर्शाता है:

वास्तविक वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखांकन विधि
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	उचित मूल्य का मूल्यांकन पुनर्वर्गीकरण की तारीख को किया जाता है। पिछली परिशोधित लागत एवं उचित मूल्य के भीच के अंतर को पीएंडएल में स्वीकार किया जाता है।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुन:वर्गीकरण की तारीख का उचित मूल्य इसके नये सकल पिछली शेष राशि बन जाती है। इसी नई सकल पिछली शेष राशि के आधार पर ईआईआर की गणना की जाती है।
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	पुन: वर्गीकरण की तारीख पर उचित मूल्य का मूल्यांकन किया जाता है। परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के अंतर को ओसीआई में स्वीकार किया जाता है। पुनर्वर्गीकरण के कारण ईआईआर में बदलाव नहीं किया गया।
एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण की तारीख पर उचित मूल्य उसकी नई परिशोधित लागत वाली राशि होगी। हालांकि ओसीआई में लाभ या हानि को उचित मूल्य के हिसाब से समायोजित किया गया है। जिसके फलस्वरूप परिसंपत्तियों को मापा जाता है जिस तरह वे हमेशा से परिशोधित मूल्य पर मापे जाते हैं।
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुन:वर्गीकरण की तारीख पर उचित मूल्य उसकी नई जारी की गई राशि होगी, जिसमें किसी अन्य राशि के समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीपीएल	परिसंपत्तियों का मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाएगा। ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को पुन: जमा करने की तिथि में पी एंड एल के रुप वर्गीकृत किया गया।

2.15.5 वित्तीय विपत्रों की ऑफसेटिंग:

वित्तीय परिसंपत्तियां एवं वित्तीय देनदारियों को ऑफसेट किया जाता है और यदि स्वीकृत राशि के ऑफसेट का कानूनी अधिकार वर्तमान में प्रवर्तनीय हैं एवं परिसंपत्तियों की वसूली तथा देनदारियां दोनों का निवल आधार निपटान साथसाथ करने की प्रवृत्ति हो-, तो निवल राशि को समेकित तुलन-पत्र में लिखा जाता है।

2.16 उधार लागत:

जहां उधार लागत सीधे तौर पर क्वालिफाईंग परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए उत्तरदायी है, उन्हें छोड़कर यथावश्यक उधार लागत को खर्च किया जाता है, यानी वे परिसंपत्तियां जो अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लेती हैं। इस मामले में उन्हें उस तारीख तक उन परिसंपत्तियों की लागत के एक भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है, जिस तारीख को अपने इच्छित उपयोग के लिए क्वालिफाईंग परिसंपत्ति तैयार होती है।

2.17 कर निर्धारण:

आयकर व्यय वर्तमान में देय कर और विलंबित कर के योग को दर्शाता है।

किसी खास अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर हानि) के संबंध में देय (वसूली योग्य) आयकर की राशि चालू कर है। लाभ एवं हानि एवं अन्य विस्तृत आय के विवरण में जैसा कि वर्णित "आयकर पूर्व लाभ" से करयोग्य लाभ भिन्न है क्योंकि इसमें उस आय के व्यय का मद शामिल हैं जो दूसरे वर्षों में कर योग्य अथवा कटौती योग्य होते हैं तथा इसमें वे मद शामिल हैं जो कभी करयोग्य या कटौती योग्य नहीं होते हैं। चालू कर के लिए समूह की देनदारी का परिकलन कर की दरों का प्रयोग कर किया जाता है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अधिनियमित किए गए हैं या वास्तविक रूप में अधिनियमित किए गए हैं।

सामान्य तौर पर आस्थगित कर देयताओं को सभी कर योग्य अस्थायी शेषों के लिए मान्यता दी जाती है। सामान्य तौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी शेष के लिए उस सीमा तक आस्थगित कर को मान्यता दी जाती है कि करयोग्य लाभ मौजूद करने की संभाव्यता रहेगी जिसके लिए उन कटौती योग्य अस्थायी शेषों का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार की परिसंपत्तियां एवं देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है। यदि शेष सद्भाव अथवा लेनदेन में अन्य परिसंपत्तियों एवं देनदारियों से उत्पन्न हुआ है जो न तो करयोग्य लाभ को न ही लेखाकरण लाभ को प्रभावित करता है।

जहां समूह अस्थायी शेष के विपर्यय को नियंत्रित करने में सक्षम है इसकी संभावना है कि निकट भविष्य में अस्थायी शेष को रिवर्स नही किया जाएगा, उसे छोड़ कर अन्य अनुषंगियों एवं एसोसिएट में निवेश से जुड़े करयोग्य अस्थायी शेष के लिए आस्थगित कर देयताओं को मान्यता दी जाती है। इस प्रकार के निवेशों से जुड़े कटौती योग्य अस्थायी शेष से उत्पन्न आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं ब्याजों को उस सीमा तक तभी मान्यता दी जाती है जब यह संभाव्य हो कि पर्याप्त करयोग्य लाभ होंगे जिसके लिए अस्थायी शेषों के लाभों का उपयोग किया जा सकेगा।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पिछली शेष की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है तथा इसे उस सीमा तक घटा दी जाती है कि परिसंपत्तियों को संपूर्ण या इसके अंश की वसूली किए जाने के लिए पर्याप्त करयोग्य लाभ उपलब्ध करने रहने की संभावना अधिक न रहे। अस्वीकृत आस्थगित कर परिसंपत्तियों का पुनर्निर्धारण रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में किया जाता है तथा उसे उस सीमा तक मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्ति का संपूर्ण या इसके अंश की वसूली की जा सके इसके लिए पर्याप्त करयोग्य लाभ उपलब्ध रहेगा, इसकी संभावना बन चुकी हो।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को कर की दरों पर मापा जाता है तथा उस अवधि में लागू होने की अपेक्षा की जाती है जिसमें देनदारी को निपटाया जाता है या परिसंपत्ति की वसूली की जाती है। ऐसा उस दर (टैक्स कानूनों) के आधार पर किया जाता है जिसे रिपोर्टिंग अवधि के अंत में पारित किया गया हो।

आस्थगित कर देनदारियों एवं परिसंपत्तियों का मापन कर के परिणाम को दर्शाता है जिसे कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अपनी परिसंपत्तियों एवं देनदारियों की शेष राशि की वसूली या निपटारा करने की अपेक्षा के अनुरूप तरीके से पालन किया गया है।

वर्तमान एवं आस्थगित कर को लाभ या हानि में तभी मान्यता दी जाती है जब यह अन्य विस्तृत आय अथवा इक्विटी से सीधे तौर पर मान्य आइटम से संबंध रखते हों जिस मामले में वर्तमान और आस्थगित कर को भी क्रमश: अन्य विस्तृत कर अथवा सीधे इक्विटी में मान्यता दी गई हो। जहां व्यवसाय सम्मिश्रण के लिए प्रारंभिक लेखाकरण से वर्तमान अथवा आस्थगित कर उत्पन्न होते हैं वहां व्यवसाय सम्मिश्रण के लिए लेखाकरण में कर के प्रभाव को शामिल किया जाता है।

2.18 कर्मचारी हितलाभ

2.18.1 अल्पकालिक लाभ

जिस अवधि में लाभ होते हैं उसी अवधि में कर्मचारियों के सभी अल्पकालिक लाभ को स्वीकार किया जाता है।

2.18.2 नियोजन के बाद एवं अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:

2.18.2.1 परिभाषित अंशदायी योजनाएं:

भविष्य निधि एवं पेंशन के तहत समूह अलग सांविधिक निकाय (कोयला खान भविष्य निधि) जिसका गठन कानून पारित कर किया गया हो और कंपनी कि अन्य किसी राशि के भुगतान करने के लिए विधिक या संरचनात्मक दायित्व नहीं होगी, के लिए रोजगार पश्चात लाभ एवं परिभाषित अंशदायी योजना है। परिभाषित अंशदान योजनाओं में योगदान के लिए दायित्वों के लाभ एवं हानि विवरण में कर्मचारी लाभ खर्चे के रूप में माना जाता है उस अवधि के जिसके दौरान कर्मचारी सेवाएं देते हैं।

2.18.2.2 परिभाषित लाभ योजनाएं-

परिभाषित अंशदान योजना के अलावा एक परिभाषित लाभ योजना रोजगार के उपरांत की लाभ योजना है। ग्रेच्युटी, अवकाश नगदीकरण (लाभ पर सीमा के साथ) परिभाषित लाभ योजनाएं हैं। परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में समूह के सकल दायित्व का परिकलन भरावी लाभ राशि जिसे कर्मचारियों ने वर्तमान एवं पूर्व की अवधियों में अपनी सेवाओं के बदले अर्जित की है, उसके अनुमान से किया जाता है। लाभ को अपने वर्तमान मूल्य का निर्धारण करने के लिए रियायत दी जाती है तथा उनके योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से कम कर दिया जाता है, यदि कोई ऐसा है तो। रिपोर्टिंग की तारीख को भारतीय प्रतिभूतियों के इस चालू बाजार मूल्य पर छूट की दर आधारित होती है। जिसकी परिपक्वता की तिथियां समूह के दायित्व की अवधि के लगभग होती एवं जिन मुद्रा में लाभ भुगतान की अपेक्षा है उस अवधि में वही मुद्रा प्रचलन में रहे।

बीमांकिक मूल्यांकन के प्रयोग में छूट दर के बारे में धारणाएं परिसंपत्तियों पर अपेक्षित वसूल किए गए भावी दर, वेतन वृद्धि दर तथा नैतिकता दर आदि के अंतर्गत शामिल होती हैं। इस तरह के अनुमान इन योजनाओं की दीर्घावधि के कारण अनिश्चितताओं के अधीन है। अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग कर प्रत्येक बैलेंस शीट पर अंकित होती है जिनकी गणना बीमांकक द्वारा की जाती है। जब गणना समूह के हित में हों तो भविष्य में योजना के योगदान में कमी या योजना से धन वापसी के रूप में आर्थिक लाभों में स्वीकृत परिसंपत्तियों का उपलब्ध वर्तमान मूल्य पर सीमित किया जाता है। यदि योजना देनदारियां के समाधान पर या योजना के दौरान वसूली योग्य हो तो समूह को आर्थिक लाभ उपलब्ध होगा।

कुल पारिभाषित देयताओं का पुनः मापन किया जाता है जिसमें परिसंपत्ति योजना (ब्याज छोड़कर) पर वसूली को ध्यान में लेते हुए बीमांकिक लाभ व हानि को शामिल किया गया हो तथा परिसंपत्तियों (ब्याज छोड़कर यदि कोई हो) का प्रभाव अन्य व्यापक आय में तुरंत स्वीकार किया जाता है। समूह निर्धारित अवधि के लिए पारिभाषित लाभ दायित्वों को मापने एवं उपयोग होने वाली छूट दर को लागू करने के लिए शुद्ध पारिभाषित लाभ देयताओं (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज (आय) निर्धारित करती है। इसके बाद वार्षिक अवधि के दौरान पारिभाषित लाभ देयताएं (परिसंपत्ति) योगदान और लाभ भुगतान के परिणामों के फलस्वरुप प्राप्त पारिभाषित लाभ देयताओं के अंतर्गत परिसंपत्तिओं में परिवर्तन करती है।

पारिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित कुल ब्याज खर्च एवं अन्य खर्चों को लाभ व हानि में स्वीकार किया जाता है। जब योजना से प्राप्त लाभों में बढ़ोत्तरी की जाती है तब कर्मचारियों द्वारा पिछले सेवा से संबंधित बढाये गए लाभों को लाभ व हानि विवरण में खर्च के रूप में दर्शाया जाता है।

2.18.3 अन्य कर्मचारी हितलाभ

कुछ अन्य कर्मचारी लाभ योजनाएँ जैसे- एलटीए, एलटीसी, लाइफ कवर स्कीम, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, व्यवस्थापन भत्ता, सेवानिवृत्त के पश्चात् चिकित्सा लाभ योजना तथा खान में हुई दुर्घटनाओं में मृतकों के आश्रितों के लिए रियायत आदि उपर्युक्त वर्णित परिभाषित लाभ योजना को मान्यता प्राप्त है। इन लाभों में विशिष्ट निधिकरण नहीं है।

2.19 विदेशी मुद्रा

भारतीय रुपए आर्थिक क्षेत्र में प्रमुख मुद्रा होने के कारण समूह ने अपने मुख्य संचालनों के लिए मुद्रा एवं कार्यात्मक मुद्रा को भारतीय रूप में प्रतिवेदित किया है।

लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करते हुए समूह ने विदेशी मुद्राओं में हुए लेनदेन को प्रतिवेदित मुद्रा में परिवर्तित किया है। प्रतिवेदित अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक संपत्ति और देयताएं, प्रतिवेदित अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दरों पर बदली की जाती है। मौद्रिक संपत्ति एवं देयताओं का निपटान अवधि के दौरान प्रारंभिक पहचान पूर्व से परिवर्तित दर पर भिन्न मौद्रिक संपत्ति एवं देयताओं के दर में परिवर्तित होने के कारण होती है, इसे भिन्न विनिमय लाभ व हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

विदेशी मुद्रा में अंकित गैर मौद्रिक मदों को लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों में शामिल किया जाता है।

2.20 स्ट्रीपिंग एक्टिविटी व्यय/समायोजन

खुली खदान में खनन के मामलों में खदान के अनुपयोगी सामानों (ओवरबर्डन) जैसे मिट्टी एवं चट्टान को कोयला सीम के ऊपर से निकालना आवश्यक होता है ताकि कोयला एवं उसके निष्कर्षण को प्राप्त किया जा सके। खुली खदानों में कंपनी को खानों की सुरक्षा (तकनीकी रूप से अनुमानित) करने हेतु ऐसे खर्चों का सामना करना पड़ता है।

इसलिए एक नीति के अंतर्गत प्रतिवर्ष 10 लाख टन की क्षमता के साथ खानों में स्ट्रिपिंग की लागत पर, स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति और अनुपात विवरण के समायोजन पर एवं प्रत्येक खदान पर

तकनीकी मूल्यांकन वाले औसत स्ट्रिपिंग अनुपात (ओबी:कोयला) के रूप में खर्च किया जाता है। खानों के बाद खाते को राजस्व में लाया जाता है।

स्ट्रिपिंग गतिविधियों के तहत् परिसंपत्ति एवं बैलेंस शीट की तिथि में अनुपात भिन्नता की कुल शेष राशि को गैर वर्तमान प्रावधान/अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियों के शीर्ष के अंतर्गत स्ट्रिपिंग गतिविधि के समायोजन के रूप में अंकित किया जाता है।

रिकॉर्ड के अनुसार प्रतिवेदित अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा ओबीआर लेखांकन अनुपात जहां प्रतिवेदित मात्रा एवं मापी गई मात्रा में भिन्नता हो को दो वैकल्पिक अनुमेय सीमा के भीतर गणना हेतु ध्यान में लाया जाता है जैसा कि नीचे उल्लेखित है।

खान के ओबीआर का वार्षिक क्वांटम	विचलन की अनुमानित सीमाएं	
	I	II
	%	क्वांटम(मिलियन घन-मीटर में)
1 मिलियन घन-मीटर से कम	+/- 5%	0.03
1 से 5 मिलियन घन-मीटर के बीच	+/- 3%	0.20
5 मिलियन घन-मीटर से अधिक	+/- 2%	

जहां उपरोक्त भिन्नता मुनासिब सीमा से परे हो, तो वहां उसे मात्रा के रूप में माना जाएगा।

1 लाख टन से कम क्षमता वाले खानों के मामलों में उपरोक्त नीति लागू नहीं होगी और वर्ष के दौरान खर्च किये गए स्ट्रीपिंग गतिविधि के वास्तविक लागत को लाभ और हानि के रूप में मान्यता प्राप्त होगी।

2.21 वस्तु सूची

2.21.1 कोयले का भंडार:

कोल/कोक की वस्तुसूची कम लागत और शुद्ध वसूली मूल्य पर दर्शायी जाती है। वस्तुसूची की लागत की गणना प्रथम बार प्रथम पद्धति के माध्यम से होती है। शुद्ध प्राप्य मूल्य वस्तु की अनुमानित बिक्री मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है और बिक्री करने के लिए सभी आवश्यक लागत को पूर्ण भी करती है।

जहां बही भंडार तथा मापित भंडार के मध्य विभिन्नता +/ - 5 % तक है, वहां कोयला/कोक के बही भंडार को लेखा में लिया जाता है, तथा ऐसे मामले जहां यह अंतर +/- 5% से अधिक है, वहां मापित भंडार पर ही विचार किया जाता है। ऐसे भंडार का मूल्यांकन “शुद्ध प्राप्य मूल्य या लागत” जो भी कम हो, पर किया जाता है। कोयले को कोयला भंडार के भाग के लिए माना जाता है।

कोयला एवं कोक चूर्ण का मूल्यांकन लागत के न्यूनतम अथवा निवल प्राप्य मूल्य में किया जाता है तथा कोयले के भंडार के रुप में माना जाता है।

कोल के भंडार स्लरी (कोकिंग/सेमी-कोकिंग) मध्यम स्तर के वाशरी और उनके उत्पाद शुद्ध वसूली मूल्य पर मूल्यवान होते हैं और उन्हें कोल स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

2.21.2 भंडार और पुर्जे

केंद्रीय और क्षेत्रीय भंडार में भंडार और स्पेयर पार्ट्स (जिसमें कमजोर उपकरण भी शामिल हैं) के स्टॉक की कीमत स्टोर लेजर के रूप में मानी जाती है एवं औसत विधि के आधार पर उसके मूल्य

की गणना महत्वपूर्ण होती है। भंडारों और स्पेयर पार्ट्स की सूची में कोयला खदानों/ उप-भंडार/डीलिंग कैप/उपभोक्ता केंद्रों को वर्ष के अंत तक केवल भौतिक रूप से सत्यापित स्टोर के अनुसार मूल्यवान समझा जायेगा।

अनुपयोगी, क्षतिग्रस्त और अप्रचलित भंडार और पुर्जों के लिए 100% की दर से एवं विगत 5 वर्षों से जो भंडार व पुर्जे उपयोग में नहीं लाये गए हैं उनके लिए 50% की दर का प्रावधान बनाया गया।

2.21.3 अन्य वस्तु सूची

कार्यशाला के कार्यों का मूल्यांकन उनके कार्य की प्रगति पर निर्धारित होती है। प्रेस कार्य का स्टॉक (कार्य प्रगति के साथ) मुद्रण प्रेस में स्टेशनरी और केंद्रीय अस्पताल में दवाओं की लागत मूल्य पर निर्धारित होती है।

हालांकि स्टेशनरी (प्रिंटिंग प्रेस में लाने के अलावा) ईंटों ,रेत, दवाइयों (केंद्रीय अस्पताल को छोड़कर) विमान के पुर्जों और स्क्रैप आदि को सूची में उल्लेखित नहीं किया जाता है क्योंकि उनका मूल्य महत्वपूर्ण नहीं होता।

2.22 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं संपत्तियां

प्रावधान तब मान्य होते हैं जब समूह की पिछली घटना के परिणाम स्वरुप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) उसे प्राप्त होती है और यह संभव है कि दायित्वों का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभों की आवश्यकता होनी आवश्यक है और उसे दायित्वों की विश्वसनीयता के रूप में भी लिया जा सकता है। जहां समय मूल्यवान है वहां दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित व्यय को वर्तमान मूल्य के अनुरूप रखा जाता है।

सभी प्रावधानों की समीक्षा तारीख के साथ प्रत्येक बैलेंस शीट पर की जाती है और जो मौजूदा श्रेष्ठ अनुमान को दर्शाता है।

जहां यह संभव ना हो कि आर्थिक लाभों का आउटफ्लों आवश्यक हो या राशि का सटीक रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सके तो दायित्वों को दायित्व के रूप में प्रकट किया जाना प्रासंगिक हो जाता है। इस स्थिति में आर्थिक लाभ के आउटफ्लों की संभावना दूरस्थ नहीं होती। संभावित दायित्व के अस्तित्व को केवल एक या अधिक भावी अनिश्चित घटनाओं की उपस्थिति या गैर-घटना से पुष्टि की जाएगी, जो कि पूरी तरह से समूह के नियंत्रण में नहीं होगी एवं उन्हें प्रासंगिक देनदारियों के रूप में प्रकट किया जाएगा जब तक कि आर्थिक लाभ के आउटफ्लों की संभावना रिमोट नहीं होती।

प्रासंगिक संपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त नहीं है। हालांकि जब आय की प्राप्ति वास्तव में निश्चित होती है, तो संबंधित कोई भी संपत्ति आकस्मिक संपत्ति नहीं होती है और ये मान्यता यथोचित होती है।

2.23 उपार्जित शेयर

समय के अनुरूप बकाया इक्विटी शेयरों को भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद शुद्ध लाभ से विभाजित करके प्रति शेयर मूल आय की गणना की जाती है। प्रति शेयरों में मंदित आय की गणना इक्विटी शेयरों की औसत लाभ को विभाजित करके की जाती है, जो कि शेयरों की मूल आय से होती

है और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जो कि सभी डिलिटिव संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी की जा सकती है।

2.24 निर्णय, आंकलन और धारणाएं

भारतीय लेखांकन मानक के अनुरुप वित्तीय विवरण को तैयार करने के लिए प्रबंधन को अनुमान, आकलन और अभिधारणा की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग एवं परिसंपत्तियों और देनदारियों की प्रतिवेदित राशियों, वित्तीय विवरण की तारीख को आकस्मिक परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के प्रकटीकरण तथा प्रतिवेधित अवधि के दौरान राजस्व एवं व्यय राशि को प्रभावित करती है। जटिल एवं वास्तविक अनुमान को शामिल करते हुए लेखांकन नीतियों का अनुप्रयोग तथा इन वित्तीय विवरणों में अभिधारणा के उपयोग का प्रकटीकरण किया गया है। समय - समय पर लेखांकन आकलन बदल सकता है। वास्तविक परिणाम उन आकलनों से भिन्न भी हो सकते हैं। चालू आधार पर आकलन तथा अंतर्निहित अभिधारणाओं की समीक्षा की जाती है। लेखानुमान के संशोधनों को उस अवधि में स्वीकार किया जाता है, जिसमें आकलनों को संशोधित किया जाता है तथा यदि यह महत्वपूर्ण है, तो वित्तेय विवरण की टिप्पणियों में उनके प्रभाव को प्रकट किया जाता है।

2.24.1 निर्णय

समूह की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में प्रबंधन ने निम्नलिखित फैसले लिए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रकाश वित्तीय वक्तव्यों में मान्यता प्राप्त राशियों पर डाला गया है:

2.24.1.1 लेखांकन नीतियों का निर्माण -

लेखांकन नीतियां ऐसे वित्तीय वक्तव्य हैं जिसमें लेनदेन, अन्य घटनाओं और शर्तो के बारे में प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है, जिसके लिए वे आवेदन करते हैं। जिन नीतियों का प्रभाव अव्यवस्थित हो उन नीतियों को लागू करने की आवश्यकता नहीं होती।

क उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय लेने के अनुरूप और

ख वित्तीय वक्तव्यों में विश्वसनीयता :

i. समूह ईमानदारी से वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नगद प्रवाह को विश्वसनीय ढंग से प्रस्तुत करना,

ii. आर्थिक लेनदेन, अन्य घटनाएं और स्थितियों को परिलक्षित करना।

iii. तटस्थ है अर्थात पूर्वाग्रह से मुक्त,

iv. विवेकपूर्ण होते हैं, तथा

v. सभी सामग्रियां पूर्ण रुप से निरंतरता पर आधारित होती हैं।

प्रबंधन निर्णय लेते हैं और उन्हें अवरोही क्रम में निम्नलिखित स्रोतों के द्वारा संदर्भित किया जाता है।

क. भारतीय लेखांकन मानक में लेनदेन से संबंधित मुद्दों की आवश्यकताएं, और

ख. परिभाषित मानदंड और परिसंपत्तियां, देनदारी आय और खर्च की अवधारणा।

निर्णय लेने के लिए प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड की सबसे हाल की घोषणाओं पर विचार करती है और उनकी अनुपस्थिति में अन्य मानक स्थापित निकायों जो कि सामान्य विचारात्मक तंत्र

का उपयोग करते हुए लेखांकन मानकों और अन्य लेखांकन साहित्य और स्वीकृत उद्योग कार्य का विकास करती है जिससे कि उपरोक्त अनुच्छेद में स्रोतों के साथ विवाद की स्थिति न पैदा हो।

समूह खनन क्षेत्र का संचालन करती है (एक ऐसा क्षेत्र जहां अन्वेषण, मूल्यांकन, उत्पादन चरण का विकास विभिन्न स्थलाकृति और भू-क्षेत्र के इलाकों पर आधारित है, जो दशकों से चल रहे पट्टे में फैला हुआ है और जहां लगातार परिवर्तन की संभावनाएं होती है) जहां लेखांकन नीतियों की वृद्धि हुई है। पिछले कई दशकों से अनुसंधान समितियों द्वारा विशिष्ट उद्योग प्रथाओं की नियमावली के रूप में उसे अनुमोदित किया गया है। कंपनी लेखांकन साहित्य के विकास के साथ -साथ लेखांकन नीतियों के भी विकास का प्रयास करती है और इसमें भरतीय लेखांकन मानक 8 के विकास का विशेष रुप से ध्यान दिया जाता है। वित्तीय वक्तव्यों को लेखांकन के आधार पर तैयार किया जाता है।

2.24.1.2 सामग्रियाँ -

भारतीय लेखांकन मानक सामग्रीयुक्त वस्तुओं का उपयोग करती है। प्रबंधन विचार करते हुए यह निर्णय लेते है कि एकीकृत वस्तुओं या वस्तुओं के समूह को वित्तीय विवरणों में सामाग्री के रूप में लिया जा सकता है। सामाग्री का आंकलन, वस्तुओं के आकार और प्रकृति के अनुरूप किया जाता है। निर्णायक कारण यह है कि उपयोगकर्ता वित्तीय निर्णयों के आधार पर निर्णय लेते हैं जो कि भूलचूक से आर्थिक निर्णय को प्रभावित भी करते हैं। प्रबंधन भारतीय लेखांकन मानक के मदों का निर्धारण करते हुए आवश्यकताओं को पूर्ण करती है एवं किसी विशेष परिस्थिति में या तो प्रकृति या किसी मद की मात्रा या कुल वस्तुओं का निर्धारण भी करती है। इसके अलावा समूह अपने जरूरत के अनुरूप मौजूदा सभी वस्तुओं को अलग से रखती है ताकि नियमानुरुप जब उन्हें इनकी आवश्यकता हो तब इनका उपयोग किया जा सके।

2.24.1.3. परिचालन पट्टा -

समूह ने पट्टाअनुबंध को अपनाया है। समूह शर्तों और निबंधन समझौते के मूल्यांकन के आधार पर यह निर्धारित करती है कि पट्टे आर्थिक जीवन के वाणिज्यिक संपत्ति का मुख्य भाग और परिसंपत्ति के उचित मूल्य के रूप में गठित नहीं किए जा सकते हैं, ताकि जो बरकरार है वे सभी महत्वपूर्ण जोखिमों, स्वामित्व और परिचालन पट्टे को अनुबंध खाते में रखे जा सके।

2.24.2 आंकलन और धारणाएँ-

रिपोर्टिंग तिथि में भावी भविष्य और अन्य महत्वपूर्ण स्त्रोतों के बारे में मुख्य धारणाएँ दी गई है, जो कि अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्तियों और देनदारियों कि मात्रा के रूप में समायोजित किए जायेंगे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है। समूह आंकलन और धारणाओं के आधर पर समेकित वित्तीय वक्तव्यों को तैयार करती है। समूह भविष्य में होने वाले विकास जिसमें बाजार में होने वाली परिवर्तनों पर मौजूदा परिस्थिति के अनुरूप उन पर नियंत्रण रखती है। ऐसे बदलाव तब होते हैं जब वे घटित होती हैं।

2.24.2.1 गैर वित्तीय सम्पत्तियों की हानि -

यदि किसी परिसंपत्ति का पिछला मूल्य अथवा नकद उत्पादन इकाई अपनी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है जो अपने उचित मूल्य से अधिक और निपटान लागत से कम होता है एवं इसका मूल्य प्रयोग में है, तो वह हानि का संकेत है। हानि की जांच करने के उद्देश्य के लिए समूह विशेष खानों को अलग उत्पादन इकाइयों के रुप में मानती है। उपयोग की गणना में मूल्य डीसीएफ मॉडल

पर आधारित होती है। अगले पाँच वर्षों के लिए बजट से नकदी प्राप्त किया जाता है और जो पुनर्गठन की गतिविधियों में शामिल नहीं होता है, जिसके लिए समूह अभी तक प्रतिबद्ध नहीं है एवं जिसमें सीजीयू की परिसंपत्तियों के प्रदर्शनों का भविष्य में उपयोग किया जा सके। वसूली राशि संवेदनशील होती है जो कम दर पर डीसीएफ मॉडल के साथ-साथ अपेक्षित भावी नगदी और प्रविष्टि प्रयोजन के विकास दर को बढ़ाती है। यह अनुमान अन्य खनन के बुनियादी ढांचे के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक है। विभिन्न सीजीयू के लिए वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने के लिए प्रमुख मान्यताओं का वर्णन किया गया है और जिसे आगे संबन्धित टिप्पणियों में भी वर्णित किया गया है।

2.24.2.2 कर

अस्थायी परिसंपत्तियाँ को अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस सीमा तक मान्यता प्राप्त है, जिस सीमा तक कर लगाने योग्य लाभों की उपलब्धता को उनके घाटे में भी उपयोग किया जा सके। प्रबंधन के महत्वपूर्ण निर्णयों की आवश्यकता इसलिए है कि आस्थगित कर परिसंपत्तियों की राशि का निर्धारण किया जा सके जिससे वह पहचाने जा सके। उपरोक्त समय के आधार पर और भविष्य में कर के लाभों के स्तर के साथ भावी कर योजनाओं के तहत रणनीतियाँ बनाई जायेंगी।

2.24.2.3 योजनाओं के लाभ की परिभाषा -

पारिभाषित लाभ, ग्रेजुएटी योजना और अन्य रोजगार चिकित्सा लाभों की लागत और ग्रेजुएटी दायित्वों के वर्तमान मूल्य का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन से किया जाता है। मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ शामिल होती है, जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती है। इसमें छूट दर, भविष्य में वेतन बढ़ोतरी और मृत्यु दर का निर्धारण शामिल किया जाता है।

मूल्यांकन और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति में शामिल जटिलता, परिभाषित लाभ, दायित्वों की मान्यताओं में परिवर्तन अत्यंत ही संवेदनशील होते हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में सभी मान्यताओं की समीक्षा की जाती है। सबसे अधिक परिवर्तन होने वाला विषय छूट दर होता है। भारत में संचालित योजनाओं के लिए

उपर्युक्त छूट दर को निर्धारित करने में प्रबंधन सरकारी बॉन्ड के ब्याज दरों के साथ मुद्रित रोजगार के ब्याज दायित्वों पर विचार करती है।

मृत्यु दर देश के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मृत्यु दर की सारणी पर आधारित होते हैं। मृत्यु दर के सारणी में बदलाव केवल जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर आधारित होती है। भावी वेतन वृद्धि और ग्रेजुएटी की बढ़ोत्तरी भविष्य की मुद्रास्फीति की दर पर निर्धारित की जाती है।

2.24.2.4. वित्तीय साधनों का उचित मूल्य माप -

जब तुलन पत्र में दर्ज वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्य को सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत कीमतों के आधार पर मापा नहीं जा सकता, तो उनका उचित मूल्य डीसीएफ मॉडल के साथ आम तौर पर स्वीकृत मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके मापा जाता है। जहां तक संभव हो इन मॉडलों को बाजार से लिया जाता है। परंतु जहां तक संभव ना हो, वहाँ उचित मूल्यों को स्थापित करने के लिए निर्णायक परिणामों की आवश्यकता पड़ती है। निर्णय में नगदी की जोखिम, क्रेडिट जोखिम, अस्थिरता और अन्य प्रासंगिक इनपुट जैसे विचाराधीन निवेश शामिल होते हैं।

धारणाओं में परिवर्तन और अनुमानित ऐसे कारक वित्तीय रिपोर्ट में दिये गए उचित मूल्य को प्रभावित करते हैं।

2.24.2.5 विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियां -

समूह ने लेखांकन नीति के अनुसार अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोग परियोजना के विकास के लिए किया है। आम तौर पर जब परियोजना की रिपोर्ट तैयार की जाती है, तब निर्णयों के आधार पर प्रबंधन द्वारा प्रारम्भिक पूँजी लागत की तकनीक और आर्थिक व्यवहार को स्वीकार किया जाता है।

2.24.2.6. खानों को बंद करने, साइट पुन: स्थापना व डीकमिस्निंग दायित्वों के लिए प्रावधान

खदान बंदी, साइट पुन;स्थापना व डिक्मीशनिंग दायित्व के प्रावधान के उचित मूल्य के निर्धारण में रियायती दर, साइट पुन: स्थापना और डीकमिसनिंग तथा इन लागतों में अनुमानित समय के आधार पर अनुमान और प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। समूह द्वारा निमलिखित आधार पर परियोजना/खानों में डीसीएफ पद्धति का प्रयोग किया जाता है।

- कोल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में यथा-निर्दिष्ट प्रत हेक्टर अनुमानित लागत्।
- छूट दर (प्रति कर दर) जो की समय के वर्तमान मूल्यों के मूल्यांकन और देनदारियों के लिए वर्तमान बाजार द्वारा किए गए आंकलन को दर्शाती है।

2.24 **संक्षेपों का प्रयोग**

क.	CGU	नगद उत्पाद इकाई (Cash generating unit)
ख.	DCF	रियायती नगद प्रवाह (Discounted Cash Flow)
ग.	FVTOCI	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (Fair value through Other Comprehensive Income)
घ.	FVTPL	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (Fair value through Profit & Loss)
ङ.	GAAP	सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्त (Generally accepted accounting principal)
च.	Ind AS	भारतीय लेखांकन मानक (Indian Accounting Standards)
छ.	OCI	अन्य व्यापक आय(Other Comprehensive Income)
ज.	P&L	लाभ और हानि (Profit and Loss)
झ.	PPE	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (Property, Plant and Equipment)
ञ.	SPPI	केवल मूलधन और ब्याज का भुगतान (Solely Payment of Principal and Interest)
ट.	EIR	प्रभावी ब्याज दर (Effective Interest Rate)

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 3 :संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों

(₹ करोड़ में)

	फ्रीहोल्ड भूमि	अन्य भूमि	भूमि सुधार / साइट पुनर्स्थापना लागत	निर्माण (पानी की आपूर्ति, सड़कों और कल्विर्ट सहित)	संयंत्र एवं उपकरणों	दूरसंचार	रेलवे साईडिंग	फर्नीचर व फिक्सचर	कार्यालय उपकरणों	वाहन	हवाई-जहाज	अन्य खनन आधार संरचना	परिसंपत्तियां का सर्वे ऑफ	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:															
01.04.2016 के अनुसार	30.29	2,134.81	318.67	328.09	777.81	23.29	84.86	13.47	11.56	15.50	-	169.32	7.79	-	3,915.46
परिवर्धन	0.03	510.34	9.29	52.86	139.56	1.81	16.54	2.63	3.86	0.63	-	46.04	9.42	-	793.01
विलोपन / समायोजन	-	-	(12.38)	(0.06)	(8.48)	-	-	0.04	(0.14)	-	-	0.45	(0.82)	-	(21.39)
31 मार्च 2017 के अनुसार	30.32	2,645.15	315.58	380.89	908.89	25.10	101.40	16.14	15.28	16.13	-	215.81	16.39	-	4,687.08
	30.32	2,645.15	315.58	380.89	908.89	25.10	101.40	16.14	15.28	16.13	-	215.81	16.39	-	4,687.08
01.04.2017 के अनुसार	-	660.35	4.97	61.21	170.33	1.64	49.18	2.09	5.15	2.04	-	17.73	2.01	-	976.70
परिवर्धन	-	-	(11.74)	(1.46)	(28.36)	0.05	-	(0.15)	(2.06)	(0.10)	-	(0.61)	(1.44)	-	(45.87)
विलोपन / समायोजन	30.32	3,305.50	308.81	440.64	1,050.86	26.79	150.58	18.08	18.37	18.07	-	232.93	16.96	-	5,617.91
31 मार्च 2018 के अनुसार															
संचित मूल्यह्रास और हानि															
01 अप्रैल 2016 के अनुसार	-	77.60	41.01	9.56	158.64	4.73	6.75	1.55	2.69	2.06	-	13.45	0.53	-	318.57
वर्ष के लिए शुल्क	-	96.46	35.39	16.26	160.17	4.40	9.10	1.82	4.10	2.29	-	15.59	5.62	-	351.20
हानि	-	-	-	-	1.60	-	-	-	-	-	-	0.56	-	-	2.16
विलोपन / समायोजन	-	-	-	0.02	12.96	0.22	0.01	0.76	(1.20)	0.01	-	0.47	-	-	13.25
31 मार्च 2017 के अनुसार	-	174.06	76.40	25.84	333.37	9.35	15.86	4.13	5.59	4.36	-	30.07	6.15	-	685.18
01.04.2017 के अनुसार	-	174.06	76.40	25.84	333.37	9.35	15.86	4.13	5.59	4.36	-	30.07	6.15	-	685.18
वर्ष के लिए शुल्क	-	150.87	36.44	15.54	127.51	4.73	12.33	1.70	3.29	2.21	-	17.98	0.87	-	373.47
हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.91	-	-	0.91
विलोपन / समायोजन	-	(1.28)	-	0.18	(28.30)	0.03	-	0.78	(2.63)	0.04	-	0.84	(0.55)	-	(30.89)
विलोपन / समायोजन	-	323.65	112.84	41.56	432.58	14.11	28.19	6.61	6.25	6.61	-	49.80	6.47	-	1,028.67
निवल वहन राशि															
31 मार्च 2018 के अनुसार	30.32	2,981.85	195.97	399.08	618.28	12.68	122.39	11.47	12.12	11.46	-	183.13	10.49	-	4,589.24
31 मार्च 2017 के अनुसार	30.32	2,471.09	239.18	355.05	575.52	15.75	85.54	12.01	9.69	11.77	-	185.74	10.24	-	4,001.90

टिप्पणी:

1. भूमि - अन्य में कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम,1957 तथा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1984 अंतर्गत अधिग्रहीत भूमि शामिल है ।

2. पट्टाधाक भूमि में कोयला धारक क्षेत्र(अधिग्रहण और विकास) अधिनियम,1957 तथा भूमि अधिग्रहण अधिनियम,1984,ओडिशा सरकार भूमि निपटान अधिनियम,1962 शामिल है। पट्टाधारक भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण तथा विकास) अधिनियम 1957 के तहत भूमि के स्वामित्व को उस हद तक स्थानांतरित करने के लए अधिसूचना के आधार पर पूँजीलकृत किया गया है,जिसके लिए स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त किया गया है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम,1894,ओडिशा सरकार भूमि निपटान अधिनियम,1962 को राज्य प्राधिकारी द्वारा अधिकार प्रमाणित होने पर पूँजीकृत किया गया है।

3.अधिकांश मामलों में कंपनी के पक्ष में भूमि के वाहनों का कार्य निष्पादन लंबित है।

4. कंपनी अधिनियम,2013 की अनुसूची-।। के अंतर्गत मूल्यहास से संबंधित जानकारी प्रदान की गई है। हालांकि,परिसंपत्ति के भिन्न वर्ग के भीतर इम्बेडेड कुछ लंबित परिसंपत्तियों के मूल्य को अलग करने के लिए तकनीकी मूल्यांकन की सहायता ली गई,कंपनी अधिनियम,2013 की अनुसूची-।। के अनुसार भिन्न तरह की संपत्तियों के लिए उनकी उपयोगिता के अनुसार उनका मूल्यह्रास किया गया ।

6 . चालू वित्तीय वर्ष के दौरान संपत्ति,संयंत्र और उपकरणों के संबंध में 0.91 करोड़ रुपए जो हानि हुई उसे लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया गया।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 4 : कैपिटल वैप

(₹ करोड़ में)

	भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों और कल्विर्ट सहित)	संयंत्र एवं उपकरणों	रेलवे साईडिंग	विकास	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:						
01 अप्रैल 2016 के अनुसार	244.62	349.46	41.42	232.06	-	867.56
परिवर्धन	93.19	196.90	42.28	916.24	0.20	1,248.81
पूंजीकरण	(83.71)	(82.66)	(5.04)	(5.45)	-	(176.86)
विलोपन / समायोजन	-0.38	(8.62)	(2.63)	0.79	-	(10.84)
31 मार्च 2017 के अनुसार	253.72	455.08	76.03	1,143.64	0.20	1,928.67
						-
01 अप्रैल 2017 के अनुसार	253.72	455.08	76.03	1,143.64	0.20	1,928.67
परिवर्धन	73.69	200.98	35.03	303.80	0.03	613.53
पूंजीकरण	(59.45)	(53.53)	-	(34.25)	-	(147.23)
विलोपन / समायोजन	(0.98)	(64.18)	1.68	(1.40)	-	(64.88)
31 मार्च 2018 के अनुसार	266.98	538.35	112.74	1,411.79	0.23	2,330.09
						-
संचित मूल्यह्रास और हानि						-
01 अप्रैल 2016 के अनुसार	-	11.88	-	-	-	11.88
वर्ष के लिए शुल्क	-	0.77	-	-	-	0.77
हानि	-	2.88	-	-	-	2.88
पूंजीकरण / विलोपन	- -	1.26	-	-	- -	1.26
31 मार्च 2017 के अनुसार	-	14.27	-	-	-	14.27
						-
01 अप्रैल 2017 के अनुसार	-	14.27	-	-	-	14.27
परिवर्धन	-	0.52	-	-	-	0.52
पूंजीकरण	-	-	-	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	(0.20)	-	-	-	(0.20)
31 मार्च 2018 के अनुसार	-	14.59	-	-	-	14.59
निवल वहन राशि						
31 मार्च 2018 के अनुसार	266.98	523.76	112.74	1,411.79	0.23	2,315.50
31 मार्च 2017 के अनुसार	253.72	440.81	76.03	1,143.64	0.20	1,914.40

1.संयंत्र एवं मशीनों के मद के मामलों मेन स्थापना लंबित खाते के कारण जिन्हे संयंत्र एवं मशीनों में रखा गया है इनके द्वारा मूल्यह्रास के समतुल्य का प्रावधान ताए यथा आवश्यक बट्टेखाते डालने के लिए कार्रवाई की जाती है । यदि संयंत्र एवं मशीन के कुल मद बाद में प्रयोग के लिए रखा जाता है जैसे प्रावधान करने के पश्चात प्रथम वर्ष के प्रयोग के बाद किए गए मूल्यह्रास वर्ष के लिए मूल्यह्रास है इसके अलावे मद के लिए लेखांकन समंजन के साथ प्रावधान मूल्यह्रास और इस प्रावधान के बीच है 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹ 0.52 करोड़ प्रावधान इस लेखा में किया गया है ।

2. उपरोक्त सक्षम परिसंपातियाँ जैसे राशि ₹ 966.95 करोड़ के रेलवे ट्रैक का विकास और अन्य खनन आधारभूत संरचना के तहत ₹ 157.72 करोड़ के बंकिबाहल से कनिका रेलवे साईडिंग तक दो लेन से चार लेन सड़क का चौड़ीकरण ।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 5 :अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	अन्वेषण और मूल्यांकन लागत
सकल वहन राशि:	
01.04.2016 के अनुसार	140.91
परिवर्धन	5.22
विलोपन / समायोजन	(19.69)
31 मार्च 2017 के अनुसार	126.44
01.04.2017 के अनुसार	126.44
परिवर्धन	15.83
विलोपन / समायोजन	-
31।मार्च 2018 के अनुसार	142.27
संचित प्रावधान और हानि	
01.04.2016 के अनुसार	-
वर्ष के लिए प्रभार	-
हानि	-
पूंजीकरण / विलोपन	-
31 मार्च 2017 के अनुसार	-
01.04.2017 के अनुसार	-
वर्ष के लिए शुल्क	-
हानि	-
पूंजीकरण / विलोपन	-
31 मार्च 2018 के अनुसार	-
निवल वहन राशि	
31.03.2018 के अनुसार	142.27
01.04.2017 के अनुसार	126.44

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी
टिप्पणी 6 : अन्य अमूर्त परिसंपातियाँ

(₹ करोड़ में)

	कंप्यूटर सॉफ्टवेर	कोल ब्लॉक विक्रय के लिए	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:				
01.04.2016 के अनुसार	0.51	4.91	-	5.42
परिवर्धन	0.22	-	-	0.22
विलोपन / समायोजन	(0.13)	-	- -	0.13
31 मार्च 2017 के अनुसार	0.60	4.91	-	5.51
01.04.2017 के अनुसार	0.60	4.91	-	5.51
परिवर्धन	-	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	(0.33)	-	(0.33)
31 मार्च 2018 के अनुसार	0.60	4.58	-	5.18
संचित परिशोधन और हानि				
01.04.2016 के अनुसार	0.04	-	-	0.04
वर्ष के लिए शुल्क	0.16	-	-	0.16
हानि	-	-	-	-
पूंजीकरण / विलोपन	-	-	-	-
31 मार्च 2017 के अनुसार	0.20			0.20
01.04.2017 के अनुसार	0.20	-	-	0.20
वर्ष के लिए शुल्क	0.15	-	-	0.15
हानि	-	-	-	-
पूंजीकरण / विलोपन	-	-	-	-
31 मार्च 2018 के अनुसार	0.35			0.35
निवल वहन राशि				
31.03.2018 के अनुसार	0.25	4.58	-	4.83
01.04.2017 के अनुसार	0.40	4.91	-	5.31

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 7 : निवेश

गैर चालू				(₹ करोड़ में) के अनुसार
	शेयरों की संख्या वर्तमान वर्ष/ (गत वर्ष)	**अंकित मूल्य प्रति शेयर की वर्तमान/ (गत वर्ष)वर्ष**	**31.03.2018**	**31.03.2017**
गैर व्यापार (उद्धत)				
सुरक्षित बांड में				
7.55 % सुरक्षित अपरिवर्तित आईआरएफसी कर-मुक्त 2021 सीरीज 79 बॉड	20000/(20000)	100000/ (100000)	200.00	200.00
8% सुरक्षित अपरिवर्तित आईआरएफसी कर-मुक्त बॉड	1087537/ (1087537)	1000/ (1000)	108.75	108.75
7.22 % सुरक्षित अपरिवर्तित आईआरएफसी कर-मुक्त बॉड	4999/(4999)	1000100/ (1000100)	499.95	499.95
7.22 % सुरक्षित प्रतिदेय आरईसी कर-मुक्त बॉड	1500000/ (1500000)	1000/ (1000)	150.00	150.00
कुल:			**958.70**	**958.70**
गैर उद्धृत निवेश की कुल राशि:			-	-
उद्धृत निवेश की कुल राशि:			**958.70**	**958.70**
उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य:			**993.40**	**995.19**
निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि:			-	-

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 7(ii)

निवेश
चालू

(₹ करोड़ में)

	इकाइयों की संख्या वर्तमान अवधि / (गत वर्ष)	एनएवी (₹ में)	**के अनुसार** 31.03.2018	31.03.2017
व्यापार (गैर उद्धृत)				
म्यूचुअल फ़ंड में निवेश				
केनारा रोबेको लिक्विड फंड	-/(69617.11)		-	7.00
एसबीआई प्रीमियर लिक्विड फंड	-/(1026663.34)		-	103.00
यूटीआई मनी मार्केट फंड	-/(902451.20)		-	92.00
कुल :			-	**202.00**
गैर उद्धृत निवेश की कुल राशि:			-	-
उद्धृत निवेश की कुल राशि:			-	202.00
उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य:			-	202.04
निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि:			-	-

टिप्पणी :उपरोक्तानुसार गैर-व्यापार(उद्धृत) म्यूचूअल फंड का प्रति यूनिट एनएव्ही अंकित मूल्य के बराबर हैं।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी- 8 :ऋण

(₹ करोड़ में)

		31.03.2018 के अनुसार		31.03.2017 के अनुसार
गैर-चालू				
संबंधित पार्टी को ऋण				
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-		-	
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-		1,200.00	
- संदेहास्पद	-		-	
घटाव: संदेहास्पद ऋण के लिए प्रावधान	-	-		1,200.00
कर्मचारियों के लिए ऋण				
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	0.82		1.06	
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-		-	
- संदेहास्पद	-		-	
घटाव: संदेहास्पद ऋण के लिए प्रावधान		0.82		1.06
अन्य ऋण (to be specified in note)				
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-		-	
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	1,000.00		-	
- संदेहास्पद	-		-	
घटाव: संदेहास्पद ऋण के लिए प्रावधान		1000.00		0.00
कुल		**1,000.82**		**1,201.06**
वर्गीकरण				
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया		0.82		1.06
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया		1,000.00		1,200.00
- संदेहास्पद		-		-
घटाव: संदेहास्पद ऋण के लिए प्रावधान		-		-
चालू				
संबंधित पार्टियों को ऋण				
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-		-	
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-		-	
- संदेहास्पद	-		-	
घटाव: संदेहास्पद ऋण के लिए प्रावधान		-		-
कर्मचारियों के लिए ऋण				
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	0.32		0.32	
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-		-	
- संदेहास्पद	-		-	
घटाव: संदेहास्पद ऋण के लिए प्रावधान		0.32		0.32
अन्य ऋण (to be specified in note)				
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-		-	
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-		-	
- संदेहास्पद	-		-	
घटाव: संदेहास्पद ऋण के लिए प्रावधान		-		-
कुल		**0.32**		**0.32**
वर्गीकरण				
- सुरक्षित, जिसे अच्छा समझा गया		0.32		0.32
- असुरक्षित, जिसे अच्छा समझा गया		-		-
- संदेहास्पद		-		-
घटाव: संदेहास्पद ऋण के लिए प्रावधान		-		-

टिप्पणी - 9 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ करोड़)

		31.03.2018 के अनुसार		31.03.2017 के अनुसार
गैर चालू				
बैंक में जमा		2.68		2.56
खदान बंदी योजना के तहत - बैंक में जमा		834.81		696.75
खदान बंदी खर्च के लिए एस्क्रो लेखा से प्राप्य		0.57		0.57
अन्य जमा (to be specified in note)	38.99		33.11	
घटाव: संदेहास्पद जमाओं हेतु प्रावधान	-	38.99	-	33.11
अन्य प्राप्तिया	0.16		0.16	
घटाव: प्रावधान	0.16	-	0.16	-
कुल		**877.05**		**732.99**
उधार राशि / उधार के खिलाफ मार्जिन धन या सुरक्षा के रूप में आयोजित सीमा तक बैंकों के साथ शेष		2.68		2.56

टिप्पणी:

1.कोयला मंत्रालय, भारत सरकार तथा बाद में कोयला नियंत्रक के साथ हुए करार के शर्तों के अनुसार आधिसूचित बैंक में 3 माह से अधिक अवधि तक ₹ 834.81 करोड़ की पूर्णता तक खनन निस्पादिता एसक्रो एकाउंट में जमा होता है ।

2. बैंक में जमा ₹ .1.91 करोड़ जिनमें ब्याज की राशि ₹ . 1.32 करोड़ है वह विसिष्ट शर्तों के अनुसार जमा है जो जिला कोर्ट सुंदरगढ़ के अंतर्गत विचारधीन है जिसे एक अधिकारी द्वारा विचार किया गया है और कोर्ट द्वारा जबतक अंतिम निर्देश आ जाता तबतक इस राशि की निकासी नहीं की जा सकती ।

3.बैंक में जमा जिसमें ₹. 0.03 करोड़ समाविष्ट है उसे बीजी के लिए मोबाइल रेडियो, जिसकी आपूर्ति दूर संचार विभाग भारत सरकार करता है और ओआईटीडीएस के प्रयोजन हेतु इसे जारी किया जाता है ।

4. बैंक में जमा ₹ 0.74 करोड़ एमआईएमएसआर के लिए टीएएमडीए को जारी किया जाता है जो संस्थान निर्माण योजना हेतु प्राप्त अनुमोदन से वहाँ किया जाता है ।

	31.03.2018	31.03.2017
5.अन्य जमा :-		
विद्युत आपूर्ति उपक्रम	36.30	31.66
सुरक्षा एवं अन्य जमा	0.06	0.06
पी अँड टी विभाग	0.03	0.03
गैस कंपनी एवं अन्य के साथ जमा	1.85	0.61
ओडिशा के जल ससाधन विभाग को आवेदन शुल्क का भुगतान किया गया (एमबीपीएल)	0.75	0.75
	38.99	33.11

टिप्पणी - 9 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

		31.03.2018 के अनुसार		31.03.2017 के अनुसार
चालू				
सीआइएल के साथ अधिशेष फंड		-		53.94
खदान बंदी खर्च के लिए एस्क्रो लेखा से प्राप्त		-		-
सहायक कंपनियों के साथ चालू खाता		-		-
दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता		-		300.00
ब्याज पर अर्जित				
- निवेश		31.35		31.29
- बैंक में जमा		369.71		570.77
- अन्य		4.68		2.78
अन्य जमा (to be specified in note)	-		-	
घटाव: संदेहास्पद जमाओं हेतु प्रावधान	-	-	-	-
प्राप्य दावा	293.89		0.30	
घटाव: संदेहास्पद जमाओं हेतु प्रावधान	-	293.89		0.30
अन्य प्रात्य	3.41		2.82	
घटाव: संदेहास्पद दावा हेतु प्रावधान	0.76	2.65	-	2.82
कुल		**702.28**		**961.90**

टिप्पणी:

	31.03.2018	31.03.2017
1.अन्य प्राप्तिया		
बाहरी लोगों से वसूली योग्य किराया	1.71	1.48
विद्युत वसूली योग्य	0.39	0.58
अन्य प्राप्तियोग्य (पानी की आपूर्ति की ओर)	0.34	0.70
अन्य	0.97	0.01
	3.41	2.77

2.राज्य सरकार से डीएमएफ़ के तहत ₹.293.79 करोड़ प्राप्ति योग्य जिसे प्राप्ति योग्य दावों में शामिल किया गया है जो पहले से सरकार के पास जमा किया गया है यह सर्बोच्च न्यायालय आदेश के तहत कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सीएसआर837 (ई) इसकी प्रभावी तिथि 20.10.2015 से 12.01.2015 की गई है।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी- 10 : अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 के अनुसार		31.03.2017 के अनुसार	
(i) पूंजीगत अग्रिम	295.79		374.46	
घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	0.55	295.24	0.55	373.91
(ii)पूंजीगत विकास के अलावा अन्य अग्रिम				
(क)उपयोगिताओं के लिए सुरक्षा जमा	0.01		0.01	
घटाव: संदेहास्पद दावा हेतु प्रावधान	-	0.01	-	0.01
(ख) अन्य जमा (to be specified in note)	9.76		8.59	
घटाव: संदेहास्पद दावा हेतु प्रावधान	-	9.76	-	8.59
(ग)संबंधित पार्टियों को अग्रिम		-		-
(घ) राजस्व के लिए अग्रिम	-		-	
घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-	-	-
(ङ)अनवेष्नात्मक ड्रिलिंग कार्य	-		-	
घटाव: प्रावधान	-	-	-	-
(f) प्रीपेड खर्चे		-		0.07
(g)अन्य				
कुल		305.01		382.58

टिप्पणी

वर्गीकरण

	31.03.2018	31.03.2017
असुरक्षित - अच्छा माना जाता है	304.46	382.03
- संदेहास्पद माना जाता है	0.55	0.55

	31.03.2018	31.03.2017
अन्य जमा:-		
न्यायालयों में जमा	6.45	6.33
सरकारी प्राधिकरण में जमा	3.31	2.26
	9.76	8.59

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी
टिप्पणी-11 :अन्य चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 के अनुसार		31.03.2017 के अनुसार	
(क) राजस्व के लिए अग्रिम	228.94		227.86	
घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	4.90	224.04	2.16	225.70
(ख) वैधानिक बकाया का अग्रिम भुगतान	24.48		27.99	
घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	24.48	-	27.99
(ग) संबंधित पार्टियों को अग्रिम		-		-
(घ) कर्मचारियों के लिए अग्रिम	101.95		5.66	
घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	0.03	101.92	0.03	5.63
(ङ) अन्य-अग्रिम (to be specified in note)	2.28		-	
घटाव: संदेहास्पद दावा हेतु प्रावधान	-	2.28	-	-
(च) उपयोगिताओं के लिए जमा	-		-	
घटाव:प्रावधान	-	-	-	-
(च) उपयोगिताओं के लिए जमा	832.10		684.72	
घटव:प्रावधान	-	832.10	-	684.72
(ज) केनवट क्रेडिट प्राप्य		-		76.04
(झ) इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य		195.62		
(j) मैट क्रडिट एंटाईटलमेंट		-		-
(ञ) प्रीपेड खर्चे		12.45		12.86
(ट) अन्य - प्राप्तियों	-		-	
घटाव: प्रावधान	-	-	-	-
कुल		**1,392.89**		**1,032.94**

टिप्पणी:

1 अन्य जमा:

विरोध के तहत बिक्री कर जमा	31.41	43.86
विरोध के साथ केंद्रीय उत्पाद शुल्क जमा	2.89	2.88
विरोध के साथ सेवा कर एवं उसपर ब्याज जमा	0.41	0.26
विरोध के साथ सेवा कर पर जुर्माना जमा	0.04	0.04
विरोध के साथ जल सेस / प्रभारजमा	-	-
विरोध के साथ आय कर जमा	797.35	637.68
	832.10	684.72

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 12 :वस्तुसूची

(प्रबंधन द्वारा लिया गया, मूल्यवान एवं प्रमाणित)

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 के अनुसार		31.03.2017 के अनुसार	
(क) कोयले का भंडार	400.78		254.70	
विकासाधीन कोयला	-		-	
	400.78		254.70	
घटाव : प्रावधान	-		-	
कोयले का स्टॉक (निवल)		400.78		254.70
(ख) भंडार एवं पुर्जों का स्टॉक (लागत)	75.72		78.54	
जुड़ावो : मार्गस्थ भंडार	14.23		0.96	
घटाव:प्रावधान	26.57		19.89	
भंडार एवं पुर्जे का निवल स्टॉक(लागत पर)		63.38		59.61
(ग) **केन्द्रीय अस्पताल में औषधियों का स्टॉक**		0.76		1.11
(घ) कर्मशाला संबंधी कार्य :				
कार्य-प्रगति-पर एवं तैयार माल	9.84		**6.71**	
घटाव : प्रावधान	-		-	
कर्मशाला कार्यों का निवल स्टॉक		9.84		6.71
(ङ) प्रेस कार्य:				
कार्य-प्रगति-पर एवं तैयार माल		-		-
		474.76		**322.13**

1.वर्ष के दौरान भंडार/पूर्जो के वास्तविक जांच में किसी तरह की कमी/अधिकता नहीं पायी गई है। 31.03.2018 को संचयी प्रावधान रु.0.98 करोड(31.03.2017 को रु.0.90 करोड़) हो गया है।

2.उपयुक्त/ मरम्मत के अयोग्य मदों वाले भंडार एवं पूर्जे तथा वे पूर्जे जिनका प्रयोग 5 वर्षों से नहीं किया गया है, के संबंध में क्रमश: 100 % एवं 50 % का प्रावधान लेखांकन नीति के अनुसार रखा गया है। 31.03.2018 को संचयी प्रावधान रु. 25.38 करोड़ (31.03.2017 को रु.18.68 करोड़) हो गया है।

3.31.03.2018 को परिसंपतियों में हानि के लिए प्रावधान में ₹.0.23 करोड़ (31.03.2017 के लिए ₹ 0.23 करोड़) रखा गया है ।

4.कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार औसत वजन तरीके के से भंडार एवं पूर्जों का मूल्यांकन किया गया है। शुद्ध कार्यान्वयन मूल्य की सुनिश्चितता में कठिनाई के चलते शुद्ध कार्यान्वयन मूल्य के साथ प्राप्त लागत को लेखा में न तो रखा गया है न समंजित किया गया है।

अनुलग्नक टिप्पणी - 12

(मात्रा लाख टन में, मूल्य लाख रु. में)

तालिका:क

वर्ष के अंत के किताबी स्टॉक के साथ लेखा में अपनाई गई अंतिम स्टॉक का मिलान

	समय स्टॉक		विक्रय के अयोग्य स्टॉक		विक्रय योग्य स्टॉक	
	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य
1. (क) 01.04.17 को प्रारंभिक स्टॉक	63.87	27654.17	-	-	63.87	27654.17
(ख) 5% से अधिक कमी	1.19	2184.54	-	-	1.19	2,184.54
लेखा में अपनाए गए स्टॉक	62.68	25,469.63			62.68	25469.63
2. अवधि के दौरान उत्पादन	1430.58	1,381,827.81	-	-	1430.58	1381827.81
3. उप जोड़ (1क+2)	1,494.45	1,409,481.98	-	-	1,494.45	1,409,481.98
4. अवधि के दौरान ऑफ-टेक						
(क) बाहर प्रेषण	1382.62	1367332	-	-	1382.62	1367332.00
(ख) वाशरियों के लिए कोयला	-	-	-	-	-	-
(ग) स्वखपत	0.05	95.67	-	-	0.05	95.67
कुल(क)	1,382.67	1,367,427.67	-	-	1382.67	1367427.67
5. व्युत्पन्न स्टॉक	111.78	42,054.31	-	-	111.78	42054.31
6. मापी गई स्टॉक	110.23	39,902.29	-	-	110.23	39902.29
7. अंतर (5-6)	1.55	2,152.02	-	-	1.55	2,152.02
8. अंतर का वर्गीकरण:						
(क) 5% के भीतर	0.57	168.02	-	-	0.57	168.02
(ख) 5% के भीतर कमी	0.95	343.64	-	-	0.95	343.64
(ग) 5% से अधिक	-	-	-	-	-	-
(घ) 5% से अधिक कमी	1.17	1,976.40	-	-	1.17	1,976.40
9. लेखा में अपनाई गई अंतिम स्टॉक (6-8क+8ख)	110.61	40,077.91	-	-	110.61	40077.91

कोयले के अंतिम स्टॉक का सारांश

	कच्चा कोयला				परिष्कृत कोयला/अपरिष्कृत कोयला				कुल	
	कोकिंग		नन-कोकिंग		कोकिंग		नन-कोकिंग			
	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य
प्रारंभिक स्टॉक (लेखा-परीक्षित)	-	-	63.87	27,654.17	-	-	-	-	63.87	27,654.17
5% से अधिक कमी			1.19	2,184.54					1.19	2,184.54
घटाव: विक्रय के अयोग्य कोयला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समजित प्रारंभिक (स्टॉक)	-	-	62.68	25,469.63	-	-	-	-	62.68	25,469.63
उत्पादन	-	-	1,430.58	1,381,827.81	-	-	-	-	1,430.58	1,381,827.81
ऑफ टेक										
(क) बाहर प्रेषण	-	-	1,382.62	1,367,332.00	-	-	-	-	1,382.62	1,367,332.00
(ख) वाशरियों में कोयला खपत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ग) स्वखपत	-	-	0.05	95.67	-	-	-	-	0.05	95.67
समापन स्टॉक व्युत्पन्न	-	-	111.78	42,054.31	-	-	-	-	111.78	42,054.31
घटाव: कमी	-	-	1.17	1,976.40	-	-	-	-	1.17	1,976.40
अधिक			-	-						
अंतिम स्टॉक	-	-	110.61	40,077.91	-	-	-	-	110.61	40,077.91

आंतरिक सर्वेक्षण मापन दल ने कोयले के अंतिम स्टाक की वास्तविक जॉच की है। कुछ क्षेत्रों में इसे बाहरी दल के द्वारा समीक्षा की गई है। वास्तविक जॉच में यदि बुक स्टाक से +/- 5% तक का अंतर होता है तो लेखांकन नीति के तहत उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

5% से अधिक की कमी का विवरण नीचे दिया गया है:

क्षेत्र	खदान	बुक स्टॉक (परिमाण टन में)		मापे गए स्टॉक (परिमाण टन में)		% वेरियंस	
		31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
ओरियंट	खदान संख्या -3	0.12	0.20	-	0.08	100.00	58.98
	एचबीएम-जी 9	0.30	0.30	-	-	100.00	100.00
तालचेर	नंदिरा - जी 8	0.50	0.50	-	-	100.00	100.00
	तालचेर - जी 5	0.25	0.75	-	0.48	100.00	36.45
कुल		**1.17**	**1.75**	-	**0.56**	-	-

उस मामले में जब अंतर +/- 5% से अधिक है, पॉलिशी के मुताबिक मापे गए स्टॉक को लेखा में लिया जाता है। दिनांक 31.03.2018 के मुताबिक अंतर 5% की स्थिति में 1.17 लाख टन के परिमाण के लिए रु.19.76 करोड के अंतर के मूल्य को लेखा में शामिल किया गया।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 13 : व्यापार से प्राप्य

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 के अनुसार		31.03.2017 के अनुसार	
चालू				
व्यापार से प्राप्य				
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-		-	
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	606.86		1054.44	
- संदेहास्पद	30.14		109.53	
घटाव : संदेहास्पद ऋण एवं बैड हेतु प्रावधान	30.14	606.86	109.53	1054.44
कुल		**606.86**		**1054.44**
टिप्पणी:				
देय तिथि से छह महीने से कम अवधि के लिए बकाया ऋणी	440.84		960.92	
देय तिथि से 6 माह से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण	166.02		93.52	
- संदेहास्पद	30.14		109.53	
		637.00		**1163.97**

टिप्पणी:

कोई व्यापार या अन्य प्राप्तियां कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से अलग-अलग या संयुक्त रूप से किसी दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं हैं, न ही किसी भी व्यापार या अन्य प्राप्य कंपनियों या निजी कंपनियों के क्रम में क्रमशः देय हैं, जिसमें कोई निदेशक भागीदार, एक किसी भी समय 3 महीने से कम समय में देनदारों से शेष राशि प्राप्त नहीं की जा रही है।

टिप्पणी 21 के प्रावधानों में ₹. 173.45 करोड़ (31.03.2017 को ₹. 80.77 करोड़) का स्वीकृति कोयला की गुणवत्ता में अंतर के लिए रखा गया है यह रेफरि संप्लर के नमूना जांच के परिणाम के लिए हैं तथा टिप्पणी 21 के प्रावधानों में दिखाया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी- 14 : नगद एवं नगदी के समांतर

(₹ करोड़)

	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
(क) बैंक में नगद		
- जमा खातों में		
(परिपक्वता के साथ 3 महीने तक)	-	-
- चालु लेखा में		
क.ब्याज सहित(सीएलटीडी लेखा इत्यादि)	119.77	95.11
ख. गैर ब्याज असर	85.72	277.44
- नगद जमा लेखा में	-	-
(ख) भारत से बाहरी बैंक में नकद	-	-
(ग) हाथ में चेक, ड्राफ्ट एवं स्टाम्प	-	-
(घ) हाथ में नगद	-	-
(ङ) भारत के बाहर हाथ में नगद	-	-
(च) अन्य	-	-
कुल नकद और नकद समतुल्य	205.49	372.55
बैंक ओवरड्राफ्ट	-	-
कुल नकद और नकद समतुल्य (बैंक ओवरड्राफ्ट का नेट)	205.49	372.55
अवधि के दौरान अनुसूचित बैंकों के अलावा किसी भी समय बैंकों के साथ अधिकतम बकाया राशि	शून्य	शून्य

टिप्पणी:

1 नगद और नगद समतुल्यों में हाथ और बैंकों में, स्वीप अकाउंट्स और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता वाले बैंकों के साथ सावधि जमा शामिल है।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 15 : अन्य बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार	
बैंक में शेष			
- जमा लेखा			
क. सावधि जमा ((परिपक्वता के साथ 3 महीने तक)	13,096.76	14,662.94	
ख. सीएलटीडी लेखा	71.55	78.68	
खदान बंद योजना	-	-	
- स्थानांतरण और पुनर्वास निधि योजना	-	-	
अभुक्त लाभांश लेखा	-	-	
- लाभांश लेखा	-	-	
कुल	**13,168.31**	**14,741.62**	
बैंकों के साथ शेष राशि को उधार लेने के लिए धन सीमा तथा सुरक्षा के रूप में रखा गया है ।	34.75	34.06	184.74

टिप्पणी:

1. अन्य बैंक बैलेन्स में सावधी जमा और अन्य बैंक जमा शामिल होते हैं जो की प्रतिवेदन की प्रारंभिक तिथि से 12 महीनो के भीतर नगद के रूप में वसुल किए जाने आपेक्षित है ।

2. अदालत के आदेशानुसार वर्ष 2005-06 में बारूद दर के अनुबंध के मुकाबले ₹ 0.04 करोड़ वसूल किए गए थे।

3. मेसर्स आईआरसी लोजिस्टिक लिमिटेड के बीजी के नकदीकरण के लिए माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के मुकाबले निर्धारित जमा में ₹ 0.19 करोड़ शामिल है ।

4. माननीय उच्च न्यायालय कटक के अंतरिम आदेश के अनुसार मेसर्स वीडियोकॉन इंडस्ट्री लिमिटेड के संबंध में कंपनी द्वारा बीजी नकदी करण(एफ़एसए) के मुकाबले निर्धारित ₹ 8.26 करोड़ आरक्षित जमा शामिल है ।

5. सावधि जमा में मेसर्स श्री महावीर फेरो अल्लोयस प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में कंपनी द्वारा 40% टपेरिंग मनी के लिए ₹ 0.16 करोड़ की राशि शामिल है । माननीय उच्च न्यायालय कटक के आदेशानुसार वर्ष 2015 की रिट याचिका संख्या 3109 के अंतिम परिणाम तक शामिल है ।

6. माननीय उच्च न्यायालय कटक (ओड़िशा) के अंतरिम आदेश के खिलाफ ₹ 5.97 करोड़ मुआवजे के जमा राशि के तहत शामिल है अर्थात विवादित भूमि में शामिल मुआवजे की शेष राशि को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है ।

7. मेसर्स एमसीएल- केएसआईपीएल जेवी द्वारा प्रस्तुत बीजी के नगदीकरण के संबंध में ओड़िशा के माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ₹ 1.06 करोड़ की सावधि जमा शामिल है ।

8. भारतीय स्टेट बैंक के धरनाधिकार के अधीन ₹ 13.35 करोड सावधि जमा रखा गया है जो भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में बैंक गारंटी के अनुदान के लिए अनुषंगी कंपनी मेसर्स एमजेएसजे कोल लिमिटेड की और से ब्लॉक आवंटन की शर्तों को पूरा करने के लिए आश्वासन पत्र जारी करता है ।

9. न्यायालय के आदेशानुसार वर्ष 2005-06 में बारूद दर अनुबंध के लिए प्राप्त मूल्य में अंतर हेतु ₹ 5.73 करोड़ सावधि जमा शामिल है ।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी- 16 :इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
अधिकृत		
₹1000 प्रत्येक का 77,58,200 इक्विटी शेयर	775.82	295.82
	775.82	**295.82**
निर्गत, अभिदत्त एवं प्रदत्त		
प्रत्येक 1000 रुपये के 7061330 इक्विटी शेयर प्रत्येक नगद के रूप से प्रदत्त	706.13	141.23
	706.13	**141.23**

टिप्पणी:

1 कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक के शेयर

शेयरधारकों के नाम	**शेयरधारकों की संख्या (1000 रूपए प्रत्येक का)**	**कुल शेयरों का प्रतिशत**
कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसके नामित	7061330	100

2 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के दौरान समूह ने पूर्ण प्रदत्त मौजूदा इक्विटी शेयर के प्रत्येक सदस्य के लिए ₹ 1000 के अंकित मूल्य के 04 प्रदत्त इक्विटी शेयर, जारी किया है ।

3 समूह के पास सिर्फ एक ही श्रेणी के इक्विटी शेयर है जिनका अंकित मूल्य प्रति शेयर ₹ 1000 है इक्विटी शेयर धारक समय-समय पर घोषित लाभांश को प्राप्त करने एवं शेयर धारकों की बैठक में उनके शेयरों के लिए मतदान करने का अधिकारी है ।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 17 : अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

	अन्य रिजर्व					
	कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व	पूंजीगत रिजर्व	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	अन्य व्यापक आय	कुल
01.04.2016 के अनुसार शेष	**204.18**	**-**	**3,470.32**	**583.66**	**11.99**	**4,270.15**
लेखांकन नीति में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-
पूर्व अवधि त्रुटियाँ	-	-	-	(7.86)	-	**(7.86)**
01.04.2016 के अनुसार पुनःघोषित शेष	**204.18**	-	**3,470.32**	**575.80**	**11.99**	**4,262.29**
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**45.17**	-	-	-	-	**45.17**
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	(1,617.06)	-	-	**(1,617.06)**
वर्ष के दौरान लाभ	-	-	-	4,510.65	-	**4,510.65**
वर्ष के दौरान अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	(0.92)	**(0.92)**
विनियोग	-	-	-	-	-	-
सामान्य रिजर्व में / से स्थानांतरण	-	-	224.55	(224.55)	-	-
अन्य रिजर्व में / से स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	(2,982.00)	-	**(2,982.00)**
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	(607.06)	-	**(607.06)**
वापसी खरीद पर कर	-	-	-	(362.67)	-	**(362.67)**
31.03.2017 के अनुसार शेष	**249.35**	**-**	**2,077.81**	**910.17**	**11.07**	**3,248.40**
01.04.2017 को अनुसार शेष	**249.35**	**-**	**2,077.81**	**910.17**	**11.07**	**3,248.40**
वर्ष के दौरान बृद्धि	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	(249.35)	-	(315.55)	-	-	**(564.90)**
लेखांकन नीति में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-
पूर्व अवधि त्रुटियां		-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान लाभ	-	-	-	4,758.51	-	**4,758.51**
वर्ष के दौरान अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	**17.88**	**17.88**
विनियोग	-	-	-	-	-	-
सामान्य रिजर्व में / से स्थानांतरण	-	-	238.06	(238.06)	-	-
अन्य रिजर्व में / से स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	(4,350.00)	-	**(4,350.00)**
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	(885.56)	-	**(885.56)**
इक्विटी शेयरों की वापसी	-	-	-	-	-	-
वापसी खरीद पर कर	-	-	-	-	-	-
31.03.2018 के अनुसार	**0.00**	**-**	**2,000.32**	**195.06**	**28.95**	**2,224.33**

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 18: उधारी

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
गैर-चालू		
अवधि ऋण		
-बैंकों से	6.50	6.13
-अन्य पार्टियों से	-	-
संबंधित पार्टियों से ऋण	-	-
अन्य ऋण (to be specified in note)	-	-
कुल	6.50	6.13
वर्गीकरण		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	6.50	6.13
चालू		
मांग पर लौटाने वाले ऋण		
-बैंकों से	-	1,500.00
-अन्य पार्टियों से	-	-
संबंधित पार्टियों से ऋण	-	700.00
अन्य ऋण (to be specified in note)	-	-
कुल	-	2,200.00
वर्गीकरण		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-

टिप्पणी:

1.फ्रांस के लेबेरर से 4 हाइड्रोलिक शोवेल की खरीद के लिए नेशनल बैंक ऑफ पेरिस और नैटेक्सिस बैंक के साथ समझौते के माध्यम से ऋण की व्यवस्था की गई थी। 31.03.2018 (पुनर्भुगतान के बाद शुद्ध) में ₹ 7.0 9 करोड़ ऋण बकाया है। (जो 31.03.2017 को ₹ 6.64 करोड़ था)।

शेष का विवरण निम्न प्रकार है: -

	यूरो	₹ करोड़ में
01.04.2017 को शेष	956,737.96	6.64
31.03.2018 को समाप्त वर्ष के दौरान किया गया पुनःभुगतान	74,113.58	0.57
विनिमय अंतर	-	1.02
01.04.2018 को शेष	882,624.38	7.09
₹ 7.09 करोड़ के बकाया के साथ ₹ 0.59 करोड़ के दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता ।		

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 19 :भुगतान योग्य व्यापार

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
चालू		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए व्यापार भुगतान	0.92	1.26
व्यापार के लिए अन्य भुगतान		
-भंडार और पुर्जों	44.34	41.52
-ऊर्जा एवं ईंधन	2.21	0.51
-अन्य ve major breakup in note)	525.22	360.86
कुल	**572.69**	**404.15**

टिप्पणी:

अन्य: (प्रमुख आइटम)		
कोयला परिवहन प्रभार	193.23	144.96
बकाया व्यय-राजस्व	291.77	194.56
सीएमपीडीआईएल	37.73	35.27
	522.73	**374.79**

एमएसएमई को बकाया राशि और ब्याज यदि कोई हो, की समय वृद्धि

अवधि	**31.03.2018**	**31.03.2017**
15 दिनों के भीतर बकाया	0.34	0.42
16 से 30 दिनों के भीतर बकाया राशि	0.41	0.43
31 से 45 दिनों के भीतर बकाया राशि	-	0.08
45 दिनों से अधिक बकाया राशि	0.17	0.33
कुल एमएसएमई लेनदारों	**0.92**	**1.26**

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 20 : अन्य वित्तीय दायिताएं

(₹ करोड़)

	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
गैर चालू		
सुरक्षा जमा	40.48	34.76
अग्रिम राशि	-	-
अन्य(सुरक्षा जमा-मैनेजमेंट ट्रेनी)	4.60	5.43
	45.08	**40.19**
चालू		
- चालू खाते		
- सीआईएल	27.95	-
- अनुषंगी	-	-
- अल्पसंख्यक शेयरधारकों	0.03	0.03
दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता	0.59	0.51
अप्रदत्त लाभांश	-	-
सुरक्षा जमा	120.51	105.75
अग्रिम धन	39.80	49.16
वेतन, मजदूरी और भत्ते के लिए देयता	211.62	168.61
अन्य	227.99	187.04
कुल	**628.49**	**511.10**

टिप्पणी:

1.वित्तीय वर्ष 2018-19 को समाप्त वर्ष के दौरान लिवेर,फ्रांस को ऋण का पुनःभुगतान	74113.58 योरो	0.59 करोड़

2.अन्य (चालू):-

ऊर्जा एवं ईंधन	15.05	16.19
मरम्मद एवं अनुरक्षण ₹ 52.18 करोड़, ठेकेदारों को भुगतान /बिल /ओबीआर कार्य ₹ 13.13 करोड़ डैमरेज-₹ 1.55 करोड़ बिजली,बेतन, तिमाही बोनस ₹ 0.50 करोड़ लेखापरीक्षा शुल्क एवं ब्यय ₹ 0.46 करोड़ साइडिंग रखरखाव-₹ 1.16 करोड़ जीपीएस आधारित ओआईटीडीएस प्रणाली का रखरखाव-₹2.44 करोड़	71.52	67.00
अन्य- (प्रमुख मद) साइलो प्रोजेक्ट (लिंगराज) के लिए मेसर्स एल अँड टी राशि को रोकना -₹ 31.75 करोड़ सीआईएसपीए - ₹ 3.48 करोड़ ठेकेदारों की राशि को रोकना -₹ 60.15 करोड़ सुरक्षा जमा (विस्फोटक)-₹ 25.06 करोड़ स्टाल चेक/रिटर्न चेक रद्द चेक-₹ 7.51 करोड़ स्क्रेप/डिस्कार्ड/सर्वे ऑफ परिसंपातियाँ के विक्रय पर जमा -₹ 6.77 करोड़	137.65	98.47
सुरक्षा जमा-मैनेजमेंट ट्रेनी	3.77	5.38
कुल	**227.99**	**187.04**

टिप्पणी - 21 : प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
गैर चालू		
कर्मचारी हितलाभ		
ग्रैच्युटी	-	-
छुट्टी नकदीकरण	10.75	75.55
- अन्य कर्मचारी हितलाभ	63.76	128.18
	74.51	203.73
साइट बहाली/खदान बंदी	773.97	729.59
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	16,801.98	15,801.34
अन्य	-	-
कुल	**17,650.46**	**16,734.66**
चालू		
कर्मचारी हितलाभ		
ग्रैच्युटी	202.37	48.41
छुट्टी नकदीकरण	25.45	21.56
अनुग्रह राशि	118.15	109.75
- पीआरपी	97.95	138.15
- अन्य कर्मचारी हितलाभ	244.37	152.42
- एनसीडबल्यूए - 10	303.06	146.37
- अधिकारी वेतन संशोधन	103.71	9.78
	1,095.06	626.44
कोयले के समापन स्टॉक पर उत्पाद शुल्क	-	39.33
कोयला गुणवत्ता भिन्नता	173.45	80.77
अन्य (to be specified in note)	66.05	283.91
कुल	**1,334.56**	**1,030.45**

टिप्पणी:-

1 **विभिन्न प्रावधानों की स्थिति नीचे दी गई है:**

क्रमांक	प्रावोधान	01.04.2017 को सरूआती शेष	योग/वर्ष के दौरान पनः जोड़ना	वर्ष के दौरान भगतान / समायोजित	30.09.2017 को समाप्त शेष
i	ग्रैच्युटी के लिए (एकचूरियल)	-8.55	377.51	223.95	145.01
	ग्रैच्युटी के लिए	56.96	34.52	34.12	57.36
ii	छुट्टी नकदीकरण के लिए (एकचूरियल)	97.11	-10.31	51.62	35.18
	छुट्टी नकदीकरण के लिए	-	1.02	-	1.02
iii	अन्य कर्मचारी हितलाभ	280.44	32.91	5.22	308.13
iv	ओबीआर समायोजन खाते के लिए	15,801.34	1,000.65	-	16,801.98
v	खदान बंद योजना के लिए	728.80	44.38	-	773.18
vi	भूमि के सुधार के लिए	0.79	-	-	0.79

2.खदान बंदी के लिए प्रावधान
खदान बंदी योजना को बनाने के संबंध में कोयला मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए एक प्रावधान किया गया। एसे प्रावधान सीएमपीडीआईएल (कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी) के तकनीकी मुल्याकन के अनुसार बनाए जाते हैं । प्रत्येक खदान बंदी व्ययों के लिए (सीएमपीडीआई द्वारा यथा मूल्यांकित) के लिए देयता में 8% की छुट दी गई है तथा एसे प्रावधान के बनने के 01 साल तक खदान बंदी देयता को पूंजीकृत किया गया है। 31.03.2018 के अनुसार प्रावधानों को पूरा करने के लिए डिस्काउंट को अनदेखा करके अनुवर्ती वर्ष में प्रावधान का पुनःमूल्यांकन किया गया है।

3. खदान बंदी व्यय के प्रावधान में ₹ 9.44 करोड़ की व्यापक योजना के तहत ₹ 0.23 करोड़ वेतन और मजदूरी के अलावा वर्तमान अवधि व्यय को समायोजित करने के उपरांत (विभागीय वेतन को छोड़ कर और ₹ 18.21 करोड़ के लिए मंजूरी) में देउलबेरा कोलियारी में अस्थिर काम काज की रोक थाम और उन में स्थिरीकरण के लिए ₹ 4.42 करोड़ का प्रावधान किया गया है । बालू भरण के माध्यम से देउलबेरा कोलियारी के अस्थिर कामकाज के स्थिरीकरण की योजना में शामिल किया गया जिसमें ₹.18.21 करोड़ का अनुमानित विभागीय श्रम शक्ति की लागत को शामिल नहीं किया गया क्योंकि लाभ और हानि के लिए सामान्य वेतन और मजदूरी का एक ही रूप है (गैर चालू) ।

4. 31.03.2018 के तहत कर्मचारियों के अन्य हित लाभ (चालू) जिसमे सेवानिवृत लाभ के लिए 9.84 % की दर से ₹ 154.34 करोड़ प्रावधान किया गया ।

5. गैर कार्यकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय कोयला मजदूर समझौता (एनसीडबल्यूए -X) दिनांक 01.07.2016 से प्रभावी होगा एवं जो 10 अक्टूबर 2017 तक अंतिम रूप दिया गया तथा एनसीडबल्यूए-X के अनुसार गैर सरकारी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान अक्टूबर 2017 से प्रारम्भ किया जा चुका है । एनसीडबल्यूए -X के तहत वकाया राशि 01.04.2017 से 30.09.2017 तक ₹.156.70 करोड़ का प्रावधान किया गया, जो 01.07.2016 से 30.09.2017 तक की कुल अवधि हेतु कुल प्रावधान ₹.303.06 करोड़ बनता है तदर्थ भुगतान के रूप में ₹ 95.51 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान टिप्पण- 11 में अग्रिम के रूप में दर्शाया गया है ।

6. भारत सरकार द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों के तहत सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के कार्यालय ज्ञापन (एमओ) सख्या. W-02/0028/2017-DPE(WC)-GL-XIII/17 दिनांक 3 अगस्त,2017 को परिसंचालित किया गया जिसमें बोर्ड स्तर के अधिकारियों और बोर्ड स्तर के नीचे के अधिकारियों और गैर संघीय पर्यावेक्षकों (सीपीएसई) के वेतन और भर्ते में संशोधन किया गया जो 01.01.2017 से प्रभावी है।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी- 22 :अन्य गैर चालू दायिताएँ

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
स्थगित आय (सीसीडीए अनुदान)	208.58	176.83
कुल	**208.58**	**176.83**

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 23 : अन्य चालू दायिताएँ

(₹ करोड़)

	31.03.2018 के अनुसार		**31.03.2017 के अनुसार**	
पूंजीगत व्यय		911.13		640.96
वैधानिक बकाया:				
सामान और सेवा कर	135.98		-	
जीएसटी क्षतिपूर्ति सेस	546.51		-	
विक्रय कर/ वैट	1.48		11.02	
भविष्य निधि और अन्य	12.68		8.62	
सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी	-		6.92	
रॉयल्टी और कोयला पर सेस	54.13		51.52	
स्टोसिंग एक्साइज ड्यूटी	0.00		37.70	
स्वच्छ ऊर्जा सेस	0.00		791.77	
राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट	2.56		3.20	
जिला खनिज फाउंडेशन	29.51		46.43	
अन्य वैधानिक लेवी	0.40		2.84	
आयकर कटौती / स्रोत पर एकत्रित	10.06	793.31	3.45	963.47
ग्राहकों से अग्रिम/ अन्य		2022.11		2325.03
लाभांश वितरण पर कर		-		-
अन्य देयताएं (to be specified in note)		30.52		29.80
कुल		**3,757.07**		**3,959.26**

टिप्पणी:

ओड़िशा सरकार से प्राप्ति की तुलना में दिनांक 31.7.2001 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के निर्देश के अनुसार वर्ष 2005-06 में अन्य देयताओं में कोयले पर उपकर में ₹ 8.40 करोड़ (निवल भुगतान) और 9.47 करोड़ (निवल भुगतान) का ब्याज शामिल है। ग्राहकों को धन वापसी योग्य है।चालू वर्ष के दौरान, कंपनी ने उपकर देयता की अप्रदत्त राशि के लिए 12% की दर से गणना कर ₹ 1.01 करोड़ (31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए ₹.1.01 करोड़) का ब्याज प्रदान किया है।इस प्रकार 31.03.2018 को शामिल कुल देयता ₹.30.52 करोड़ 31.03.2017 को ₹.29.5 करोड़) हो गई। कंपनी उन ग्राहकों / पार्टियों की पहचान नहीं कर सकी है जिन्हे धन वापस किया जाना है। ग्राहकों / पार्टियों को धनवापसी के लिए तरीकों का अंतिम रूप देना अभी तक किया जाना बाकी है।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 24 : संचालन से राजस्व

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2017 समाप्त वर्ष के अनुसार
क. कोयले का विक्रय	22,379.91	23,443.22
घटाव :अन्य वैधानिक लेवी		
रॉयल्टी	1,752.01	1663.66
सामान और सेवा कर	628.65	-
जीएसटी क्षतिपूर्ति सेस	4,195.91	-
कोयले पर सेस	-	-
स्टोइंग उत्पाद शुल्क	33.36	143.01
केंद्रीय विक्रय कर	49.08	224.06
स्वच्छ ऊर्जा सेस	1,334.59	5720.34
राज्य विक्रय कर/वैट	136.37	586.87
राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट	35.03	33.37
जिला खनिज फाउंडेशन	525.58	846.77
अन्य लेवी	16.01	68.19
कुल लेवी	**8,706.59**	9,286.27
विक्रय (निवल) (क)	**13,673.32**	**14,156.95**
ख. अन्य संचालन राजस्व		
कोयला आयात हेतु सुविधा प्रभार	-	-
बालू भरने और सुरक्षात्मक कार्य हेतु अनुदान	2.05	2.24
लदाई एवं अतिरिक्त परिवहन प्रभार	838.47	847.92
घटाव :अन्य वैधानिक लेवी	36.17	25.13
	802.30	822.79
निकासी शुल्क की सुविधा	214.76	-
घटाव: लेवी	10.23	-
	204.53	-
अन्य संचालन राजस्व (निवल)(ख)	**1,008.88**	**825.03**
संचालन से राजस्व (क+ख़)	**14,682.20**	**14,981.98**

1.बालू भरण और सुरक्षा कार्यों के लिए सब्सिडी के रूप में, कोयला खानों में (संरक्षण और विकास) के लिए कोयला मंत्रालय,के अधिनियम, 1974 के तहत कोयला मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा वर्ष 31.03.2018 के दौरान बालू भरन और सुरक्षित कार्यों के लिए किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए 2.05 करोड़ रूपये दिए गए हैं। ।

2.वस्तु की बिक्री में उत्पाद शुल्क सहित ₹ 219.66 करोड़ (31.03.2017 ₹951.36 करोड़) और उत्पाद शुल्क सहित के वस्तु निवल की बिक्री ₹ 13453.66 करोड़ (31.03.2017 ₹13213.09 करोड़) है।

3.लोडिंग और अतिरिक्त परिवहन शुल्क , उत्पाद शुल्क सहित में 10.84 करोड़ (31.03.2017 ₹ 53.70 करोड़) शामिल है । उत्पाद शुल्क का लोडिंग और अतिरिक्त परिवहन शुल्क निवल ₹791.46 करोड़ (31.03.2017 ₹761.5 9 करोड़) है।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी
टिप्पणी 25 :अन्य आय

(₹ करोड़ में)

ब्याज आय	**31.03.2018 समाप्त वर्ष के अनुसार**	**31.03.2017 समाप्त वर्ष के अनुसार**
बैंक में जमा	858.91	1088.73
निवेश	70.72	70.53
ऋण	100.27	-
समूह के अंदर फ़ंड पर्क	0.00	47.64
अन्य	17.40	81.66
लाभांश आय		
अनुषंगी कंपनियों में निवेश	-	-
म्युचुअल फंड में निवेश	107.26	114.45
अन्य गैर-ऑपरेटिंग आय		
संपत्ति की बिक्री पर लाभ	0.24	0.05
विदेशी मुद्रा विनिमय पर लाभ	-	0.59
विनिमय दर भिन्नता	-	-
पट्टा किराया	17.19	1.96
देयता / राइट बैक के लिए प्रावधान	1.68	0.02
स्टॉक में कमी पर उत्पाद शुल्क	-	16.07
विविध आय	38.22	62.31
कुल	**1,211.89**	**1,484.01**

टिप्पणी:

1 अन्य:		
आयकर रिफंड पर ब्याज	0.00	71.95
ऋण पर ब्याज/बाहरी पार्टियों को अग्रिम	2.01	3.35
अनुषंगी कंपनियों से ब्याज	0.00	
समूह अवकाश नगदी योजना पर अर्जित ब्याज	15.37	6.35
कर्मचारी ऋण पर ब्याज	0.02	0.01
	17.40	81.66
2 विविध आय (प्रमुख मदों सहित)		
जुर्माना, एलडी आपूर्तिकर्ताओं से बरामद	3.06	
ग्राहकों से जुर्माना बरामद	12.65	
ठेकेदार और अन्य से जुर्माना	4.18	
ठेकेदारों / आपूर्तिकर्ताओं से ईएमडी / एसडी जब्त करना	9.35	
स्क्रैप की बिक्री	2.79	
	32.03	

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 26 :सामग्री की लागत में खपत

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के अनुसार
विस्फोटक	135.96	132.77
लकड़ी	0.28	0.36
तेल एवं लुब्रिकेंट	288.82	277.15
एचईएमएम के पुर्जे	125.37	120.86
अन्य उपभोज्य भंडार और पुर्जों	54.13	52.46
कुल	**604.56**	**583.60**

टिप्पणी :	**प्रारंभिक**	**बृद्धि/ समायोजन**	**समापन**
विस्फोटक	2.28	135.90	2.22
लकड़ी	0.15	0.13	-
तेल एवं लुब्रिकेंट	8.33	287.79	7.30
एचईएमएम के पुर्जे	53.16	126.21	54.00
अन्य उपभोज्य भंडार और पुर्जों	14.62	55.33	15.82
	78.54	605.36	79.34

टिप्पणी 27 : तैयार माल की सूचि में परिवर्तन, कार्य प्राप्ति पर और व्यापार में स्टॉक ।

(₹करोड़ में)

	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के अनुसार		31.03.2017 को समाप्त वर्ष के अनुसार	
कोयले का प्रारंभिक स्टॉक	254.7		346.83	
जोड़ाव: प्रारंभिक स्टॉक का समायोजन	(39.33)		-	
घटाव : कोयले का क्षरण	-	215.37	-	346.83
घटाव:-				
कोयले का अंतिम स्टॉक	400.78		254.70	
घटाव : कोयले का क्षरण	-	400.78	-	254.70
क कोयले की सूची में परिवर्तन		(185.41)		92.13
तैयार माल एवं डब्लूआईपी बनाने वाले कर्मशाला का प्रारंभिक स्टॉक	6.71		12.10	
जोड़ाव: प्रारंभिक स्टॉक का समायोजन	-		-	
घटाव: प्रावधान	-	6.71	-	12.10
घटाव:				
तैयार माल एवं डब्लूआईपी बनाने वाले कर्मशाला का अंतिम स्टॉक	9.84		6.71	
घटाव: प्रावधान	-	9.84	-	6.71
ख कर्मशाला की वस्तुसूची में परिवर्तन		(3.13)		5.39
प्रेस प्रारंभिक कार्य				
i)तैयार माल	-		-	
ii)कार्य प्रगति पर	-	-	-	-
घटाव: प्रेस समाप्ति कार्य				
i)तैयार माल	-		-	
ii)कार्य प्रगति पर	-	-	-	-
ग प्रेस जॉब की समाप्ति स्टॉक की वस्तु सूची में परिवर्तन		-		-
व्यापार में स्टॉक की वस्तु सूची में बदलाव (क +ख + ग) {घटा / / (अधिग्रहण)}		**(188.54)**		**97.52**

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 28 :कर्मचारी हित लाभ

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के अनुसार
वेतन, मजदूरी, भत्ते, बोनस इत्यादि	1,714.94	1,544.75
राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते के लिए प्रावधान (एनसीडबल्यूए) - X*	156.50	146.01
अधिकारियों की वेतन संशोधन- प्रावधान	93.93	9.78
अनुग्रह राशि	118.83	112.38
पीआरपी	16.47	21.09
भविष्य निधि और अन्य फंडों में योगदान	223.75	204.91
उपदान	411.76	57.38
छुट्टी नकदीकरण	72.75	106.01
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति	-	-
कामगार क्षतिपूर्ति	0.49	0.76
वर्तमान कर्मचारियों के लिए चिकित्सा व्यय	47.29	43.69
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा व्यय	9.44	5.29
स्कूलों और संस्थानों को अनुदान	32.08	26.04
खेल व मनोरंजन	5.02	4.92
कैंटीन व क्रैच	1.36	1.03
बिजली- टाउनशिप	57.83	57.23
बस, एम्बुलेंस आदि के किराया शुल्क	4.54	3.92
अन्य कर्मचारी लाभ	35.95	24.03
	3,002.93	**2,369.22**

* संदर्भ टिप्पणी संख्या 21 में फुटनोट संख्या _05

** संदर्भ टिप्पणी संख्या 21 में फुटनोट संख्या _06

1 "31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए एनसीडब्ल्यूए-X में 01.07.2016 से 31.03.2017 की अवधि से संबंधित ₹ 39.82 करोड़ शामिल है।"

2 ग्रैच्युइटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 के भुगतान और उसके बाद जारी अधिसूचना के अनुसार, अधिकतम ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गई है जो 29.03.2018 को प्रभावी होगी 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए ग्रैच्युइटी की अधिकतम सीमा में ₹.354.97 करोड़ परिवर्तन हुआ ।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 29 :कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के अनुसार
सीएसआर व्यय (explain in note)	267.52	166.60
कुल	**267.52**	**166.60**

टिप्पणी 30 : मरम्मत

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के अनुसार
बिल्डिंग	69.73	57.91
संयंत्र एवं मशीनरी	56.67	57.17
अन्य	2.93	3.49
कुल	**129.33**	**118.57**

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 31 :संविदात्मक व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के अनुसार
परिवहन शुल्क:		
- बालू	0.03	0.01
- कोयला	1,180.87	1,173.56
- भंडार एवं अन्य	0.03	-
वैगन लदाई	68.61	80.37
संयंत्र एवं यंत्रों को भाड़े पर लेना	1,177.65	983.20
अन्य संविदात्मक कार्य	53.45	49.80
कुल	**2,480.64**	**2,286.94**

टिप्पणी 32 : वित्तीय लागत

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के अनुसार
ब्याज पर व्यय		
उधारी	14.05	0.38
छुट को जारी रखना (साइट रेस्टोरेसन)	51.15	47.05
समूह के अंदर फ़ंड पर्क	-	-
अन्य	8.06	7.57
कुल	**73.26**	**55.00**

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 33 : प्रावधान (नेट आफ रिवर्सल)

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के अनुसार
(क) भर्त्ते/प्रावधान के लिए		
संदिग्ध ऋण	19.64	71.77
कोयला गुणवत्ता भिन्नता	173.45	80.77
संदिग्ध अग्रिम एवं दावे	0.08	0.14
भंडार एवं पुर्जे	6.68	1.96
अन्य	55.83	289.09
कुल(क)	**255.68**	**443.73**
(ख) भत्ते / प्रावधान रिवर्सल		
संदिग्ध ऋण	99.03	-
कोयला गुणवत्ता भिन्नता	80.77	-
संदिग्ध अग्रिम एवं दावे	0.02	0.05
भंडार एवं पुर्जे	-	1.19
अन्य	269.95	0.16
कुल(ख)	449.77	**1.40**
कुल (क-ख)	**(194.09)**	**442.33**

टिप्पणी:

	31.03.2018	31.03.2017
1 **अन्यः- सृजित**		
पूंजी डब्लुआईपी	0.53	0.64
सर्बेड आफ	0.37	4.47
दावा प्राप्तियां	3.44	14.19
विविध अग्रिम	-	0.06
उत्पाद शुल्क	-	115.86
स्वच्छ ऊर्जा उपकर	-	153.87
	4.34	289.09
अन्यः-रिवर्सल		
देउलबेरा कोलियरी के अस्थिर कार्य को बालुभरना और स्थिरीकरण	0.22	0.16
उत्पाद शुल्क	115.86	-
स्वच्छ ऊर्जा उपकर	153.87	-
सर्बेड आफ	-	-
	269.95	0.16

2 नोट: ₹ 173.45 करोड़ (₹ 80.77 करोड़) के कोयला गुणवत्ता भिन्नता के रूप में प्रावधान मान्यता प्राप्त रेफरी नमूना परिणामों के लिए मान्यता प्राप्त है।

टिप्पणी 34 : बट्टे खाते डालना (गत प्रावधानों को निवल)

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के अनुसार
संदिग्ध ऋण	-	
घटाव :- पूर्व प्रदत्त	-	
	-	-
संदिग्ध अग्रिम	-	
घटाव :- पूर्व प्रदत्त	-	
	-	-
कोयले का स्टाक	-	
घटाव :- पूर्व प्रदत्त	-	
	-	-
अन्य	-	
घटाव :- पूर्व प्रदत्त	-	
	-	-
कुल	-	-

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 35 : अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के अनुसार
यात्रा व्यय		
- घरेलू	14.93	14.75
- विदेशी	0.09	0.36
प्रशिक्षण व्यय	7.42	11.98
दूरभाष एव डाक खर्च	6.44	4.25
विज्ञापन एव प्रचार-प्रसार	14.30	5.48
भाड़ा प्रभार	0.05	0.08
डेमरेज	1.44	4.70
दान /अशदान	0.13	0.12
सुरक्षा व्यय	106.44	66.60
सीआइएल का सेवा प्रभार	143.22	70.30
भाड़ा प्रभार	38.30	35.00
सीएमपीडीआइ व्यय	17.17	22.44
विधिक व्यय	1.69	1.19
बैंक प्रभार	0.01	0.03
गेस्ट हाऊस व्यय	2.41	2.46
परामर्श शुल्क	1.23	1.60
अडरलोडिग शुल्क	35.60	16.83
विक्रय/डिस्कार्ड/सर्वेआफ परिसपत्तियो पर हानि	0.98	0.82
लेखा परीक्षको का मानदेय एव व्यय		-
- लेखा परीक्षा फीस	0.16	0.16
- कर सबधी मामले	-	-
- अन्य सेवाओ के लिए	0.13	0.13
-व्यय की प्रतिपूर्ति	0.20	0.24
आतरिक एव लेखा परीक्षा फीस पर व्यय	2.08	2.57
पुनर्वास शुल्क	82.96	85.81
रायल्टी एव सेस	0.18	0.19
रायल्टी एवं स्टोइंग उत्पाद शुल्क पर एसबीसी एंड केकेसी	4.85	21.61
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	-	-
जीएसटी		-
किराया	0.42	0.90
दर एव कर	24.93	34.76
बीमा	0.41	0.52
विदेशी मुद्रा विनिमय पर हानि	-	-
विनियम दर मे अतर से हानि	1.02	-
पट्टा किराया	0.07	-
बचाव/सुरक्षा हेतु व्यय	2.41	2.39
डेड रेन्ट/सरफेस रेन्ट	0.19	0.45
साइडिंग अनुरक्षण शुल्क	32.63	22.34
भूमि/फसल क्षतिपूर्ति	0.08	0.07
आर एड डी व्यय	0.79	0.86
पर्यावरण और वृक्षारोपण व्यय	16.17	17.89
शेयरो के बायबैक पर व्यय	0.03	0.33
विविध व्यय	86.97	231.16
कुल	**648.53**	**681.37**

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 36 : कर व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के अनुसार
चालू वर्ष	2,532.40	2325.80
स्थगित कर	45.97	42.36
एमएटी क्रेडिट इनटाइटलमेंट	-	-
पिछले वर्षों में	-	(5.45)
कुल	**2,578.37**	**2,362.71**

31.03.2018 को भारतीय कर की दर में कर व्यय और लेखांकन लाभ का समंजश्य ।		
कर से पूर्व लाभ/(हानि)	7339.66	6,854.72
भारत में 34.6081% की वैधानिक आयकर दर (31 मार्च 2017: 34.6081%)	2,540.12	2,372.29
घटाव :विगत वर्ष में चालू आयकर का समायोजन	4.89	1.27
घटाव: कर से मुक्त आय	(61.60)	(64.02)
घटाव : संयुक्त उद्यम और शेयर के परिणामों का हिस्सा	-	-
योग: कर उद्देश्यों के लिए गैर-कटौती व्यय	385.46	303.86
घटाव: आयकर के अनुसार अतिरिक्त व्यय की अनुमति है	(336.48)	(287.61)
लाभ और हानि के बयान में आयकर व्यय की सूचना दी गई है	**2,532.39**	**2,325.80**
प्रभावी आयकर दर:	34.50%	33.93%
स्थगित कर देयता निम्न से संबंधित है:		
विलम्बित कर देयता		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित	123.47	55.95
अन्य	241.87	257.35
कुल स्थगित कर देयता	365.34	313.30
स्थगित कर परिसंपत्ति		
प्राप्तियों से संबंधित व्यापार	9.68	36.89
कर्मचारी हितलाभ	67.75	34.88
अन्य	40.12	39.71
कुल स्थगित कर परिसंपत्ति	117.55	111.48
निवल स्थगित कर परिसंपत्ति / (देयताएं)	**(247.79)**	**(201.82)**

क) समूह कर परिसंपत्तियां और देनदारियां परिसंतुलित होती हैं पर केवल तभी जब वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ और मौजूदा कर देनदारियों को निर्धारित करने के लिए स्थगित कर परिसंपत्तियां और स्थगित कर देनदारियां उसी कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित हों जो कानूनी रूप से लागू करने योग्य है

ख) 31 मार्च 2018 को, ₹ 45.97 करोड़ की स्थगित कर देयता (31 मार्च 2017:₹ 42.36 करोड़), सभी करों में अस्थायी अंतर के लिए पहचाने जाते हैं । अनुषंगी , सहयोगी और संयुक्त उद्यम में निवेश से जुड़े कोई अस्थायी मतभेद नहीं हैं, जिससे कोई स्थगित कर देयताओं के अंतर को न पहचान जा सके ।

ग) 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान,शेयरधारकों के समुहों कों ₹4,350 करोड़ का अंतरिम लाभांश का भुगतान किया गया । इसके परिणामस्वरूप कर प्राधिकारियों को ₹885.56 करोड़ के डीडीटी का भुगतान हुआ है। कर अधिकारियों को रुपये। समूह यह मानता है की शेयरधारकों की तरफ से कर प्राधिकरी अतिरिक्त भुगतान का प्रतिनिधित्व (रिप्रेजेंट) करेंगे । डीडीटी पर इक्विटी प्रभार लगाया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 37 : अन्य वृहद आय

(₹ करोड़ में)

		31.03.2018 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के अनुसार
(क)	**(i) लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं किए जानेवाले मदें**		
	पुनर्मूल्यांकन अधिशेष में परिवर्तन	-	-
	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनःमाप	27.34	(1.40)
	ओसीआई के माध्यम से इक्विटी उपकरण	-	-
	एफ़वीटीपीएल में निर्दिष्ट वित्तीय देयाताओं के स्वयं के क्रेडिट		
	जोखिम से संबंधित उचित मूल्य परिवर्तन	-	-
	संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का शेयर	-	-
		27.34	(1.40)
	(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
	पुनर्मूल्यांकन अधिशेष में परिवर्तन	-	-
	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनःमाप	9.46	(0.48)
	ओसीआई के माध्यम से इक्विटी उपकरण	-	-
	एफ़वीटीपीएल में निर्दिष्ट वित्तीय देयाताओं के स्वयं के क्रेडिट		
	जोखिम से संबंधित उचित मूल्य परिवर्तन	-	-
	संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का शेयर	-	-
		9.46	(0.48)
	कुल(क)	**17.88**	**(0.92)**
(ख)	**(i) लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत किए जानेवाले मदें**		
	किसी विदेशी सचालन के वित्तीय विवरणो के अनुवाद मे विनिमय अंतर	-	-
	ओसीआई के माध्यम से ऋण साधन	-	-
	नकदी प्रवाह हेज में हेजिंग उपकरणो पर लाभ और हानि का प्रभावी भाग	-	-
	संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का शेयर	-	-
		-	-
	(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत किया जाएगा		
	किसी विदेशी ऑपरेशन के वित्तीय विवरणो के अनुवाद मे विनिमय अंतर	-	-
	ओसीआई के माध्यम से ऋण साधन	-	-
	नकदी प्रवाह हेज में हेजिंग उपकरणो पर लाभ और हानि का प्रभावी भाग	-	-
	संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का शेयर	-	-
		-	-
	कुल (ख)	**-**	**-**
	कुल (क+ख)	**17.88**	**(0.92)**

नोट:-38: 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वित्तीए विवरण हेतु अतिरिक्त टिप्पणियाँ (समेकन)

1. उचित मूल्य मापन

क. वर्गवार वित्तीय साधन

(करोड़ रूपये में)

	31 मार्च, 2018			31 मार्च, 2017		
	एफ़.वी.टी.पी.एल.	एफ़.वी.टी.ओ.सी.आई	परिशोधित लागत	एफ़.वी.टी.पी.एल.	एफ़.वी.टी.ओ.सी.आई.	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां						
निवेश :						
सुरक्षित बॉन्ड			958.70			958.70
सहायक कंपनियों में इक्विटी शेयर			-			-
अनुषंगी कंपनी में अधिमानी शेयर			शून्य	शून्य		शून्य
म्यूचुअल फंड	0.00			202.00		
ऋण			1001.14			1201.38
जमा एवं प्राप्य			1579.33			1694.89
व्यापार प्राप्य			606.86			1054.44
नगद एवं नगद समतुल्य			205.49			372.55
अन्य बैंक शेष			13168.31			14741.62
वित्तीय देयताएं						
उधार			6.50			2206.13
व्यापार देय			572.69			404.15
प्रतिभूति जमा एवं बयाना			209.16			200.48
अन्य देयताएं			464.41			350.81

ख. उचित मूल्य अनुक्रम

वित्तीय साधन के उचित मूल्यों को निर्धारित करने हेतु लिए गए फैसलों एवं अनुमानों को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है, जिसे (क) उचित मूल्य पर मापा तथा पहचाना जाता है एवं (ख) परिशोधित लागत पर मापा जाता है तथा जिसके लिए वित्तीय विवरणी में उचित मूल्यों का उल्लेख भी किया गया है। उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग किये गए इनपुट की विश्वसनीयता के बारे में एक संकेत प्रदान करने हेतु समूह ने अपने वित्तीय साधन को लेखांकन मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में विभाजित किया है। प्रत्येक स्तर का स्पष्टीकरण तालिका में निम्नानुसार है -

(करोड़ रूपये में)

उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियों और देयतायों को मापा गया -आवर्ती उचित मूल्य मापन	31 मार्च, 2018			31 मार्च, 2017		
	स्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तर I	स्तर II	स्तर III
एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियां						
निवेश						
म्यूचुअल फ़ंड	-	-	-	202.00	-	-
वित्तीय देयताएँ						
मद, यदि कोई हो	-	-	-	-	-	-

वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयतायों को परिशोधित लागत पर मापा गया तथा जिसके लिए उचित मूल्य का उल्लेख दिनांक 31 मार्च, 2018 की समाप्ति पर किया गया	31 मार्च, 2018			31 मार्च, 2017		
	स्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तर I	स्तर II	स्तर III
एफ.वी.टी.पी.एल. में वित्तीय परिसंपत्तियां						
निवेश :						
संयुक्त उद्यम में इक्विटी शेयर	-	-	-	-	-	-
म्यूचुअल फ़ंड	-	-	-	-	-	-
वित्तीय देयताएं						
अधिमानी शेयर	-	-	-	-	-	-
उधार	-	-	6.50	-	-	2206.13
व्यापार देनदारियाँ	-	-	572.69	-	-	404.15
सुरक्षा जमा तथा अर्जित राशि	-	-	209.16	-	-	200.48
अन्य देयताएँ	-	-	464.41	-	-	350.81

समूह वित्तीय साधनों के उचित मूल्य को निर्धारित करने के लिए निर्णय और अनुमानों को उपयोग में लाती है, जो कि उचित मूल्य पर पहचाने और मापे जाते हैं। निष्पक्ष मूल्य निर्धारित करने हेतु उपयोग किये गए इनपुटों की विश्वसनीयता के संबंध में कंपनी ने अपने वित्तीय साधनों को लेखांकन मानकों के तहत् तीन निर्धारित स्तरों में वर्गीकृत किया है। प्रत्येक स्तर की व्याख्या नीचे दी गई हैः-

स्तर 1: स्तर 1 पदानुक्रम में उद्धृत कीमतों का उपयोग करके वित्तीय साधनों का मूल्यांकन किया गया है।

स्तर 2: वे वित्तीय उपकरण जिनका सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया गया है, उनके उचित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके किया जाना अपेक्षित है, जो कि निरीक्षण बाजार के आंकडों के उपयोग को अधिक बढ़ाता है एवं इकाई विशिष्ट के अनुमानों पर यथासंभव कम निर्भर करता है। उचित मूल्य के लिए जरुरी सभी महत्वपूर्ण निविष्टियाँ स्तर-2 में उपकरण के रुप में शामिल की गई हैं।

स्तर 3: यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण निविष्टियां प्रत्यक्ष बाजार के आंकडों पर आधारित नहीं हो तो उपकरण स्तर 3 में उसे शामिल किया जाएगा। असूचीगत इक्विटी प्रतिभूतियां, वरीयता शेयरों के उधार, सुरक्षा जमा तथा अन्य देनदारियों को स्तर 3 में शामिल किया गया है।

ग. उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन तकनीक का उपयोग:

मूल्यांकन तकनीक का उपयोग वित्तीय साधनों के लिए किया जाता है, जिसमें बाजार में उपकरणों के उद्धृत कीमत को भी शामिल किया जाता है।

घ. महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष इनपुट का उपयोग कर उचित मूल्य मापनः

वर्तमान में कोई भी उल्लेखनीय अप्रभावित निवेश का प्रयोग कर उचित मूल्य का मापन नहीं किया गया है।

ङ. वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के उचित मूल्य, परिशोधित लागत पर मापे जाते है

- उनके अल्पावधि के कारण व्यापार प्राप्तियों की वर्तमान राशि, अल्पावधि जमा, नकद एवं नकद समकक्ष तथा व्यापार भुगतान को उनके उचित मूल्यों के समान ध्यान में लिया जाता है।
- समूह का मानना है कि सुरक्षा जमा को महत्वपूर्ण वित्तीय घटक में शामिल न किया जाये। माइलस्टोन के रूप में (सुरक्षा जमा) भुगतान समूह के प्रदर्शन के साथ मेल खाते हैं और अनुबंध के लिए वित्तीय प्रावधान के अतिरिक्त अन्य कारणों के रख-रखाव की अपेक्षित राशि को पूर्ण करती है। यदि ठेकेदार अनुबंध के तहत् अपने दायित्वों को पूर्ण करने में असफल होते हैं तो प्रत्येक माइलस्टोन भुगतान निर्दिष्ट प्रतिशत धारण कर कंपनी के हित की रक्षा करते हैं। तद्नुसार, सुरक्षा जमा की लेन-देन लागत को प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य माना जाता है और बाद में उसे अमूर्त लागत पर मापा जाता है।

महत्वपूर्ण अनुमान : वित्तीय उपकरण जिनका सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया जा रहा है, उनका मूल्यांकन तकनीक की सहायता से निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में समूह, उपयुक्त मान्यताओं को निर्धारित करने हेतु है एक तकनीक का चयन करती है।

2. जोखिम विश्लेषण एवं प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य एवं नीतियां

समूह के मुख्य देयताओं में ऋण, उधार, व्यापार एवं अन्य देय आदि शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन हेतु उन्हें वित्तीय सहायता एवं गारंटी प्रदान करना है। समूह के मुख्य वित्तीय परिसंपत्तियों में संचालन से सीधे व्युत्पन्न ऋण, व्यापार एवं अन्य प्राप्तियां, नगद एवं नगद समकक्ष शामिल हैं। समूह बाजार क्रेडिट एवं नकदी जोखिम के संपर्क में है। समूह के वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों की निगरानी करते हैं। समूह के वरिष्ठ प्रबंधन जोखिम समिति के द्वारा मंडित किए गए हैं, जो परस्पर वित्तीय जोखिम तथा समूह के लिए उपयुक्त वित्तीय जोखिमों के शासन ढांचे पर अपनी सलाह देते हैं। जोखिम समिति समूह की वित्तीय जोखिम गतिविधियों के लिए अपना आश्वासन निदेशक मंडल को देती है जो कि उचित नीतियों एवं प्रक्रिया द्वारा शासित

होती हैं तथा वित्तीय जोखिम समूह के नीतियों एवं जोखिम बैंकों के उद्देश्यानुसार पहचाने, मापे एवं प्रबंधित किए जाते हैं। निदेशक मंडल जोखिमों के प्रबंधन हेतु की गई समीक्षा एवं नीतियों से सहमत है, जो संक्षेप में नीचे दिए गए हैं।

समूह बाजार, क्रेडिट एवं नकदी जोखिम के संपर्क में है। यह टिप्पणी जोखिम के स्त्रोतों की जानकारी देती है जिससे यह स्पष्ट है कि यह इसके इकाई के संपर्क में है तथा किस तरह यह जोखिम एवं वित्तीय लेखांकन विवरण के प्रभावों का प्रबंधन करती है।

जोखिम	जोखिम से उत्पन्न	माप	प्रबंधन
क्रेडिट जोखिम	नकद एवं नकद समकक्ष, परिशोधित लागत पर मापे गए वित्तीय परिसंपत्तियां, व्यापार प्राप्तियां	विश्लेषण/ क्रेडिट रेटिंग	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), बैंक जमा क्रेडिट सीमा विविधीकरण एवं अन्य प्रतिभूतियां
नकदी जोखिम	उधार एवं अन्य देयताएं	आवधिक नकदी प्रवाह	प्रतिबद्धित क्रेडिट लाइन उपलब्धता एवं उधार की सुविधाएं
बाजार जोखिम - विदेशी विनियम	भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन, मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति एवं देयताएं	नकदी प्रवाह का संवेदनशीलता पूर्वानुमान	लेखा समिति एवं वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा नियमित रुप से निगरानी एवं समीक्षा
बाजार जोखिम - ब्याज दर	नकद एवं नकद समकक्ष, बैंक जमा तथा म्यूचुअल फंड	नकदी प्रवाह का संवेदनशील पूर्वानुमान	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा नियमित रुप से निगरानी एवं समीक्षा।

भारत सरकार द्वारा जारी किए गए डीपीई के दिशानिर्देशानुसार निदेशक मंडल द्वारा समूह के जोखिम का प्रबंधन किया जाता है। मंडल अत्यधिक नगदी निवेश की नीतियों सहित कुल प्रबंधन जोखिम हेतु लिखित रूप में मूलधन प्रदान करती है।

क) **क्रेडिट जोखिम**

क्रेडिट जोखिम**,** नगद एवं नगदी समकक्ष**,** परिशोधित लागत में किये गए निवेश तथा बैंक एवं वित्तीय संसाधनों के साथ जमा तथा बकाया प्राप्तियों से उत्पन्न है।

क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

प्राप्तियां मुख्य रूप से कोयले की बिक्री से उत्पन्न होती हैं। कोयले की बिक्री ई-नीलामी एवं ईंधन आपूर्ति अनुबंध(एफ.एस.ए.) के माध्यम से की गई बिक्री के अंतर्गत वर्गीकृत है।

वृहद आर्थिक जानकारी (जैसे की विनियामक परिवर्तन) को ईंधन आपूर्ति अनुबंध(एफ.एस.ए.) एवं ई-नीलामी शर्तों के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है।

ईंधन आपूर्ति अनुबंध-

एन.सी.डी.पी. के शर्तों के अनुसार एवं इस पर विचार करते हुए हम अपने ग्राहकों या राज्य नामांकित एजेंसियों के साथ कानूनी तौर पर लागू किये गए एफएसए में प्रवेश करते हैं, जो बदले में अंतिम ग्राहकों(इंड कसटमर्स) के साथ उचित वितरण व्यवस्था में प्रवेश करता है। हमारे एफएसए को निम्न तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है।

- ऊर्जा उपयोगिता क्षेत्र, राज्य ऊर्जा उपयोगिता, निजी ऊर्जा उपयोगिता (पीपीयूएस) तथा स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक (आईपीपीएस) में ग्राहकों के साथ (एफएसएएस)।
- गैर ऊर्जा उद्योग (कैपिटल पावर प्लांट(सीपीपीएस)) में ग्राहकों के साथ एफएसएएस।
- राज्य द्वारा नामित एजेंसियों के साथ एफएसएएस।

ई-नीलामी योजना-

जो ग्राहक कोयला की आवश्यकताओं को एनसीडीपी के अंतर्गत उपलब्ध संस्थागत तंत्र के माध्यम से पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, उनको कोयला उपलब्ध कराने हेतु कोयला ई-नीलामी योजना का प्रारंभ किया गया है। उदाहरणतः एनसीडीपी के तहत आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु आवंटन में की गई कमी, मौसम के अनुरुप कोयले की आवश्यकताओं का उपयोग एवं सीमित कोयले की आवश्यकताएं जो दीर्घावधि लिंकेज की आश्वस्ति नहीं देते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। ई-नीलामी के तहत प्रस्तावित कोयले की मात्रा की समीक्षा कोल मंत्रालय द्वारा समय-समय पर की जाती है।

अपेक्षित क्रेडिट हानि- समूह संदेहपूर्ण/परिसंपत्ति में हुए क्रेडिट हानि हेतु अपेक्षित क्रेडिट जोखिम हानि को जीवन भर अपेक्षित क्रेडिट हानि द्वारा प्रदान करती है।(सरलीकृत दृष्टिकोण)

सरलीकृत दृष्टिकोण के तहत व्यापार प्राप्तियों हेतु अपेक्षित क्रेडिट हानि

दिनांक-31.03.2018 तक (करोड़ रूपये में)

विश्लेषण	दो महीनों के लिए बकाया	छः माह के लिए बकाया	एक वर्ष के लिए बकाया	2 वर्ष के लिए बकाया	3 वर्ष के लिए बकाया	3 वर्ष से अधिक के लिए बकाया	कुल
कुल वहन राशि	423.96	47.02	27.34	47.96	60.44	30.28	637.00
अपेक्षित हानि दर	-	-	-	-	-	99.54%	4.73%
अपेक्षित क्रेडिट हानि भत्ता	-	-	-	-	-	30.14	30.14

दिनांक-31.03.2017 के तहत्

विश्लेषण	दो महीनों के लिए बकाया	छः माह के लिए बकाया	एक वर्ष के लिए बकाया	2 वर्ष के लिए बकाया	3 वर्ष के लिए बकाया	3 वर्ष से अधिक के लिए बकाया	कुल
कुल वहन राशि	559.48	401.44	96.46	77.19	1.12	28.28	1163.97
अपेक्षित हानि दर	-	2.34%	73.64%	2.25%	96.43%	93.00%	9.41%
अपेक्षित क्रेडिट हानि भत्ता	-	9.38	71.03	1.74	1.08	26.30	109.53

हानि भत्ता प्रावधान का समाधान - व्यापार प्राप्य

	करोड़ रूपये में
दिनांक- 31.03.2017 तक हानि भत्ता	109.53
हानि भत्ता में परिवर्तन	79.39
दिनांक-31.03.2018 तक हानि भत्ता	30.14

वित्तीय परिसम्पत्तियों में हुए हानि हेतु किये गए महत्वपूर्ण आकलन एवं निर्णय : -

ऊपर बताए गए वित्तीय संपत्ति के लिए हानि प्रावधान की धारणा अपेक्षित हानि दर तथा न्यूनतम जोखिम पर आधारित होती है। समूह इन मान्यताओं को बनाने के लिए अतीत के इतिहास, मौजूदा बाजार की स्थिति और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किए गए हानि के आकलनों के आधार पर इनपुट का चयन करती है।

ख) नगदी जोखिम -

विवेकतापूर्ण नगदी जोखिम प्रबंधन देय दायित्वों को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध क्रेडिट सुविधाओं की पर्याप्त मात्रा के तहत नगदी और बिक्री योग प्रतिभूतियों को बनाए रखता है तथा धन की उपलब्धता को भी दर्शाता है। अंतर्निहित व्यवसायों की प्रकृति के कारण समूह भंडार की प्रतिबद्धता को बनाए रखने के लिए वित्त पोषण में लचीलापन रखता है।

प्रबंधन अपेक्षित नगदी प्रवाह के आधार पर समूह की नगदी स्थिति (नीचे उधार लेने की सुविधा शामिल है) के पूर्वानुमानों, नगद एवं नगद समकक्ष की स्थिति पर नजर रखती है। यह आम तौर पर समूह द्वारा निर्धारित अभ्यास और सीमा के अनुरुप परिचालित कंपनियों में स्थानीय स्तर पर किया जाता है।

(i) वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

नीचे दी गई तालिका समूह की वित्तीय देयदाताओं को उनके अनुबंधित परिपक्वता के आधार पर प्रासंगिक समूह में विश्लेषित करती है।

तालिका में प्रकट की गई राशि संविदात्मक अनिर्धारित नकदी प्रवाह है। छूट का प्रभाव महत्वपूर्ण न होने की स्थिति में बारह महीनों के भीतर शेष राशि को उनके बकाया संतुलन के बराबर समझा जाता है।

(करोड़ रूपये में)

वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता दिनांक- 31.03.18	**3 माह से कम**	**3 माह से 6 माह**	**6 माह से 1 वर्ष**	**1 वर्ष से 2 वर्ष**	**2 से 5 वर्ष**	**कुल**
उधार	-	-	-	0.59	5.91	6.50
वित्त पट्टे के तहत दायित्व	-	-	-	-	-	-
व्यापार देनदारियां	572.69	-	-	-	-	572.69
अन्य वित्तीय देयदताएं	570.43	2.81	55.25	10.61	34.47	673.57
कुल	1143.12	2.81	55.25	11.21	40.37	1252.76

वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता दिनांक- 31.03.17	**3 माह से कम**	**3 माह से 6 माह**	**6 माह से 1 वर्ष**	**1 वर्ष से 2 वर्ष**	**2 से 5 वर्ष**	**कुल**
उधार	2200.00	-	-	0.51	5.62	2206.13
वित्त पट्टे के तहत दायित्व	-	-	-	-	-	-
व्यापार देनदारियां	385.52	18.22	0.41	-	-	404.15
अन्य वित्तीय देयदताएं	378.40	28.91	103.79	24.25	15.94	551.29
कुल	2963.92	47.13	104.20	24.76	21.56	3161.57

ग. बाजार जोखिम

I. विदेशी मुद्रा जोखिम :

समूह विदेशी मुद्रा लेनदेन से उत्पन्न विदेशी विनियम के संपर्क में है। विदेशी संचालन के संबंध में विदेशी विनिमय जोखिम नगण्य है। समूह आयात करता है एवं जोखिम नियमित रुप से अनुवर्ती द्वारा प्रबंधित भी करता है। जब विदेशी मुद्रा जोखिम महत्वपूर्ण होती है, तब समूह के पास एक नीति है जिसे वह कार्यान्वित करता है।

II. नकदी प्रवाह एवं उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम

बैंक जमा समूह में उत्पन्न मुख्य ब्याज दर जोखिम साथ ही कंपनी का नकदी ब्याज दर जोखिम प्रदर्शित करता है।
समूह सार्वजनिक उद्यम के विभाग, क्रेडिट सीमित बैंक जमा विविधिकरण एवं अन्य प्रतिभूतियों से प्राप्त दिशानिर्देशों का उपयोग कर जोखिम प्रबंधन करता है।

पूंजी प्रबंधन

समूह एक सरकारी इकाई होने के नाते वित्त मंत्रालय के तहत निवेश विभाग एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन के दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी पूंजी का प्रबंध करती है।

समूह की पूंजी संरचना निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपये में)

	31.03.2018	**31.03.2017**
इक्विटी शेयर पूंजी	706.13	141.23
वरीयता शेयर पूंजी	शून्य	शून्य
दीर्घकालिक ऋण	6.50	6.13
दीर्घकालिक कर्ज की चालू परिपक्वता	0.59	0.51

3. कर्मचारी लाभ : मान्यता एवं माप (भारतीय लेखांकन मानक-19)

i) **भविष्य निधि :**

नामित ट्रस्ट कोयला खदान भविष्य निधि जो अनुमत प्रतिभूतियों में निधि का निवेश करता है, में पूर्व निर्धारित दरों से समूह भविष्य निधि एवं पेंशन निधि पर तय योगदान का भुगतान करता है। वर्ष के दौरान लाभ व हानि विवरण (टिप्पणी-28) में निधि किये गए 223.75 करोड़ रुपए (दिनांक- 31.03.2017 तक 204.91 करोड़ रुपये) का योगदान स्वीकार किया गया है।

ii) समूह ने कुछ परिभाषित लाभ योजनाओं का संचालन बीमांकिक आधार पर किया है:

(क) **लगाये गए लागत** -

o उपदान

o छुट्टी नकदीकरण

(ख) **अपव्यय**

o लाइफ कवर स्कीम

o निपटान भत्ता

o समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा

o यात्रा छुट्टी रियायत

o चिकित्सा लाभ

o खान दुर्घटना लाभ पर आश्रितों को मुआवजा

बीमांकिक द्वारा मूल्यांकन के आधार पर दिनांक- 31.03.2018 तक कुल देयता 1522.36 करोड़ रुपए हैं, जिसका विवरण नीचे उल्लेखित है।

(करोड़ रूपये में)

विषय	दिनांक - 01.04.2017 पर प्रारंभिक बीमांकिक देयता	वर्ष के दौरान वृद्धिशील देयता	दिनांक-31.03.2018 पर समाप्त बीमांकिक देयता
उपदान	718.74	355.18	1073.92
अर्जित छुट्टी	245.66	1.85	247.51
अर्ध वेतन छुट्टी	55.02	(12.16)	42.86
लाइफ कवर स्कीम	5.68	(0.23)	5.45
अधिकारियों के लिए निपटान भत्ता	4.61	1.33	5.94
गैर-अधिकारियों के लिए निपटान भत्ता	8.69	(0.26)	8.43
समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना	0.12	(0.01)	0.11
यात्रा छुट्टी रियायत	42.23	3.21	45.44
अधिकारियों के लिए चिकित्सा लाभ	70.41	7.15	77.56

गैर-अधिकारियों के लिए चिकित्सा लाभ	0.50	0.73	1.23
खान दुर्घटना लाभ पर आश्रितों को मुआवजा	13.49	0.42	13.91
कुल	1165.15	357.21	1522.36

iii) **प्रकटीकरण के अनुसार बीमांकिक प्रमाण पत्र**

कर्मचारियों के लाभ के लिए गैच्युटी (फंडेड) एवं छुट्टी नगदीकरण (फंडेड) के प्रकटीकरण के बीमांकिक प्रमाण पत्र नीचे दिये गए हैं-

भारतीय लेखांकन मानक 19 (2015) के अनुसार दिनांक-31.03.2018 में उपदान देयता के बीमांकिक मूल्यांकन प्रमाणपत्र

(करोड़ रूपये में)

परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	**दिनांक-31.03.2018 तक**	**दिनांक-31.03.2017 तक**
अवधि के प्रारंभ में कार्य का वर्तमान मूल्य	718.74	686.00
चालू सेवा लागत	53.43	56.85
ब्याज लागत	52.43	46.69
योजना संशोधनः अवधि के अंत में निहित भाग (पूर्व सेवा)	354.97	
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण कार्य में बीमांकिक(लाभ)/घाटा	(50.13)	43.54
अप्रत्याशित अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/घाटा	21.96	(30.24)
भुगतान किए गए लाभ	77.48	84.10
अवधि के अंत में कार्य का वर्तमान मूल्य	1073.92	718.74

(करोड़ रूपये में)

संपत्ति योजना के उचित मूल्य में परिवर्तन	**दिनांक-31.03.2018 तक**	**दिनांक-31.03.2017 तक**
अवधि के प्रारंभ में संपत्ति योजना का उचित मूल्य	727.20	669.61
ब्याज आय	56.07	48.55
कर्मचारी योगदान	223.45	81.24
भुगतान किए गए लाभ	77.48	84.10
ब्याज आय छोड़कर संपत्ति योजना पर लाभ	(0.83)	11.90
अवधि के अंत में संपत्ति योजना का उचित मूल्य	928.41	727.20

(करोड़ रूपये में)

तुलनपत्र के लिए सामंजस्य दिखाते वक्तव्य	**दिनांक-31.03.2018 तक**	**दिनांक-31.03.2017 तक**
लागत की स्थिति	(145.51)	8.46
अवधि के अंत में अप्रत्याशित बीमांकिक लाभ/हानि	-	-
संपत्ति निधि	928.41	727.20
देयता निधि	1073.92	718.74

योजना मान्यताओं को दर्शाते वक्तव्य :	**दिनांक-31.03.2018 तक**	**दिनांक-31.03.2017 तक**
छूट दर	7.71%	7.25%
संपत्ति योजना पर अपेक्षित लाभ	7.71%	7.25%
मुआवजा बढ़ोत्तरी दर (वेतन मुद्रास्फीति)	9.00% अधिकारियों के लिए एवं 6.50% कर्मचारियों के लिए	9.00% अधिकारियों के लिए एवं 6.50% कर्मचारियों के लिए
औसत अपेक्षित भाविष्य सेवा (शेष जीवन कार्य)	14	11
नैतिकता तालिका	IALM 2006-2008 के अंत में	
उम्र में सेवानिवृत्ति (पुरूष एवं महिला)	60	60
पूर्व सेवानिवृत्ति एवं असक्ततता	0.30%	1.00%

(करोड़ रूपये में)

लाभ व हानि विवरण में पहचाने गए व्यय	**31.03.2018 तक**	**31.03.2017 तक**
वर्तमान सेवा लागत	53.43	56.85
भूतपूर्व सेवा लागत(निर्दिष्ट)	354.97	-
शुद्ध ब्याज लागत	(3.64)	(1.86)
लाभ लागत (लाभ व हानि विवरण में पहचाने गए व्यय)	404.76	54.99

अन्य व्यापक आय	31.03.2018 तक	31.03.2017 तक
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण कार्य में बीमांकिक (लाभ)/हानि	(50.13)	43.54
अप्रत्याशित अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	21.96	(30.24)
कुल बीमांकिक लाभ/हानि	(28.17)	13.30
योजना परिसंपति की वापसी, ब्याज आय को छोड़ कर	(0.83)	11.90
अवधि की समाप्ती पर उपलब्ध शेष	(27.34)	1.40
निवल (आय)/ मान्यता प्राप्त अवधि में अन्य व्यापक आय में व्यय	(27.34)	1.40

मृत्यु दर तालिका	
आयु	मृत्यु दर (प्रति वर्ष)
25	0.000984
30	0.001056
35	0.001282
40	0.001803
45	0.002874
50	0.004946
55	0.007888
60	0.011534
65	0.0170085
70	0.0258545

मद प्रकटीकरण				(करोड़ रूपये में)
31.03.2017			31.03.2018	
बढ़ना	घटना	संवेदनशील विश्लेषण	बढ़ना	घटना
692.54	746.69	छूट दर (-/+0.5%)	103.69	1113.33
-3.64%	3.89%	संवेदनशीलता के आधार पर परिवर्तन %	-3.444%	3.670%
727.22	709.75	वेतन वृद्धि (-/+ 0.5%)	110.24	1045.00
1.18%	-1.25%	संवेदनशीलता के आधार पर परिवर्तन %	2.652%	-2.693%
719.53	717.94	संघर्षण दर (-/+ 0.5%)	107.49	1072.97
0.11%	-0.11%	संवेदनशीलता के आधार पर परिवर्तन %	0.088%	-0.088%
723.62	713.85	मृत्यु दर (-/+ 10%)	108.03	1067.52
0.68%	-0.68%	संवेदनशीलता के आधार पर परिवर्तन %	0.596%	-0.596%

अनुमानित भविष्य भुगतान लाभ की जानकारी दर्शाती तालिका (पूर्व सेवा)	
वर्ष	करोड़ रूपये में
1	132.48
2	114.36
3	111.77
4	108.77
5	116.04
6 to 10	585.93
10 वर्ष से अधिक	999.23
भूतपूर्व एवं भविष्य सेवा में छूट न दिए गए कुल भुगतान	
पूर्व सेवा से संबंधित छूट न दिए गए कुल भुगतान	2168.58
ब्याज हेतु कम छूट	(1094.66)
अनुमानित लाभ दायित्व	1073.92

नगदी प्रवाह की सूचना दर्शाती तालिका	
	करोड़ रूपये में
आगामी वर्ष के लिए कुल (संभावित)	1084.08
न्यूनतम निधि आवश्यकाताएं	422.32

(करोड़ रूपये में)

शुद्ध देयता का विभाजन	31.03.2018 तक	31.03.2017 तक
चालू देयता	127.65	78.59
गैर-चालू देयता	946.27	640.15
शुद्ध देयता	1073.92	718.74

आगामी वर्ष के शुद्ध आवधिक लाभ के घटकों को दर्शाती तालिका	
	करोड़ रूपये में
आगामी अवधि के लिए चालू सेवा लागत(केवल नियोक्ता अंश)	54.59
आगामी अवधि के लिए हित लाभ	77.69
योजना परिसंपत्ति पर अपेक्षित लाभ	82.80
गैर मान्यता प्राप्त भूतपूर्व सेवा लागत	
गैर मान्यता प्राप्त बीमांकिक/अवधि के अंत में लाभ-हानि	
निपटान लागत	
संक्षेप लागत	
अन्य(बीमांकिक लाभ/हानि)	
लाभ लागत	49.49

भारतीय लेखांकन मानक 19 (2015) के अनुसार दिनांक- 31.03.2018 में छुट्टी नकदीकरण लाभ (ई.एल./एच.पी.एल.) के रुप में बीमांकिक मूल्यांकन प्रमाण-पत्र

(करोड़ रूपये में)

परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	**31.03.2018 तक**	**31.03.2017 तक**
अवधि के प्रारंभ में कार्य का वर्तमान मूल्य	300.68	243.98
चालू सेवा लागत	23.39	61.22
ब्याज लागत	22.27	16.84
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण कार्य में बीमांकिक (लाभ)/हानि	(15.97)	49.02
जनसांख्यिकीय धारणा में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर वास्तविक (लाभ) / हानि	0.00	0.00
अप्रत्याशित अनुभव के कारण बीमांकिक लाभ/हानि	(16.30)	(46.90)
लाभ भुगतान	23.69	23.47
अवधि के अंत में कार्य का वर्तमान मूल्य	290.38	300.68

(करोड़ रूपये में)

संपत्ति योजना के उचित मूल्य में परिवर्तन	**31.03.2018 तक**	**31.03.2017 तक**
अवधि के प्रारंभ में संपत्ति योजना का उचित मूल्य	203.57	-
ब्याज आय	15.70	6.69
नियोक्ता योगदान	60.05	220.69
लाभ भुगतान	23.69	23.47
ब्याज आय छोड़कर संपत्ति योजना पर लाभ	(0.43)	(0.34)
अवधि के अंत में संपत्ति योजना के उचित मूल्य	255.19	203.57

(करोड़ रूपये में)

तुलनपत्र में सामंजस्य दर्शाते विवरण	**31.03.2018 तक**	**31.03.2017 तक**
लागत स्थिति	(35.19)	(97.11)
अवधि के अंत में अप्रत्याशित बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.00	0.00
संपत्ति निधि	255.19	203.57
देयता निधि	290.38	300.68

योजना मान्यताओं को दर्शाते विवरण :	**31.03.2018 तक**	**31.03.2017 तक**
छूट दर	7.71%	7.25%
संपत्ति योजना पर अपेक्षित लाभ	7.71%	7.25%
मुआवजा बढ़ोत्तरी दर (वेतन मुद्रास्फीति)	9.00% अधिकारियों के लिए एवं 6.25% कर्मचारियों के लिए	9.00% अधिकारियों के लिए एवं 6.50% कर्मचारियों के लिए
औसत अपेक्षित भविष्य सेवा (शेष जीवन कार्य)	14	11
नैतिकता तालिका	IALM 2006-2008 के अंत में	
सेवानिवृत्ति की आयु (पुरूष तथा महिला)	60	60
पूर्व सेवानिवृत्ति एवं अशक्तता	0.30% p.a.	1.00% p.a.
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति	उपेक्षित	उपेक्षित

लाभ व हानि विवरण में पहचाने गए व्यय	**31.03.2018 तक**	**31.03.2017 तक**
वर्तमान सेवा लागत	23.39	61.22
शुद्ध ब्याज लागत	6.57	10.15
शुद्ध बीमांकिक लाभ/हानि	(31.84)	2.46
लाभ लागत (लाभ/हानि विवरण में पहचाने गए व्यय)	(1.88)	73.82

मृत्यु दर तालिका	
आयु	मृत्यु दर (प्रति वर्ष)
25	0.00984
30	0.001056
35	0.001282
40	0.001803
45	0.002874
50	0.004946
55	0.007888
60	0.011534
65	0.0170085
70	0.0258545

मद प्रकटीकरण				(करोड़ रूपये में)
31.03.2017			31.03.2018	
बढ़ना	घटना	संवेदनशील विश्लेषण	बढ़ना	घटना
287.63	314.75	छूट दर (-/+05%)	278.19	303.53
-4.34%	4.68%	संवेदनशीलता के आधार पर परिवर्तन %	-4.196%	4.529%
314.57	287.69	वेतन वृद्धि (-/+ 0.5%)	303.44	278.16
4.62%	-4.32%	संवेदनशीलता के आधार पर परिवर्तन %	4.500%	-4.207%
301.01	300.35	संघर्षण दर (-/+ 0.5%)	290.71	290.04
0.11%	-0.11%	संवेदनशीलता के आधार पर परिवर्तन %	0.116%	-0.116%
302.52	298.85	मृत्यु दर (-/+ 10%)	292.18	288.57
0.61%	-0.61%	संवेदनशीलता के आधार पर परिवर्तन %	0.622%	-0.622%

(करोड़ रूपये में)

अनुमानित भविष्य भुगतान के लाभ की सूचना देती तालिका	
वर्ष	**(करोड़ रूपये में)**
1	26.34
2	22.41
3	23.40
4	24.80
5	29.25
6 to 10	164.90
10 वर्ष से अधिक	421.54
पूर्व एवं भविष्य सेवा में छूट न दिए गए कुल भुगतान	
पूर्व सेवा से संबंधित छूट न दिए गए कुल भुगतान	712.64
ब्याज हेतु कम छूट	422.27
अनुमानित लाभ दायित्व	290.38

(करोड़ रूपये में)

शुद्ध देयता का विभाजन	**31.03.2018 तक**	**31.03.2017 तक**
चालू देयता	25.45	21.56
गैर चालू देयता	264.92	279.12
शुद्ध देयता	290.38	300.68

4. अपरिचित मद

क. आकस्मिक देयतायें

I. समूह द्वारा किये गए दावे को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। (ब्याज सहित, जहां उपयुक्त हो)

(करोड़ रूपये में)

विवरण	केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार तथा अन्य स्थान	सी.पी.एस.ई.	अन्य	कुल
खुलने की तिथि 01.04.17	1727.33	2763.52	313.75	227.76	5032.36
वर्ष के दौरान सम्मिलित	578.85	8437.01*	-	99.52	9115.38
वर्ष के दौरान निपटाये गए दावे					
क. प्रारंभिक शेष से	769.80	49.44	312.62	80.21	1212.07
ख. वर्ष के दौरान संयोजन से	0.02	-	-	-	0.02
ग. वर्ष के दौरान निपटाये गए कुल दावे (क+ख)	769.82	49.44	312.62	80.21	1212.09
31.03.2018 को समाप्त	1536.36	11151.09	1.13	247.07	12935.65

* सामान्य हित बनाम यू.ओ.आई. एवं अन्य (डब्लू. पी.(सी) 2014 की संख्या-114), के मामलों में भारत के माननीय सर्वोच्य न्यायालय के फैसले के अनुसार ओडिशा के कुछ जिला खनन अधिकारियों ने 17 परियोजनाओं में उपलब्ध पर्यावरण मंजूरी सीमा से अधिक उत्पादन का आरोप लगाते हुए मांग सूचनाएं जारी की हैं।

समूह ने एम.एम.डी.आर. अधिनियम के तहत् माननीय कोल न्यायधिकरण, भारत सरकार(निर्णय लेने वाले अधिकारी) के समक्ष विधिवत् संशोधित याचिका दायर की है। भारत सरकार के संशोधित प्राधिकरण कोल मंत्रालय ने दिनांक-11.04.2018 के अपने अंतरिम आदेश में संशोधन आवेदन स्वीकार किया है एवं आगे के आदेश तक 8297.77 करोड़ रूपये की मांग के निष्पादन पर रोक लगा दी है।

ख. गारंटीः

समूह द्वारा अन्य कंपनियों की तरफ से किसी भी प्रकार की गारंटी प्रदान नहीं की गई।

ग. शाख पत्र :

दिनांक 31.03.2018 तक बकाया शाख पत्र 7.24 करोड़ रुपए हैं (31.03.2017 तक 26.77 करोड़ रुपए) एवं जारी बैंक गारंटी के अंतर्गत 51.62 करोड़ रुपए (31.03.2017 तक 29.17 करोड़ रुपये) हैं।

II. **प्रतिबद्धता**

संविदा की अनुमानित राशि जिसे पूंजी खाते में खर्च किया जाता है,

लेकिन जिसे उपलब्ध नहीं कराया गया हैः-833.04 करोड़ रूपये(31.03.2017 तक 427.76 करोड़ रूपये)

अन्य (राजस्व प्रतिबद्धता) : 2894.57 करोड़ रूपये (31.03.2017 तक 2815.04 करोड़ रूपये)

5. समूह की जानकारी

नाम	एमसीएल के साथ संबंध	मूल गतिविधियां	निगमीकरण का देश	इक्विटी का ब्याज %	
				31.03.18	31.03.17
एम.एन.एच. शक्ति लिमिटेड	अनुषंगी कंपनी	कोयला उत्पादन	भारत	70	70
एम.जे.एस.जे. कोल लिमिटेड	अनुषंगी कंपनी	कोयला उत्पादन	भारत	60	60
महानदी बेसिन पॉवर लिमिटेड	अनुषंगी कंपनी	ऊर्जा उत्पादन	भारत	100	100
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	अनुषंगी कंपनी	रेल कोरिडोर का निर्माण एवं संचालन परियोजना	भारत	64	64

6. अन्य सूचना

क. सरकारी सहायता :

31.03.2018 (टिप्पणी-24) को समाप्त वर्ष के दौरान सैण्ड स्टोइंग एवं संरक्षणात्मक कार्य के लिए किये गए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु कोयला खान (संरक्षण तथा विकास) अधिनियम, 1974 के संदर्भ में कोयला मंत्रालय, भारत सरकार से 2.05 करोड़ रूपये की छूट प्राप्त की गई है।

31.03.2018 को समाप्त वर्ष के दौरान सी.सी.डी.ए. अनुदान 31.75 करोड़ रूपये कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सड़क और रेल के बुनियादी ढ़ांचे के काम की सहायता के लिए पूंजी अनुदान के रूप में प्राप्त की गई है तथा अभी तक प्राप्त कुल 208.58 करोड़ रूपये के स्थगित आय का खुलासा टिप्पणी-22 में किया गया है।

ख. प्रावधान

दिनांक 31.03.2018 तक कर्मचारी लाभ छोड़कर विभिन्न प्रावधानों की स्थिति एवं संचार बीमांकित है, जो कि नीचे दिए गए हैं :

(करोड़ रूपये में)

प्रावधान	01.04.2017 के अनुसार प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	वर्ष के दौरान वापस/ समायोजित करें	डिस्काउंट का अन वाईंडिंग	31.12.2018 के अनुसार समाप्त शेष
नोट 3:- संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण :					
संपत्तियों की हानि एवं कमी	685.18	374.38	(30.89)	-	1028.67
नोट 4: मुख्य कार्य में प्रगति :					
सीडब्ल्यूआईपी के तहत्	14.27	0.52	(0.20)	-	14.59
नोट 5: परिसंपत्तियों का अंवेषण एवं मूल्यांकन					
प्रावधान एवं हानि	-	-	-	-	-
नोट 6:- अन्य अमूर्त संपत्तियां					
प्रावधान:	0.20	0.15	-	-	0.35
नोट 8: ऋण :					
अन्य ऋण :	-	-	-	-	-
नोट 9: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां :					
अनुषंगियों के साथ चालू लेखा :	-	-	-	-	-
प्राप्य दावे:	-	-	-	-	-
अन्य प्राप्य (गैर चालू)	0.16	-	-	-	0.16
अन्य प्राप्य (चालू)	-	0.76	-	-	0.76
नोट 10:- अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां:					
अग्रिम पूंजी:	0.55	-	-	-	0.55
उपयोगिता हेतु सुरक्षा जमा	-	-	-	-	-
नोट 11: अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां:					
राजस्व हेतु अग्रिम:	2.16	2.74	-	-	4.90
सांविधिक देय राशि के लिए अग्रिम भुगतान	-	-	-	-	-
कर्मचारियों को अग्रिम:	0.03	-	-	-	0.03
अन्य जमा :	-	-	-	-	-
अन्य प्राप्य :	-	-	-	-	-
नोट 12: सूची:					
कोयला भंडार :	-	-	-	-	-
भंडारों एवं पूर्जों का भंडार	19.89	6.68	-	-	26.57

नोट 13: व्यापार प्राप्य: ऋण हेतु प्रावधान एवं नैतिक	109.53	19.64	99.03	-	30.14
नोट 21: चालू एवं गैर चालू प्रावधान					
प्रदर्शन संबंधित भुगतान(पी.आर.पी.) :	138.15	16.69	(56.89)	-	97.95
एनसीडबल्यूए -X	146.36	156.70	-	-	303.06
अधिकारी वेतन संशोधन	9.78	93.93	-	-	103.71
खदान बंद	729.59	4.97	(11.74)	51.15	773.97
अनुग्रह राशि	109.75	115.80	(107.40)	-	118.15
सेवा निवृत्ति लाभ	133.93	20.41	-	-	154.34
कोयले की गुणवत्ता में विविधता	80.77	173.45	(80.77)	-	173.45
दावा प्राप्य	14.19	3.44	(14.19)	-	3.44
स्वच्छ ऊर्जा उपकर और उत्पाद शुल्क	269.73	-	(269.73)	-	-
वर्ष 2015-16 के लिए पर्यावरण मंजूरी मांग	-	50.97	-	-	50.97
अन्य	-	15.08	-	-	15.08

ग. रिपोर्टिंग खंड

भारतीय लेखांकन मानक 108 के प्रावधानों के अनुसार 'संचालन खंड' का उपयोग खंड सूचना प्रदान करने हेतु किया जाता है, जिसकी पहचान बीओडी द्वारा अंतरिम प्रतिवेदन के आधार पर की जाती है ताकि खंडों के संसाधनों को आवंटित किया जा सके एवं उनके प्रदर्शन का उपयोग भी किया जा सके। भारतीय लेखांकन मानक 108 के अर्थानुसार बीओडी मुख्य परिचालन निर्णय लेने वालों का समूह है।

निदेशक मंडल ने महत्वपूर्ण उत्पाद के व्यवसाय पर विचार किया है एवं निर्णय लिया है कि यह कोयले की बिक्री करने योग्य एक एकल रिपोर्ट का भाग है। वित्तीय प्रदर्शन एवं शुद्ध संपत्ति की समेकित जानकारी पी/एल एवं तुलनपत्र में प्रस्तुत की गई है।

गंतव्य द्वारा राजस्व निम्नानुसार है-

	भारत	अन्य देश
राजस्व	13673.32 करोड़	शून्य

ग्राहक द्वारा राजस्व निम्नानुसार है-

ग्राहक का नाम	राशि (करोड़ में)	देश
प्रत्येक पार्टियों का नाम जिनकी शुद्ध बिक्री मूल्य 10% से ज्यादा हो **एन.टी.पी.सी.**	2465.74	भारत
अन्य	11207.58	भारत

स्थान के द्वारा शुद्ध वर्तमान परिसंपत्ति निम्नानुसार

	भारत	अन्य देश
शुद्ध चालू परिसंपत्ति	₹ 10959.04 करोड़	शून्य

घ. प्राधिकृत पूंजी:

	31.03.2018	31.03.2017
प्रत्येक के 1000 रूपये के 77,58,200 इक्विटी शेयर	775.82	295.82
प्रत्येक 1000 रूपये के 20,41,800 का संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयर का 10% (पहले की स्वीकृति अनुसार प्रतिदेय)	204.18	204.18

ङ. प्रतिशेयर आय

क्र.सं	विवरण	दिनांक-31.03.2018 को समाप्त वर्ष		दिनांक-31.03.2017 को समाप्त वर्ष (पुनः वर्णित)	
		पी.ए.टी.	ओ.सी.आई.	पी.ए.टी.	ओ.सी.आई.
i)	इक्विटी शेयर धारकों के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ (करोड़ रूपये में)	4758.51	17.88	4510.65	(0.92)
ii)	भारित बकाया औसत इक्विटी शेयर	1474174	1474174	1849157	1849157
iii)	रुपए में प्रति शेयर मूल एवं लघु आय (अंकित मूल्य 1000 रुपये प्रति शेयर)	32279.17	121.29	24393.00	(4.98)

च. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

क. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

श्री ए .के. झा, अध्यक्ष-सह-प्रबंध-निदेशक

श्री एल. एन. मिश्रा, निदेशक (कार्मिक/आई.आर.)

श्री जे .पी. सिंह, निदेशक (तकनीकी-संचालन)

श्री ओ. पी. सिंह, निदेशक (तकनीकी-योजना एवं परियोजना)

श्री के. आर. वासुदेवन, निदेशक (वित्त)

श्री ए. के. सिंह, कंपनी सचिव

स्वतंत्र निदेशक

श्री एच.एस. पति

डॉ. आर. मल्ल

श्रीमती सीमा शर्मा

अंशकालिक निदेशक

श्री एस.एन. प्रसाद

सरकार द्वारा नामित

श्री आर. के. सिन्हा

प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिक

(करोड़ रूपये में)

क्र.सं	सीएमडी, पूर्णकालिक निदेशक एवं कंपनी सचिव को भुगतान	दिनांक-31.03.2018 को समाप्त वर्ष	दिनांक-31.03.2017 को समाप्त वर्ष
i)	**अल्पावधि कर्मचारी लाभ**		
	सकल वेतन	1.53	1.49
	परिलब्धियां	0.00	0.00
	चिकित्सा लाभ	0.00	0.04
ii)	**रोजगार लाभ के उपरांत**		
	पी.एफ एवं अन्य निधि का योगदान	0.16	0.16
iii)	**समाप्ति लाभ** (वियोजन के समय प्रदत्त)		
	छूट्टी नकदीकरण	1.05	-
	ग्रैच्युटी	0.83	
	कुल	**3.57**	**1.69**

टिप्पणी:

(i) इसके अलावा, पूर्णकालिक निदेशकों को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के ओ.एम. नं 2(18)/पी.सी.-64, दिनांक-20.11.1964 को संशोधित प्रावधानों के अनुसार 750 कि.मी. पर रियायत दर के भुगतान पर निजी यात्रा के लिए कारों का उपयोग करने हेतु अनुमति दी गई है।

क्र. सं	**स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान**	**दिनांक-31.03.2018 को समाप्त वर्ष**	**दिनांक-31.03.2017 को समाप्त वर्ष**
i)	बैठक शुल्क	0.13	0.11

बकाया शेष

(करोड़ रूपये में)

क्र.सं	**विवरण**	**31.03.2018 के अनुसार**	**31.03.2017 के अनुसार**
i)	देय राशि	शून्य	शून्य
ii)	प्राप्य राशि	शून्य	शून्य

च. समूह के अंतर्गत संबन्धित पार्टी लेन-देन

समूह एक सरकारी संस्था होने के नाते संबन्धित पार्टी लेनदेन एवं उत्कृष्ट शेष के संबंध में सरकारी नियंत्रण के साथ सामान्य प्रकटीकरण की आवश्यकताओं में छूट देती है।

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने अपने धारक कंपनियों, अनुषंगी तथा अनुषंगियों जो सर्वोच्च शुल्क, पुनर्वास शुल्क, सीएमपीडीआईएल व्ययों, आर एंड डी व्ययों, पट्टे का किराया, अधिशेष निधि पर ब्याज, आईआईसीएम शुल्क को शामिल किया है तथा चालू खाते के माध्यम से अन्य सहायक कंपनियों द्वारा या उनके द्वारा किये गए खर्च के साथ लेनदेन में प्रवेश किया है।

भारतीय लेखांकन मानक 24 के अनुसार महत्वपूर्ण लेनदेन राशि एवं इससे संबंधित प्रकटीकरण निम्नानुसार है-

कंपनी का नाम	**कंपनी के साथ संबंध**	**वर्ष के दौरान लेनदेन राशि (करोड़ रूपये में)**
कोल इंडिया लिमिटेड	100% होल्डिंग कंपनी	(247.28)
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	100% धारक कंपनी के अनुषंगी कंपनी	(0.34)
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	100% धारक कंपनी के अनुषंगी कंपनी	0.06
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	100% धारक कंपनी के अनुषंगी कंपनी	(0.07)

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	100% धारक कंपनी के अनुषंगी कंपनी	(0.07)
नॉर्थन कोलफील्ड्स लिमिटेड	100% धारक कंपनी के अनुसंगी कंपनी	(0.14)
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	100% धारक कंपनी के अनुषंगी कंपनी	(1.13)
सीएमपीडीआई लिमिटेड	100% धारक कंपनी के अनुषंगी कंपनी	75.49
एम.जे.एस.जे. कोल लिमिटेड	अनुषंगी (60% हिस्सेदारी)	0.47
एम.एन.एच. शक्ति लिमिटेड	अनुषंगी (70% हिस्सेदारी)	0.07
महानदी बेसिन पावर लिमिटेड	अनुषंगी (100% हिस्सेदारी)	1.20
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	अनुषंगी (64% हिस्सेदारी)	1.02

कोष्ठक में दिये गए आंकड़े अन्य कंपनी के साथ कुल क्रेडिट लेन-देन को दर्शाते हैं।

छ. बीमा और वृद्धि दावा

बीमा और वृद्धि दावा का लेखा-जोखा आवेदन/अंतिम निपटान के आधार पर किया जाता है।

ज. लेखा के लिए बनाये गए प्रावधान

धीमी प्रयुक्त/स्थिर/अप्रचलित भंडार गृह, दावा, प्राप्य, अग्रिम, संदिग्ध ऋण के लिए लेखा में प्रावधान पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है ताकि संभावित नुकसान को रोका जा सके।

झ. चालू संपत्ति, ऋण और अग्रिम आदि

प्रबंधन के विचार से अचल संपत्ति के अतिरिक्त अन्य संपति और गैर चालू निवेश का मूल्य कम से कम व्यवसाय के सामान्य अवधि के दौरान वसूली पर या जिस पर मूल्य निर्धारित किया जाता है, के बराबर होता है।

ञ. चालू देयताएँ

जहां वास्तविक देयताएँ नहीं मापी जा सकती, वहाँ अनुमानित देयताएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।

ट. शेष की पुष्टि

शेष की पुष्टि एवं सामंजस्य, नगद एवं बैंक शेष, निश्चित ऋण एवं अग्रिम, दीर्घकालिक देयताएँ और चालू देयताओं के आधार पर किया जाता है।

ठ. सीआईएफ के आधार पर आयात मूल्य

(करोड़ रूपये में)

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
(i) कच्चा माल	शून्य	शून्य
(ii) पूंजीगत माल	1.93	28.37
(iii)भंडार,पुर्जा एवं उपकरण	0.03	0.10

ड. विदेशी मुद्रा के लिए किए गए खर्च

(करोड़ रूपये में)

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
यात्रा व्यय	0.09	0.36
प्रशिक्षण व्यय	शून्य	शून्य
परामर्श शुल्क	शून्य	शून्य
ब्याज	0.07	0.09
भंडार एवं पुर्जे	0.03	0.10
पूंजीगत माल	1.93	28.37
अन्य	शून्य	शून्य

ढ. विदेशी विनिमय में अर्जन

विविरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
यात्रा व्यय	शून्य	शून्य
प्रशिक्षण व्यय	शून्य	शून्य
परामर्श शुल्क	शून्य	शून्य

ण. भंडार एवं पुर्जों का कुल खपत

(करोड़ रूपये में)

विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष		31.03.2017 को समाप्त वर्ष	
	राशि	कुल खपत का प्रतिशत	राशि	कुल खपत का प्रतिशत
(i) आयातित सामाग्री	0.03	0.01	0.10	0.02
(ii) स्वदेशी	604.37	99.99	583.50	99.98

त. कोयले का प्रारंभिक स्टॉक, उत्पादन, खरीद, टर्नओवर और अंतिम स्टॉक का विवरण

(करोड़ रूपये में एवं परिमाण '000 एमटी में)

	31.03.2018 को समाप्त वर्ष		**31.03.2017 को समाप्त वर्ष**	
	परिमाण	**मूल्य**	**परिमाण**	**मूल्य**
प्रारंभिक शेयर	**6387.29**	**276.54**	**10191.73**	**367.52**
उत्पाद	143057.91	13818.28	139208.39	14066.87
बिक्री	138262.45	13673.32	143008.03	14156.95
स्व खपत	4.83	0.96	4.80	0.90
बट्टे खाते में डालना	-	-	-	-
5% से अधिक की कमी	116.80	19.76	119.40	21.85
5% से अधिक	-		-	-
अंतिम स्टॉक	**11061.12**	**400.78**	**6267.89**	**254.69**

थ. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(4) के अंतर्गत संरक्षित किये गए ऋण, निवेश एवं गारंटी का विवरण :-

संबन्धित शीर्ष के अंतर्गत दिये गए ऋण और किये गए निवेश निम्न है -

कंपनी का नाम	**संबंध**	**ऋण/निवेश**	**राशि (करोड़ रूपये में)**
एमजेएसजे कोल लिमिटेड	अनुषंगी	शेयरों में निवेश	57.06
एमएनएच शक्ति लिमिटेड	अनुषंगी	शेयरों में निवेश	59.57
महानदी बेसिन पॉवर लिमिटेड	अनुषंगी	शेयरों में निवेश	0.05
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	अनुषंगी	शेयरों में निवेश	0.03
एन.एल.सी. इंडिया लिमिटेड		दिये गये ऋण	1000.00

दिनांक 31.03.2018 अंतर्गत ऋण के संदर्भ में समूह द्वारा कोई भी कारपोरेट गारंटी नहीं दिया गया है।

निधिगत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए समूह ने मासिक आधार पर 7% ब्याज देयता पर एन.एल.सी.आई.एल. को 1000 करोड़ का ऋण दिया है एवं संवितरित कुल 2000 करोड़ रूपये की स्वीकृत ऋण 48 मासिक किस्त पर अगले माह से देय होगी।

द. संयुक्त उद्यम में लाभ (भारतीय लेखांकन मानक-31)

08 जनवरी, 2013 को नीलांचल पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड नामक संयुक्त उद्यम कंपनी को दिनांक-31.03.2018 तक समूह और ओडिशा पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच संयुक्त उद्यम अनुबंध के आधार पर शामिल किया गया था, समूह ने विविध व्यय के लिए 0.02 करोड़ रूपये खर्च किये एवं इन्हें प्राप्य दावों में शामिल किया है।

ध. **महानदी कोल प्रबंधन संस्थान का निर्माण**

समूह ठेकेदार मेसर्स एन.बी.सी.सी. के माध्यम से 138.83रूपये करोड़ की अनुमानित लागत पर 'महानदी कोल प्रबंधन संस्थान, भुवनेश्वर' का निर्माण कर रही है। समूह एवं ठेकेदार के बीच खंड संख्या-5.18 के समझौता ज्ञापन के अनुसार सांविधिक प्राधिकरणों से निर्माण एवं परियोजना के पूर्ण होने के लिए आवश्यक अनुमोदन/मंजूरी लेना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। हालांकि, भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण ने इससे संबंधित अनुमोदन प्रस्ताव पर विचार नहीं किया है क्योंकि यह परियोजना सी.डी.पी.-2010 के अनुसार प्रस्तावित रिंग रोड संरेखण पर पड़ती है। पत्र संख्या- HUD-TP-SCH-0022/2014/8008/HUD, दिनांक-28.03.2018 के अनुसार कथित सी.डी.पी.-2010 रिंग रोड को सी.डी.पी.-01/2016 में पुनः संरेखण हेतु ओडिशा सरकार द्वारा अनुमोदन प्राप्त किये गए हैं। एमसीएल की सलाहकार एन.बी.सी.सी. ने पुनः एम.आई.सी.एम. योजना के लिए बी.डी.ए. से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है। हालांकि समूह संस्थान के निर्माण के लिए 104.23 करोड़ रूपये व्यय कर चुकी है।

ण. बालिपंडा मौजा, पुरी में भूमिः-

पुरी नगर पालिका के साथ 99 वर्ष के पट्टा अवधि (दिनांक-01.04.1996 से प्रभावी) से 05 करोड़ रूपये बालिपंडा मौजा, पुरी की भूमि जिसकी कीमत 0.80 करोड़ रूपये है, पट्टे के तौर पर लिया गया है। हालांकि तहसीलदार, पुरी द्वारा दिये गए कार्यालय ज्ञापन संख्या-7206 दिनांक-21.08.2004, कलेक्टर, पुरी को संबोधित की गई एक प्रतिलिपि एमसीएल, भुवनेश्वर को "स्वीट वॉटर जोन" के तहत् आती हैं तथा इस क्षेत्र को आवास एवं शहरी विकास विभाग में सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। जैसा कि कथित भूमि स्वेट वॉटर जोन के तहत् आती है, इसलिए तहसीलदार, पुरी में 2008-09 तक भाड़े के साथ ही उपकर स्वीकार किया है। एमसीएल ने पुरी के तहसीलदार को लिखित अनुरोध किया है कि वे 2009-10 से 2018-19 तक की अवधि की डिमांड नोट पर भेजे। निदेशक(कार्मिक), एमसीएल ने पत्र संख्या-4401, दिनांक-03.03.2018 में प्रमुख सचिव, ओडिशा सरकार से अनुरोध किया है कि वे एमसीएल में कथित भूमि के प्लॉट के अधिग्रहण हेतु आवश्यक कदम उठाये।

प. लाभ मिलानः-

	अवधि जिसके लिए त्रुटि संबंधित है	2016-17 को समाप्त वर्ष (करोड़ रूपये में)
पहले रिपोर्ट की गई समूह के मालिकों के लिए जिम्मेदार कुल व्यापक आय		4488.78
<u>अवधि से पूर्व वस्तुओं के लिए समायोजन</u>		
अन्य व्यय(टिप्पण-35) (सी.एम.पी.डी.आई.एल. प्रभार)	2016-17	1.39
प्रावधान (टिप्पण- 33) (संदिग्ध ऋण)	2016-17	8.37
वित्तीय लागत (टिप्पण 32) दी गई छूट	2016-17	2.55
विमूल्यन(पी. एंड एल.) स्थल के रखरखाव हेतु लागत का विमूल्यन	2016-17	5.62
कर्मचारी लाभ व्यय(टिप्पण 28) (खेल-कूद व्यय)	2016-17	3.03
समूहों के मालिको के लिए कुल व्यापक आय (पुनः वर्णित)		4509.73
दिनांक-01.04.2016 तक समायोजित प्रतिधारित कमाई		
विक्रय (टिप्पण 24) (प्रदर्शन प्रोत्साहन)	2012-13	(20.28)
संचालन से प्राप्त राजस्व (टिप्पण 24) प्रदर्शन प्रोत्साहन	2015-16	(0.14)
अन्य व्यय (टिप्पण 35) साइडिंग रखरखाव प्रभार	2015-16	13.72
पी./एल. (विमूल्यन एवं ऋण परिशोधन)	2015-16	(0.13)
पूंजीगत कार्य प्रगति टिप्पण 4 (विकास)	2014-15	(0.19)
पूंजीगत कार्य प्रगति टिप्पण 4 (विकास)	वर्ष, 2014-15 से पूर्व	(0.84)

फ. अन्य

क भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार पिछली अवधि के आंकडों को पुन: वर्णित किया गया है तथा जब भी आवश्यक हो उसे पुनर्गठित और पुनर्व्यवस्थित भी किया जा सकता है।

ख पिछली अवधि के आकड़े टिप्पणी 3 से 38 कोष्ठ में दिये गए हैं

ग 31 मार्च, 2018 के अनुसार नोट 3 से 23 तुलनपत्र का एक हिस्सा है तथा उस तिथि के अर्द्ध वर्ष की समाप्ति पर लाभ तथा हानि विवरण नोट 24 से 37 के भाग में दर्शाये गए हैं। नोट-2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीति को प्रस्तुत करता है तथा नोट-38 वित्तीय विवरण के संयुक्त नोट (टिप्पणी) को प्रस्तुत करता है।

1 से 38 में हस्ताक्षर

बोर्ड की तरफ से

ह/-	**ह/-**
(**ए. के. सिंह**)	**(वी.वी.के. राजू)**
कंपनी सचिव	**महाप्रबंधक (वित्त)**
ह/-	**ह/-**
(**के.आर. वासुदेवन)**	**(ए. के. झा**)
निदेशक (वित्त)	**अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक**
डीआईएन -07915732	**डीआईएन-06645361**

संलग्नित हमारे सीमित समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार तथा

उनके तरफ से

सिंह राय मिश्रा एंड कंपनी

सनदी लेखाकर

फ़र्म पंजीकरण संख्या.318121**E**

ह/-

(**सी.ए. जे. के. मिश्रा**)

पार्टनर

सदस्यता सं. 052796

स्थान: भुवनेश्वर

दिनांक : 24.05.2018

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नगद प्रवाह का विवरण

(`. करोड़ में)

		31.03.2018 समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2017 समाप्त वर्ष के अनुसार (पुनः घोषित)
क	**प्रचालन गतिविधियों से नगद प्रवाह:**		
	करपूर्व निवल लाभ एवं असामान्य मदें:	**7,364.22**	**6,871.96**
	समायोजन के लिए :		
	अचल परसंपतियों का मूल्यह्रास / हानि	343.64	366.77
	बैंक जमा पर ब्याज	(858.91)	(1,088.73)
	वित्त पोषण गतिविधि से संबंधित वित्त लागत	22.11	7.95
	छूट की अनवाइंडिंग	51.15	47.05
	संयुक्त उद्यम के (लाभ) / हानि में शेयर	-	-
	स्थायी परिसंपतियों की बिक्री पर लाभ / हानि	(0.24)	(0.05)
	विनियम दर का उतार-चढ़ाव	1.02	(0.59)
	स्ट्रिपिंग गतिविधियों का समायोजन	1,000.64	1,313.31
	निवेश से ब्याज / लाभांश	(177.98)	(304.57)
	प्रावधान किए गए और बट्टे खाते में	150.38	394.97
	वर्तमान / गैर वर्तमान संपत्तियों और देयताओं से पूर्व संचालन लाभ समायोजन के लिए:	**7,896.03**	**7,608.07**
	समायोजन के लिए :		
	बस्तु सूची	(159.31)	102.69
	व्यापार से प्राप्य	526.97	(39.02)
	गैर चालू ऋण/अग्रिम अल्प वित्तीय परिसंपति अन्य परिसंपत्ति	133.75	(675.73)
	वतेमान ऋण, अग्रिम, अन्य वित्तीय संपत्तिया, अन्य संपत्तियां	1,415.54	(3,159.03)
	वतेमान / गैर चालू प्रावधान, अन्य वित्तीय देयताएं और अन्य देयताएं	(2,079.70)	3,597.46
	संचालन से अर्जित नगद	**7,733.28**	**7,434.44**
	आयकर भुगतान /रिफ़ंड	(2,536.26)	(2,665.27)
	संचालन गतिविधियों से निवल नगद	**5,197.02**	**4,769.17**
ख	**निवेश गतिविधियों से नगद प्रवाह**		
	स्थिर परिसंपत्तियों का क्रय	(1,347.76)	(1,818.48)
	सीआईएल के साथ अल्प अवधि जमा	53.94	293.87
	स्थायी परिसंपतियों की बिक्री पर लाभ / हानि	0.24	0.05
	निवेश में बदलाव	202.00	1,143.00
	निवेश गतिविधियों से संबंधित ब्याज	929.63	1,278.85
	निवेश से ब्याज / लाभांश	107.26	114.45
	निवेश की गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नगद	**(54.69)**	**1,011.74**
ग	**वित्तीय गतिविधियों से नगद प्रवाह**		
	उधार में बदलाव	0.45	(1.13)
	विनियम दर का उतार-चढ़ाव	(1.02)	0.59
	वित्त गतिविधियों से संबंधित ब्याज और वित्त लागत	(73.26)	(55.00)
	इक्विटी शेयरों पर लाभांश	(4,350.00)	(2,982.00)
	इक्विटी शेयरों पर लाभांश पर कर	(885.56)	(607.06)
	इक्विटी शेयर पूंजी का पुनर्खरीद	-	(1,979.73)
	इक्विटी शेयर पूंजी के पुनर्खरीद पर कर		
	वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नगद	**(5,309.39)**	**(5,624.33)**
	नगद और नगद समतुल्य में निवल वृद्धि / (कमी)(क+ख+ग)	(167.06)	156.58
	वर्ष के प्रारम्भ में नगद एवं नगद समतुल्य	372.55	215.97
	अवधि के अंत में नगद और नगद समतुल्य	**205.49**	**372.55**

उपरोक्त विधि अप्रत्यक्ष विधि पर तैयार किया गया है।

पिछले वक्त के आंकड़े को वतेमान अवधि वर्गीकरण की पुष्टि के लिए पुन: वर्गीकृत किया गया है।

उसी दिन हमारे द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुरूप
कृते,सिंह राय मिश्रा एंड को.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.318121ई

ह/-	ह/-	ह/-
(ए के सिंह)	(वी वी के राजू)	के आर वासुदेवन
कंपनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक (वित्त)
		डीआईएन: 07915732

ह/-	ह/-	ह/-
जे पी सिंह	(ए के झा)	(सी ए जे के मिश्रा)
निदेशक (तक.संचालन)	अधक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	भागीदार
डीआईएन: 06620453	डीआईएन: 06645361	सदस्य संख्या 052796

दिनांक: 24.05.2018
स्थान: भुवनेश्वर

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
(कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी)
मो./डाकघर- जागृति विहार, बुर्ला
संबलपुर-768020 (ओडिशा)
वेबसाइट : www.mahanadicoal.in

Printed at Five Star Printing Press, Burla